"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan"

(Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me)

2018

शोध प्रबंध

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से

यू. जी. सी. रेग्युलेशन एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा में

डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

आचार्य (शिक्षा शास्त्र)

शिक्षाशास्त्र विभाग ,

डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ. प्र.)

(पूर्व अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा विद्यापीठ,

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा)

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

पंजीयन क्र. - VMOU/Research/ Ph.D./ED/2013/08

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

अनुक्रमणिका
(Index)

स. क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अनुमोदन प्रमाण-पत्र (Approval Certificate)	I
2	घोषणा-पत्र (Declaration Certificate)	II
3	कृतज्ञता ज्ञापन	III-VI
4	तालिका सूची (List of Tables)	XII-XVII
5	रेखाचित्र सूची (List of Figures)	XVIII-XXII
6	शब्द संक्षेपण (Abbreviation)	XXIII
7	प्राक्कथन (Preface)	XXIV-XXVI
8	संक्षिप्तिका (Abstract)	XXVII - XXVIII
स. क्र.	विषय विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय – 1	अध्ययन की पृष्टभूमि	1-35
1.1	प्रस्तावना - राजस्थान परिचय,	1
1.2	दिव्यान्गता का आशय, परिभाषा एवं प्रमुख प्रकार	4
1.3	भारत में प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक इतिहास	12
1.4	समावेशी शिक्षा का का इतिहास एवं उसकी भूमिका	15
1.5	विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजन बच्चों के प्रति दृष्टिकोण	18
1.6	समावेशी शिक्षा को लागू करने में भारत सरकार की भूमिका	20
1.7	अध्ययन का औचित्य एवं आवश्यकता	29

1.8	समस्या का कथन	**32**
1.9	शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की संक्रियात्मक परिभाषाएँ	**32**
1.10	शोध प्रश्न	**33**
1.11	शोध अध्ययन के उद्देश्य	**33**
1.12	अध्ययन का कार्य-क्षेत्र एवं शोध सीमांकन	**34**
अध्याय -2 सम्बंधित साहित्य का अध्ययन		**36 - 71**
2.1	प्रस्तावना	**36**
2.2	शोध समीक्षा का महत्त्व	**37**
2.3	समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में भारत में किये गए प्रमुख शोध अध्ययन की समीक्षा	**38-57**
2.4	समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में विदेशों में किये गए प्रमुख शोध अध्ययन की समीक्षा	**57-62**
2.5	समावेशी शिक्षा हेतु पुस्तकों,पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों की समीक्षा	**62-66**
2.6	सम्बन्धित शोध साहित्य अध्ययनों की समीक्षा एवं शोध अंतराल	**66-71**
अध्याय – 3 शोध अध्ययन की कार्य विधि		**72 - 96**
3.1	प्रस्तावना	**72**
3.2	शोध की कार्य प्रणाली	**72**
3.3	वर्तमान शोध अध्ययन हेतु चयनित शोध विधि	**72**
3.4	अध्ययन हेतु मिश्रित विधि के चयन की आवश्यकता	**73**
3.5	शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख विधियाँ	**75-80**
3.6	शोध अध्ययन के उद्देश्य	**80**
3.7	समष्टि (जनसंख्या)	**81**
3.8	न्यादर्श और न्यादर्शन	**81-86**
3.9	शोध की परिसीमाएँ	**87**
3.10	न्यादर्शन विधि	**87**
3.11	शोध उपकरण का चयन एवं निर्माण	**89-92**
3.12	शोध उद्देश्यों अनुसार प्रदत्तों के संग्रहण हेतु चयनित उपकरण	**92-94**

3.13	प्रदत्त संकलन	**94**
3.14	प्रदत्त संकलन की योजना	**94**
3.15	प्रदत्तों के स्त्रोत	**95**
3.16	प्रदत्तों की प्रकृति	**95**
3.17	प्रदत्तों को संकलित करने की प्रक्रिया	**95**
3.18	शोध में प्रयुक्त सांख्यकीय विधि	**96**
अध्याय - 4 आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या		**97-277**
4.1	प्रस्तावना	**97**
4.2	संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण	**97**
4.3	अध्ययन में विश्लेषण और निर्वचन का महत्व	**98**
4.4	शोध उद्देश्यों के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचना	**99**
4.4.1	उद्देश्य क्र. 1 - राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन	**99**
4.4.1.1	परीक्षण सूची (चैक लिस्ट) की बिन्दुवार विश्लेषणात्मक विवेचना	**100-154**
4.4.1.2	विद्यार्थियों की अनुसूची की विश्लेषणात्मक विवेचना	**154-165**
4.4.1.3	अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र की साक्षात्कार-अनुसूची की विवेचना	**165-172**
4.4.2	उद्देश्य क्र. 2 - राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा लागू करने में विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न समस्याएं	**173**
4.4.2.1	विभागीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं की विवेचना	**174**
4.4.2.2	विद्यालय स्तर पर प्राचार्यों को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना	**175**
4.4.2.3	कक्षा स्तर पर शिक्षकों को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना	**176**
4.4.2.4	अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना	**178**
4.4.2.5	स्वयं सेवी संगठनों को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना	**179**
4.4.2.6	समुदाय एवं सामाजिक स्तर पर उत्पन्न समस्याओं की विवेचना	**180**
4.4.3	उद्देश्य क्र. 3 - प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार की योजनाओं और नीतियों का स्वॉक विश्लेषण	**181-198**

4.4.4	उद्देश्य क्र. 4 - राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने व सफलता पूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न संबद्ध पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन	**198**
4.4.4.1	विद्यालयों के शिक्षकों की प्रश्नावली की प्रश्नवार विश्लेषणात्मक विवेचना	**199-210**
4.4.4.2	जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की साक्षात्कार-अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना	**211-220**
4.4.4.3	प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के प्राचार्यों की साक्षात्कार-अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना	**220-233**
4.4.4.4	अभिभावक एवं मित्र / पड़ोसी की साक्षात्कार - अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना	**234-239**
4.4.4.5	स्वयं सेवी संगठनों की साक्षात्कार - अनुसूची की प्रश्नवार विश्लेषणात्मक विवेचना	**239-245**
4.4.4.6	समुदाय एवं सामाजिक संगठन की साक्षात्कार - अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना	**246-250**
4.4.4.7	जनप्रतिनिधियों की साक्षात्कार - अनुसूची की कथनवार विवेचना	**250-255**
4.4.5	उद्देश्य क्र. 5 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं और नीतियों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक योजना का चयन	**256**
4.4.5.1	नीति प्रस्ताव के प्रमुख लक्ष्य	**256**
4.4.5.2	संभावित समाधान	**259**
4.4.5.3	नीति विकल्प	**261**
4.4.5.3.1	पहला नीति विकल्प - वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था को यथास्थिति में रखना	**261**
4.4.5.3.2	दूसरा नीति विकल्प - सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समान साझेदारी तय करना	**262**
4.4.5.3.3	तीसरा नीति विकल्प - सभी संबद्ध पक्षों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया जवाबदेही बनाना	**264-268**
4.4.5.4	नीति विकल्प का मूल्यांकन के लिए मानदण्ड	**268**
4.4.5.4.1	कसौटी वैकल्पिक आव्यूह (Criteria Alternative Matrix)	**268-271**
4.4.5.4.2	स्वॉक विश्लेषण आव्यूह (SWOC Analysis Matrix)	**272-273**
4.4.5.4.3	सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक का चयन	**273-274**
4.4.5.5	चुनौती विश्लेषण (Risk Analysis)	**275**
4.4.5.6	क्रियान्वयन की रणनीति	**275-277**
अध्याय - 5 निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ, सुझाव एवं शोध सारांश		**278-299**

5.1	अध्ययन की पृष्ठभूमि	**278**
5.2	प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष	**279-289**
5.3	अध्ययन से प्राप्त मुख्य परिणाम	**289-290**
5.4	शैक्षिक निहितार्थ	**290**
5.5	अध्ययन का कार्य क्षेत्र एवं शोध सीमांकन	**291**
5.6	शोध सीमाएँ	**292**
5.7.1	भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव	**293-294**
5.7.2	समस्त हितधारकों हेतु सुझाव	**295-299**
5.8	**संदर्भ/ग्रन्थ सूची**	**300-309**
	परिशिष्ट –	
	1. आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण	**I-X**
	2. संग्रहित समंकों की तालिकाएँ	**I-V**
	3. अनुलग्नक	**I-XI**
	4. प्रकाशित शोध-पत्र	
	5. शोध सारांश	**I-XLIII**
	6. प्रमाण-पत्र	

समर्पित

मालवा जनपति यशोधर्मन के आराध्य देव एवं दशपुर नगर के राजाधिराज

भगवान पशुपतिनाथ महादेव

मन्दसौर (म.प्र.)

"अष्टा दिशा किल्मिषा, संकट भय नष्टा |

हर्षित जन आकर्षित, दर्शित मुख अष्टा ||

पूज्य गुरुवर

एवं

माता - पिता के

श्री चरणों में .....

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

आचार्य (शिक्षाशास्त्र)

शिक्षाशास्त्र विभाग,

डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास

विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ. प्र.)

(पूर्व अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सहआचार्य शिक्षा विद्यापीठ,

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राज.)

अनुमोदन प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हेमन्त नामदेव ने **'राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन'** (विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)**'Rajasthan me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan'**(Vibhinna Yojnaon Va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me) विषय पर मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच. डी. हेतु न्यूनतम मानक प्रक्रिया) विनियमन - 2009 में वर्णित दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए शोध कार्य पूर्ण किया है | यह इनका मौलिक कार्य है | यह शोध प्रबंध शिक्षा में विद्या- वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी) उपाधि हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा को प्रेषित किया जा रहा है |

दिनांक -.....

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

- .....

हेमन्त नामदेव

शोध छात्र (शिक्षाशास्त्र)

शिक्षा विद्यापीठ,

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

घोषणा - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा शिक्षा में विद्या- वाचस्पति (डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी) उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध जिसका विषय **"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"** (विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में) **'RAJASTHAN ME PRATHMIK STAR PAR VISHESH AAVASHYAKTA VAALE BACHCHON KI SAMAVESHI SHIKSHA KA ADHYAYAN'** (Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke Vishesh Sandarbh Me) है | उक्त शोध कार्य प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह वर्तमान में आचार्य (शिक्षाशास्त्र), शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) एवं पूर्व अतिरिक्त शोध निदेशक व सहआचार्य शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) के निर्देशन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पी-एच. डी. हेतु न्यूनतम मानक प्रक्रिया) विनियम - 2009 में वर्णित दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए पूर्ण किया गया है |

शिक्षा की शोधोपाधि हेतु प्रस्तुत मेरा यह शोध प्रबंध मेरे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित मौलिक कार्य है तथा मेरी व्यक्तिगत जानकारी में इससे पूर्व उपरोक्त विषय पर किसी भी स्तर पर कोई अन्य शोध कार्य प्रस्तुत नही किया गया है |

धन्यवाद !

दिनांक - ..... **हेमन्त नामदेव**

स्थान - .....

कृतज्ञता ज्ञापन

ईश्वर की कृपा, आशीर्वाद और प्रेरणा के अभाव में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता अत: प्रस्तुत शोध कार्य की पूर्णता पर मैं सर्वप्रथम अपने आराध्य देव, कुल देवी सती माता जी एवं पूर्वजों को नमन करता हूँ जिनके आशीर्वाद से ही मैं इस महत्वाकांक्षी कार्य को पूर्ण कर सका हूँ|

किसी भी विषय पर शोध कार्य करना अत्यंत दुष्कर कार्य होता है क्योंकि इस कार्य में पग-पग पर विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | इन कठिनाइयों का समाधान एवं शोध कार्य की सफलता समुचित दिशा - निर्देशन एवं परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है | प्रस्तुत शोध कार्य के प्रारम्भिक चरण से लेकर अंतिम चरण की सम्पन्नता तक मेरे इस अभीष्ट कार्य में मेरे सहायक बने श्रद्धेय गुरुवर, गुरुजनों, विद्वानों, परिचितों एवं इष्टमित्रों जिनके सहयोग, मार्गदर्शन, स्नेह एवं आशीर्वाद से ही पूर्ण हो पाया है | अत: आप सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य है |

आभार अभिव्यक्ति की इस श्रृंखला में मैं (**हेमन्त नामदेव**) सर्वप्रथम मेरे पथ प्रदर्शक श्रद्धेय गुरुवर परम आदरणीय **प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह जी,** आचार्य (शिक्षाशास्त्र), शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) एवं पूर्व अतिरिक्त निदेशक व सहआचार्य, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूँ जिनके बहुमूल्य सुझाव एवं विद्वता पूर्ण निर्देशन में ही मैं यह महत्वाकांक्षी कार्य पूर्ण कर पाया हूँ| इस शोध कार्य काल के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जब भी अपने पथ से विचलित हुआ, आपके उचित मार्गदर्शन, सहज उपस्थिति, प्रेम और सहयोग ने मुझे सदैव अपने पथ पर अग्रसर होकर कार्य करने की प्रेरणा प्रदान की इस हेतु मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा |

शोध कार्य को नित नवीन दिशा एवं निर्देशन प्रदान करने हेतु वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के वर्तमान कुलपति **प्रो. अशोक जी शर्मा** एवं (निवर्तमान कुलपति) **प्रो. विनय कुमार पाठक** का कोटि - कोटि आभार जिन्होंने प्रस्तुत शोध विषय पर शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान की तथा विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु बेहतर मार्गदर्शन और उचित वातावरण व व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई |

शोध कार्य के विषय चयन एवं शोध की रूप रेखा का निर्धारण करने और शोध कार्य से सम्बन्धी समस्त पहलुओं पर उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अकादमिक निदेशक प्रो.एल. आर. गुर्जर, सतत विद्यापीठ के निदेशक प्रो. एच. बी. नंदवाना, परीक्षा नियंत्रक प्रो. बी अरुण कुमार, शोध निदेशक **डॉ. सुबोध कुमार**, उपनिदेशक शोध **डॉ. क्षमता चौधरी**, प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता, प्रो. पी. के. शर्मा, डॉ. अनुरोध गोधा, डॉ. मीता शर्मा, डॉ. अकबर अली एवं विश्वविद्यालय के समस्त विद्वान महानुभावों का में तहेदिल से आभारी हूँ|

मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ शिक्षापीठ निदेशक डॉ. अनिल कुमार जैन, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. पतंजलि मिश्रा, डॉ. (श्रीमती) कीर्ति सिह, निवर्तमान विभागाध्यक्ष डॉ. (श्रीमती) दामिना चौधरी के प्रति जिन्होंने शोध कार्य हेतु सदैव अपना अमूल्य समय और सहज मार्गदर्शन प्रदान किया एवं मैं विभागीय कार्यालय प्रमुख श्री गोवर्धनलाल रैगर एवं शोध विभाग के श्री सुरेश सैनी का भी आभारी हूँ जिन्होंने समय - समय पर शोध कार्य से सम्बन्धित विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करने में सदैव सहयोग प्रदान किया |

आभार प्रदर्शन की श्रृंखला में विभागीय पुस्तकालय, कम्प्युटर विभाग, कार्यालय कर्मचारियों एवं केन्द्रीय पुस्तकालय वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राज.) के समस्त कर्मचारियों के प्रति भी आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे शोध कार्य में सहयोग प्रदान किया | प्रदत्त संकलन कार्य में विभागीय स्वीकृति एवं सहयोग करने वाले सहायक परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान (राजस्थान), जिला भरतपुर **श्री युधिष्ठिर सिंह**, जिला अलवर श्री फरीद खान, जिला चुरू श्री बजरंगलाल सैनी तथा चयनित चारों जिलों के सभी ब्लाक के संसाधन शिक्षकों (RT) / संसाधन व्यक्तियों (RP) के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने आंकड़े संकलन हेतु मुझे अपना अमूल्य समय और पूर्ण सहयोग प्रदान किया | प्रदत्त संकलन में सहयोग करने वाले राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा के चयनित चारों जिलों के जिला एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी डॉ. श्री करण कुमार शर्मा, श्री कृष्णलाल सिहाल, श्री अनिल कौशिक, श्री गुरदयाल महेडा, श्री भवानीसिंह शेखावत, श्री रजनीकान्त शर्मा, श्री

कपिलदेव, श्री सुनील गुप्ता, श्री रामवीर सिंह, श्री योगेश वशिष्ट एवं विभागीय कर्मचारियों के प्रति भी में आभार प्रकट करता हूँ | सभी चयनित विद्यालयों के प्राचार्यों / प्रधानाचार्यों, सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं एवं विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त सामान्य और दिव्यांग बच्चों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ साथ ही समस्त अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों, समुदाय व सामाजिक संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनकी सहज उपलब्धता एवं सहयोग प्रवृत्ति ने मुझे आवश्यकतानुसार शोध प्रदत्तों के संकलन हेतु सूचनाएँ प्रदान की |

मैं धन्यवाद एवं शुभाशीष देता हूँ मेरे भांजे **ऋतिक जोशी** को जिसने प्रदत्त संकलन की अवधि में पुरे समय मेरे साथ रहकर चयनित सभी विद्यालयों की उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की यथा स्थितियों के चित्रों को अपने कैमरे में संग्रहित किया जिसे मैं अपने शोध प्रबंध में प्रदर्शित कर पाया |

मैं आभारी हूँ शिक्षा महाविद्यालयों के निदेशक एवं संचालकगण श्री के. के. सिंह, श्री अजीत मेहता, श्री विकास सुराणा, **श्री अम्बालाल गुगरवाल** का जिन्होंने शोध कार्य पूर्ण करने हेतु समय व साधन उपलब्ध कराये | मैं अपने कुँवरसा. **श्री प्रहलाद जी जोशी** एवं बहिन **अंजू जोशी** (कोटा) का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य के दौरान प्रत्येक परिस्थिति में साथ देकर मेरा मनोबल बढ़ाया|

मैं अपनी माता जी **श्रीमती शान्ति बाई**, पत्नि **रश्मि देवी**, पुत्र **सन्नी नामदेव**, पुत्री **रितिषा**, बहिन **रानू - ओमप्रकाश टान्डी, भतीजे आशुतोष, रोहन, पीयूष, नन्दिनी, तनुश्री, वर्तिका, यश** सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कार्य को पूर्ण करने हेतु सदैव अभिप्रेरित कर मेरा मनोबल बढ़ाया और समय- समय पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है जिसके परिणाम स्वरूप ही में अपना कार्य पूर्ण कर सका हूँ|

प्रस्तुत शोध अध्ययन की पूर्णता पर मैं अपने मित्रों **डॉ. अनिल कुमार जैन, डॉ. मुकेश साहू, डॉ. एस. एन. शर्मा**, सहा. प्राध्यापक **श्री सुभाष चन्द्र मोड़, श्री सुनील कुमार नागर, श्री दिनेश जोशी, मि. अरास्टीन, श्री पंकज पांचाल**, के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिनका मार्गदर्शन और सहयोग मुझे सदैव प्राप्त होता रहा और भविष्य में भी होता रहेगा | मैं आभारी हूँ सभी सहयोगियों एवं परिचित व्यक्तियों का जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के दौरान प्राप्त हुआ |

इस अवसर पर मैं अपने सभी आलोचकों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिनकी आलोचनाओं ने एक क्षण के लिए मुझे अपने पथ से विचलित किया परन्तु अगले ही क्षण सकारात्मक प्रेरणा बन कर मुझे सतत गतिमान एवं लक्ष्योन्मुख रहने का साहस भी प्रदान किया |

अंत में मैं आप सभी शुभ चिंतकों, सहयोगियों, मित्रों का एक बार पुन: स्मरण करता हूँ तथा अपेक्षा करता हूँ की आप सभी का प्रेम और सहयोग मुझे आजीवन प्राप्त होता रहेगा | प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के मुद्रण व प्रस्तुतीकरण में सावधानीपूर्वक कार्य किया गया तथापि शेष रही त्रुटियों हेतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ|

धन्यवाद !

दिनांक - .....

स्थान - .....

हेमन्त नामदेव

शोधार्थी

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,

कोटा (राज.)

शब्द संक्षेपण (Abbreviation)

क्र.स .	शब्द लघु रूप /	विवरण
1	**CWSN**	Children With Special Needs
2	**IEDC**	Integrated Education for Disabled Children
3	**DPEP**	District Primary Education Program
4	**NPE**	National Education Policy
5	**PWD Act**	Persons With Disabilities Act
6	**PIED**	Project Integrated Education for Disabled
7	**SSA**	Sarva Shiksha Abhiyan
8	**RTE**	Right to Education
9	**IE**	Inclusive Education
10	**NGO**	Non Governmental Organisation
11	**NCF**	National Curriculum Framework
12	**NEC**	National Education Commission
13	**POA**	Programme of Action
14	**RCI**	Rehabilitation Council of india
15	**DDRC**	District Disability Rehabilitation Centre
16	**MR**	Mental Retardation
17	**EMR**	Educable Mental Retarded
18	**TMR**	Trainable Mental Retarded
19	**CMR**	Custodial Mental Retarded
20	**RMSA**	Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
21	**RPWD Act**	Rights of Persons With Disabilities Act
22	**SS**	Special School
23	**HI**	Hearing Impairment
24	**VI**	Visual Impairment
25	**UEE**	Universalisation of Elementary Education
26	**EGS**	Education Guarantee Scheme
27	**RR**	Resource Room
28	**RP/ RT**	Resource Persons/ Resource Teacher
29	**CAM**	Criterion Alternative Matrix
30	**SWOC**	Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Challenges
31	**DSM**	Descriptive Survey Method
32	**CA**	Content Analysis

प्राक्कथन

(Preface)

शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य जीवन में निरंतर चलती रहती है और भारत में भी आदिकाल से ही शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया गया है | प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप अनौपचारिक था एवं यह सर्व सुलभ नहीं थी परन्तु वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा एक पृथक एवं विशेषीकृत औपचारिक प्रक्रिया बन गई है जिसका पालन करने हेतु विभिन्न प्रकार की औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती हैं, दुसरी और कुछ अनौपचारिक संस्थाएं जैसे – परिवार, स्वयं सेवी संगठन एवं धार्मिक व सामुदायिक संस्थाएं भी हैं जो कि विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करती हैं |

शैक्षिक प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक संरचना की प्रथम कड़ी है एवं भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में प्राथमिक शिक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर पूर्णतया प्राथमिक शिक्षा की नींव पर ही निर्भर करता हैं | सरकार का दायित्व हैं कि तत्कालीन शिक्षा प्रक्रिया में 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को अवरोधहीन और बाधामुक्त वातावरण में प्राथमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो | अत: सामान्य और दिव्यांग सभी बच्चों का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन करके तथा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाये |

पिछले दशकों से समावेशी शिक्षा की दिशा में विश्वव्यापी आंदोलन प्रारम्भ हुए जिनका प्रमुख उद्देश्य सभी बच्चों को समान रूप से शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है ताकि सभी बच्चे शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक क्षमताओं के उच्च स्तर को प्राप्त कर सके | शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ है विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें सामान्य बच्चों के साथ विशेष सेवाएं प्रदान करना एवं विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में शामिल करना | अक्षम बच्चे जब सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते है तो उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होता है साथ ही वे समाज और संस्कृति की मुख्यधारा से भी जुड जाते है | इस शिक्षा व्यवस्था से सामाजिक समानता के साथ हर बालक का सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य प्राप्त होना संभव हो जाता है |

प्रस्तुत शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण कर उनमें व्याप्त कमियों और खामियों का अध्ययन करना | इसके साथ ही समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं का पता लगाना तथा राज्य में समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं और नीतियों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक योजना का सुझाव प्रस्तुत करना है | उपरोक्त शोध समस्या के अध्ययन के लिए शोध कार्य को पांच अध्यायों में विभक्त किया गया जिसका संक्षित विवेचन निम्नवत है |

प्रथम अध्याय में शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य की स्थिति, क्षेत्रफल का भौगोलिक स्वरूप, प्रशासनिक स्वरूप राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं मानवीय संसाधन, शैक्षिक स्थिति का उल्लेख किया | इसके साथ दिव्यांगता एवं उसके प्रमुख प्रकारों की विवेचना तथा भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकासक्रम, समावेशी शिक्षा व उसके लक्ष्य और चुनौतियों के साथ समावेशी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोणों का संक्षिप्त विवेचन किया गया | केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की संक्षिप्त विवेचना की इसके साथ ही शोध प्रश्न एवं शोध उद्देश्यों, अध्ययन के औचित्य एवं आवश्यकता तथा शोध कार्य क्षेत्र एवं शोध सीमांकन का उल्लेख किया गया |

द्वितीय अध्याय में शोधकर्ता ने इन्ही तथ्यों के आधार पर सम्बन्धित शोध साहित्य का पुनर्रीक्षण किया जिसके अंतर्गत कूल 68 शोध अध्ययनों का पुनर्रीक्षण किया गया | इस पुनरीक्षण में भारत में किये गए 45 तथा विदेशों में किये गए 11 शोध अध्ययनों एवं 12 पुस्तकों, समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को सम्मिलित किया |

तृतीय अध्याय में शोध कार्य में अपनाई गई विधियों एवं उपकरणों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया | शोध समस्या के समाधान के लिए विषय की प्रकृति के अनुरूप मिश्रित शोध विधि का चयन कर उसके अन्तर्गत 'अनुक्रमित व्याख्यात्मक विधि' का उपयोग शोध समस्या को हल करने हेतु किया तथा परिमाणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण हेतु विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया | इसके साथ ही न्यादर्शन विधि, शोध उपकरणों के चयन एवं निर्माण की प्रक्रिया, प्रदत्तों को संकलित करने की प्रक्रिया एवं प्रयुक्त सांख्यकीय प्रविधि की विवेचना की गयी है |

चतुर्थ अध्याय में शोध समस्या के समाधान हेतु चयनित उद्देश्यानुसार चयनित संबद्ध पक्षों से पूर्व में तय उपकरणों अनुसार आँकड़ों का संग्रहण किया गया और प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण कर उनका प्रस्तुतीकरण तालिका व रेखाचित्र के माध्यम से कर आंकड़ों की व्याख्या की एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शोध के निष्कर्ष प्राप्त किये |

पंचम अध्याय में प्रस्तुत शोध अध्ययन से उद्देश्य अनुसार प्राप्त निष्कर्ष, अध्ययन के मुख्य परिणाम, शैक्षिक निहितार्थ, अध्ययन का कार्य क्षेत्र व परिसीमाओं, सीमाओं एवं भावी शोध अध्ययन हेतु सुझावों के साथ ही सम्बंधित समस्त हितधारकों/ सम्बद्ध पक्षों के लिए सुझावों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है साथ ही प्रस्तुत शोध अध्ययन का सारांश भी प्रस्तुत किया गया है |

शोध अध्ययन की अंतिम कड़ी में शोध अध्ययन में सहायक संदर्भ ग्रंथों की सूची एवं सहायक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के स्त्रोतों आदि का उल्लेख किया गया जिनकी सहायता से प्रस्तुत शोध अध्ययन को पूर्ण किया गया है |

वर्तमान में विश्व जनसंख्या के 10 % व्यक्ति विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता से ग्रसित हैं जिनमें से 80 % नि:शक्त व्यक्ति विकासशील देशों में निवास करते हैं | 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के 15 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं जबकि 0 से 14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 35 करोड़ 95 लाख है | आज भी ये बच्चे स्वस्थ, सुरक्षित और स्कूल जाने के योग्य नहीं है | छह दशक बीत जाने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस गति की उम्मीद थी वह नहीं आ पायी है तथा प्राथमिक शिक्षा की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मानी जाती है और गुणवत्ता की कसौटी पर आज भी प्राथमिक शिक्षा पिछड़ी नजर आ रही है | केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं व नीतियों तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय एवं निम्न स्तर की है | उपरोक्त आंकड़े एवं स्थितियाँ शोध कर्ताओं को शोध अध्ययन हेतु आकर्षित करती है | इस शोध अध्ययन के माध्यम से शोधार्थी ने प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति को एक प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है | इस चुनौतीपूर्ण विषय सम्बन्धी शोध कार्य को पूर्ण करने में शोधार्थी को नवीन ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसके फलस्वरूप ही शोधार्थी उक्त शोध कार्य को पूर्ण कर सका है |

संक्षिप्तिका

(Abstract)

प्रस्तुत शोध प्रबंध कार्य **राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन** (विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में) ***Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan***(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*) से सम्बंधित है | उक्त शोध अध्ययन में राजस्थान राज्य के चार जिलों अलवर, भरतपुर, चुरू और हनुमानगढ़ का चयन किया गया और शोध की रूप रेखा तैयार की गयी | सम्बद्ध पक्षों एवं हितधारकों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, विद्यालय प्राचार्यों, अभिभावकों, शिक्षा अधिकारियों, स्वयं सेवी संगठनों एवं समुदाय संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है | शोध अध्ययन के विषय की आवश्यकता के आधार पर **मिश्रित शोध विधि** (Mixed Method) के अंतर्गत **अनुक्रमित व्याख्यात्मक विधि** (Sequential Explanatory Design) का चयन किया गया है जिसमें परिमाणात्मक (Quantitative) व गुणात्मक (Qualitative) विधि का प्रयोग शोध समस्या को हल करने के लिये किया गया है | परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण **विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि** (Descriptive Survey Method) के द्वारा किया गया है, जिसमें विवरणात्मक सांख्यिकी (**प्रतिशत**) का प्रयोग किया गया है | गुणात्मक विधि के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण – **कसौटी वैकल्पिक आव्यूह** (Criterion Alternative Matrix), **चुनौती विश्लेषण** (Risk Analysis), **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis - खूबियों, खामियों, अवसरों व चुनौतियों), **विषय वस्तु विश्लेषण** (Content Analysis) के प्रयोग द्वारा किया गया है | आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष रूप में यह प्राप्त हुआ कि –

विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध नहीं है तथा शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा के संबंध में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और ना ही उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है | विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष फर्नीचर, शौचालय, शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक भौतिक साधन, संसाधन एवं सुविधाएं मौजूद नहीं है | विद्यालयों में अतिरिक्त, अंशकालीन एवं उपचारात्मक कक्षाओं

का संचालन नहीं किया जाता है एवं सामान्य विद्यालयों का पाठ्यक्रम दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुरूप नहीं होने से वे पूर्णतया लाभान्वित नहीं होते हैं इसके बावजूद भी उन्हें विद्यालयों में अध्ययन करना पड़ता है साथ ही उन्हें अनेक मनोसामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है | समावेशी शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाने के कारण ही राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा में समावेशी शिक्षा की नीतियों को पूर्णतया लागू नहीं कर सकी और कई बार प्राप्त और उपलब्ध निधियों का भी उपयोग ठीक से नहीं किया गया है | उपरोक्त कारणों के विद्यमान होने के फलस्वरूप दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न है और हजारों दिव्यांग बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाते है उनके द्वारा अध्ययन एवं विद्यालय छोड़ दिया जाता है | परिणामस्वरूप ऐसे हजारों बच्चे शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर हो जाते है |

सम्पूर्ण भारत के समस्त राज्यों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किये बहुत समय बीत गया है | समावेशी शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व नीतियों तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी राजस्थान के समस्त जिलों में स्थिति प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय एवं निम्न स्तर पर है और गुणवत्ता की कसौटी पर आज भी पिछड़ी नजर आ रही है |

इस परिप्रेक्ष्य में यह विदित है की कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा हेतु लागू योजनाओं व नीतियों में खामियाँ एवं कमियां व्याप्त है और जब तक इन खामियों एवं कमियों को दूर नहीं किया जायगा तब तक राज्य में समावेशी शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं होगी | अत: राज्य में समावेशी शिक्षा की सही स्थिति जानने व इसे बेहतर करने हेतु इस समस्या का शोध विषय के रूप में चयन किया गया है, ताकि प्रभावशाली योजनाओं, नीतियों व उनके क्रियान्वयन से राज्य के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समावेशित शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके |

अध्याय - प्रथम

अध्ययन की पृष्ठभूमि

प्रस्तावना :-

शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है अत: भारत में संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया | राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह सुनिश्चित किया गया कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए | इसी क्रम में सरकार ने वर्ष 2009 में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसके फलस्वरूप 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया | इसका तात्पर्य यह है किसी भी बच्चे को चाहे वह सामान्य हो या दिव्यांग, शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा | दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य स्कूलों में जिनका संचालन सरकार करती है या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में अथवा सामान्य विद्यालयों में विशेष कक्षा-कक्ष की व्यवस्था एवं आवश्यक संसाधनों एवं उपकरणों को उपलब्ध करके तथा आवासीय विद्यालयों के माध्यम से एवं गृह आधारित दिशा-निर्देशन देकर शिक्षा प्रदान की जाये | वर्तमान समय में देश में विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली कार्यरत है इसके बावजूद 5 प्रतिशत से भी कम दिव्यांग बच्चों को विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश मिल पाता है जबकि 20 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे तो नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तीन वर्ष भी पूर्ण नहीं कर पाते है **(तुली, उमा 2013)** |

अत: वर्तमान में संचालित शिक्षण प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी दिव्यांग बच्चों को अवरोधहीन और बाधामुक्त वातावरण में उचित शिक्षा तथा सामाजिक सामान्यीकरण के साथ मुख्यधारा में शामिल करने हेतु प्रेरित किये जाने की महती आवश्यकता है |

1.1 राजस्थान:– एक परिचय

राजस्थान की स्थिति – राजस्थान का नामकरण कर्नल जेम्स टाड द्वारा किया गया है | राजस्थान भारत के उत्तरी- पश्चिमी भाग में 23*3` उत्तरी अक्षांश से 30*12` उत्तरी अक्षांश तथा 69*30` पूर्वी देशांतर से 78*17` पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है | कर्क रेखा राज्य की दक्षिणी सीमा बांसवाड़ा को छूती हुई गुजरती है | राजस्थान राज्य भारतीय गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है | राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग कि.मी. है जो कि देश के क्षेत्रफल का 10.40 % है | राज्य का ग्रामीण क्षेत्र 336807.81 तथा शहरी क्षेत्र 5431.19 वर्ग कि.मी.

है | पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 869 कि.मी. एवं उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 826 कि.मी. है तथा राज्य की आकृति विषम कोणीय है | भौगोलिक स्थिति में पश्चिम में थार का मरूस्थल तथा घग्गर नदी का अंतिम छोर है | पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण–पश्चिम में गुजरात, दक्षिण-पूर्व में मध्यप्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में उत्तरप्रदेश और हरियाणा स्थित है | विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली पर्वत श्रेणी एक मात्र पर्वत श्रेणी है | सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 480 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राज्य को दो भागो में विभाजित करती है | गुलाबी नगर के रूप में प्रसिद्ध जयपुर शहर राज्य की राजधानी है |

राजस्थान का मानचित्र

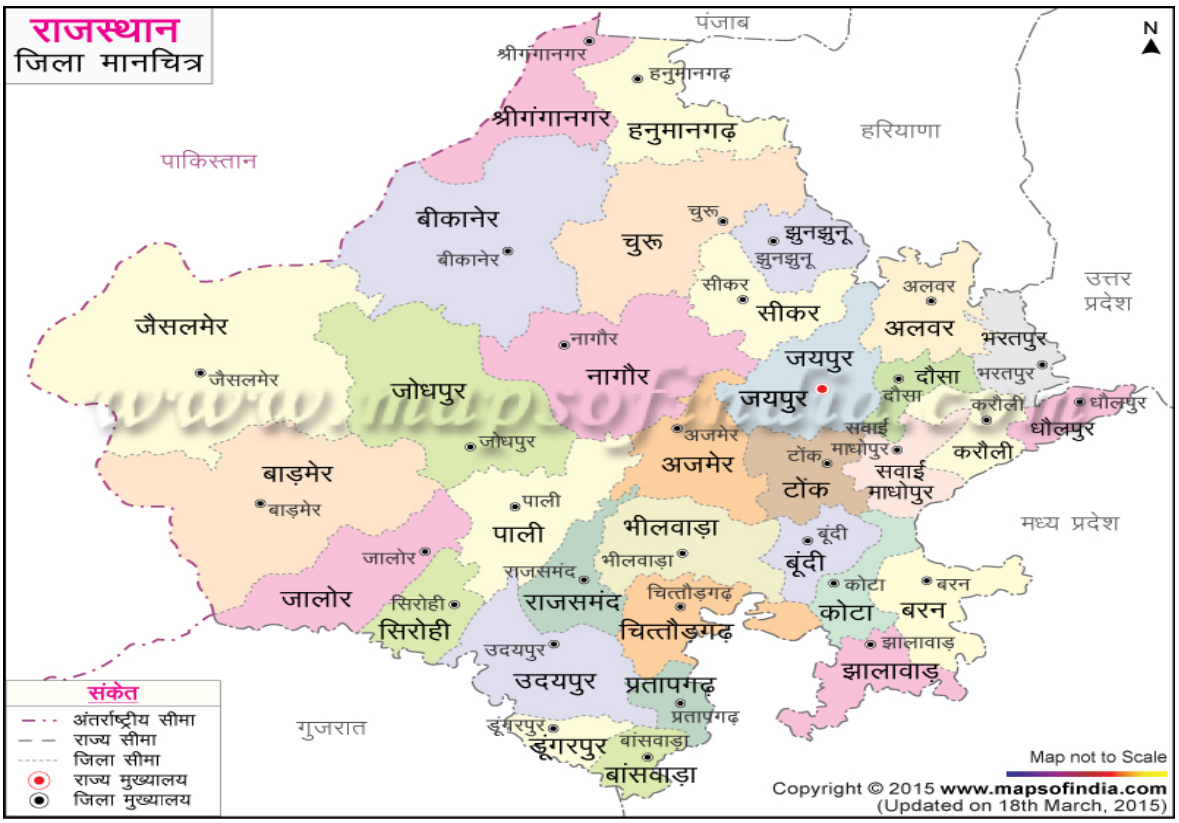

भौगोलिक स्वरूप – राजस्थान मुख्य रूप से पांच प्राकृतिक विभागों पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिणी-पूर्वी एवं उत्तरी राजस्थान में बंटा हुआ है | राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बलुई, भूरी रेतीली, कछारी, लाल, लाल-पीली, काली एवं लाल-काली मिट्टी पायी जाती है | राज्य की प्रमुख नदियों में माही, लूणी, चम्बल, घग्घर, काली सिंध एवं बनास है इसके साथ ही राज्य में अनेक मीठे और खारे पानी की झीलें भी है |

प्रशासनिक स्वरूप - राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है | राजस्थान 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रान्त बना जिसमें तत्कालीन राजपुताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई | राजस्थान राज्य के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 01 नवम्बर 1956 को हुआ | सम्पूर्ण राज्य 7 संभागों में विभाजित है | राज्य में कुल 33 जिले, 257 ब्लॉक एवं 244 तहसीलें तथा 296 पंचायत समितियां, 9900 ग्राम पंचायतें तथा 44672 गांव स्थित है |

रेखाचित्र क्र. 1 - राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप का पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शन

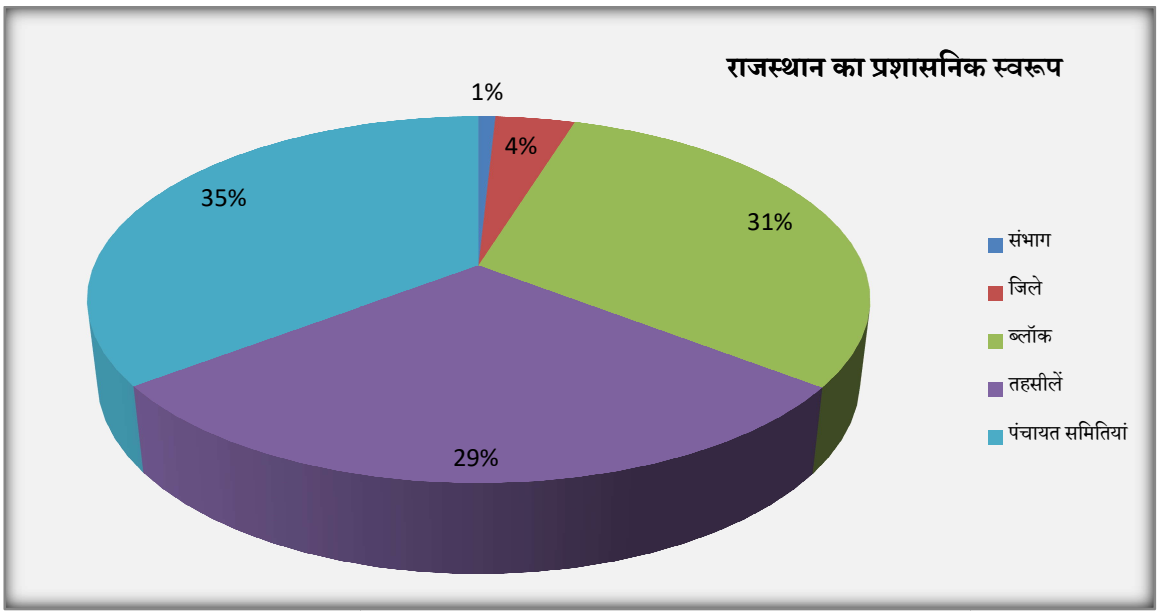

स्त्रोत - भारत 2013. दिल्ली:प्रकाशन विभाग, सुचना प्रसारण मंत्रालय पेज -1062

राज्य में कुल 200 विधान सभा क्षेत्र है जिसमें से आरक्षित विधान सभा क्षेत्रों की संख्या 56 है | 25 लोक सभा क्षेत्र में 07 क्षेत्र आरक्षित है जबकि राज्य सभा के सीटों की संख्या 10 है | आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरु ने 02 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गाँव से देश में पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया था |

मानवीय संसाधन एवं शिक्षा प्रसार - सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 है, जिसमें पुरूषों व महिलाओं की संख्या क्रमशः 35,550,997 एवं 32,997,440 है | राज्य में भारत की 5.67 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है | वर्ष 2001-2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.44 % रही, जबकि भारत में वृद्धि दर 17.64 % रही है |

रेखाचित्र क्र. 2 - महिला और पुरुषों की संख्या और साक्षरता के आँकड़ों का प्रदर्शन

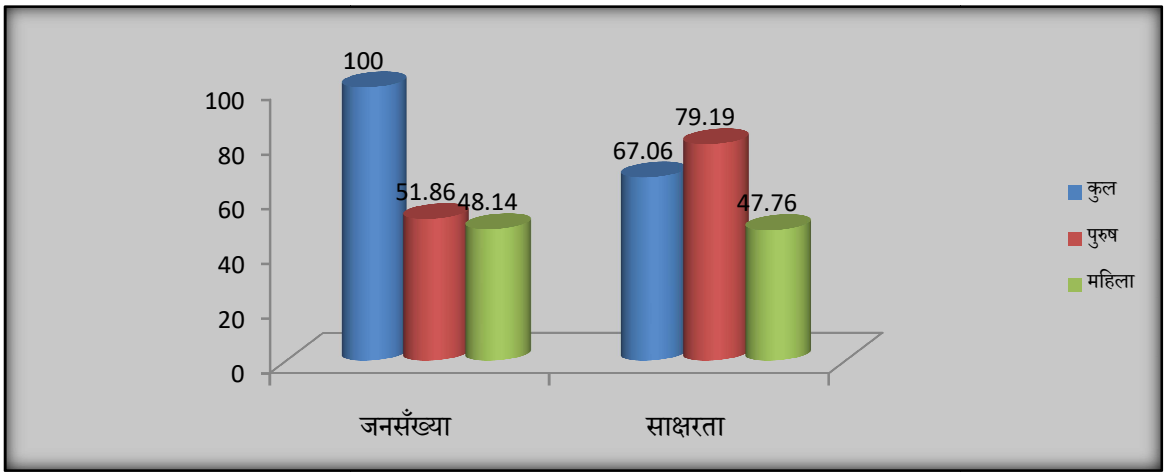

राज्य की 75.13 **प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र एवं** 24.87 **प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती** है | जनसंख्या की **दृष्टि से राज्य का देश में आठवाँ** स्थान है | राज्य का जनसंख्या का घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी एवं पुरूषों व महिलाओं का लिंग अनुपात क्रमशः 1000 **:** 926 है | **राज्य की कुल साक्षरता दर** 67.06 प्रतिशत है, **जिसमें पुरूषों व महिलाओं की साक्षरता** दर क्रमशः 79.19 और 47.76 प्रतिशत है | राज्य की विकास दर 21.31 प्रतिशत है (**जनगणना - 2011**) |

राज्य में शिक्षा से सम्बंधित अनेक कार्यक्रम संचालित किये गये हैं जैसे - **शिक्षा कर्मी योजना** (1987), लोक जुम्बिश परियोजना (1992), **आपरेशन ब्लैक बोर्ड** (1987-88), गुरु मित्र योजना (1994), **जिला प्राथमिक शिक्षा** योजना (1999-2000), **राजीव गाँधी स्वर्ण जयंती पाठशाला** (1999), सरस्वती योजना (1994-95), बालिका शिक्षा फाउन्डेशन (1994), **दत्तक जानकी योजना**, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (1975), **सामुदायिक आधारित** प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1999-2000) आदि प्रमुख हैं |

1.2 दिव्यांगता का आशय एवं परिभाषा एवं प्रमुख प्रकार -

शिक्षाविदों व समय समय पर आयोजित होने वाले शिक्षा सम्मेलनों और गोष्ठियों में विश्व स्तर पर यह बात उजागर हो चुकी है **कि बढ़ती जनसंख्या, परिवर्तित होते सामाजिक मूल्य और बदलते परिवेश में हमारे जीवन दर्शन, शिक्षा दर्शन के सम्बन्ध में बदलाव लाना अपेक्षित है** | इसी क्रम में दिव्यांग जनों **की शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है** | दिव्यांग जनों हेतु **शिक्षा की आवश्यकता** के दृष्टिकोण से प्रजातंत्र में यह **आवश्यक है की समाज दिव्यांग जनों को**

उनकी सामर्थ्यानुसार उचित शिक्षा प्रदान करे | इस हेतु प्रत्येक दिव्यांग बालक को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा के अवसर प्रदान करे, चाहे दिव्यांग साधारण हो, असाधारण हो, या सामान्य रूप से मध्य अवस्था का हो (बैस, 2007) |

दिव्यांग बालक से तात्पर्य किसी स्थायी शारीरिक दोष से युक्त बालकों से होता है | स्थायी शारीरिक दोष के कारण बालक सामान्य बालकों की तरह सामान्य क्रियाओं में भाग लेने या सम्मिलित होने में असमर्थ अर्थात सक्षम नहीं होते हैं | सामान्यतया शारीरिक रूप से नि:शक्त, दृष्टिहीन, श्रवण असमर्थ (बहरे), वाणी दोष युक्त बालक दिव्यांगों की श्रेणी में आते हैं | दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम -2016 में 21 प्रकार की नि: शक्तता को शामिल किया गया है |

वर्तमान में विश्व जनसंख्या के 10 % व्यक्ति विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता से ग्रसित हैं जिनमें से 80 % नि:शक्त व्यक्ति विकासशील देशों में निवास करते हैं | भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या 2,68,10,557 है जिनमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्रमश: 1,49,86,202 तथा 1,18,24,355 है जो कि देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है | ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत कुल 1,86,31,921 दिव्यांग व्यक्तियों में 1,04.08,168 पुरुष व 82,23,753 महिलाएँ हैं जबकि शहरी क्षेत्र में निवासरत कुल 81,78,636 दिव्यांग व्यक्तियों में 45,78,034 पुरुष तथा 36,00,602 महिलाएँ हैं | भारत में निवासरत दिव्यांग पुरुष व महिलाओं की संख्या के आँकड़ों को तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है -

रेखाचित्र क्र. 3 - भारत में निवासरत दिव्यांग पुरुष एवं महिलाओं के आँकड़ों का प्रदर्शन

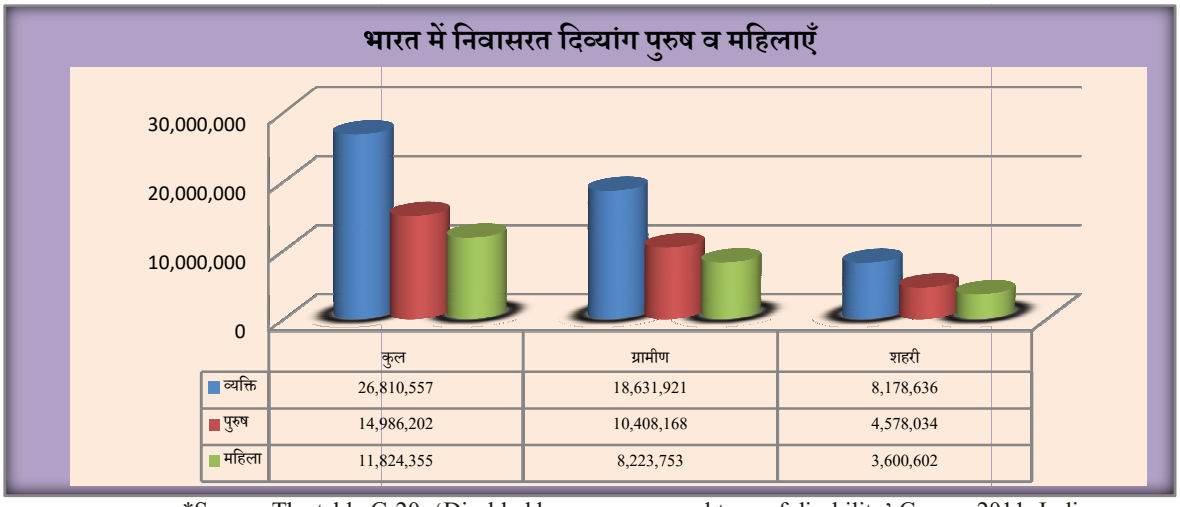

*Source-The table C-20- 'Disabled by age-group and type of disability' Census 2011, India

उपरोक्त रेखाचित्र के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.214 % भाग विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता से ग्रसित है जिनमें 55.89 % पुरुष तथा 44.11 % महिलाएँ हैं जो कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है | देश में निवासरत 0 से 90 वर्ष की आयु के दिव्यांग जनों की कुल संख्या 2,68,10,557 है जो विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता से ग्रसित है जैसे - दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता, गति बाधित, वाक् बाधित, मानसिक रोगी, विविध और अन्य | भारत में विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता युक्त महिला एवं पुरुष की संख्या सम्बन्धी आंकड़ों को निम्न तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है -

तालिका क्र. 1 - भारत में दिव्यांग जनों की कुल संख्या (विभिन्न नि:शक्ततानुसार) **के आंकड़े**

आयु	कुल दिव्यांग जन	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	मानसिक मंदता	गति बाधित	वाक् बाधित	मानसिक रोगी	अन्य	विविध बाधित
0 से 90 वर्ष या अधिक	**2,68,10,557**	**50,32,463**	**50,71,007**	**15,05,624**	**54,36,604**	**19,98,535**	**7,22,826**	**49,27,011**	**21,16,487**

*Source-The table C-20- 'Disabled by age-group and type of disability' Census 2011, India

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार भारत में 0 से 19 आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या 77,90,921 है, जो कि विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता से ग्रस्त है | नि:शक्तता के आँकड़ों को तालिका क्र. 2 की सहायता से प्रदर्शित किया गया है -

तालिका क्र. 2 - भारत में 0 से 4, **एवं** 5 से 9 **तथा** 10 से 19 **वर्ष आयु के दिव्यांगों की संख्या**

क्र.	आयु	कुल दिव्यांग जन	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	मानसिक मंदता	गति बाधित	वाक् बाधित	मानसिक रोगी	अन्य	विविध बाधित
1	**0 से 4**	**12,91,332**	**2,77,006**	**3,15,485**	**49,361**	**1,17,326**	**32,461**	**8,352**	**4,12,690**	**78,651**
2	**5 से 9**	**19,55,539**	**3,59,118**	**4,06,281**	**1,35,709**	**2,10,662**	**2,12,818**	**26,240**	**4,17,234**	**1,87,477**
3	**10 से 19**	**46,16,050**	**7,74,034**	**8,72,483**	**4,10,019**	**7,17,668**	**4,38,423**	**1,01,189**	**8,89,921**	**4,12,313**

*Source-The table C-20- 'Disabled by age-group and type of disability' Census 2011, India

विभिन्न प्रकार की नि:शक्तता सम्बन्धी संख्यात्मक आंकड़ों को देखने के बाद नि:शक्तता के बारे में विस्तारपूर्वक जानना भी अत्यंत आवश्यक है | नि:शक्तता के प्रमुख चयनित प्रकारों की विस्तृत विवेचना इस प्रकार है -

(1) मानसिक मंदता (बौध्दिक अक्षमता) का आशय एवं परिभाषा :-

मानसिक मंदता का तात्पर्य - महत्वपूर्ण रूप से कम, अधो औसत सामान्य बुद्धिमत्ता से है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के अनुकूलनीय व्यवहार में कमी पायी जाती है जो विकासात्मक अवस्था में प्रारम्भ होती है |

औसत से कम मानसिक योग्यता – मानसिक मंद बच्चों की बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि से कम होती है | मानसिक मंदता के सम्बन्ध में दी गई प्रमुख परिभाषाएँ निम्न है -

(1) 'क्रो एवं क्रो' के शब्दों में - जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है, उन्हें मंदबुद्धि बालक माना जाता है |

(2) 'स्किनर' के अनुसार - विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक नियत अवधि में शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है और जो छात्र उसे निर्धारित समय में पूरा कर लेते है उन्हें सामान्य छात्र कहा जाता है तथा जो छात्र उसे नियत समयावधि में पूर्ण नहीं कर पाते हैं उन्हें मंदबुद्धि या मानसिक मंद विद्यार्थी माना जाता है | यह धारणा विद्यालयों में प्राचीन समय से चली आ रही थी और आज भी प्रचलन में है | (**बैस, नरेन्द्र 2007**)

मानसिक मंदता के क्षेत्र में 1949 में स्वास्थ्य संगठन ने मानसिक विकृतियों को शामिल किया | इसी कड़ी में मानसिक विकारों के लक्षण एवं निदान हेतु डायग्नोस्टिक एवं स्टैटिस्टिकल मैनुअल (DSM-1) 1952 में प्रकाशित किया गया तथा वर्तमान में डी.एस.एम.- 5, 18 मई 2013 को प्रकाशित किया गया है | अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एवं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी (AAIDD) ने 1908 से अब तक 11 बार मानसिक मंदता की परिभाषा एवं उसके नैदानिक मानदण्डों को संशोधित किया है |

'**बौद्धिक अक्षमता**' एक ऐसी अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी पाई जाती है और यह कमी उसके सामाजिक और प्रायोगिक एवं दैनिक क्रिया कलापों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है (AAIDD- 2012) |

'**बौद्धिक क्षमता**' का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा सउद्देश्य कार्य करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने एवं अपने वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन कर सकने की संपूर्ण क्षमता से है |

'**अक्षमता'** का तात्पर्य है की किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या अधिक भागों में ऐसा कोई विचलन जिसके फलस्वरूप उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति की तुलना में सापेक्षिक रूप से न्यून या कम हो जाती है |

'**अनुकूलनीय व्यवहार**' वह स्तर है जिस पर कोई व्यक्ति आत्म-निर्भरता के साथ सामाजिक दायित्व के उन समस्त मापदन्डों को पूरा करता है जिसकी अपेक्षा उस आयु और उस सांस्कृतिक या समूह में रहने वाले व्यक्तियों से की जाती है |

'**स्पष्ट रूप से औसत से कम**' से अभिप्राय है की बुद्धि के मानकीकृत माप पर 70 या उससे कम बुद्धिलब्धि का प्राप्त होना | इसे 75 या उससे अधिक भी बढ़ाया जा सकता है | यह वृद्धि प्रयुक्त बुद्धि परीक्षण की विश्वसनीयता के आधार पर की जा सकती है **(SESM-01)** |

मानसिक मन्दता की उत्पत्ति- मानसिक मन्दता की उत्पत्ति बौद्धिकता और अनुकूलन व्यवहार को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख घटकों से होती है, ये प्रमुख घटक निम्न है :-

1. जीन **2.** पर्यावरण

मंद बुद्धि बालक धीरे-धीरे सीखते हैं, अनेक प्रकार की गलतियाँ करते हैं, जटिल परिस्थितियों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते है, कार्य एवं कारण के संबंधो को समझने में सामान्यतया असफल होते है और विभिन्न प्रकार के कार्यों से प्राप्त परिणामों पर विचार किये बिना ही सदैव आवेश युक्त व्यवहार प्रदर्शित करते है | इनमें आत्मविश्वास का भी अभाव दिखाई देता है तथा विभिन्न समयों पर अलग-अलग प्रकार का व्यवहार जैसे - प्रेम, भय, मौन, चिंता, विरोध, आक्रामकता आदि प्रदर्शित करते हैं |

मानसिक मंदता के प्रकार :-मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक निम्नांकित श्रेणियों में रखे जा सकते हैं -

(I) चिकित्सकीय वर्गीकरण – यह वर्गीकरण विभिन्न कारको पर आधारित होता है | जैसे:- संक्रमण तत्व, शारीरिक कारण, गर्भावधि में असंगति, जन्म पूर्व प्रभाव, जन्मगत कारण, मेटाबोलिज्म, जन्मोत्तर कारण, मनोविकृति असंगति, वातावरणीय प्रभाव, क्रोमोसोमल असामान्यता आदि इसके प्रमुख कारण है |

(II) मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण - इस वर्गीकरण का प्रमुख आधार बुद्धि लब्धि है (वैश्लर, AAMD) |

- साधारण मानसिक मंद (Mild MR) – जिनकी बुद्धि लब्धि 50-55 से 70 |
- अल्प मानसिक मंद (Moderate MR) – जिनकी बुद्धि लब्धि 36-40 से 50-55 |

➢ गंभीर मानसिक मंद (Severe MR) – जिनकी बुद्धि लब्धि 20-25 से 35-40 |

➢ गहन मानसिक मंद (Profound MR) – जिनकी बुद्धि लब्धि 20-25 से कम |

(III) शैक्षिक वर्गीकरण:- इस वर्गीकरण का आधार मानसिक मन्द व्यक्तियों की क्रियाशीलता का स्तर है -

➢ **शिक्षणीय/शिक्षा पाने योग्य मंद बुद्धि बालक (EMR)** – ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि (IQ) 50 से 75 के मध्य होती है, जिन्हें दूसरे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षित किया जा सकता है। विद्यालय में छठी कक्षा तक पढ़ाई करने में सक्षम होते हैं | ये बालक 16 वर्ष की आयु तक चौथी या पांचवी कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं |

➢ **प्रशिक्षणीय/प्रशिक्षण योग्य मानसिक मन्द (TMR)** – ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि (IQ) 20 से 50 के मध्य होती है, इनकी शैक्षणिक उपलब्धि प्रायः तीसरी या चौथी कक्षा तक ही होती है | जिन्हें अर्धकौशल अथवा बेहुनर कार्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है परन्तु यह प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्षमता इनमें 16 वर्ष के बाद ही आ पाती है | ये अपनी देख- रेख में स्वयं सक्षम होते हैं |

➢ **संरक्षणीय/पूर्ण मानसमन्द बालक (CMR)** - ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि (IQ) शून्य से 20-25 के मध्य होती है, जिन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से देखभाल की आवश्यकता होती है और समाज में अकेले जीवन यापन नहीं कर सकते हैं | आजीवन दूसरों के सहारे पर ही रहना पड़ता है **(शर्मा, एम. 2009)** |

(IV) विशिष्ट सहायता के आधार पर :-

इस वर्गीकरण का आधार मानसिक मन्द व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता का स्तर है -

➢ **सविराम (असतत) सहायता** - ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि लब्धि स्तर (IQ) 50 - 70 होता है, इन्हें कम समय के लिए ही सहायता की आवश्यकता होती है तथा धीरे-धीरे सहायता में कमी आती जाती है और स्वतंत्र जीवन जीने के योग्य होते जाते हैं |

➢ **सीमित सहायता** - ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि लब्धि स्तर (IQ) 35 - 49 होता है, असतत श्रेणी से कुछ अधिक समय, अधिक क्षेत्रों में गहन सहायता सहायता की आवश्यकता होती है, परन्तु सतत् सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अल्प सहायता से अपना जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं |

➢ **विस्तृत सहायता** - ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि लब्धि स्तर (IQ) 20 - 34 होता है, ऐसे बच्चों को अधिक गहन सहायता की आवश्यकता होती है, कुछ क्षेत्रों में निरंतर रूप से तथा कुछ क्षेत्रों में आजीवन सहायता की आवश्यकता होती है, साथ ही उक्त सहायता की समय सीमा, तीव्रता और क्षेत्र भी अत्यधिक होता है |

➢ **अति विस्तृत या व्यापक सहायता** – ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि लब्धि स्तर (IQ) 20 से कम होता है, जिनको जीवन पर्यन्त निरंतर सहायता की आवश्यकता होती है तथा सहायता की समय सीमा और तीव्रता भी अत्यधिक होती है |

(2) दृष्टि बाधिता से आशय -

ईश्वर ने मानव को प्रमुख पांच इन्द्रियों से विभूषित किया है | यदि उनमें से कोई एक इन्द्रिय भी कार्य नहीं करती है तो उसे बहुत कष्ट होता है | इनमें से एक प्रमुख इन्द्रिय है – **नेत्र,** जो मानव की अमूल्य निधि है | इसके नहीं होने या दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति अपने आप को अपूर्ण सा महसूस करता है | मानव व्यवहार से सम्बन्धित अधिकतम सूचनाएं दृष्टि के माध्यम से ही मस्तिष्क तक पहुँचती है अत: दृष्टि की छोटी से छोटी अक्षमता या कमी भी अत्यन्त महत्व रखती है | दृष्टि सम्बन्धी दोष का बच्चे के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है अत: दृष्टि बाधित बच्चे के विकास हेतु प्रयास करना अत्यन्त आवश्यक है |

दृष्टि बाधित बच्चों का वर्गीकरण -

दृष्टि अक्षम या बाधित बच्चे सामान्य से कम, निम्न या शून्य दृष्टि वाले होते हैं | इन्हें पूर्ण रूप से दृष्टि अक्षम बालकों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तथापि इन्हें तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है जो निम्न प्रकार है -

(I) ऐसे बच्चे, जो औसत दृष्टि वाले बच्चों से भिन्न है, परन्तु जिनका मेडिकल रूप से इलाज किया जा सकता है और जो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं |

(II) ऐसे बच्चे, जिनमें अत्यंत गंभीर दृष्टि दोष है एवं जिनका उपचार मेडिकल सहायता तथा चश्मे से करने पर भी वे सामान्य बच्चों के साथ पढकर यथोचित लाभ नहीं उठा सकते हैं | इन बच्चों के पास इतनी दृष्टि होती है कि ये उन साधनों से ही उचित लाभ उठा सकते हैं जो दृष्टिहीन बच्चों को दिए जाते हैं |

(III) ऐसे बच्चे, जो कि मेडिकल इलाज तथा चश्मे की सहायता मिलने पर भी शैक्षिक तथा व्यावसायिक लाभ नहीं उठा सकते हैं, ये पूर्णतया दृष्टिहीन हैं (बिष्ट, आभा रानी) |

श्रवण बाधिता से आशय :-

सामान्य तौर पर बधिर या कम सुनने वाले या श्रवण क्षति युक्त बालक वे हैं जिन्होंने बोलने से पहले ही सुनने की शक्ति खो दी है अथवा ऐसे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है | ऐसे बच्चों को बोलने और भाषा को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है | ऐसे बालक किसी दूसरे व्यक्ति की बात को सुनने और समझने में कठिनाई महसूस करते हैं | श्रवण बाधितों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है -

1. पूर्ण श्रवण बाधित 2. आंशिक श्रवण बाधित

(1) कुछ बच्चें जन्मजात बहरे होते हैं या जन्म के कुछ समय तो ठीक होते हैं लेकिन बाद में किसी चोंट, दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो देते हैं, ऐसे बच्चे पूर्ण श्रवण बाधित होते हैं | **(2)** आंशिक श्रवण बाधित वे बालक होते है जो अपनी श्रवण क्षमता कुछ सीमा तक खो देते हैं | ऐसे बच्चे बिना श्रवण यंत्र या श्रवण यंत्र की सहायता से आसानी से सुन सकते हैं परन्तु ऐसे बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई होती है | इस प्रकार से जब किसी बालक के श्रवण अंगों में कोई दोष या कमी होती है तो उसे श्रवण बाधिता कहते हैं | उक्त प्रकार का दोष कान के अन्दर, बाहर या मध्य में भी हो सकता है अत: श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण प्रशिक्षण तथा श्रवण यंत्र की विशेष रूप से आवश्यकता होती है |

भारत में 5 % बच्चे श्रवण बाधिता से ग्रसित हैं | नेशनल सेम्पल सर्वे 1991 के अनुसार "भारत में 0-14 आयु वर्ग के बच्चों में 3.24 मिलियन बच्चे श्रवण बाधित हैं इस प्रकार यह अनुमान लगाया जाता है की सम्पूर्ण जनसंख्या का 1% हिस्सा गंभीर आंशिक श्रवण बाधिता से ग्रसित है " (ठाकुर, यतीन्द्र 2016) |

श्रवण बाधिता का वर्गीकरण :- श्रवण बाधिता के प्रमुख प्रकार निम्न है -

- **सामान्य श्रवण बाधित** - सामान्य बातचीत का स्तर 65 डेसिबल्स होता है | सामान्य श्रवण बाधित बालकों में 35 - 51 डेसिबल्स का श्रवण क्षय होता है अर्थात ऐसे बालक 54 डेसिबल्स तक की ध्वनि को नहीं सुन पाते है |

यदि सामान्य स्तर पर बात की जाए तो ये बच्चे आसानी से सुन लेते हैं परन्तु उससे धीमे बोलने पर ये बालक पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते हैं |

- **मंद श्रवण बाधित** - ऐसे बच्चे 55 - 69 डेसिबल्स का क्षय रखते हैं | अत: सामान्य स्तर अर्थात 65 डेसिबल्स स्तर पर बोलने पर ये बच्चे सामान्यत: नहीं सुन पाते हैं, थोडा ऊँचा बोलने पर ही अपनी बात सुन पाते हैं |
- **गंभीर श्रवण बाधित** - ऐसे बच्चों में 70 - 89 डेसिबल्स का श्रवण क्षय होता है और काफी ऊँचा बोलने पर, जो कि सामान्यत: कठिन होता है, ही सुन पाते हैं |
- **गहन श्रवण बाधित** - ऐसे बच्चों में श्रवण क्षय 90 और उससे अधिक डेसिबल्स स्तर का होता है | ये बहुत अधिक ऊँचा बोलने पर भी कुछ ही शब्द सुन पाते हैं अथवा कुछ अक्षर सुन पाते हैं | कुछ बच्चे कुछ भी नहीं सुन पाते हैं, ये पूर्णतया बधिर हैं (**बिष्ट, आभा रानी**) |

1.3 भारत में प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा का ऐतिहासिक विकास:-

भारतीय शिक्षा का शुभारम्भ अतीत में आज से लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था | किन्तु उसके व्यवस्थित प्रमाण वैदिक काल से आरम्भ होते हैं | इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था | अत: कुछ विद्वानों ने वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा या हिंदू शिक्षा की संज्ञा दी है | किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली के अवलोकन से ही यह ज्ञात होता है कि उसकी शिक्षा प्रणाली वहाँ की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति की सूचक है |

प्राचीन वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा - प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गयी थी तथा वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति था | यह शिक्षा पारिवारिक परिधि से परे आश्रम एवं गुरुकुलों से सम्बंधित होती थी | प्रारम्भिक शिक्षा "विद्यारम्भ संस्कार" से तथा उच्च शिक्षा "उपनयन संस्कार" से प्रारम्भ होती थी और विद्यार्थी आश्रम में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे | **"सा विद्या या विमुक्तये"** विद्या को मोक्ष प्राप्ति का साधन भी माना गया है |

बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा – ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी में वैदिक शिक्षा के अवसान के साथ ही बौद्ध शिक्षा का शुभारम्भ हुआ | शिक्षा बौद्ध गुरुओं द्वारा उनके मठों में ही प्रदान की जाती थी | मठ ही बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के प्रमुख केन्द्र थे | इस काल में शिक्षा "प्रब्बज्जा संस्कार" से प्रारम्भ होती थी | प्राथमिक शिक्षा सभी जातियों के

लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध थी | शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था परन्तु वैदिक साहित्य की शिक्षा संस्कृत के माध्यम से दी जाती थी | नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे |

मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा – मध्यकाल में शिक्षा पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव रहा | मध्य कालीन भारत में प्रचलित शिक्षा में गतिशीलता का अभाव था और बहुत रूढिवादी तथा असृजनात्मक थी | इस काल में प्राथमिक शिक्षा प्राय: मकतबों में ही प्रदान की जाती थी | इसके अतिरिक्त शिक्षा का प्रबंध दरगाहों, खानकाहों में भी किया जाता था | विद्यारम्भ संस्कार "बिस्मिल्लाह-खनी" संस्कार से होता था |

19 वीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप / ब्रिटिश युगीन प्राथमिक शिक्षा – इस युग में ईसाई मिशनरियों ने भारत में प्राथमिक शिक्षा का सूत्रपात किया और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जिनमें विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन, कपड़े, पुस्तकें आदि प्रदान की जाती थी | इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना था | ब्रिटिश शासन के 1813 व 1833 के आज्ञा-पत्र एवं 1835 में लार्ड मैकाले के विवरण पत्र ने शिक्षा का आंग्लीकरण किया | 1854 में वुड का घोषणा पत्र, 1882 में हंटर आयोग, 1990 में गोखले का प्रस्ताव, 1917 में सैड्लर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं उसे नि:शुल्क बनाने पर जोर दिया | 1929 में हॉर्टोग समिति, 1929 में वुड रिपोर्ट, 1937 में वर्धा शिक्षा योजना, 1944 में सार्जेंट के प्रतिवेदन ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोध को रोकने तथा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा एवं अंग्रेजी को ऐच्छिक रखने पर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की |

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रयास - स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में भारत के संविधान को स्वीकार करने के बाद नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, कुशल गणतंत्र, सफल नागरिकता और सबल राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक था | सन 1950 में संविधान सभा द्वारा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत घोषित किया | संविधान की धारा 45 में स्पष्ट निर्देशित किया की "राज्य इस सिद्धांत को कार्यान्वित किये जाने के समय से दस वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण न कर लेंगे नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा |" इस प्रकार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन करना, समुदाय में सभी वर्गों के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति एवं लगाव उत्पन्न करना एवं वर्ग विशेष के लिए निर्धारित दक्षताओं की समाप्ति करना

अत्यंत आवश्यक हो गया | इन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आयोगों, योजनाओं व परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास प्रारम्भ किये गये |

शिक्षा के विभिन्न प्रकार – भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु विभिन्न विकल्प निम्नवत है -

1. **नियमित/औपचारिक शिक्षा** –प्राथमिक, माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर की नियमित शिक्षा जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, निर्धारित स्थान, समय-तालिका, परीक्षा प्रविधि का पालन किया जाता है |
2. **एकीकृत शिक्षा** – वह शिक्षा जिसमें विशेष और नियमित शिक्षा को आपस में मिलाकर एक समान कर दिया जाता है |
3. **विशेष शिक्षा** – वह शिक्षा जो नि:शक्त बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रदान की जाती है |
4. **समावेशी शिक्षा** – वह शिक्षा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ समान रूप से सभी शैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित करके शैक्षिक अवसर व सुविधाएं उपलब्ध कराना | इसके साथ ही नियमित विद्यालयों में आवश्यक व अतिरिक्त सेवा सहायता के द्वारा दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना |

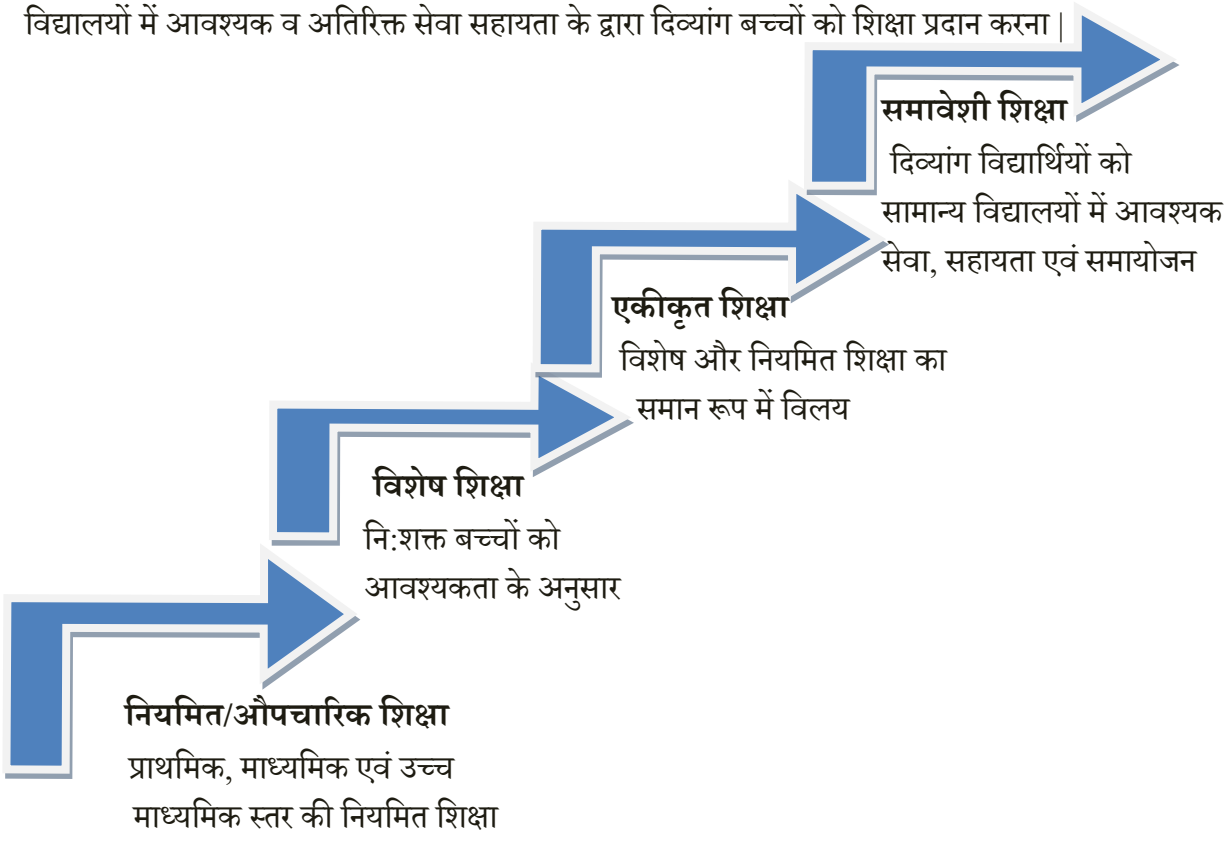

1.4 समावेशी शिक्षा का इतिहास एवं उसकी भूमिका:-

समावेशी शिक्षा का परिचय - भारत में समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक नवीन उभरती अवधारणा है | यह अवधारणा अनेक परिवर्तनों जैसे - समेकित शिक्षा, दिव्यांग जनों की शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बाद एक नए स्तर पर पहुँच चुकी है | 'समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा की एक नई खोजपूर्ण प्रणाली है जिसमें अनेक परीक्षणों और परिवर्तनों के बाद पुरानी प्रणाली में परिवर्तन किये गए है | बीते कुछ वर्षों में समावेशी शिक्षा की दिशा में तेजी से वृद्धि हुई है '**(Sudhanshu, R. 2012)** |

वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता शिक्षा में सामान्यीकरण, एकीकरण तथा सभी को शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है | **सामान्यीकरण** की विचार धारा का प्रयोग Kugel & Wolfesnberger ने Scandinavia में 1969 किया था जिसका आशय यह है की दिव्यांग जनों की शैक्षिक, आवास, रोजगार, सामाजिक तथा मनोरंजन की सुविधाएं समाज के अन्य व्यक्तियों के समान हो | **एकीकरण** का आशय सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक मापदन्डों को समाप्त कर दिव्यांग बच्चों को अवरोधहीन वातावरण में शिक्षा प्रदान करना ताकि वे सामान्य बच्चों के समान विकास कर सकें | शिक्षा के क्षेत्र में **मुख्यधारा** से तात्पर्य यह है की दिव्यांग बच्चों को गैर दिव्यांग बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षित करना | इस प्रक्रिया में दिव्यांग बच्चों को अवरोधहीन वातावरण में उचित शिक्षा तथा सामाजिक सामान्यीकरण के लिये प्रेरित किया जाता है |

समावेशन किसका:- समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक विद्यालय विभिन्न क्षमता वाले सभी बच्चों (दिव्यांग एवं सामान्य) की शारीरिक, भावनात्मक और सीखने सम्बन्धी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों का विस्तार करता है | इसलिए समावेशन का मतलब है 'दिव्यांग बच्चों सहित सभी वर्गों, धर्मो, जातियों एवं सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, वंचित वर्गों तथा भौगोलिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक विषमताओं में व्याप्त अंतराल को दूर सभी को सामान्य विद्यालयों की कक्षा में समावेशित कर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना |' सामान्यत: औपचारिक या नियमित विद्यालयों की कक्षा में तीन श्रेणियों के विद्यार्थी मौजूद होते हैं अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम, मध्यम तथा औसत से अधिक होती है | समावेशन उसी कक्षा में इन्हीं तीनों प्रकार के विद्यार्थियों के साथ किया जाता है |

1.4.1 समावेशी शिक्षा का आशय एवं परिभाषा:-

समावेशी शिक्षा का आशय :– समावेशी शिक्षा का सामान्य अर्थ है विकास की धारा में सबको शामिल करना | शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ है दिव्यांग विद्यार्थियों (जिन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थी कहा जाता है) को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर सामान्य रूप व सामान्य कक्षा में पढाना ताकि सामान्य बच्चों में व उनमें कोई भेद भाव न रहे तथा दोनों तरह के विद्यार्थी एक दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग से पठन पाठन के कार्य कर सकें | उनको सामान्य बच्चों के साथ विशेष सेवाएँ देना, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में शामिल करना ताकि उन्हें यह अहसास हो कि वें भी विद्यालय का ही हिस्सा हैं | समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास ही समावेशी शिक्षा की सफलता का सूचक है |

"समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से है" (**एन.सी.एफ.2005**, पृष्ठ - 96) |

किर्क और गलगर (1972) के अनुसार " कुछ बच्चे सामान्य बच्चों से श्रवण क्षमता, मानसिक क्षमता, मंद गति या भौतिक गुण, सामाजिक क्षमता, संचरण क्षमता या बहु बाधाओं में भिन्न होते हैं | ऐसे बच्चों में अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने हेतु समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है |"

स्रोत:www.google.com/search?biw=1366&bih=619&tbm=isch&sa=1&ei=NKdlW4PJK4evQSv5pvIBA&q=inclusive+education+images&oq=-VKBzn7liO6PlM:

'समावेशी शिक्षा प्राथमिक तौर पर स्कूली संस्कृति, नीतियों और व्यवहारों का नाम है, जो स्थान विशेष के विविधतापूर्ण छात्रों से सीधा जुड़ी है | समावेशी शिक्षा छात्रों की भागीदारी की निरंतरता को सशक्त बनाने का अभियान है, जिसमें नि:शक्त बच्चे भी शामिल है' (**तुली, उमा 2013**) |

समावेशी शिक्षा है " संसार के सभी बच्चों और युवा लोगों का अपनी वैयक्तिक शक्तियों और कमजोरियों के साथ, अपनी उम्मीदों और आशाओं के साथ, शिक्षा पर अधिकार | यह वह शिक्षा व्यवस्था नहीं है जिस पर कुछ विशेष प्रकार के बच्चों का अधिकार हो | इसलिए यह देश की ऐसी विद्यालयी व्यवस्था है जिसे सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित किया जा सके (**बी. लिंडक्विष्ट**, यु. एन. रैपरटियर ऑन यु. एन. स्टैण्डर्ड रूल्स) |

समावेशी शिक्षा के प्रमुख तत्व :- समावेशी के प्रमुख तत्वों में निम्न को शामिल किया गया है |

- सभी विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं वाले समस्त बच्चों को शामिल करना चाहे वे किसी भी प्रकार की अक्षमता युक्त हो ;
- विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों का उनकी आयु और अक्षमता की श्रेणी अनुसार उचित स्थानन करना ;
- 'प्रभावी विद्यालय' शैली विकेन्द्रीकृत निर्देशक मॉडल ;
- स्थल आधारित समन्वय और निर्देशन एवं आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन ;
- शून्य अस्वीकृति और विषम (भिन्न) समूह |

1.4.2 समावेशी शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य:-

- शिक्षा का अधिकार एवं उसके प्रावधानों का पालन एवं बिना किसी भेदभाव के मान्यता देना ;
- समस्त प्रकार के विद्यार्थियों के लिए एक समान दृष्टिकोण विकसित करना ;
- नि:शक्त एवं दिव्यांग बच्चों को बिना किसी भेदभाव के विद्यालय में उचित स्थान प्रदान करना ;
- नि:शक्त एवं दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में शिक्षण का समुचित माहौल प्रदान करना ;
- नि:शक्त एवं दिव्यांग बच्चों में आवश्यक क्षमताएं विकसित करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके ;
- नि:शक्त एवं दिव्यांग बच्चों के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टीकोण का विकास करना ;
- समावेशी शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर लोगों में समावेशी शिक्षा के प्रति जागृति लाना |

1.4.3 समावेशी शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ:-

दिव्यांग बच्चों को उचित एवं समान अवसर प्रदान करने तथा समावेशी शिक्षा को लागु करने में अनेक चुनौतियों व बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो निम्न प्रकार की है -

- शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज की मनोवृत्ति की बाधा एक प्रमुख बाधा है ;
- सभी प्रकार के विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी होना ;
- विद्यालय की कार्यप्रणाली एवं भवन संरचना का दोषपूर्ण होना ;
- केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं और नियमों एवं नीतियों का क्रियान्वयन उचित प्रकार से न होना ;
- अभिभावकों एवं समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव होना ;
- विद्यालयों में आवश्यक तकनीकी उपकरण और उन्नत संसाधनों का उपलब्ध न होना ;
- समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक बजट और धन की कमी का होना ;
- दिव्यांग विद्यार्थियों सम्बन्धी आंकड़ों के संग्रहण एवं उचित आकलन करने का अभाव ;
- दिव्यांग विद्यार्थियों को चिन्हित करने के उन्नत तरीकों का अभाव ;
- सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक तथा भाषा सम्बन्धी विविधता की बाधाएं ;
- केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे की संरचना दोषपूर्ण होना ;
- नि:शक्त एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का उपलब्ध न होना ;
- केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं और नियमों के बारे में आमजन को जानकारी न होना ;
- केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का ठीक से प्रचार-प्रसार न होना |

1.5 विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजन बच्चों के प्रति दृष्टिकोण -

शताब्दियों पहले दिव्यांग व्यक्तियों को समाज पर बोझ समझ कर समुदाय से अलग कर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था लेकिन 14 वीं से 16 वीं शताब्दी में नवजागरण के कारण समाज ने दिव्यांग व्यक्तियों को स्वीकार करने में मानवीय रुख अपनाया | 18 वीं शताब्दी में दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा और प्रशिक्षण से यह सिद्ध हुआ की

इन्हें विशेष तरीकों से प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है अतः 19 वीं शताब्दी में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना हुई | 20 वीं शताब्दी में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये विशेष विद्यालय तथा सामान्य विद्यालयों में ही विशेष कक्षाएँ प्रारम्भ करने की परम्परा की शुरुआत की गयी, परन्तु 21 वीं शताब्दी में यह प्रयास किया जा रहा है कि दिव्यांग तथा गैर दिव्यांग बच्चे एक ही विद्यालय एवं कक्षा में शिक्षा ग्रहण करें **(SESM-01)** |

"एक दिव्यांग व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के बारे में तब तक पता नहीं लगता जब तक उसके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार न किया जाये और उसे अपने जीवन को दिशा देने के लिये स्वयं प्रेरित न किया जाये|"

1.5.1 समावेशी शिक्षा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण:-

समावेशी शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित "**सलमानका सम्मेलन**" 1994 मील का पत्थर साबित हुआ जो जून 1994 में स्पेन के सलमानका शहर में आयोजित हुआ जिसमें 92 देशों के प्रतिनिधि व 25 अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया | इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना था जिसके क्रियान्वयन के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की गयी जिसका प्रमुख सिद्धांत यह था कि सामान्य विद्यालयों को शारीरिक, भाषाई, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं अन्य स्थितियों में भिन्नता के बावजूद सभी बच्चों को समायोजित किया जाना चाहिए | यह सिद्धांत पाठ्यक्रम, भवन और अध्यापन में बदलाव के साथ एक ही आधारभूत संरचना के उपयोग पर जोर देता है | समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को वर्ष 2000 में डकार, सेनेगल में आयोजित 'वर्ल्ड एजुकेशन फोरम' में पुन: सम्पन्न किया गया और दिव्यांग जनों को संयुक्त राष्ट्र के मानक नियमों के अनुसार अवसरों में समानता प्रदान की गई |

1.5.2 समावेशी शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण:-

स्वतंत्रतापूर्व भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं व सेवाओं के प्रति अधिक जागरूकता नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के समान अधिकार, शिक्षा, पुनर्वास तथा समावेशीकरण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, परिवार कल्याण एवं श्रम मंत्रालय के अधीन अनेक योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्वयन कर उन्हें लागू किया गया | 'भारत में दिव्यांग जनों की शिक्षा से सम्बंधित क़ानूनी प्रावधानों का प्रारम्भ वर्ष 1944 में **सार्जेंट रिपोर्ट** से माना जाता है जिसमें यह कहा गया था कि दिव्यांग व्यक्ति यदि विशेष विद्यालय के अनुकूल हों तो दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष विद्यालय में ही भेजा जाना

चाहिए | भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत के लिए "दिव्यांग जनों के लिए समेकित शिक्षा" योजना 1970 के दशक में प्रारम्भ की गयी, जिसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करना व शैक्षिक अवसर प्रदान करने के साथ ही साथ सभी स्तर पर उन्हें समुदाय से जोड़ना था | भारत में समावेशी शिक्षा के लिए "सलमानका सम्मेलन" 1994 मिल का पत्थर साबित हुआ इस सम्मेलन का प्रमुख निर्णय था "सभी के लिए शिक्षा, जिसमें बच्चे, युवा और विशेष आवश्यकता वाले लोगों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्रदान करना" (**सिंह, अजय 2008**) |

भारत में समावेशी शिक्षा हेतु अनेकों योजनाएं प्रारम्भ की गयी **कोठारी आयोग** (1966-68) ने भी दिव्यांग जनों की शिक्षा को शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग बताया | भारत में समावेशित शिक्षा 21 वीं शताब्दी में उभर कर सामने आई और समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2000 अत्यंत महत्व का रहा जब एन.सी.ई.आर.टी. ने "विद्यालयी राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा - 2000" को प्रकाशित किया, जिसमें समावेशी विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की गयी परन्तु 'आई.सी.डी.सी.' योजना के परिणाम अनुकूल न होने से समावेशी शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा |

भारत में समावेशी शिक्षा, समावेशन की व्यापक रूप में व्याख्या करती है जिसके अनुसार समाज के सभी वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों, वंचित वर्गों तथा भौगोलिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक विषमताओं में व्याप्त अंतराल को दूर कर दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों की कक्षा में समावेशित कर शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है इसके साथ ही विद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यालयीय शिक्षा को समावेशी बनाने का पूरा प्रयास करें | जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उनमें आत्म निर्भरता का विकास होता है और समावेशी शिक्षा व्यवस्था से सामाजिक समता के साथ प्रत्येक बालक को अपनी क्षमता विकसित करने तथा संस्कृति, समाज और देश की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है |

1.6 समावेशी शिक्षा को लागू करने में भारत सरकार की भूमिका:-

भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का इतिहास एक बदलते स्वरूप में उभरता दिखाई दे रहा है | शिक्षा के विशिष्ट आयाम में एक आयाम है "**समावेशी शिक्षा**" | इस शिक्षा प्रणाली को प्रारम्भिक अवस्था में ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा साथ ही समावेशी शिक्षा के पूर्व अनेक क़ानूनी और नीतिगत दौर भी आये परन्तु उनमें समय के साथ-साथ परिवर्तन भी होता रहा और जिसके फलस्वरूप दिव्यांगजनों की शिक्षा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण

में भी परिवर्तन होता रहा है (सिंह, अजय 2008) |भारतीय संविधान ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधायी नीतियाँ एवं योजनाएँ लागू की गयी जो निम्न प्रकार है :-

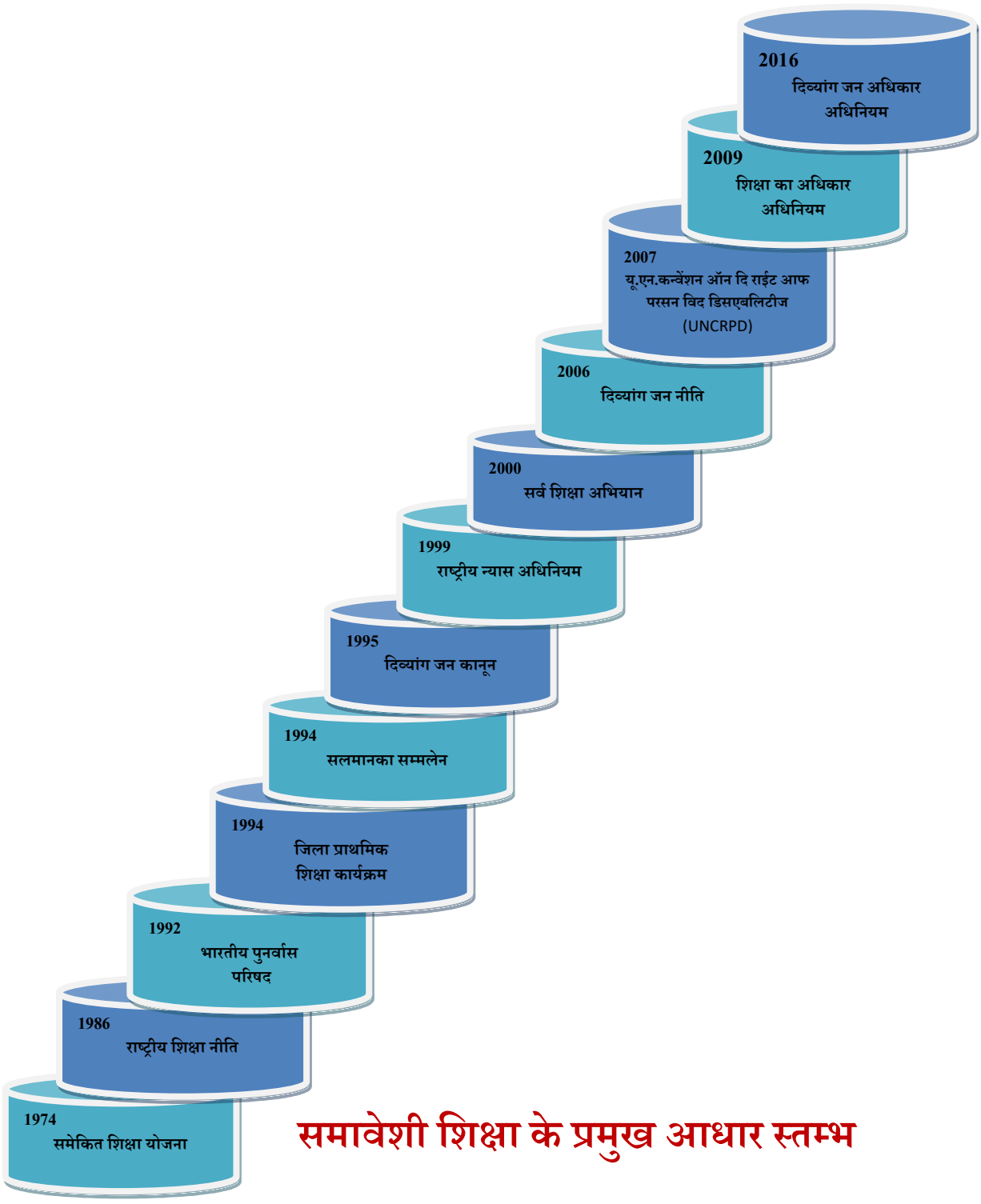

समावेशी शिक्षा के प्रमुख आधार स्तम्भ

1.6.1 समावेशी शिक्षा हेतु सरकार की प्रमुख नीतियों एवं योजनाओं की संक्षिप्त विवेचना निम्नानुसार है:-

- **नि:शक्त बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना (**IEDC**) 1974** - कोठारी आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारम्भ की गयी | इस योजना में पुस्तकें व शैक्षिक सामग्री, गणवेश, परिवहन भत्ता, विशेष उपकरण एवं सहायक यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करना, पुनर्वास सहायता देना, अभिभावकों को प्रशिक्षण देना, विद्यालय भवनों की संरचनात्मक बाधा को दूर कर नि:शक्त आठ बच्चों के लिये एक शिक्षक उपलब्ध कराना है | वर्ष 1992 में इस योजना में पुनः संशोधन कर दिव्यांग बच्चों के समावेशन में संलग्न विद्यालयों व अशासकीय संगठनों को 100**%** अंशदान राशि देने का प्रावधान किया गया | यह योजना सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू की गयी | राजस्थान राज्य में यह योजना बाँसवाड़ा जिले से प्रारम्भ कर सम्पूर्ण राज्य के 249 विकास खण्डों में लागू की गयी **(**dsq-sds.org/article, 2014**)**|
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (**NCP**)1986 -** राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उददेश्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशि ,शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना:क्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना तथा प्रत्येक जिले में आदर्श | विद्यालय खोलना है (मॉडल) इस नीति में दिव्यांग बच्चों के उपचार , ,व्यावसायिक प्रशिक्षण ,शिक्षापुनर्स्थापना एवं देखभाल की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है | वर्ष 1992 में इस नीति में पुनःसंशोधन किया गया (Mohanty, J. 2002) |
- **क्रियान्वयन की रूपरेखा** (Program Of Action)**1986** - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू करने के लिए व्यवहारिक स्थापना सिद्धांतों का सुझाव दिया | इसमें यह निश्चित किया गया की दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षित किया जा सकता है अत: उन्हें केवल सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाना चाहिए न की विशेष विद्यालयों में | इस रूपरेखा को 1992 में पुन: तैयार किया गया (Mohanty, J. 2002) |
- **भारतीय पुनर्वास परिषद** (RCI)1992 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने, विभिन्न व्यवसायों के प्रशिक्षण स्तर में एकरूपता लाने तथा दिव्यांग जनों के पुनर्वास हेतु की गयी (rciact.pdf, 2014) |

- **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम** (DPEP)1994 - विश्व बैंक के सहयोग से प्रारम्भ इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना तथा शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, विशेष विद्यालयों की स्थापना करना, उपलब्ध साधनों से अभिभावकों को प्रशिक्षण देना, घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था करना है | इस कार्यक्रम के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गयी तथा राजस्थान सहित देश के तीन राज्यों के कुल 23 जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु इसे प्रारम्भ किया गया (nuepa.org/dpep.pdf, 2014) |
- **दिव्यांग जन (**समान अवसर**,** अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी**) कानून** (PWD) 1995 - दिव्यांग जन कानून नि:शक्तता को रोकने, उनके अधिकारों की रक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार तथा पूर्णरूप से पुनर्वास को सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया, जिसमें वर्ष 2006 में पुनःसंशोधन किया गया | "दिव्यांग जन अधिकार बिल-2012" में भी दिव्यांग बच्चों के समान अधिकार की बात कही गयी है (pwdact1995.pdf, 2014) |
- **राष्ट्रीय न्यास** (आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता तथा बहु-नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु) **अधिनियम** 1999 **-** इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिये सीखने योग्य वातावरण निर्मित करना, परामर्श एवं प्रशिक्षण देना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवास की व्यवस्था करना, परिवार की सहायता करना तथा उनके संरक्षण के उपाय करना (ntact1999. Pdf, 2014) |
- **सर्व शिक्षा अभियान** (SSA) - "सभी के लिए शिक्षा" के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2000-01 में प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) को प्राप्त करना है | इस योजना में किसी भी बच्चे को दाखिला देने से इंकार न करने की **शून्य बहिष्कार नीति** (Zero Rejection Policy) को अपनाया गया | अभियान के द्वारा मानवीय क्षमता में सुधार, सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंगीय अंतराल को दूर करना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, उनका सामान्य विद्यालयों में समावेशन कराना, आवश्यक अंग उपकरण उपलब्ध कराना, समेकित शिक्षा कार्यक्रम एवं ब्रिज कोर्स का संचालन करना, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यालयों में नियुक्त सभी

शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना है | शिक्षा गारंटी योजना इसका प्रमुख घटक है, यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया है | (SSA.pdf , Chapter 3, 2014)

- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) -** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में समावेशी शिक्षा की नीति को प्रत्येक विद्यालय और सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में लागू किये जाने एवं सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता का उल्लेख है, साथ ही विद्यालयों को ऐसे शिक्षा केन्द्र बनाने पर जोर दिया गया है जिनमें सभी बच्चों खासकर शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों को अधिक लाभ मिले | विद्यालयों में शिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाते समय सभी की भागीदारी की और विशेष ध्यान देने की भी बात कही गयी है, साथ ही विद्यार्थियों में निहित विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं के प्रदर्शन को एक विषय तक ही सीमित नही करने तथा प्रत्येक विद्यार्थी को सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया | (ncf2005-pdf, 2014)
- **दिव्यांग बच्चों और युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए योजना (**IECYD) 2005 **-** इस योजना में दिव्यांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा का समावेशन किया गया | योजना में विभिन्न क्षेत्रों जैसे - प्रारम्भिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया गया है | इस योजना के प्रमुख उद्देश्य - प्रत्येक बच्चे को आंगनवाड़ी और विद्यालय तक पहुँच एवं प्रवेश का अधिकार देना तथा दिव्यांगता के आधार पर रोका ना जाना, दूरस्थ क्षेत्रों में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर नि:शक्त हेतु गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था तथा रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है |
- **यू.एन.कन्वेंशन ऑन दि राईट आफ परसन विद डिसएबलिटीज (**UNCRPD**)** 2007 - मार्च 2007 में इस **कन्वेंशन** पर हस्ताक्षर कर भारत सरकार ने अपने क़ानूनी प्रावधानों को दिव्यांग जनों हेतु सुलभ बनाया | यह कदम समावेशी शिक्षा के लिए सराहनीय कार्य है (uncrpdindia.org, 2014) |
- निशुल्क: **और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम** 2009 **(**RTE**)** - (केन्द्रीय अधिनियम संख्या -35) यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया | अधिनियम के प्रावधानों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क एवं

अनिवार्य शिक्षा, अनामांकित और शाला से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों को एक ही कक्षा में रोकने पर प्रतिबन्ध लगाना, निजी विद्यालयों में केपिटेशन फीस व स्क्रीनिंग पर प्रतिबन्ध लगाना तथा निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया गया | उक्त अधिनियम की धारा 38 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये "**राजस्थान** निशुल्क: **और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम** 2011" निर्मित कर सम्पूर्ण राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया गया, जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है (RTEAct.pdf, rte-state-rules/Rajasthan.pdf, 2014) |

- **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** (RMSA) 2009 – इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और अगले 5 वर्षों में माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को 75 प्रतिशत तक ले जाना तथा लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक असमानता एवं दिव्यांगता की रोक को दूर करना तथा माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है (*mhrd.gov.in/rmsa*. pdf, 2014) |

- **दिव्यांग बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर समेकित शिक्षा** (IEDSS) 2009- दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना को नये रूप में वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया जिसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के 8 साल पूर्ण कर चुके 14 से 18 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के चार वर्ष की शिक्षा प्रदान करना था | यह योजना प्रारंभिक स्तर पर समावेशी शिक्षा का विस्तार है, जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को 3000 रूपये प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जाती है |

- **दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम -2016 (** RPWD Act**) -** इक्कीस वर्षों के लंबे अंतराल एवं छ: वर्ष के इन्तजार के बाद दिव्यांग जनों के अधिकारों के लिए प्रतीक्षित अधिनियम दिसम्बर 2016 में राज्य सभा और बाद में लोकसभा में विधेयक पारित किया गया और अंत में राष्ट्रपति के अनुमोदन और हस्ताक्षर से 28 दिसम्बर 2016 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम - 2016 बन गया जो वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है | अधिनियम में नि:शक्तता की परिभाषा में

बदलाव कर इसे और अधिक व्यापक बनाया गया तथा दिव्यांग जन अधिनियम -1995 में शामिल की गई अक्षमताओं को विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर मौजूदा 7 प्रकारों को बढ़ाकर कुल 21 किया गया है, जो इस प्रकार है – (1) चलन संबधी नि:शक्तता (2) मांसपेशीय दुर्विकार (3) उपचारित कुष्ठ (4) बौनापन (5) प्रमस्तिष्क घात (6) अम्ल हमले की पीड़ित (7) कम दृष्टि (8) दृष्टि हीनता (9) बधिर (सुनने में कठिनाई) (10) श्रवण क्षति (11) वाक और भाषा दिव्यांगता (12) बौद्धिक दिव्यांगता (13) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (14) ऑटिज्म स्पेकट्रम डिस्ऑर्डर (15) मानसिक रुग्णता (16) क्रोनिक स्नायुविक स्थिति (17) बहु विकलांगता (18) पार्किन्स रोग (19) हीमोफीलिया (20) थैलेसीमिया (21) सिकल सेल रोग |

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान (**I**) 6 से 18 वर्ष तक के बेंचमार्क दिव्यांग जन /बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था (**ii**) सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना (**iii**) दिव्यांग जनों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण करना (**iv**) सुलभ भारत अभियान को मजबूती देने के लिए सभी सार्वजनिक इमारतों में भौतिक आधारभूत संरचना का निर्माण कर दिव्यांग व्यक्तियों की पहुँच सुनिश्चित करना (**v**) सरकारी नौकरियों में आरक्षण की दर 3 % से बढ़ाकर 4 % करना (**vi**) जिला न्यायालय द्वारा गार्डियनशिप की व्यवस्था प्रदान करना अर्थात अभिभावक और दिव्यांग बच्चों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था (**vii**) न्यूनतम 40 फीसदी नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ व सरकारी योजनाओं के लाभ में प्राथमिकता (**viii**) 10 % सार्वजनिक परिवहन के साधनों को दिव्यांगजन अधिगम्य बनाना अर्थात परिवहन की बाधा को दूर करना (**ix**) समानता और अवसर का अधिकार, विरासत का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, परिवार का अधिकार का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया | उक्त अधिनियम के द्वारा समस्त कार्यों हेतु निजी क्षेत्र को भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया (RPWD%20ACT%202016.pdf, 2018) |

1.6.2 समावेशी शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं:-

- **लोक जुम्बिश परियोजना** (1992) - राजस्थान में स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से प्रारम्भ की गयी इस योजना का लक्ष्य 5 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा की

प्रक्रियाओं एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और स्वैच्छिक संगठनों की साझेदारी तथा जन सहभागिता से विद्यालय भवन एवं सामुदायिक केन्द्र तैयार करना है | इसके साथ ही अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम(1975), राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला, शिक्षा कर्मी परियोजना(1987-88), कस्तूरबा गाँधी शिक्षा योजना, महिला समाख्या योजना (1989), मध्यान्ह भोजन योजना (1995), शिक्षा गारंटी योजना भी प्रारम्भ की गयी | फरवरी 2010 में "राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग" एवं जिला स्तर पर "जिला बाल संरक्षण इकाई" का भी गठन किया गया (Lok%20Jumbish%202003.pdf, 2014) |

- **जिला पुनर्वास केन्द्र** (DRC) - देश के विभिन्न राज्यों के 107 जिलों में जिला पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गयी है | जिनका कार्य दिव्यांग जनों को सहायक अंग और उपकरण उपलब्ध कराना तथा उनका रखरखाव करना तथा विद्यालयों से संपर्क बनाना और दिव्यांग जनों की शिक्षा व रोजगार के लिये प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना करना है (ddrc's.pdf, 2014) |

1.6.3 समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति :-

भारत में समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उसका कार्यान्वयन शुरुआती चरण में है | देश की आबादी के मात्र 2.21 % संख्या अर्थात 2.68 करोड़ लोग दिव्यांगता से ग्रसित है | इस संख्या के 98 % दिव्यांग बच्चे किसी भी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं है और ना ही वर्तमान में लागू समस्त प्रावधान 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से ही पर्याप्त है | समावेशी शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेकों योजनाओं और नीतियों को लागू भी किया गया परन्तु आज भी विभिन्न नि:शक्तता ग्रस्त जनसंख्या के एक बड़े भाग को समाज एवं शिक्षा की मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा सका | लाखों दिव्यांग बच्चे आज भी विशेष विद्यालयों में अध्ययन करते हैं और जिन दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता है, ऐसे बच्चे या तो पढ़ाई नहीं करते हैं या विभिन्न कारणों से बीच में ही अध्ययन करना छोड़ देते हैं |

1.6.4 समावेशन की प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने वाले प्रमुख कारक:-

समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की दिशा में अनेक कारकों का विपरीत प्रभाव रहा है साथ ही समावेशन की प्रक्रिया को अनेक चुनौतियों और बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है जो निम्न प्रकार से है -

- **बहु-स्तरीय शिक्षा प्रणाली :** हमारी शिक्षा प्रणाली बहु-स्तरीय है साथ ही शिक्षा की प्रक्रिया समावेशन के बजाय बहिष्करण (Exclusion) को बढ़ावा देती है तथा भेदभावपूर्ण एवं असमानता पर आधारित शिक्षा प्रणाली विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समावेशित करने में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करती है |
- **दोषपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली :** हमारी शिक्षा प्रणाली में परीक्षा को एक सशक्त औजार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है | परीक्षा में असफलता के लिए बच्चों ही पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाता है जबकि सीखने-सिखाने के तौर तरीके, शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियों एवं विद्यालय के माहौल की सामूहिक रूप से समान जिम्मेदारी होनी चाहिए | एक और जहाँ परीक्षा प्रधान शिक्षा प्रणाली बच्चों को बाहर धकेलने का कार्य करती है दूसरी और परीक्षा के भय एवं असफलता से बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा तंत्र से स्वत: ही बाहर हो जाते हैं | इस प्रकार से वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली शिक्षा के समावेशन में बाधा पहुँचाती है |
- **विद्यालय तक पहुँच :** विगत दो दशकों में बहुत बड़ी संख्या में प्रारम्भिक स्तर के विद्यालय खोले गए | सरकार द्वारा विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों एवं 2 कि.मी. की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापित कर उनको संचालित करने का लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लेने के दावे किए गए हैं परन्तु जब तक सुदूर एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय तक पहुँचने के जोखिम कम नहीं किये जायेंगें तब तक शिक्षा प्रणाली में बच्चों के समावेशन के लक्ष्य को पाना सम्भव नहीं हो सकेगा |
- **विद्यालयी पाठ्यचर्या** : विद्यालयी पाठ्यचर्या के साथ ही उसकी कार्यप्रणाली आज भी परम्परागत स्वरूप में ही है | राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 में पाठ्यचर्या निर्धारण सम्बन्धी अनेक बातें प्रस्तुत की गई है, परन्तु उसमें अभी भी कुछ गम्भीर खामियाँ हैं इसलिए बच्चा ज्ञान प्राप्ति की इस प्रक्रिया से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाता है एवं मात्र सूचनाओं के संग्रहण और रटन्त प्रणाली का हिस्सा बनकर ही रह जाता है |
- **बच्चों के प्रति शिक्षक का नजरिया** : आज का शिक्षक बच्चों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के प्रति पूर्णतया संवेदनशील नहीं है और ना ही बच्चे के नजरिए का सम्मान करता है | इसके साथ ही वह समूह विशेष के

प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण भी रखता है ऐसी स्थिति में बच्चे का अपने समाज, संस्कृति एवं परिवेश के प्रति नजरिया बदल जाता है और बहुधा वह स्वयं को कमजोर, पिछड़ा व अकेला समझने लगता है यह स्थिति प्राय: वंचित वर्ग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है | ऐसी स्थिति में ये बच्चे धीरे-धीरे विद्यालय से दूरी बना लेते हैं और शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर निकल जाते हैं |

- **अति संरक्षण** (Over protection) **:** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति उनके अभिभावकों की अति संरक्षण की भावना इन विद्यार्थियों की स्वनिर्भरता की प्रक्रिया में बाधक बनती है, जिसका समग्र परिणाम विद्यार्थियों की समावेशन की प्रक्रिया में अवरोध के रूप में सामने आता है | विद्यार्थियों की क्षमता की पहचान कर उसके अनुरूप समाज में बच्चे के समावेशन की प्रक्रिया को प्रारम्भ करना परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है |
- **अस्वीकरण** (Rejection) **:** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति परिवार एवं समाज के व्यक्तियों का दृष्टिकोण दूसरा प्रमुख कारण है | परिवार का यह दृष्टिकोण इस तथ्य को उजागर करता है कि बच्चे की सामर्थ्य/क्षमता पर परिवार के लोगों को विश्वास नही है | परिवार की दूसरी भूमिका यह भी है कि वह बच्चे में इस प्रकार की अनुभूति, विश्वास एवं मूल्यों को स्थापित करें कि बच्चे को समाज में अपने समावेशन के बारे में भी पूर्ण विश्वास हो सकें (काण्डपाल,केवलानंद. 201**2**) |
- **जागरूकता का अभाव :** समाज के लोगों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों में अपने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का पूर्णतया अभाव है तथा ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकगण बच्चों के हक और अधिकारों के बारे में भी अनभिज्ञ हैं |

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा में समावेशन में बाधक आधारभूत कारणों को दूर किए बगैर समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना असम्भव सा प्रतीत होता है |

1.7 अध्ययन का औचित्य एवं आवश्यकता:-

1. राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2014 में जारी आंकड़ों के अनुसार 6-14 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) में विविध नि:शक्तायुक्त बच्चों की कुल संख्या 37,756 हैं | इनमें श्रवण बाधित, दृष्टि

बाधित, मानसिक मंद बच्चे जो शिक्षा की मुख्यधारा में नहीं हैं, की संख्या प्राथमिक विद्यालयों से दूर 8178, अनामांकित 4971 तथा प्राथमिक शिक्षा छोड़ने वाले 3207 है |

2. National Survey On Estimation Of Out Of School Children, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण भारत में 6-13 वर्ष आयु के कुल 60,64,229 बच्चों में से 2.97 % बच्चे विद्यालयों से दूर है जिनमें 3.13 % ग्रामीण एवं 2.54 % शहरी क्षेत्रों में निवासरत है तथा कुल दिव्यांग 21,39,943 बच्चों में से 28.07 % (6,00,627) बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं इनमें 35.97 % मानसिक मंद, 17.64 % दृष्टि बाधित एवं 19.31 % श्रवण बाधित हैं |
3. राजस्थान में कुल 1,87,615 दिव्यांग बच्चों में से 74,288 दिव्यांग बच्चे विद्यालयों से बाहर है अर्थात 39.60 % दिव्यांग बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं इन बच्चों में 53.17 % मानसिक मंद, 36.26 % दृष्टि बाधित एवं 33.95 % श्रवण बाधित हैं |
4. देश में SSA तथा RTE लागू होने के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 पारित कर सम्पूर्ण राज्य में स्थित सभी विद्यालयों में लागू किया गया | राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (SS), जिला पुनर्वास केन्द्र (DRC), जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC), व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (VTC), अभिभावक संगठन (PO), मानव संसाधन विकास केन्द्र (HRDC), गैर शासकीय संगठन (NGO) कार्यरत हैं जिन्हें जन शिक्षा और जागरूकता उत्पन्न करने के लिये 90 से 95 % तक की सहायता दी जाती है **इसके बाद भी हजारों दिव्यांग बच्चे आज भी शिक्षा से वंचित हैं** |
5. 04 अप्रैल, 2013 टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित लेख के अनुसार - एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किये आठवें राष्ट्रव्यापी स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय शिक्षा सहायता से प्राप्त राशि व्यय करने में राज्य की स्थिति कमजोर रही है क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग 20 करोड़ की प्राप्त सहायता राशि में से 16.23 करोड़ व्यय करने में असफल रहा है, साथ ही माध्यमिक स्तर की समावेशी शिक्षा हेतु प्राप्त 5 करोड़ की राशि भी व्यय नही कर पाया है |

6. राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट योजना में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चिन्हित 1,15,972 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा हेतु 1159.72 लाख रूपये 1000/- प्रति छात्र का प्रावधान किया है, जो उन बच्चों की शिक्षा हेतु किये जाने वाले विस्तृत कार्यों की तुलना में बहुत कम है |

7. सम्पूर्ण भारत के समस्त राज्यों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किये बहुत समय बीत गया है | डाटा इन्फोर्मेशन सिस्टम आफ एजुकेशन (DISE) में संग्रहित आकंडों के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्थित हजारों विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियन के अधीन **निर्धारित आवश्यक 11 मानदंडों में से अनेक भौतिक संसाधन** एवं सुविधाएँ मौजूद नहीं है जैसे - विशेष शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैम्प आदि | देश में 0 से 14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 35 करोड़ 95 लाख है ये बच्चे स्वस्थ, सुरक्षित और स्कूल जाने के योग्य नहीं है (**कौशलेन्द्र**, 2012) |

8. वर्ष 2015-16 में राजस्थान राज्य में स्थित विद्यालयों की कुल संख्या 1,07,936 है जिनमें 1,33,81,892 विद्यार्थी नामांकित हैं | इन नामांकित विद्यार्थियों में से 1534137 शासकीय व 3,38,819 निजी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जबकि 25,47,960 शासकीय व 22,90,071 निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हैं | इन विद्यार्थियों में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों की कुल संख्या 1,05,83,604 है, जिनमें 56,94,939 बालक तथा 48,88,665 बालिकाएं हैं |

रेखाचित्र क्र. 4 **- विद्यालय, शिक्षकों एवं नामांकित विद्यार्थियों के आंकड़ों का प्रदर्शन**

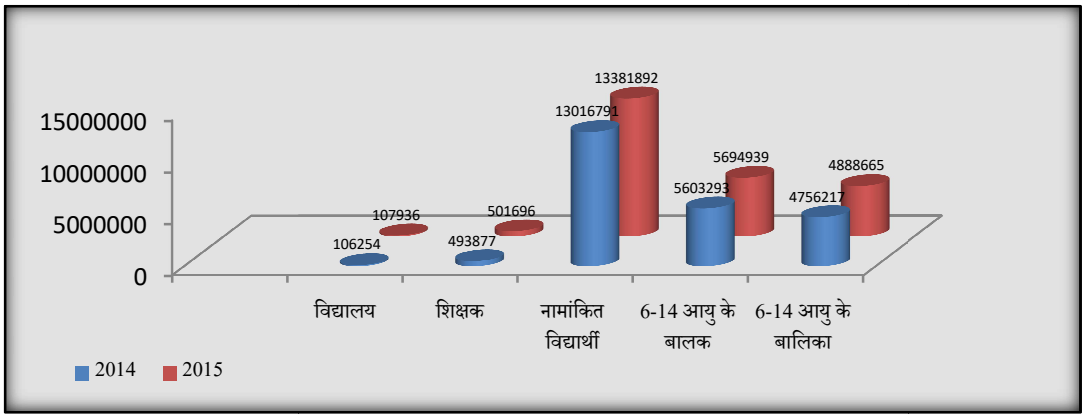

विगत तीन वर्षों में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों एवं विद्यालयों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है परन्तु विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी का प्रतिशत कम रहा है |

9. केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व नीतियों तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी राजस्थान के समस्त जिलों में स्थिति विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय एवं निम्न स्तर पर है |

10. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के 15 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं जबकि 0 से 14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 35 करोड़ 95 लाख है | आज भी ये बच्चे स्वस्थ, सुरक्षित और स्कूल जाने के योग्य नहीं हैं | छह दशक बीत जाने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस गति की उम्मीद थी वह नहीं आ पायी है | प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जाती है और गुणवत्ता की कसौटी पर आज भी प्राथमिक शिक्षा पिछड़ी नजर आ रही है |

इस परिप्रेक्ष्य में यह विदित है की कहीं ना कहीं इन योजनाओं व नीतियों में खामियाँ है और जब तक इन खामियों और कमियों को दूर नहीं किया जायगा तब तक राज्य में समावेशी शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं होगी | अत: राज्य में समावेशी शिक्षा की सही स्थिति जानने व इसे बेहतर करने हेतु इस समस्या का शोध विषय के रूप में चयन किया गया है, ताकि प्रभावशाली योजनाओं, नीतियों व उनके क्रियान्वयन से राज्य के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समावेशित शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके |

1.8 समस्या का कथन -

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

1.9 शोध में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की संक्रियात्मक परिभाषाएँ:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में -

- **प्राथमिक शिक्षा** से आशय - सामान्यत: प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा जिसमें बच्चे प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करते है | जिसमें बच्चों को **3**R (Reading, Writing & Arithmetic) अर्थात पढ़ना, लिखना तथा गणित के साथ - साथ जीवन के आधारभूत कौशल सिखाये जाते हैं |
- **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN)** से आशय - उन सभी बच्चों से है जिनकी शारीरिक, मानसिक व सांवेगिक आवश्यकता औसत बच्चों से अलग या भिन्न होती है तथा जिनकी शैक्षिक आवश्यकता विशेष प्रकार

की होती है | प्रस्तुत शोध अध्ययन में मानसिक मंद, श्रवण बाधित तथा दृष्टि बाधित ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सरकारी चिकित्सा विभाग द्वारा प्रमाण- पत्र जारी किया गया है उन्हें **CWSN** माना गया है |

- **समावेशी शिक्षा** का आशय - सभी विद्यार्थियों (दिव्यांग एवं गैर दिव्यांग) को बिना किसी भेद-भाव के समान विद्यालय और समान कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान करने से है जिसमें विशेष विद्यार्थियों को उनकी विशेष आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाती है |
- **योजनाओं व नीतियों** से आशय - केन्द्र तथा राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा हेतु द्वारा चलाई विभिन्न योजनाओं और नीतियों से है |

1.10 शोध प्रश्न:-

शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित शोध प्रश्नों का निर्धारण किया गया है |

1) राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति क्या है?
2) राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या समस्याएँ उत्पन्न होती है ?
3) क्या राजस्थान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों में कमियाँ व्याप्त हैं ?
4) क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने हेतु विभिन्न हितधारकों या संबद्ध पक्षों का सहयोग प्राप्त होता है?
5) प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा लागू करने हेतु प्रभावी वैकल्पिक योजना क्या हो सकती है?

1.11 शोध अध्ययन के उद्देश्य:-

वर्तमान अध्ययन में शोध समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उददेश्यों का निर्धारण किया गया है -

1) राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन करना ;

2) राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा लागू करने में विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना ;

3) प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण कर उनकी खामियों का अध्ययन करना ;

4) राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने व सफलता पूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न हितधारकों या संबद्ध पक्षों (stakeholders) का विश्लेषण करना ;

5) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं और नीतियों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक योजना का सुझाव देना |

1.12 अध्ययन का कार्य-क्षेत्र एवं शोध सीमांकन:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में समय और स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर समावेशी शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए शोधकर्ता ने निम्न परिसीमाओं का निर्धारण किया है :-

- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ही न्यादर्श के रूप में चयन किया है |
- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही न्यादर्श में शामिल किया है |
- शोधकर्ता ने शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में केवल मानसिक मंद, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित बच्चों को न्यादर्श में शामिल किया है |

  शोधकर्ता ने शासकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में केवल मानसिक मंद, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित बच्चों को न्यादर्श में शामिल किया है |

- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले 04 (चार) जिलों अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और चुरू जिलों का चयन न्यादर्श हेतु किया है |
- शोधकर्ता ने प्राथमिक शिक्षा हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से प्रमुख **05 (**पाँच**) योजनाओं और नीतियों** का चयन किया है |
- शोध अध्ययन में चयनित चारों जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा में वर्ष 2015-16 में नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों की उपलब्ध एवं चयनित संख्या को शामिल किया है |
- शोध अध्ययन में **संबद्ध पक्षों** के रूप में शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, अभिभावकों, विद्यालयों, विद्यालय प्राचार्यों, गैर सरकारी संगठनों व सामाजिक संगठनों के प्रमुखों और जन प्रतिनिधियों का चयन किया गया है |
- शोधकर्ता ने प्रदत्तों के संकलन हेतु केवल स्वनिर्मित प्रश्नावली, चैक लिस्ट एवं साक्षात्कार - अनुसूची का प्रयोग किया है |

उपसंहार :-

प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य का भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं मानवीय संसाधन, शैक्षिक स्थिति एवं शोध विषय में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों को परिभाषित किया | केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की संक्षिप्त विवेचना की है | इसके साथ ही शोध उद्देश्यों, अध्ययन के औचित्य एवं आवश्यकता तथा शोध कार्य क्षेत्र एवं शोध सीमांकन का उल्लेख किया गया है | अगले अध्याय में पूर्व में किये गये शोध एव सम्बंधित साहित्य की विस्तृत विवेचना की गई है |

----------*******----------

अध्याय - द्वितीय

सम्बंधित साहित्य

का

अध्ययन

2.1 प्रस्तावना :-

अध्याय एक में अध्ययन की पृष्ठभूमि, अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व, अध्ययन के उद्देश्य, शोध प्रश्न, शोध की परिसीमाओं तथा शोध शीर्षक में प्रयुक्त विशिष्ट पदों का वर्णन किया गया है | प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित शोध साहित्य का सर्वेक्षण, समीक्षा और विवेचना की गयी है |

शोध कार्य के लिए विषय और प्रकरण से सम्बंधित पूर्व साहित्य एक आधारशिला होता है जिसके आधार पर ही शोधकर्ता अपने भावी अध्ययन को पूर्ण करता है | सम्बंधित साहित्य और शोध समीक्षा, शोध प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भागों में से एक है | सम्बंधित साहित्य और शोध समीक्षा से ही शोध समस्या सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जाती है | शोधकर्ता ने साहित्य की समीक्षा की और शोध समस्या संबंधी समान चरों का चयन किया एवं वर्तमान अनुसंधान को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ही शोधकर्ता ने सम्बंधित साहित्य और शोध समीक्षा से आवश्यक जानकारी एकत्रित की |

सम्बंधित शोध साहित्य अध्ययन के उद्देश्यों को निम्नांकित आरेख के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है -

रेखाचित्र क्र. - 5 शोध साहित्य अध्ययन के उद्देश्य

उपरोक्त उद्देश्यों का गहन एवं विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित शोध साहित्य की विवेचना और समीक्षा करना शोध साहित्य में एक और अध्याय जोड़ने तथा संदर्भ / ग्रन्थ सूची तैयार करने के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि शोध प्रबंध के समस्त चरणों के साथ शोध समस्या के चुनाव, समस्या के परिभाषीकरण, अध्ययन के सीमांकन का निर्धारण तथा अध्ययन का निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है | सम्बंधित शोध साहित्य एक और जहाँ शोधकर्ता के ज्ञान में वृध्दि करता है वही दूसरी और उसके कार्य को सम्पन्न कराने में भी सहायता प्रदान करता है | इसके अतिरिक्त सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन द्वारा शोधकर्ता यह निश्चित करता है कि उसके द्वारा किया जा रहा कार्य किसी कार्य की पुनरावृत्ति तो नहीं है तथा तुलनात्मक आंकड़ों के आधार पर किसी शोध के महत्त्व की व्याख्या और मूल्यांकन करता है | पूर्व अनुसंधान और शोध साहित्य के आधार पर ही एक अनुभवहीन शोधकर्ता अपने अनुसंधान में विविध चरों का समावेश करता है |

शोध समीक्षा का महत्व :- सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण निम्न उद्देश्यों को पूर्ण करता है -

- समस्या को हल करने के लिए पहले से कौन से पहलू मौजूद हैं एवं दोहरेपन की जोखिम से बचने के लिए ;
- समस्या के सम्बन्ध में विचार, सिद्धांत, स्पष्टीकरण या परिकल्पना के चयन करने के लिए ;
- समस्या के हल हेतु उचित अनुसंधान के विधि का सुझाव देने के लिए ;
- प्राप्त परिणामों की उपयोगिता और तुलनात्मक व्याख्या का पता लगाने के लिए |

शोधकर्ता ने इन्ही तथ्यों के आधार पर सम्बन्धित शोध साहित्य का पुनरीक्षण किया जिसके अंतर्गत कुल 68 शोध अध्ययनों का पुनरीक्षण किया गया | इस पुनरीक्षण में भारत में किये गए 45 शोध तथा विदेशों में किये गए 11 शोध अध्ययनों तथा 12 पुस्तकों, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को सम्मिलित किया गया है |

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त समस्त अध्ययनों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है –

- समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में भारत में किये गए प्रमुख शोध अध्ययन, शोध पत्र एवं लेख
- समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में विदेशों में किये गए प्रमुख शोध अध्ययन, शोध पत्र एवं लेख
- समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में पुस्तकों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख

2.3 समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में भारत में किये गए प्रमुख शोध अध्ययन, शोध पत्र एवं लेख की समीक्षा :-

1. **अग्रवाल, यश**(1998) ने अपने लेख "***Access And Retention Under DPEP***" में उल्लेख किया कि सामाजिक और लैंगिक विषमताओं को कम करने और सीखने की उपलब्धि को बढ़ाने तथा विद्यालय छोड़ने की दर में कमी में करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सात राज्यों के 42 जिलों में 1994 में शुरू किया गया | इस कार्यक्रम का बाद में 16 राज्यों के 200 जिलों में विस्तार किया गया | जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय में नामांकन की दर में विशेष कर लड़कियों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई | निष्कर्ष रूप में सभी जिलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किया जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने, शिक्षा प्रणाली की आंतरिक दक्षता में सुधार करने, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के साथ शिक्षा में अभिनव और प्रभावी रणनीति तैयार करने की बात कही |
2. **जोलेर्स, नेनसी जे, रामनाथन, अरुण के. और यु, मुन्सेट (1999)** ने अपने शोध पत्र "***The Relationship Between School Culture And Inclusion: How An Inclusive Culture Supports Inclusive Education***" में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा कार्यक्रम को एक मॉडल के रूप में शामिल किये जाने की बात कही | उन्होंने विद्यालय संस्कृतियों में अंतर्निहित तीन विशेषताओं - समावेशी नेतृत्व, विद्यालयी समुदाय का व्यापक दृष्टिकोण तथा भाषा और मूल्यों के हस्तांतरण की विवेचना की | प्रतिभागियों का निरीक्षण, साक्षात्कार और दस्तावेजों की समीक्षा के दौरान यह पाया कि विद्यालयी संस्कृति ही समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देती है इसलिए समावेशी विद्यालय की संस्कृति की पहचान कर भविष्य में इन कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक लागू करने के लिए समावेशी नेतृत्व, विद्यालयी समुदाय का व्यापक दृष्टिकोण और भाषा एवं मूल्यों की साझेदारी से एक संयुक्त मॉडल तैयार किये जाने पर बल दिया और समावेशन की सफलता के लिए एक समावेशी विद्यालय की सृजनात्मक संस्कृति के विकास को महत्वपूर्ण माना |

3. तिवारी, अर्चना (2002) ने अपने शोध "***पूर्वी उत्तर प्रदेश के दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, अभिवृत्ति, मूल्य एवं व्यक्तित्त्व का तुलनात्मक अध्ययन"*** में दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, अभिवृत्ति, मूल्य एवं व्यक्तित्त्व का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि का चयन कर इलाहाबाद तथा वाराणसी जनपद के अशासकीय विद्यालयों के कक्षा दसवीं के सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में चुना और मानकीकृत उपकरणों के आधार सृजनात्मकता, अभिवृत्ति मूल्य एवं व्यक्तित्त्व के सम्बन्ध में प्रद्त्तों का संकलन किया और सांख्यिकीय विश्लेषण कर सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, विभिन्न मूल्यों, व्यक्तित्व के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्राप्त किये | निष्कर्ष रूप में दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की योजना बनाने, समाज में उनकी भागीदारी निश्चित करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने, कुशलता बढ़ाने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने एवं बेहतर शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया |

4. सिंह, रेणु (2007) ने अपने लेख **"*Creative A Road Map For Inclusive Education India*"** में लिखा की समावेशन की सफलता कक्षाध्यापक के हाथ में है, वही शिक्षा में बदलाव और विद्यार्थियों की प्रगति की कुंजी है क्योंकि शिक्षक को यह विश्वास होता है कि सभी विद्यार्थी योजना अनुसार पढ़े और सीखेंगे इस हेतु शिक्षक का कक्षा में स्वीकरण एवं संगठन विविध विद्यार्थियों के अनुसार होना अनिवार्य है | समावेशी कक्षाओं में प्रभावशाली शिक्षण शिक्षकों की रणनीतियों पर निर्भर करता है | ये रणनीतियां तीन स्तरों पर, **प्रथम** - सीखने के संदर्भ में (पूरे समुदाय के लिए वातावरण निर्मित करना व सकारात्मक अधिगम समूह तैयार करना), **दूसरे** - पढ़ाने के संदर्भ में (विविध सूचनाओं, कार्य विश्लेषण और समेकित पाठ्यक्रम का उपयोग), **तीसरे** - सीखने और पढ़ाने के संदर्भ में (शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित और आगमन विचारों से युक्त) है | अत: समावेशी शिक्षा का विकास शिक्षकों के मूल्यों, अभिवृति, व्यवसायिक गुणवत्ता, अनुभव के साथ प्रशिक्षण और समर्थन पर निर्भर करता है | निष्कर्ष रूप में कहा कि शिक्षक, विद्यार्थी का समावेशी शिक्षण करने में तब ही सफल होगा जब वह न्याय संगत और विविध शिक्षार्थियों को सिखाने के विचार रखे और इसके साथ ही प्रश्न व शोध तथा सहयोगी अधिगम एवं व्यक्तिगत रूप को मान्यता प्रदान करें क्योंकि "शीघ्र और अधिक समावेशित विकास" का सपना समावेशी शिक्षा के द्वारा ही संभव है |

5. कुमार, संजीव और कुमार, खगेन्द्र (2007) ने अपने लेख **"*Inclusive Education in India*"** में लिखा की भारत के 36 मिलियन दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा भारत की 78 %

ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या के लिए कोई विशेष विद्यालय नहीं है इसलिए प्रत्येक समाज में विशेष विद्यालयों के अभाव में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय ही प्रत्येक समाज में एक मात्र वैकल्पिक उपाय है | परन्तु वर्तमान में समावेशी शिक्षण का आधारभूत ढाँचा और शिक्षण की गुणवत्ता बहुत कमजोर है | अतः केन्द्र और राज्य सरकार को समावेशी कक्षा कक्षों के प्रबंधन हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना तथा समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है |

6. **शर्मा, राघवेन्द्र नारायण (2008)** ने अपने शोध "***श्रवण विकलांग बच्चों के शैक्षिक पुनर्वसन की आवश्यकताओं एवं तदनुरूप सुविधाओं का अध्ययन***" करने हेतु उ. प्र. के विशिष्ट विद्यालयों में श्रवण बाधित बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं एवं पुनर्वसन की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए घटनोत्तर अनुसंधान विधि के साथ ही सर्वेक्षण व व्यष्टि अध्ययन का उपयोग किया | अध्ययन में 21 जिलों के 40 विद्यालयों का चयन कर स्वनिर्मित प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं अवलोकन से प्रदत्तों का संकलन किया और आंकड़ों का सांख्यकीय विश्लेषण किया | बच्चों की आवश्यकताओं से सम्बंधित मनौवैज्ञानिक, सामाजिक व व्यवहारिक विकास तथा शैक्षिक प्रगति इत्यादि पर चर्चा की | निष्कर्ष रूप में कहा कि बच्चों के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम और संस्थागत प्रबंधन की आवश्यकता है क्योंकि इनके प्रभाव से अन्य कारकों का शैक्षिक प्रदर्शन, कौशल विकास पर प्रभाव कम तथा सामाजिक एवं व्यावहारिक विकास पर प्रभाव बढ़ सकता है अत: श्रवण बाधित बच्चों के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रबंधन की जरूरत है | इसके साथ ही सामान्य विद्यालयों में समेकित शिक्षा की व्यवस्था करने, श्रवण साधन एवं उपकरण उपलब्ध कराने, विद्यालय खोलने, एक भाषीय सूत्र लागू करने, अभिभावक कार्यक्रम का आयोजन करने, गृह आधारित प्रशिक्षन प्रदान करने, सेमीनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया |

7. **चक्रवर्ती, स्वाती** (2008) ने अपने लेख "***Role Of ICT For Differently Abled Children An Imperative For Inclusive Technology, Digital Diversity And Inclusive Education***" में लिखा की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नि:शक्तता के आधार पर सामान्य शिक्षा प्रणाली एवं अनिवार्य शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता | समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान आधार एवं उचित आवास प्रदान करने, सामान्य शिक्षा प्रणाली को प्रभावी और

सुविधाजनक शिक्षा बनाने, सामाजिक और शैक्षिक वातावरण निर्मित करने एवं व्यक्तिगत अनुसंधान करने की तत्काल आवश्यकता है | उन्होंने भारत में प्रोद्योगिकी के विकास को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक जीवन रेखा माना और उनकी सर्वव्यापी सहायता के लिये उपकरणों का अधिकतम उपयोग कर प्रौद्योगिक विकास की दिशा में सकारात्मक और विचारशील रवैया अपनाने पर बल दिया |

8. **काजली** (2008) ने अपने लेख "***Role Of ICT In Inclusive Education***" में वर्तमान मौजूद प्रौद्योगिकी के महत्व को बताते हुए लिखा जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से की-बोर्ड, माउस का उपयोग करने में सक्षम है वे इनका उपयोग करें क्योंकि साफ्टवेयर प्रयोग की सुविधा के अनुसार उपलब्ध होते है | यह सच है की कम दृष्टि वाले बच्चे पाठ्यपुस्तकों के छोटे आकार के अक्षरों को पढ़ नहीं पाते जबकि शिक्षक द्वारा ब्लेकबोर्ड पर लिखे अक्षर आराम से पढ़ सकते है | अत: शिक्षक विभिन्न स्तरों पर लक्ष्य निर्धारित कर इनका उपयोग सिखाने और रूपान्तरण करने की दिशा में काम कर सकते है | उन्होंने निष्कर्ष रूप में मल्टीमीडिया का नियमित इस्तेमाल करने, विद्यालय में मौजूद प्रौद्योगिकी के बुनियादी सुविधाओं का उचित उपयोग करने एवं प्रोत्साहन देने तथा एक प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए साफ्टवेयर का अधिकतम प्रयोग सीखने में कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए करने पर जोर दिया |

9. **राम, प्रेम शंकर और राम, सुरेन्द्र.** (2008) ने अपने शोध पत्र "***प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य और दृष्टिहीन बच्चों के शैक्षिक अपव्यय सम्बन्धी समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन***" में लिखा कि साक्षरता की देश में महती आवश्यकता है और खास कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में, क्योंकि 63 % नि:शक्तायुक्त बच्चे केवल कक्षा 5 तक ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करते हैं जबकि 37 % बच्चे बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ देते हैं जो मुख्य रूप से चिंता का विषय है | इसलिए शोधकर्ता ने सामान्य और दृष्टिहीन बच्चों के शैक्षिक अपव्यय सम्बन्धी कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण विधि में यादृच्छिक विधि द्वारा 20 सामान्य और 10 दृष्टि हीन विद्यालयों का चयन किया | जिसमें 150 सामान्य और दृष्टिहीन विद्यालयों के 75 शिक्षकों तथा 120 सामान्य एवं 60 दृष्टिहीन विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में शामिल कर किया और शिक्षकों एवं अभिभावकों के शैक्षिक अपव्यय के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत कारणों की विवेचना की | निष्कर्ष रूप में यह कहा कि सामान्य बच्चों की शैक्षिक अपव्यय की दर दृष्टि हीन बच्चों की तुलना में अधिक है | अत: समाज में जागरूकता लाकर, विद्यालयीन वातावरण में सुधार कर एवं बच्चों के लिए निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से

समस्याओं का समाधान किया जाए तथा शिक्षा को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों में मुफ्त पुस्तकें, गणवेश, स्टेशनरी और भोजन आदि की व्यवस्था की जाये ताकि बच्चों के विद्यालय परित्याग करने पर अंकुश लगाया जा सके और समय, श्रम और धन के अपव्यय पर रोका लगाई जा सके |

10. सिंह, अजय कुमार.(2008) ने अपने लेख ***"भारत में समावेशी शिक्षा के स्वरूप"*** में समावेशी शिक्षा के लिये सरकार द्वारा किये प्रयासों को उचित बताया और कहा कि इन प्रयासों से दिव्यांग विद्यार्थियों में आत्म विश्वास व सम्मान की भावना का विकास होगा एवं दिव्यांग और सामान्य बच्चों में सामुदायिक भावना का विकसित होगी |

11. कुमार, संजीव एवं सिंह, सुधाकर प्रसाद.(2008) ने अपने लेख ***"सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण पा रहे स्कूली शिक्षकों के समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन"*** में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षकों की मनोवृत्ति को बाधक माना और शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिये गुणवत्ता लाने में समावेशी शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पर बल दिया है |

12. राव, शैलजा.(2008) ने अपने लेख "***Current Development by NIMH in inclusive Education***" में लिखा शिक्षकों को विद्यालय के 15 % बच्चों के लिए सदैव शैक्षिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है | ज्यादातर पहलुओं में इस संख्या के साथ शैक्षिक और बौद्धिक नि:शक्तता की चुनौतियों से निपटने में धन की कमी, सिखाने की प्रेरणा एवं प्रशंसा का अभाव तथा मान्यताओं की अनदेखी एक खतरा है | नियमित विद्यालयों में उचित साधनों एवं उपयुक्त अध्यापन सामग्री की कमी मूल्यांकन कार्यक्रम को अधिक कठिन बना देती है | एक अन्य कारण विद्यालयी कार्यक्रमों एवं रणनीतियों में प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के पहले नि:शक्तता की पहचान और उपयुक्त उपचार करने में देरी होना है | अत: निष्कर्ष रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, पर्याप्त धन एवं संसाधन की व्यवस्था करने, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से शिक्षकों की नियुक्ति कर सेवा कालीन शिक्षक प्रशिक्षण को शामिल कर देश में प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए उचित मॉडल विकसित किये जाने की बात कही |

13. जार्ज, अब्राहम.(2009) ने अपने लेख "***Role Of Parents In Visual Impairment***" में लिखा कि जब माता-पिता को अपने बच्चों की दृष्टिहीनता के बारे में पता चलता है, वही से ही समावेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है | प्रारम्भिक वर्षों में बच्चों के विकास की अपेक्षा की जाती है तथा बच्चों के माता-पिता और रिश्तेदार उनके

इलाज और उपचार की जरुरत को तलाशते हैं लेकिन उनके इलाज और उपचार में देरी ही बच्चों की निराशा का कारण बन जाती है | इसलिये माता-पिता के द्वारा बच्चों को स्वीकार कर उनके पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही परामर्श और प्रोत्साहन की प्रक्रिया के द्वारा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिये | समावेशन नेत्रहीनों और उनके साथियों दोनों के लिए अच्छा है इसके लिए माता-पिता को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है | समावेशन माता-पिता को प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है, यह बच्चों के प्रवेश एवं सहायता तथा कक्षाओं में शिक्षकों को समाधान खोजने और बच्चों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर बल देता है | इसलिए उन्होंने शिक्षकों, संदर्भ शिक्षकों, विद्यालय प्रबंधक, माता-पिता और समुदाय से सभी की जरुरत के अनुसार सहयोगी के रूप में एक टीम भावना के साथ कार्य करने बल दिया |

14. किनारी(2009) ने अपने लेख **"*Classroom practices for low vision children*"** में दृष्टिबाधित या अक्षम बच्चों को कक्षा-कक्ष में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने, सीखने की प्रक्रियाओं एवं अध्यापन में मदद मिल सकें | इसके लिए शैक्षिक प्रक्रिया को बढ़ाने और बच्चों के सामाजिक एकीकरण के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में दृष्टिबाधित बच्चों का विद्यालयों में नियमित रूप से विशेष नेत्र परीक्षण करने, नैदानिक परीक्षा लेने, पुनर्वास और मार्गदर्शन करने, उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करने, माता-पिता का पूर्ण सहयोग लेने के साथ सिखाने की प्रक्रिया में सार्थक और मनोरंजक प्रयास करने पर बल दिया |

15. बेनर्जी, रुमा(2009) ने अपने लेख "***Effective classroom practices for children with special needs***" में कहा की समावेशी दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र और व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन कर रहा है | इसलिये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट क्षमता का पोषण और उनकी जरूरतों का समर्थन करने की आवश्यकता है | अत: शिक्षकों के ज्ञान व शिक्षण कौशल के तरीकों में सुधार करने और उपलब्ध अनुदेशन सामग्री के उपयोग करने के लिए विशेष संरचना बनाने तथा शिक्षा सेवाओं की भूमिका का समर्थन करते हुए बच्चों की विशेष जरूरतों को जानने और सीखने में भाग लेने के लिए सक्षम बनाए ताकि शिक्षा के वांछित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके |

16. (2009) "*Creating Awareness On Visual Impairment: An Initiative of SSA Rajasthan*" लेख से पता चला कि राजस्थान में वर्ष 2004 में 4,222 दृष्टिहीन बच्चों की पहचान कर उसमें से 3,313 का तथा

वर्ष 2008 में 28,824 की पहचान कर 28,580 का विद्यालयों में नामांकन किया गया इस कार्य में डॉक्टर, ए.एन.एम., शिक्षकों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली गयी और दृष्टिहीन व्यक्तियों के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न की | इसीलिए सर्व शिक्षा अभियान के अधीन सभी विद्यालयों में जाँच सूची, मेडिकल जाँच शिविर का आयोजन एवं माता-पिता को परामर्श तथा शिक्षकों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है | अत: दृष्टिहीन बच्चों के शिक्षण के प्रावधानों में - आवासीय ब्रिज कोर्स का आयोजन कर ड्राप आउट नेत्रहीन बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने, कौशल विकास के शिविर का आयोजन कर प्रशिक्षण देने, कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यपुस्तकों का अनुवाद और छपाई ब्रेल लिपि में कर वितरण करने, प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन कर कम उपलब्धि वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कर विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करने, जरुरत मंद नेत्रहीन बच्चों को सहायक उपकरण, आवश्यक उपचार व दवाईयां उपलब्ध कराने, साथ ही नेत्रहीन बच्चों को सशक्त बनाने और उनकी शिक्षा तथा पुनर्वास के लिए समाज में जागरूकता उत्पन्न करने पर जोर दिया |

17. मित्तल, ए. के. (2009) ने अपने लेख **"*Role Of NGO's In The Education Of The Visually Impaired*"** में कहा कि गैर सरकारी संगठन स्वतंत्रता पूर्व से ही दृष्टिहीन बच्चों को व्यावसायिक रूप से शिक्षा देने और उनके पुनर्वास करने के लक्ष्य को प्राप्त कराने में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे है | यह संगठन गैर सरकारी क्षेत्र में सस्ती सेवा प्रदान करने में सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करता है | वर्तमान समय में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना एक चुनौती भरा और कठिन कार्य है | अत: गैर सरकारी संगठन ही पूर्ण समर्पित और समय सीमा में इस कार्य को पूर्ण करने की कुंजी है इसलिये सरकार और सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन की साझेदारी में साथ-साथ कार्य कर रहे है क्योंकि ये संगठन दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों जैसे-नीति निर्धारण, योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाते है | उन्होंने इन संगठनों को पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन देने पर जोर दिया |

18. शर्मा, उमेंश., मुरे, डेनिस और सोनावाने, संजीव (2009) ने अपने शोध पत्र "***Attitude And Concern Of Pre-Service Teacher Regarding To Inclusion Of Student With Disabilities In To Regular School In Pune, India***" में सेवा-पूर्व शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिरूचि और दृष्टिकोण जानने के लिए पुणे

विश्वविद्यालय के बी.एड. कक्षा में अध्ययनरत 480 शिक्षकों को अपने अध्ययन में शामिल किया और निष्कर्ष रूप में पाया की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सेवा-पूर्व शिक्षकों का नजरिया और उनकी धारणा नकारात्मक थी | साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों के विचारों का स्तर मध्यम दर्जे का तथा शिक्षण एवं उत्साह भी निम्न स्तर का है और सेवा पूर्व शिक्षकों की एक बड़ी संख्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ एवं संपर्क में नहीं रहती है | दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की जरुरत को पूरा करने के लिए उन्होंने निम्न सुझाव दिए जैसे - शिक्षकों को नियमित तैयारी करने, सामान्यीकरण की क्षमता विकसित करने, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसंधान और अपने कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को पर्याप्त एवं सुनिश्चित बनाने, संपर्क कार्य को व्यवस्थित करने के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षकों और समुदाय के लोगों का नजरिया बदलने की आवश्यकता पर बल दिया |

19. कुमार, संजीव.(2011) ने अपने लेख "***बिहार में महा दलित बालकों की शिक्षा और उनका समावेशी विकास***" में बिहार सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के लिये चलाई गई विभिन्न योजनाओं को समावेशी और ठोस विकास की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम बताते हुए इसे महादलित बच्चों के विद्यालय में नामांकन, उपस्थिति एवं छंटनी जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने का साधन माना साथ ही उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने व विकास का भागीदार होने के लिये भी आवश्यक समझा |

20. पाण्डेय, वंदना.(2012) ने अपने शोध "***ग्रामीण सामजिक संरचना में विकलांग पुनर्वास कार्यक्रमों का प्रभाव"*** में दिव्यांग जनों के पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का पता लगाने एवं कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक जागरूकता तथा दिव्यांग व्यक्तियों की विविध समस्याओं को जानने के लिए उ. प्र. के वाराणसी मंडल के चार जनपदों में स्थित गाँवों, दिव्यांग जन पुनर्वास संस्थानों एवं कार्मिकों का यादृच्छिक प्रतिदर्श के आधार पर चयन कर एवं स्वनिर्मित प्रश्नावली और साक्षात्कार के प्रयोग से आंकड़ों का संग्रहण किया और विश्लेषण हेतु उपयुक्त सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया | प्राप्त परिणामों के आधार पर सुझाव दिए की ग्रामीण दिव्यांग जनों में अन्त: चेतना का विकास करने, तकनीकी शिक्षा का प्रबंध करने, शासन की योजनाओं को पूर्णतया लागू करने, लैंगिक भेदभाव को दूर करने, संगोष्ठियों का आयोजन करने, विकास खंड स्तर पर

पुनर्वास संबंधी विभिन्न कानूनों की जानकारी देने, दिव्यांग पुनर्वास प्रकोष्ठ का गठन करने, कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाने को आवश्यक माना |

21. विलानिलम, जे.वी. (2012) ने अपने लेख "***भारत में शिक्षा व्यवस्था***" में लिखा की आधुनिक शिक्षा की शुरुआत 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हुयी | परम्परागत शिक्षा गुरुकुल और अन्य संस्थाओ में होती रही परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गयी | पिछले 65 वर्षों में पढ़ने और पढ़ाने के तरीको में परिवर्तन के साथ सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना, शिक्षक शिक्षा योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा विद्यालय आदि ने विद्यालयीन बच्चों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि की परन्तु दूसरी तरफ पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती गयी | आज भी भारतीय समाज में लिंग भेद मौजूद है जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर चिंता का विषय है | अत: नवीन राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था विकसित करने, त्रिभाषा नीति को जोर शोर से चलाने, अंग्रेजी शिक्षा देने तथा तकनीकी विषयों की जानकारी देने के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा देने, विद्यालय भवन और सुसज्जित कक्षाए लगाने एवं आधुनिक तकनीकी का उपयोग से शिक्षा के सभी क्षेत्रों में वृद्धि और विकास करने पर जोर दिया |

22. प्रपन्न, कौशलेन्द्र (2012) ने अपने शोध पत्र "***भारत में प्राथमिक शिक्षा***" में लिखा कि विश्व के 150 देशों के नीति नियंताओं ने डकार घोषणा में यह स्वीकार किया कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे भविष्य के लिए खास हैं | अत: शिक्षा और विद्यालय से वंचित बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाना चाहिये लेकिन वर्ष 2015 तक भी यह लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है इसका प्रमुख कारण यह है की इसके लिए जिस तत्परता और रणनीति की जरुरत है वह अभी भी नहीं है और शिक्षा बजट को 6 % किये जाने की प्राथमिकता अभी तक तय नहीं हो पायी है, वह आज भी 3.5 प्रतिशत ही है | 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के 15 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं जबकि 0 से 14 आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या 35 करोड़ 95 लाख है | ये बच्चे स्वस्थ, सुरक्षित और स्कूल जाने के योग्य भी नहीं है | इसका प्रमुख कारण यह है कि छह दशक बीत जाने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस गति की उम्मीद थी वह नहीं आ पायी है | आज भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जाती है और गुणवत्ता की कसौटी पर आज भी प्राथमिक शिक्षा पिछड़ी नजर आ रही है | अत: आवश्यकता है कि हम अपनी रणनीतियों, योजनाओं तथा कार्य योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करें |

23. अग्निहोत्री, कल्पना और यादव, अनुपमा (2012) ने अपने लेख "***Inclusive Education In India : Challenges And Opportunities***" में समावेशी शिक्षा के अवसर और चुनौतियों को जानने के लिए एक्शन प्लान के उद्देश्यों का निर्धारण कर अपने अध्ययन में 0 से 6 वर्ष एवं 6 से 14 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और 14 से 21 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों को शामिल किया एवं निष्कर्ष को चार भागों में विस्तार दिया | प्रथम भाग में शिक्षा की मुख्यधारा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन बढ़ाने, दूसरे भाग में बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विद्यालयों में आवश्यकता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने, सीखने की योग्यता का विकास करने, संगठनात्मक व्यवस्था एवं शिक्षण प्रणाली में सुधार करने, पाठ्यक्रम में सुधार करने और समाज में सहयोगी भूमिका निभाने की बात कही | तीसरे भाग में व्यावसायिक और उच्च शिक्षा सहायता के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षित भाग निर्धारित करने और बाधा रहित सीखने का वातावरण निर्मित करने एवं चौथे भाग में नि:शक्तता पर प्रकाश डालने वाले शोध, शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की स्थापना पर बल दिया है |

24. आस्था, भार्गव, स्मृति और वत्स, राजीव (2012) ने अपने पत्र "***Inclusive Education For Disabaled At Secondary Stage In Haryana: Inputs And Action Required***" में लिखा कि समावेशी शिक्षा को सफलता पूर्वक स्थापित करने के लिए योजना की रूपरेखा, कार्य की योजना, वित्तीय स्त्रोत एवं मानवीय संसाधनों के साथ आधारभूत संरचना की महती आवश्यकता होती है इसलिए उन्होंने सलमानका विवरण पत्र-1994, डकार घोषणा-2000, विश्व घोषणा-1990 आदि के आधार पर हरियाणा में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए उद्देश्य का निर्धारण कर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त 14 से 18 वर्ष आयु के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विविध दिव्यांग बच्चों को शोध में शामिल किया | समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न बिंदुओं जैसे-डकार फ्रेम वर्क के अनुसार शिक्षण की राष्ट्रीय योजना बनाने, परिवार और सामाजिक संगठनों से बातचीत एवं संपर्क करने, विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा को पूर्णतया लागू करने के लिए शिक्षा बजट में विशेष प्रावधान करने, सभी स्तरों पर बच्चों का नामांकन करने, स्वयं सेवी संगठनों और समुदाय आधारित एजेंसियों को प्रशिक्षण एवं सहायता देने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक जागरुकता लाने के लिए बिना रुकावट प्रवेश देने तथा उच्च प्राथमिकता को निर्धारित करने, अनुभव एवं प्रयोग को बांटने के साथ-साथ समावेशी शिक्षा को विकसित करने पर बल दिया |

25. सुधांशु, आर.के.(2012) के शोध पत्र **"*Addressing The Challenges Of Inclusive Education In Uttarakhand*"** के अनुसार नए राज्य के गठन के बाद प्राथमिक स्तर पर सभी को गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को लेकर समावेशी शिक्षा को लागू किया परन्तु उसके परिणाम संतोषजनक नहीं मिले | राज्य के 2.1 % विकलांगों में से 1.35 % प्राथमिक तथा 0.32 % माध्यमिक स्तर पर नामांकित थे तथा 25 % से कम बच्चों को आवश्यक सहायता एवं उपकरण प्राप्त हुए तथा गैर सरकारी संगठन भी केवल शहरी क्षेत्रों मे ही कार्यरत थे | विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के बाद राज्य सरकार की उदासीनता, प्रशासनिक लापरवाही, शिक्षकों की अनिच्छा, दिव्यांग बच्चों के माता पिता एवं सामाजिक संगठनों को समावेशी शिक्षा की असफलता के लिये जिम्मेदार माना क्योंकि अक्षम और कमजोर वर्ग को समान अवसर उपलब्ध न होने से शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका है और समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नीतियों में बदलाव की आवश्यकता भी महसूस की गयी | अतः विभिन्न प्रभावित या संबद्ध पक्षों (stakeholders) एवं योजनाओं का स्वोट विश्लेषण (SWOT Analysis) करने के बाद राज्य सरकार को तीन पॉलिसी विकल्प प्रस्तुत किये | पहले विकल्प में यथास्थिति को बनाए रखने, दूसरे विकल्प में निजी करण करने के लिए निजी संगठनों को जिम्मेदारी सौंपने, तीसरे विकल्प में सभी हितधारकों के सक्रिय समर्थन के साथ समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करना है | निष्कर्ष रूप में तीसरे नीति विकल्प के सर्वोत्तम होने से इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने की सिफारिश की |

26. भरत कुमार नायक.(2012) ने अपने शोध पत्र "***Implementing Clause 12 Of Right To Education Act 2009 In Udaipur Dist. Rajasthan: Letting Disadvantaged Children Down*"** **में** शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों को लागू करने में सरकारी अधिकारियों की भूमिका का आकलन करने तथा निजी विद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में किये जाने कार्यों एवं इस खंड की प्रभावशीलता का उच्च व निम्न जाति/वर्ग के अभिभावकों की धारणा जानने हेतु उदयपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 100 निजी विद्यालयों का चयन कर अध्ययन किया | निष्कर्ष रूप में पाया कि शहरी क्षेत्र के नौकरशाह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 के कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय हैं क्योंकि यहाँ का समुदाय और मीडिया शिक्षित और सक्रिय है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के नौकरशाह कम सक्रिय है तथा समुदाय और पंचायत सदस्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण जानकारी नहीं होने तथा उनमें भी सक्रियता नहीं होने के कारण समाज में शिक्षा से वंचित बच्चों के प्रति कोई भी

चिंतित नही है | सुझाव के रूप में लिखा की अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सरकार को परिवहन, स्टेशनरी, भोजन व गणवेश आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराना चाहिए |

27. कालिता, मीना (2013) ने अपने शोध "***A Study Of The Inclusive Education Programme For Disabled Children Under Sarva Shiksha Abhiyan Mission In Assam***" में असम राज्य में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और प्रावधानों के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की पहचान, नामांकन, साधन और उपकरण की व्यवस्था, कार्यक्रम की निगरानी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मुख्यधारा में समावेशन करने एवं शिक्षकों व अभिभावकों के अभिप्रेरित करने आदि का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग किया | चयनित विद्यालयों के विभिन्न हितधारकों से साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग कर प्रदत्तों का संकलन किया | आंकड़ों के संग्रहण हेतु 7 जिलों, 52 ब्लॉक, 140 विद्यालयों, 56 स्त्रोत शिक्षकों, 280 कार्यकर्ताओं तथा 140 अभिभावकों को न्यादर्श के रूप में शामिल किया | आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर दिव्यांग बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करने, संदर्भ शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स लाने, गृह आधारित शिक्षण में वृद्धि करने, दिव्यांग बच्चों को गणवेश व छात्रवृत्ति प्रदान करने का सुझाव दिया |

28. स्ली, रोजर (2013) ने अपने पत्र "***Meeting Some Challenges of Inclusive Education in Age of Exclusion***" में लिखा की वैश्विक स्तर पर बहिष्करण विशेष रूप से सामाजिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है | अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और सम्मेलनों में 'सभी के लिए शिक्षा' की चुनौती एवं पुष्टि को लिया गया एवं तेजी से बढ़ते हुए शिक्षा मानकों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए प्रस्तुत किया तथा एक ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो गरीबी का आकलन कर गंभीर चिंता करे और कमजोर वर्ग के व्यक्तियों पर होने वाले हानिकारक प्रभाव की विकृति को प्रदर्शित करे क्योंकि बहिष्करण सूक्ष्म अभिव्यक्तियों द्वारा सामाजिक और शिक्षा नीति के अन्य पहलुओं को खत्म कर रहा है अत: समावेशन को बहिष्करण के ढाल के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये | वर्तमान समय में समावेशन एक चुनौती के रूप में खड़ा है यदि सम्पूर्ण भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालय और आवासीय व्यवस्था कर दी जाए तो भारतीय समाज में समावेशन की समस्या से निपटने का एक उत्तम तरीका होगा |

29. तुली, उमा (2013) ने अपने लेख "***समावेशी शिक्षा:एक वास्तविकता***" में लिखा की भारत में बीस करोड़ स्कूली बच्चों की उम्र 6 से 14 वर्ष हैं जिनमें से 10 % को भी नियमित शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है तथा 5 % से भी कम नि:शक्त बच्चों का विद्यालयों में दाखिला नहीं हो पाता है | इन प्रवेशी नि:शक्त बच्चों में से 40 % मूलभूत शिक्षा और 20 % निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी पूरी नहीं करते हैं | नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के लिये बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन आज भी एक चुनौती है | समावेशी शिक्षा के लाभ बताते हुए उसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक सुविधाओं व संसाधनों की उपलब्धता, लचीले पाठ्यक्रम का विकास, विभेदों का उन्मूलन तथा दिव्यांग बच्चों के विद्यालयों में दाखिले पर ध्यान देने के साथ समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए एकल मंत्रालय के गठन करने पर जोर दिया |

30. विद्यानाथन, एस. और देवन, के. (2013) ने अपने लेख "***Inclusion Of Disabled Children In General School In Puducherry***" में पुडुचेरी के सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन का अध्ययन किया और कहा की वर्तमान समय में दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा के सामान्य विद्यालयों में जोड़ने की अवधारणा देश की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है | 1974 में प्रारम्भ की गयी नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना में देश के 15,000 विद्यालयों के 65,000 दिव्यांग बच्चों को इस योजना के तहत पुस्तकें, स्टेशनरी, गणवेश, परिवहन भत्ता, पाठक और अनुरक्षण आदि की सुविधाएँ प्रदान की गयी है | इसी क्रम में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना और सर्व शिक्षा अभियान में भी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को लागू किया गया है जिसका लक्ष्य भी सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है | इस पत्र में पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश के सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किये जाने के तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष रूप में कहा कि सामान्यतया दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों एवं समाज की मुख्यधारा से बाहर रखा जाता है इसलिए उन्हें समाज में अपनी भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ता है इस तरह देश की प्रतिभाओं को बर्बाद नहीं किया जा सकता है | पुडुचेरी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विभिन्न योजनाओं के तहत मुख्यधारा में अच्छा माहौल, बुनियादी ढांचा, विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, बुनियादी सुविधाएं, उपकरणों की व्यवस्था व बाधारहित वातावरण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है |

31. पटेल, मुस्ताक अहमद और अंसारी, मोहसीना अंजुम.(2013) ने अपने शोध लेख "***Education of Differently Abled Children: Governmental Interventions And Attainments***" में लिखा कि जैसे गुलाब अपनी एक पत्ती और पेड़ अपनी कुछ पत्तियाँ खोने के बाद भी उपयोगी बना रहता है उसी प्रकार से मनुष्य भी शारीरिक क्षति होने के बाद उपयोगी एवं सक्षम बना रहता है क्योंकि व्यक्तियों की क्षमताओं को समझने के लिए मानवतावादी मूल्यों के साथ व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार एक समावेशी समाज को माता-पिता, शिक्षक, पेशेवरों और अन्य समुदाय के सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है | इसलिये स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यालय सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में अहम भूमिका निभाता है और सरकार भी नित नवीन पहलुओं के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती है | इसलिये अपने पत्र में भारत में विविध नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के समूह का पता लगाने और उनको शिक्षित करने के लिए लागू समेकित शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान के अधीन प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं उपलब्धियों की व्याख्या की तथा योजनाओं के उद्देश्यों, रूपरेखा, नवीन अवसरों की भी खोज की जिनसे योजना निर्माताओं, योजनाकारों और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में कार्य कर रहे व्यक्तियों को मदद मिल सकें | निष्कर्ष रूप में कहा की सभी को साथ लिए बिना सम्पूर्ण समाज को शिक्षित नहीं किया जा सकता इसलिये अभिभावकों, शिक्षकों और व्यावसायिकों एवं अन्य समाज सेवी सदस्यों को इस कार्य में सहयोग करना चाहिये |

32. भटनागर, निशा और दास, अजय(2013) ने अपने शोध पत्र "***Nearly Two Decades After The Implementation Of Persons With Disabilities Act: Concerns Of Indian Teachers To Implement Inclusive Education***" में समावेशी शिक्षा पर शिक्षकों के दृष्टिकोण को जानने के लिए 470 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में चुना और आंकड़ों कों प्राप्त करने के लिए दो भागों में प्रश्नावली तैयार की तथा आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचन के लिए 'टी' टेस्ट का उपयोग किया | परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालयों का स्तर मध्यम स्तर का पाया गया जो कि समावेशी शिक्षा की योजना के निर्माण के लिए मुख्य विचार का विषय है | 95 % शिक्षकों ने यह माना की उन्हें विशेष शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि भारत में शिक्षकों को प्रशिक्षण

देने के कार्यक्रम की रुपरेखा विभिन्नता लिए हुए है | इसलिए निष्कर्ष रूप में शिक्षा की मुख्यधारा में सफल समावेशन के लिए शिक्षक को ही मुख्य उपकरण माना एवं समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक और युनेस्को की सहायता से अन्य समूहों की मदद की आवश्यकता पर जोर दिया |

33. राय, संगीता(2013) ने अपने लेख "***सर्व शिक्षा अभियान: शैक्षणिक गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन***" में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन उनकी गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में किया और इस हेतु विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों को आधार बनाया | जबलपुर जिले की 08 प्राथमिक शालाओं के 160 विद्यार्थियों से साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष रूप में यह कहा कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए दक्षता संवर्धन कार्यक्रम की निगरानी करना बहुत जरूरी है | उन्होंने शैक्षिक गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की कमी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, परिवार की आर्थिक स्थिति तथा शैक्षिक स्तर को बाधक माना और सरकार एवं प्रशासन तंत्र में सुधार करने, निदानात्मक कक्षाएँ लगाने और शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में न लगाने पर जोर दिया |

34. देवी, वाय.राजलक्ष्मी.(2013) ने अपने शोध पत्र "***Integration of the Hearing Challenged Children: Prospects and Challenges***" में बताया की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय आने से रोकने में व्यावहारिक बाधाएं अधिक है और दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एकीकरण में गैर दिव्यांग व्यक्तियों का नजरिया भी एक प्रमुख बाधा साबित हो रहा है | श्रवण बाधित बच्चों को सामान्य और सामुहिक कक्षा में एकीकृत करने के लिए गैर दिव्यांग बच्चों, उनके माता-पिता, शिक्षकों और सम्पूर्ण समाज द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है | दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में समावेशित करने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के साथ ही समाज के नजरिये और नैतिक मूल्यों में सकारात्मक सामाजिक बदलाव को अत्यंत आवश्यक बताते हुए कहा कि जब बच्चे बचपन में समान अवसर को साझा करेंगे तभी वें समाज के वयस्क सदस्य होने पर वैसा ही व्यवहार आपस में एक दूसरे के प्रति करेंगे | उन्होंने वर्तमान समय में एकीकृत समाज के विकास के लिए दिव्यांग और सामान्य बच्चों के बीच व्याप्त अवरोध को दूर करना दोनों ही श्रेणियों के लिए लाभ दायक बताया साथ ही श्रवण बाधिता की समस्या को एक संचार सम्बन्धी बाधा माना और कहा कि जब तक संचार की बाधा को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जाता तब तक श्रवण बाधित बच्चे आंशिक या पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं | अत: निष्कर्ष रूप में एकीकृत

समाज की स्थापना करने और सामाजिक एकीकरण में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा को एक मिशन के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया |

35. गौतम, नीरा और सिंह, रजनी रंजन.(2013) ने अपने लेख "***बिहार में विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप और विकास***" में विद्यालयी ढाँचे के विकास एवं शैक्षणिक माहौल पर विचार कर विद्यालय में नामांकन और ठहराव की दर को बढाने के कार्यक्रमों और मौजूदा साधनों की उपलब्धता ध्यान केंद्रित किया और सुझाव के रूप में कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन करने, विद्यालयीन व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने और प्राथमिक शिक्षा का नियोजन एवं उनके अनुरूप क्रियान्वयन करने पर बल दिया |

36. जैन, अशोक और कुमार, अक्षय.(2013) ने अपने शोध पत्र "***A Survey of Government Policies to Improve the Primary Education in Rajasthan***" में लिखा कि राजस्थान राज्य में शिक्षा की व्यूह रचना में अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा एक मुख्य चुनौती है इसलिए राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की विकास की धीमी गति का पता लगाने के लिए राज्य में लागू विभिन्न सरकारी नीतियों को आधार माना और प्राथमिक शिक्षा के स्तर की जाँच की | निष्कर्ष के रूप में पाया कि राज्य में नियमित शिक्षा प्रणाली समाज के अलाभान्वित समूह को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में असफल रही है इसलिए यह सुझाव दिया कि 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को समावेशी शिक्षा की नीति का समर्थन कर उसे सम्पूर्ण राज्य के समस्त विद्यालयों में पूर्णरूप से लागू किया जाना चाहिये |

37. कौल, पल्लवी (2014) ने अपने शोध "***A Study of Status of Inclusion of Children With Special Needs At The Elementary School Level***" में प्राथमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशन की स्थिति जानने के लिए दिल्ली के शासकीय प्राथमिक समावेशी विद्यालयों में अध्ययनरत श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित विद्यार्थियों का चयन कर सर्वेक्षण विधि का उपयोग कर अध्ययन किया | निष्कर्ष रूप में समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सरकार को नीतियों के लिए उत्तरदायी बनाने, निगरानी हेतु सटीक प्रणाली की स्थापना करने, सेवा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम को लचीला बनाने व सीखने-सिखाने की सामग्री की उचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया |

38. शुक्ला, संजीव कुमार (2014) ने अपने शोध "***सामान्य तथा दिव्यांग बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, व्यक्तित्व, समायोजन तथा प्रतिबल का तुलनात्मक अध्ययन***" में सामान्य तथा दिव्यांग बालकों एवं बालिकाओं के व्यक्तित्व, शैक्षिक उपलब्धि, समायोजन एवं प्रतिबल का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु 12 उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं का निर्धारण कर म. प्र. के ग्वालियर जनपद के हाई स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 10 के 250 सामान्य और 250 दिव्यांग विद्यार्थियों का चयन किया और सर्वेक्षण अनुसंधान विधि के माध्यम से मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा आंकड़ों का संकलन कर उनका सांख्यिकीय विधियों द्वारा विश्लेषण किया | निष्कर्ष रूप में पाया कि दिव्यांग विद्यार्थियों की तुलना में सामान्य विद्यार्थी उच्च शैक्षिक उपलब्धि रखते है एवं बालिकाओं की तुलना में बालकों की उच्च शैक्षिक उपलब्धि है, जबकि बालिकाओं में उत्तम संवेगात्मक तथा उच्च शैक्षिक समायोजन होता है | अत: सुझाव दिया कि दिव्यांग विद्यार्थियों के समायोजन, प्रतिबल व व्यवहारिक कठिनाइयों पर विशेष ध्यान देकर तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने की आवश्यकता है |

39. गुप्ता, प्रियंका और कामथ, आशा (2014) ने अपने लेख "***Fulfillment Of Norms And Standards In Elementary School As Per Act 2009-A Status Study***" में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानदंडों और मानकों की प्राथमिक विद्यालयों में स्थिति जानने के लिए 12 शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों से अनुसूची के माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया और विश्लेषण करने पर यह पाया कि 67 % विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात तथा 91.66 % विद्यालयों में शिक्षण-अधिगम के उपकरण उपलब्ध नहीं थे जबकि 83.33 % विद्यालयों में छात्रों के मान से कक्षा-कक्ष और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी | यह भी पाया कि विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात उचित नहीं होने के कारण वे व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं | अत: निष्कर्ष रूप में यह सुझाव दिये कि विद्यालयों में उचित बैठक व्यवस्था करने, पढ़ाने का वातावरण उपलब्ध कराने, सिखने-सिखाने की उचित विधि को अपनाने, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि की जाये तथा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए पुस्तकालय, खेल मैदान एवं शिक्षण उपकरण आदि की उचित व्यवस्था की जाये |

40. दास, आशिमा और कत्तुमुरी, रुथ. (2014) ने अपने शोध पत्र "***Children With Disabilities In Private Inclusive School In Mumbai, Experiences And Challenges***" में मुंबई में निजी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा की नीति का गुणात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण कर समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष आवश्यकता

वाले बच्चों को प्राप्त लाभ और चुनौतियों पर चर्चा की | समावेशी शिक्षा में बच्चों की भागीदारी में वृद्धि कर उनके बहिष्करण को कम करने और शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने के लिए समावेशी सिद्धान्तों को अपनाने के साथ दिव्यांग और सामान्य बच्चों से लगातार बातचीत करने, शिक्षाविदों एवं सामाजिक क्षेत्रों के सक्रिय सदस्यों को प्रोत्साहित करने, संसाधन शिक्षकों को सहायता देने, विद्यालय में समायोजन करने तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और शिक्षकों के सामने आने वाली पर चुनौतियों पर प्रकाश डाला |

41. कृष्णाराव, गौरव मंगेश (2015) ने अपने शोध पत्र "***A Study of Awareness of School Teacher Towords Right To Education Act* -2009"** में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने के सम्बन्ध में निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों का पता लगाने तथा अधिनियम के बारे में शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करने के लिए वर्णनात्मक विधि का प्रयोग कर 10 निजी एवं सरकारी विद्यालयों के 50 शिक्षकों जिसमें 25 पुरुष व 25 महिलाओं का चयन किया गया | निष्कर्ष रूप में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूकता में निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर नहीं हैं परन्तु पुरुष व महिला शिक्षकों के बीच महत्वपूर्ण रूप में अंतर व्याप्त है तथा महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुषों में अधिनियम के प्रति जागरूकता अधिक है | निष्कर्ष रूप में महिला शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन करने, इन सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया |

42. पाल, शशि (2015) ने अपने शोध पत्र "***Right To Education Act In Uttar Pradesh : Gaps And Challenges"*** में कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए समुदाय स्तर पर जागरूकता लाने और समुदाय को पूर्ण रूप से अवगत कराने की जरुरत है ताकि अधिकारों के हनन होने पर दावा कर सके | अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित संशोधन करने, वित्तीय प्रावधानों की व्यवस्था करने, व्याप्त विसंगति को दूर करने पर जोर दिया ताकि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के साथ बुनियादी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके | साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाने पर जोर दिया क्योंकि ऐसे कार्यों से शिक्षकों का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है |

43. पाण्डुरंग, पाटिल स्वाती (2015) ने अपने शोध "***A Study of Management of Inclusive Education In Priamary Schools of Kolhapur District***" में प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रबंध का अध्ययन करने के लिए कोल्हापुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों का चयन समावेशी शिक्षा की अकादमिक योजना का अध्ययन कर पाया की विद्यालयों में समावेशन की नीति में बदलाव कर प्राथमिक शिक्षा की नीति को अधिक प्रभावी बनाने तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति शिक्षकों, सामान्य बच्चों के अभिभावकों एवं गैर दिव्यांग विद्यार्थियों का रवैया बदलने की जरूरत है | सुझाव रूप में लिखा कि समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों को अधिक संवेदनशील होने, अधिकारियों तथा प्रधान अध्यापकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने, सभी प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, उचित उपकरणों और तकनीक की व्यवस्था करने, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति करने, कार्यशाला आयोजित करने, अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने की बात कही साथ ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का निर्धारण करते समय बच्चों के मानसिक स्तर, रुचियों और सीखने की क्षमताओं पर विचार करने का सुझाव दिया |

44. सिंह, जे. डी. (2016) ने अपने शोध लेख "***Inclusive Education In India- Concept, Need And Challenges"*** में समावेशी शिक्षा के अवधारणा, महत्व, चुनौतियाँ एवं भारत में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के मापदन्डों का उल्ल्लेख किया | निष्कर्ष रूप में लिखा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है | अत: समावेशी शिक्षा के माध्यम से समावेशी समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने की एक मात्र विधि समावेशन या समावेशी शिक्षा ही है जिसके द्वारा दिव्यांग बच्चे की चिंता और सुरक्षा किया जाना संभव है | एक अच्छी समावेशी शिक्षा ही सभी विद्यार्थियों को कक्षा में एक समान भागीदारी प्रदान करती है अत: शिक्षकों, अभिभावकों एवं सामाजिक प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग एवं भागीदारी के साथ पूर्ण प्रयास से बेहतर और अधिक समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना चाहिए |

45. जोशी, रेनू (2016) ने अपने शोध "***A Study of The Effects of Sensory Integration Therapy on Academic Achivment And Overall Adjustment of The Children With Learning Disabilities In Inclusive Institutions of Delhi***" में दिल्ली की समावेशी संस्थाओं में सीखने में अक्षम विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि

और समग्र समायोजन पर संवेदी एकीकरण थेरेपी के प्रभाव का अध्ययन कर पाया कि अक्षम विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि (पढ़ने, लिखने व गणितीय) प्रदर्शन में हस्तक्षेप के बाद उच्च स्तर की वृद्धि हुई है तथा संवेदी एकीकरण थेरेपी सीखने में अयोग्य विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि और समग्र समायोजन में सुधार लाने में बहुत प्रभावी है | उन्होंने शिक्षकों के साथ सम्बन्ध विकसित करने, सामाजिक कौशल पर कार्य करने, आचरण में बुनियादी नियमों की स्थापना करने, नियमित रूप से बच्चों के साथ संवाद करने, विद्यालयों में संसाधन कक्ष को सुव्यवस्थित करने, समावेशी विद्यालयों में पूर्णकालिक विशेष शिक्षकों एवं परामर्शदाता की नियुक्त करने एवं विद्यालयों में संवेदी एकीकरण उपकरण सहित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के सुझाव दिए |

2.4 समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में विदेशों में किये गए प्रमुख शोध अध्ययन, शोध पत्र एवं लेख की समीक्षा:-

1. **स्ली, रोजर** (2001) ने अपने लेख "***Social Justice And The Changing Direction In Education Research: The Case Of Inclusive Education***" में समावेशी शिक्षा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष शिक्षा की परम्परागत धारणाओं के विरुद्ध बहस के साधन तथा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का पक्षधर माना | शिक्षा अनुसंधान और सामाजिक न्याय के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विचारों में एक रूपता हो इसलिए उन्होंने अनुसंधान में सामाजिक न्याय और छात्रों की कमियों को जानने के लिए आवश्यक बताया और अपने पत्र को मानव अधिकारों के विकास और उनकी पुन:स्थापना के रूप में शिक्षा और अक्षमता पर आधारित किया | प्रथम भाग में कहा कि समावेशी शिक्षा तकनीकी समस्या नहीं है बल्कि सांस्कृतिक एवं राजनीतिक है क्योंकि समावेशन सभी नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है | दूसरे भाग में विद्यालयीन समावेशन, शैक्षिक अनुभव और परिणामों से सम्बन्धित है जो मानव अधिकारों से वंचित एवं जाति, धर्म, लिंग, नि:शक्तता और वर्ग के आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा से बाहर निकालने के खिलाफ एक परियोजना के रूप में है तथा तीसरा भाग समावेशन को आत्मसात करने और उसे सामान्य बनाने के लिए एक पर्याय के रूप में है |

2. **पिजल, सिप जे. और हम्सटर, डोरियन** (2005) ने अपने शोध पत्र "***Assessing Pupil development and education in an inclusive setting***" में लिखा की नीदरलैंड में पूर्ण समावेशन के प्रयोगात्मक मूल्यांकन करने के लिए

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सम्बन्धी आँकड़ों का समूह लिया गया | मूल्यांकन में सामाजिक भावनात्मक, छात्र व्यवहार और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया | स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए 24 विद्यार्थियों की फाइलों का अध्ययन उनके विकास और शिक्षण के मूल्यांकन में किया गया | मूल्यांकन में 07 विद्यार्थियों के परिणाम चिंता ग्रस्त थे जबकि शेष 17 विद्यार्थी औसत या उससे ऊपर पाए गए जिनके निष्कर्ष की तुलना माता-पिता और शिक्षकों के साथ की गयी | 71 % को विकसित और समावेशी शिक्षा के अनुरूप माना इनमें से 58 % का विद्यालयीन कामकाज एवं सामाजिक, भावनात्मक विकास और शिक्षा की गुणवता का मूल्यांकन सकारात्मक रहा | अभिभावकों और शिक्षकों के साक्षात्कार से प्राप्त गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण में पाया कि शिक्षक और अभिभावक अपने बच्चों के मूल्यांकन के प्रति अधिक सकारात्मक थे | उन्होंने अपने निष्कर्ष में कहा कि 29 % विद्यार्थियों ने समावेशन की प्रक्रिया को अपने दैनिक व्यवहार में स्वीकार नहीं किया इसलिये उनकी शिक्षा की गुणवता एवं विकास में कमी पाई गई है | अत: इन विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षा ही एक मात्र विकल्प है | क्योंकि अभिभावक एवं शिक्षक भी विद्यार्थियों की समस्याओं को जानने, समझने और उसके लिए कार्य करने में असमर्थ है | इसलिए यह आवश्यक है कि सभी वर्गों एवं समुदायों के लोगों को इस कार्य से जोड़ा जाए ताकि समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त किया जा सके |

3. हेम्मिंग, ब्रेन और वुडकोक, स्टुअर्ट (2011) ने अपने शोध पत्र "***preservice teacher view of inclusive education"*** में जो समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों के दृष्टिकोण जानने के लिए सर्वेक्षण शोध विधि में सामग्री विश्लेषण अध्ययन आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के सेवापूर्व शिक्षकों पर करने हेतु 138 प्रतिभागियों को शामिल किया और इनमें से 97 प्रतिभागियों का पहले चरण में अध्ययन किया और चार माह बाद पुन: 101 प्रतिभागियों को दूसरे चरण में शामिल कर समावेशी प्रयोग और समावेशन की जिम्मेदारी, अनुभव एवं अवधारणा सम्बन्धी दृष्टिकोण का अध्ययन किया तथा समावेशी अनुभव के पहले और अनुभव के बाद की तुलना कर सूचनाओं का संग्रहण किया | निष्कर्ष रूप में कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने और तैयार करने में शिक्षकों के अनुभव का स्तर कमजोर और निम्न है साथ ही प्रभावशाली शिक्षकों की भी कमी है | इसलिए समावेशी पाठ्यक्रम तैयार करने और

कक्षा-कक्षों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये विश्वविद्यालय भाषण एवं ट्यूटोरियल्स से जोड़कर समावेशी शिक्षा का अनुकूल दृष्टिकोण विकसित किया जाए|

4. सुराह, मुका (2013) ने अपने शोध पत्र "***Equipping Teachers With Skills And Education Resources For Successful Provision Of Special Needs Education In Kakamega District, Kenya***" में शिक्षा की विशेष आवश्यकता के सम्बन्ध में शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और अभिविन्यास की प्रकृति को जांचने और विद्यालयों में विशेष शिक्षा के सम्बन्ध में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों की जाँच करने के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि को अपनाया | अध्ययन में 300 सामान्य, 230 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा 13 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को शामिल किया | आँकड़ों के संग्रहण में सामान्य बच्चों और शिक्षकों के लिये प्रश्नावली, प्रधानाध्यापकों के लिए साक्षात्कार तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निरीक्षण-अनुसूची का उपयोग किया | निष्कर्ष रूप में यह पाया कि अधिकांश विद्यालयों में विशेष शिक्षा के प्रशिक्षण के बाद अभिविन्यास कार्य और कर्मचारी विकास के अवसर नहीं दिए जाते तथा शिक्षण अधिगम के संसाधन एवं सामग्री, ज्ञान की कमी एवं पर्याप्त धन एवं शिक्षकों का अभाव बाधा उत्पन्न करता है | अत: एकीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देकर योजनाकारों और नीति निर्माताओं की सहायता से शिक्षकों के लिए अभिविन्यास और कर्मचारी विकास के कार्य उत्पन्न कर शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की संख्या रखने, सरकार द्वारा विशेष इकाइयों में धन की उचित व्यवस्था करने, शिक्षण-अधिगम की सामग्री की पूर्ण व्यवस्था करने तथा शैक्षिक संसाधन प्राप्त करने, विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों की सहायता लेने पर जोर दिया है|

5. झोल्तायेवा, गिल्नार., स्ताम्बेकोवा, असेल., अलिप्बायेवा, अनारा और येर्जहनोवा, गुलनुर (2013) ने अपने लेख "***Inclusive education in Kazakhstan: selected issues***" में कहा कि समेकित शिक्षा कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक वातावरण निर्मित करने, उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने तथा सुधारात्मक सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रभावशाली उपकरण बन गया है | प्रत्येक बच्चा और उसका परिवार समानता, समान अवसर और अनुभव को समझे इसलिए समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पूर्ण नागरिक के रूप में समाज में प्रवेश के योग्य बनाती है ताकि वे अपना स्वतंत्र जीवन बिताएं और अन्य लोगों के साथ एक सदस्य के रूप में

सम्बन्ध स्थापित कर सके | समावेशन विद्यार्थी को स्वयं की योग्यता को विकसित करने तथा मित्रों और पड़ोसियों के साथ बिना किसी डर के सीखने-पढ़ने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल सहायता और विशेष उपचार की ही जरुरत नहीं होती बल्कि उन्हें समेकित विकास, योग्यता और अभिवृति की भी जरूरत होती है | अत: नि:शक्तायुक्त नयी पीढ़ी में आकांक्षाओ को विकसित करने और शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया |

6. वार्को, लिंडा और बायले, क्रिस्टोफर.(2013) ने अपने पत्र "***Pre-Service Primary Teacher Attitude Toward Inclusive Education***" में सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को जानने के लिए मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के 342 प्रतिभागियों को शामिल किया | जिसमें 82 % महिलाएं और 18 % पुरुष थे | जिनमें से 25 % प्रतिभागी मित्र या परिवार से जुड़े थे और 80 % को पूर्व शिक्षण का अनुभव एवं 44 % को विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त था | सर्वेक्षण शोध विधि और उपकरण के रूप में समावेशन स्केल, द्वि-मार्गीय अनोवा और छ: बिंदु लिकर्ट स्केल का अध्ययन में उपयोग किया तथा विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना की | समग्र का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि समावेशी शिक्षा का सेवा पूर्व शिक्षकों पर सकारात्मक प्रभाव रहा और यह भी माना कि सेवा पूर्व शिक्षकों के प्रशिक्षण का एकल दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा का पर्याय नहीं है क्योंकि शिक्षकों का नजरिया अनेक जनसांख्यकीय चरों से प्रभावित होता है | अत: निष्कर्ष रूप में यह कहा कि सेवा पूर्व शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और समाज के नजरिये में बदलाव लाने तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की आवश्यकता है |

7. मलिक, उत्पल और शीश, काजी सोमीओ (2013) ने अपने पत्र "***Perspectives Of Students And Parents About Mainstreaming Education For Children With Special Needs In Bangladesh"*** में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा के नियमित स्कूलों और कक्षाओं में शामिल करने में आने वाली समस्याओं पर छात्रों और अभिभावकों के अनुभवों पर चर्चा की | अपने अध्ययन के लिए दो नियमित विद्यालयों के प्रतिभागियों का उद्देश्य पूर्ण चयन कर अर्ध संरचनात्मक एवं खुले प्रश्नों का साक्षात्कार में प्रयोग किया गया | आंकड़ों का विश्लेषण कर निष्कर्ष रूप में पाया कि शिक्षकों, माता-पिता और छात्रों में सामान्यत: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति

जागरूकता में कमी है एवं विद्यालय में उपलब्ध संसाधन और सुविधाएँ, भवन संरचना बच्चों की जरुरत को पूरा करने में अपर्याप्त है | इसके साथ ही शिक्षकों की अभिवृत्ति एवं शिक्षण कला-कौशल में कमी, साथियों और अन्य बच्चों के माता-पिता का प्रतिकूल व्यवहार, शिक्षकों का नकारात्मक रूख, अनुकूल वातावरण का अभाव, समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का सीमित ज्ञान, अपर्याप्त शिक्षण संसाधन आदि को नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के विपरीत बताया | सुझाव रूप में यह कहा कि किसी भी बच्चे को कक्षा में प्रवेश से वंचित न किया जाये और विद्यालय में आधारभूत संरचना का निर्माण (जैसे- रैम्प, शौचालय) कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को त्यागने, शिक्षकों को विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करने तथा पाठ्यक्रम में विशेष जरूरतों सम्बन्धी मुद्दों एवं विषयों को शामिल करने तथा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा पर शोध को आवश्यक माना |

8. जरीन, नुसरत.(2013) ने अपने लेख "***Braill Champion: Inclusive and Community Development Approach to Support Children With Visual Impairment-Experience of Sightsavers Bangladesh***" में लिखा की समुदाय स्तर पर ब्रेल चैम्पियन एक संसाधन युक्त व्यक्ति है जो दृष्टि दोषयुक्त व्यक्तियों को और मुख्य रूप से ब्रेल सीखने में रुचि रखने वाले दृष्टि विहीन व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों तथा समुदाय के लोगों को ब्रेल सीखने में सहयोग और समर्थन करता है | बांग्लादेश की स्थिति बताते हुए लिखा कि यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह में शिक्षा में सबसे उपेक्षित समूह दृष्टिबाधित बच्चों का है | लोगों की यह धारणा है कि दृष्टिबाधित बच्चों का नामांकन और उनकी शिक्षा व्यवस्था नियमित व सामान्य विद्यालयों में नहीं की जा सकती है, क्योंकि सामान्य विद्यालयों में केवल 4 % ही दिव्यांग बच्चे शामिल होते हैं जिनमें एक भी दृष्टिबाधित बच्चा नहीं होता है | अत: समुदाय में बड़े पैमाने पर जागरूकता उत्पन्न करने तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए समुदाय के लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी बढाने तथा सरकार एवं अन्य एजेंसियों व संगठनों से पूर्ण सहयोग प्रदान करने पर जोर दिया |

9. मितिकु, वोंद्वोसेन., अलेमु, यितयल और मेंग्सितु, सेमाहेग्न.(2014) ने अपने शोध पत्र "***Challenges And Opportunities To Implement Inclusive Education"*** में प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने की

चुनौतियों और अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं सम्बन्धी साहित्य की विस्तार से समीक्षा की | अध्ययन में कुल 71 प्रतिभागियों को जिनमें 06 शिक्षक, 08 दृष्टिबाधित, 13 श्रवण बाधित, 14 मानसिक मंद, 16 शारीरिक नि:शक्त तथा प्रत्येक विद्यालय के प्राचार्य को शामिल कर प्राप्त आंकड़ों का मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण किया | निष्कर्ष रूप में सुझाव दिया की विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देने एवं उनकी जाँच, आकलन और पहचान करके मूल्यांकन प्रक्रिया में नवीनता लानी होगी इसके साथ ही शिक्षकों का रवैया बदलने, व्यक्तिगत शिक्षण की योजना बनाकर बच्चों को अधिक समय देने तथा पुस्तकालय और विशेष संसाधन कक्ष में सामग्री एवं उपकरणों आदि की व्यवस्था कर कक्षा-कक्षों की वर्तमान स्थिति में सुधार करने पर बल दिया |

10. यान, जी. और सीन, कुन फुन्ग (2014) ने अपने शोध पत्र "***Inclusive Education: Teachers Intention And Behavior Analysed From The Viewpoint Of The Theory Of Planned Behavior***" में लिखा कि योजना व्यवहार सिद्धांत यह दावा करता है कि व्यवहार की भविष्यवाणी प्रयोजन व्यवहार और व्यवहार नियंत्रण के माध्यम से की जा सकती है क्योंकि व्यवहारिक प्रयोजन पर दृष्टिकोण, उद्देश्य, मानक और कथित व्यवहार का नियंत्रण होता है | अत: समावेशी शिक्षा के संदर्भ में व्यवहार नियोजित सिद्धांत के प्रमुख घटकों की जाँच करने के लिए हाँगकाँग के 498 प्राथमिक और 343 हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कार्यरत कुल 841 शिक्षकों का चयन किया जिनमें 205 पुरुष और 617 महिलाएं थी तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में 09 प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शामिल किया | अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में कहा कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का रवैया बदलने, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, शिक्षकों की अभिरूचि और उनकी सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन करने की जरुरत है, इसके साथ ही कार्य का दबाव कम करने के साथ-साथ पेशेवर प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है |

11. बेहरानु, गरिमा. (2015) ने अपने लेख "***Inclusive School In Sweden Responses, Challenges And Prospects***" में स्वीडन में समावेशी शिक्षा की प्रतिक्रियाओं, चुनौतियों और अवधारणाओं पर विचार के लिए सरकार की रिपोर्ट और अनुसन्धान के निष्कर्षों को शामिल किया | उन्होंने स्वीडिश शिक्षा नीति को समाज कल्याण, सामाजिक समावेश, संसाधनों की समानता, सार्वभौमिकता और व्यापकता को बढ़ावा देने का साधन माना तथा इस

प्रणाली पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय और स्थानीय सरकार के बीच मजबूत और पारदर्शी साझेदारी के साथ सामाजिक एवं शैक्षिक उपायों पर कार्य करने को आवश्यक माना | इसके साथ ही सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने तथा सभी को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देने के लिये एक मॉडल विकसित किये जाने पर जोर दिया ताकि विद्यालयीन बच्चों का सभी स्तरों पर पोषण, देखभाल और विकास किया जा सकें |

2.5 समावेशी शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों की समीक्षा:-

1. **खनाल, लक्ष्मी** (2004) ने अपने लेख "**बालमैत्री समावेशी शिक्षा"** में लिखा कि वर्तमान विद्यालयों का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है | इस हेतु सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को दाखिला दिया जाए एवं विद्यालयों, शिक्षा प्रणाली और सरकार के नीति-नियमों को समावेशी शिक्षा के अनुरूप होना अत्यंत जरुरी है | अत: निष्कर्ष रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों को बाधा मुक्त बनाने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, विशेष रियायत देने के साथ समावेशी शिक्षा प्रणाली की मजबूत संरचना तैयार करने की बात कही |

2. **सिंह, सुनील कुमार (**2011) ने कहा कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों और सरकारी प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम तभी कारगर होंगे जब जनता इसके लिए जागरूक होगी | इसलिए प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार, स्थानीय संस्थाओं एवं अभिभावकों को एक साथ प्रयास करने होंगे तथा ग्राम समितियों का गठन कर विद्यालय समितियों को सुदृढ़ बनाए जाने की भी आवश्यकता है |

3. **बाल सुब्रमण्यन, अनुषा** (2012) ने कहा कि दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के समान शिक्षा का अधिकार है | सभी बच्चों को निष्पक्ष समावेशी शिक्षा नहीं मिलने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या में गिरावट के कारणों में शिक्षकों द्वारा ठीक से ध्यान नहीं देना, जागरूकता की कमी होना, पाठ्यक्रम में लचीलेपन का अभाव एवं विद्यालयीन व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया | निष्कर्ष रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करने, व्यक्तित्व विकास के साथ सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने, विद्यालयीन वातावण को शिक्षण के अनुकूल बनाने, अधिगम सामग्री और विद्यालय की गतिविधियों में वृद्धि करने, माता-पिता की भागीदारी बढ़ाने के साथ समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने पर बल दिया |

4. **खुराना, सुरिन्द्र** (2014) ने लिखा कि शिक्षकों को समावेशी शिक्षा पर ध्यान देना होगा इसके लिए अधिगम सामग्री की उपलब्धता और अनुकूल पाठ्यक्रम लागू करने के साथ विद्यालयों में सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताओं जैसे - समाजीकरण, खेल भावना, मैत्री सहभागिता और स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था की जाए तथा विशेष और सामान्य बच्चों में के मध्य व्याप्त विभेदीकरण को पूर्णतया समाप्त करने किया जाना चाहिए |

5. **बिष्ट, आभारानी** (2005) ने अपने पुस्तक "***विशिष्ट बालक***" में लिखा कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा की वर्तमान समाज में महती आवश्यकता है | अत: अपनी पुस्तक में विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान और शिक्षा सम्बंधित विषयों को सम्मिलित किया | विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों की विस्तृत व्याख्या कर उनकी शिक्षा, निर्देशन और उन बच्चों पर क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता की विवेचना की | लेखिका ने विशिष्ट बालकों को उचित और अनुकूल शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और शोधकर्ताओं से इस दिशा में कार्य करने का आव्हान किया |

6. **विजयान, प्रेमावती और विक्टोरिया, जी**.(2006) ने अपनी पुस्तक **"*Education Of Children With Low Vision*"** में दृष्टिबाधित या दृष्टिअक्षम बच्चों सम्बन्धी समस्त विषय सामग्री को सम्मिलित किया है | लेखक ने दृष्टिबाधित बच्चों की परिभाषाएं, उद्देश्य, कारकों और विशेषताओं के साथ दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान करने, प्रशिक्षण देने की विधियों एवं उनकी कार्यक्षमता बढाने की प्रक्रिया की विस्तार से व्याख्या की | इसी क्रम में दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाने, पढ़ाने- लिखने, प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक उपकरणों एवं यंत्रों का सचित्र वर्णन कर प्रगति की जाँच हेतु प्रश्न आदि का भी समावेश किया | लेखक ने दृष्टिबाधित या दृष्टिअक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए समस्त पहलुओं को व्यवहार में लाने पर बल दिया |

7. **बैस, नरेंद्रसिंह, और सूत्रकार,भागीरथ**.(2007) ने अपनी पुस्तक "***विशिष्ट वर्ग के बालकों की शिक्षा***" में लिखा की विशिष्ट बालक शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक और सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार अपना विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है | अत: अपनी पुस्तक में विशिष्ट वर्ग के बालकों की पहचान, उनका वर्गीकरण, शैक्षिक समस्याओं और उनके लिए किये जा रहे प्रयासों की विस्तार से व्याख्या कर शैक्षिक मूल्यांकन एवं निदान की विवेचना

की | उन्होंने विशिष्ट वर्ग के बच्चों की शिक्षा में आ रही समस्याओं को हल करने हेतु सरकार, स्वयंसेवी संगठनों और शिक्षकों से पूरी निष्ठा से प्रयास करने पर जोर दिया |

8. **Crowford, Cameron**.(2009) ने अध्याय - 4 "***Inclusive Education: Consideration For Policy And Systems Development***" में लिखा कि समावेशी शिक्षा पहल करने की एक नीति है इसलिए इस प्रणाली में विशिष्ट कारकों एवं हितधारकों की पहचान कर उनको शामिल किये जाने की जरुरत है | इस अध्याय में दक्षिण भारत और अन्य देशों के समुदाय के लोगों के लिए और नियमित विद्यालयों की कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को स्थापित करने के मानदंडों के रूप में समावेशी शिक्षा को अपनाये जाने और व्यक्तिगत शिक्षा की योजना के लिए कुशल एवं प्रभावी तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित करने और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों के साथ सक्रिय सहयोग कर समस्या को सुलझाने और माता-पिता को जोड़ने पर बल दिया |

9. **मुखोपाध्याय, सुदेश**.(2009) ने अपने अध्याय "***Rethinking Inclusive Education: Action Point For Communities***" में लिखा कि राज्य और राष्ट्रीय सीमा के पार व्यक्तियों के समुदायों में भौगोलिक विशिष्टता एवं विभिन्नता अधिक है | इसलिए समान लक्ष्य और प्रतिबद्धता के साथ उन्हें जोड़ना बहुत जरूरी है | वर्तमान समय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और उनके परिवार का सशक्तिकरण एक चुनौती बना हुआ है | इसलिये दिव्यांग जन अधिनियम - 1995 के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को पहले से अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि उन्हें समाज में अपने क्रियाकलाप और अपनी स्थिति पर गर्व हो सकें | इसके लिए अभिभावकों से अकादमिक सहायता करने, सीखने का समर्थन करने, शैक्षणिक क्रियाओं के नवीनीकरण की योजना बनाने की जरूरत पर ध्यान देने के साथ इन सभी मुद्दों पर पुनः विचार कर समावेशी शिक्षा के लिए नेतृत्व का विकास करने, नीति और प्रथाओं को विकसित करने पर बल दिया |

10. **शर्मा, मधुलिका** (2009) ने अपनी पुस्तक "**मानसिक मंद बालक**" में विशिष्ट बालकों के संवर्ग में मानसिक मंद बच्चों के विकास और उनकी शिक्षा व्यवस्था के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यक जानकारी को सम्मिलित किया | लेखिका ने बालक के विकास की अवस्थाओं, मानसिक मंद बालकों की अवधारणा, उनकी पहचान, कारण और वर्गीकरण की विशेषताओं सहित व्याख्या की और मानसिक मंद बालको में सुधार करने के लिए विभिन्न खेलों का प्रयोग करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा की उचित व्यवस्था करने पर बल दिया |

11. **अलुर, मिथु और टिम्मोंन, विन्ने**.(2009) ने अध्याय-28 "***Inclusive Education For Children With Disability: Culturally Appropriate Policy And Practice***" **(CAPP)** में लिखा की वर्तमान संसाधन सामग्री की खामियों का पता करने के लिए शिक्षक अभ्यास का कोड यह दर्शाता है कि मुख्यधारा के स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए माता-पिता और नीति निर्माताओं को कैसे तैयार किया जाए | सांस्कृतिक रूप से इस कार्य में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा रणनीतियों, उचित नीति और व्यवहार पर तीन स्तरों स्थूल, मेजो और सूक्ष्म पर ध्यान दिया है | समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में CAPP इन तीनों स्तरों पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है | प्रथम भाग में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे शिक्षक, प्रशिक्षकों, शिक्षक यूनियनों, गैर सरकारी संगठन सहित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और नागरिक समाज, नीति निर्माताओं और प्रशासकों के लिए पाठ्यक्रम एवं मानव अधिकार संगठन द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में मौजूद विचार को शामिल किया गया है | द्वितीय भाग में तीन से पांच वर्ष आयु के प्री-स्कूल स्तर पर शिक्षण पर लक्ष्य को पाने के लिए पूरे समुदाय के दृष्टिकोण तथा समुदाय को जोड़ने के लिए कक्षा-कक्षों और विद्यालय के सम्बन्ध में 16 मानक प्रस्तुत किये | तृतीय भाग में समावेशी शिक्षा में शोध और समावेशी वातावरण निर्मित करने में विद्यालय के नेतृत्व की भूमिका को महत्वपूर्ण माना तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग बच्चों के परिवारों और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए गैर सरकारी संगठन एवं पेशेवर व्यक्तियों द्वारा परामर्श कार्यक्रम आयोजित करने और समावेशी कक्षाओं के विकास के लिए विद्यालय की पृष्ठभूमि, उद्देश्य, गतिविधियां तय करने पर बल दिया ताकि परिवारों, कर्मचारियों, स्कूलों, शिक्षकों एवं बच्चों का समर्थन मिल सके | समावेशी शिक्षा का यह दृष्टिकोण एक परिवर्तन, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट शिक्षण के सम्बन्ध में है और CAPP उसको पाने का तरीका है जो मानवीय और समानता आधारित समाज की दिशा में पहला कदम है |

12. **मोहंती, जे. और मोहंती, एस.**(2011) ने अपनी पुस्तक "***Inclusive Education-Its Evolutionary Growth***" में समावेशी शिक्षा के समस्त पहलुओं एवं पक्षों में समावेशी शिक्षा की अवधारणा उसकी प्रकृति, नि:शक्तता के विभिन्न प्रकारों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा, नि:शक्त जनों के शैक्षिक एवं शिक्षा संसाधनों में शिक्षक, कक्षा-कक्ष, उपकरणों और यंत्रों के प्रयोग से होने वाले लाभों की विवेचना की | दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवश्यक अवधारणा एवं विभिन्न कारकों, समेकित शिक्षा को लागू करने के दिशा-

निर्देश तथा समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए नवीन आयामों एवं तकनीकों के साथ पाठ्यक्रम निर्माण की संरचना और क्रिया प्रधान पाठ योजना तैयार कर उसके प्रयोग करने की जानकारी को विस्तार से समझाया | समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम्बंधित सभी पक्षों को कार्य करने लिए जिम्मेदार ठहराया |

2.6 सम्बन्धित शोध साहित्य अध्ययनों की समीक्षा:-

शोधकर्ता ने शोध समस्या से सम्बंधित पूर्व में किये गए शोध अध्ययनों की समीक्षा की जिनमें समावेशी शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों और विषयों पर कार्य किया गया है | समावेशी शिक्षा एक नए दृष्टिकोण के रूप में दिव्यांग जनों को सामान्य जीवन से अलग लाने के लिए सरकार द्वारा उठाया एक बड़ा कदम है | देश में समावेशी शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ और नीतियाँ बनाई गयी है परन्तु दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा के संदर्भ में नियमित शोध एवं अनुसंधान की कमी है | हालांकि सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए अनेक योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है तथा समावेशन की नीतियों का पालन भी सभी विद्यालयों में सुनिश्चित किया गया है परन्तु नीतियों का पूर्ण रूप से परिपालन न होने से दिव्यांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है |

सम्बन्धित शोध साहित्य का सारांश एवं शोध अंतराल :-

I. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में - **नायक, भरत कुमार** (2012), ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम धारा 12 के प्रावधानों को लागू करने में सरकारी अधिकारियों की भूमिका तथा निजी विद्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का अध्ययन कर पाया कि अधिनियम के क्रियान्वयन में ग्रामीण क्षेत्र के नौकरशाह कम सक्रिय है तथा समुदाय और पंचायत सदस्यों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी नहीं होने से उनमें भी सक्रियता नहीं है | इसी कारण समाज के शिक्षा से वंचित बच्चों के प्रति कोई चिंतित नहीं है | **गुप्ता, प्रियंका और कामथ, आशा** (2014), अधिनियम *के मानदंडों और मानकों की प्राथमिक विद्यालयों में स्थिति* का अध्ययन कर पाया कि छात्र-शिक्षक अनुपात उचित नहीं होने के कारण शिक्षक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं | **कृष्णाराव, गौरव, मंगेश** (2015), ने *अधिनियम को लागू करने में निजी एवं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की भूमिका, जिम्मेदारियों तथा शिक्षकों की जागरूकता* का अध्ययन किया और पाया कि अधिनियम के प्रति जागरूकता में निजी एवं सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में अंतर नहीं है परन्तु

पुरुष व महिला शिक्षकों के बीच महत्वपूर्ण रूप में अंतर व्याप्त है तथा महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुषों में अधिनियम के प्रति जागरूकता अधिक है | **पाल, शशि** (2015) ने अधिनियम के *प्रावधानों में अंतर और चुनौतियों का अध्ययन* किया और पाया कि प्रावधानों को लागू करने के लिए समुदाय स्तर पर जागरूकता लाने और समुदाय को पूर्ण रूप से अवगत कराने की जरुरत है |

II. समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में - **कुमार, संजीव और कुमार, खगेन्द्र** (2007) ने *भारत में समावेशी शिक्षा* में लिखा कि भारत के 36 मिलियन दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अन्य कोई मार्ग नहीं है और विशेष विद्यालयों के अभाव में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय ही प्रत्येक समाज में एक मात्र वैकल्पिक उपाय है | **सिंह, रेनू** (2007) ने *भारत में समावेशी शिक्षा के लिए रणनीति* का अध्ययन किया और पाया कि समावेशी शिक्षा का विकास शिक्षकों के मूल्यों, अभिवृति, व्यवसायिक गुणवत्ता, अनुभव के साथ प्रशिक्षण और समर्थन पर निर्भर करता है | **सिंह, अजय कुमार** (2008) *भारत में समावेशी शिक्षा का स्वरूप* में समावेशी शिक्षा के लिये सरकार द्वारा किये प्रयासों को उचित बताया तथा दिव्यांग विद्यार्थियों में आत्म विश्वास व सम्मान की भावना एवं दिव्यांग और सामान्य बच्चों में सामुदायिक भावना का विकसित करने की बात कही | **कुमार, संजीव** (2011) *दलित बालकों की शिक्षा और उनका समावेशी विकास* का अध्ययन किया और पाया कि समावेशी शिक्षा के लिये चलाई गई विभिन्न योजनाओं की ठोस दिशा में कमी है | **अग्निहोत्री, कल्पना और यादव, अनुपमा** (2012) ने *समावेशी शिक्षा के अवसर और चुनौतियों की स्थिति* को जानने के लिए एक्शन प्लान के उद्देश्यों का निर्धारण कर अध्ययन किया और शिक्षा की मुख्यधारा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन बढ़ाने, संगठनात्मक व्यवस्था एवं शिक्षण प्रणाली में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार और समाज में सहयोगी भूमिका निभाने की बात कही | **सुधांशु, आर.के.** (2012) *उत्तराखंड में समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ* का अध्ययन किया और विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण के बाद राज्य सरकार की उदासीनता, प्रशासनिक लापरवाही, शिक्षकों की अनिच्छा, दिव्यांग बच्चों के माता पिता एवं सामाजिक संगठनों को समावेशी शिक्षा की असफलता के लिये जिम्मेदार माना | **भटनागर, निशा और दास, अजय** (2013) *दिव्यांग अधिनियम के प्रावधान की स्थापना व समावेशी शिक्षा को लागू करने पर शिक्षकों के दृष्टिकोण* का अध्ययन किया और पाया की समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालयों का स्तर मध्यम स्तर का पाया गया जो कि समावेशी शिक्षा की योजना के

निर्माण के लिए मुख्य विचार का विषय है | **तुली, उमा** (2013) ने *समावेशी शिक्षा:एक वास्तविकता* में लिखा नि:शक्त बच्चों में से 40 % मूलभूत शिक्षा और 20 % नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी पूरी नहीं करते हैं | नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के लिये बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधन आज भी एक चुनौती है | **स्ली रोजर** (2013) *बहिष्करण :समावेशी शिक्षा के विरुद्ध एक चुनौती* का अध्ययन किया और पाया कि बहिष्करण सूक्ष्म अभिव्यक्तियों द्वारा सामाजिक और शिक्षा नीति के अन्य पहलुओं को खत्म कर रहा है अत: समावेशन को बहिष्करण के ढाल के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये | **कौल, पल्लवी** (2014) ने *प्राथमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशन की स्थिति* का अध्ययन किया और पाया कि समावेशी शिक्षा की अवधारणाओं के प्रति जागरूकता में कमी, निगरानी प्रणाली में कमी, प्रशिक्षण अभाव और पाठ्यक्रम में उचित सुधार की जरुरत है | **दास, आशिमा और कत्तुमुरी, रुथ** (2014) ने *निजी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा की नीति और चुनौतियों* का अध्ययन किया और पाया कि बहिष्करण को कम करने और शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने, शिक्षाविदों एवं सामाजिक क्षेत्रों के सक्रिय सदस्यों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है | **पाण्डुरंग, पाटिल स्वाती** (2015) ने *प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रबंध* का अध्ययन किया और पाया कि विद्यालयों में समावेशन की नीति में बदलाव कर प्राथमिक शिक्षा की नीति को अधिक प्रभावी बनाने तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति शिक्षकों, सामान्य बच्चों के अभिभावकों एवं गैर दिव्यांग विद्यार्थियों का रवैया बदलने की जरूरत है | **सिंह, जे.डी.** (2016) ने *समावेशी शिक्षा की अवधारणा, महत्व, चुनौतियाँ एवं भारत में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन* का अध्ययन किया और पाया कि समावेशन के माध्यम से समावेशी समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है क्योंकि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने की एक मात्र विधि समावेशन या समावेशी शिक्षा है |

III. **स्ली, रोजर** (2001) ने *सामाजिक न्याय और शिक्षा अनुसंधान में परिवर्तनीय निर्देशन: समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य* में किया और समावेशी शिक्षा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष शिक्षा की परम्परागत धारणाओं के विरुद्ध साधन तथा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का पक्षधर माना | **हेमिंग, ब्रेन और वुडकोक, स्टुअर्ट** (2011) ने *समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षकों का दृष्टिकोण* का अध्ययन किया और पाया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने और तैयार करने में शिक्षकों के अनुभव का स्तर कमजोर और निम्न स्तर का

है एवं प्रभावशाली शिक्षकों की भी कमी है | **झोल्यावोवा, स्ताम्ब्कोवा, अनारा और गुलनुर** (2013) ने *समावेशी शिक्षा के चयनित मुद्दे* पर अध्ययन किया और कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल सहायता और विशेष उपचार की ही जरुरत नहीं होती बल्कि उन्हें समेकित विकास, योग्यता और अभिवृति की भी जरूरत होती है | **सुराह, मुका** (2013) ने *शिक्षकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और अभिविन्यास की प्रकृति और विद्यालयों में विशेष शिक्षा* के सम्बन्ध में उपलब्ध शैक्षिक संसाधनों पर अध्ययन किया और पाया कि शिक्षण अधिगम के संसाधन एवं सामग्री, प्रशिक्षण की कमी एवं पर्याप्त धन तथा शिक्षकों का अभाव बाधा उत्पन्न करता है | **वार्को, लिंडा और बायले, क्रिस्टोफर** (2013) ने *सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति* का अध्ययन कर पाया कि सेवा पूर्व शिक्षकों में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की कमी है | **मितिकु, अलेमु और मेंगिस्तु, सेमाहेग्न.**(2014) ने *प्राथमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने की चुनौतियों और अवसरों* का अध्ययन किया और कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जाँच, आकलन और पहचान करके मूल्यांकन प्रक्रिया में नवीनता के साथ शिक्षकों का रवैया बदलने व व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाने की आवश्यकता है | **यान, जी और सीन, कुन फुन्ग** (2014) ने *समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षकों का रवैया और व्यवहार नियोजित सिद्धांत के प्रमुख घटकों* का अध्ययन किया और पाया कि समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों का रवैया, शिक्षकों की अभिरूचि और उनकी सामाजिक धारणाओं में परिवर्तन करने की जरुरत है | **बेह्रानु, गरिमा** (2015) ने स्वीडन में समावेशी शिक्षा की प्रतिक्रियाओं, चुनौतियों और अवधारणाओं का अध्ययन किया और पाया कि शिक्षा प्रणाली पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए केन्द्रीय और स्थानीय सरकार के बीच मजबूत और पारदर्शी साझेदारी के साथ सामाजिक एवं शैक्षिक उपायों पर कार्य करने की आवश्यकता है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने तथा सभी को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की ग्यारंटी देने के लिये एक मॉडल विकसित किये जाने की जरूरत है |

IV. शिक्षा व्यवस्था और नीतियों के परिप्रेक्ष्य में - **विलानियम, जे.वी**.(2012) ने *भारत में शिक्षा व्यवस्था* हेतु संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की और पाया कि भारतीय समाज में लिंग भेद मौजूद है जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर चिंता का विषय है | **प्रपन्न, कौशलेन्द्र** (2012) ने *भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थति* का

अध्ययन किया और पाया कि आज भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है और गुणवत्ता की कसौटी पर आज भी प्राथमिक शिक्षा पिछड़ी नजर आ रही है | **जैन, अशोक एवं कुमार अक्षय** (2013) ने *राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर सरकारी योजनाओं और नीतियों* को लागू करने, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की धीमी गति का पता लगाने और प्राथमिक शिक्षा के स्तर की जाँच की और पाया कि नियमित शिक्षा प्रणाली समाज के अलाभान्वित समूह को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में असफल है | **गौतम, नीरा और सिंह, रजनी रंजन.**(2013) ने अपने लेख "*बिहार में विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप और विकास*" में विद्यालय में नामांकन और ठहराव की दर को बढाने के लिए सुझाव के रूप में कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन, विद्यालयीन व्यवस्था में आमूल परिवर्तन और प्राथमिक शिक्षा का नियोजन एवं उनके अनुरूप क्रियान्वयन करने पर बल दिया |

V. **कुमार, संजीव एवं सिंह, सुधाकर प्रसाद** (2008) ने *सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन* का अध्ययन किया और पाया कि दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के संचालन में सामान्य शिक्षकों की मनोवृत्ति बहुत बड़ी बाधा है | **राय, संगीता** (2013) ने *सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का आंकलन* का अध्ययन किया और पाया कि प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए दक्षता संवर्धन कार्यक्रम की निगरानी में कमी है | **कालिता, मीना** (2013) *असम राज्य में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधानों* का अध्ययन किया और पाया कि शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ शिक्षकों एवं अभिभावकों को अभिप्रेरित करने की कमी है |

उपसंहार :-

सम्बंधित साहित्य की विश्लेषण इस और इंगित करता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों एवं शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने में अनेक बाधाएँ मौजूद है | शोध पत्रों, शोध लेखों, सर्वे रिपोर्ट एवं शोध अध्ययनों के विश्लेषण इस और संकेत देते है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के उचित कार्यान्वयन में अनेक नकारात्मक तत्व विद्यमान है जैसे – पाठ्यक्रम, शिक्षकों की कमी, अनुचित नीतियाँ, शिक्षकों में

प्रशिक्षण का अभाव, बजट की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा का अभाव, प्रशासन की अज्ञानता एवं भौतिक संसाधनों की कमी आदि इन्ही कारणों से समावेशन की गति अत्यंत धीमी है | समावेशी शिक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन स्थानीय और वैश्विक स्तर पर विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किया गया | कुछ अध्ययनों में विशिष्ट सन्दर्भों और समावेशी शिक्षा की बाधाओं सम्बन्धी विषयों पर कार्य किया परन्तु विशेष रूप से समावेशी शिक्षा की स्थिति से सम्बन्धी अध्ययनों की उपलब्धता अत्यन्त कम है | साहित्य का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति पर शोध कार्य करने की जरुरत है | अत: राज्य में समावेशी शिक्षा की वास्तविक स्थिति को जानने हेतु शोध विषय का चयन कर शोध समस्या के रूप में **"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"** (विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में) का चयन किया ताकि राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने में आने वाली बाधाओं, समस्याओं, नीतियों में व्याप्त कमियों व खामियों का पता लगाकर उचित क्रियान्वयन नीति को अमल में लाया जा सके | समस्या के अनुरूप ही शोधकर्ता ने वर्तमान शोध समस्या हेतु उचित शोध प्रविधि का चयन किया जिसकी विस्तृत विवेचना अगले अध्याय में की गई है |

अध्याय - तृतीय

शोध अध्ययन

की

कार्य विधि

3.1 प्रस्तावना:-

गत अध्याय में अध्ययन से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया और पूर्व में किये अनुसंधानों के सिंहावलोकन द्वारा प्रस्तुत अध्ययन की वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्धारण किया गया | प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन की कार्य प्रणाली की विस्तृत विवेचना की गयी है |

शोध प्रविधि या कार्यप्रणाली किसी भी शोध कार्य की आत्मा होती है और यह शोधकर्ता को शोध के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में अवधारणा और विचार प्रस्तुत करती है | इस अध्याय में शोधकर्ता अनुसंधान के वैचारिक ढाँचे एवं व्यवहारिक तत्वों के सम्बन्ध में चर्चा करता है, साथ ही अनुसंधान के प्रश्नों के बारे में अधिक गहराई से अन्वेषण एवं विचार कर यह बताता है कि शोध की प्रकृति और उद्देश्य के अनुरूप कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है |

प्रस्तुत अध्याय शोध कार्य की कार्य विधि की सुनिश्चित योजना से सम्बन्धित है जो शोध अध्ययन के प्रश्नों के समाधान के लिए किये जाने वाले प्रयासों की व्याख्या करता है, साथ ही समस्या के कथनानुसार तर्कसंगत रूप से सही विधि के चयन, जनसंख्या, न्यादर्श एवं प्रयुक्त उपकरण, प्रयुक्त सांख्यकीय विधि का विस्तृत वर्णन शोध प्रश्नों तथा सम्बंधित साहित्य की समीक्षा के अनुरूप करता है | इस अध्याय का उद्देश्य शोध अध्ययन में अपनाए जाने वाले विशिष्ट चरणों का एक स्पष्ट और पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना है |

3.2 शोध की कार्य प्रणाली:-

पूर्व शोध कार्यों और वर्तमान मान्यताओं की पृष्ठभूमि में ही शोध समस्या का उदय होता हैं | शोध क्षेत्र का चयन करने के पश्चात शोध विषय का चिन्हांकन एवं परिभाषीकरण किया जाता है एवं सम्बन्धित साहित्य द्वारा शोध समस्या की समीक्षा की जाती है | जिसके आधार पर अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है एवं शोध कार्य की योजना तैयार करके क्रियात्मक अनुप्रयोग की दिशा में सुनियोजित कार्य प्रारम्भ किया जाता है | इसी क्रम में शोध अध्ययन के विषय की प्रकृति के अनुरूप उचित विधि का चयन तथा विकास किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है |

3.3 वर्तमान शोध अध्ययन हेतु चयनित शोध विधि:-

शोध विधि वास्तव में शोध अध्ययन के विषय की प्रकृति एवं कार्य प्रविधि के आधार पर शोध कार्य प्रणाली का पूर्व निर्धारण है | अनुसंधान प्रक्रिया में शोध विधिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शोध कार्य की सार्थकता

तथा निष्कर्षो की वैधता इसी पर निर्भर करती है | शोध कार्य का प्रमुख आधार विश्वसनीय तथ्यों पर निर्भर होता है जिन्हें आंकड़ों के संकलन में माध्यम से प्राप्त किया जाता है अत: शोधकर्ता को यह निश्चय करना होता है कि न्यादर्श का आकार कैसा हो, आंकड़ों का संकलन व संग्रहण किन- किन उपकरणों के माध्यम से किया जाए, साथ ही यह भी तय करना होता है कि कौन - कौन से स्त्रोतों से शोध सम्बन्धी सामग्री एवं सूचनाएँ संग्रहित की जाये | इस हेतु शोध समस्या के अनुरूप उपयुक्त शोध प्रविधि की आवश्यकता होती है क्योंकि शोध प्रविधि ही शोध समस्या के निराकरण के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न चरणों जैसे - समस्या की पहचान, न्यादर्श का चयन एवं निर्धारण, आँकडों के संकलन, संग्रहण, विश्लेषण आदि की विस्तृत व्याख्या करती है | शोध प्रविधि की निश्चित योजना के अभाव में शोध कार्य के परिणामों की विश्वसनीयता कम होने की संभावना बनी रहती है |

3.4 अध्ययन हेतु मिश्रित शोध विधि के चयन की आवश्यकता:-

शोध कार्य की समस्या को समझने तथा उससे सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने के तथा शोध हेतु निर्धारित उद्देश्यों एवं शोध प्रश्नों का गहन अध्ययन करने के पश्चात शोधकर्ता ने जाना की प्रस्तुत शोध कार्य की प्रवृत्ति मिश्रित प्रकृति की है अत: शोध समस्या का अध्ययन करने के लिए मिश्रित प्रकार की प्रविधि की आवश्यकता है क्योंकि प्रस्तुत शोध हेतु निर्धारित दो उद्देश्यों की प्रकृति मात्रात्मक तथा शेष तीन उद्देश्यों की प्रकृति गुणात्मक प्रकार की है तथा शोध कार्य की दिशा मात्रात्मक से गुणात्मक अध्ययन की ओर जाती है अत: शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के विषय की आवश्यकता के आधार पर **मिश्रित शोध विधि** (Mixed Method) के अंतर्गत **अनुक्रमित व्याख्यात्मक विधि** (Sequential Explanatory Design) का चयन किया गया है जिसमें परिमाणात्मक (Quantitative) व गुणात्मक (Qualitative) विधि का प्रयोग शोध समस्या को हल करने के लिये किया गया है | परिमाणात्मक विधि के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण **विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि** (Descriptive Survey Method) के द्वारा किया गया है, जिसमें विवरणात्मक सांख्यिकी (**प्रतिशत**) का प्रयोग किया गया है | गुणात्मक विधि के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण – **कसौटी वैकल्पिक आव्यूह** (Criterion Alternative Matrix), **चुनौती विश्लेषण** (Risk Analysis), **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis - खूबियों, खामियों, अवसरों व चुनौतियों), **विषय वस्तु विश्लेषण** (Content Analysis) के प्रयोग द्वारा किया गया है |

3.4.1. शोध अध्ययन में प्रयुक्त शोध प्रविधि की रूपरेखा को निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है :-

रेखाचित्र क्र. 6 - शोध प्रविधि का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण

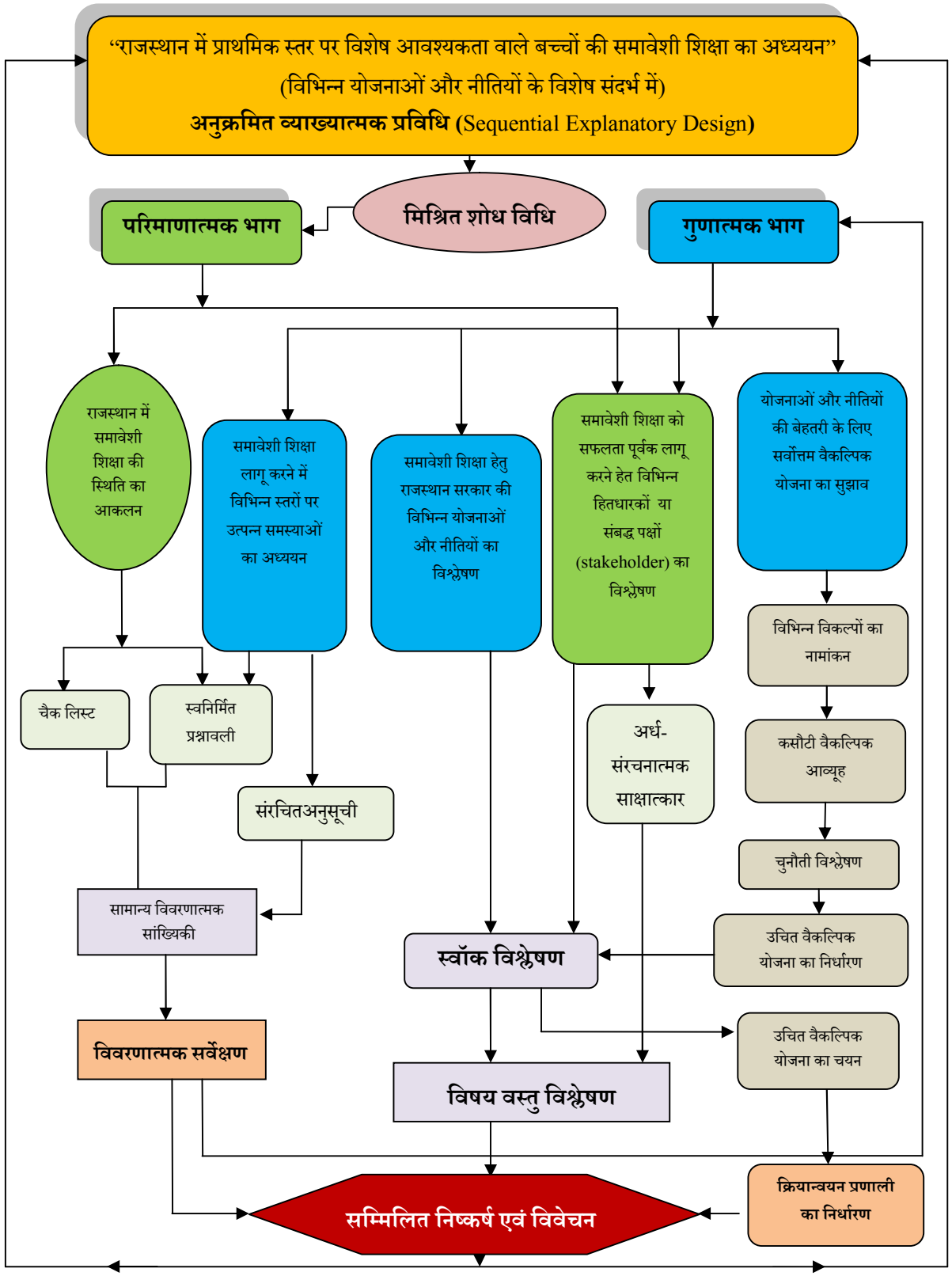

3.5 शोध अध्ययन में प्रयुक्त प्रमुख विधियाँ:-

शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के विषय एवं शोध उद्देश्यों की आवश्यकता के आधार पर मिश्रित शोध विधि का चयन किया | अनुक्रमित व्याख्यात्मक विधि का चयन कर परिमाणात्मक (Quantitative) व गुणात्मक (Qualitative) आंकड़ों को हल करने के लिए निम्नांकित विधियों का उपयोग किया |

शोध अध्ययन में प्रयुक्त विधियों की विस्तृत विवेचना अग्रलिखित है :-

3.5.1 अनुक्रमित व्याख्यात्मक प्रविधि:-

अनुक्रमित व्याख्यात्मक प्रविधि एक मिश्रित शोध विधि है | इस विधि में दो चरण होते हैं पहला चरण मात्रात्मक व दूसरा चरण गुणात्मक होता है | यह प्रविधि अध्ययन के शोध प्रश्नों के समाधान की प्राथमिकता के आधार पर पहले चरण में मात्रात्मक आंकड़ों के संकलन, संग्रहण और विश्लेषण से प्रारम्भ होती है | पहले चरण के अनुक्रम के अनुरूप ही दूसरे चरण के गुणात्मक आंकड़ों का संकलन, संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है | प्रथम चरण के प्राप्त परिणामों के आधार पर ही गुणात्मक चरण का अध्ययन किया जाता है | इसके पश्चात ही शोधकर्ता यह विवेचना करता है कि कैसे गुणात्मक आंकड़ों के परिणाम, मात्रात्मक आंकड़ों के परिणामों की सही व्याख्या करने में मदद करते हैं | (Creswell, J.W. 2009)

अनुक्रमित व्याख्यात्मक प्रविधि की विशेषता –

1. पहले चरण में मात्रात्मक आंकड़ों का संकलन, संग्रहण और विश्लेषण करना ;
2. दूसरे चरण के गुणात्मक आंकड़ों का संकलन, संग्रहण और विश्लेषण करना ;
3. मात्रात्मक परिणामों के आधार पर गुणात्मक चरण का अध्ययन करना |

अनुक्रमित व्याख्यात्मक प्रविधि के प्रमुख उद्देश्य –

1. गुणात्मक अध्ययन के परिणामों का प्रयोग मात्रात्मक अध्ययन के परिणामों को समझने और उसकी व्याख्या करने में करना |
2. किसी घटना का पता लगाने अथवा नवीन उपकरण विकसित करने एवं उसका परीक्षण करने के लिए इस प्रविधि का उपयोग किया जाता है |

3.5.2 शोध प्रविधि का आशुचित्र (Snapshot)**:-** शोध के उद्देश्यों की प्रकृति के अनुरूप न्यादर्श चयन, आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण एवं सांख्यिकी विश्लेषण प्रविधि को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है -

तालिका क्र. 3- **शोध उद्देश्यों की प्रकृति के अनुरूप न्यादर्श, संग्रहण के उपकरण एवं सांख्यिकी विश्लेषण**

क्र.	उददेश्य	न्यादर्श	प्रविधि या उपकरण	सांख्यिकीय विश्लेषण
1	राजस्थान में समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन करना	समावेशी विद्यालय, माता–पिता, विद्यालय प्राचार्य, एवं विद्यार्थी	स्वनिर्मित प्रश्नावली, चैक लिस्ट	सामान्य विवरणात्मक सांख्यिकी
2	समावेशी शिक्षा लागू करने में उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना	माता- पिता, शिक्षक, विद्यालय प्राचार्य, गैर शासकीय संगठन, शिक्षा विभाग के अधिकारी, समुदाय एवं सामाजिक संगठन	स्वनिर्मित प्रश्नावली, संरचित अनुसूची	सामान्य विवरणात्मक सांख्यिकी
3	राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण करना	विभिन्न योजनाओं और नीतियों के शासकीय व अशासकीय प्रपत्र एवं दस्तावेज	स्वॉक विश्लेषण	विषय वस्तु विश्लेषण
4	विभिन्न संबद्ध पक्षों या हितग्राहियों (stakeholders) का विश्लेषण करना	माता- पिता, शिक्षक, विद्यालय प्राचार्य, जन प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, गैर शासकीय संगठन, समुदाय एवं सामाजिक संगठन	स्वनिर्मित प्रश्नावली, संरचित-अनुसूची, अर्ध-संरचनात्मक एवं संरचनात्मक साक्षात्कार साक्षात्कार-अनुसूची	विषय वस्तु विश्लेषण
5	समावेशी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक योजना का सुझाव देना	**1** - विभिन्न विकल्पों का निर्धारण करना | **2**- निर्धारित विकल्पों का मूल्यांकन - कसौटी या मानदण्ड वैकल्पिक आव्युह (Criterion Alternative Matrix) व स्वॉक विश्लेषण (SWOC Analysis) द्वारा करना | **3**- निर्धारित विकल्पों का चुनौती विश्लेषण (Risk Analysis)करना | **4**- मूल्यांकन और विश्लेषण के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प का सुझाव देना | **5**- सर्वोत्तम विकल्प के लिए क्रियान्वयन प्रणाली का निर्धारण करना |		

3.5.3 **विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि** (Descriptive Survey Method):-

विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में किसी समस्या से सम्बन्धित आंकड़ों के संकलन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन और उपकरण है | यह विधि विद्यमान स्थितियों की प्रकृति ज्ञात कर यह बताने में सक्षम है की वर्तमान में क्या विद्यमान है | इस विधि की प्रत्यक्ष सुगमता व सक्षमता के कारण यह विधि शिक्षा जगत में सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय अनुसंधान विधि है |

सर्वेक्षण शोध विधि में सर्वप्रथम अध्ययन से सम्बन्धित सामान्य तथा विशिष्ट समस्याओं को स्पष्ट व निश्चित किया जाता है इसके पश्चात सम्बन्धित समष्टि से एक ऐसे प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है जो कि समष्टि का प्रतिनिधित्व करता हो | प्रतिदर्श का स्वरूप यथांश प्रतिचयन या उद्देश्यानुसार प्रतिचयन में से किसी एक का चयन किया जाता है | इसके बाद साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि की रचना कर एवं उसका परीक्षण कर तथ्यों का संग्रह करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में जाकर सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है तत्पश्चात आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है | यदि सामग्री अधिक लिखित रूप में है तो ऐसी लिखित सामग्री के लिए अन्तर्वस्तु विश्लेषण का उपयोग किया जाता है | इस प्रकार से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों का सारणीयन कर आँकड़ों को स्तंभ आकृतियों एवं रेखाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर प्राप्त सूचनाओं का तुलनात्मक, विवेचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक गहन अध्ययन किया जाता है और तर्क संगत, वस्तु परक तथा वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल कर उनसे सामान्यीकरण प्राप्त किये जाते हैं |

सर्वेक्षण शोध विधि के प्रमुख उद्देश्य :-

1. मानव व्यवहार से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करना |
2. वर्तमान स्थितियों की व्याख्या तथा विवेचना प्रस्तुत करना तथा भावी नियोजन या परिवर्तन में सहायता प्रदान करना |
3. भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता प्रदान करना जिससे अनुसंधान को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके तथा नियंत्रित स्थिति में रखा जा सके |
4. विद्यमान तथ्यों की व्याख्या करना एवं मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना |
5. शैक्षिक नियोजन में सहायता देना एवं मनौवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचित कराना |
6. दो चरों के बीच पारस्परिक सम्बन्धों एवं विशिष्ट कारकों के अस्तित्व का पता लगाना |

3.5.4 मानदंड या कसौटी वैकल्पिक आव्यूह (Criterion Alternative Matrix)**:-**

मानदंड वैकल्पिक मैट्रिक्स में अनुसंधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं के अनुरूप सभी नीति विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है | इस हेतु सभी नीतियों के विकल्पों का अंकों (सर्वोच्च-5 तथा निम्नतम-1) के पैमाने पर निश्चित निर्धारण किया जाता है | प्रत्येक मापदंड अपनी प्रभावशीलता एवं महत्व पर आधारित होता है | प्रत्येक नीति विकल्प को एक निश्चित अंक प्रदान किया जाता है जो कि हितधारकों की क्षमता पर आधारित होता है | तत्पश्चात लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना के अनुसार परीक्षण किया जाता है | प्रत्येक नीति विकल्प को प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम प्राप्त कुल गणना तैयार की जाती है जिसमें उच्चतम प्राप्तांक वाले नीति विकल्प को सबसे अच्छा नीति विकल्प माना जाता है |

3.5.5 चुनौती विश्लेषण (Risk Analysis)**:-**

जोखिम विश्लेषण प्रस्तावित नीति में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने, समुदाय के हितों की रक्षा करने, सार्वजनिक वित्त और संसाधनों का उपयोग करने तथा समुदाय और सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की क्षमता की जांच करता है | जोखिम का नीति के उद्देश्यों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है | जोखिम प्रबंध निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जोखिम की पहचान, विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है | यह अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करने के लिए साधनों का समेकित रूप से आबंटन कर जोखिम की संभावना या उसके प्रभाव को कम या नियंत्रित करने के लिए निगरानी रखता है | इसके साथ ही यह तय करने में भी मदद करता है कि कौन सी रणनीतियों, गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना सबसे अधिक है | अनिश्चितता की पहचान करने तथा उपलब्ध संसाधनों को प्राथमिकता देने में सहायता करने की यह सबसे उत्तम तकनीक एवं साधन है |

3.5.6. स्वॉक विश्लेषण (SWOC Analysis)**:-**

स्वॉक विश्लेषण तकनीक का अविष्कार 1960 के दशक में **अल्बर्ट एस हम्फ्रे** ने किया था | इस विश्लेषण तकनीक का उपयोग किसी नीति या योजना से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों, पहलुओं और पक्षों में व्याप्त आंतरिक मजबूतियों, निहित कमजोरियों/खामियों को जानने तथा बाहरी अवसरों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए किया जाता है | स्वॉक विश्लेषण तकनीकी ही किसी विश्लेषक या शोधकर्ता को किसी नीति में

व्याप्त मजबूती, कमजोरियों/खामियों, अवसरों और चुनौतियों/खतरों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम बनाती है | अत: गुणात्मक अनुसंधान हेतु यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी है |

3.5.7 विषय वस्तु विश्लेषण (Content Analysis)**:-**

व्यवहार विज्ञानों में अधिकांशत: विषय सामग्री का स्वरूप गुणात्मक रहता है अथवा शाब्दिक, लिखित, यांत्रिक साधनों द्वारा अभिलिखित व सांकेतिक रहता है | ऐसी सामग्री को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए उसके क्रमबद्ध संवर्गीकरण, वस्तुपरक प्रस्तुतीकरण, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा उपयुक्त सामान्यीकरण की जरुरत होती है |

विषय वस्तु विश्लेषण संचार सामग्री, प्रलेख के वर्गीकरण, मूल्यांकन व तुलना से सम्बन्धित है | यह संचार प्रश्नावली के उत्तर, साक्षात्कार के वार्तालाप या प्रेक्षित क्रिया के वर्णन, सरकारी संलेखों, नियमों, वित्तीय संलेखों, पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों की अन्तर्वस्तुओं, संदर्भ कार्यों, समाचार पत्रों, आवधिक पत्रिकाओं, जर्नलों, विभिन्न विश्वविद्यालयों या संस्थाओं की नियमावली व पत्रिकाओं, उद्धरणों और साक्षात्कार की टिप्पणियों के रूप में हो सकता है | इस प्रकार की गुणात्मक सामग्री के लिए अन्तर्वस्तु विश्लेषण की उपादेयता की आवश्यकता है |

विषय वस्तु विश्लेषण में शोधकर्ता अध्ययन किये जाने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का सीधे प्रेक्षण या निरीक्षण नहीं करता और ना ही वह उन व्यक्तियों का साक्षात्कार लेता है या उनके विचारों को किसी प्रश्नावली के प्रश्नों के माध्यम से जानने की कोशिश करता है बल्कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गए संचारों या उनके व्यवहारों के बारे में इकट्ठा किये गए दस्तावेजों का विश्लेषण करता है और निष्कर्ष पर पंहुचने की कोशिश करता है (**सिंह, अरुण कुमार** 2011) | यह विश्लेषण अभिलेख या संचार की सामग्री के वर्गीकरण, व्यवस्था और तुलना से सम्बन्धित है |

विषय वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य -

1. वर्तमान हालातों और प्रचलनों का वर्णन करना और उसकी व्याख्या करना ;
2. लेखक के प्रमुख सम्प्रत्यय, विश्वास, चिंतन एवं लेखन शैली का पता लगाना ;
3. किसी घटना या प्रतिफल से सम्बंधित संभावित कारकों की पहचान करना और उसकी व्याख्या करना ;
4. विद्यार्थियों के कार्यों की विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का विश्लेषण करना ;
5. विभिन्न विषयों या समस्याओं के तुलनात्मक महत्व का पता लगाना ;

6. विभिन्न संकेतों के प्रयोग का विश्लेषण करना ;
7. प्रस्तुत सामग्री से सम्बंधित प्रचार एवं पूर्वाग्रह का मूल्यांकन करना |

विषय वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण -

1. विश्लेषण इकाई को परिभाषित कर चरों की पहचान करना एवं उनका श्रेणीयन करना ;
2. विश्लेषण सामग्री की इकाईयों को उनकी आवृति, दिशा और वेग के अनुसार वर्गीकृत करना ;
3. इकाई की अनुकूलता या प्रतिकूलता परखने के लिए आसंग विश्लेषण करना ;
4. उपलब्ध इकाइयों में से प्रतिचयन कर विश्लेषण की रूपरेखा का निर्माण करना ;
5. संकेतकों का चयन और उनका अभिलेखन करना |

विषय वस्तु विश्लेषण की विधि - विषय वस्तु विश्लेषण को मूल रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है -

1. समष्टि को परिभाषित करना तथा उसका विभक्तिकरण करना |
2. विश्लेषण की इकाई का निर्धारण (शब्द, विषय, एकांश, स्वलक्षण तथा दिक्काल) करना |
3. परिमाणन (संज्ञानात्मक, क्रमिक, रेटिंग) करना |

3.6 शोध अध्ययन के उद्देश्य:-

वर्तमान अध्ययन में शोध समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित उददेश्यों का निर्धारण किया गया है -

1) राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन करना ;

2) राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा लागू करने में विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना ;

3) प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण कर उनकी खामियों का अध्ययन करना ;

4) राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने व सफलता पूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न हितधारकों या संबद्ध पक्षों (stakeholders) का विश्लेषण करना ;

5) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं और नीतियों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक योजना का सुझाव देना |

3.7 समष्टि (जनसंख्या):-

समष्टि से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह से हैं जिन पर शोध कार्य किया जाता है | प्रस्तुत शोध में राजस्थान राज्य के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले 04 (चार) जिलों अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ व चुरू जिलों के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को शामिल किया गया है |

3.8 न्यादर्श और न्यादर्शन:-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने समय और स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर समावेशी शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि का उपयोग किया गया | राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए निम्न को प्रतिदर्श के रूप में लिया गया |

- **जिलों का चयन :-** राजस्थान राज्य के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले 04 जिलों अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ व चुरू जिलों का चयन सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया | प्राथमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा स्थिति जानने के लिए चारों जिलों का चयन किया गया है |
- **ब्लॉक का चयन :-** शोधकर्ता ने जिलों में स्थित ब्लाक का चयन भी ब्लॉक के विद्यालयों में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या एवं उपलब्धता के आधार पर सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया है |
- **विद्यालयों का चयन :-** विद्यालय का चयन सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया | अलवर जिले के पाँच ब्लॉक के 12 विद्यालयों, भरतपुर जिले के चार ब्लॉक के 09 विद्यालयों, हनुमानगढ़ जिले के चार ब्लॉक के 14 विद्यालयों तथा चुरू जिले के चार ब्लॉक के 11 विद्यालयों का चयन न्यादर्श के रूप में किया गया है |
- **विद्यार्थियों का चयन :-** राजस्थान राज्य अलवर जिले के 22, भरतपुर जिले के 23, हनुमानगढ़ जिले के 22, तथा चुरू जिले के 35 विद्यार्थियों, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के एवं मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित श्रेणी के हैं, का चयन सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया गया है |

❖ **योजनाओं और नीतियों का चयन :-** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की प्राथमिक शिक्षा हेतु संचालित केन्द्र और राज्य सरकार की 05 **(**पाँच**)** शैक्षिक योजनाओं और नीतियों का चयन सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया गया | जिसमें विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षिक संवर्धन एवं प्रसार सम्बन्धित योजनाओं और नीतियों का चयन किया गया है |

❖ **संबद्ध पक्षों या हितग्राहियों (Stakeholder) का चयन :-** संबद्ध पक्षों / हितग्राहियों का चयन सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया गया है | राज्य के चारों जिलों के चयनित ब्लॉक में उपस्थित एवं उपलब्ध **45** अभिभावकों, **100** शिक्षकों, **40** विद्यालय प्राचार्यों, **03** गैर सरकारी संगठनों के संचालकों, **03** जन प्रतिनिधियों, **14** शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा **24** रिश्तेदार/मित्रों/पड़ोसियों का प्रतिदर्श हेतु चयन किया गया है |

तालिका क्र. 4 - शोध प्रतिदर्श के रूप में चयनित विभिन्न संबद्ध पक्षों का विश्लेषण

जिला / ब्लाक	विद्यालय	शिक्षक (पु.+ म.)	विद्यार्थी (पु.+ म.)				प्राचार्य (पु.+ म.)	माता-पिता (पु.+ म.)	पड़ोसी / मित्र (पु.+ म.)	जिला /ब्लाक शिक्षा अधिकारी	जन प्रतिनिधि / स्वयं सेवी संगठन	समुदाय / सामाजिक संगठन
			Total	MR	HI	VI						
04/17	**46**	**100** (54+46)	**100** (56+44)	60 (33+27)	23 (15+8)	17 (8+9)	**40** (29+11)	**45** (12+33)	**24** (12+12)	**03/11**	**03/03**	**04**

तालिका क्र. 4 के अनुसार राजस्थान राज्य में स्थित 33 जिलों में से 04 जिलों अलवर, भरतपुर , हनुमानगढ़ और चुरू का चयन कर चारों जिलों में स्थित 36 ब्लाकों में से 17 ब्लॉक में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्धता के आधार पर ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में से चयनित 46 प्राथमिक विद्यालयों के 100 शिक्षकों/शिक्षिकाओं, 100 विद्यार्थियों (जिसमें 60 मानसिक मंद, 23 श्रवण बाधित, 17 दृष्टि बाधित), 40 विद्यालय प्राचार्यों, 45 अभिभावकों, 24 मित्र/पड़ोसी, 03 जिला शिक्षा अधिकारियों तथा 11 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं 03 जन प्रतिनिधियों व 03 स्वयं सेवी संगठनों, 04 समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के संचालकों को न्यादर्श में शामिल कर प्रदत्तों का संकलन किया गया | न्यादर्श चयन में सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि का उपयोग किया गया |

रेखाचित्र क्र. 7 – संबद्ध पक्षों के वितरण का रेखाचित्रीय प्रदर्शन

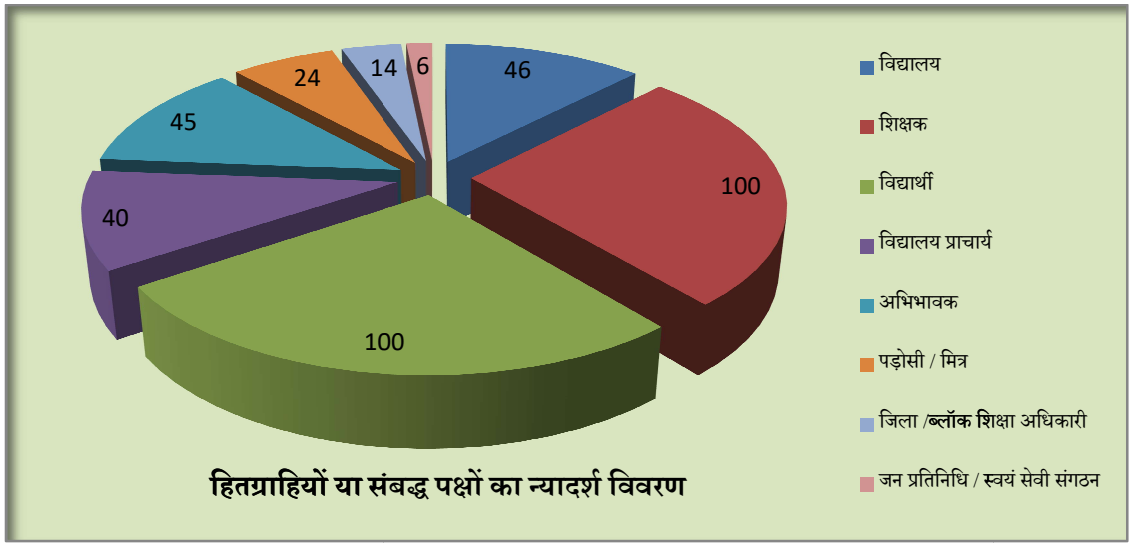

तालिका क्र. 5 - चयनित जिलों में कक्षा 1 से 8 में नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या

जिला	नामांकन वर्ष (2015-16)		कुल दृष्टि बाधित कक्षा (1-8)	कुल श्रवण बाधित कक्षा (1-8)	कुल मानसिक मंद कक्षा (1-8)	न्यादर्श विवरण					कुल योग
	कुल दिव्यांग बालक	कुल दिव्यांग बालिका				बालक	बालिका	कुल मानसिक मंद	कुल श्रवण बाधित	कुल दृष्टि बाधित	
अलवर	3049	2062	353	465	1364	13	09	18	01	03	**22**
भरतपुर	2510	1753	438	325	1148	14	09	18	02	03	**23**
चुरू	1303	986	275	142	494	17	13	11	12	07	**30**
हनुमानगढ़	2075	1389	802	191	519	12	13	13	08	04	**25**
कुल योग	**8937**	**6190**	**1868**	**1123**	**3525**	**56**	**44**	**60**	**23**	**17**	**100**

स्त्रोत – प्रारम्भिक शिक्षा – **डिस्ट्रिक्ट** रिपोर्ट कार्ड -2015-16

तालिका क्र.5 में **राजस्थान राज्य में स्थित** जिलो में से चार जिलों अलवर, भरतपुर, **चुरू और हनुमानगढ़** जिलों का चयन कर चारों जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों से **विशेष आवश्यकता वाले**

विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्धता के आधार पर चयनित 46 प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में नामांकित एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों में से कुल 100 विद्यार्थियों का चयन उपलब्धता के आधार पर किया जिसमें 60 मानसिक मंद, 23 श्रवण बाधित, 17 दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को न्यादर्श में शामिल कर प्रदत्तों का संकलन किया गया | न्यादर्श चयन में सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि का उपयोग किया गया |

तालिका क्र. 6 - न्यादर्श के संग्रहण में शामिल अलवर जिला एवं ब्लॉक के संबद्ध पक्ष

जिला / ब्लॉक	विद्यालय	शिक्षक (पु.+म.)	कुल विद्यार्थी (पु.+ म.)	मानसिक मंद	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित	प्राचार्य (पु.+म.)	माता-पिता (पु.+म.)	पड़ोसी / मित्र (पु.+म.)	जिला / ब्लॉक शिक्षाअधिकारी	जन प्रतिनिधि / स्वयं सेवी व सामाजिक संगठन
अलवर	**12**	**24 (8+16)**	**22 (13+9)**	**18**	**01**	**03**	**10 (9+1)**	**08 (2+6)**	**07 (3+4)**	**01/03**	**01/01/ 01**
अलवर	03	06 (2+4)	03 (1+2)	03	-	-	02	02 (0+2)	01 (0+1)	**01**/01	**-**
राजगढ़	02	05 (0+5)	07 (4+3)	04	-	03	03	03 (2+1)	01 (1+0)	-	-
रामगढ़	04	05 (3+2)	08 (7+1)	07	01	-	02	03 (0+3)	03 (1+2)	01	-
रैनी	01	02 (1+1)	02 (1+1)	02	-	-	01	-	02 (1+1)	01	-
किशनगढ़	02	06 (2+4)	02 (0+2)	02	-	-	02	-	-	-	-

तालिका क्र. 6 में राजस्थान के जिला अलवर में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्धता के आधार पर पाँच ब्लॉक / तहसीलों को चयनित किया गया | जिला अलवर में स्थित विद्यालयों में से चयनित 12 प्राथमिक विद्यालयों के 24 शिक्षकों/शिक्षिकाओं, 22 विद्यार्थियों (जिसमें 18 मानसिक मंद, 01 श्रवण बाधित, 03 दृष्टि बाधित), 10 विद्यालय प्राचार्यों, 08 अभिभावकों, 07 मित्र पड़ोसी एवं 01 जिला तथा 03 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, 01जन प्रतिनिधि, 01 स्वयं सेवीव 01 सामाजिक संगठन के संचालक / प्रतिनिधि को न्यादर्श में शामिल कर प्रदत्तों का संकलन किया गया | न्यादर्श चयन में सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि का उपयोग किया गया |

तालिका क्र. 7 - न्यादर्श के संग्रहण में शामिल भरतपुर जिला एवं ब्लॉक के संबद्ध पक्ष

जिला / ब्लॉक	विद्यालय	शिक्षक (पु.+म.)	कुल विद्यार्थी (पु.+ म.)	मानसिक मंद	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित	प्राचार्य (पु.+म.)	माता-पिता (पु.+म.)	पड़ोसी / मित्र (पु.+म.)	जिला / ब्लॉक शिक्षाअधिकारी	जन प्रतिनिधि / सामाजिक संगठन
भरतपुर	**09**	**19 (9+10)**	**23 (14+9)**	**18**	**02**	**03**	**08 (3+5)**	**13**	**09**	**04**	**01/0**
सेवर	02	05 (1+4)	06 (3+3)	05	-	01	02	04 (0+4)	01 (0+1)	01	-
नदवई	03	07 (5+2)	07 (3+4)	06	-	01	02	07 (3+4)	05 (3+2)	01	-
कुम्हैर	02	03 (1+2)	07 (5+2)	05	01	01	02	02 (1+1)	03 (2+1)	01	-
बैर	02	04 (2+2)	03 (2+1)	02	01	-	02	-	-	01	-

तालिका क्र.7 में राजस्थान के जिला भरतपुर में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्धता के आधार पर चार ब्लॉक / तहसीलों को चयनित किया गया | जिला भरतपुर में स्थित विद्यालयों में से चयनित 09 प्राथमिक विद्यालयों के 19 शिक्षकों/शिक्षिकाओं, 23 विद्यार्थियों (जिसमें 18 मानसिक मंद, 02 श्रवण बाधित, 03 दृष्टि बाधित), 08 विद्यालय प्राचार्यों, 13 अभिभावकों, 09 मित्र पड़ोसी, 01 जिला शिक्षा अधिकारी तथा 03 ब्लाक शिक्षा अधिकारियों एवं 01 जन प्रतिनिधि को न्यादर्श में शामिल कर प्रदत्तों का संकलन किया गया | न्यादर्श चयन में सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि का उपयोग किया गया |

तालिका क्र. 8 - न्यादर्श के संग्रहण में शामिल हनुमानगढ़ जिला एवं ब्लॉक के संबद्ध पक्ष

जिला / ब्लॉक	विद्यालय	शिक्षक (पु.+म.)	कुल विद्यार्थी (पु.+ म.)	मानसिक मंद	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित	प्राचार्य (पु.+म.)	माता-पिता (पु.+म.)	पड़ोसी / मित्र (पु.+म.)	जिला / ब्लॉक शिक्षाअधिकारी	जन प्रतिनिधि / स्वयं सेवी व सामाजिक संगठन
हनुमानगढ़	**14**	**22** (15+7)	**25** (12+13)	**13**	**08**	**04**	**12** (7+5)	**12**	**03**	**01/03**	**01/02/02**

रावतसर	03	**05** (4+1)	07 (4+3)	04	03	-	03	05 (2+3)	01 (1+0)	**01**/01	-
पीलीबंगा	04	05 (4+1)	06 (5+1)	02	02	02	03	04 (0+4)	01 (1+0)	-	-
टिब्बी	03	06 (4+2)	07 (2+5)	03	02	02	03	02 (0+2)	-	01	-
संगरिया	04	06 (3+3)	05 (1+4)	04	01	-	03	01 (0+1)	01 (0+1)	01	-

तालिका क्र. 8 में राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्धता के आधार पर चार ब्लाक / तहसीलों को चयनित किया गया | जिला हनुमानगढ़ में स्थित विद्यालयों में से चयनित 14 प्राथमिक विद्यालयों के 22 शिक्षकों/शिक्षिकाओं, 25 विद्यार्थियों (जिसमें 13 मानसिक मंद, 08 श्रवण बाधित, 04 दृष्टि बाधित), 12 विद्यालय प्राचार्यों, 12 अभिभावकों, 03 मित्र पड़ोसी, 01 जिला शिक्षा अधिकारी तथा 03 ब्लाक शिक्षा अधिकारियों एवं 01 जन प्रतिनिधि, 02 स्वयं सेवी एवं 02 सामाजिक संगठनों के संचालक / प्रतिनिधि को न्यादर्श में शामिल कर प्रदत्तों का संकलन किया गया | न्यादर्श चयन में सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि का उपयोग किया |

तालिका क्र. 9 - न्यादर्श के संग्रहण में शामिल चुरू जिला एवं ब्लॉक के संबद्ध पक्ष

जिला / ब्लॉक	विद्यालय	शिक्षक (पु.+म.)	कुल विद्यार्थी (पु.+ म.)	मानसिक मंद	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित	प्राचार्य (पु.+म.)	माता-पिता (पु.+म.)	पड़ोसी / मित्र (पु.+म.)	जिला / ब्लॉक शिक्षाअधिकारी	समुदाय एवं सामाजिक संगठन
चुरू	**11**	**35 (22+13)**	**30 (17+13)**	**11**	**12**	**07**	**10 (10+0)**	**12**	**05**	**01/01**	**01**
रतनगढ़	03	**09** (5+4)	10 (5+5)	05	02	03	03	03 (1+2)	02 (1+1)	-	
राजगढ़	03	**09** (7+2)	09 (6+3)	02	05	02	02	-	02 (0+2)	-	
तारानगर	03	**09** (6+3)	07 (2+5)	03	03	01	03	07 (1+6)	-	-	
चुरू	02	**08** (4+4)	04 (4+0)	01	02	01	02	02 (2+0)	01 (1+0)	01/01	

तालिका क्र. 9 में राजस्थान के जिला चुरू में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्धता के आधार पर चार ब्लॉकों / तहसीलों को चयनित किया गया | जिला चुरू में स्थित विद्यालयों में से चयनित 11

प्राथमिक विद्यालयों के 35 शिक्षकों/शिक्षिकाओं, 30 विद्यार्थियों (जिसमें 11 मानसिक मंद, 12 श्रवण बाधित, 07 दृष्टि बाधित), 10 विद्यालय प्राचार्यों, 02 अभिभावकों, 05 मित्र पड़ोसी, 01 जिला शिक्षा अधिकारी तथा 01 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं 01 समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के संचालकों को न्यादर्श में शामिल कर प्रदत्तों का संकलन किया गया | न्यादर्श चयन में सोद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि का उपयोग किया गया |

3.9 शोध की परिसीमाएँ:- प्रस्तुत शोध अध्ययन में समय और स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर समावेशी शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए शोधकर्ता ने निम्न परिसीमाओं का निर्धारण किया है -

- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ही न्यादर्श के रूप में चयन किया है |
- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही न्यादर्श में शामिल किया है |
- शोधकर्ता ने शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में केवल मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित को न्यादर्श में शामिल किया है |
- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले 04 (चार) जिलों अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ व चुरू जिलों को न्यादर्श हेतु चयन किया है |
- शोधकर्ता ने प्राथमिक शिक्षा हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से प्रमुख **05 (**पाँच**) योजनाओं और नीतियों** का चयन किया है|
- शोधकर्ता ने **हितग्राहियों या संबद्ध पक्षों** में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय, प्राचार्यों, स्वयं सेवी संगठनों, जन प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों व सामाजिक संगठनों का चयन किया है |
- शोधकर्ता ने प्रदत्तों के संकलन हेतु केवल स्वनिर्मित प्रश्नावली, चैकलिस्ट, साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग किया है |

3.10 न्यादर्शन विधि:- समावेशित शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न संबद्ध पक्षों तथा राजस्थान सरकार की योजनाओं और नीतियों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन विधि से किया गया है |

संबद्ध पक्षों (STAKEHOLDERS) का विवरण

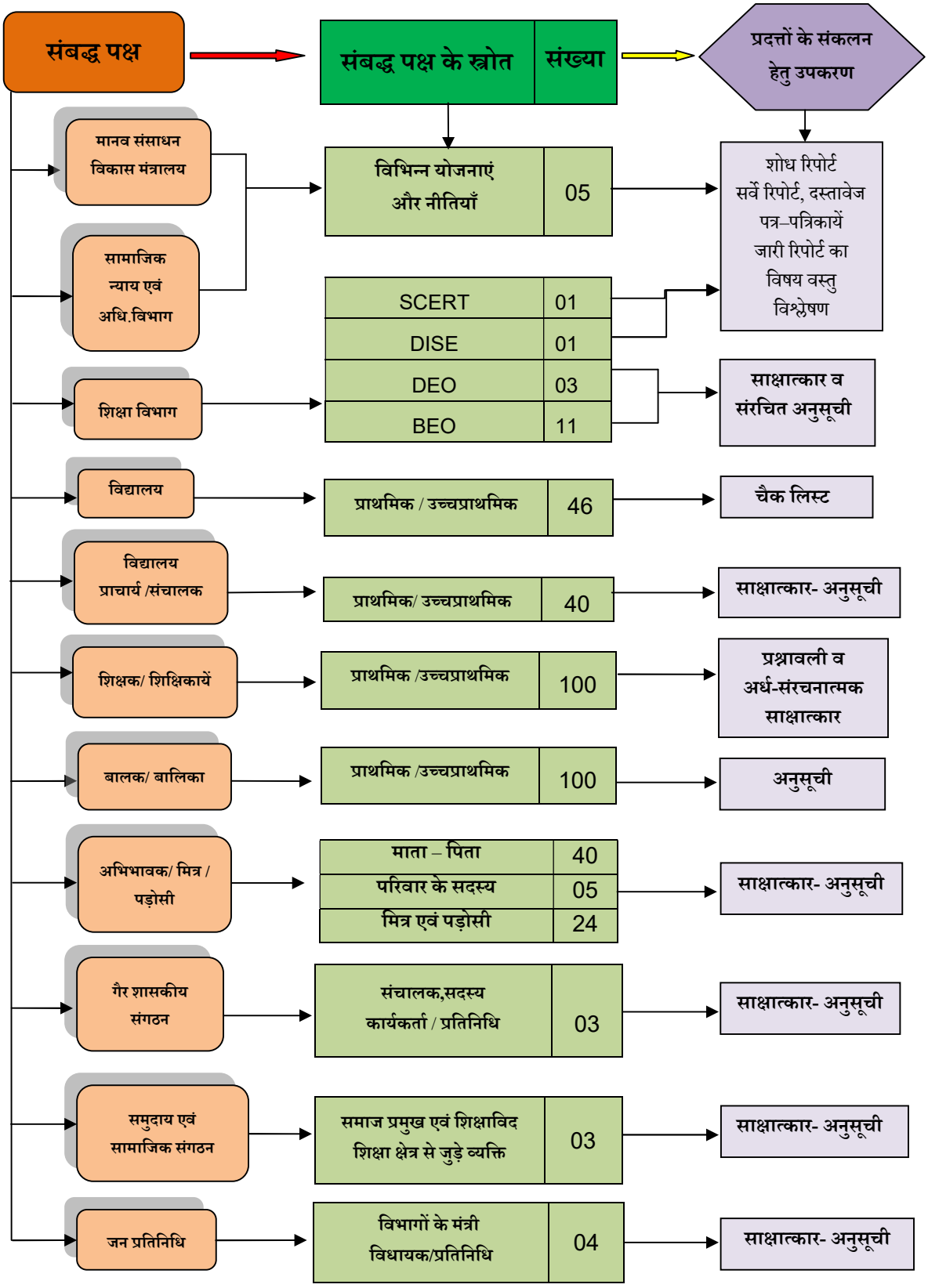

3.11 शोध उपकरण का चयन एवं निर्माण:-

व्यवहारिक विज्ञानों में समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी समस्या के अध्ययन में हम तथ्यों के संकलन से सहायता लेते हैं | प्रत्येक शोध अध्ययन के विषय से संबंधित तथ्यों की प्रकृति बहुत विविधता पूर्ण होती है | इनमें से कुछ तथ्य गुणात्मक प्रकृति के होते हैं जबकि कुछ तथ्य परिणामात्मक प्रकृति के होते हैं | अनुसंधान समस्या तथा आवश्यक प्रदत्त एवं उनके संकलन की प्रविधि एवं उपकरण के मध्य परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है | शिक्षा के व्यवहारिक क्षेत्र में समस्या की प्रकृति के आधार पर प्रदत्त संकलन की उपयुक्त प्रविधि का चयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा विशेष रूप से आवश्यकतानुसार प्रदत्त संकलन की प्रविधि और उपकरणों की रचना कर विकसित किया जाना अपेक्षित होता है |

प्रदत्त संकलन का तात्पर्य – अध्ययन के विषय से सम्बन्धी ऐसी सभी सूचनाओं, तथ्यों तथा आँकड़ों को एकत्रित करने से है जो क्षेत्र कार्य तथा द्वितीयक स्त्रोतों के द्वारा संकलित किये जाते हैं एवं जिनका सम्बन्ध किसी प्रकार की अभिव्यक्ति और प्रलेखों से होता है | मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में तथ्य संकलन के महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे - प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली और मनौवैज्ञानिक परीक्षणों की सहायता से जो सूचनाएँ या आंकड़े या सामग्री एकत्रित की जाती है, उन्हें तथ्य (प्रदत्त) कहते हैं |

शोध अध्ययन में सांख्यकीय विधियों के प्रयोग हेतु आँकड़ें संग्रह किये जाते हैं क्योंकि आँकड़ों के अभाव में सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता है | अध्ययन या अनुसंधान में अनेक प्रकार के आँकड़े एकत्र किये जाते हैं जिन्हें विभिन्न दस्तावेजों तथा प्राथमिक सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है | अत: अध्ययन की सरलता एवं सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु प्रयुक्त तथ्यों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है जो निम्न है -

(1) प्राथमिक आँकड़े **(2)** द्वितीयक आँकड़े

प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान में प्रदत्त संग्रह हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है | प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जाना है | शोध अध्ययन हेतु कोई मानकीकृत परीक्षण उपलब्ध नहीं होने के कारण शोधार्थी ने स्वनिर्मित मापनी का निर्माण और प्रयोग करने का निश्चय किया ताकि प्राप्त प्रतिक्रियाओं का व्यवस्थापन और सांख्यकीय विश्लेषण किया जा सके |

शोधकर्ता ने प्रदत्तों के संग्रहण के लिए राजस्थान राज्य के 33 जिलों में से 04 जिलों अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ और चुरू का चयन किया और उक्त चारों जिलों के कुल 36 ब्लॉकों में से 17 ब्लॉक का चयन कर इन ब्लॉकों में स्थित समस्त विद्यालयों में से 46 विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों, समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुखों, प्रारम्भिक शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों का चयन प्रदत्त संकलन हेतु किया गया |

शोध कार्य का महत्व उसके अध्ययन में प्रयुक्त उपकरणों पर निर्भर करता है क्योंकि उपकरणों की वैधता और विश्वसनीयता पर ही आँकड़ों की वैधता और विश्वसनीयता का निर्धारण होता हैं अत: शोध कार्य में विषयानुरूप उपयुक्त उपकरणों का चयन एवं निर्माण करना परम आवश्यक हैं | प्रस्तुत शोध कार्य के उपकरण निर्माण हेतु सम्बन्धित शोध साहित्य का गहन अध्ययन कर शोधकर्ता ने स्वनिर्मित प्रश्नावली, जांचसूची, साक्षात्कार - अनुसूची प्रपत्र का निर्माण किया जिसमें भाषा की सरलता, स्पष्टता एवं विश्लेषण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया | उपकरण मापनी के प्रारूप की रचना के पश्चात प्रश्नों की भाषा, विषय वस्तु एवं अध्ययन के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से मापनी उपयुक्त है या नहीं, के संदर्भ में विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से परामर्श एवं सुझाव प्राप्त किये गए | विशेषज्ञों के रूप में शोध पर्यवेक्षक, विभागाध्यक्ष एवं विद्यापीठ के वरिष्ठ प्राध्यापकों तथा शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्यों, व्याख्याताओं एवं डाईट व्याख्याताओं से परामर्श व सुझाव प्राप्त किये |

उपकरण निर्माण की प्रक्रिया:-

- **परीक्षण सूची** :- शोधकर्ता ने विद्यालयों में स्थित सामग्री/उपकरण, सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता और उनके कार्य स्तर की स्थिति के संबध में कुल 47 बिन्दुओं का समावेश कर परीक्षण सूची (चैक लिस्ट) तैयार की | विशेषज्ञ व्यक्तियों से परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 24 बिंदुओं को तय कर परीक्षण सूची को अंतिम रूप प्रदान किया |
- **साक्षात्कार - अनुसूची** :- विद्यालय के प्राचार्यों हेतु साक्षात्कार-अनुसूची प्रपत्र का निर्धारण किया गया जिसमें विद्यार्थियों के प्रवेश, नामांकन, उपलब्ध साधनों, शैक्षिक कार्यक्रमों एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा संबंधी कुल 49 प्रश्नों को शामिल किया एवं विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 24 प्रश्नों की साक्षात्कार-अनुसूची को तय किया गया |

- **प्रश्नावली** - शिक्षकों के लिए प्रश्नावली तैयार की गई जिसमें विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्था, वातावरण, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, मौजूद सुविधाओं, साधन एवं उपकरण, सरकार की योजनाओं, समावेशी शिक्षा की समस्या एवं सुझाव सम्बन्धी कुल 47 प्रश्नों का समावेश किया गया | विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 23 प्रश्नों की प्रश्नावली को अंतिम रूप से तय किया |
- **साक्षात्कार एवं संरचित अनुसूची -** जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों हेतु साक्षात्कार एवं संरचित अनुसूची का निर्धारण किया गया जिसमें विद्यालयों में प्रवेश, व्यवस्था व उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षकों की नियुक्ति, शासन की योजनाओं, समावेशन की नीतियों, विभिन्न कार्यक्रमों एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा की स्थिति, विद्यालयीन समस्या पर आधारित कुल 36 प्रश्नों को तय कर अनुसूची का निर्धारण किया | विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 16 प्रश्नों को तय कर अनुसूची को अंतिम रूप प्रदान किया |
- **अनुसूची** - विद्यार्थियों के लिए अनुसूची प्रपत्र निर्धारित किया गया जिसमें विद्यालय की व्यवस्था, पढ़ने-लिखने के वातावरण, शिक्षण सामग्री, खेलकूद, चिकित्सा, भोजन, पुस्तकें, छात्रवृत्ति, विशेष साधन एवं उपकरण, शिक्षकों के व्यवहार सम्बन्धी कुल 21 प्रश्नों का समावेश कर अनुसूची तैयार कर प्रस्तुत की | विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 16 प्रश्नों की अनुसूची को तय किया |
- **साक्षात्कार-अनुसूची -** अभिभावकों के लिए (उद्देश्य क्र. 1 एवं 4 के सम्बन्ध में) पृथक साक्षात्कार-अनुसूची का निर्माण किया गया जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं सरकार की योजनाओं तथा अन्य प्राप्त सुविधाओं के सम्बन्ध उद्देश्य क्र. 1 हेतु 16 प्रश्नों तथा उद्देश्य क्र. 4 हेतु 26 प्रश्नों का समावेश कर अनुसूची तैयार की | विशेषज्ञ व्यक्तियों से परामर्श एवं सुझाव के पश्चात उद्देश्य क्र. 1 हेतु 12 प्रश्नों तथा उद्देश्य क्र. 4 हेतु 11 प्रश्नों को तय कर साक्षात्कार-अनुसूची को अंतिम रूप प्रदान किया |
- **साक्षात्कार-अनुसूची -** स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों हेतु साक्षात्कार-अनुसूची का निर्माण किया जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं समावेशीकरण हेतु संस्था द्वारा किया जाने वाले कार्यों व प्रयासों संबंधी कुल 22 प्रश्नों को शामिल किया | विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 14 प्रश्नों की अनुसूची को अंतिम रूप से तय किया |

- **साक्षात्कार-अनुसूची** – समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुखों हेतु साक्षात्कार-अनुसूची का निर्माण किया जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं समावेशीकरण हेतु संस्था द्वारा किया जाने वाले कार्यों व प्रयासों संबंधी कुल 16 प्रश्नों को शामिल किया | विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 12 प्रश्नों की अनुसूची को अंतिम रूप से तय किया गया |
- **साक्षात्कार-अनुसूची** - जनप्रतिनिधियों के लिए साक्षात्कार-अनुसूची निर्मित की गई जिसमें सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, प्रवेश संबंधी नियमों, विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, साधनों, बजट राशि एवं शोध व अनुसंधान, रोजगार, पुनर्वास, समस्या एवं सुझाव के कुल 20 प्रश्नों को शामिल कर अनुसूची तैयार की | विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्राप्त परामर्श एवं सुझाव के पश्चात 14 प्रश्नों की अनुसूची को अंतिम रूप से तय किया गया |

विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों एवं उसकी वैधता की जांच के पश्चात शोध उपकरणों को अंतिम रूप से तैयार किया गया तथा इन उपकरणों का विद्यालयों, विद्यालय के प्राचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों, समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुखों/सदस्यों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शोध सम्बन्धी आँकड़े संकलित करने हेतु उपयोग किया गया है |

3.12 शोध उद्देश्यों अनुसार प्रदत्तों के संग्रहण हेतु चयनित उपकरण:-

शोध उद्देश्यों के अनुसार प्रदत्तों के संग्रहण के लिए निम्न उपकरणों का निर्धारण किया गया है -

3.12.1. उद्देश्य क्र. 1 के अनुसार आंकड़ों के संग्रहण की प्रविधि :-

- **विद्यालय प्राचार्य** के लिए - स्वनिर्मित परीक्षण सूची (चैक लिस्ट) का उपयोग किया गया जिसमें कुल 24 बिंदुओं का समावेश कर विद्यालयों में स्थित सामग्री/उपकरण, सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता और उनके कार्य स्तर की स्थिति संबंधी आँकड़े संकलित किये | (**परिशिष्ट - I**)
- **विद्यार्थियों के लिए** कुल 16 प्रश्नों की स्वनिर्मित अनुसूची का उपयोग किया गया जिसमें 14 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के तथा शेष 02 प्रश्नों पर विद्यार्थियों के विचारों की प्रतिक्रिया प्राप्त की गई | (**परिशिष्ट - II**)

- **अभिभावकों तथा रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी** के लिए- साक्षात्कार - अनुसूची का उपयोग किया जिसमें कुल 12 प्रश्नों पर अभिभावक तथा रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी के अभिमत प्राप्त किये गए | (**परिशिष्ट - III**)

3.12.2. उद्देश्य क्र. 2 के अनुसार आंकड़ों के संग्रहण की प्रविधि :-

- **शिक्षकों** के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग शोधकर्ता द्वारा किया गया जिसमें कुल 23 प्रश्नों का समावेश किया गया | जिनमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के तथा प्रश्न क्र. 21 दिव्यांग बच्चों के सम्बन्ध में तथा प्रश्न क्र. 22 एवं 23 समावेशी शिक्षा की समस्या एवं सुझाव सम्बन्धी है, पर मत प्राप्त किये गए | (**परिशिष्ट - IV**)
- **शिक्षा विभाग** के अधिकारियों के लिए - संरचित साक्षात्कार - अनुसूची प्रपत्र का उपयोग किया गया जिसमें कुल 16 प्रश्नों का समावेश कर दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं और उनके द्वारा किये गए कार्यों, समावेशी शिक्षा की समस्या एवं सुझाव पर विचार एवं मत प्राप्त किये गए | (**परिशिष्ट - V**)
- **विद्यालय संचालक/प्राचार्य** के लिए 24 प्रश्नों की साक्षात्कार - अनुसूची का उपयोग कर विद्यालय प्राचार्यों से दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी योजनाओं, नीतियों और उनके द्वारा किये गए कार्यों की जानकारी, समावेशी शिक्षा की समस्या एवं सुझाव संबंधी विचार एवं मत प्राप्त किये गए | (**परिशिष्ट - VI**)
- **अभिभावक**, रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी के लिए 11 प्रश्नों की साक्षात्कार – अनुसूची का उपयोग कर प्रश्नों के उत्तर के रूप में अभिभावकों के विचार एवं सुझाव प्राप्त किये गए | (**परिशिष्ट - VII**)
- **स्वयं सेवी संगठन** के लिए साक्षात्कार – अनुसूची प्रपत्र का उपयोग किया जिसमें कुल 14 प्रश्नों का समावेश किया गया | इन प्रश्नों के द्वारा स्वयं सेवी संगठनों से विभिन्न योजनाओं तथा समावेशी शिक्षा पर वक्तव्य प्राप्त किये गए | (**परिशिष्ट - VIII**)
- **समुदाय एवं सामाजिक संगठन** के लिए – कुल 12 प्रश्नों की साक्षात्कार एवं अनुसूची का उपयोग कर समुदाय के अनुभवी व्यक्तियों से समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त की गई | (**परिशिष्ट - IX**)
- **जनप्रतिनिधि** के लिए साक्षात्कार - अनुसूची प्रपत्र का उपयोग किया गया जिसमें कुल 14 प्रश्नों का समावेश कर दिव्यांग बच्चों की समावेशित शिक्षा के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी के साथ समावेशी शिक्षा की समस्या एवं सुझाव के मत प्राप्त किये | (**परिशिष्ट - X**)

3.12.3 उद्देश्य क्र. 3 के अनुरूप विश्लेषण प्रविधि :- केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों में से **05** योजनाओं और नीतियों का चयन किया गया और योजनाओं और नीतियों में व्याप्त मजबूती, कमियों /खामियों, अवसरों और चुनौतियों/खतरों का मूल्यांकन करने के लिए **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis) विधि का उपयोग किया गया |

3.12.4 उद्देश्य क्र. 4 के अनुसार आंकड़ों के संग्रहण की प्रविधि :- अभिभावकों के लिए साक्षात्कार-अनुसूची, विद्यालय संचालक / प्राचार्य के लिए - साक्षात्कार एवं अनुसूची, शिक्षकों के लिए स्वनिर्मित प्रश्नावली, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए - साक्षात्कार एवं संरचित अनुसूची, जनप्रतिनिधियों के लिए साक्षात्कार - अनुसूची, स्वयं सेवी संगठनों के लिए साक्षात्कार - अनुसूची, रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी के लिए साक्षात्कार - अनुसूची, समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के लिए - साक्षात्कार एवं अनुसूची का उपयोग कर आँकड़ों का संकलन किया गया |

3.12.5 उद्देश्य क्र. 5 के अनुरूप विश्लेषण की प्रविधि:-

सर्वप्रथम नीति प्रस्ताव के लक्ष्यों का निर्धारण कर संभावित समाधान को प्रस्तुत किया गया | तत्पश्चात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तीन नीति विकल्पों की विवेचना की गयी तथा नीति विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए मानदंड/कसौटी वैकल्पिक आव्यूह (मैट्रिक्स), स्वॉक विश्लेष्ण एवं चुनौती विश्लेषण का उपयोग कर सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक का चयन कर नीति के क्रियान्वयन की रणनीति तैयार की गयी |

3.13 प्रदत्त संकलन :-

किसी भी अनुसंधान में न्यादर्श एवं उपकरणों के चयन के पश्चात प्रदत्तों के संकलन की समस्या उपस्थित होती है अत: विश्वसनीय एवं वैध प्रदत्त प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें एक निश्चित विधि द्वारा एकत्रित किया जाए तथा प्रदत्तों के संकलन में जिन उपकरणों का उपयोग किया जा रह हो उन्हें निर्देशानुसार वांछित परिस्थितियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयोग किया जा सके |

3.14 प्रदत्त संकलन की योजना :- प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप न्यादर्श एवं उपकरणों की प्रकृति के अनुसार प्रदत्तों के संकलन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई ताकि शोध कार्य को व्यवस्थित रूप से पूर्ण किया जा सके | इस कार्य हेतु सर्वप्रथम शोध पर्यवेक्षक एवं निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ से प्रदत्तों के संकलन हेतु प्राधिकार पत्र प्राप्त कर न्यादर्श हेतु चयनित संबद्ध पक्षों से संपर्क करके उपकरणों को प्रशासित किया गया है |

3.15 प्रदत्तों के स्त्रोत:-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा प्रदत्तों के स्त्रोत के रूप में राजस्थान राज्य के चार जिलों के विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा मित्र/पड़ोसी, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों, समुदाय एवं सामाजिक संगठनों के प्रमुख व्यक्तियों, प्रारम्भिक शिक्षा के जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों का चयन प्रदत्त संकलन के स्त्रोत के रूप में किया गया |

3.16 प्रदत्तों की प्रकृति:-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा प्रदत्तों के संकलन हेतु उपकरण के रूप में स्वनिर्मित प्रश्नावली, अनुसूची, स्वनिर्मित जांचसूची (चैकलिस्ट), साक्षात्कार (व्यक्तिगत व सामूहिक, संरचनात्मक तथा अर्ध-संरचनात्मक) एवं प्रत्यक्ष अवलोकन का उपयोग किया है अत: प्रदत्तों की प्रकृति मात्रात्मक प्रकार की है |

3.17 प्रदत्तों को संकलित करने की प्रक्रिया :-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा प्रदत्तों के संकलन के लिए प्रश्नावली एवं अनुसूची का प्रयोग किया गया | स्वनिर्मित जांच सूची, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति जानने हेतु प्रपत्र तैयार किये गए |

स्वनिर्मित प्रश्नावली एवं अनुसूची द्वारा प्रदत्तों का संकलन करने के लिए शोधकर्ता ने राजस्थान के चार जिलों के 17 ब्लॉकों के चयनित 46 विद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आंकड़ों का एकत्रीकरण किया | ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित एवं उपस्थित विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से प्रश्नावली पत्रक भरने को दिया | श्रवण बाधित विद्यार्थियों ने स्वयं पढ़कर प्रश्नावली का उत्तर दिया परन्तु शैक्षिक मानसिक मंद (EMR) एवं दृष्टि बाधित विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों/ स्त्रोत शिक्षकों की सहायता से जानकारी भरकर पुन: प्रपत्र

शोधकर्ता को लौटा दिया तथा कुछ से शोधकर्ता ने स्वयं जानकारी प्राप्त कर प्रश्नावली को पूर्ण किया | जांच सूची को स्वयं शोधकर्ता ने प्रत्यक्ष अवलोकन और विद्यालयों के प्राचार्यो के माध्यम से पूर्ण किया | शिक्षकों की प्रश्नावली को चयनित विद्यालयों के शिक्षकों ने स्वयं पूर्ण कर शोधकर्ता को लौटा दिया | शिक्षा विभाग के अधिकारियों, अभिभावकों / रिश्तेदार या मित्र/पड़ोसियों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों, समुदाय एवं सामाजिक संगठन के व्यक्तियों से साक्षात्कार एवं अनुसूची के उपयोग द्वारा शोधार्थी ने आँकड़ों का एकत्रीकरण किया | इसके पश्चात शोधकर्ता ने प्राप्त आँकड़ों का सारणीयन कर शोध के उद्देश्यों के अनुरूप प्राप्त आँकड़ों का वर्गीकरण किया |

3.18 शोध में प्रयुक्त सांख्यकीय विधि :-

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने शोध अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप आँकड़ों का संग्रहण एवं सारणीयन किया | प्राप्त प्रदत्तों की प्रकृति के अनुरूप आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए सामान्य सांख्यिकी विधियों का चयन किया ताकि प्राप्त आँकड़ों की व्याख्या तथा परिणाम को ज्ञात करने में सुगमता हो | अत: शोधकर्ता ने सामान्य सांख्यिकी के अंतर्गत आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए **प्रतिशत विधि** का उपयोग किया|

उपसंहार :-

प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य में अपनाई गई विधियों एवं उपकरणों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया | शोधकर्ता ने अपने अनुसंधान में मिश्रित शोध विधि के अन्तर्गत 'अनुक्रमित व्याख्यात्मक विधि' का उपयोग शोध समस्या को हल करने हेतु किया | परिमाणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण हेतु विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया तथा चयनित न्यादर्श, आंकड़ों के एकत्रीकरण, शोध उपकरणों के निर्माण की विधि एवं प्रशासन का समावेशन किया गया |

प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं उनकी विवेचना चतुर्थ अध्याय में की गई है |

----------*******----------

अध्याय - चतुर्थ

आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, व्याख्या एवं निर्वचन

गत अध्याय में अनुसंधान की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत अध्ययन की विधि, न्यादर्श चयन, उपकरण निर्धारण, अध्ययन की प्रक्रिया एवं प्रदत्तों के संकलन के अनुभवों का वर्णन किया गया है | प्रदत्त संकलन का कार्य अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमाण एकत्रित करना होता है जिन्हें विभिन्न उपकरणों एवं विधियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है जो प्राय: प्रश्नों के उत्तरों, उदाहरणों, टिप्पणियों, अंकों आदि के रूप में मात्रात्मक अथवा गुणात्मक प्रकार के होते है जिनका विश्लेषण एवं विवेचना कर परिणामों को प्राप्त किया जाता है |

4.1 प्रस्तावना:-

सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी शोध अध्ययन में विभिन्न उपकरणों द्वारा संकलित आंकड़ें एवं सूचनाएँ तब तक अर्थहीन होती है जब तक उनका सुनियोजित ढंग से विश्लेषण करके उनकी उचित रूप से विवेचना या व्याख्या न की जाए | शोध अध्ययन में प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण एक विशिष्ट स्थान रखता है इसलिए शोध अध्ययन में तथ्यों को एकत्रित कर लेने मात्र से ही अध्ययन के विषय का वास्तविक अर्थ एवं उसका परिणाम तब तक स्पष्ट नहीं हो पाता है जब तक की एकत्रित किये गए तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनका सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या न की जाए | अत: सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आंकड़ों को सुव्यवस्थित कर उनका विश्लेषण करना क्योंकि अनुसंधान के कार्य में तथ्यों का विश्लेषण किये बिना उसका वास्तविक उपयोग पूर्ण नहीं हो सकता है |

आंकड़ों के विश्लेषण का अर्थ है – 'प्राप्त अपूर्ण आंकड़ों को पूर्णतया अर्थपूर्ण बनाना' ताकि शोध को एक निश्चित दिशा प्रदान करके वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके |

4.2 संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण - शोध कार्य में एकत्रित आंकड़ों का उपयोग प्राप्त परिणामों की गणना की आधार सामग्री के रूप किया जाता है | प्रदत्तों के विश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न उपक्रियाएं संपादित की जाती है:-

1. **प्रदत्तों का संपादन/संकेतीकरण** - यह विश्लेषण प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है | इस अवस्था में सामग्री को प्रयोज्य कर व्यवस्थित किया जाता है अर्थात सामग्री का निरीक्षण एवं गलतियों का सुधार करना |
2. **प्रदत्तों को वर्गीकृत करना -** यह विश्लेषण प्रक्रिया की द्वितीय अवस्था है | इस अवस्था में प्रदत्तों को समानता और विविधता के आधार पर व्यवस्थित श्रेणियों में विभाजित कर वर्गीकृत किया जाता है | उक्त वर्गीकरण अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार तथा स्थायी और परिवर्तनीय एवं लक्ष्यों के अनुकूल होना चाहिए | इस अवस्था में आंकड़ों को गुणात्मक, परिणामात्मक, सामाजिक व भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत किया जाता है |

3. **प्रदत्तों का सारणीयन** - 'सारणीयन सामग्री के संकलन और उसके परिणाम प्राप्त करने के बीच की प्रक्रिया है |' विषय से सम्बंधित समस्त पक्षों की स्पष्ट विवेचना करने के लिए उन्हें व्यवस्थित, बोधगम्य, स्पष्ट एवं सुगम बनाना अनिवार्य होता है और यह कार्य मूलत: सारणीयन द्वारा ही संभव है |
4. **प्रदत्तों का विश्लेषण** - विश्लेषण की सहायता से संकलित तथ्यों को उचित एवं सम्बन्धों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है | विश्लेषण, सारणीयन के बाद का अगला कदम है और इसके बिना शोध कार्य को अपूर्ण माना जाता है | पी.वी.यंग ने तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण को 'शोध का सृजनात्मक पक्ष' बताया है |

4.3 अध्ययन में विश्लेषण और निर्वचन का महत्त्व:-

शोध कार्य में विश्लेषण और निर्वचन का बहुत अधिक महत्व है | प्रदत्तों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निर्वचन ही अध्ययन के तथ्यों, परिणामों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के सम्बन्धों की व्याख्या करता है | प्रदत्त विश्लेषण की प्रक्रिया में प्रदत्तों का संपादन, सारणीयन, परिकल्पनाओं की सत्यता का परीक्षण एवं सांख्यकीय विधियों का उपयोग किया जाता है | प्रदत्त विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य एक नियमबद्ध तरीके से विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए शोध समस्या के परिणाम तक पहुँचना होता है | आँकड़ों की प्रवृत्ति प्राय: उन उपकरणों या प्रविधियों पर ही निर्भर करती है जिन्हें प्रदत्त संकलन में शोधार्थी द्वारा प्रयोग में लाया जाता है | प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने स्वनिर्मित जाँच सूची, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार-अनुसूची प्रपत्रों का प्रदत्तों के संकलन के उपकरण के रूप में उपयोग राजस्थान राज्य के चयनित चारों जिलों के चयनित ब्लॉक में स्थित विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षा अधिकारियों से सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु किया |

शोध अध्ययन में उद्देश्यों का निर्धारण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है | उद्देश्यों के निर्धारण के अभाव में शोधकर्ता को न तो शोध के विषय का ज्ञान हो पाता है और ना ही वह कार्य करने की दिशा एवं परिसीमाओं का निर्धारण कर पाता है | उद्देश्यों के निर्धारण के द्वारा ही शोध कार्य उचित दिशा में लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है |

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है :-

1) राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन करना ;

2) राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा लागू करने में विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना ;

3) प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण कर उनकी खामियों का अध्ययन करना ;

4) राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने व सफलता पूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न हितधारकों या संबद्ध पक्षों (stakeholders) का विश्लेषण करना ;

5) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं और नीतियों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक योजना का सुझाव देना |

वर्तमान अध्ययन में शोध समस्या के समाधान हेतु कुल पाँच उददेश्यों का निर्धारण किया गया | शोध समस्या के समाधान हेतु उद्देश्यों के अनुरूप आँकड़ों का संग्रहण किया गया और प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण और उनका निर्वचन कर विवेचना की गयी |

4.4 शोध उद्देश्यों के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचना - शोध हेतु निर्धारित उद्देश्यों के सम्बन्ध में संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण कर प्राप्त परिणामों की विवेचना इस प्रकार की गयी है |

4.4.1 उद्देश्य क्र. 1 के आँकड़ों की विश्लेषणात्मक विवेचना

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन"

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य 33 जिलों में से चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में से 46 विद्यालयों का चयन किया | जिसमें अलवर जिले के 12, भरतपुर जिले के 09, हनुमानगढ़ जिले के 14 तथा चुरू जिले के 11 विद्यालयों का चयन किया तथा अनुसूची, परीक्षण सूची, स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग कर विद्यालयों से आंकड़े प्राप्त किये एवं प्राप्त आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रदर्शन, बिन्दुवार विश्लेषण और उनकी विस्तृत विवेचना निम्न प्रकार की गई -

4.4.1.1 परीक्षण सूची (चैक लिस्ट) की बिन्दुवार विश्लेषणात्मक विवेचना:-

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित जिलों में से चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में से चयनित 46 विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री, उपकरण एवं व्यवस्था से सम्बंधित आँकड़ों का संग्रहण करने के लिए 24 बिन्दुओं पर आधारित परीक्षण सूची का उपयोग कर स्वयं उपस्थित होकर विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री/उपकरण एवं शिक्षण व्यवस्था का अवलोकन किया एवं आंकड़े प्राप्त किये | प्राप्त आँकड़ों का बिन्दुवार विश्लेषण और उनकी विवेचना इस प्रकार की गई है :-

बिंदु क्र. 1 – विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अनुपात की उपलब्धता (आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अनुसार) के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 34 विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात उपलब्ध है इनमें से 08 विद्यालयों में अस्थाई रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की हुई है जबकि शेष 12 विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक / शिक्षिकाओं की उपलब्धता नहीं है | बिंदु क्र. 1 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है :–

रेखाचित्र क्र. 8 A - बिंदु क्र. 1 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

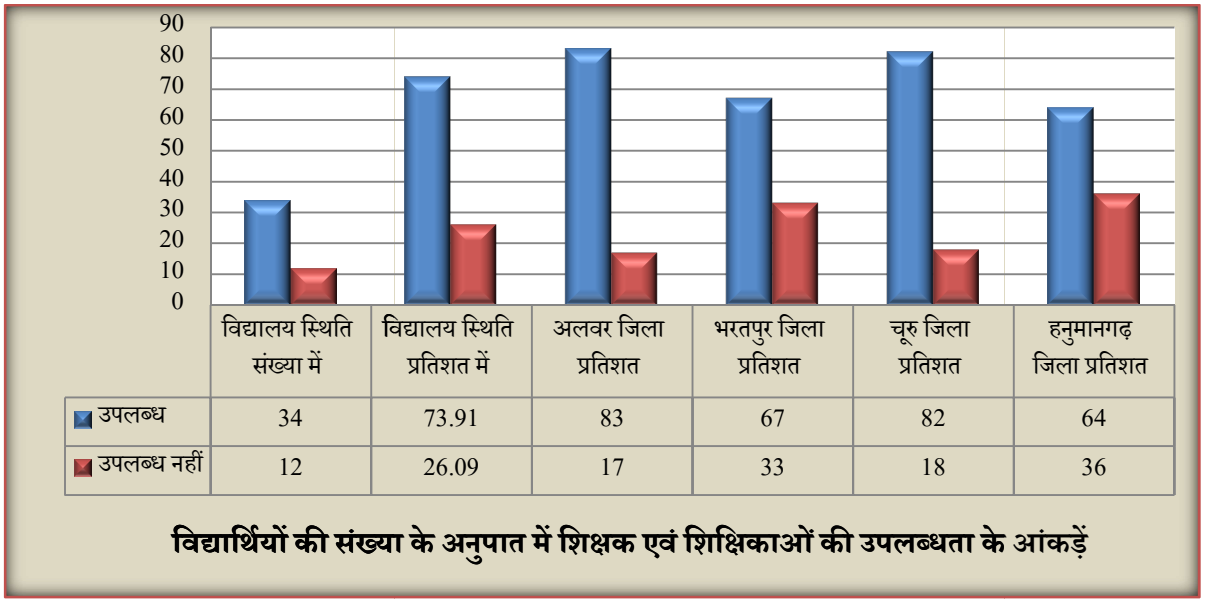

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	34	73.91	83	67	82	64
उपलब्ध नहीं	12	26.09	17	33	18	36

विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता के आंकड़ें

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 8 A में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार औसतन चारों जिलों में स्थित 73.91 % विद्यालयों में ही विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नियमानुसार शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात उपलब्ध है इनमें से 17. 39 % विद्यालयों में शिक्षक अल्प समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं यानि अस्थाई या प्रतिनियुक्ति पर अध्यापन कार्य करते है जबकि शेष बचे 26.09 % विद्यालयों में यह अनुपात उपलब्ध नहीं है | चारों जिलों में अलवर और चुरू जिले के क्रमश: 83 % और 82 % तथा भरतपुर के 67 % एवं हनुमानगढ़ के 64 % विद्यालयों में ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यार्थियों की संख्यानुसार शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात उपलब्ध है जबकि हनुमानगढ़ जिले के 36 %, भरतपुर के 33 %, अलवर के 17 % तथा चुरू जिले के 18 % विद्यालयों में यह अनुपात उपलब्ध नहीं है | अलवर और चुरू जिले की तुलना में भरतपुर एवं हनुमानगढ़ जिले की उपलब्धता का प्रतिशत अपेक्षित रूप में कम है परन्तु किसी भी जिले में उपलब्धता का यह अनुपात पूर्ण नहीं है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एक चौथाई विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की कमी है बिना शिक्षकों की उपलब्धता के सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है |

रेखाचित्र क्र. 8B - चयनित जिलों व ब्लॉक में शिक्षक व शिक्षिकाओं के अनुपात की उपलब्धता के आंकड़े

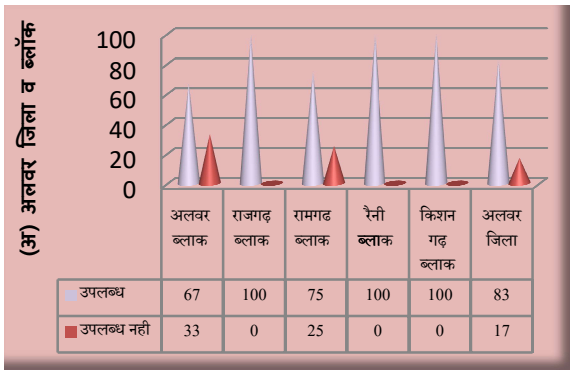

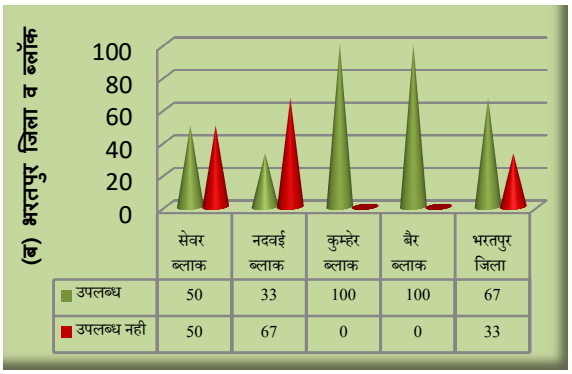

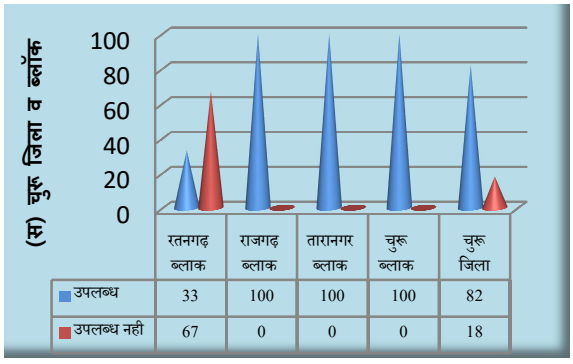

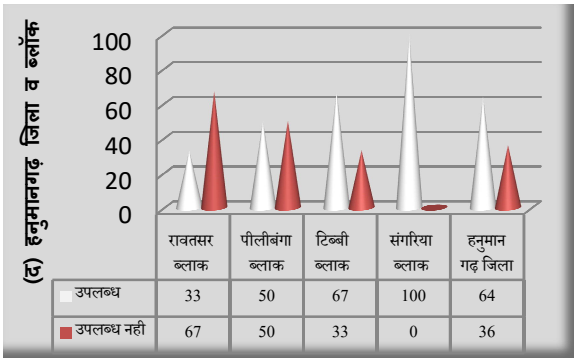

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के रामगढ़ ब्लॉक के 75 %, अलवर के 67 %, तथा राजगढ़, किशनगढ़ व रैनी ब्लॉक के शत प्रतिशत विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात पूर्णतया उपलब्ध है | तुलनात्मक रूप से पाँचों ब्लॉक में राजगढ़, किशनगढ़ और रैनी की स्थिति अलवर और रामगढ़ से बेहतर है | **(ब)** भरतपुर जिले के कुम्हेर और बैर ब्लॉक के समस्त तथा सेवर ब्लॉक के 50 % और नदवई ब्लॉक के 33 % विद्यालयों में यह अनुपात उपलब्ध है शेष विद्यालयों में नहीं | तुलनात्मक रूप से चारों ब्लॉक में कुम्हेर और बैर ब्लॉक की स्थिति सेवर और नदवई ब्लॉक के विद्यालयों की तुलना औसत रूप से अधिक है | **(स)** चुरू जिले के राजगढ़, तारानगर और चुरू ब्लॉक के समस्त तथा रतनगढ़ के 33 % विद्यालयों में यह अनुपात पूर्णतया उपलब्ध है | तुलनात्मक रूप से चारों ब्लॉक में राजगढ़, तारानगर और चुरू ब्लॉक के विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से अधिक तथा रतनगढ़ का कम है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक के 33 %, पीलीबंगा के 50 %, टिब्बी के 67 % तथा संगरिया ब्लॉक के 100 % विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का पूर्ण अनुपात है | तुलनात्मक रूप से चारों ब्लॉक में संगरिया ब्लॉक की उपलब्धता औसत से अधिक तथा रावतसर ब्लॉक की औसत रूप से कम है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है | चारों जिलों में हनुमानगढ़ जिले में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता का प्रतिशत सबसे कम है |

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एक चौथाई विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की कमी है बिना शिक्षकों की उपलब्धता के सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है |

बिंदु क्र. 2 - विद्यालयों में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता की स्थिति के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से केवल 04 विद्यालयों में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपलब्ध हैं जबकि शेष 42 विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है | बिंदु क्र. 2 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है:–

रेखाचित्र क्र. 9 A - बिंदु क्र. 2 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

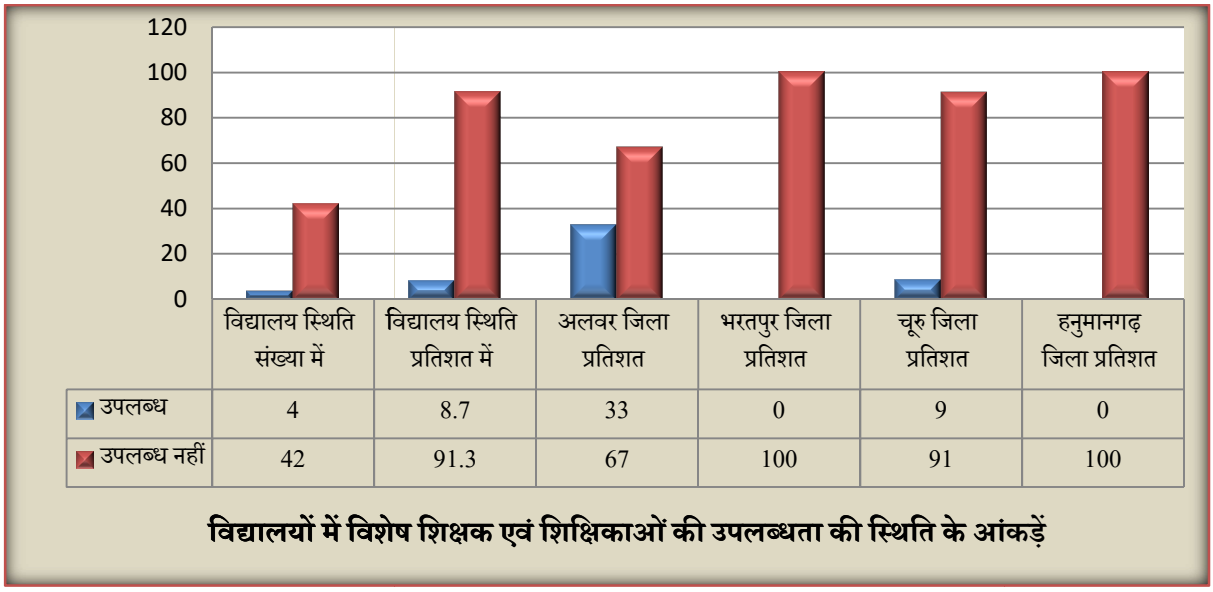

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	4	8.7	33	0	9	0
उपलब्ध नहीं	42	91.3	67	100	91	100

विद्यालयों में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता की स्थिति के आंकड़ें

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 9 A **में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित विद्यालयों में से केवल** 8.70 % **विद्यालयों में ही विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता है जबकि राज्य में स्थित** 91.30 % **विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है** | चारों जिलों में अलवर जिले के 33 % **तथा चुरू जिले के** 9 % **विद्यालयों में ही विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता है जबकि भरतपुर एवं हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयों में यह** अनुपात 0 (शून्य) % है | **तुलनात्मक रूप से अलवर और चुरू जिले में शिक्षकों की उपलब्धता का प्रतिशत शेष दोनों जिलों की तुलना में औसत रूप से अधिक है क्योंकि इन जिलों के कुछ विद्यालयों में स्थाई रूप से विशेष शिक्षक नियुक्ति है जबकि चारों जिलों के शेष विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर या अस्थाई रूप से नियुक्त शिक्षक ही सप्ताह के चयनित दिवस में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षण करवाते हैं** |

आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि चारों जिलों के चयनित 46 **विद्यालयों में से मात्र** 04 **विद्यालयों में** विशेष शिक्षक **एवं शिक्षिकाएं उपलब्ध है जबकि शेष** 42 **विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है** अर्थात 91.30 % **में विशेष शिक्षक नियुक्ति नहीं है इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ब्लॉक में स्थित संदर्भ कक्षों में नियुक्त संदर्भ शिक्षकों की सहायता से शिक्षा** प्राप्त करते हैं | **समस्त विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति किये बिना समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है** |

रेखाचित्र क्र. 9 B - चयनित जिलों व ब्लॉक के विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की उपलब्धता के आंकड़े

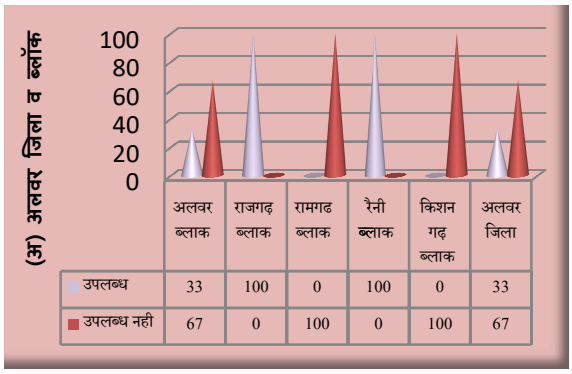

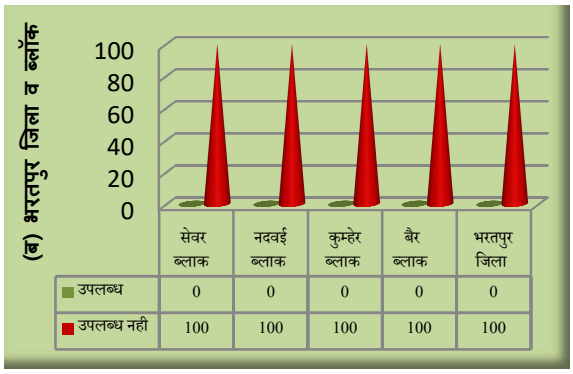

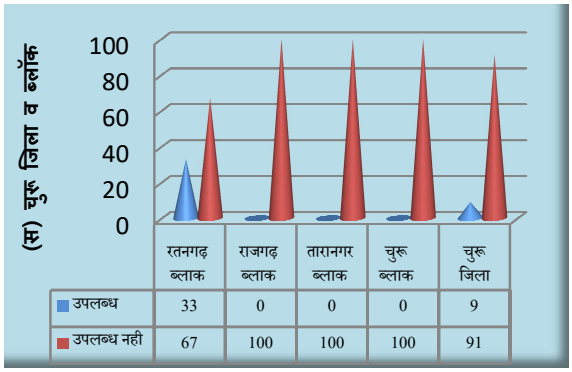

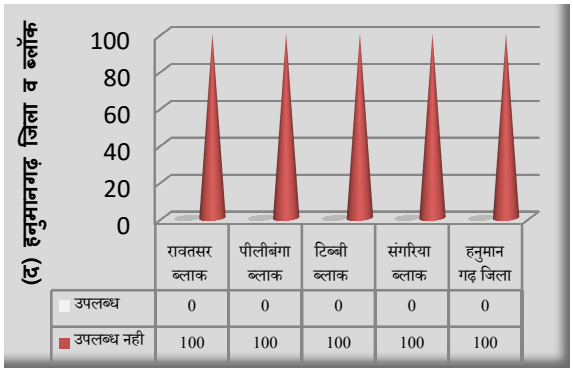

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर ब्लॉक के 33 % राजगढ़ तथा रैनी ब्लॉक के 100 % विद्यालयों में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता है जबकि रामगढ़ और किशनगढ़ ब्लॉक के विद्यालयों में यह अनुपात नगण्य /शून्य (0) है अर्थात जिले के 67 % विद्यालयों में विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं है | तुलनात्मक रूप से जिले के पाँचों ब्लॉक में राजगढ़ एवं रैनी ब्लाक की उपलब्धता की स्थिति बेहतर व पूर्ण है | इन ब्लॉक के सभी विद्यालयों में स्थाई रूप से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है परन्तु किशनगढ़ और रामगढ़ में विशेष शिक्षक की उपलब्धता नगण्य है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ ब्लॉक के 33 % विद्यालयों में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है शेष तीनों ब्लॉक के विद्यालयों में नहीं अर्थात चयनित ब्लॉक के मात्र 9 % विद्यालयों में ही शिक्षक उपलब्ध है जबकि शेष 91 % विद्यालयों की उपलब्धता (शून्य) 0 % है | **(ब)** भरतपुर एवं **(द)** हनुमानगढ़ जिले के चयनित चारों ब्लॉक के एक भी विद्यालय में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता नहीं है यानि जिले के विद्यालयों में

उपलब्धता का प्रतिशत शून्य है | **जिलों के विद्यालयों में स्थाई रूप से विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है केवल प्रतिनियुक्ति पर अस्थाई शिक्षक नियुक्त किये** हुए है |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से अधिक है तथा भरतपुर एवं हनुमानगढ़ दोनों जिलों की उपलब्धता का प्रतिशत 0 % (शून्य) है जो कि अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि विशेष शिक्षकों के अभाव में विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है |

बिंदु क्र. 3 - स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत (सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए) **के संदर्भ में :-** राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 42 विद्यालयों में स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत पूर्णतया मौजूद है जबकि शेष 04 विद्यालयों में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है | बिंदु क्र. 3 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार है:-

रेखाचित्र क्र. 10 A - बिंदु क्र. 3 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

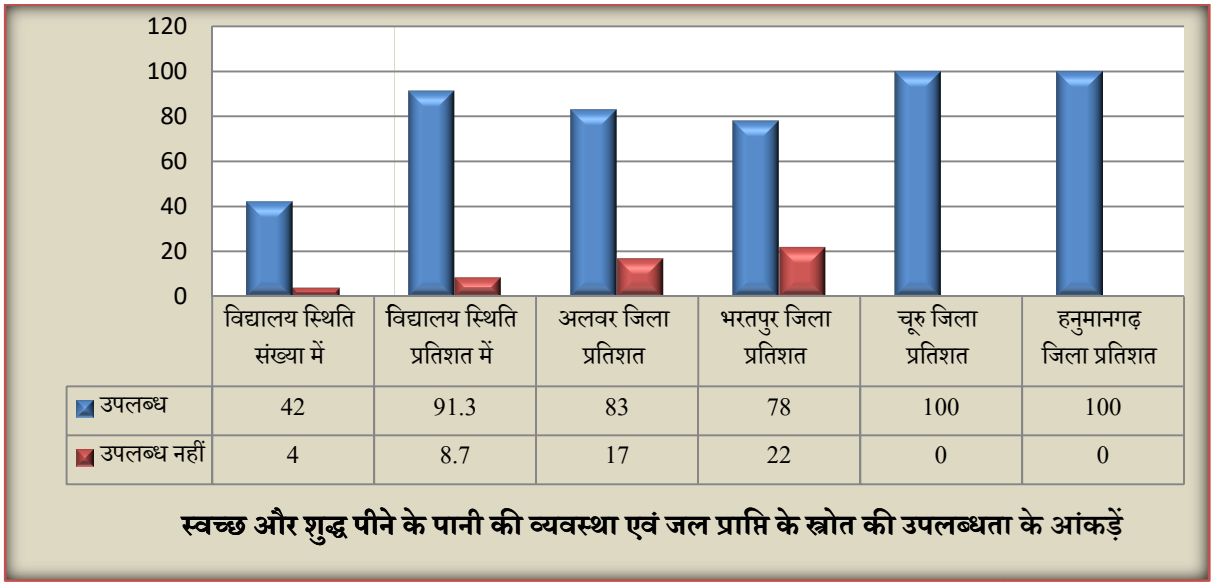

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	42	91.3	83	78	100	100
उपलब्ध नहीं	4	8.7	17	22	0	0

स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत की उपलब्धता के आंकड़ें

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 10 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 91.30 % विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है जबकि 8.70 % विद्यालयों में पीने के पानी की कोई

स्थाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ना ही जल प्राप्ति के स्त्रोत उपलब्ध है | चारों जिलों में हनुमानगढ़ तथा चुरू जिले के शत प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है लेकिन अलवर जिले के 83 % तथा भरतपुर जिले के 78 % विद्यालयों में ही यह सुविधा उपलब्ध है | तुलनात्मक रूप से शुद्ध पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने में अन्य जिलों की अपेक्षा हनुमानगढ़ तथा चुरू जिले की स्थिति बेहतर है | अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 91.30 % विद्यालयों में शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध एवं उपयोग करने की स्थिति में है | (**अनुलग्नक क्र. 1**)

रेखाचित्र क्र. 10 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत की उपलब्धता के आंकड़े

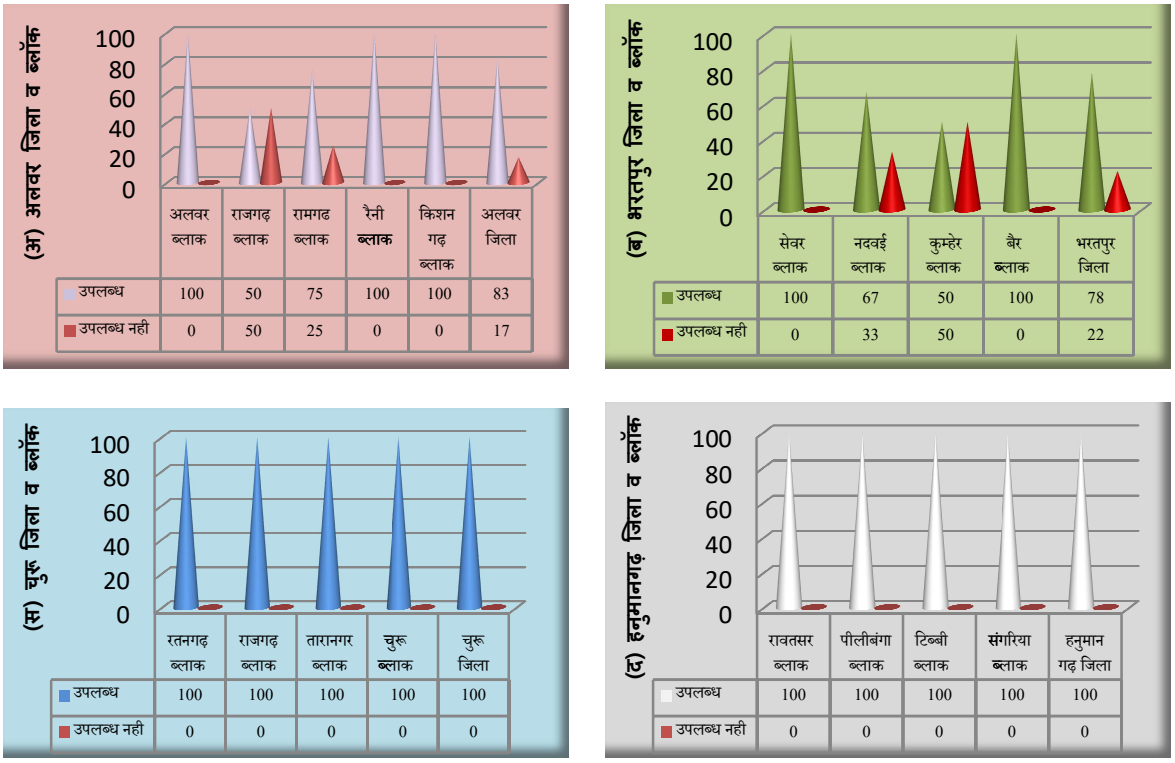

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर, रैनी और किशनगढ़ ब्लॉक के **शत प्रतिशत** विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है जबकि राजगढ़ के 50 % व रामगढ़ ब्लॉक के 75 % विद्यालयों में यह व्यवस्था मौजूद नहीं है यानि जिले के 83 % विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है परन्तु 17 % विद्यालयों में

उपलब्ध नहीं है | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर और बैर ब्लॉक **के समस्त तथा कुम्हेर ब्लाक के** 50% और नदवई ब्लॉक के 67 % **विद्यालयों में स्वच्छ और** शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है यानि जिले के 78 % विद्यालयों में यह सुविधा मौजूद है जबकि 22% **विद्यालयों में नहीं** | चारों ब्लॉक में सेवर और बैर ब्लॉक **में उक्त सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतिशत अधिक है कुम्हेर और नदवई** ब्लॉक की तुलना में | **(स)** चुरू एवं **(द)** हनुमानगढ़ जिले के चयनित चारों ब्लाक के **शत प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध है अर्थात दोनों जिलों के चयनित** ब्लॉक **के सभी विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध** है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों **में चुरू एवं हनुमानगढ़ जिले के** ब्लॉक **में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का** प्रतिशत अलवर व भरतपुर जिले के **ब्लॉक** की अपेक्षा अधिक है | **चारों जिलों में भरतपुर जिले में इस सुविधा की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से सबसे कम है** |

बिंदु क्र. 4 - विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त कक्षा-कक्षों, प्रकाश एवं उपयोगानुसार फर्नीचर की व्यवस्था (सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों) **के संदर्भ में :-** राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 **ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित** 46 विद्यालयों में से 39 **विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के** अनुसार पर्याप्त कक्षा-कक्ष, **प्रकाश एवं विद्यार्थियों के उपयोगानुसार फर्नीचर उपलब्ध है जबकि शेष** 07 विद्यालयों में उक्त व्यवस्थाएँ मौजूद नहीं है | बिंदु क्र. 4 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न है:-

रेखाचित्र क्र. 11 A - बिंदु क्र. 4 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

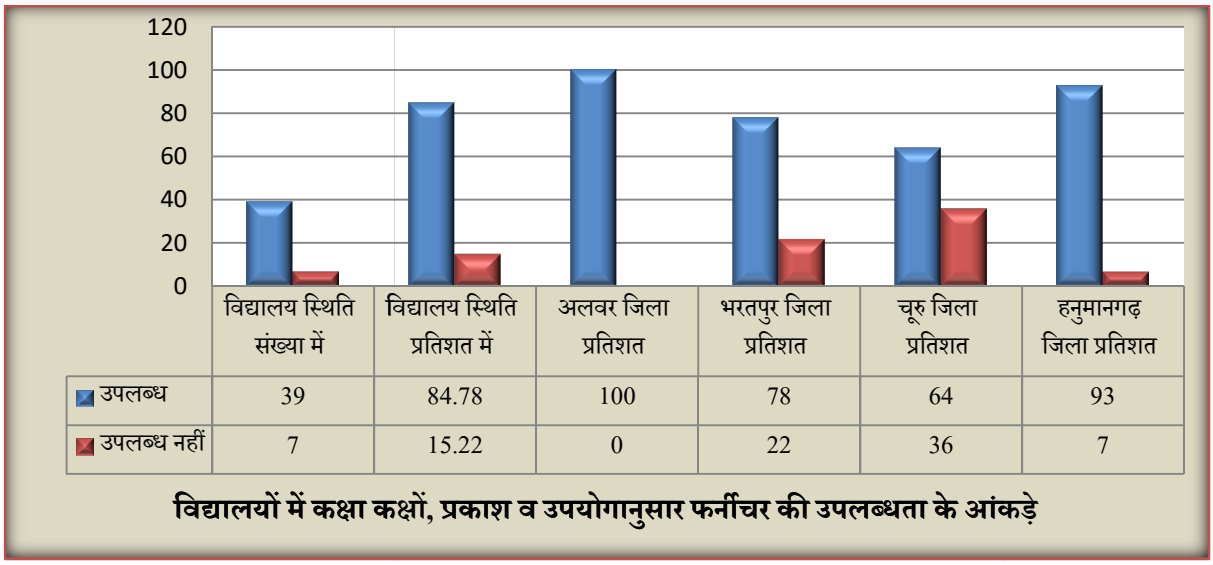

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	39	84.78	100	78	64	93
उपलब्ध नहीं	7	15.22	0	22	36	7

विद्यालयों में कक्षा कक्षों, प्रकाश व उपयोगानुसार फर्नीचर की उपलब्धता के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 11 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 76.09 % विद्यालयों में ही विद्यार्थियों की संख्यानुसार कक्षा-कक्ष उपलब्ध है एवं 50 % विद्यालयों में ही विद्यार्थियों को बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है | 15.22 % विद्यालयों में कक्षा-कक्ष एवं फर्नीचर की उपलब्धता नहीं है, जबकि 8.69 % विद्यालयों में इन सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति औसत रूप से कम है | **चारों जिलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष फर्नीचर की कोई व्यवस्था किसी भी विद्यालय में नहीं है** |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर जिले के 100 % और हनुमानगढ़ के 93 %, भरतपुर के 78 %, तथा चुरू के 64 % विद्यालयों में ही सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्यानुसार कक्षा-कक्ष तथा फर्नीचर की उचित व्यवस्था उपलब्ध है जबकि शेष विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थी पृथक कक्ष के अभाव में एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं इन विद्यालयों में सभी भौतिक संसाधनों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है | अलवर और हनुमानगढ़ जिले की तुलना में भरतपुर में 22 % तथा चुरू में 36 % विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है इन सुविधाओं की उपलब्धता में चुरू जिले की स्थिति अपेक्षाकृत औसत रूप से निम्न स्तर पर है | **(अनुलग्नक क्र. 2)**

अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए चारों जिलों के किसी भी विद्यालय में विशेष फर्नीचर की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होना राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के उपयोगी भौतिक सुविधाओं की कमी को दर्शाता है |

रेखाचित्र क्र. 11 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्ष, प्रकाश एवं फर्नीचर की व्यवस्था के आंकड़े

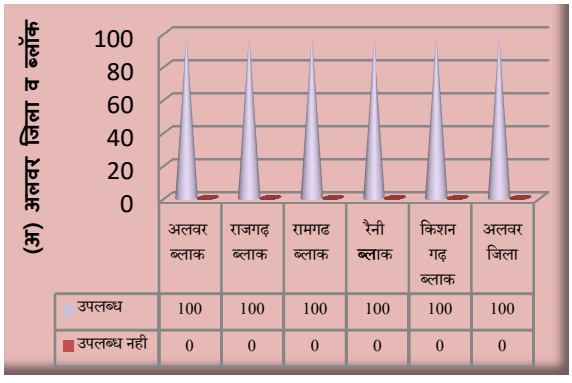

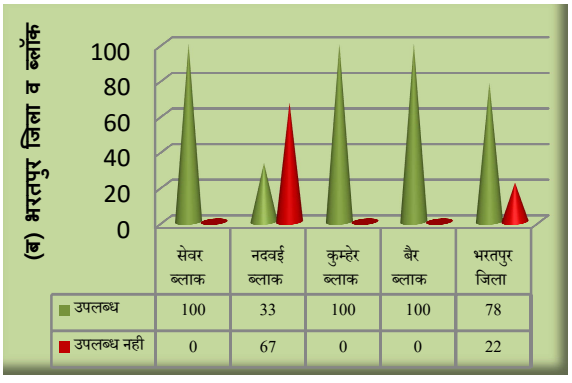

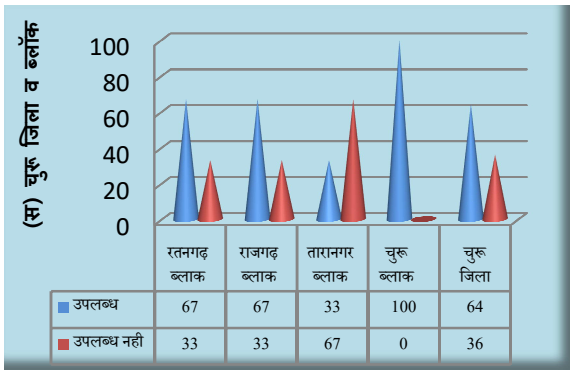

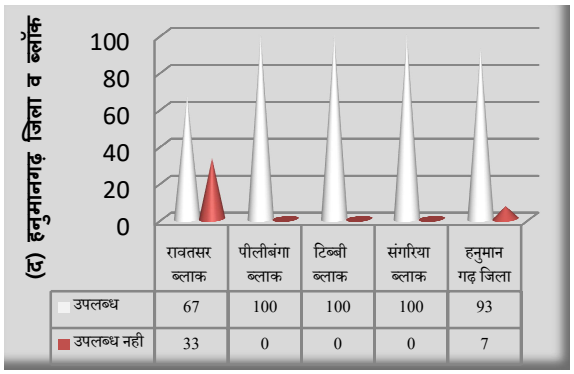

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के सभी चयनित ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की संख्यानुसार अलग-अलग कक्षा-कक्ष, उनमें प्रकाश की व्यवस्था तथा सभी सामान्य विद्यार्थियों के उपयोग करने के **लिए फर्नीचर उपलब्ध है अर्थात जिले के विद्यालयों में इन व्यवस्थाओं की शत प्रतिशत व्यवस्था है** | **(ब)** भरतपुर जिले के सभी चयनित ब्लॉक के नदवई ब्लाक को छोड़कर शेष सभी ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार कक्षा-कक्ष तथा फर्नीचर उपलब्ध है यानि सभी ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से 78 % विद्यालयों में यह सुविधा पूर्णतया उपलब्ध है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ एवं राजगढ़ ब्लॉक के 67 % तारानगर ब्लॉक के 33 % और चुरू ब्लॉक के शत प्रतिशत विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार कक्षा-कक्ष तथा फर्नीचर उपलब्ध है अर्थात चयनित ब्लॉक के चयनित 64 % विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है शेष 36 % में नहीं | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक के 67 % तथा पीलीबंगा, टिब्बी और संगरिया के **शत प्रतिशत** विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार कक्षा-कक्ष, प्रकाश तथा पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है सभी चयनित ब्लॉक के 93 % विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है, मात्र 7 % में नहीं | चारों ब्लॉक में संगरिया, टिब्बी और पीलीबंगा की उपलब्धता अधिक तथा रावतसर की उपलब्धता कम है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर, चुरू और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है | चारों जिलों में चुरू जिले में उपलब्धता एवं व्यवस्थाओं का प्रतिशत औसत रूप से कम है | निष्कर्ष यह है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु चारों जिलों के सभी ब्लॉक के **किसी भी विद्यालय में विशेष फर्नीचर की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है** |

बिंदु क्र. 5 – बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के विशेष शौचालय की व्यवस्था के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 44 विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध है लेकिन शेष 02 विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है जबकि 01 विद्यालय में उपयोग योग्य नहीं है | बिंदु क्र. 5 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है:-

रेखाचित्र क्र. 12 A - बिंदु क्र. 5 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

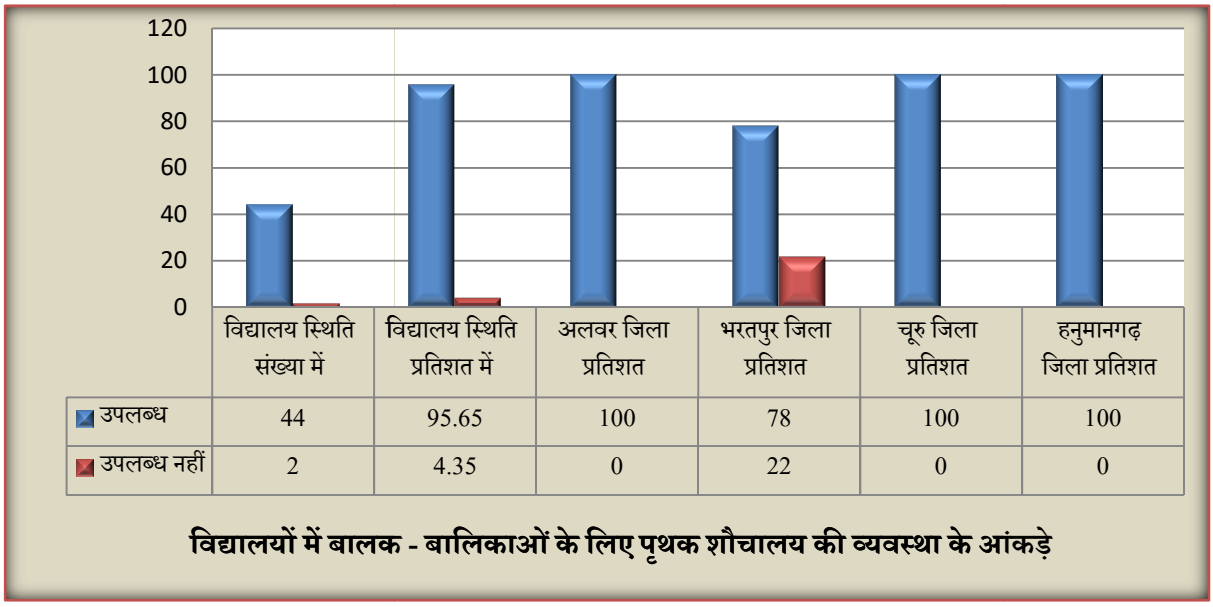

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	44	95.65	100	78	100	100
उपलब्ध नहीं	2	4.35	0	22	0	0

विद्यालयों में बालक - बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 12 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 95.65 % विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों (बालक एवं बालिकाओं) के लिए पृथक-पृथक शौचालय उपलब्ध है जबकि 4.35 % विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध नहीं है | चारों जिलों में अलवर, हनुमानगढ़ तथा चुरू जिले के शत प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है जबकि भरतपुर जिले के 78% विद्यालयों में उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध है जो कि अन्य जिलों की तुलना में औसत रूप से 22 % कम है | **(अनुलग्नक क्र. 3)**

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समस्त विद्यालयों में सामान्य बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध ना होना आधारभूत एवं अनिवार्य सुविधाओं की कमी को प्रदर्शित करता है |

रेखाचित्र क्र. 12 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की उपलब्धता के आंकड़े

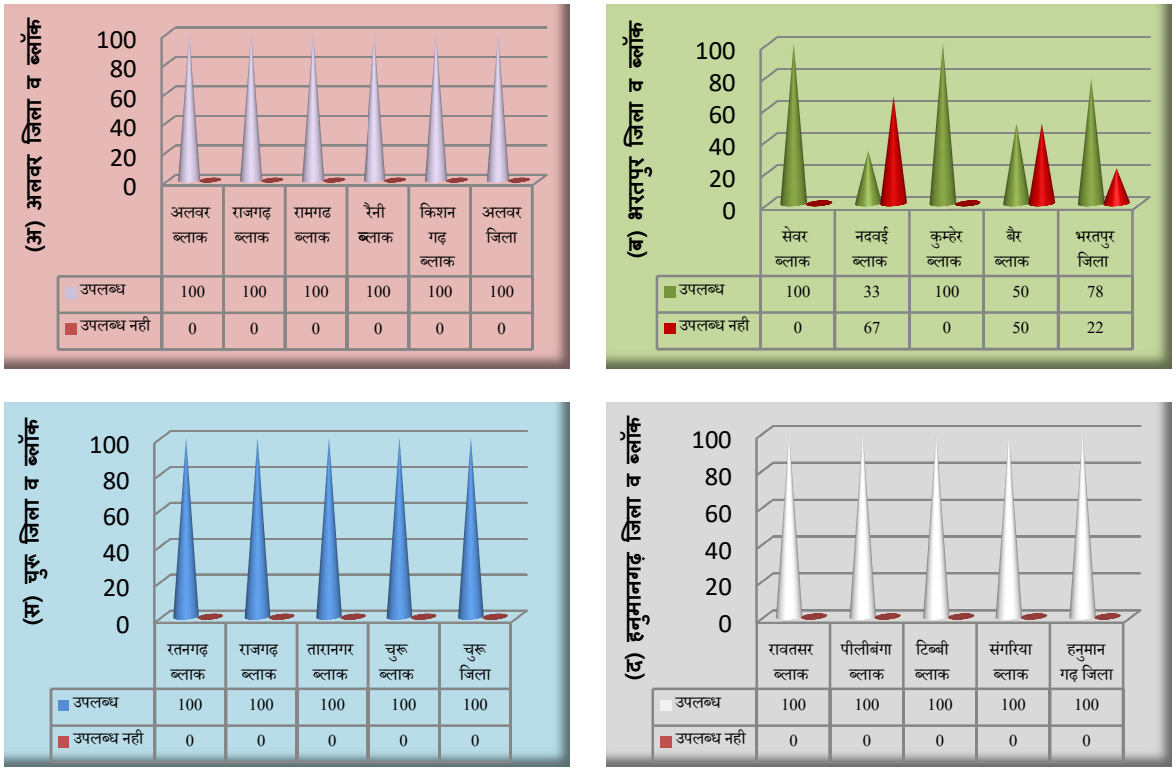

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर, **(स)** चुरू एवं **(द)** हनुमानगढ़ जिले के सभी चयनित ब्लॉक के शत प्रतिशत विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर और कुम्हेर ब्लॉक में स्थित समस्त विद्यालयों तथा नदवई ब्लॉक के 33 % और बैर के 50 % विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध है अर्थात जिले के 22 % विद्यालयों में यह सुविधा मौजूद नहीं है |

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के विशेष शौचालय की व्यवस्था के संदर्भ में

राज्य के चयनित 46 विद्यालयों में से 10 विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय उपलब्ध है जबकि शेष 35 विद्यालयों में विशेष शौचालयों का निर्माण ही नहीं किया गया जबकि 01 विद्यालय में निर्मित शौचालय उपयोग योग्य नहीं है |

रेखाचित्र क्र. 13 A - बिंदु क्र. 5 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

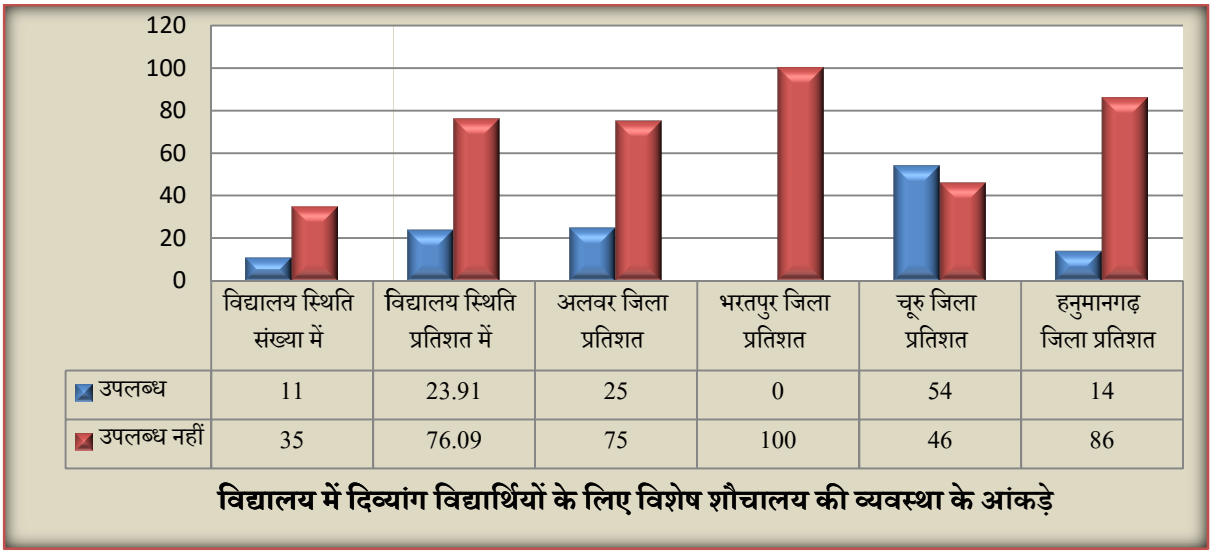

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	11	23.91	25	0	54	14
उपलब्ध नहीं	35	76.09	75	100	46	86

विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय की व्यवस्था के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 13 A **में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित विद्यालयों में से केवल** 23.91 % **विद्यालयों में ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये विशेष शौचालय का निर्माण किया** गया और वे उनका उपयोग भी करते है जबकि शेष 76.09 % **विद्यालयों में विशेष शौचालय उपलब्ध नहीं है तथा** 2.17 % विद्यालयों में निर्मित **शौचालय उपयोग करने योग्य स्थिति में नहीं है** | चारों जिलों में चुरू जिले के 54 %, अलवर जिले के 25 %, हनुमानगढ़ के 14 % विद्यालयों में **ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय निर्मित है लेकिन भरतपुर में एक भी विद्यालय में विशेष शौचालय निर्मित नहीं है अर्थात भरतपुर जिले के शत प्रतिशत**, हनुमानगढ़ के 86 %, अलवर के 75 % एवं चुरू जिले के 46 % **विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु विशेष शौचालय निर्मित नहीं किये गए है** | **तुलनात्मक रूप से चुरू जिले की उपलब्धता अन्य जिलों की तुलना में औसत रूप में अधिक है लेकिन पूर्ण नहीं** | **भरतपुर जिले में यह सुविधा नाम मात्र भी उपलब्ध नहीं है इन विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी सुविधानुसार** सामान्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं |

आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है 76.09 % **विद्यालयों में विशेष शौचालय उपलब्ध नहीं है** | राज्य सरकार **शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय जैसी** अत्यावश्यक सुविधाएँ **सभी विद्यालयों में उपलब्ध नही करा पाई है** |

रेखाचित्र क्र. 13 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में विशेष शौचालय की उपलब्धता के आंकड़े

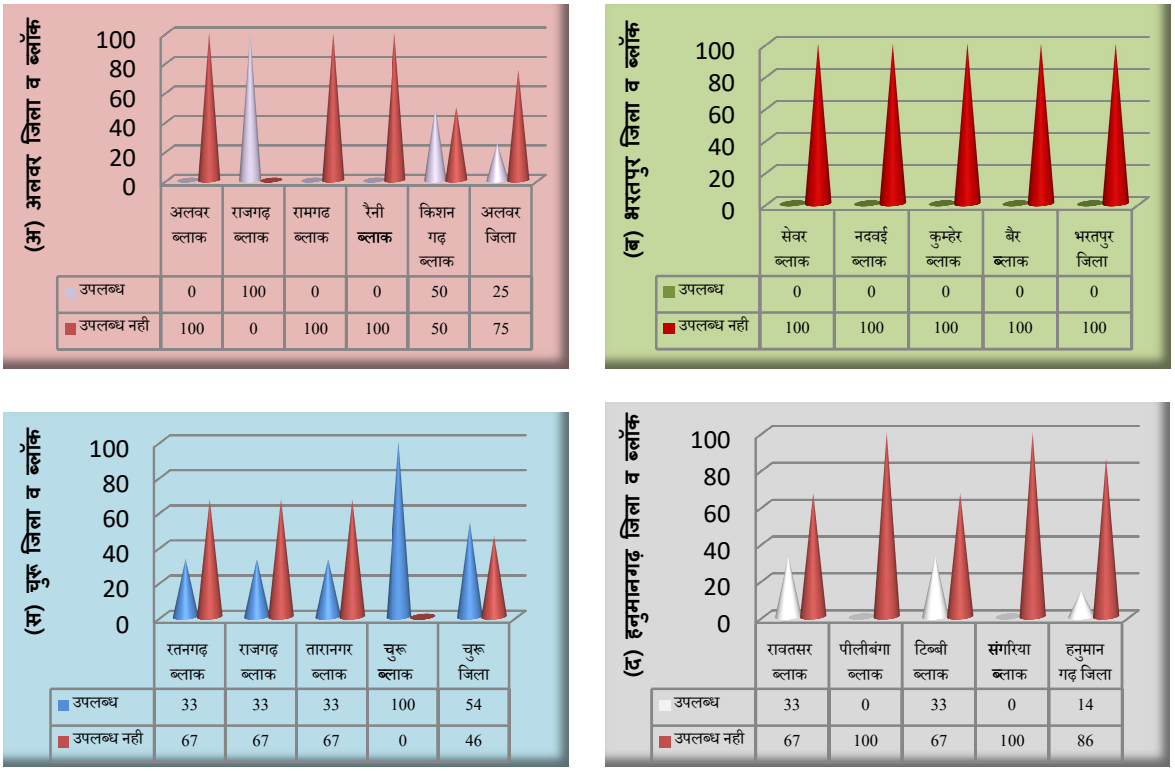

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के 100% एवं किशनगढ़ ब्लॉक के 50 % विद्यालयों में ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये विशेष शौचालय का निर्माण किया गया जबकि शेष सभी ब्लॉक के 75 % विद्यालयों में विशेष शौचालय उपलब्ध नहीं है | **(ब)** भरतपुर जिले के चारों ब्लॉक में स्थित किसी भी विद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है यानि दिव्यांग विद्यार्थी सुविधा अनुसार सामान्य शौचालयों का ही उपयोग करते है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़, राजगढ़, तारानगर ब्लॉक के 33 % और चुरू ब्लॉक के शत प्रतिशत विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय निर्मित है जिले के सभी ब्लॉक के 55 % विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय उपलब्ध है शेष 45 % में उपलब्ध नहीं है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और टिब्बी ब्लॉक के मात्र 33 % विद्यालयों में ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय निर्मित है

शेष ब्लॉक के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शौचालय उपलब्ध ही नहीं है | चारों ब्लॉक में रावतसर और टिब्बी ब्लॉक की उपलब्धता अधिक तथा पीलीबंगा और संगरिया की उपलब्धता शून्य है |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में चुरू जिले के ब्लॉक के विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत अलवर और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक विद्यालयों की अपेक्षा अधिक है जबकि भरतपुर जिले के ब्लॉक के विद्यालयों की उपलब्धता शून्य है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विशेष शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएँ राज्य के सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराने के प्रति सरकार का दृष्टिकोण निम्न है |

बिंदु क्र. 6 - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रपट (रैम्प) का निर्माण के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 42 विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रपट का निर्माण किया गया है जबकि केवल 04 विद्यालयों में रपट निर्मित नहीं है | बिंदु क्र. 6 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है:-

रेखाचित्र क्र. 14 A - बिंदु क्र. 6 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

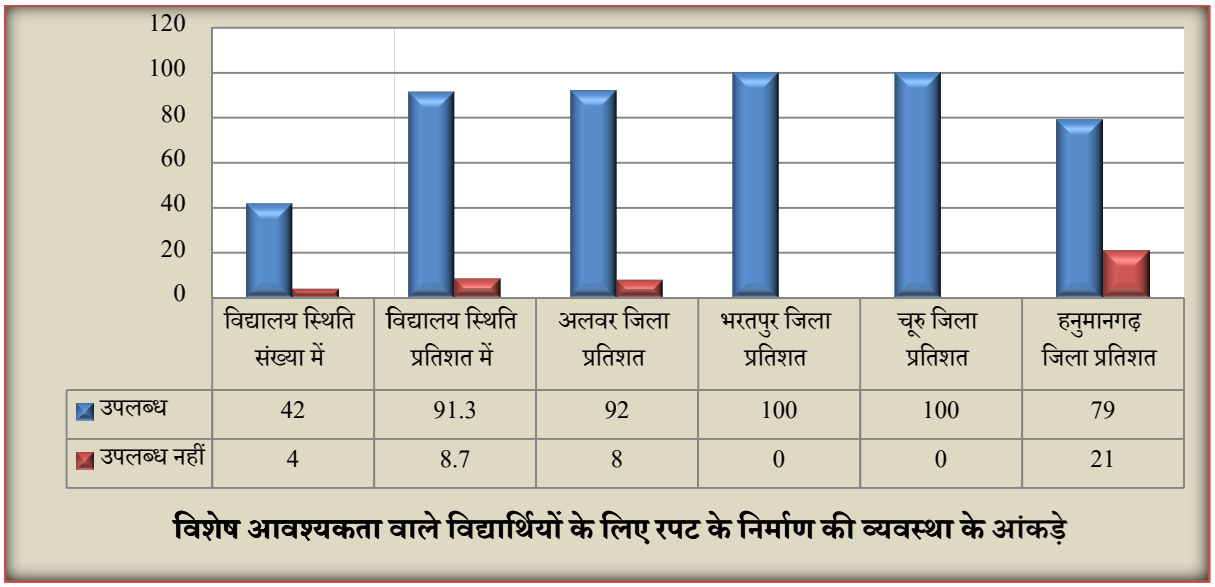

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	42	91.3	92	100	100	79
उपलब्ध नहीं	4	8.7	8	0	0	21

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रपट के निर्माण की व्यवस्था के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 14 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों के 91.30 % विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय भवन में रपट का निर्माण कार्य किया गया है जबकि 8.70 % विद्यालयों में उक्त प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है | चारों जिलों में भरतपुर एवं चुरू जिले के 100 % तथा अलवर

के 92 % विद्यालयों में दिव्यांग जन विद्यार्थियों के लिए रपट का निर्माण कार्य गया है लेकिन हनुमानगढ़ के 79 % विद्यालयों में ही यह सुविधा उपलब्ध है | तुलनात्मक रूप में चारों जिलों में हनुमानगढ़ जिले की स्थिति औसत रूप से कम व भरतपुर जिले की स्थिति अन्य जिलों से बेहतर है | उपरोक्त तालिका के आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रपट की व्यवस्था उपलब्ध है | **(अनुलग्नक क्र. 4)**

रेखाचित्र क्र. 14 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में रपट (रैम्प) की उपलब्धता के आंकड़ें

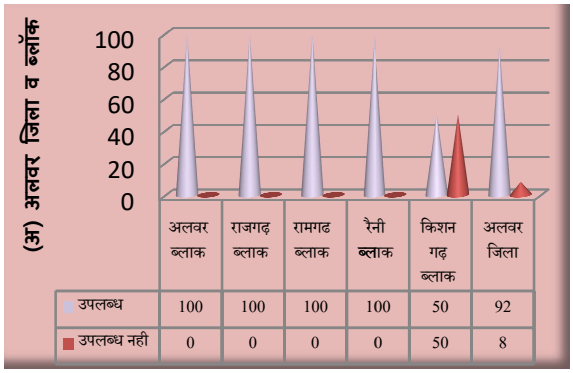

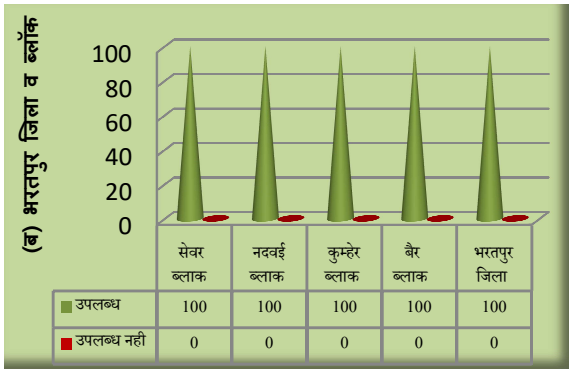

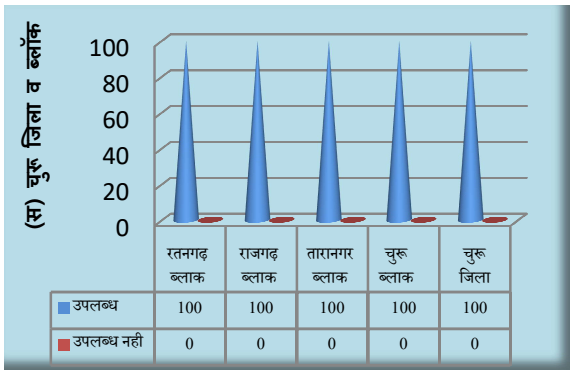

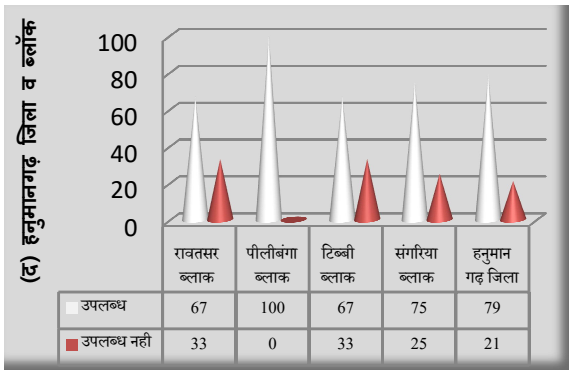

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर, राजगढ़, रामगढ़, रैनी ब्लॉक के **समस्त** और किशनगढ़ ब्लॉक के 50 % विद्यालयों में दिव्यांग जन विद्यार्थियों के लिए रपट निर्मित है | जिले के सभी ब्लॉक की तुलना में किशनगढ़ ब्लॉक की उपलब्धता कम है | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर, नदवई, कुम्हेर और बैर ब्लॉक तथा **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़, राजगढ़, तारानगर और चुरू ब्लॉक में स्थित समस्त विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रपट (रैम्प) का निर्माण हुआ है यानि जिले के सभी ब्लॉक के चयनित **शत प्रतिशत** विद्यालयों में दिव्यांग जन विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा

उपलब्ध है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा के 100 %, रावतसर और टिब्बी ब्लाक के 67 % तथा संगरिया ब्लॉक के 75 % **विद्यालयों में दिव्यांग जन विद्यार्थियों के लिए रपट का निर्माण किया गया है अर्थात चारों** ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से 79 % **विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है शेष** 21 % **विद्यालय भवनों में यह सुविधा** उपलब्ध नहीं है | चारों ब्लॉक **में पीलीबंगा की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से अधिक तथा संगरिया और रावतसर की उपलब्धता का प्रतिशत कम है** | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत अलवर और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की अपेक्षा औसत रूप से अधिक है | चारों जिलों में हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप में सबसे कम है |

बिंदु क्र. 7 - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल के मैदान की उपलब्धता के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से केवल 21 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल मैदान की उपलब्धता है लेकिन शेष 25 विद्यालयों में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है | बिंदु क्र. 7 के सम्बन्धी आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है:-

रेखाचित्र क्र. 15 A - बिंदु क्र. 7 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

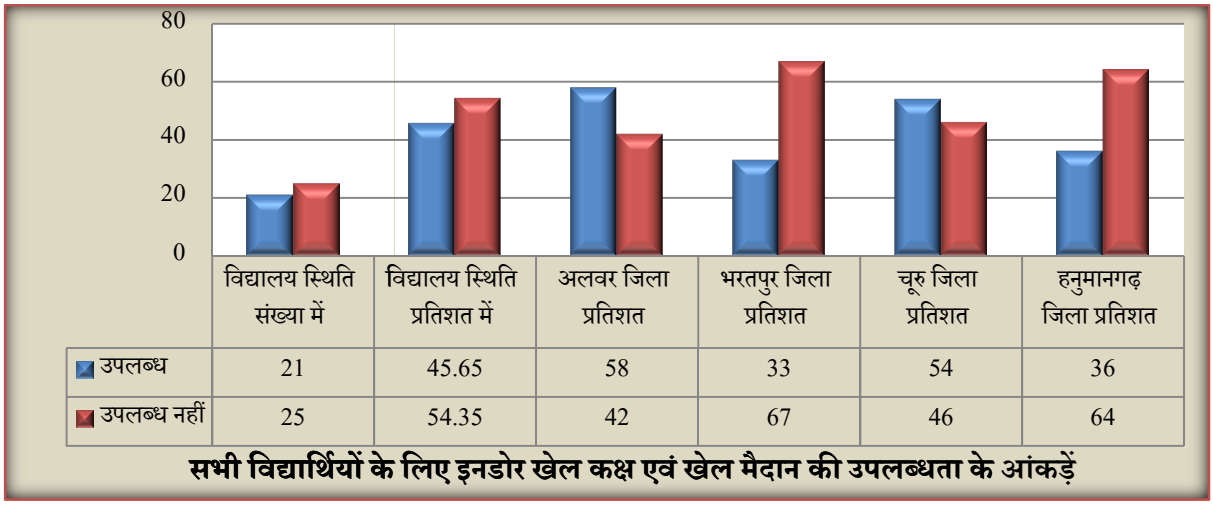

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	21	45.65	58	33	54	36
उपलब्ध नहीं	25	54.35	42	67	46	64

सभी विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष एवं खेल मैदान की उपलब्धता के आंकड़ें

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 15 A **में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार औसतन चारों जिलों के** 45.65 % विद्यालयों में **विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल** के मैदान की उपलब्धता है लेकिन शेष 54.35 % **विद्यालयों में ना तो इनडोर खेल कक्ष की व्यवस्था है ना ही खेल के मैदान**

उपलब्ध है | चारों जिलों में अलवर जिले के 58 %, भरतपुर के 33 %, हनुमानगढ़ के 36 % तथा चुरू जिले के 54 % विद्यालयों में ही सभी विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल मैदान की उपलब्धता है जबकि भरतपुर जिले के 67 %, हनुमानगढ़ के 64 %, चुरू के 46 % तथा अलवर जिले के 42 % विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधा विद्यार्थियों के लिए मौजूद नहीं है | निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सभी विद्यालयों में इनडोर खेल कक्ष और खेल के मैदान की सुविधा के नाम पर किसी भी जिले की स्थिति ठीक नहीं है | (**अनुलग्नक क्र. 5**)

रेखाचित्र क्र. 15B - चयनित जिलों व ब्लॉक के विद्यालयों में खेल कक्ष व मैदान की उपलब्धता के आँकड़े

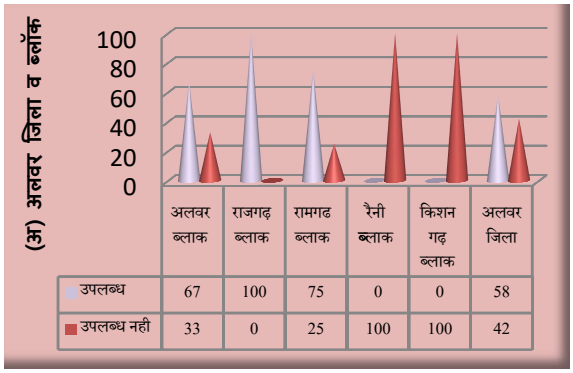

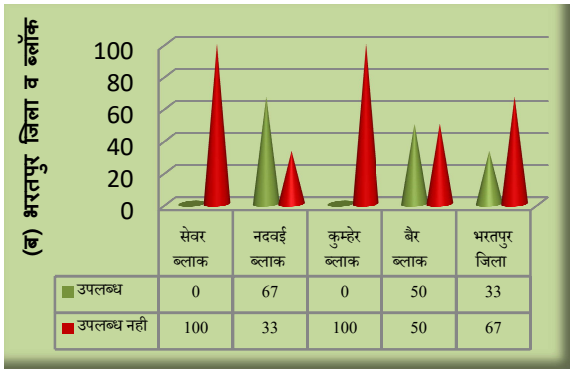

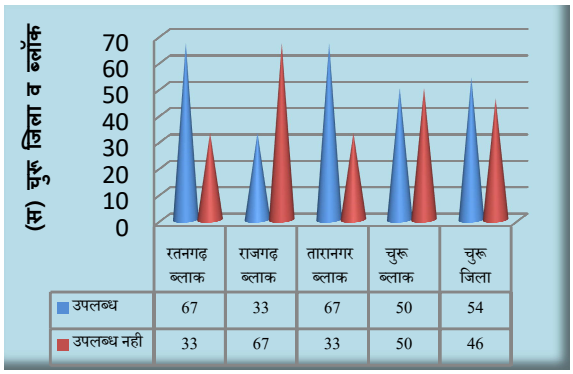

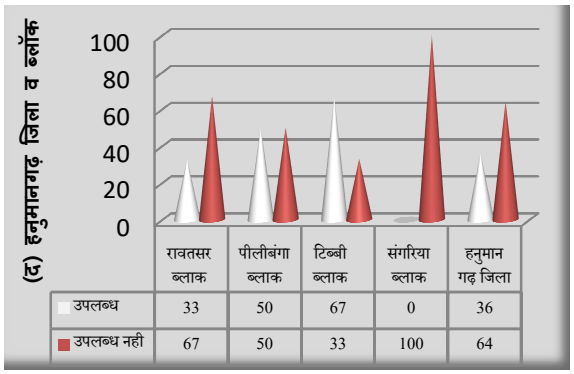

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर ब्लॉक के 67 %, राजगढ़ के 100 %, रामगढ़ ब्लॉक के 75 % विद्यालयों में ही विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल मैदान की उपलब्धता है जबकि रैनी और किशनगढ़ ब्लॉक के विद्यालयों में यह व्यवस्था नहीं है | चारों ब्लॉक में राजगढ़ की उपलब्धता औसत रूप से अधिक रामगढ़ और अलवर की मध्यम तथा किशनगढ़ और रैनी की उपलब्धता शून्य है | **(ब)** भरतपुर जिले के नदवई ब्लॉक के 67 % तथा बैर ब्लॉक के 50 % विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध है जबकि सेवर और कुम्हेर ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में यह

सुविधा मौजूद नहीं है | चारों ब्लॉक **में नदवई और बैर ब्लॉक की उपलब्धता की तुलना में सेवर और कुम्हेर** ब्लॉक की उपलब्धता शून्य है | **(स) चुरू जिले के रतनगढ़** ब्लॉक के 67 %, राजगढ़ ब्लॉक के 33 %, तारानगर ब्लॉक के 67 % और चुरू ब्लॉक के 50 % **विद्यालयों में ही विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल मैदान की उपलब्धता** है | चारों ब्लॉक **में रतनगढ़ और तारानगर की उपलब्धता औसत रूप से अधिक तथा चुरू और राजगढ़ में उपलब्धता** कम है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक के 33 %, पीलीबंगा के 50 %, **टिब्बी ब्लाक के** 67 % विद्यालयों **में ही खेल कक्ष और मैदान की उपलब्धता है परन्तु संगरिया** ब्लॉक के एक भी विद्यालय में यह सुविधा मौजूद नहीं है | चारों ब्लॉक **में टिब्बी ब्लॉक की उपलब्धता औसत रूप से अधिक तथा संगरिया की कम है** |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की **अपेक्षा औसत रूप से अधिक तथा भरतपुर जिले के** ब्लॉक की उपलब्धता का प्रतिशत कम है |

बिंदु क्र. 8 - विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के अनुकूल उचित भवन संरचना की उपलब्धता के संदर्भ में :-

राजस्थान राज्य के चयनित 04 **जिलों के चयनित** 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 36 **विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा के अनुकूल उचित भवन की संरचना** मौजूद है परन्तु शेष 10 **विद्यालयों की भवन की बनावट विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के अनुकूल नहीं है** | बिंदु क्र. 8 के सम्बन्ध में **संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण** निम्न प्रकार है –

रेखाचित्र क्र. 16 A - बिंदु क्र. 8 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

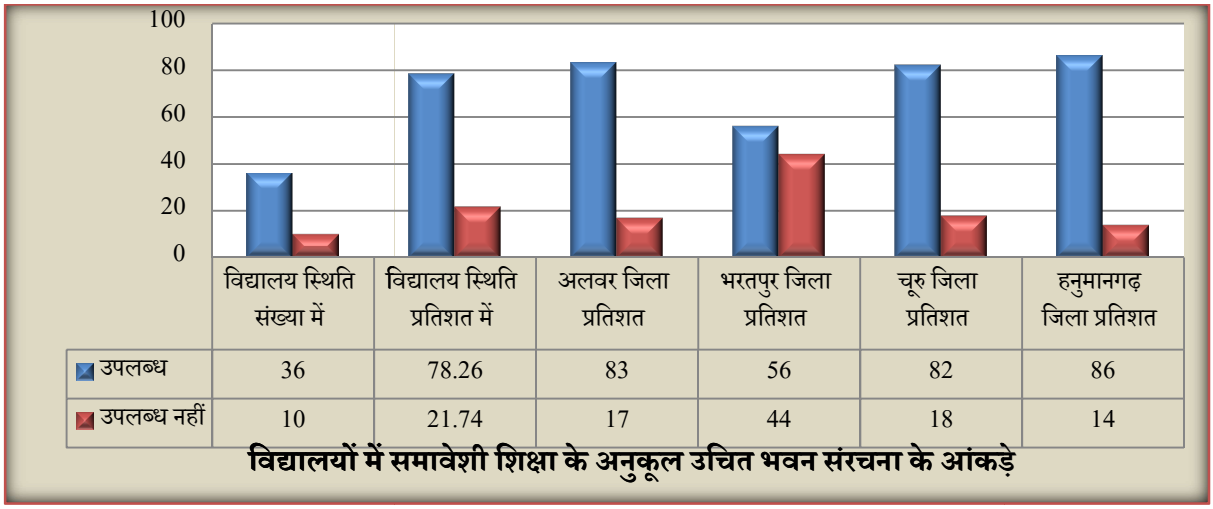

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 16 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 78.26 % विद्यालयों के **भवनों की बनावट एवं संरचना विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के अनुकूल है जबकि** 21.74 % विद्यालयों की संरचना दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अनुकूल नहीं है | चारों जिलों में हनुमानगढ़ जिले के 86 %, अलवर के 83 %, चुरू के 82 %, तथा भरतपुर के 56 % **विद्यालयों की भवन संरचना समावेशी शिक्षा के अनुसार है** जबकि भरतपुर के 44 %, चुरू के 18 %, अलवर के 17 % तथा हनुमानगढ़ जिले के 14 % विद्यालय दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के अनुकूल नहीं है | **चारों जिलों में हनुमानगढ़ जिले की उपलब्धता अन्य जिलों की तुलना में सबसे बेहतर है जबकि भरतपुर जिले की निम्नतम है क्योंकि जिले में स्थित** 44 % विद्यालयों की भवन संरचना समावेशी शिक्षा के अनुसार नहीं है | (**अनुलग्नक क्र. 4**)

अत: निष्कर्षत: कहा जा सकता है **कि राज्य के सभी विद्यालयों के भवनों की बनावट एवं संरचना विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णतया अनुकूल नहीं है** |

रेखाचित्र क्र. 16 B - चयनित जिलों व ब्लॉक के विद्यालयों की भवन संरचना समावेशी शिक्षा के अनुकूल होने सम्बन्धी आँकड़े

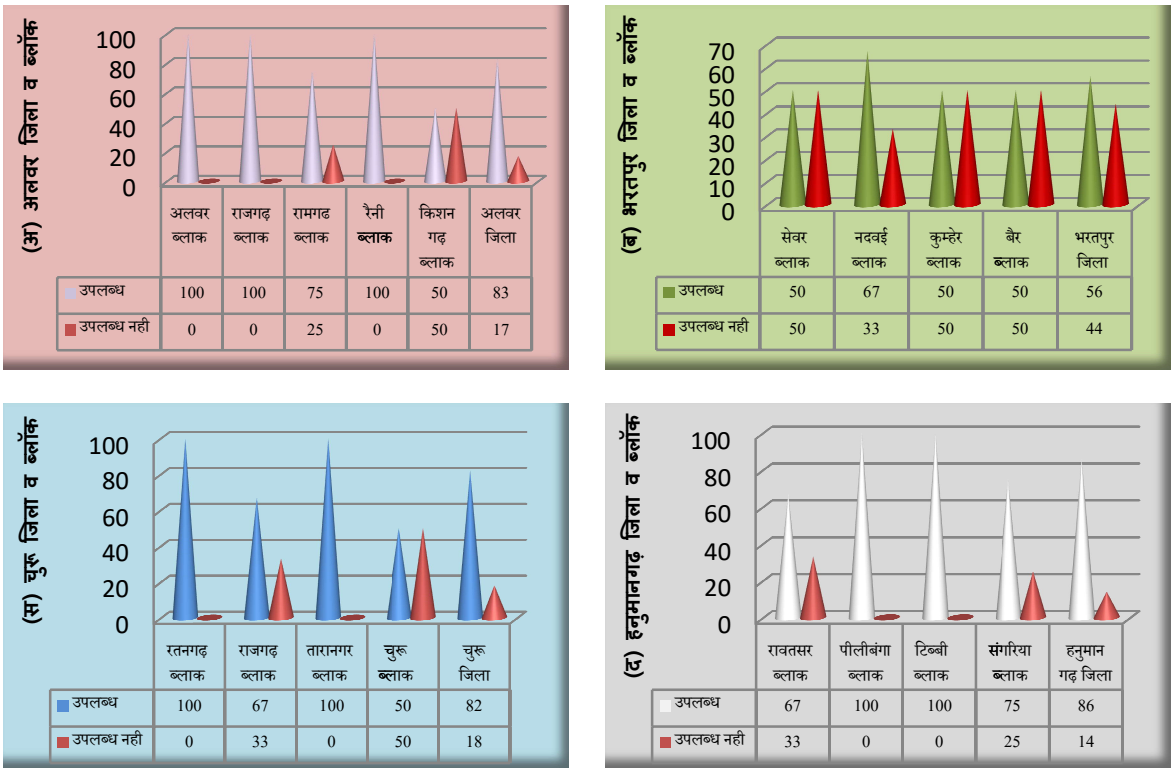

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है:- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर, राजगढ़, रैनी ब्लॉक के 100 % तथा रामगढ़ के 75 % और किशनगढ़ ब्लॉक के 50 % विद्यालयों की भवन संरचना समावेशी शिक्षा के अनुकूल है | सभी ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से 83 % विद्यालयों की संरचना अनुकूल है शेष 17 % की नहीं | तुलनात्मक रूप से अलवर, राजगढ़ व रैनी ब्लॉक की संरचना अधिक बेहतर और रामगढ़ की औसत और किशनगढ़ की औसत से कम है | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर ब्लॉक के 50 %, नदवई के 67 % तथा कुम्हेर व बैर ब्लॉक में स्थित 50 % विद्यालयों की भवन संरचना ही समावेशी शिक्षा के अनुकूल है यानि सभी ब्लॉक के चयनित 56 % विद्यालयों की संरचना उपयुक्त है शेष 44 % की नहीं | तुलनात्मक रूप से चारों ब्लॉक में नदवई ब्लॉक की उपलब्धता अन्य ब्लॉक से बेहतर है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ और तारानगर ब्लॉक के सभी तथा राजगढ़ और चुरू ब्लॉक के 50 % विद्यालय के भवनों की संरचना समावेशी शिक्षा के अनुकूल है | चारों ब्लॉक में रतनगढ़ और तारानगर की संरचना अधिक उपयुक्त तथा चुरू ब्लॉक की कम है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा और टिब्बी ब्लॉक के शतप्रतिशत तथा रावतसर ब्लॉक के 67 % और संगरिया के 75% विद्यालयों की भवन संरचना समावेशी शिक्षा के अनुकूल है | चारों ब्लॉक के चयनित 86 % विद्यालयों की भवन संरचना समावेशी शिक्षा के अनुकूल है शेष 14 % विद्यालयों की नहीं |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़, अलवर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है | चारों जिलों में भरतपुर जिले के ब्लॉक की उपलब्धता का प्रतिशत सबसे कम है |

बिंदु क्र. 9 - अधिगम को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा प्रयोगशाला एवं आई.सी.टी संसाधन कक्ष के साथ इन्टरनेट की उपलब्धता एवं प्रयोग की सुविधा के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से केवल 08 विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा एवं आई.सी.टी. प्रयोगशाला के साथ इन्टरनेट की उपलब्धता एवं प्रयोग की सुविधा उपलब्ध है जबकि शेष 38 विद्यालयों में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है | बिंदु क्र. 9 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है –

रेखाचित्र क्र. 17 A - बिंदु क्र. 9 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

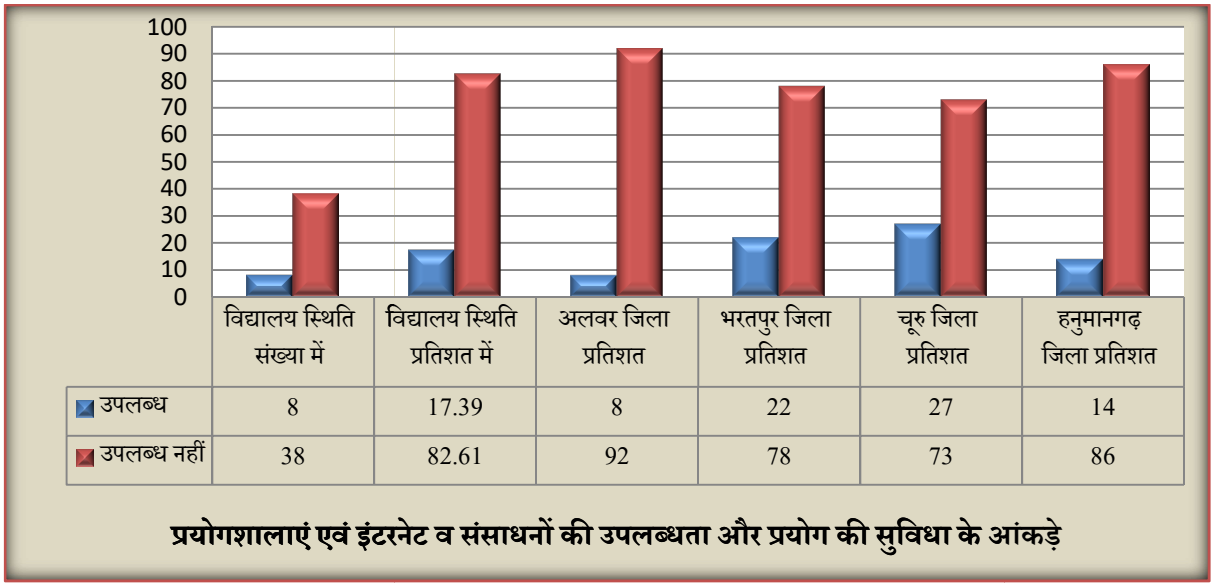

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	8	17.39	8	22	27	14
उपलब्ध नहीं	38	82.61	92	78	73	86

प्रयोगशालाएं एवं इंटरनेट व संसाधनों की उपलब्धता और प्रयोग की सुविधा के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र.17 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 17.39 % विद्यालयों में विद्यार्थियों को भाषा व आई.सी.टी. प्रयोगशालाएं तथा कम्प्युटर एवं इंटरनेट के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और विद्यार्थियों द्वारा इनका उपयोग भी किया जाता है परन्तु 82.61 % विद्यालयों में ना तो इस प्रकार की प्रयोगशालाएं है और ना कम्प्युटर एवं इंटरनेट की उपलब्धता है | चारों जिलों में अलवर जिले के 8 %, भरतपुर के 22 %, हनुमानगढ़ के 14 % तथा चुरू जिले के 27 % विद्यालयों में विद्यार्थियों के अधिगम को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाने हेतु संसाधन कक्ष, प्रयोगशालाएं तथा इंटरनेट की उपलब्धता है जबकि अलवर जिले के 92 %, हनुमानगढ़ के 86 %, भरतपुर के 78 % तथा चुरू जिले के 73 % विद्यालयों में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है शेष जिलों की तुलना में चुरू जिले की स्थिति कुछ ठीक है परन्तु समग्र रूप से किसी भी जिले में स्थित विद्यालय की स्थिति इस सुविधा हेतु संतोषजनक नहीं है |

तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि अधिगम को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाने हेतु भाषा प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर कक्ष की उपलब्धता एवं इंटरनेट के प्रयोग की सुविधा का सभी विद्यालयों में उपलब्ध ना होना आधुनिक शिक्षण तकनीकी की कमी को दर्शाता है इनके अभाव में सभी विद्यार्थियों एवं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विविध प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण देना संभव नहीं है |

रेखाचित्र क्र. 17 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में भाषा प्रयोगशाला तथा कम्प्युटर एवं इंटरनेट के प्रयोग की सुविधा की उपलब्धता के आँकड़े

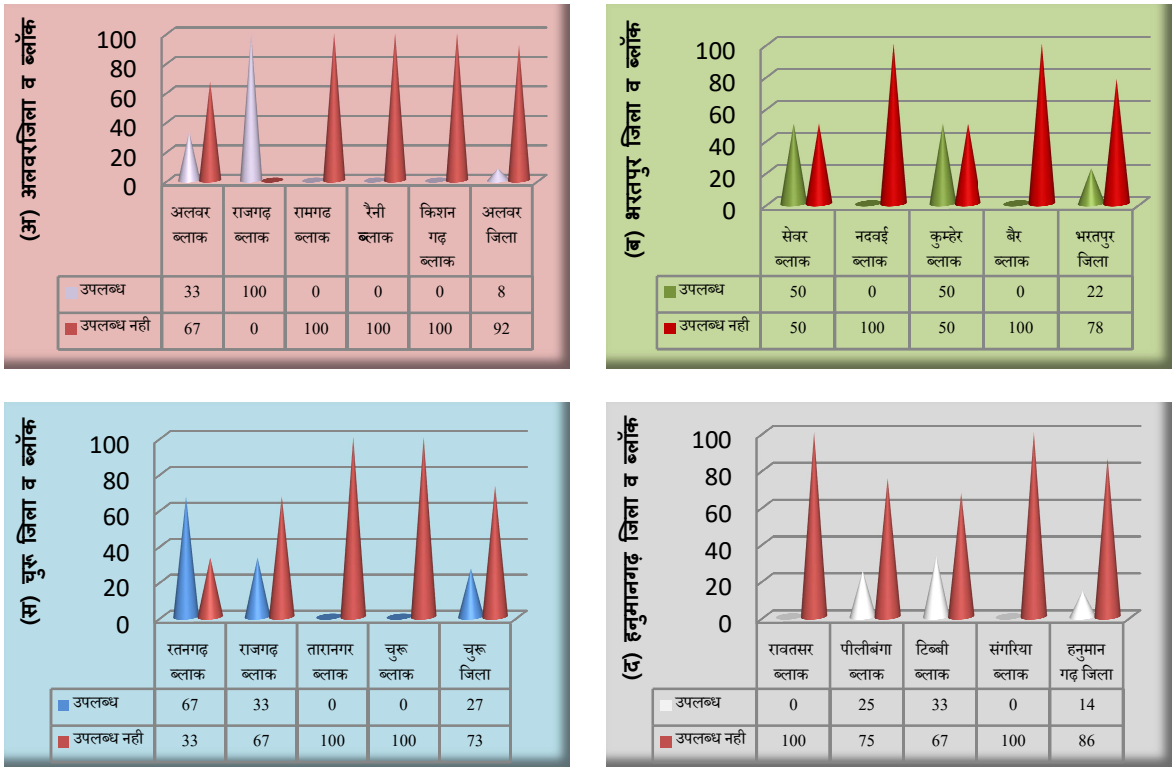

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के 100 % व अलवर ब्लॉक के 33 % **विद्यालय में ही भाषा एवं** आई.सी.टी**. सम्बन्धी संसाधन कक्ष तथा इंटरनेट की उपलब्धता एवं प्रयोग की सुविधा मौजूद है अर्थात जिले के मात्र** 8 % **विद्यालयों में ही समस्त सुविधाएँ उपलब्ध है शेष** 92 % में उपलब्ध नहीं | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर और कुम्हेर ब्लॉक के 50 % **विद्यालय में ही उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता है जबकि नदवई एवं बैर** ब्लॉक की उपलब्धता शून्य है | चारों ब्लॉक **के मात्र** 22 % विद्यालयों में ही उक्त सुविधाएँ मौजूद है | **(स) चुरू जिले के रतनगढ़** ब्लॉक के 67 % व राजगढ़ के 33% **विद्यालयों में उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता है जबकि तारानगर और चुरू के किसी भी विद्यालय में उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है चारों** ब्लॉक के मात्र 27 % **विद्यालयों में ही इन सुविधाओं की** उपलब्धता है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा ब्लॉक के 25 % और टिब्बी के 33 % **विद्यालयों में ही उक्त सभी सुविधाएं उपलब्ध है लेकिन संगरिया और रावतसर** ब्लॉक **में सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतिशत शून्य है** |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत अलवर और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है | चारों जिलों में स्थित किसी भी जिले के ब्लॉक की उपलब्धता का प्रतिशत संतोषजनक नहीं है |

बिंदु क्र. 10 – विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमाधारी एवं प्रशिक्षित शिक्षक /शिक्षिकाओं की उपलब्धता के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से केवल 05 विद्यालयों के शिक्षक /शिक्षिकाओं के पास ही विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा है अथवा प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए है जबकि शेष 41 विद्यालयों के शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा में ना कोई डिग्री / डिप्लोमा है ना उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है | बिंदु क्र. 10 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है –

रेखाचित्र क्र. 18 A - बिंदु क्र. 10 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

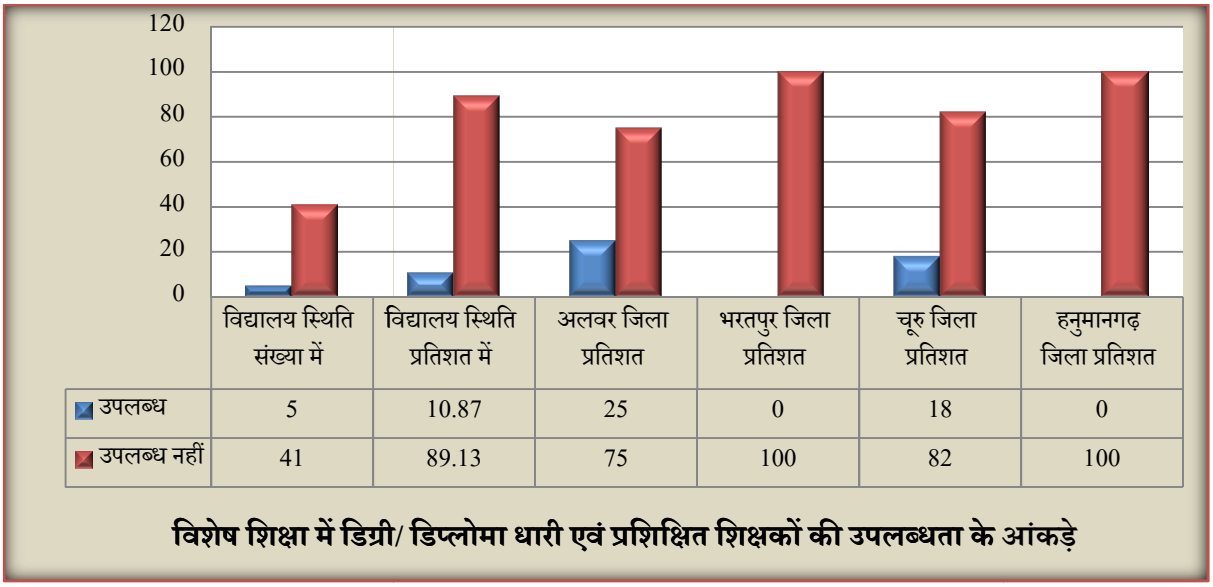

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	5	10.87	25	0	18	0
उपलब्ध नहीं	41	89.13	75	100	82	100

विशेष शिक्षा में डिग्री/ डिप्लोमा धारी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 18 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित सिर्फ 10.87 % विद्यालयों के शिक्षकों की पास ही विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा है जबकि राज्य के 89.13 % विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा के सम्बन्ध में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और ना ही उन्होंने विशेष शिक्षा सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर जिले के 25 %, चुरू के 18 %

विद्यालयों के **शिक्षक ही विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी एवं प्रशिक्षित है जबकि भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले के विद्यालयों में कार्यरत किसी भी शिक्षक के पास विशेष शिक्षा के सम्बन्ध में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और ना ही प्रशिक्षित है यानी संख्या नगण्य है** | चारों जिलों में चुरू, भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले की तुलना में अलवर जिले की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से ठीक है लेकिन बेहतर नहीं है |

रेखाचित्र क्र. 18 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमाधारी एवं प्रशिक्षित शिक्षक /शिक्षिकाओं की उपलब्धता के आँकड़े

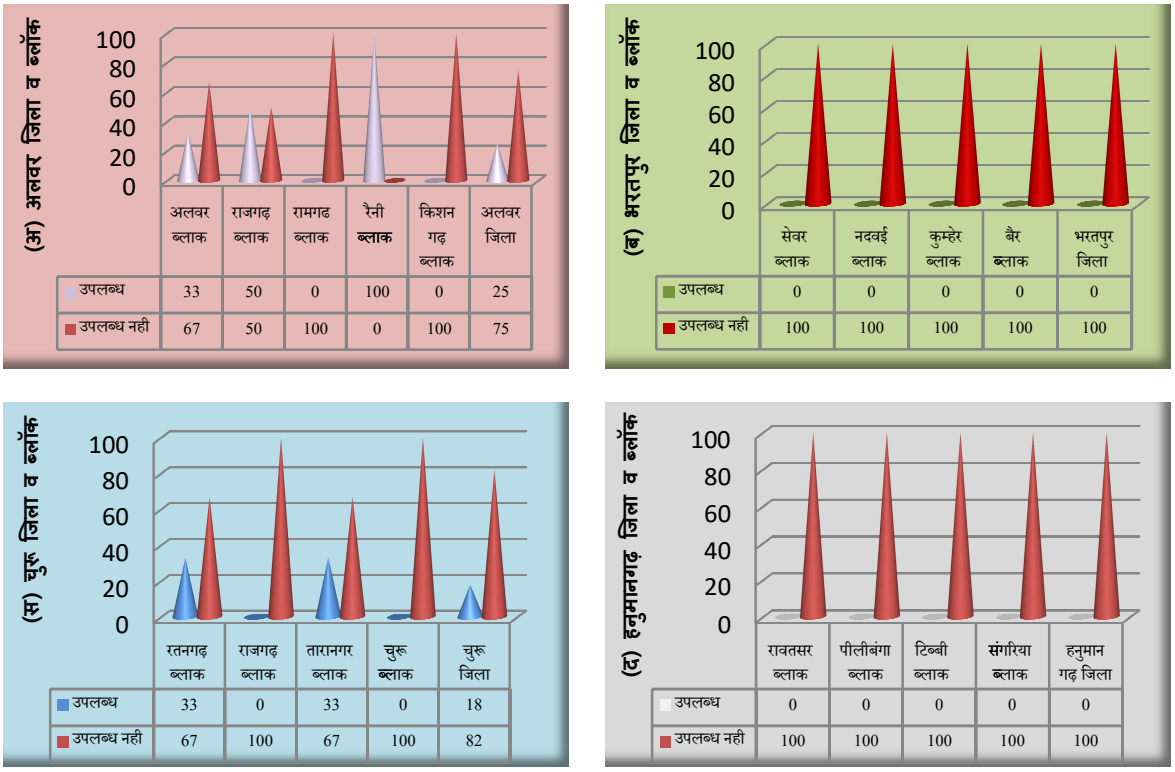

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर ब्लॉक के 33 %, राजगढ़ के 50 % तथा रैनी ब्लॉक के **समस्त विद्यालयों के शिक्षक विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी एवं प्रशिक्षित है अर्थात चयनित** ब्लॉक के मात्र 25 % विद्यालयों के शिक्षक विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ और तारानगर ब्लॉक के 33 % विद्यालय के शिक्षक ही विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमाधारी एवं प्रशिक्षित है जबकि राजगढ़ व चुरू ब्लॉक में नहीं अर्थात जिले के मात्र 18 % शिक्षक विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित है | **(ब)** भरतपुर एवं **(द)** हनुमानगढ़ जिले के चयनित चारों ब्लॉक में स्थित

विद्यालयों में **कार्यरत किसी भी शिक्षक के पास विशेष शिक्षा के सम्बन्ध में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और ना ही** प्रशिक्षित है यानी संख्या नगण्य है |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की तुलना में औसत रूप से अधिक है | **चारों जिलों के समस्त** ब्लॉक **की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से संतोषप्रद नहीं है** |

बिंदु क्र. 11 – विद्यालय के चारों और बाउंड्रीवॉल (चार दीवारी) की व्यवस्था के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 **ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित** 46 **विद्यालयों में से** 44 विद्यालयों के भवन के चारों और बाउंड्रीवॉल (चार दीवारी) निर्मित है , केवल 02 **विद्यालयों में भवन के चारों और चार दीवारी नहीं** बनाई गई है | बिंदु क्र. 11के सम्बन्ध में **संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है:-**

रेखाचित्र क्र. 19 A - बिंदु क्र. 11 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में**)**

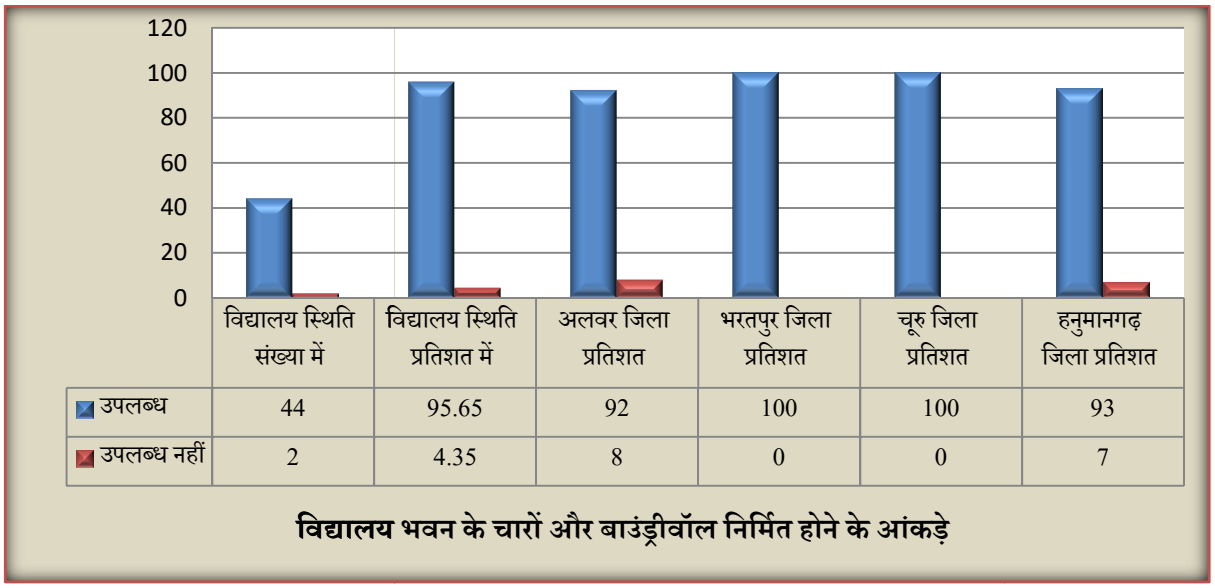

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	44	95.65	92	100	100	93
उपलब्ध नहीं	2	4.35	8	0	0	7

विद्यालय भवन के चारों और बाउंड्रीवॉल निर्मित होने के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 19 A **में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित** 95.65 % विद्यालय भवनों **के चारों और चार दीवारी निर्मित की गई है केवल** 4.35 % **विद्यालय भवन ही खुली अवस्था में है जिनके चारों और** चार दीवारी (बाउंड्रीवॉल) **नहीं बनाई गई है** | चारों जिलों में चुरू और भरतपुर के 100 % **विद्यालय भवनों के चारों** और चारदीवार निर्मित है जबकि अलवर के 92 % और हनुमानगढ़ के 93 % **विद्यालय भवनों के चारों और दीवार**

मौजूद है| चारों जिलों के कुछ विद्यालयों मे ही चार दीवार का निर्माण नही किया गया है | तुलनात्मक रूप से भरतपुर एवं चुरू जिले की स्थिति अलवर और हनुमानगढ़ जिले की तुलना में बेहतर है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 95.65 % विद्यालय भवनों में सुरक्षा की दृष्टि से चारों और दीवार निर्मित की गई है | (**अनुलग्नक क्र. 5)**

रेखाचित्र क्र. 19 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल की उपलब्धता के आँकड़े

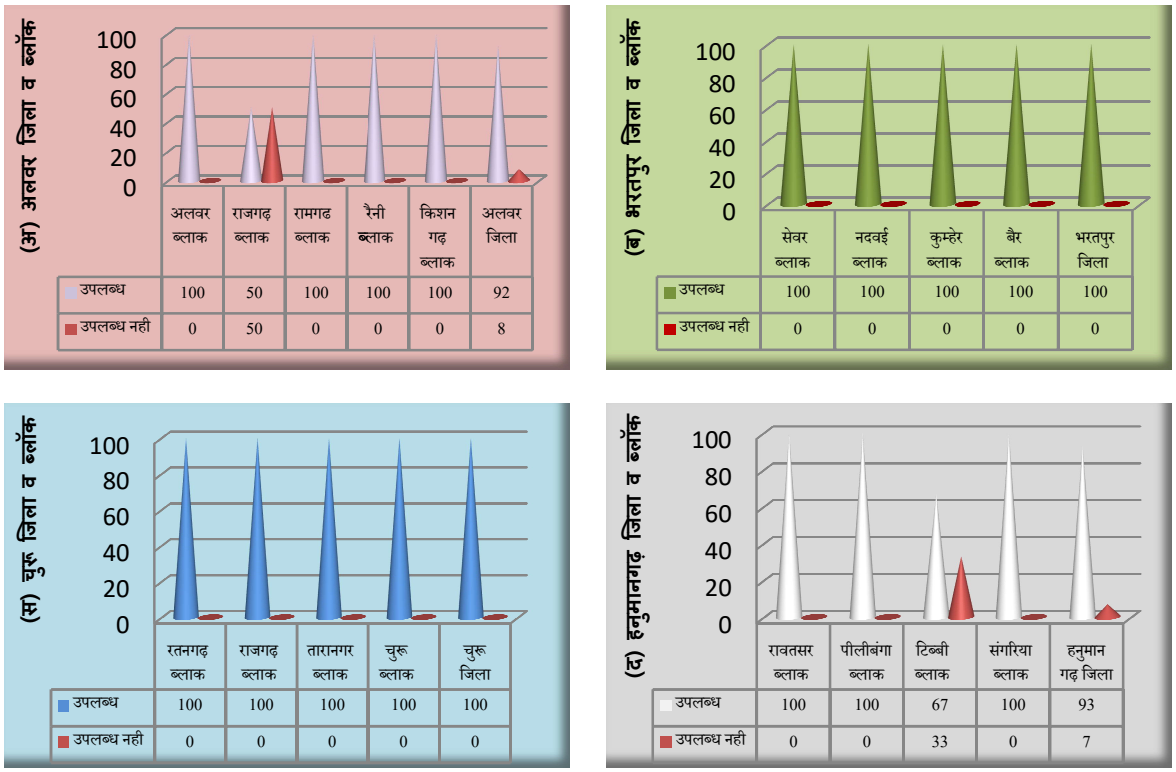

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के सभी ब्लॉक में स्थित **समस्त** विद्यालय भवनों के चारों और दिवार निर्मित है केवल राजगढ़ में यह उपलब्धता 50 % है **अर्थात सभी** ब्लॉक के चयनित 92 % विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल निर्मित है जबकि **8** % विद्यालय ही चारों और से खुली अवस्था में है | **(ब)** भरतपुर एवं **(स)** चुरू जिले के चयनित सभी ब्लॉकों में स्थित **समस्त** विद्यालय भवनों के चारों और दीवार (बाउंड्रीवाल) निर्मित है यानि जिले के सभी चयनित विद्यालयों के चारों और चार दीवार का निर्माण कर विद्यालय भवन को सुरक्षित किया गया है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी ब्लॉक के 67 % विद्यालयों में बाउंड्रीवॉल निर्मित है जबकि 33 % विद्यालयों में यह उपलब्ध नहीं है तथा शेष सभी ब्लॉक के विद्यालय भवनों के चारों और बाउंड्रीवाल निर्मित है अर्थात चयनित चारों ब्लॉक के 93 % विद्यालय भवनों

में चारों और बाउंड्रीवॉल निर्मित है | **तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर और चुरू जिले के** ब्लॉक में स्थित **विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत अलवर और हनुमानगढ़ जिले के** ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है |

बिंदु क्र.12 - प्राथमिक चिकित्सा-कक्ष, डाक्टरों एवं मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता एवं समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन करने के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 **ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित** 46 विद्यालयों में से 23 **विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा-कक्ष,** डाक्टरों एवं **मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन होता है लेकिन शेष** 23 विद्यालयों में **यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है** | बिंदु क्र. 12 के सम्बन्ध में **संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण** निम्न प्रकार है :–

रेखाचित्र क्र. 20 A - बिंदु क्र. 12 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में**)**

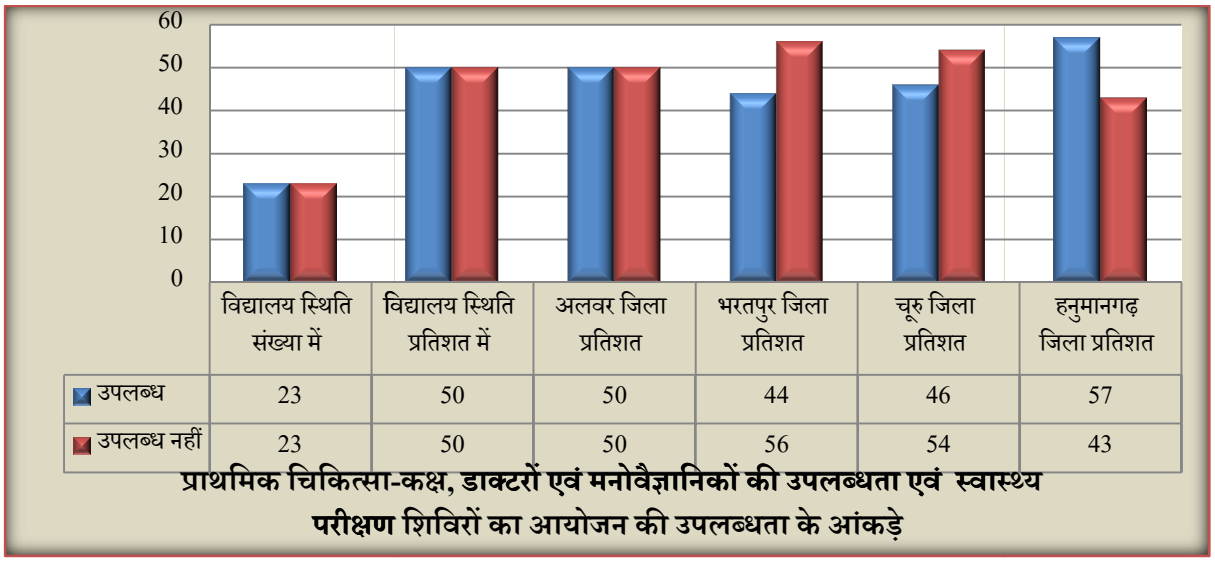

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	23	50	50	44	46	57
उपलब्ध नहीं	23	50	50	56	54	43

प्राथमिक चिकित्सा-कक्ष, डाक्टरों एवं मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन की उपलब्धता के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 20 A **में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों के** 50 % **विद्यालयों में विशेष एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है तथा उन्हें डाक्टर की सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती** है साथ ही समय-**समय पर विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का** भी आयोजन किया जाता है जबकि शेष 50 % **विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रकार की कोई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है** | चारों जिलों में अलवर जिले के 50 %, भरतपुर के 44 %, हनुमानगढ़ के 57 % तथा चुरू के 46 % **विद्यालयों में ही प्राथमिक** चिकित्सा सेवाएं तथा **स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जबकि भरतपुर के** 56 %, चुरू के 54

%, हनुमानगढ़ के 43 % तथा अलवर जिले के 50 % विद्यालयों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़ की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से उच्च तथा भरतपुर का औसत रूप से निम्न है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किसी भी विद्यालय में बच्चों को मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है |

रेखाचित्र क्र. 20 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा-कक्ष, चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों के आयोजन सम्बन्धी आँकड़े

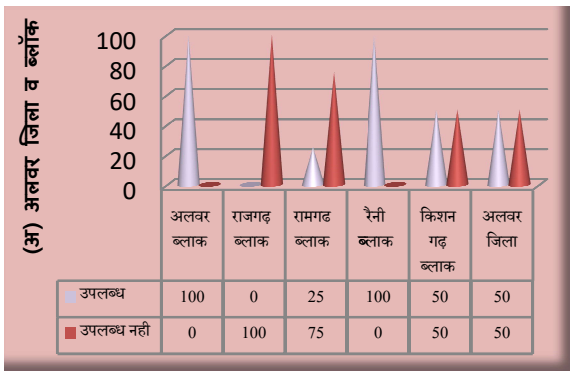

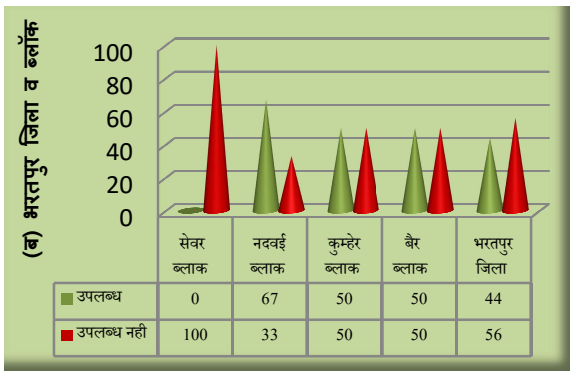

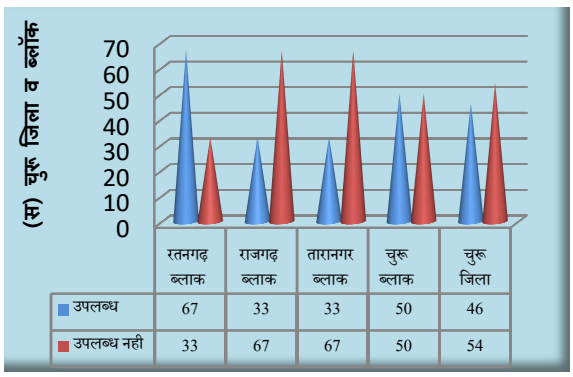

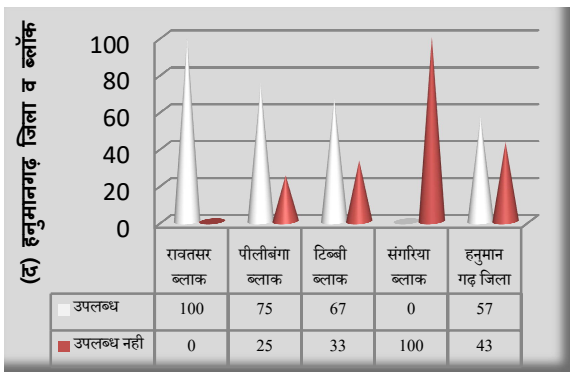

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर और रैनी ब्लॉक के 100 % तथा रामगढ़ के 25 % और किशनगढ़ ब्लॉक के 50 % विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा-कक्ष उपलब्ध है तथा डाक्टरों एवं मनोवैज्ञानिकों की सेवाएँ व समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है जबकि राजगढ़ ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है | **(ब)** भरतपुर जिले के नदवई ब्लॉक के 67 % कुम्हेर और बैर ब्लॉक में स्थित 50 % विद्यालयों में ही इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है शेष ब्लॉक के विद्यालयों में नहीं | चारों ब्लॉक में नदवई ब्लॉक की उपलब्धता औसत रूप से अधिक, कुम्हेर और बैर ब्लॉक की मध्यम एवं सेवर ब्लॉक में यह सुविधा नगण्य है | **(स)** चुरू जिले के

रतनगढ़ ब्लॉक के 67 %, राजगढ़ एवं तारानगर ब्लॉक के 33 % और चुरू ब्लॉक के 50 % विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता है एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक के 100 %, पीलीबंगा के 75 %, टिब्बी ब्लॉक के 67 % विद्यालयों में उक्त सुविधाओं की उपलब्धता है परन्तु संगरिया की उपलब्धता का प्रतिशत शून्य है | चारों ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से 57 % विद्यालयों में ही उपरोक्त सुविधा मौजूद है शेष में नहीं |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़ एवं अलवर जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और चुरू जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है तथा चारों जिलों में भरतपुर जिले की उपलब्धता का प्रतिशत सबसे कम है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विद्यालयों द्वारा सभी विद्यार्थियों को चिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों की सेवाएँ एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती है |

बिंदु क्र.13 - श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए रेडियो, टेपरिकार्डर, आडियो-वीडियो कैसेट्स, टेलीविजन, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन आदि की उपलब्धता के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 10 विद्यालयों में ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाते है जबकि शेष 36 विद्यालयों में उक्त संसाधन उपलब्ध नहीं है | बिंदु क्र. 13 के सम्बन्ध संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है -

रेखाचित्र क्र. 21 A - बिंदु क्र. 13 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

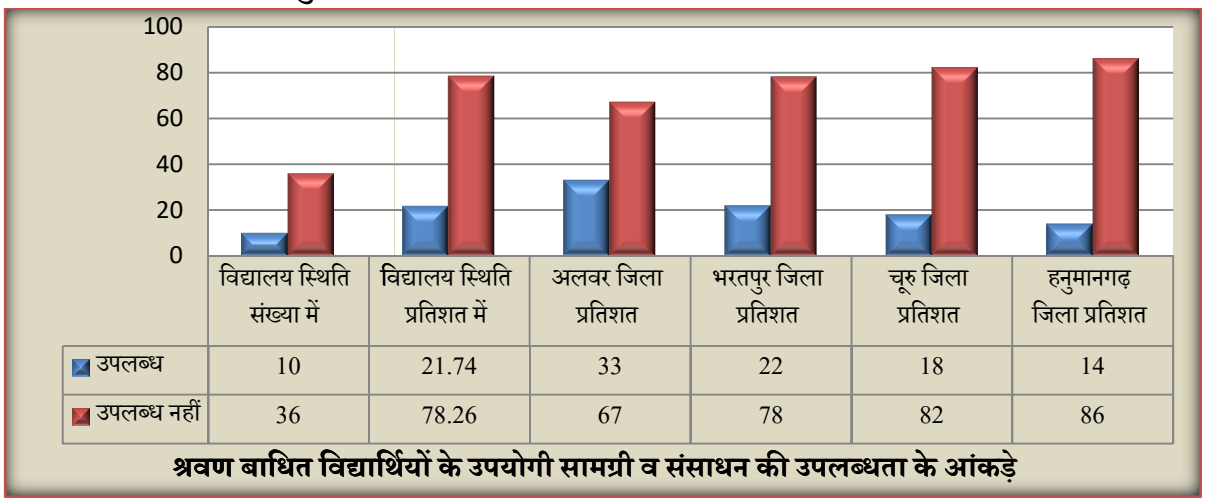

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	10	21.74	33	22	18	14
उपलब्ध नहीं	36	78.26	67	78	82	86

श्रवण बाधित विद्यार्थियों के उपयोगी सामग्री व संसाधन की उपलब्धता के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 21 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 21.74 % विद्यालयों में ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन जैसे - रेडियो, टेपरिकार्डर, आडियो-वीडियो कैसेट्स, टेलीविजन, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन आदि साधन उपलब्ध कराये जाते है जबकि शेष 78.26 % विद्यालयों में इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं है | चारों जिलों में अलवर जिले के 33%, भरतपुर के 22%, हनुमानगढ़ के 14 % तथा चुरू जिले के 18 % विद्यालयों में ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों के उपयोग की सामग्री और संसाधन उपलब्ध है जबकि चुरू जिले के 82 %, हनुमानगढ़ के 86 %, भरतपुर के 78 % तथा अलवर जिले के 67 % विद्यालयों में उक्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है | तुलनात्मक रूप में अलवर जिले की स्थिति अन्य जिलों की उपलब्धता अपेक्षाकृत रूप से ठीक है जबकि चुरू की औसत रूप से निम्न है | आंकड़ों के निष्कर्ष अनुसार चारों जिलों के कुछ विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालय श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के अनुकूल नहीं है |

रेखाचित्र क्र. 21 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु संसाधनों की उपलब्धता के आँकड़े

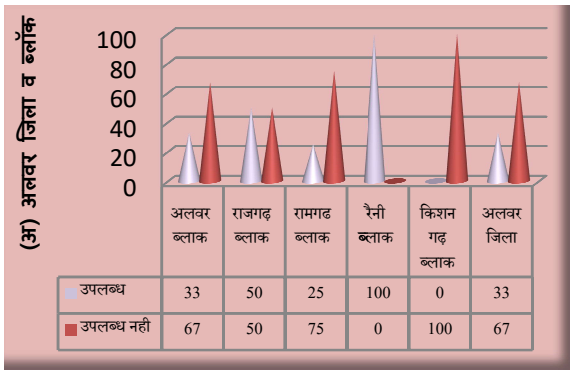

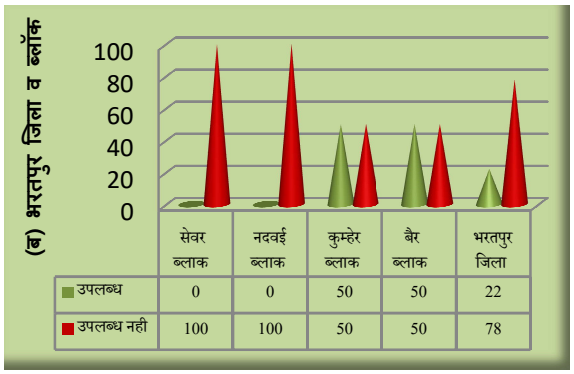

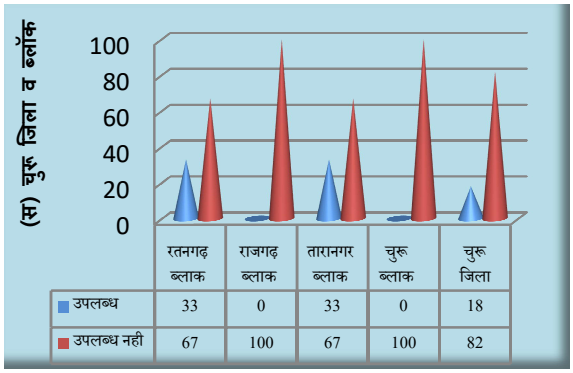

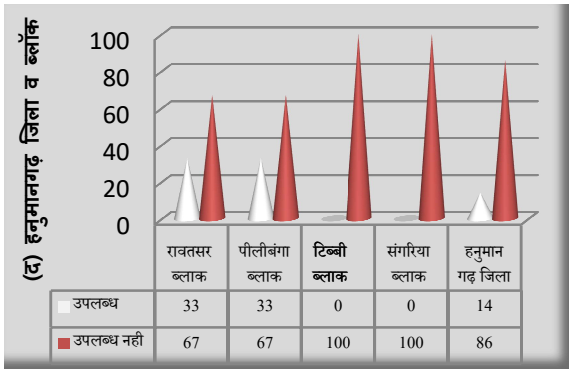

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के

अनुसार **(अ)** अलवर जिले के रैनी ब्लॉक के 100 %, अलवर के 33 %, राजगढ़ के 50 % तथा रामगढ़ ब्लॉक के 25 % विद्यालयों में ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों के उपयोग की सामग्री और संसाधन उपलब्ध है जबकि किशनगढ़ ब्लॉक की उपलब्धता का प्रतिशत शून्य (0) है | अर्थात पाँचों ब्लॉक के चयनित 33 % विद्यालयों में ही आवश्यक सामग्री व संसाधन उपलब्ध है | **(ब)** भरतपुर जिले के कुम्हेर और बैर ब्लॉक में स्थित 50 % विद्यालयों में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के उपयोग की सामग्री और संसाधन उपलब्ध है जबकि सेवर और नदवई ब्लॉक की उपलब्धता शून्य (0) है अर्थात चारों ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से केवल 22 % विद्यालयों में ही संसाधन उपलब्ध है | तुलनात्मक रूप से चारों ब्लॉक में कुम्हेर और बैर ब्लॉक की उपलब्धता औसत रूप से अधिक और सेवर और नदवई की कम है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ और तारानगर ब्लॉक के 33 % विद्यालय में ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए साधनों की उपलब्धता है परन्तु राजगढ़ और चुरू के एक भी विद्यालय में उक्त संसाधन उपलब्ध नहीं है अर्थात चारों ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से केवल 18 % विद्यालयों में ही उपरोक्त साधन उपलब्ध है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर तथा पीलीबंगा के 33 % विद्यालयों में ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता है परन्तु टिब्बी और संगरिया ब्लॉक के एक भी विद्यालय में नहीं अर्थात चारों ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से मात्र 14 % विद्यालयों में ही साधन मौजूद है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़ और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और अलवर जिले के ब्लॉक की अपेक्षा औसत रूप में अधिक है परन्तु चारों जिलों के सभी विद्यालयों में संसाधनों की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से न्यूनतम स्थिति में है यानि जिलों के विद्यालय श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण की जरूरतों को पूर्ण करने की स्थिति में नहीं है |

बिंदु क्र.14 - दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, ब्रेल अनुदेशक एवं कम्प्युटर ब्रेल प्रणाली की उपलब्धता के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों के चयनित 46 विद्यालयों में से 13 विद्यालयों में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, कम्प्युटर ब्रेल प्रणाली आदि संसाधनों की उपलब्धता के साथ ब्रेल अनुदेशक की भी नियुक्ति की गई परन्तु शेष 33 विद्यालयों में इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं है | बिंदु क्र.14 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न है –

रेखाचित्र क्र. 22 A - बिंदु क्र. 14 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

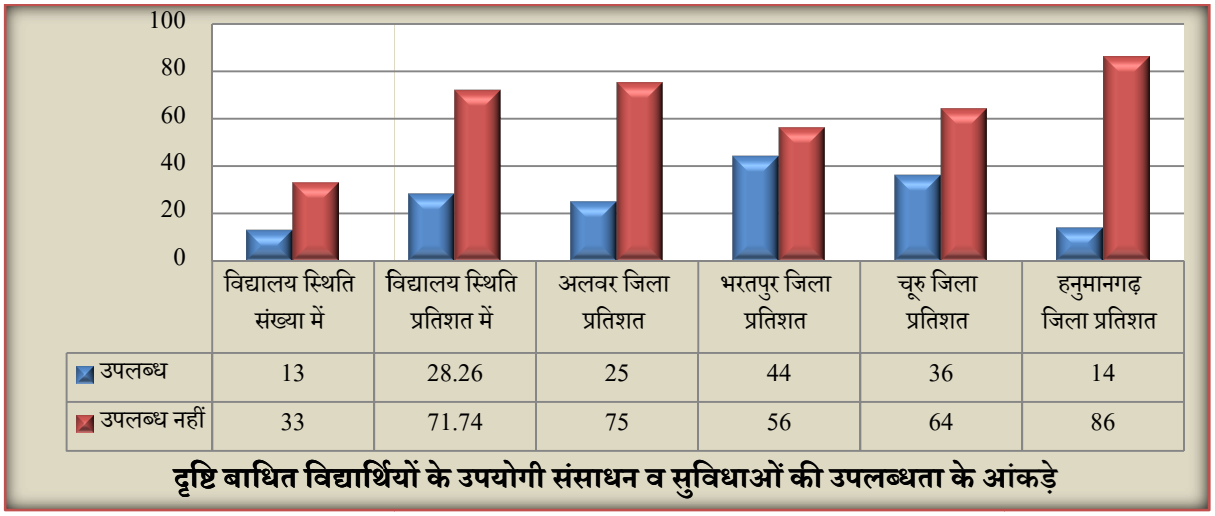

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	13	28.26	25	44	36	14
उपलब्ध नहीं	33	71.74	75	56	64	86

दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के उपयोगी संसाधन व सुविधाओं की उपलब्धता के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 22 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 28.26 % विद्यालयों में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, कंप्यूटर ब्रेल प्रणाली आदि आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध है साथ ही ब्रेल अनुदेशक भी नियुक्ति किये गए हैं लेकिन शेष 71.74 % विद्यालयों में उपरोक्त साधन एवं संसाधन उपलब्ध नहीं है | चारों जिलों में भरतपुर जिले के 44 %, चुरू के 36 %, अलवर के 25 %, तथा हनुमानगढ़ जिले के 14 % विद्यालयों में ही दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण सम्बन्धी आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध है जबकि हनुमानगढ़ के 86 %, अलवर के 75 %, चुरू के 64 % तथा भरतपुर जिले के 56 % विद्यालयों में उक्त सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर जिले की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से उच्च, चुरू एवं अलवर जिले का मध्य और हनुमानगढ़ जिले का निम्न है |

रेखाचित्र क्र. 22 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के उपयोगी उपकरणों की उपलब्धता के आँकड़े

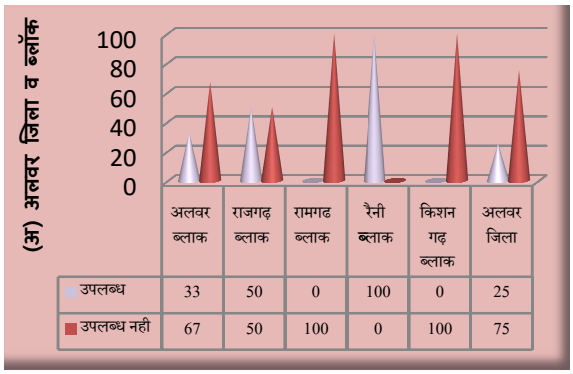

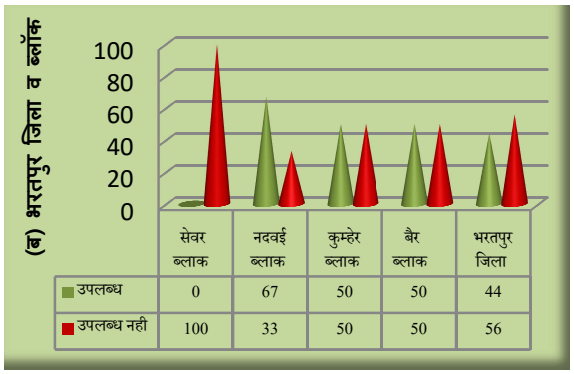

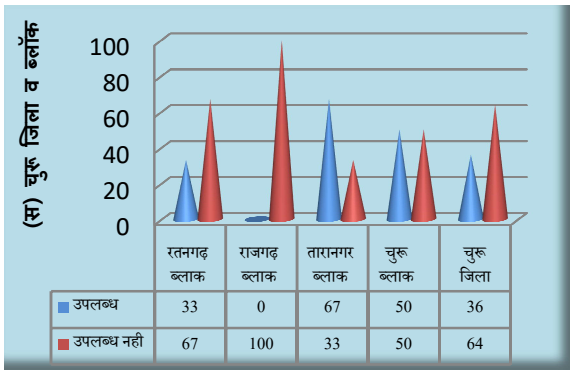

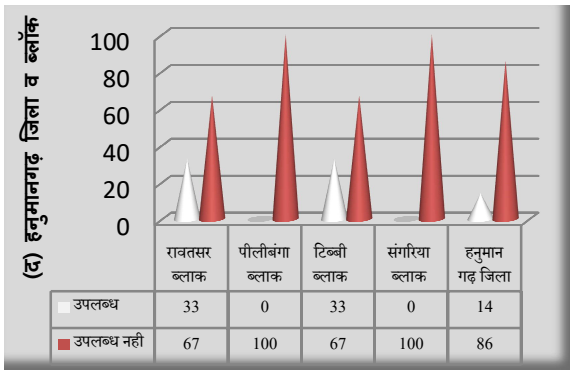

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर **ब्लॉक** के 33 %, राजगढ़ के 50 % और रैनी ब्लॉक के 100 % विद्यालयों में **दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल उपकरण**, स्पर्श भाषा, **कंप्यूटर ब्रेल प्रणाली के साथ ब्रेल अनुदेशक की उपलब्धता है जबकि रामगढ़ और किशनगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है** यानि सभी **ब्लॉक** के मात्र 25 % विद्यालयों में ही संसाधन उपलब्ध है | **(ब)** भरतपुर जिले के नदवई ब्लॉक में 67 % **तथा कुम्हेर और बैर** ब्लॉक में स्थित 50 % **विद्यालयों में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध है अर्थात चयनित** ब्लॉक के 44 % विद्यालयों में **उक्त साधन उपलब्ध नहीं है** | तुलनात्मक रूप से चारों ब्लॉक में नदवई, **कुम्हेर और बैर** ब्लॉक में यह सुविधा अधिक है जबकि सेवर **ब्लॉक** में यह उपलब्धता कम है | **(ब) चुरू जिले के रतनगढ़** ब्लॉक के 33 %, तारानगर ब्लॉक के 67 % और चुरू **ब्लॉक** के 50 % **विद्यालय में ही दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के उपयोगी संसाधन की** उपलब्धता है जबकि राजगढ़ ब्लॉक **की उपलब्धता शून्य है अर्थात चारों** ब्लॉक के चयनित 36 % विद्यालयों में ही **आवश्यक साधन उपलब्ध है तथा चारों** ब्लॉक में तारानगर ब्लॉक **की उपलब्धता अन्य की तुलना में औसत** रूप से अधिक है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और टिब्बी ब्लॉक के मात्र 33 % **विद्यालयों में ही दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए साधनों की उपलब्धता है परन्तु पीलीबंगा और संगरिया** ब्लॉक **में नहीं अर्थात चारों** ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से केवल 14 % विद्यालयों में ही साधन उपलब्ध है | चारों ब्लॉक **में रावतसर और टिब्बी की** उपलब्धता संगरिया और पीलीबंगा **ब्लॉक** की तुलना में अधिक है | **तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर और** हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक **में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और चुरू जिले के** ब्लॉक की अपेक्षा औसत रूप से अधिक है | **(अनुलग्नक क्र. 6)**

बिंदु क्र.15 - शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, सर्जिकल एवं मोल्डेड शूज, केलिपर्स तथा विशेष फर्नीचर आदि की उपलब्धता के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों के चयनित 46 विद्यालयों में से 12 विद्यालयों में शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, सर्जिकल एवं मोल्डेड शूज, केलिपर्स तथा विशेष फर्नीचर आदि की उपलब्धता है लेकिन शेष 34 विद्यालयों में उपरोक्त साधन उपलब्ध नहीं है | बिंदु क्र. 15 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है :–

रेखाचित्र क्र. 23 A - बिंदु क्र. 15 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

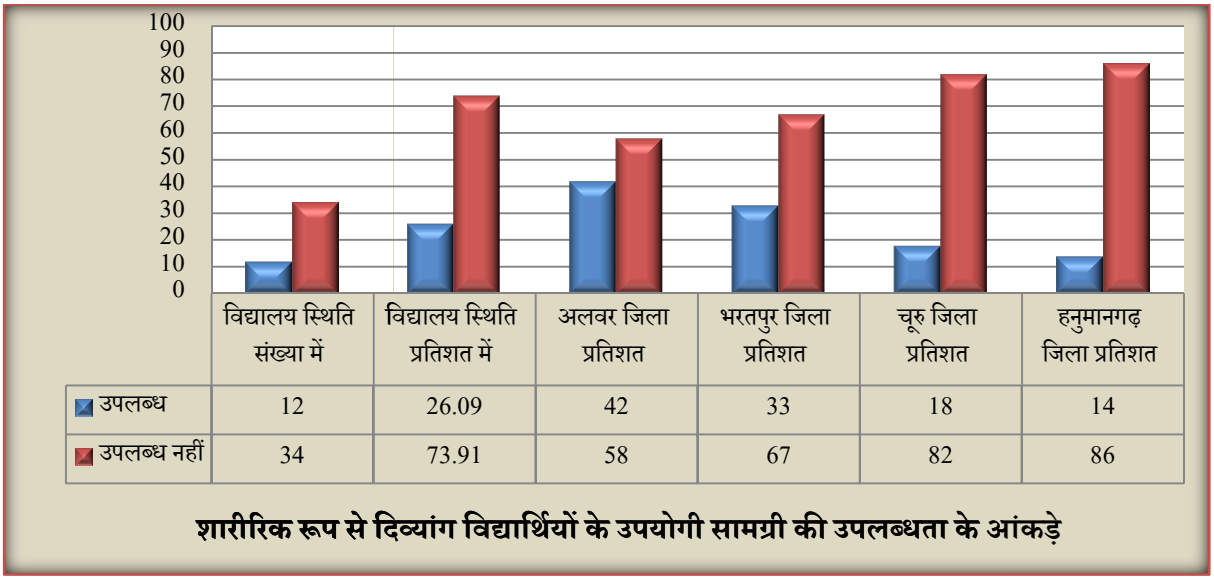

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	12	26.09	42	33	18	14
उपलब्ध नहीं	34	73.91	58	67	82	86

शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के उपयोगी सामग्री की उपलब्धता के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 23 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 26.09 % विद्यालयों में ही शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, सर्जिकल एवं मोल्डेड शूज, केलिपर्स तथा विशेष फर्नीचर एवं उपयोगी साधन मौजूद है जबकि 73.91 % विद्यालयों में इस प्रकार के साधन-संसाधन उपलब्ध नहीं है | चारों जिलों में अलवर जिले के 42 %, भरतपुर जिले के 33 %, चुरू जिले के 18 % तथा हनुमानगढ़ जिले के 14 % विद्यालयों में ही दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, सर्जिकल एवं मोल्डेड शूज, केलिपर्स तथा विशेष फर्नीचर आदि उपलब्ध हैं जबकि हनुमानगढ़ के 86 %, चुरू के 82 %, भरतपुर के 67 % तथा अलवर जिले के 58 % विद्यालयों में उपरोक्त साधन-सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर और भरतपुर जिले

की स्थिति अन्य दोनों जिलों की तुलना में बेहतर है | आंकड़ों के निष्कर्ष से यह प्रतीत होता की चारों जिलों में स्थित तीन चौथाई विद्यालयों में शारीरिक रूप से नि:शक्त विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु सभी आवश्यक साधन व संसाधन उपलब्ध नहीं है |

रेखाचित्र क्र. 23 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आवश्यक उपकरण तथा विशेष फर्नीचर आदि की उपलब्धता के आँकड़े

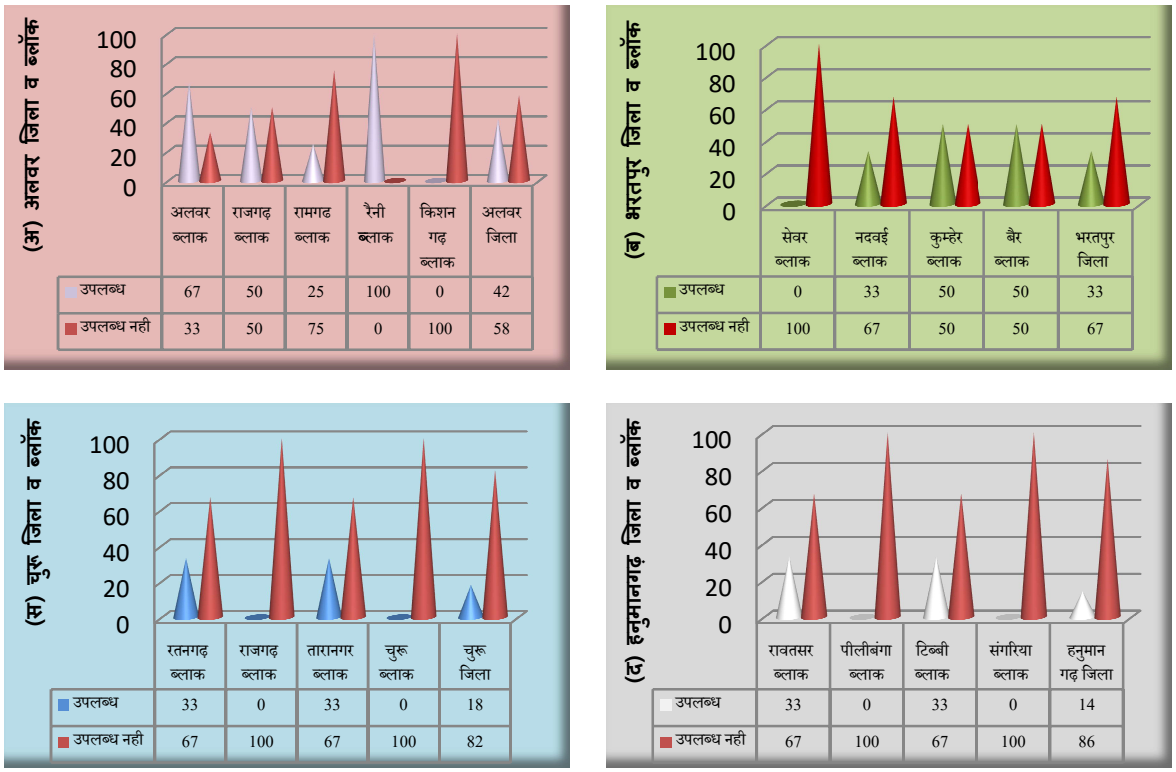

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर ब्लॉक के 67 %, राजगढ़ के 50 %, रामगढ़ के 25 % और रैनी ब्लॉक के 100 % विद्यालयों में शारीरिक रूप से निशक्त विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, सर्जिकल एवं मोल्डेड शूज, केलिपर्स तथा विशेष फर्नीचर उपलब्ध है | चारों ब्लॉक में अलवर ब्लॉक की अधिक और किशनगढ़ ब्लॉक की उपलब्धता सबसे कम है | **(ब)** भरतपुर जिले के नदवई ब्लॉक के 33 %, कुम्हेर और बैर ब्लॉक में स्थित 50 % विद्यालयों में ही शारीरिक रूप से नि:शक्त विद्यार्थियों के लिए साधन उपलब्ध है अर्थात सभी चयनित ब्लॉक के 33% विद्यालयों में उक्त सुविधाएं मौजूद है | तुलनात्मक रूप से कुम्हेर और बैर की अपेक्षा नदवई ब्लॉक में साधनों की उपलब्धता का

प्रतिशत कम है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ और तारानगर ब्लॉक के मात्र 33 % विद्यालयों में शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संसाधन उपलब्ध है परन्तु राजगढ़ और चुरू के एक भी विद्यालय में उक्त साधन नहीं है अर्थात चारों ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से सिर्फ 18 % विद्यालयों में ही उपरोक्त साधन एवं सुविधाएँ उपलब्ध है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर और टिब्बी ब्लॉक के 33 % विद्यालयों में शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए साधनों की उपलब्धता है परन्तु पीलीबंगा और संगरिया ब्लॉक के एक भी विद्यालय में साधन मौजूद नहीं है अर्थात जिले के चारों ब्लॉक के चयनित 14 % विद्यालयों में ही उक्त साधन उपलब्ध है | चारों ब्लॉक में रावतसर और टिब्बी ब्लॉक के विद्यालयों की स्थिति पीलीबंगा और संगरिया की तुलना में बेहतर है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़ और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और अलवर जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है | चारों जिलों में अलवर जिले की उपलब्धता का प्रतिशत सबसे कम है |

बिंदु क्र.16 - मानसिक मंद विद्यार्थियों कों शारीरिक, मानसिक, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा एवं आचरण, शिक्षा तथा हस्तशिल्प के साथ घरेलू कार्य के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 09 विद्यालयों में ही मानसिक मंद विद्यार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि शेष 37 विद्यालयों में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है | बिंदु क्र.16 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है –

रेखाचित्र क्र. 24 A - बिंदु क्र. 16 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

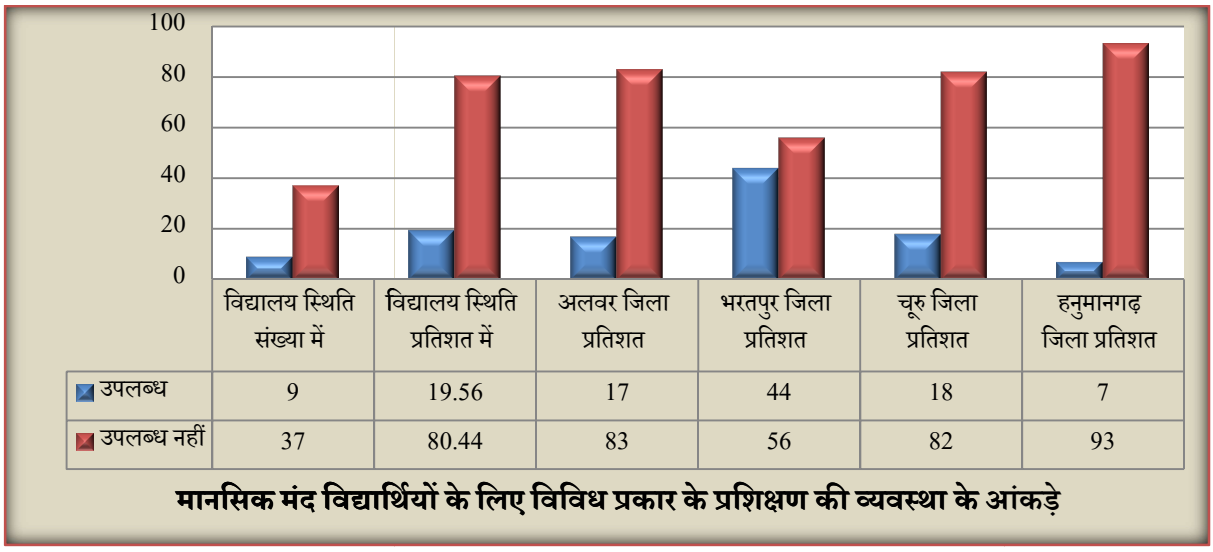

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	9	19.56	17	44	18	7
उपलब्ध नहीं	37	80.44	83	56	82	93

मानसिक मंद विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 24 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 9.56 % विद्यालयों में अध्ययनरत मानसिक मंद विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, आचरण संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है साथ ही हस्तशिल्प के साथ घरेलू कार्य के प्रशिक्षण की सुविधा, स्वयं की सुरक्षा करने आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि 80.44 % विद्यालयों में मानसिक मंद विद्यार्थियों को उक्त प्रशिक्षण एवं सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती है | चारों जिलों में भरतपुर जिले के 44 %, चुरू जिले के 18 %, अलवर जिले के 17 % तथा हनुमानगढ़ जिले के 7 % विद्यालयों के विद्यार्थियों को उपरोक्त लिखित सुविधाएँ, सुरक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त होता है जबकि हनुमानगढ़ के 93 %, अलवर के 83 %, चुरू के 82 % तथा भरतपुर जिले के 56 % विद्यालयों में विद्यार्थियों को समस्त सुविधाएँ एवं प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर जिले के विद्यालयों की सुविधाओं की उपलब्धता का प्रतिशत औसत रूप से अधिक व हनुमानगढ़ जिले का प्रतिशत कम है |

रेखाचित्र क्र. 24 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉकों के विद्यालयों में मानसिक मंद विद्यार्थियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की उपलब्धता के आँकड़े

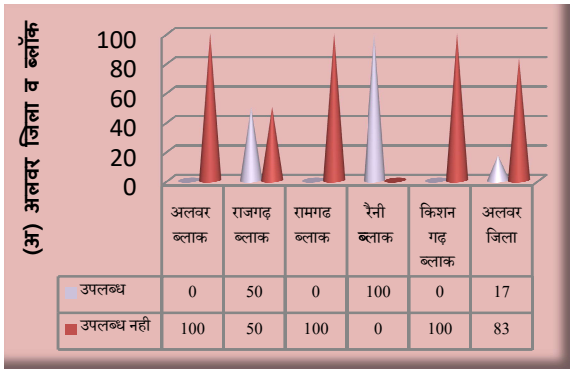

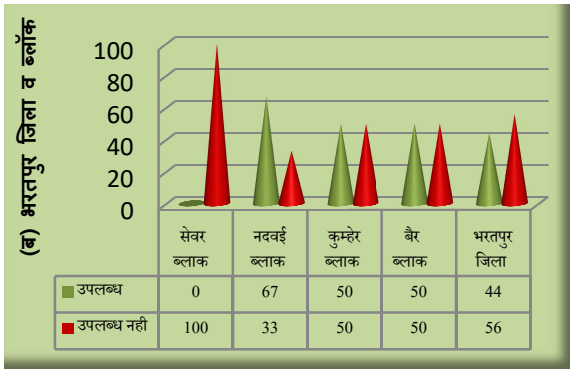

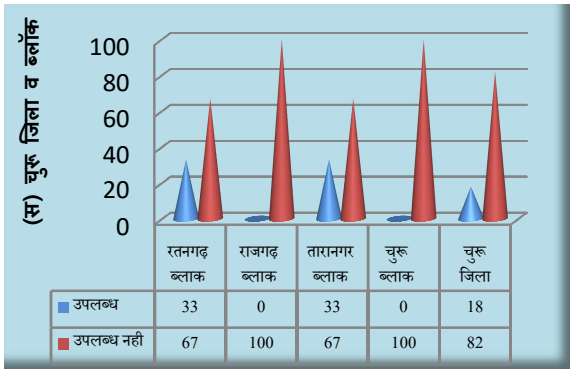

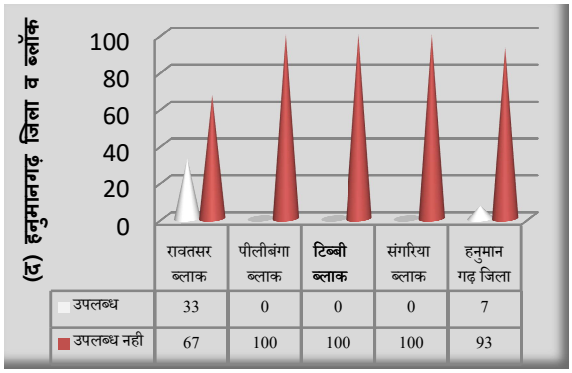

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के

अनुसार **(अ)** अलवर जिले के रैनी ब्लाक के 100 % व राजगढ़ ब्लॉक के 50 % विद्यालयों में ही मानसिक मंद विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, चिकित्सा, स्वयं की सुरक्षा, आचरण, घरेलू कार्य आदि का प्रशिक्षण प्राप्त होता है यानि जिले के ब्लॉक में स्थित 16 % विद्यालयों में ही यह व्यवस्था उपलब्ध है शेष विद्यालयों में उक्त व्यवस्था मौजूद नहीं है | **(ब)** भरतपुर जिले के नदवई ब्लॉक के 67 % तथा कुम्हेर और बैर ब्लॉक में स्थित 50 % विद्यालयों में ही मानसिक मंद विद्यार्थियों को उपरोक्त समस्त सुविधाएँ एवं प्रशिक्षण दिया जाता है अर्थात सभी ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से 44 % विद्यालयों में ही विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है | चारों ब्लॉक में नदवई, कुम्हेर और बैर ब्लॉक में सुविधा की उपलब्धता औसत रूप से अधिक है जबकि सेवर ब्लॉक की उपलब्धता का प्रतिशत शून्य है | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ और तारानगर ब्लॉक के 33 % विद्यालय में ही मानसिक मंद विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है जबकि राजगढ़ और चुरू ब्लॉक में इन सुविधाओं की उपलब्धता नहीं है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक के 33 % विद्यालय में ही मानसिक मंद विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है शेष तीनों ब्लॉक के विद्यालयों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर और चुरू जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है | **(अनुलग्नक क्र. 6)**

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समस्त विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा मानसिक मंद विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, चिकित्सा, स्वयं की सुरक्षा करने, उचित आचरण करने, घरेलू कार्य करने आदि के सम्बन्ध में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है |

बिंदु क्र.17 - ग्रीष्मकालीन अवकाश में अभिभावकों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन करने के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से केवल 14 विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में शैक्षणिक प्रशिक्षण के साथ परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि शेष 32 विद्यालयों में ऐसे आयोजन नहीं होते है | बिंदु क्र.17 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है:–

रेखाचित्र क्र. 25 A - बिंदु क्र. 17 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

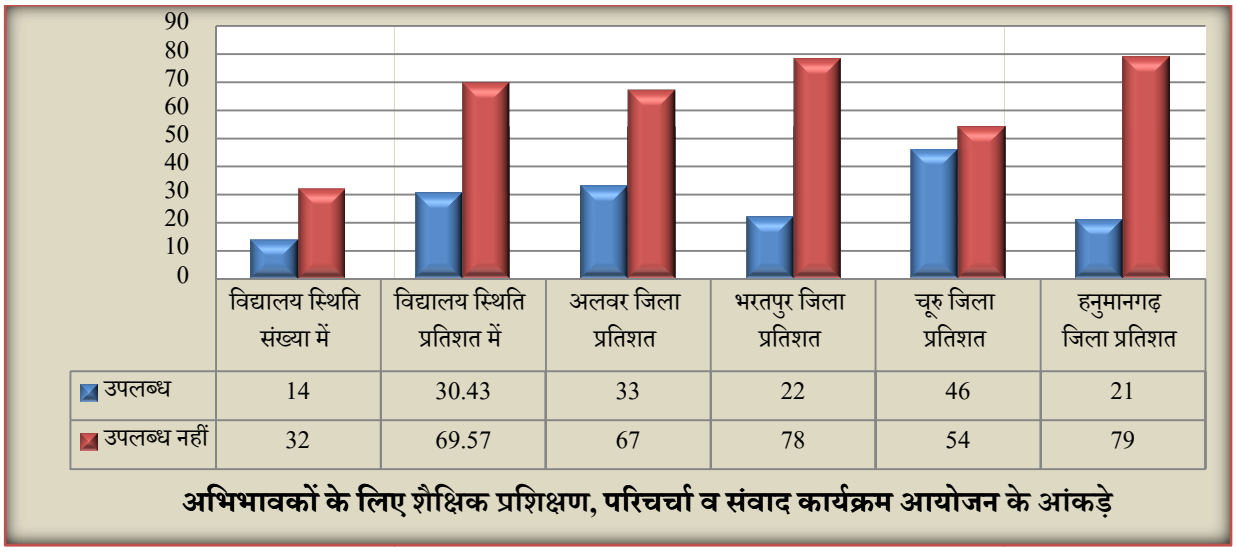

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	14	30.43	33	22	46	21
उपलब्ध नहीं	32	69.57	67	78	54	79

अभिभावकों के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण, परिचर्चा व संवाद कार्यक्रम आयोजन के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 25 A **में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित विद्यालयों में से** 30.43 % **विद्यालयों में अभिभावकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि** 69.57 % विद्यालयों में नहीं | चारों जिलों में चुरू जिले के 46 %, अलवर जिले के 33%, भरतपुर जिले के 22 %, हनुमानगढ़ जिले के 21 % **विद्यालयों में ही अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होता है जबकि चुरू जिले के** 54 %, अलवर जिले के 67 %, भरतपुर जिले के 78 %, हनुमानगढ़ जिले के 79 % विद्यालयों में **उक्त कार्यक्रम आयोजित नहीं होते है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि** 69.57 % **विद्यालयों में अभिभावकों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता है |**

रेखाचित्र क्र. 25 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में अभिभावकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन सम्बन्धी आँकड़े

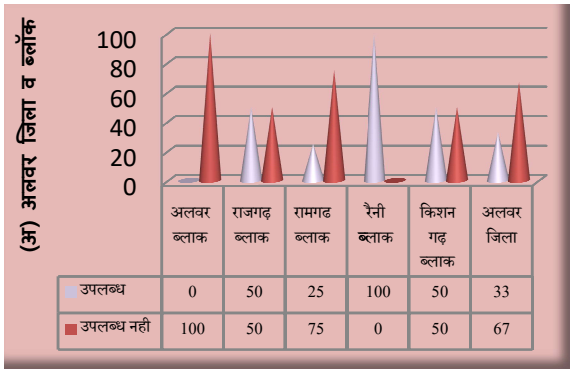

	अलवर ब्लाक	राजगढ़ ब्लाक	रामगढ ब्लाक	रैनी ब्लाक	किशन गढ़ ब्लाक	अलवर जिला
उपलब्ध	0	50	25	100	50	33
उपलब्ध नही	100	50	75	0	50	67

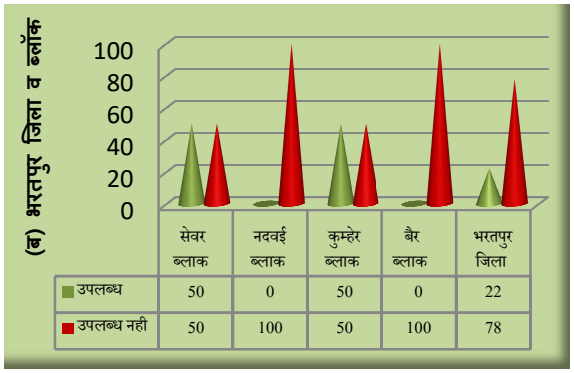

	सेवर ब्लाक	नदवई ब्लाक	कुम्हेर ब्लाक	बैर ब्लाक	भरतपुर जिला
उपलब्ध	50	0	50	0	22
उपलब्ध नही	50	100	50	100	78

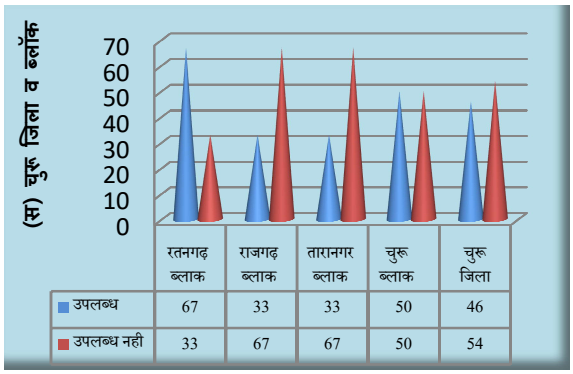

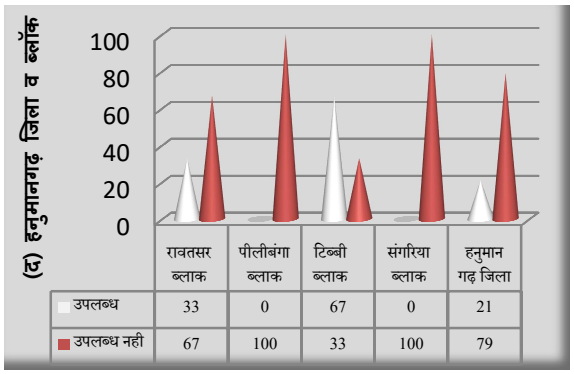

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के राजगढ़ ब्लॉक के 50 %, रामगढ़ ब्लॉक के 25 %, रैनी ब्लॉक के 100 % और किशनगढ़ ब्लॉक के 50 % **विद्यालयों में ही अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है** अर्थात सभी ब्लॉक के केवल 33 % **विद्यालयों में ही ऐसे आयोजन किये जाते है** | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर और कुम्हेर ब्लॉक में स्थित 50 % **विद्यालयों में ही प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन होता है लेकिन नदवई और** बैर ब्लॉक **में इस प्रकार के आयोजन नहीं किये जाते है यानि सभी** ब्लॉक के मात्र 22 % **विद्यालयों में उक्त कार्यक्रमों** का आयोजन किया जाता है 78 % **विद्यालयों में नहीं** | चारों ब्लॉक में सेवर और कुम्हेर ब्लॉक **की उपलब्धता नदवई** और बैर ब्लॉक **की तुलना में अधिक है** | **(स)** चुरू जिले के रतनगढ़ ब्लॉक के 67 % तथा राजगढ़ व तारानगर ब्लॉक के 33 % और चुरू ब्लॉक के 50 % **विद्यालयों में उक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है यानि** चारों ब्लॉक के चयनित विद्यालयों में से 45 % **विद्यालयों में ही उक्त कार्यक्रम आयोजित होते है** | चारों ब्लॉक **में रतनगढ़ एव चुरू की उपलब्धता का प्रतिशत रतनगढ़ और राजगढ़** ब्लॉक की तुलना में औसत रूप से अधिक है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक के 33 % **एवं टिब्बी के** 67 % विद्यालयों में ही ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि **पीलीबंगा और संगरिया के एक भी विद्यालय में ऐसे आयोजन नहीं होते हैं अर्थात जिले के चारों** ब्लॉक के 21 % **विद्यालयों में ही उपरोक्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है** | चारों ब्लॉक **में टिब्बी ब्लॉक की उपलब्धता का** प्रतिशत औसत रूप से अधिक, **रावतसर का मध्यम तथा पीलीबंगा व संगरिया ब्लॉक की उपलब्धता शून्य है** | **तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर जिले के** ब्लॉक **में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर,**

चुरू और हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की अपेक्षा अधिक है परन्तु चारों जिलों के ब्लॉक में स्थित सभी विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत संतोषप्रद नहीं है |

बिंदु क्र.18 - विशेष आवश्यकता वाले पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि के वितरण के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 45 विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण किया जाता है केवल 01 विद्यालय में नहीं | बिंदु क्र. 18 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है -

रेखाचित्र क्र. 26 A - बिंदु क्र. 18 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

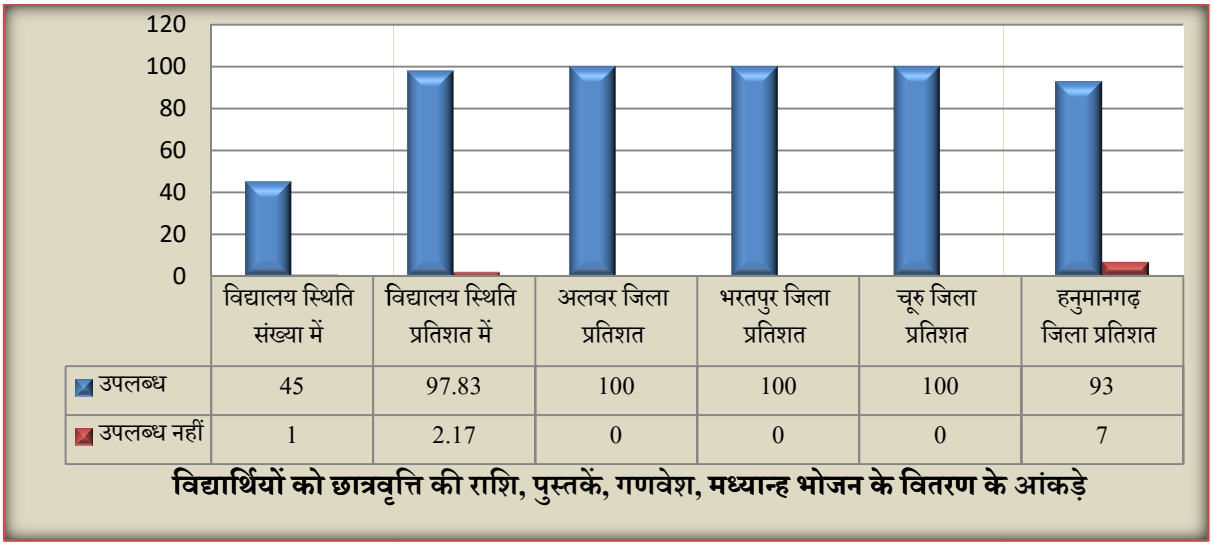

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	45	97.83	100	100	100	93
उपलब्ध नहीं	1	2.17	0	0	0	7

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन के वितरण के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र.26 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित 97.83 % विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण किया जाता है केवल 2.17 % विद्यालयों के विद्यार्थियों को उक्त सभी सामग्री और सुविधा प्रदान नहीं की जाती है | चारों जिलों में अलवर जिले के 100 %, भरतपुर जिले के 100 %, हनुमानगढ़ जिले के 100 % तथा चुरू जिले के 93 %, विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को उक्त सुविधाएँ प्राप्त होती है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़ जिले को छोड़कर अलवर, भरतपुर, चुरू जिलों के शत प्रतिशत विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण किया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 26 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन के वितरण की व्यवस्था के आँकड़े

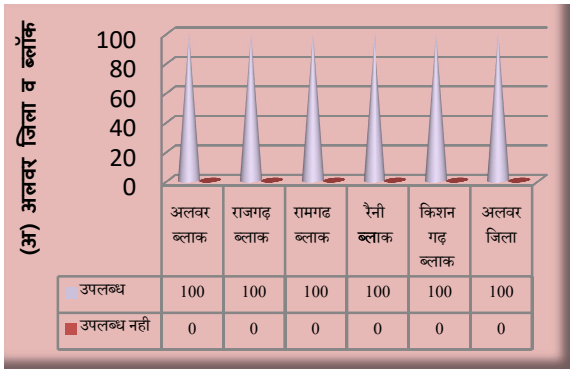

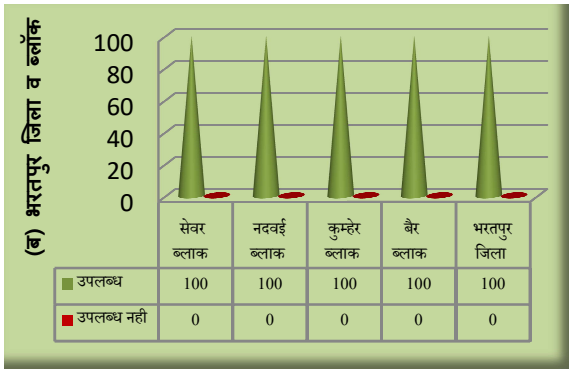

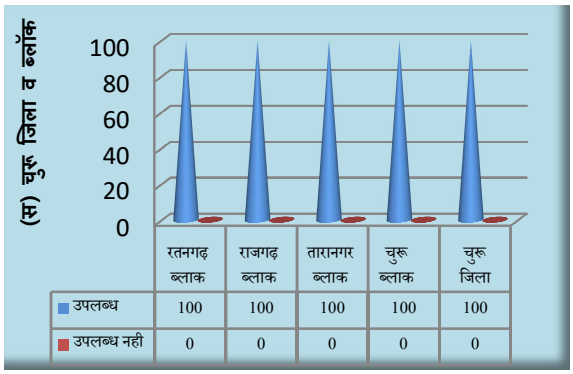

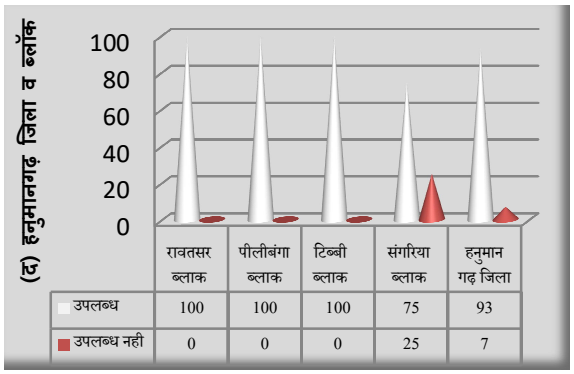

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार अलवर, भरतपुर एवं चुरू जिलों के सभी चयनित ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाती है साथ ही पुस्तकें, गणवेश एवं मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण नियमित रूप से किया जाता है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के संगरिया ब्लॉक के 75% तथा शेष तीनों ब्लॉक के शत प्रतिशत विद्यालयों में उपरोक्त सभी व्यवस्था उपलब्ध है तथा चारों ब्लॉक के 93 % विद्यालयों के विद्यार्थियों को उक्त सभी प्रकार की सुविधाएँ विद्यालय में प्रदान की जाती है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर, भरतपुर और चुरू जिले के ब्लॉक में स्थित समस्त विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत हनुमानगढ़ जिले के ब्लॉक की अपेक्षा औसत रूप से अधिक है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कुछ विद्यालयों को छोड़कर शेष समस्त विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि सभी सुविधाओं का वितरण यथा समय किया जाता है | **(अनुलग्नक क्र. 7)**

बिंदु क्र.19 - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के पंजीयन के रिकॉर्ड, प्रगति पत्रक, दैनिक उपस्थिति पंजी की उपलब्धता और उसके नियमित उपयोग के संदर्भ में :-

राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से शत प्रतिशत सभी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहित सभी बच्चों के पंजीयन के रिकॉर्ड, प्रगति पत्रक, दैनिक उपस्थिति पंजी की उपलब्धता और उसका नियमित उपयोग किया जाता है | बिंदु क्र. 19 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है -

रेखाचित्र क्र. 27 A - बिंदु क्र. 19 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

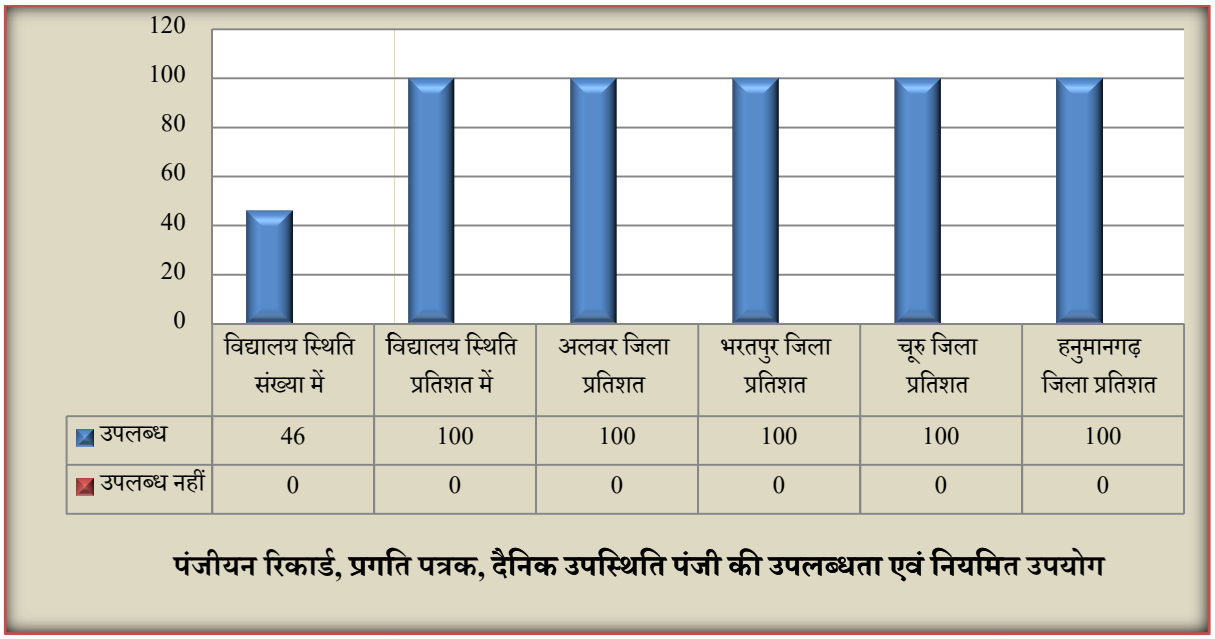

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	46	100	100	100	100	100
उपलब्ध नहीं	0	0	0	0	0	0

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 27 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चयनित चारों जिलों अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ तथा चुरू के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों सम्बन्धी पंजीयन के रिकॉर्ड, प्रगति पत्रक, दैनिक उपस्थिति पंजी की उपलब्धता शत प्रतिशत है और विद्यालय शिक्षकों के द्वारा इन सभी का नियमित रूप से उपयोग भी किया जाता है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों समस्त विद्यालयों में उक्त सभी दस्तावेजों की उपलब्धता का प्रतिशत एक समान है अर्थात समस्त विद्यालयों में विद्यार्थियों से सम्बंधित समस्त प्रपत्रों का नियमित उपयोग और रखरखाव किया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 27 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में विद्यार्थियों के पंजीयन रिकॉर्ड, प्रगति पत्रक, दैनिक उपस्थिति पंजी की उपलब्धता के आँकड़े

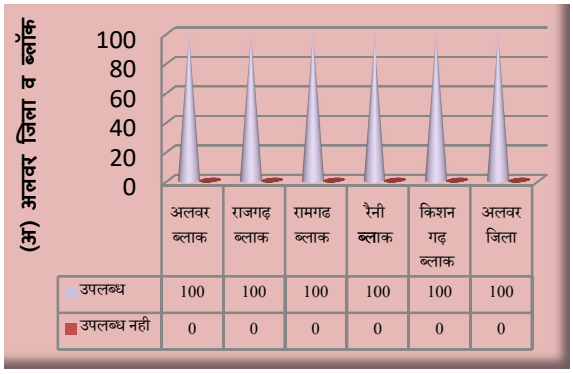

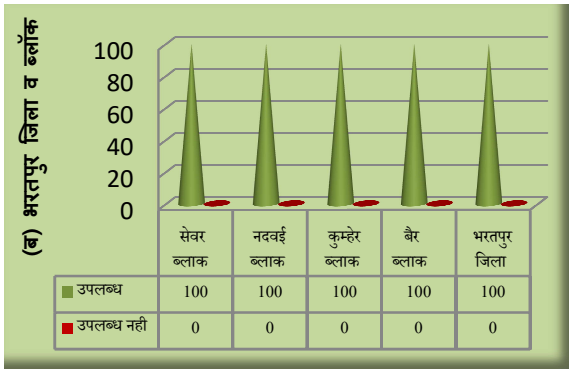

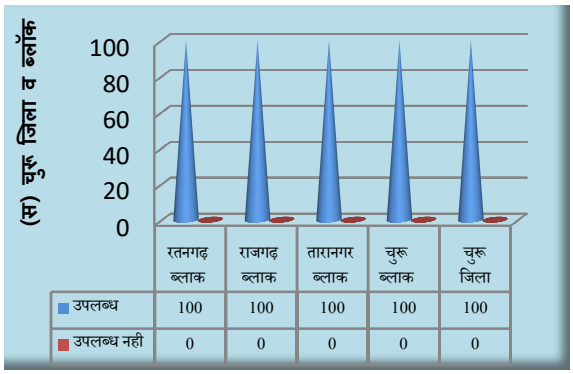

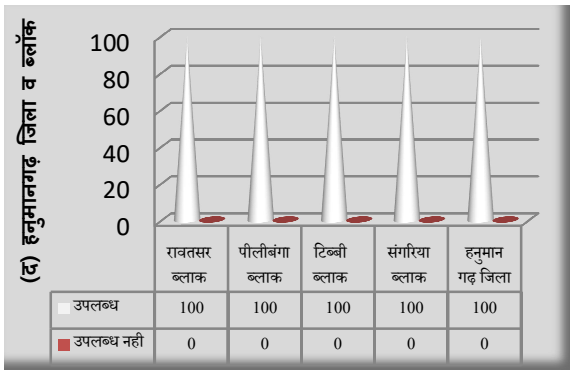

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार राज्य के चयनित चारों जिलों अलवर, भरतपुर, चुरू एवं हनुमानगढ़ के चयनित सभी 17 ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में से चयनित समस्त विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सम्बन्धी पंजीयन के रिकॉर्ड, प्रगति पत्रक, दैनिक उपस्थिति पंजी की उपलब्ध है और उसका नियमित उपयोग भी किया जाता है | उपरोक्त सभी रिकॉर्ड के सम्बन्ध में चारों जिलों के समस्त ब्लॉक में स्थित सभी विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत पूर्ण एवं समान है |

बिंदु क्र. 20 - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसारण के लिए सूचना बोर्ड एवं आवश्यक सम्प्रेषण सामग्री की उपलब्धता के संदर्भ में :-

राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में से 43 विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उक्त सम्प्रेषण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है जबकि शेष 03 विद्यालय में साधन उपलब्ध नहीं है |

रेखाचित्र क्र. 28 A - बिंदु क्र. 20 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

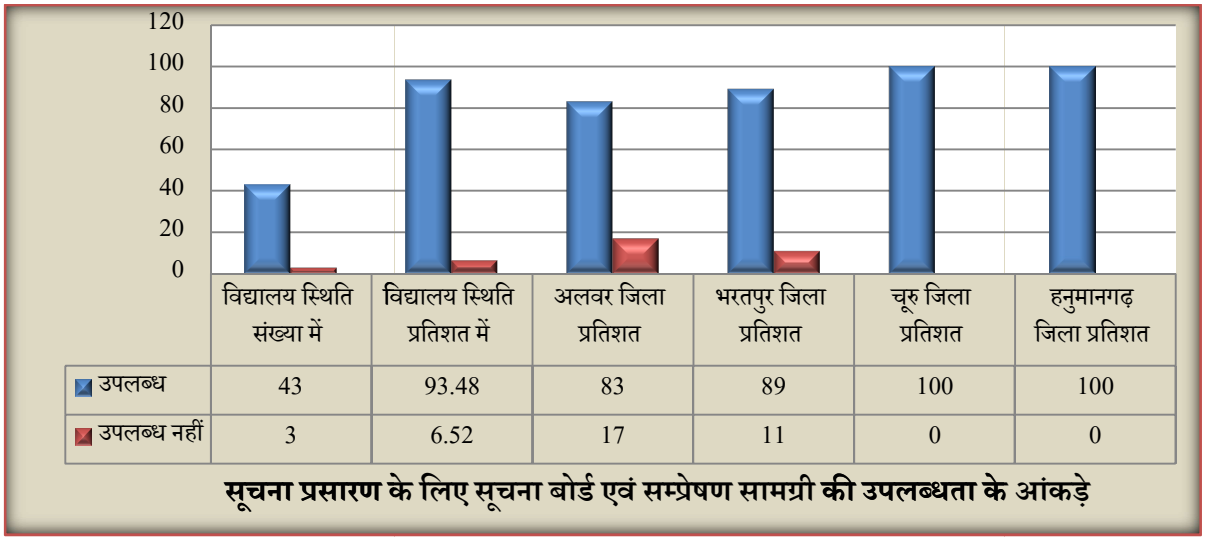

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	43	93.48	83	89	100	100
उपलब्ध नहीं	3	6.52	17	11	0	0

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 28 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चयनित चारों जिलों में स्थित 93.48 % विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सूचनाओं प्रदान करने के लिए सूचना बोर्ड एवं आवश्यक सम्प्रेषण सामग्री मौजूद है एवं समय-समय पर विद्यार्थियों तक सम्बंधित आवश्यक सूचनाएं पहुँचाई जाती है केवल 6.52 % विद्यालयों में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है | चारों जिलों में अलवर जिले के 83 %, भरतपुर के 89 %, हनुमानगढ़ के 100 % तथा चुरू जिले के 100 % विद्यालयों में विद्यार्थियों को सम्बंधित आवश्यक सूचनाएं देने हेतु सम्प्रेषण सामग्री उपलब्ध है जबकि अलवर जिले के 17 % एवं भरतपुर जिले के 11 % विद्यालयों में उक्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़ और चुरू जिले की स्थिति बेहतर है |

रेखाचित्र क्र. 28 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में सूचनाओं के प्रसारण के लिए सूचना बोर्ड एवं आवश्यक सम्प्रेषण सामग्री की उपलब्धता के आँकड़े

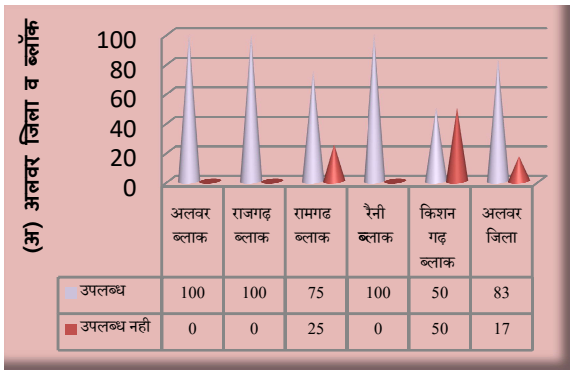

	अलवर ब्लाक	राजगढ़ ब्लाक	रामगढ ब्लाक	रैनी ब्लाक	किशन गढ़ ब्लाक	अलवर जिला
उपलब्ध	100	100	75	100	50	83
उपलब्ध नही	0	0	25	0	50	17

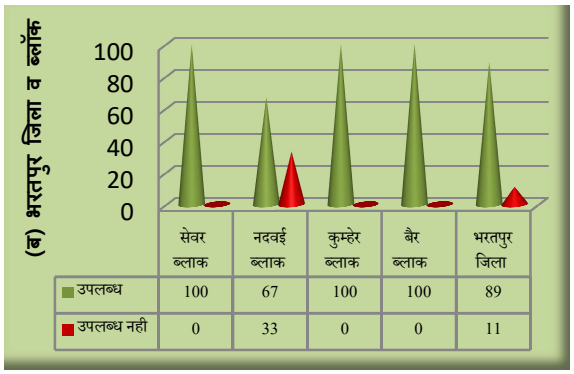

	सेवर ब्लाक	नदवई ब्लाक	कुम्हेर ब्लाक	बैर ब्लाक	भरतपुर जिला
उपलब्ध	100	67	100	100	89
उपलब्ध नही	0	33	0	0	11

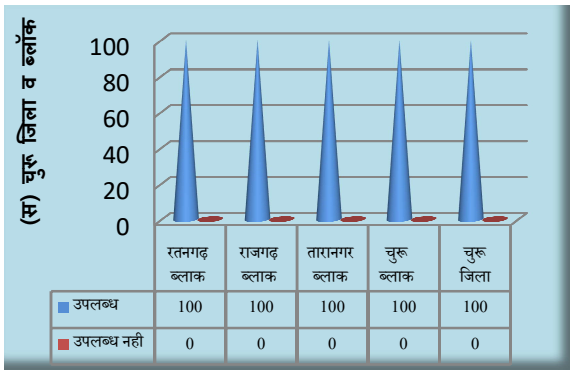

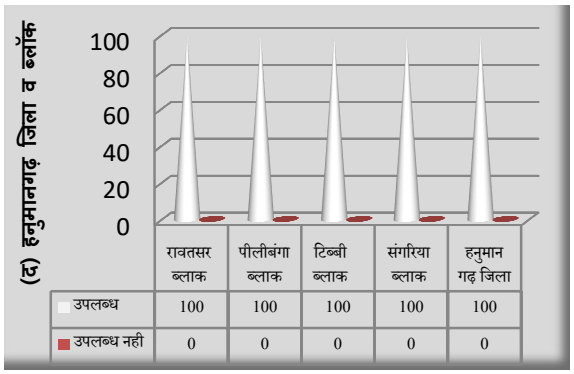

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के **रामगढ ब्लॉक को छोड़कर शेष चारों ब्लॉक अलवर**, राजगढ़, रैनी तथा **(ब)** भरतपुर **जिले नदवई ब्लॉक को छोड़कर शेष तीनों ब्लॉक सेवर, कुम्हेर एवं बैर के समस्त विद्यालयों में उक्त साधन उपलब्ध है** जबकि **(स)** चुरू एवं **(द)** हनुमानगढ़ जिले के सभी ब्लॉक **के विद्यालयो में सभी प्रकार की सम्प्रेषण सामग्री मौजूद है, बच्चों को सभी जानकारी यथा समय पर प्रदान की जाती है** | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में अलवर, हनुमानगढ़ और चुरू जिले के ब्लॉक **में स्थित विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत भरतपुर जिले की अपेक्षा** अधिक है |

बिंदु क्र. 21 - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों, अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 **जिलों के चयनित** 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 **विद्यालयों में से** केवल 05 **विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए** आवासीय शिविरों, **अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाता है शेष** 41 **विद्यालयों में नहीं** |

रेखाचित्र क्र. 29 A - बिंदु क्र. 21 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

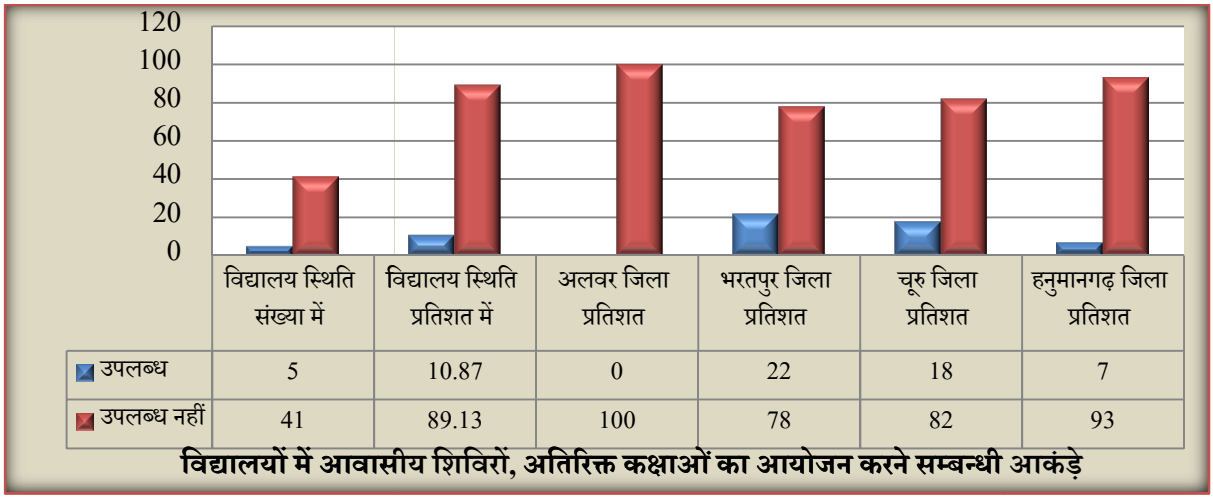

विद्यालयों में आवासीय शिविरों, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करने सम्बन्धी आकंड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 29 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों में स्थित केवल 10.87 % विद्यालयों में ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं के द्वारा शैक्षिक अधिगम वृद्धि का प्रयास किया जाता है जबकि 89.13 % विद्यालयों में इस तरह का कोई प्रयास विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है | चारों जिलों में भरतपुर के 22 %, चुरू के 18%, हनुमानगढ़ के 7 % विद्यालयों में आवासीय शिविरों, अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाता है जबकि अलवर के जिले 100 %, भरतपुर जिले के 78 %, चुरू जिले के 82 % तथा हनुमानगढ़ जिले के 93 % विद्यालयों में ऐसे आयोजन नहीं किये जाते हैं | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर व चुरू जिले की स्थिति औसत रूप से ठीक है जबकि अलवर और हनुमानगढ़ जिले की उपलब्धता का प्रतिशत अन्य जिलों की तुलना में कम है | निष्कर्ष रूप में चारों जिलों के मात्र 10.87 % विद्यालयों में ही विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों तथा अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं के आयोजन के माध्यम से शैक्षिक अधिगम वृद्धि का प्रयास किया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 29 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में आवासीय शिविरों, अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था के आँकड़े

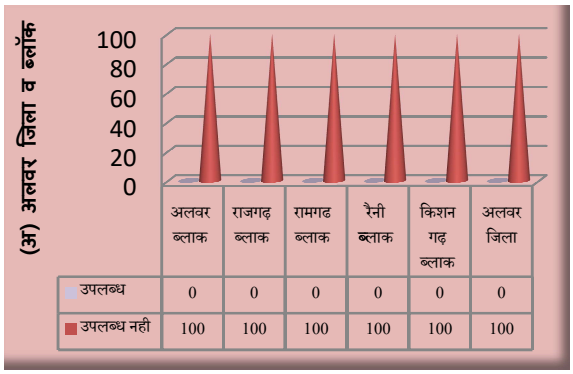

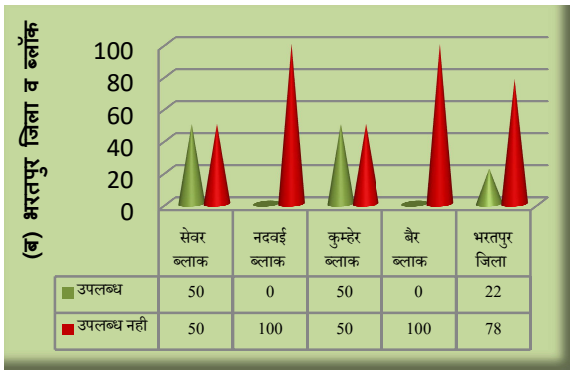

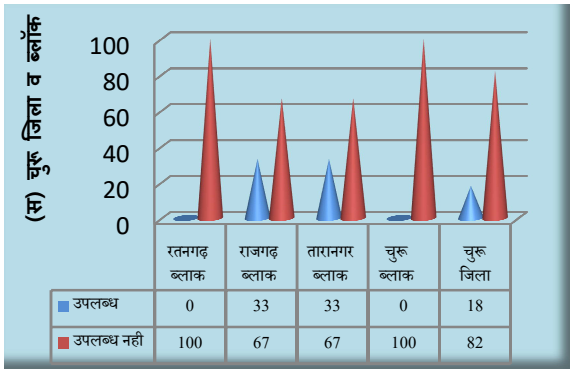

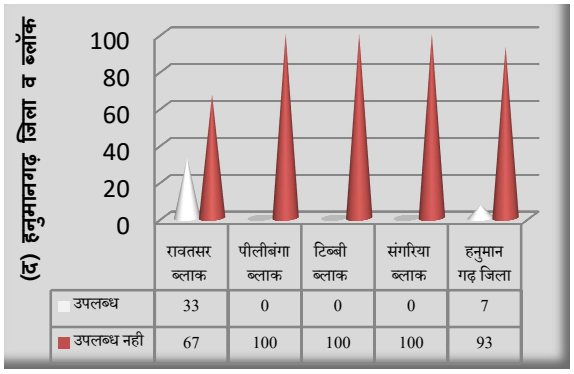

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के चयनित ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों, अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाता है | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर और कुम्हेर ब्लॉक के 50 % विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों, अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाता है जबकि शेष ब्लॉक के विद्यालयों में नहीं | तुलनात्मक रूप से जिले के चारों ब्लॉक में कुम्हेर और सेवर ब्लॉक की उपलब्धता नदवई और बैर ब्लॉक की तुलना में अधिक है | **(स)** चुरू जिले के राजगढ़ और तारानगर ब्लॉक के 33 % विद्यालय में ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों एवं कक्षाओं का संचालन किया जाता है शेष किसी भी विद्यालय में ऐसे आयोजन नहीं किये जाते है अर्थात जिले के चारों ब्लॉक के मात्र 18 % विद्यालयों में ही इस प्रकार की सुविधाएँ विद्यार्थियों को उपलब्ध होती है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर ब्लॉक के 33 % विद्यालयों में ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिविरों एवं अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाता है शेष तीनों ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में नहीं अर्थात जिले के चारों ब्लॉक के मात्र 7 % विद्यालयों में ही यह व्यवस्था उपलब्ध है |

तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर, हनुमानगढ़ और चुरू जिले के ब्लाक में स्थित कुछ विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है जबकि अलवर जिले के ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है | उपरोक्त व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन करने में चारों जिलों के लगभग एक तिहाई से अधिक विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत शून्य है |

बिंदु क्र. 22 - सभी विद्यार्थियों के अनुकूल उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग की व्यवस्था के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 46 विद्यालयों में 44 विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा सभी विद्यार्थियों के अनुकूल उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है केवल 02 विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है | बिंदु क्र. 22 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है -

रेखाचित्र क्र. 30 A - बिंदु क्र. 22 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

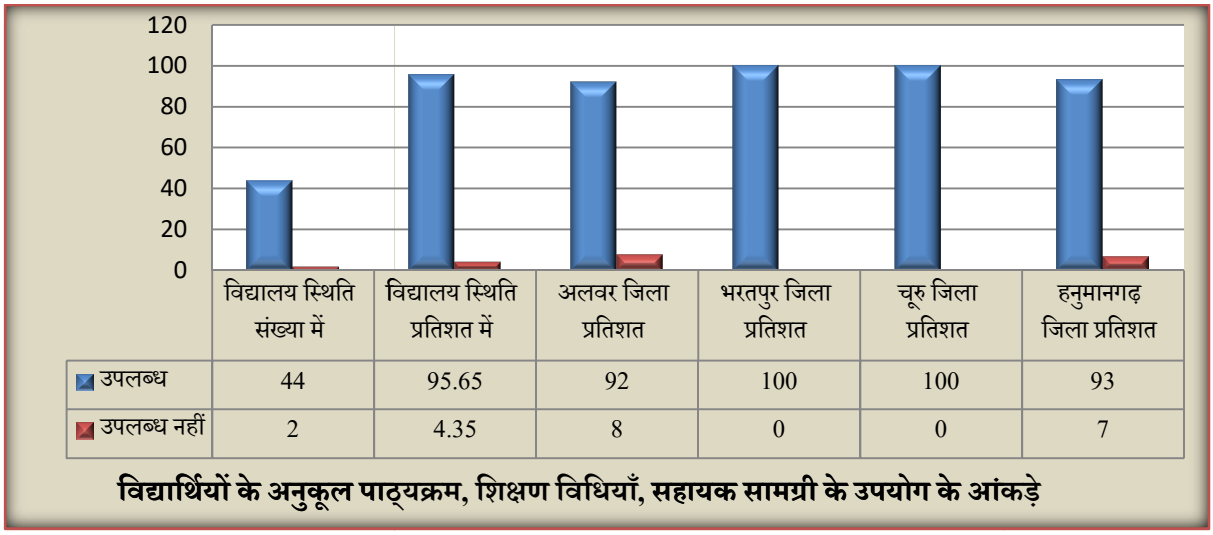

	विद्यालय स्थिति संख्या में	विद्यालय स्थिति प्रतिशत में	अलवर जिला प्रतिशत	भरतपुर जिला प्रतिशत	चूरु जिला प्रतिशत	हनुमानगढ़ जिला प्रतिशत
उपलब्ध	44	95.65	92	100	100	93
उपलब्ध नहीं	2	4.35	8	0	0	7

विद्यार्थियों के अनुकूल पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री के उपयोग के आंकड़े

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 30 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार औसतन राज्य के चारों जिलों के 95.65 % विद्यालयों के शिक्षक विद्यार्थियों के अनुकूल व उचित पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं तथा शिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं सिर्फ 4.35 % विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू नहीं है | चारों जिलों में भरतपुर और चुरू जिले के शत प्रतिशत तथा अलवर जिले के 92 % और हनुमानगढ़ जिले में 93 % विद्यालयों के शिक्षक शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम व प्रकरण के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों, प्रविधियों, नवीन तकनीकों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का पूर्ण उपयोग करते हैं | निष्कर्षत: समग्र रूप से सभी जिलों में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों का शिक्षण कार्य प्रशंसनीय है |

रेखाचित्र क्र. 30 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुकूल उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के आँकड़े

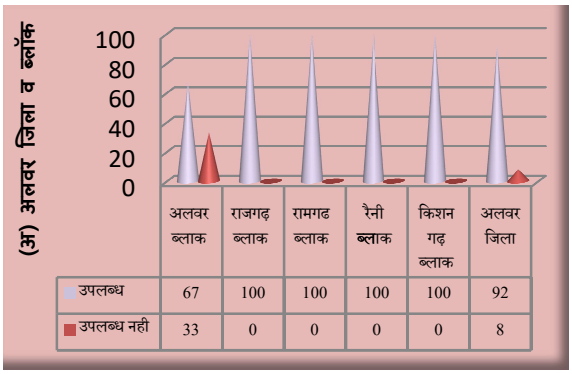

	अलवर ब्लाक	राजगढ़ ब्लाक	रामगढ ब्लाक	रैनी ब्लाक	किशन गढ़ ब्लाक	अलवर जिला
उपलब्ध	67	100	100	100	100	92
उपलब्ध नही	33	0	0	0	0	8

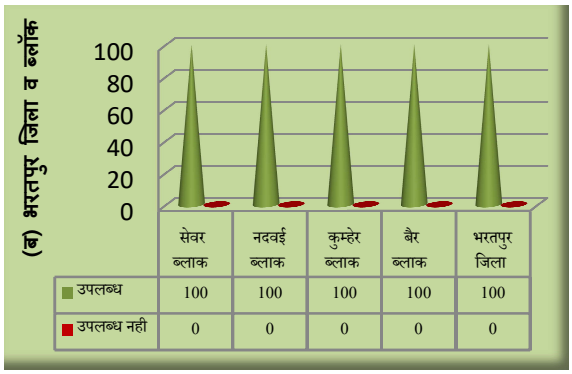

	सेवर ब्लाक	नदवई ब्लाक	कुम्हेर ब्लाक	बैर ब्लाक	भरतपुर जिला
उपलब्ध	100	100	100	100	100
उपलब्ध नही	0	0	0	0	0

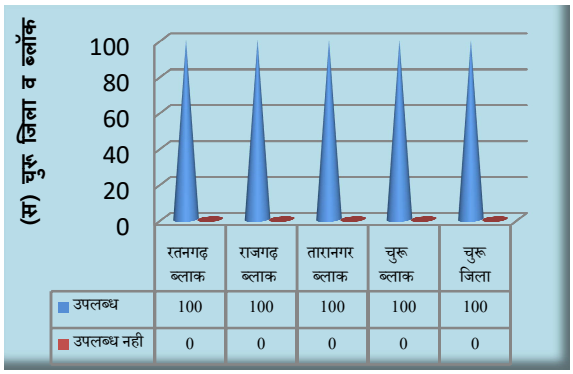

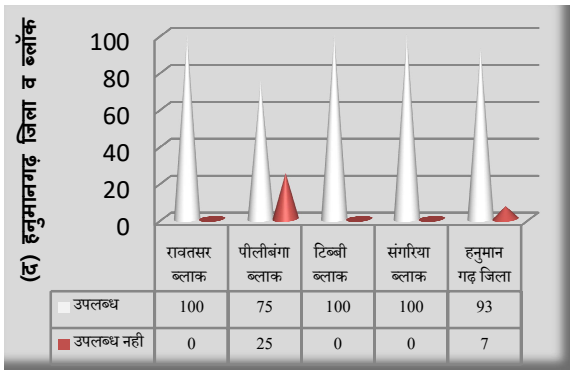

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के अलवर ब्लॉक को छोड़कर शेष चारों ब्लॉक **में स्थित सभी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं अर्थात सभी** ब्लॉक के चयनित 92% **विद्यालयों के शिक्षक इस प्रक्रिया को पालन में लाते हैं** | **(ब)** भरतपुर एवं **(स)** चुरू **जिले के समस्त** ब्लॉक में स्थित **सभी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का उपयोग कर पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं** | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के रावतसर, टिब्बी, **संगरिया ब्लाक के** 100 % एवं पीलीबंगा ब्लॉक के 75 % **विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री** का उपयोग किया जाता है | चारों **ब्लॉक** के चयनित विद्यालयों में से 93 % **विद्यालयों में सभी क्रियाओं को पालन में** लाया जाता है | **तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर और चुरू जिले के** ब्लॉक **में स्थित** विद्यालयों के उपयोग का **प्रतिशत अलवर और हनुमानगढ़ जिले के** ब्लॉक की अपेक्षा औसतन अधिक है |

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कुछ विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा शिक्षण के दौरान विषयों एवं पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का उपयोग कर शिक्षण कार्य किया जाता है |

बिंदु क्र. 23 - विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण की उपलब्धता के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 **ब्लॉकों में स्थित विद्यालयों में चयनित** 46 विद्यालयों में से 42 विद्यालयों में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण की उपलब्धता है जबकि 04 **विद्यालय में शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं है** | बिंदु क्र. 23 के सम्बन्ध में **संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण** निम्न प्रकार है -

रेखाचित्र क्र. 31 A - बिंदु क्र. 23 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

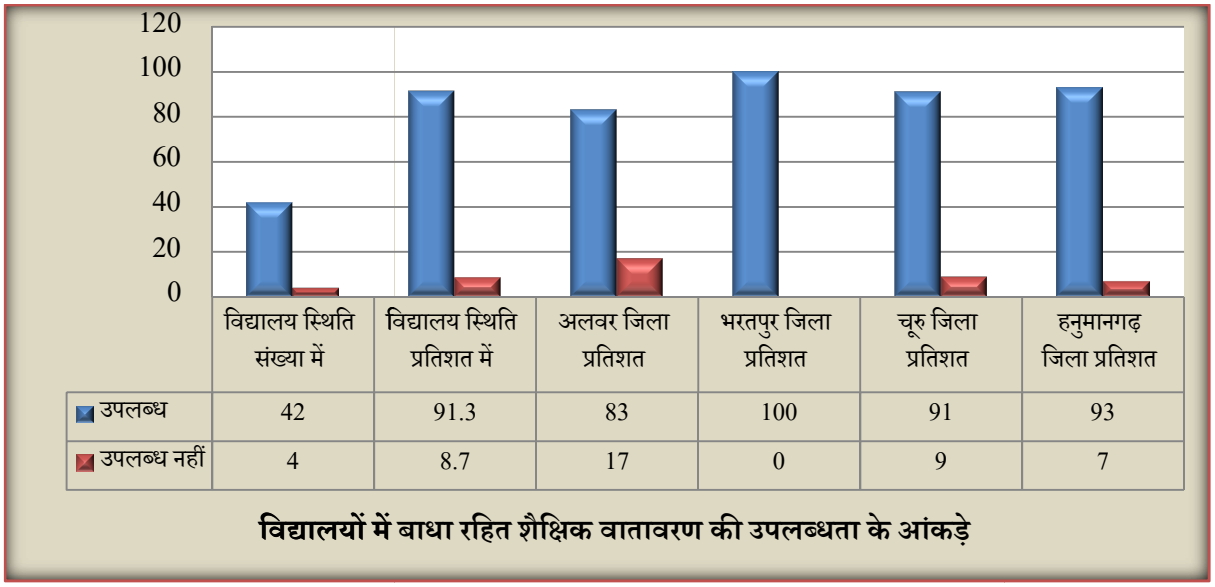

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 31 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार चारों जिलों के चयनित ब्लॉक में से 91.30 % विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है जहा का वातावरण शिक्षण के अनुकूल एवं बाधा रहित है केवल 8.70 % विद्यालय ऐसे स्थान पर मौजूद है जहां का वातावरण अध्ययन के अनुकूल नहीं है | चारों जिलों में भरतपुर जिले के 100%, हनुमानगढ़ जिले के 93 % , चुरू जिले के 91% एवं अलवर जिले के 83 % विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण बाधा रहित है | तुलनात्मक रूप से सभी जिलों में भरतपुर का वातावरण औसत रूप से अधिक बेहतर है जबकि हनुमानगढ़ व चुरू जिले का उसकी तुलना में औसतन कम तथा अलवर का न्यूनतम है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है चारों जिलों के कुछ विद्यालय को छोड़कर सभी विद्यालयों का वातावरण सभी विद्यार्थियों के शिक्षण के अनुकूल है |

रेखाचित्र क्र. 31 B - चयनित जिलों व ब्लॉक के विद्यालयों में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण के आँकड़े

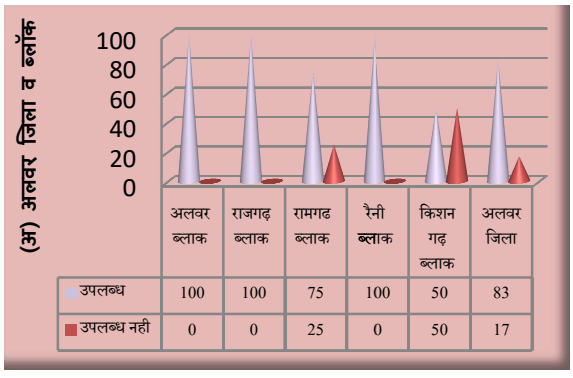

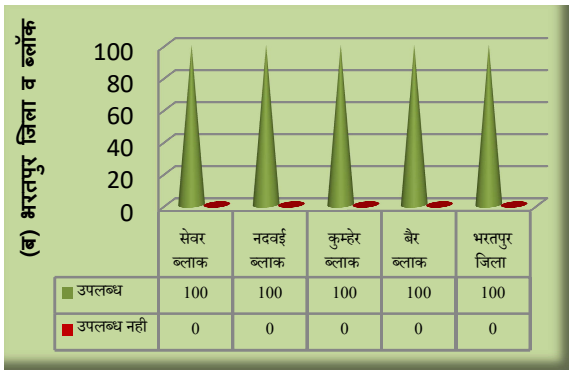

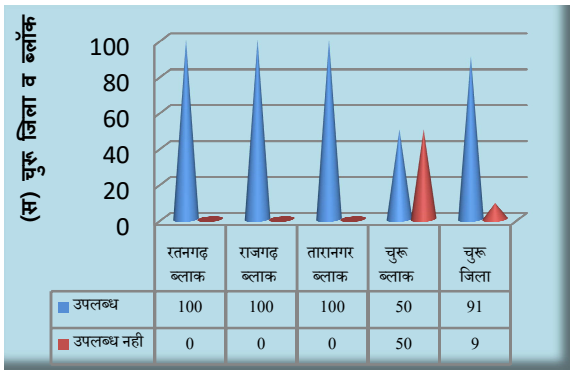

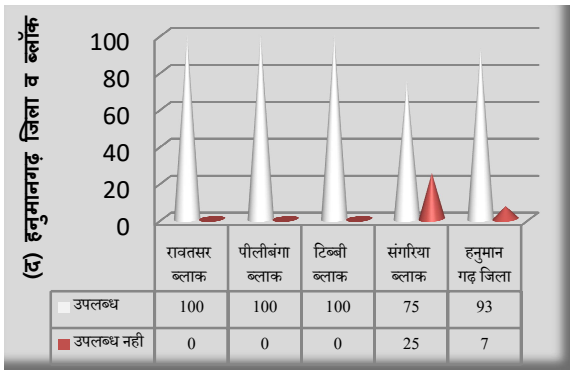

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- उपरोक्त रेखाचित्रों में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के रामगढ़ और किशनगढ़ ब्लॉक के क्रमश: 25 % एवं 50 % विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण बाधा रहित नहीं है जबकि शेष सभी ब्लॉक के समस्त विद्यालयों का वातावरण शिक्षण के अनुकूल है यानि अलवर जिले के 83 % विद्यालयों का वातावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर, नदवई, कुम्हेर और बैर ब्लॉक में स्थित समस्त विद्यालयों यानि चारों ब्लॉक के चयनित शत प्रतिशत विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण बाधा रहित है | **(स)** चुरू जिले के चुरू ब्लॉक के 50 % विद्यालय को छोड़कर शेष ब्लॉक में स्थित शत प्रतिशत विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण बाधा रहित है जबकि चारों ब्लॉक में से तीन ब्लॉक के विद्यालयों का वातावरण शिक्षण के अनुकूल है | **(द)** हनुमानगढ़ जिले के संगरिया ब्लॉक के 75 % तथा शेष सभी ब्लॉक के चयनित सभी विद्यालयों का वातावरण बाधा रहित है यानि चारों ब्लॉक के 93 % विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण बाधा रहित है | तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में भरतपुर जिले के ब्लॉक की उपलब्धता का प्रतिशत हनुमानगढ़ और चुरू जिले के ब्लॉक की अपेक्षा औसत रूप से अधिक तथा अलवर जिले की उपलब्धता का प्रतिशत कम है |

बिंदु क्र. 24 - केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं उनके समय पर क्रियान्वयन की व्यवस्था के संदर्भ में :- राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 ब्लाकों में स्थित विद्यालयों में चयनित 44 विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार एवं उनका समय पर क्रियान्वयन किया जाता है केवल 02 विद्यालयों में ही यह व्यवस्था लागू नहीं है | बिंदु क्र. 24 के सम्बन्ध में संग्रहित आँकड़ों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है -

रेखाचित्र क्र. 32 A- बिंदु क्र. 24 के सम्बन्ध में संग्रहित उपलब्धता के आँकड़े (संख्या और प्रतिशत में)

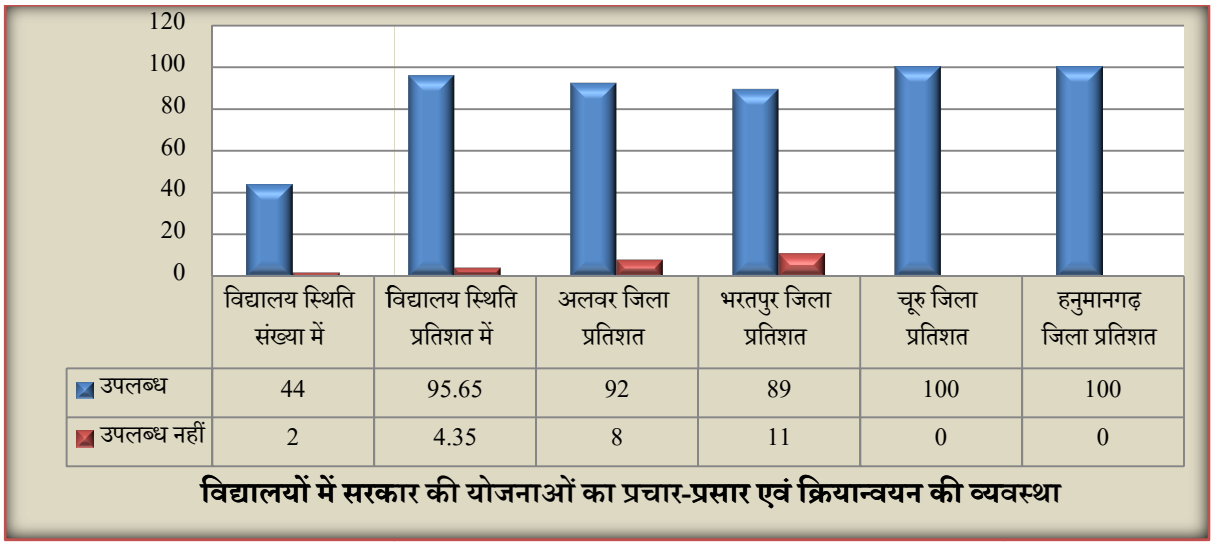

उपरोक्त रेखाचित्र क्र. 32 A में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार राजस्थान के चारों जिलों में स्थित 95.65 % विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन नियत समय पर किया जाता है केवल 4.35 % विद्यालयों में नहीं | चारों जिलों में हनुमानगढ़ और चुरू जिले के 100 % तथा अलवर जिले के 92 % एवं भरतपुर जिले के 89 % विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नियत समय पर किया जाता है जबकि अलवर के 08 % एवं भरतपुर के 11 % विद्यालयों में योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं किया जाता है | योजनाओं के क्रियान्वयन में चारों जिलों में हनुमानगढ़ और चुरू जिले के विद्यालयों की उपलब्धता शत प्रतिशत है |

रेखाचित्र क्र. 33 B - चयनित जिलों एवं ब्लॉक के विद्यालयों मे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार और उनके क्रियान्वयन के आँकड़े

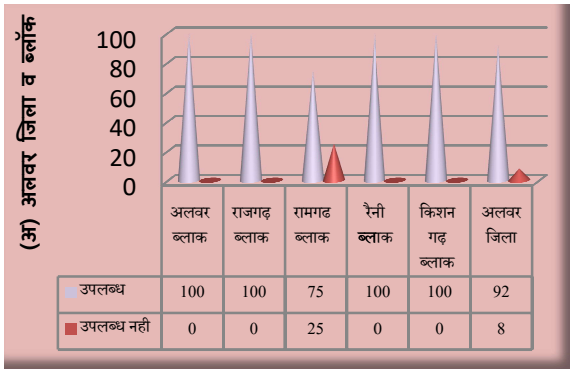

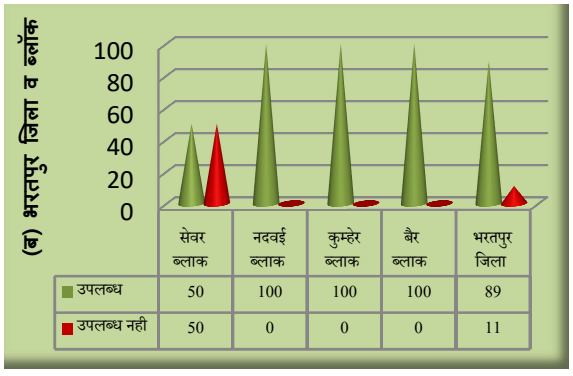

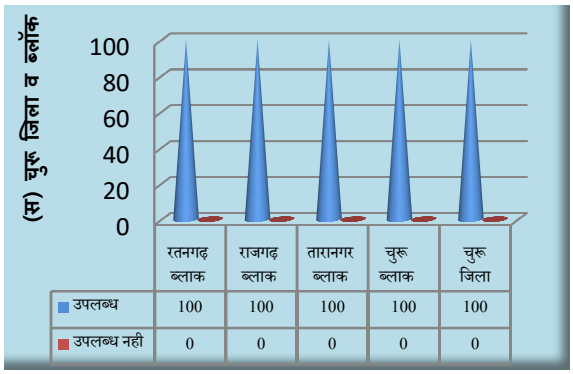

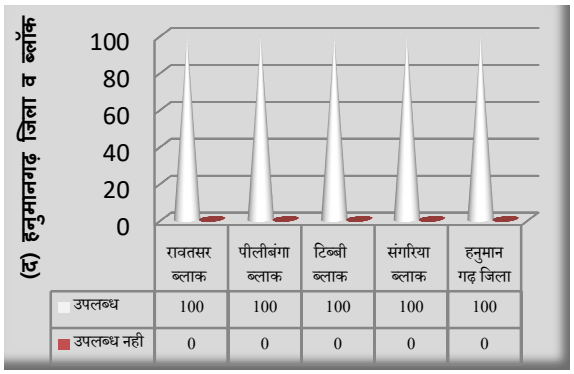

रेखाचित्रों में प्रदर्शित आंकड़ों की तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार है :- रेखाचित्र में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार **(अ)** अलवर जिले के रामगढ़ ब्लॉक के 25 % विद्यालयों को छोड़कर शेष ब्लॉक में स्थित **शत प्रतिशत** विद्यालयों **में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नियत समय पर किया जाता है** | **(ब)** भरतपुर जिले के सेवर ब्लॉक के 50 % तथा नदवई, कुम्हेर और बैर ब्लॉक में स्थित **समस्त विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन नियत समय पर किया जाता है** | **(स)** चुरू एवं **(द)** हनुमानगढ़ जिले के चयनित ब्लॉक में स्थित **शत प्रतिशत** विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार-**प्रसार और उनका क्रियान्वयन नियत समय पर किया जाता है** | योजनाओं का प्रचार-**प्रसार और उनके क्रियान्वयन करने में तुलनात्मक रूप से चारों जिलों में हनुमानगढ़ और चुरू जिले के** ब्लॉक के विद्यालयों की उपलब्धता **का प्रतिशत भरतपुर और अलवर जिले के** ब्लॉक **के विद्यालयों की अपेक्षा अधिक है तथा** भरतपुर जिले **के ब्लॉक के विद्यालयों की उपलब्धता का प्रतिशत औसतन रूप में कम है** | **निष्कर्ष रूप से कहा जा** सकता है कि चारों जिलों के 95.65 % विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार और उनका क्रियान्वयन नियत समय पर किया जाता है** |

4.4.1.2 विद्यार्थियों की अनुसूची की विश्लेषणात्मक विवेचना :-

शोधार्थी द्वारा राज्य में स्थित जिलों में से चयनित 04 जिलों के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 **वर्ष की आयु वर्ग के मानसिक मंद**, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित **विशेष आवश्यकता वाले** 100 विद्यार्थियों के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर 16 **प्रश्नों की अनुसूची** के माध्यम से **आंकड़े प्राप्त किये तथा प्रश्नवार प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण तालिका रेखाचित्र द्वारा कर उनकी विवेचना की गई जो निम्नवत हैं :-**

प्रश्न क्र. 1. आप प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं |

रेखाचित्र क्र. 33 - प्रश्न क्र. 1 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

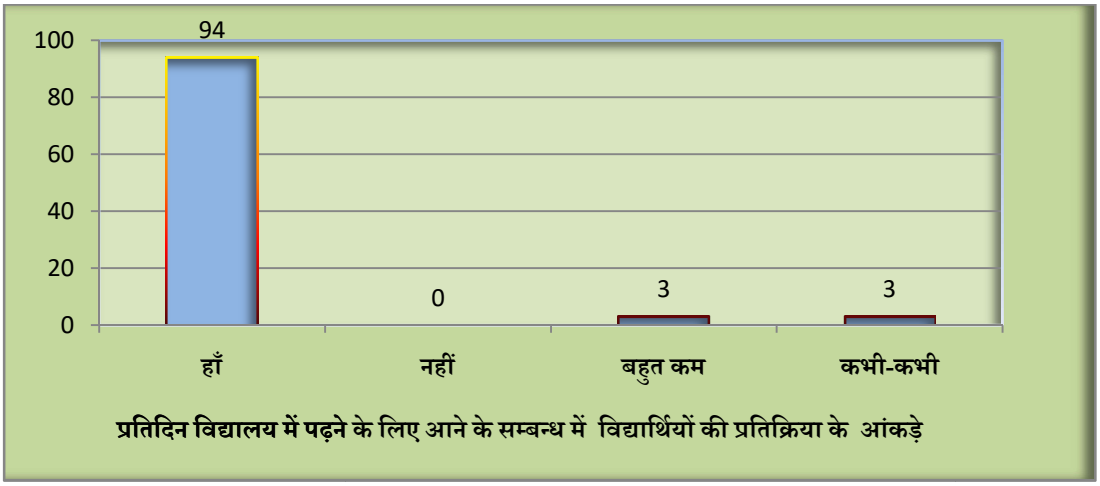

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 33 में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र.1 के सम्बन्ध में100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 94 % विद्यार्थियों ने प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने आने की बात कही जबकि 3 % ने बहुत कम तथा शेष 3% ने कभी कभी आने पर अपनी सहमति दी | प्राप्त आँकड़ों से यह प्रतीत होता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी विविध प्रकार की बाधिता होने के बावजूद भी रोजाना विद्यालय में पढ़ने आते है, उन्हें विद्यालय से लगाव है अत: उनके अध्ययन के अनुरूप व्यवस्था जुटाने की आवश्यकता है |

प्रश्न क्र. 2. आपको विद्यालय में पढ़ने के लिए आने में कौन-कौन सहायता करता है |

रेखाचित्र क्र.34 - प्रश्न क्र. 2 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

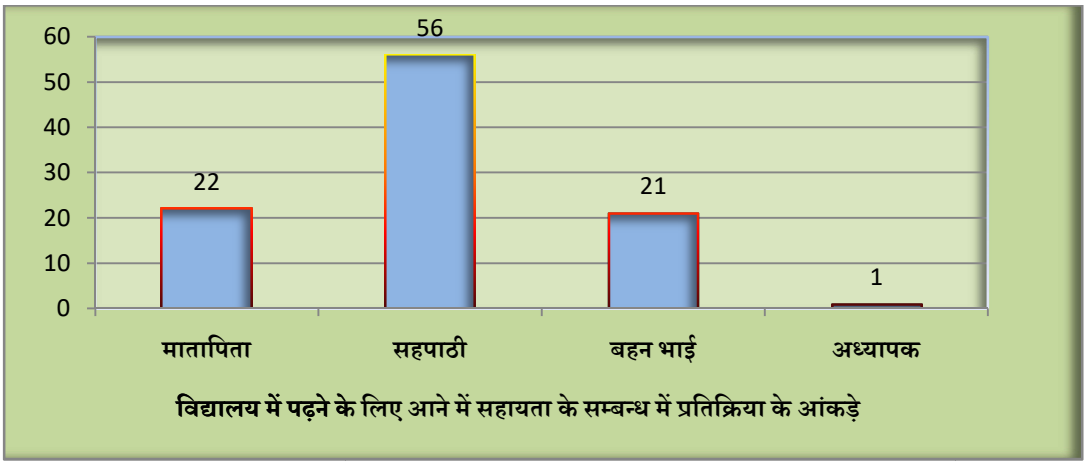

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 34 **में राज्य के चारों जिलों के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत** 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के **विशेष आवश्यकता वाले** विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 2 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा **दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया** | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 22 % विद्यार्थियों को माता-पिता तथा 21 % **अपने भाई बहनों के साथ विद्यालय आते है परन्तु** 1 % ने शिक्षकों की सहायता से विद्यालय **पढ़ने आने में की बात** कही जबकि 56 % **ने कहा कि वें अपने सहपाठियों के साथ प्रतिदिन विद्यालय आते है** | **प्रदर्शित आँकड़ों से ज्ञात** होता है की केवल 43 % **विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों परिवार के सदस्यों की सहायता से विद्यालय पहुँचते हैं** शेष सभी स्वयं साथियों के **साथ विद्यालय पढ़ने आते हैं** |

प्रश्न क्र. 3. शिक्षक के द्वारा आपको पढ़ने-लिखने में व्यक्तिगत रूप से सहायता एवं मदद की जाती है |

रेखाचित्र क्र. 35 - प्रश्न क्र. 3 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

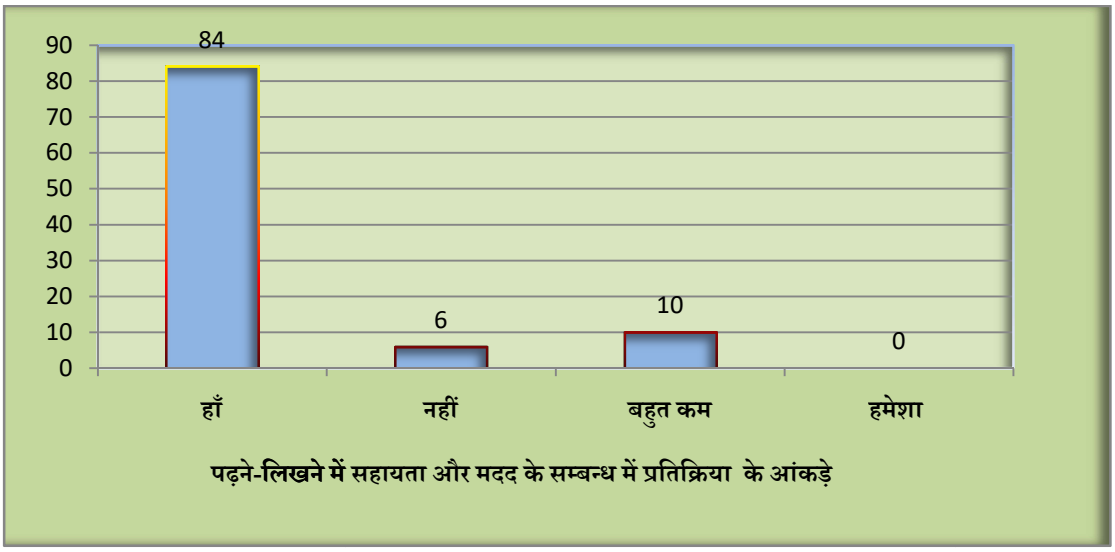

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 35 **में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत** 6 से 14 **वर्ष आयु वर्ग के** विशेष आवश्यकता वाले **विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र.** 3 के सम्बन्ध में 100 **विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया** गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 84 % विद्यार्थियों ने **कहा कि उनके शिक्षकों द्वारा उनकी पढ़ने** - लिखने में सहायता व मदद की जाती है जबकि 10 % ने बहुत कम तथा शेष 6 % **ने सहायता नही की जाने की बात कही है** | अत: विशेष आवश्यकता वाले **विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में और अधिक वृध्दि करने हेतु सभी अध्यापकों को उनकी शिक्षण पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता हैं** |

प्रश्न क्र. 4. शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो विषय वस्तु या प्रकरण पढ़ाया जाता हैं वह पूरी तरह आपके समझ में आता है |

रेखाचित्र क्र. 36 - प्रश्न क्र. 4 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

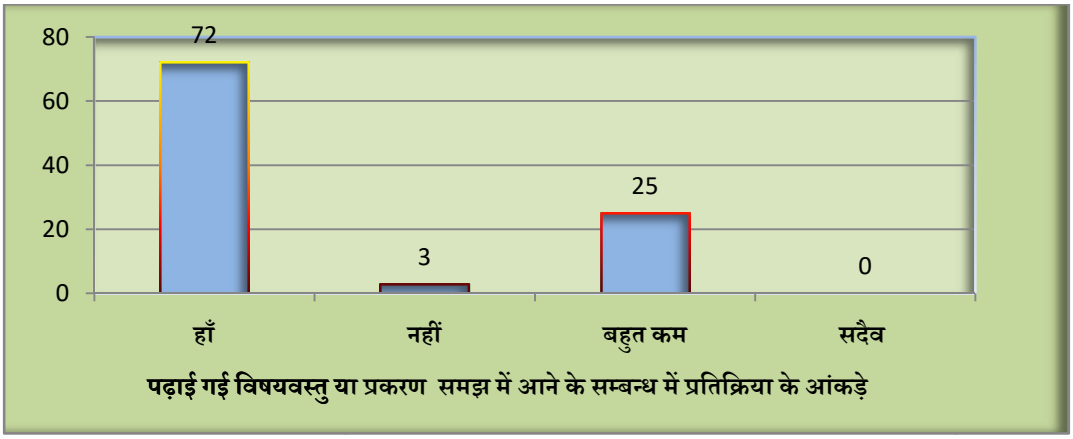

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 36 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 4 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 72 % विद्यार्थियों के कहा की शिक्षक के द्वारा कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु या प्रकरण पूरी तरह उनके समझ में आता है जबकि 25 % ने बहुत कम तथा शेष 3% ने समझ में नही आने पर अपनी सहमति दी | अत: बच्चों के अधिगम एवं उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए सभी अध्यापकों को अपने शिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए |

प्रश्न क्र. 5. विद्यालय में अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है |

रेखाचित्र क्र. 37 - प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

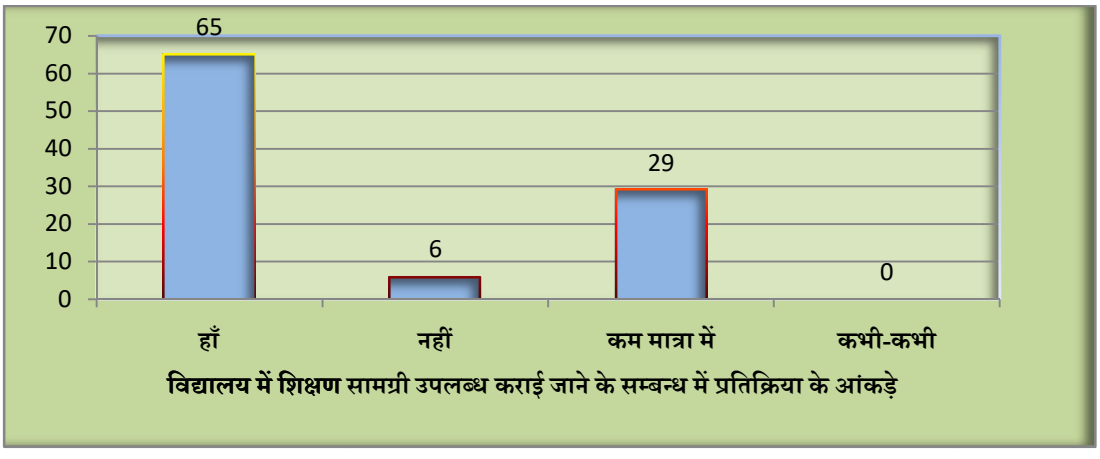

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 37 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 65 % विद्यार्थियों के कहा कि हाँ शिक्षक के द्वारा उन्हें कक्षा में आवश्यक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कारई जाती हैं जबकि 29 % ने बहुत कम मात्रा में तथा शेष 6 % ने नहीं पर अपनी सहमति दी | अत: बच्चों के अधिगम एवं उपलब्धि स्तर में वृध्दि करने हेतु सभी अध्यापकों को विभिन्न शिक्षण विधियों का शिक्षण के दौरान उपयोग करने की जरूरत है |

प्रश्न क्र. 6. आपके अध्यापक कक्षा अध्यापन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं |

रेखाचित्र क्र. 38 - प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

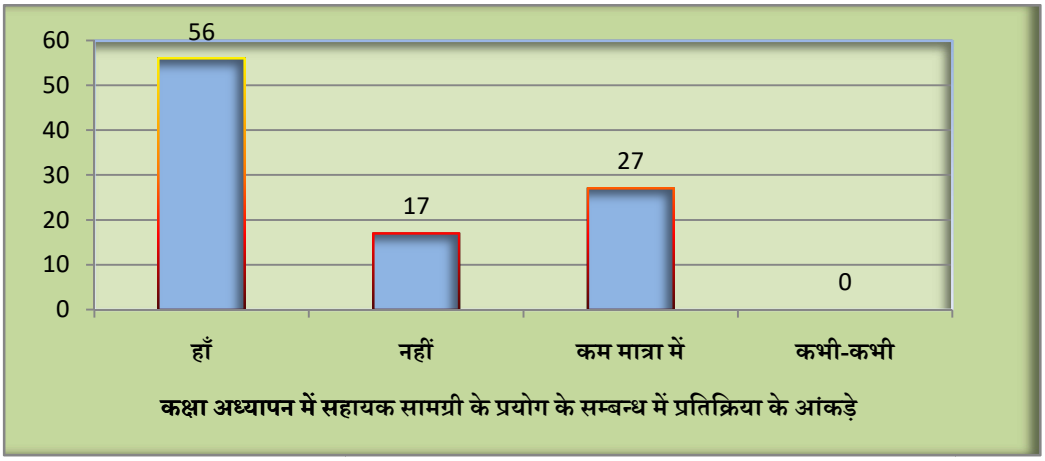

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 38 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 56 % विद्यार्थियों के कहा की उनके शिक्षकों के द्वारा कक्षा अध्यापन के समय विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है जबकि 27 % ने कहा बहुत कम तथा शेष 17 % उपयोग नहीं करने की बात कही | अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अधिगम एवं उपलब्धि स्तर में वृध्दि करने हेतु आवश्यक है कि सभी अध्यापकों द्वारा शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए |

प्रश्न क्र. 7. आपको विद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर, चिकित्सा सुविधा, खेल का सामान आदि उपलब्ध कराया जाता हैं |

रेखाचित्र क्र. 39 - प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

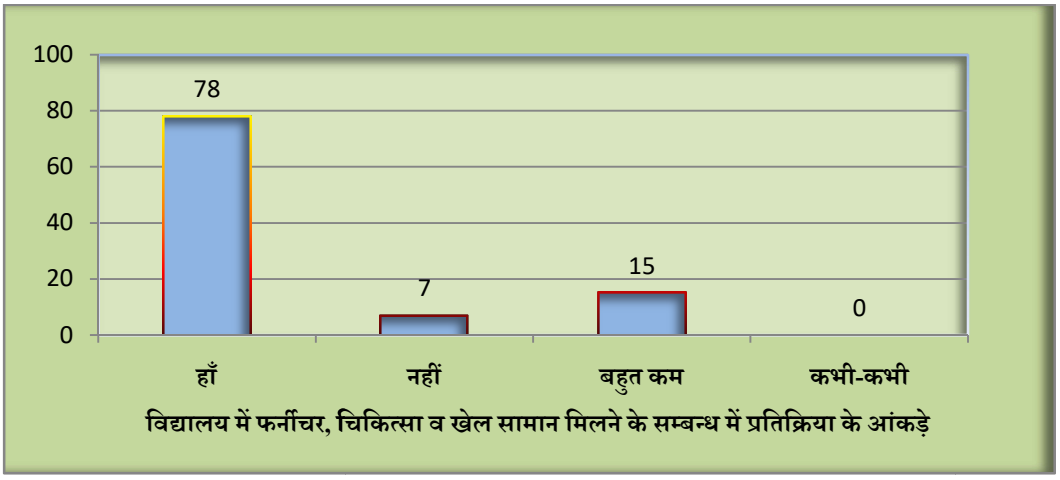

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 39 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 78 % विद्यार्थियों के कहा कि उन्हें विद्यालय में बैठने के लिए फर्नीचर, चिकित्सा सुविधा एवं खेल का सामान प्रदान किया जाता है जबकि 15 % ने बहुत कम या समय -समय पर ही मिलने और शेष 7 % ने कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होने की बात कही है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों हेतु आवश्यक साधन भी मौजूद नहीं है | अत: बच्चों में विद्यालय शिक्षण के प्रति रूचि जगाने के लिए समस्त सुविधाएँ प्रदान की जाना चाहिए |

प्रश्न क्र. 8. आपको विद्यालय में मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तकें एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 40 - प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

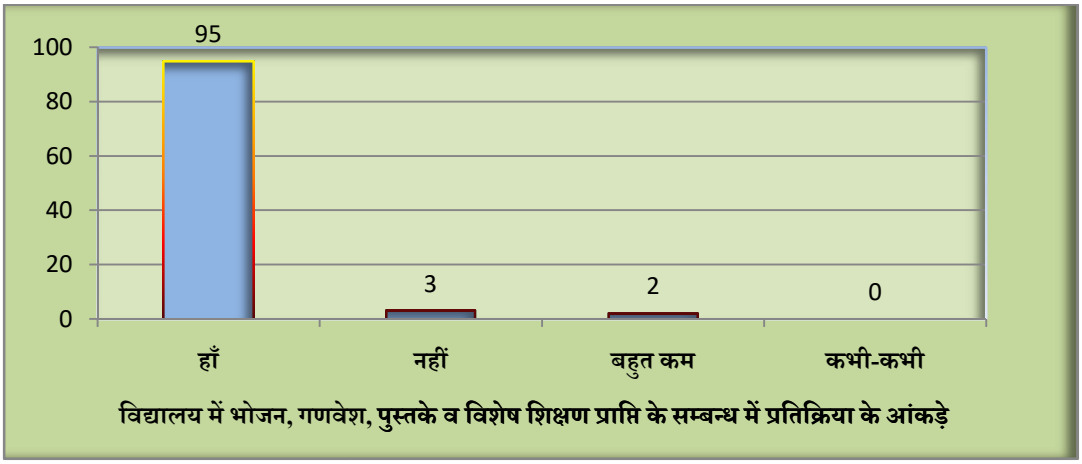

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 40 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 95 % विद्यार्थियों के कहा कि मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, गणवेश, पुस्तकें एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है | जबकि 3 % ने कहा कि कुछ भी नहीं मिलता तथा 2 % विद्यार्थियों ने कहा कि बहुत कम सुविधाएँ प्राप्त होती है |

प्रश्न क्र. 9. आपके अध्यापक सरकार द्वारा शिक्षा हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते हैं |

रेखाचित्र क्र. 41 - प्रश्न क्र. 9 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

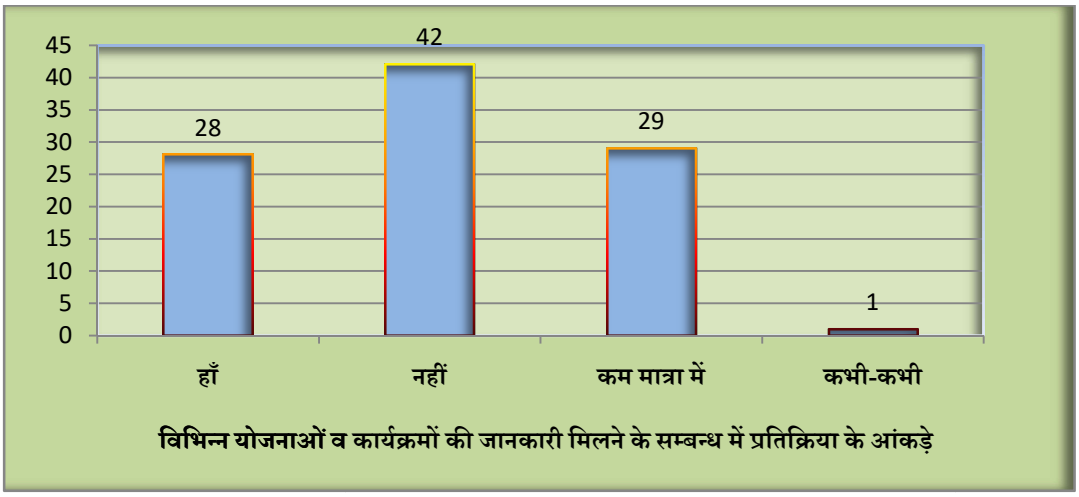

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 41 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 9 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 42 % विद्यार्थियों के कहा कि उनके शिक्षकों द्वारा उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी **नहीं** दी जाती है जबकि 29 % ने कहा कि बहुत कम मात्रा में तथा शेष 28 % ने स्वीकार किया कि समस्त जानकारी उन्हें समय पर मिलती है | प्राप्त आँकड़ों से प्रतीत होता है कि विद्यालयों में संप्रेषण के साधन अधिक उन्नत नहीं है और शिक्षकों द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाता है |

प्रश्न क्र. 10. विद्यालय में ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, ब्रेल अनुदेशक एवं कंप्यूटर ब्रेल प्रणाली, रेडियो, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, टेलीविजन, आडियो-वीडियो केसेट्स, टेपरिकॉर्डर उपलब्ध कराया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 42 - प्रश्न क्र. 10 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

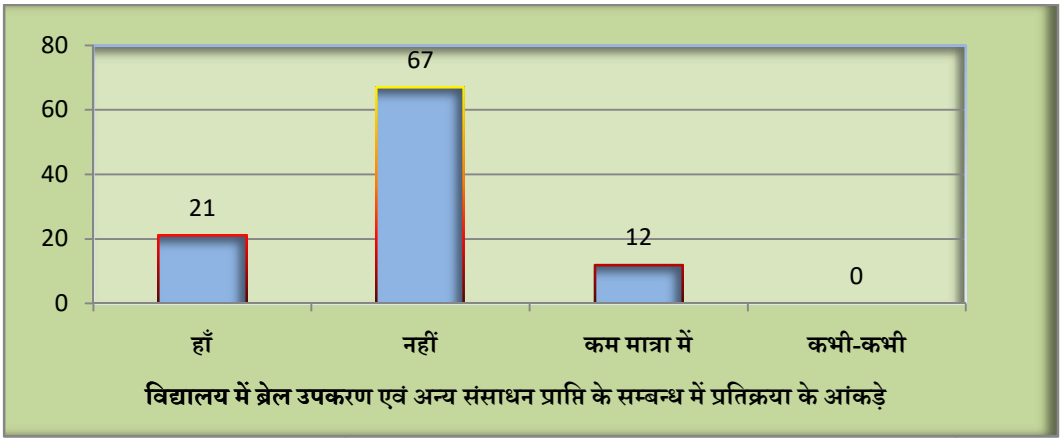

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 42 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 10 के संबंध में 100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 67 % विद्यार्थियों ने कहा कि विद्यालय में ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, ब्रेल अनुदेशक एवं कंप्यूटर ब्रेल प्रणाली, रेडियो, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, टेलीविजन, आडियो-वीडियो केसेट्स, टेपरिकॉर्डर आदि साधन उपलब्ध नहीं है जबकि 21 % ने कहा कि विद्यालय में उपरोक्त सभी साधन उपलब्ध है तथा शेष 12 % ने कहा कि साधन है परन्तु बहुत कम मात्रा में है अर्थात दो तिहाई से अधिक विद्यालयों में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के उपयोग सम्बन्धी साधनों का अभाव है जो उनके शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है |

प्रश्न क्र. 11. विद्यालय में आपको शारीरिक आचरण एवं सुरक्षा, शिक्षा सम्बन्धी, चिकित्सा, मानसिक, सामाजिक और हस्तशिल्प कार्यों के साथ घरेलू कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 43 - प्रश्न क्र. 11 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

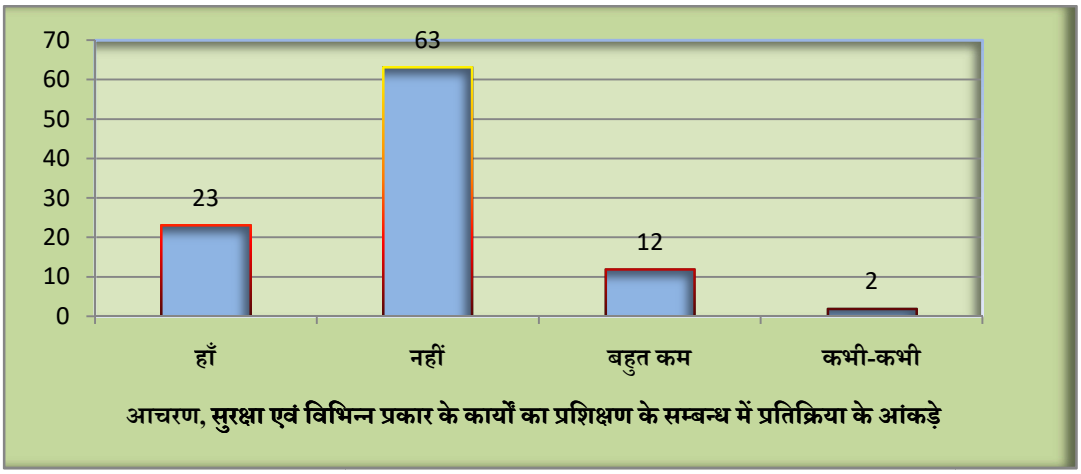

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 43 **में राज्य के चारों जिलों के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत** 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के **विशेष आवश्यकता वाले** विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 11 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा **दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया** | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 63 % **विद्यार्थियों के कहा कि** उन्हें शारीरिक आचरण एवं सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, मानसिक, सामाजिक और हस्तशिल्प **कार्यों के साथ घरेलू कार्यों सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण विद्यालय में नहीं दिया जाता है** तथा 12 % ने कहा कि बहुत कम मात्रा में एवं 2 % ने कहा कभी-कभी इस **प्रकार की बातें उन्हें सिखाई जाती है जबकि** 23 % **ने सभी प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त होने पर अपनी** सहमति दी अर्थात 63 % **दिव्यांग बच्चों को उपरोक्त सभी प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करने की जरुरत है** |

प्रश्न क्र. 12. आपके अध्यापकों द्वारा आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 44 - प्रश्न क्र. 12 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

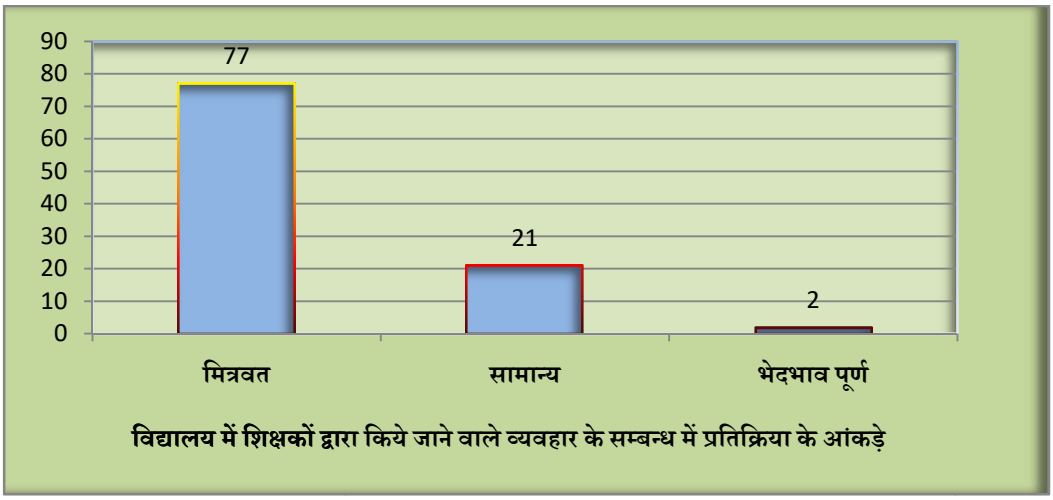

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 44 **में राज्य के चारों जिलों के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत** 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के **विशेष आवश्यकता वाले** विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 12 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा **दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया** | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 77 % **विद्यार्थियों के कहा कि उनके साथ शिक्षकों का व्यवहार मित्रवत रहता है तथा** 21 % **ने कहा कि उनके साथ शिक्षक सामान्य व्यवहार रखते है जबकि** शेष 2 % ने कहा कि शिक्षकों **द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता है या उनकी उपेक्षा की जाती है** |

प्रश्न क्र. 13. कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा आपको प्रशंसा या प्रोत्साहन दिया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 45 - प्रश्न क्र. 13 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

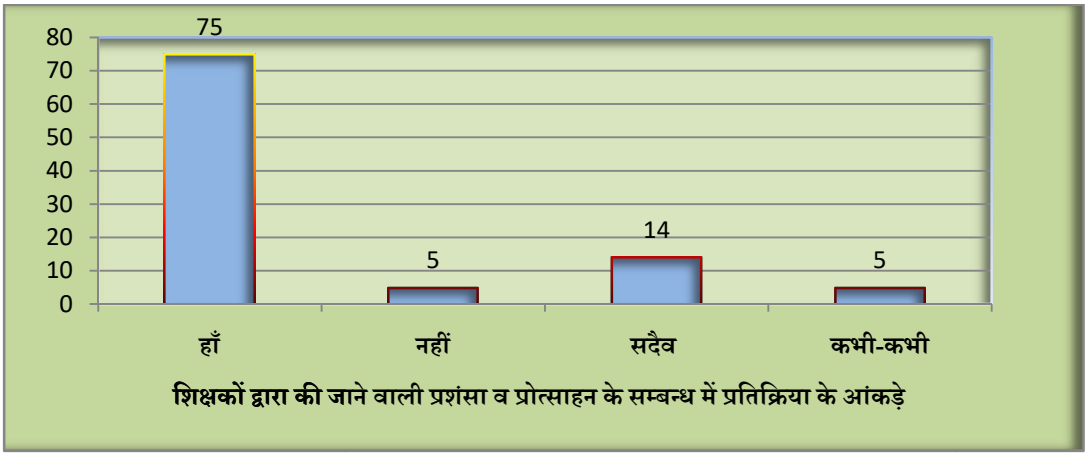

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 45 में **विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र.** 13 के सम्बन्ध में 100 **विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया** | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 75 % विद्यार्थियों ने **हाँ** और 14 % ने **सदैव** को चुना और **स्वीकार किया कि उनके शिक्षकों द्वारा शिक्षण के दौरान उनके द्वारा किये गए कार्य या प्रतिक्रिया पर उनकी प्रशंसा करते हैं एवं उनको प्रोत्साहित करते हैं तथा** 5 % ने कहा कभी-कभी एवं शेष 5% **किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन एवं प्रशंसा नहीं दिए जाने की बात कही** |

प्रश्न क्र. 14. आपको अध्ययन के अनुसार विद्यालय का वातावरण कैसा लगता है |

रेखाचित्र क्र. 46 - प्रश्न क्र. 14 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

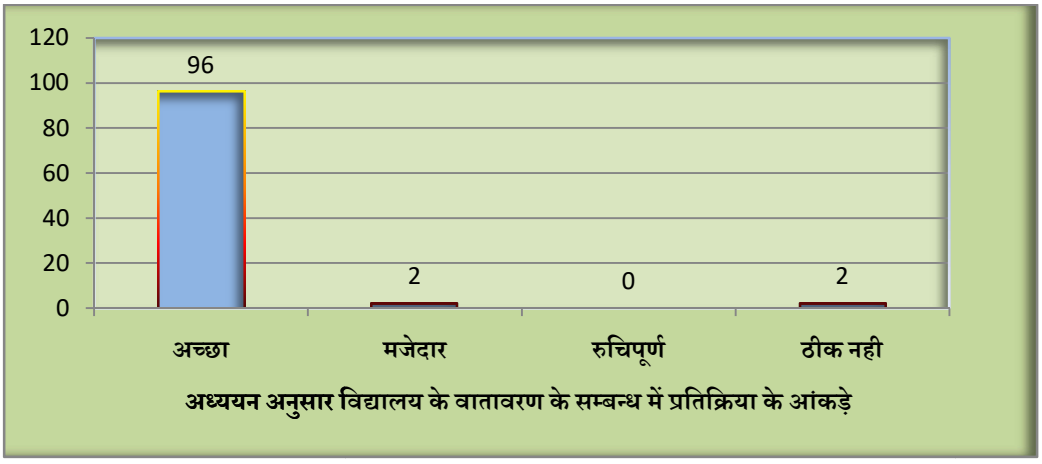

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 46 में **विशेष आवश्यकता वाले** विद्यार्थियों की **अनुसूची के प्रश्न क्र.** 14 के सम्बन्ध में 100 **विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया** | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 96 % विद्यार्थियों ने

कहा कि उनके विद्यालय का वातावरण अध्ययन और शिक्षण के लिए अच्छा तथा 2 % ने मजेदार बताया जबकि शेष 2 % ने विद्यालय वातावरण ठीक नहीं होने की बात कही |

प्रश्न क्र. 15. घर या विद्यालय में से कौन सा स्थान आपको अच्छा लगता है |

रेखाचित्र क्र. 47 - प्रश्न क्र. 15 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

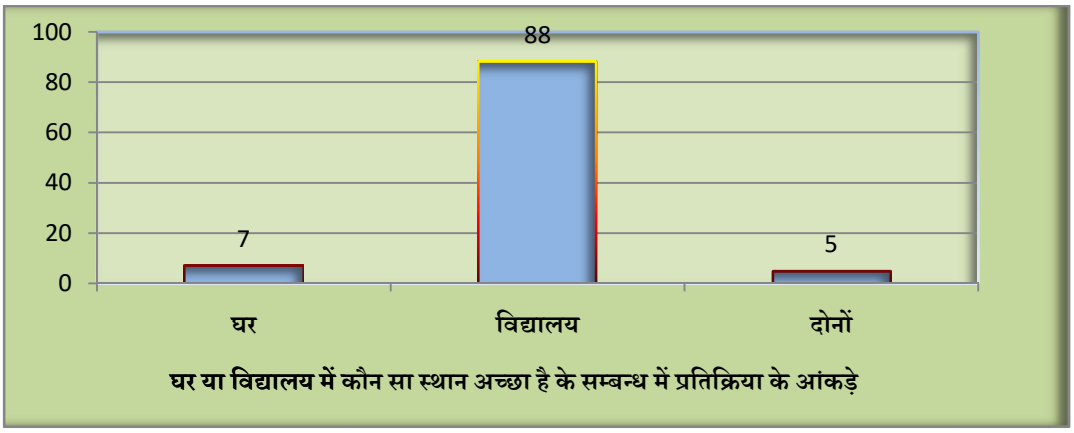

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 47 में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 15 के सम्बन्ध में 100 विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 88 % विद्यार्थियों ने घर की अपेक्षा विद्यालय को अधिक अच्छा बताया जबकि 7 % ने घर को अधिक अच्छा बताया तथा शेष 5 % ने घर और विद्यालय दोनों को ही बराबर महत्व दिया है |

प्रश्न क्र. 16. विद्यालय के वातावरण को मजेदार और रुचिपूर्ण बनाने के लिए और क्या-क्या सुविधाएँ होनी चाहिए |

रेखाचित्र क्र. 48 - प्रश्न क्र. 16 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

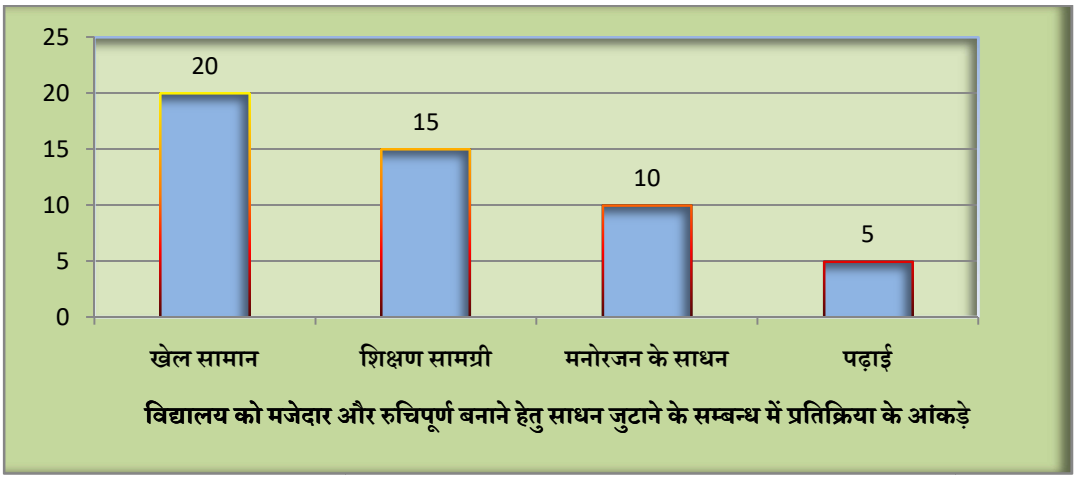

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 48 में विद्यार्थियों की अनुसूची के प्रश्न क्र. 16 के सम्बन्ध में केवल 50 % विद्यार्थियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 20 % विद्यार्थियों ने कहा कि खेल का सामान बढ़ाने, 15 % ने शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने, 10 % ने विद्यालय में मनोरंजन के साधन जुटाने तथा शेष 5 % ने विद्यालय में और अधिक बेहतर तरीके से पढ़ाई करवाने की बात कही |

4.4.1.3 - अभिभावकों/रिश्तेदारों एवं मित्रों की साक्षात्कार-अनुसूची की विवेचना

शोधार्थी द्वारा चारों जिलों के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के अभिभावकों/रिश्तेदार एवं मित्र के लिए 12 प्रश्नों की साक्षात्कार - अनुसूची का प्रयोग किया एवं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होकर साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से विचारों, मतों के आंकड़े प्राप्त किये | प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण तालिका एवं रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत कर विवेचना की |

अभिभावकों/रिश्तेदारों एवं मित्रों की साक्षात्कार-अनुसूची की पद वार विवेचना

प्रश्न क्र. 1. परिवार के अन्य सदस्यों एवं बच्चों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने- लिखने में कौन -कौन सहायता करता है?

रेखाचित्र क्र. 49 - प्रश्न क्र. 1 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

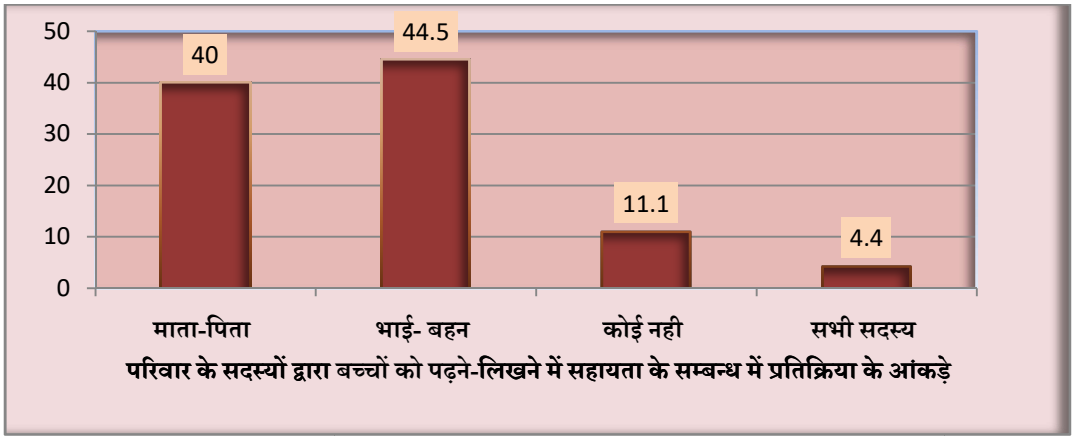

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 49 में साक्षात्कार-अनुसूची के प्रश्न क्र. 1 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 44.5 % अभिभावकों ने भाई- बहन द्वारा एवं 40 % ने स्वयं के द्वारा पढ़ने- लिखने एवं 4.4 % स्वीकार किया कि परिवार के सभी सदस्य बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायता करते हैं जबकि 11.1 % ने किसी के भी द्वारा बच्चों को सहायता नहीं करने की बात कही |

प्रश्न क्र. 2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आपके मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा पढ़ने के लिए किस प्रकार से सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाता है?

रेखाचित्र क्र. 50- प्रश्न क्र. 2 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

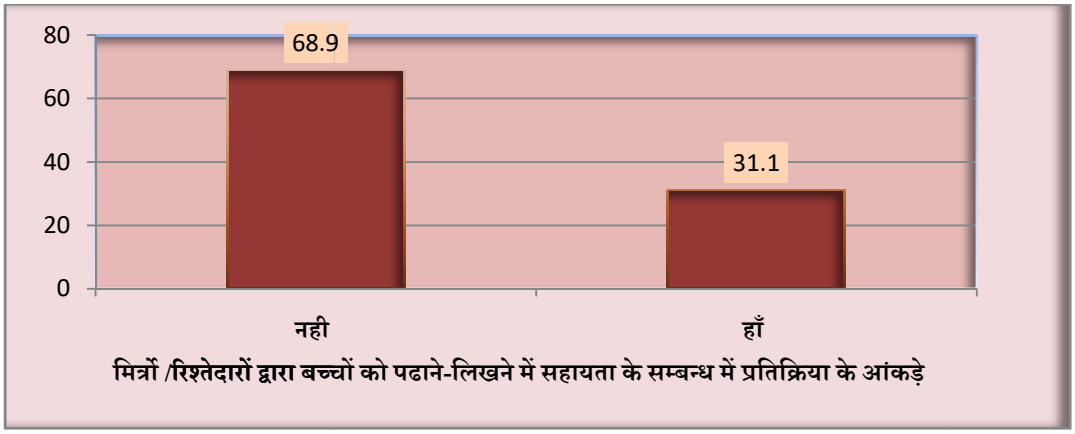

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 50 में **प्रश्न क्र.** 2 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 31.1 % ने **हाँ** पर सहमति प्रदान कर कहा कि उनके **मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा** बच्चों के **पढ़ने में सहायता एवं प्रोत्साहित किया जाता है जबकि** 68.9 % ने मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा बच्चों द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता **नहीं दिए जाने की बात कही** | निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 31.1 % दिव्यांग बच्चों को मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा **पढ़ने में सहायता** एवं प्रोत्साहित किया जाता है |

प्रश्न क्र. 3. आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पढ़ने-लिखने और प्रशिक्षण के लिए घर पर अलग से क्या व्यवस्था की जाती है?

रेखाचित्र क्र. 51 - प्रश्न क्र. 3 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

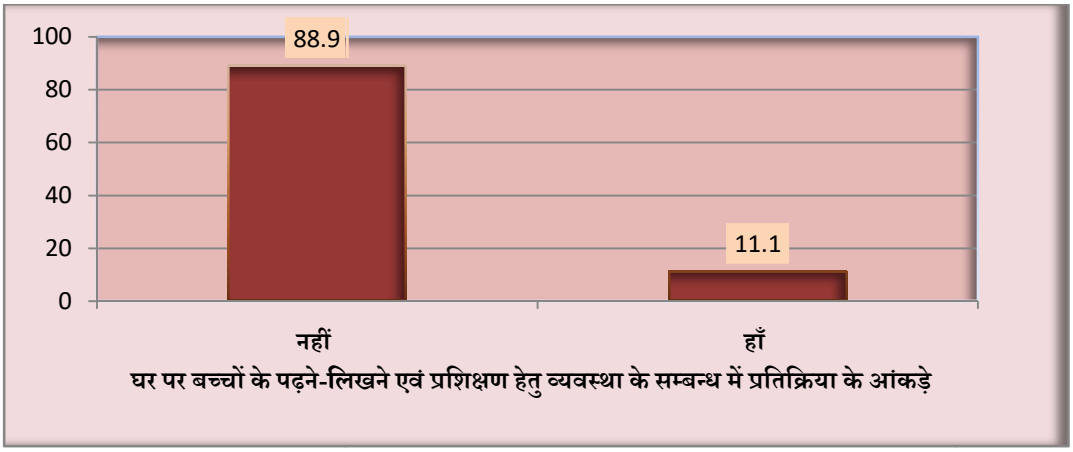

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 51 में **साक्षात्कार**-अनुसूची के प्रश्न क्र. 3 **के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के प्रदर्शित** आँकड़ों के अनुसार 11.1 % **अभिभावकों ने हाँ** तथा 88.9 % **ने कहा कि घर पर दिव्यांग बच्चों के पढ़ने**-लिखने **और अन्य प्रकार के प्रशिक्षण देने की कोई** व्यवस्था उनके द्वारा **नहीं** की जाती है | **निष्कर्ष रूप में कहा का सकता है** कि 89 % **दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम की स्थिति विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर ही निर्भर** है | **इसलिए दिव्यांग बच्चों की शिक्षण सहायता के लिए अतिरिक्त एवं गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था करने की** जरूरत है |

प्रश्न क्र. 4. आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विद्यालय से वर्ष में कब-कब और किन कार्यों के लिए संपर्क किया जाता है?

रेखाचित्र क्र. 52 - प्रश्न क्र. 4 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

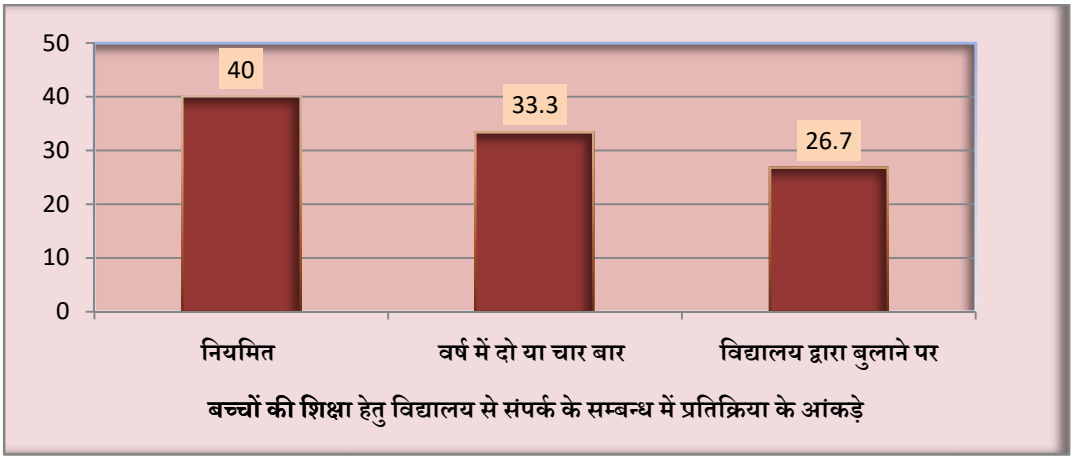

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 52 में **अभिभावकों**/रिश्तेदारों एवं मित्रों की साक्षात्कार-**अनुसूची के प्रश्न क्र.** 4 के सम्बन्ध में 45 अभिभावकों एवं 24 **रिश्तेदारों एवं मित्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया** | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 40 % **अभिभावकों ने कहा कि वें नियमित विद्यालय जाते हैं एवं** 33.3 % ने कहा कि वर्ष के दौरान दो या चार बार तथा 26.7 % ने कहा कि विद्यालय द्वारा बुलाये **जाने पर ही वें विद्यालय से संपर्क करते** है | **निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि केवल** 40 % **अभिभावक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय से** नियमित संपर्क रखते है |

प्रश्न क्र. 5. आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं सेवी संगठनों (NGO) से किस प्रकार संपर्क और सहायता ली जाती है?

रेखाचित्र क्र. 53 - प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

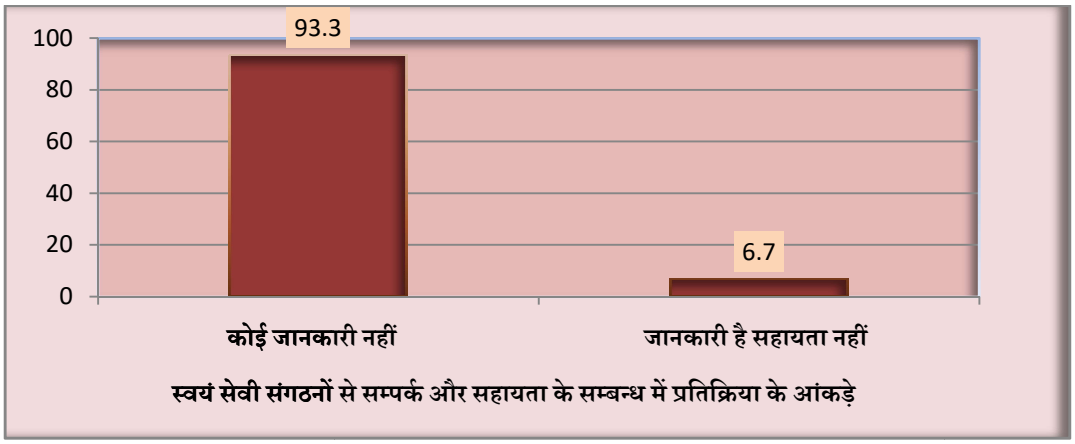

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 53 में साक्षात्कार-अनुसूची के प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में अभिभावकों, रिश्तेदारों / मित्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 93.3 % अभिभावकों/ रिश्तेदारों एवं मित्रों ने कहा कि उन्हें स्वयं सेवी संगठनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जबकि 6.7 % ने कहा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है परन्तु उन्हें स्वयं सेवी संगठनों से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं प्राप्त होती है | निष्कर्षत: कहा जाता है कि 6.7 % अभिभावक स्वयं सेवी संगठनों के बारे में जानकारी रखते है शेष अभिभावक नहीं |

प्रश्न क्र. 6. आप विद्यालय द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए आयोजित निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों एवं अभिभावक सम्मेलन आदि कार्यक्रमों से कितने लाभान्वित हुए हैं |

रेखाचित्र क्र. 54 - प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

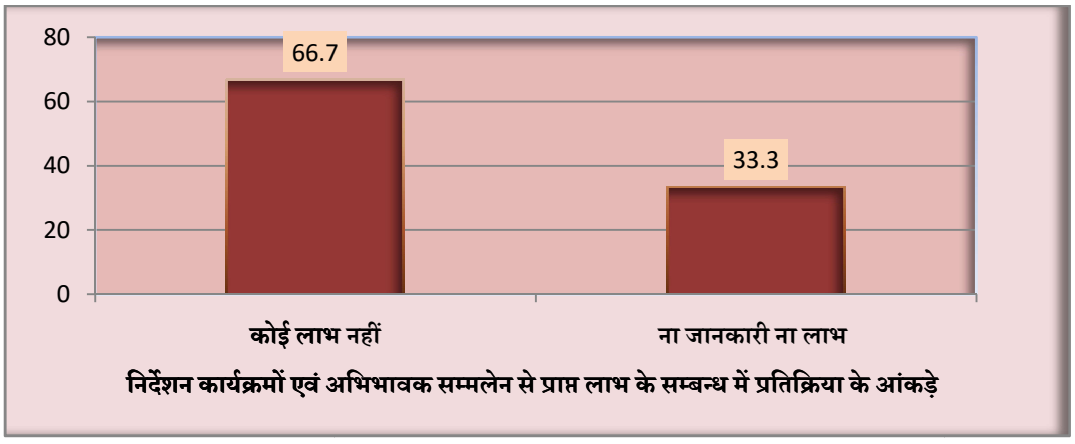

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 54 में साक्षात्कार-अनुसूची के प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 66.7 % ने कहा कि विद्यालय द्वारा आयोजित निर्देशन एवं परामर्श कार्यकर्मों एवं अभिभावक सम्मेलन से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है जबकि 33.3 % ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम की उन्हें ना कोई जानकारी है न ही उससे कोई लाभ मिला है | आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अभिभावक निर्देशन व परामर्श कार्यकर्मों एवं अभिभावक सम्मेलन से लाभान्वित नहीं होते हैं |

प्रश्न क्र. 7. आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों आदि से प्रमाण-पत्र, परामर्श, जांच आदि कब-कब कराई जाती हैं |

रेखाचित्र क्र. 55 - प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

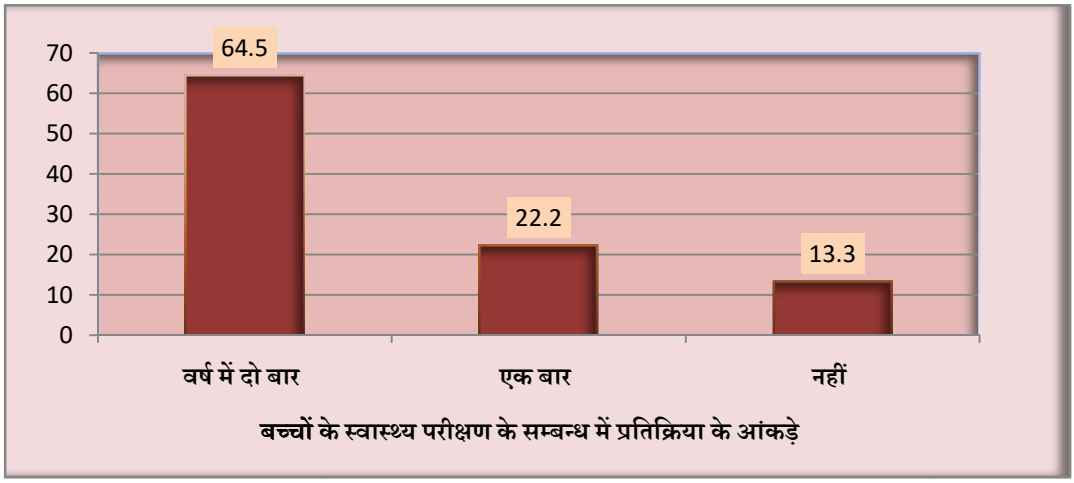

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 55 में प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 64.5 % ने कहा कि वर्ष में दो बार एवं 22.2 % ने कहा कि वर्ष में एक बार उनके द्वारा बच्चों का चिकित्सकीय व स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है जबकि 13.3 % ने कहा कि उनके द्वारा बच्चों का किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया जाता है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विद्यालयों में 64.5 % बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच की जाती है परन्तु मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं दिव्यांग बच्चों को प्राप्त नहीं होती है |

प्रश्न क्र. 8. आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कौन – कौन सी योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखते है?

रेखाचित्र क्र. 56 - प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

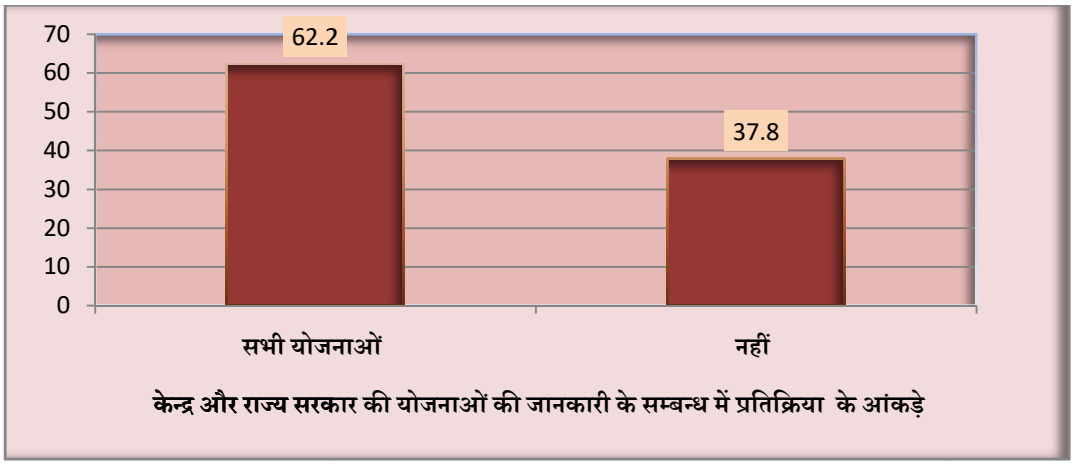

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 56 में प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 62.2 % ने कहा कि उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी है जबकि 37.8 % ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञता जाहिर की अर्थात जानकारी न होने की बात कही | निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि 62.2 % अभिभावक केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों हेतु चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी रखते हैं |

प्रश्न क्र. 9. क्या आप केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु किये जा रहे प्रयासों से सहमत या संतुष्ट है?

रेखाचित्र क्र. 57 - प्रश्न क्र. 9 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

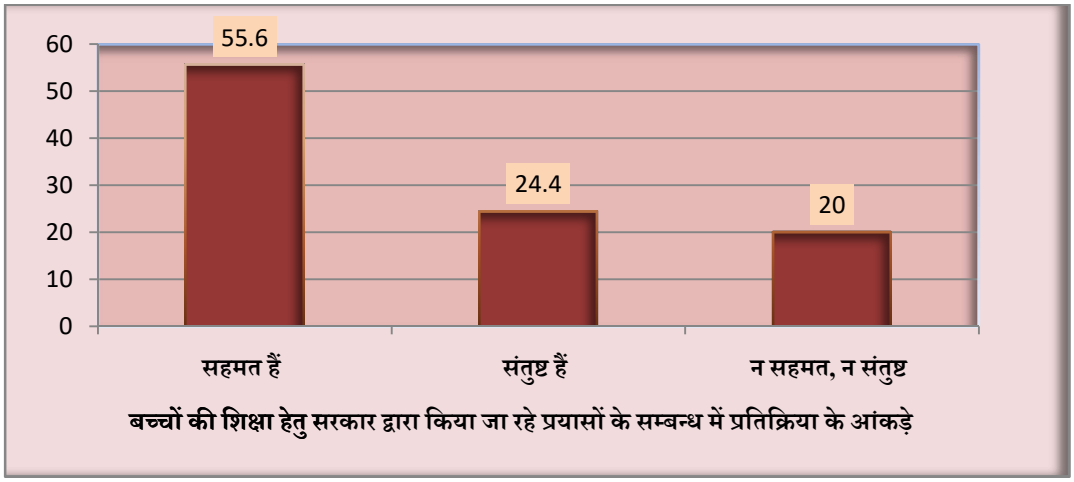

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 57 में **अभिभावकों**/रिश्तेदारों एवं मित्रों की साक्षात्कार-**अनुसूची के प्रश्न क्र.** 9 के संबंध में प्राप्त **प्रतिक्रिया के प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार** 55.6 % अभिभावकों ने सरकार द्वारा **विशेष आवश्यकता वाले** बच्चों की शिक्षा हेतु किये जा रहे प्रयासों से सहमत होने एवं 24.4 % ने संतुष्ट होने की बात कही जबकि 20 % अभिभावकों ने **न सहमत और न संतुष्ट होने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की** | निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 55 % अभिभावक केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु किये जा रहे प्रयासों से संतुष्ट हैं** |

प्रश्न क्र. 10. आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और परिवार के सामान्य बच्चों के मध्य विभेद किया जाता है या किसे प्राथमिकता दी जाती है?

रेखाचित्र क्र. 58 - प्रश्न क्र. 10 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

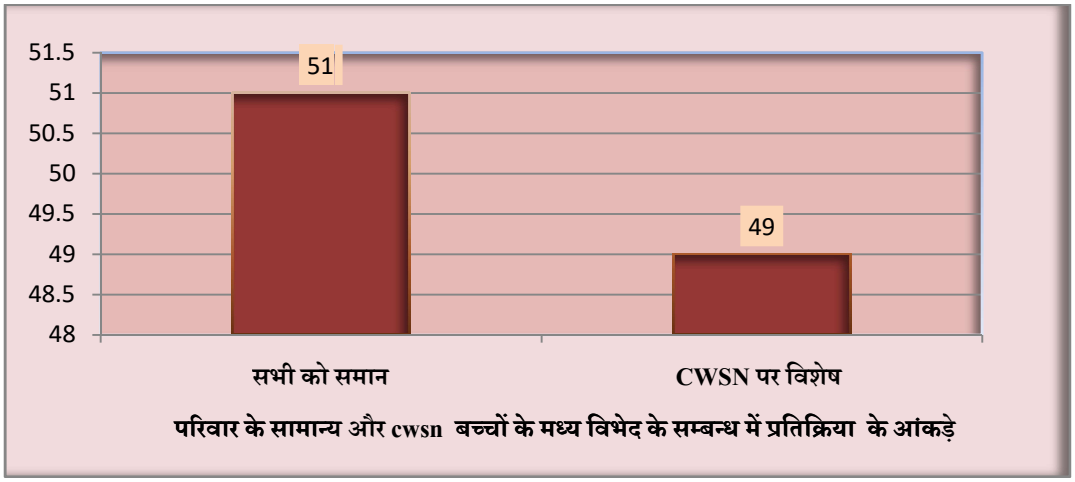

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 58 में **अभिभावकों**/रिश्तेदारों एवं मित्रों की साक्षात्कार-**अनुसूची के प्रश्न क्र.** 10 के **सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया** | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 51 % अभिभावकों ने कहा **कि उनके द्वारा सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार रखा जाता है उनके द्वारा सामान्य और दिव्यांग बच्चों के** बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है | 49 % ने कहा कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों **को सामान्य की अपेक्षा** अधिक महत्व और प्यार देते हैं | **निष्कर्ष यह है कि** 49 % **अभिभावक सामान्य बच्चों की तुलना में विशेष** आवश्यकता वाले **बच्चों पर विशेष ख्याल रखते हैं एवं उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं** |

प्रश्न क्र. 11. आपके द्वारा घर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मनोरंजन के लिये कौन-कौन से साधनों की व्यवस्था की जाती है?

रेखाचित्र क्र. 59 - प्रश्न क्र. 11 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

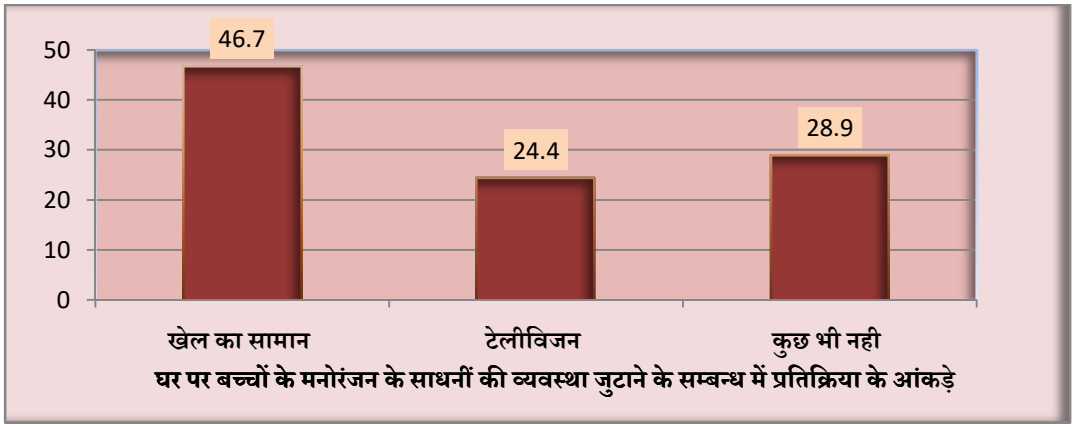

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 59 में साक्षात्कार-अनुसूची के प्रश्न क्र. 11 से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 46.7 % ने खेल सामान उपलब्ध कराने तथा 24.4 % ने मात्र टेलीविजन की व्यवस्था जुटाने की बात कही जबकि 28.9 % ने कहा कि उनके द्वारा बच्चों के मनोरंजन के कोई साधन उपलब्ध नहीं कराया जाता है | निष्कर्ष यह है कि घर पर अभिभावकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मनोरंजन के लिए आवश्यक साधन नहीं जुटाए जाते हैं |

प्रश्न क्र. 12. आपके द्वारा घर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हस्त कला कौशल आदि कलाओं में निपुण बनाने के लिए क्या प्रयास किये जाते हैं?

रेखाचित्र क्र. 60- प्रश्न क्र. 12 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

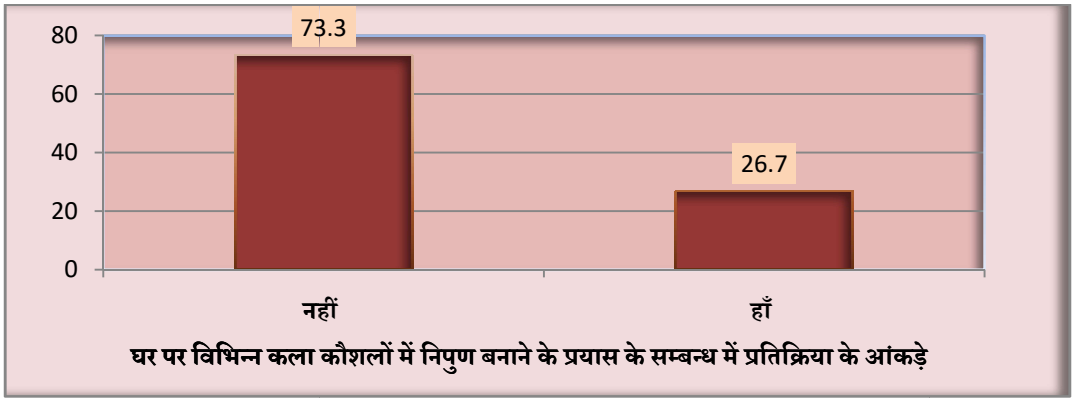

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 60 में साक्षात्कार-अनुसूची के प्रश्न क्र.12 के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 26.7 % ने कहा कि विभिन्न कौशलों को सिखाने के लिए प्रयास किया जाता है जबकि 73.3 % अभिभावकों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं किया जाता है | आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 26.7 % अभिभावक दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण बनाने हेतु प्रयास करते हैं |

4.4.2 उददेश्य क्र. 2 के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों की विश्लेषणात्मक विवेचना -

"राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा लागू करने में विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करना"

राजस्थान राज्य के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली प्रमुख समस्याओं को जानने के लिए विभिन्न संबद्ध पक्षों (शिक्षकों, विद्यालय प्राचार्यों, अभिभावकों, अभिभावकों के रिश्तेदार/पड़ोसी या मित्र, स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों, सामाजिक संगठनों के प्रमुख एवं जन प्रतिनिधियों) से विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न समस्याओं को जानने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित प्रश्नावली, साक्षात्कार-अनुसूची आदि का उपयोग किया एवं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं पर व्यक्तिगत राय, मत एवं विचारों से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित किया गया |

तालिका क्र. 10 - उद्देश्य क्र .2 के आँकड़ों के संग्रहण में शामिल संबद्ध पक्षों की संख्यात्मक स्थिति

जिला	विद्यालय	शिक्षक (पु.+ म.)	प्राचार्य (पु.+ म.)	माता-पिता (पु.+ म.)	पड़ोसी / मित्र (पु.+ म.)	जिला / ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	जन प्रतिनिधि / स्वयं सेवी व सामाजिक संगठन
अलवर	12	24 (8+16)	10 (9+1)	08	07	01/03	01/01/01
भरतपुर	09	19 (9+10)	08 (3+5)	13	09	04	01 /0 /0
हनुमानगढ़	14	22 (15+7)	12 (7+5)	12	03	01/03	01/02 /02
चुरू	11	35 (22+13)	10 (10+0)	12	05	01/01	0/0/01
कुल	46	100 (54+46)	40 (29+11)	45 (12+33)	24 (12+12)	03/11	03/03/04

विभिन्न संबद्ध पक्षों से समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विस्तृत विवेचना इस प्रकार की गई -

4.4.2.1 विभागीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं की विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 तहसील / ब्लॉक के जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों में से 03 जिला शिक्षा अधिकारी तथा 11 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों अर्थात शिक्षा विभाग के कुल उपलब्ध 14 अधिकारियों से विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए शोध कर्ता ने साक्षात्कार एवं संरचित-अनुसूची का उपयोग किया एवं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समावेशी शिक्षा की समस्याओं पर व्यक्तिगत राय, मत एवं विचारों से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित किया | प्राप्त समस्याओं के आंकड़ों का तालिका द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं विस्तृत विवेचना इस प्रकार की गयी है |

तालिका क्र. 11 - विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में शिक्षा विभाग को उत्पन्न समस्याएँ

विभिन्न स्तरों के 14 शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	सहमति में प्रतिक्रिया देने वाले अधिकारियों की संख्या	सहमति मेंप्राप्त प्रति-क्रिया प्रतिशत (%) में
1. विशेष विद्यालयों की कमी (समावेशी विद्यालय में नामांकन के पूर्व तैयारी हेतु)	08	57.14
2. सामान्य शिक्षकों की कमी	05	35.71
3. अभिभावकों में जागरूकता की कमी	05	35.71
4. आवागमन के साधनों का अभाव	05	35.71
5. विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवाद अंतराल	04	28.57
6. विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अभाव	03	21.42
7. अपर्याप्त बजट	03	21.42
8. संदर्भ कक्ष की कमी	03	21.42
9. नियमित रूप से ध्यान नहीं देना	03	21.42
10. समझ का अभाव	03	21.42
11. व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं देना	02	14.28
12. हीन भावना से ग्रसित होना	02	14.28
13. समाज जनों का असहयोग	02	14.28
14. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की समस्या	01	7.14

प्रस्तुत तालिका में उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार 57.14 % शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि राज्य में समावेशी विद्यालय में नामांकन के पूर्व तैयारी हेतु विशेष विद्यालयों की कमी होना एक प्रमुख समस्या है, 35.71 % अधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है एवं सभी क्षेत्रों से विद्यालय तक पहुँचने के आवागमन के साधनों की भी कमी है | 28.57 % अधिकारियों ने कहा कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच संवाद अंतराल व्याप्त है, प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों की बात को पूर्णतया समझ नहीं पाते है जबकि 21.42 % अधिकारियों ने माना कि अधिकतम विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का अभाव तथा शासन से मिलने वाला बजट भी पर्याप्त नहीं है साथ ही विद्यालयों में संदर्भ कक्ष की कमी है, दिव्यांग बच्चों पर शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से ध्यान नहीं दे पाना एवं समावेशी शिक्षा सम्बन्धी नीतियों की समझ का भी अभाव है | 14.28 % अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया जाता तथा दिव्यांग बच्चों का हीन भावना से ग्रसित होना एवं समाज जनों का असहयोग भी एक बड़ी समस्या है जबकि 7.14 % ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की समस्या है | विभागीय स्तर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समावेशी शिक्षा को लागू करने में उपरोक्त समस्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है |**(अनुलग्नक-8)**

4.4.2.2 विद्यालय स्तर पर प्राचार्यों को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित विद्यालयों के कुल उपलब्ध 40 प्राचार्यों से विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग किया एवं समस्याओं पर व्यक्तिगत राय, मत, विचारों के आंकड़ों को एकत्रित किया | प्राप्त समस्याओं के आंकड़ों का तालिका द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं विस्तृत विवेचना इस प्रकार की गयी है |

तालिका क्र. 12 - विद्यालय में समावेशी शिक्षा को लागू करने में प्राचार्यों को उत्पन्न समस्याएँ

चयनित विद्यालयों के उपलब्ध 40 प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	सहमति में प्रतिक्रया देने वाले प्राचार्यों की संख्या	सहमति में प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. विशेष शिक्षकों की कमी	20	50
2. साधन संसाधन का अभाव	20	50
3. शिक्षकों की कमी	15	37.5

4. भाषा और समझ की समस्या	15	37.5
5. अभिभावकों में जागरूकता का अभाव	08	20
6. प्रशिक्षण की कमी या न्यूनता	06	15
7. आवागमन की समस्या	06	15
8. शिक्षा की अलग व्यवस्था करना	05	12.5
9. संबलन की समस्या	04	10
10. सामान्य बच्चों की पढाई का नुकसान	02	05
11. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के स्तर का कम होना	01	2.5
12. निजी विद्यालयों से प्रतियोगिता	01	2.5
13. आवास की समस्या	01	2.5

प्रस्तुत तालिका में उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार 50 % विद्यालयों के प्राचार्यों ने कहा कि विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की कमी है एवं आवश्यक साधन-संसाधनों का अभाव है, 37.5 % ने कहा कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में भाषा और समझ की समस्या होती है, 20 % विद्यालयों के प्राचार्यों ने माना कि अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है, 15 % ने कहा की शिक्षकों में प्रशिक्षण की कमी या न्यूनता है साथ ही आवागमन की समस्या भी प्रमुख है | 12.5 % ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण की अलग व्यवस्था करना पड़ती है, 10 % ने संबलन की समस्या को एवं 05 % ने कहा कि समावेशी कक्षा में सामान्य बच्चों की पढाई का नुकसान होता है | 2.5 % ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का स्तर कम होता है तथा उन्हें निजी विद्यालयों से भी प्रतियोगिता करना पड़ती है व दिव्यांग बच्चों की आवास की समस्या भी प्रमुख है | विद्यालयों के प्राचार्यों को विद्यालयों में इन सभी समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ता है | **(अनुलग्नक -9)**

4.4.2.3 कक्षा स्तर पर शिक्षकों को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित विद्यालयों के उपलब्ध 100 शिक्षकों से विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया एवं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समावेशी शिक्षा की

समस्याओं पर व्यक्तिगत राय, मत, विचारों के आंकड़ों को एकत्रित किया | प्राप्त समस्याओं के आंकड़ों का तालिका द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं विस्तृत विवेचना इस प्रकार की गयी |

तालिका क्र. 13 - समावेशी शिक्षा को लागू करने में शिक्षकों को उत्पन्न समस्याएँ

चयनित विद्यालयों के 100 शिक्षकों से स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	सहमति में प्रतिक्रया देने वाले शिक्षकों की संख्या	सहमति में प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. आवश्यक साधन, संसाधन एवं उपकरणों की कमी	34	34
2. विशेष शिक्षकों की कमी	32	32
3. सामान्य विद्यार्थियों के साथ अध्यापन कराने में कठिनाई	20	20
4. अभिभावकों में जागरूकता की कमी	15	15
5. विशेष विद्यालय का अभाव	13	13
6. परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ	11	11
7. समाज की सहभागिता का अभाव	11	11
8. वाहन तथा आवागमन के साधनों की कमी	09	09
9. व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं देना	07	07
10. शिक्षकों में जागरूकता का अभाव	06	06
11. शिक्षकों में प्रशिक्षण की कमी	06	06
12. विभिन्न योजनाओं की जानकारी का अभाव	06	06
13. कोई समस्या नहीं	05	05
14. समायोजन की समस्या	04	04
15. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की समस्या	03	03
16. आवास की समस्या	03	03
17. अतिरिक्त समय नहीं दे पाना	03	03

प्रस्तुत तालिका में उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार 34 % शिक्षकों ने कहा कि विद्यालयों में आवश्यक साधन, संसाधनों एवं उपकरणों की कमी है, 32 % शिक्षकों ने कहा कि सभी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की कमी है तथा 20 % शिक्षकों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सामान्य विद्यार्थियों को अध्यापन कार्य कराने में कठिनाई आती है, 16 % शिक्षकों ने कहा कि अभिभावकों में जागरूकता की कमी है, 13 % शिक्षकों का

कहना है कि राज्य में विशेष विद्यालयों का अभाव है, 11% शिक्षकों ने दिव्यांग बच्चों के परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समस्या माना और कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए होने वाले कार्यकमों में समाज के लोगों की सहभागिता का अभाव है | 09 % शिक्षकों ने कहा कि सभी क्षेत्रों में विद्यालय तक आने-जाने के लिए वाहन तथा आवागमन के साधनों की बहुत कमी है जबकि 07 % शिक्षकों ने यह कहा कि वें दिव्यांग बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाते है, 06 % शिक्षकों ने माना कि उनमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है और उन्हें विशेष शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं है तथा शासन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी का भी अभाव है | 05 % ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, 04 % ने कहा कि सभी विद्यार्थियों के साथ समायोजन की समस्या है तथा 03 % शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान उचित नहीं है, आवास की समस्या है तथा दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त समय नहीं दे पाते है | विद्यालयों में शिक्षकों को इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है |

4.4.2.4 अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के कुल उपलब्ध 69 अभिभावकों, रिश्तेदार या मित्र/पड़ोसी से राज्य के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग किया एवं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समावेशी शिक्षा की समस्याओं पर व्यक्तिगत राय, मत, विचारों के आंकड़ों को एकत्रित किया | प्राप्त समस्याओं की प्रतिक्रिया के आंकड़ों को तालिका द्वारा प्रस्तुत कर विस्तृत विवेचना इस प्रकार की गयी |

तालिका क्र. 14 - समावेशी शिक्षा को लागू करने में अभिभावकों को उत्पन्न समस्याएं

दिव्यांग विद्यार्थियों के कुल 69 अभिभावकों, रिश्तेदार /पड़ोसी से साक्षात्कार -अनुसूची के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	सहमति में प्रतिक्रया देने वाले अभिभावकों की संख्या	सहमति में प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. कोई परेशानी नहीं	34	49.27
2. शिक्षकों द्वारा बच्चों पर ध्यान नहीं देना	22	31.88
3. घर पर पढ़ाने के लिए समय नहीं दे पाना	14	20.29

4. विद्यालय हेतु आवागमन की परेशानी	12	17.39
5. कक्षा की केवल उन्नति होती, ज्ञान नहीं मिलता	12	17.39
6. विद्यालय में सामान्य शिक्षकों की कमी होना	07	10.14
7. विद्यालय में विशेष शिक्षकों की कमी होना	06	8.69
8. विद्यालय के शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल नहीं करना	06	8.69
9. विद्यालय की घर से दूरी अधिक होना	06	8.69
10. विद्यालय में प्रवेश नहीं मिलना	03	4.34

प्रस्तुत तालिका में उल्लेखित आँकड़ों के अनुसार 49.27 % अभिभावकों ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी या समस्या नहीं है, 31.88 % ने कहा कि शिक्षकों द्वारा उनके बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, 20.29 % का कहना है की वे अपने बच्चों को घर पर पढ़ाने के लिए समय नहीं दे पाते है | 17.39 % अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को विद्यालय ले जाने एवं लाने की प्रमुख समस्या है एवं यह भी कहा कि कक्षा में बच्चों को केवल उन्नति (कक्षा की वृध्दि) मिलती है, पर ज्ञान नहीं मिलता है जबकि 10.14 % ने कहा की विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है | 8.69 % ने कहा कि सभी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की कमी है एवं विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा दिव्यांग बच्चों की देखभाल नहीं की जाती है तथा घर से विद्यालय की दूरी अधिक होना भी एक प्रमुख समस्या है | 4.34 % ने कहा कि सामान्य विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है | उपरोक्त लिखित सभी समस्याओं का सामना विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों को करना पड़ता है | **(अनुलग्नक -10)**

4.4.2.5 स्वयं सेवी संगठनों को उत्पन्न समस्याओं की विवेचना:-

राजस्थान राज्य में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों में से उपलब्ध कुल 03 स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों से समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग किया एवं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समावेशी शिक्षा की समस्याओं पर व्यक्तिगत राय, मत, विचारों के आंकड़ों को एकत्रित किया गया | प्राप्त समस्याओं के आंकड़ों का तालिका द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं विस्तृत विवेचना इस प्रकार की गयी |

तालिका क्र. 15 - समावेशी शिक्षा को लागू करने में स्वयं सेवी संगठनों को उत्पन्न समस्याएं

चयनित एवं उपलब्ध 03 स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार - अनुसूची के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	सहमति में प्राप्त प्रतिक्रिया संख्या में	सहमति में प्राप्त प्रतिक्रिया (%) में
1. संस्थाओं में संसाधनों की कमी होना	03	100
2. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी	02	67
3. विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दे पाना	02	67
4. अधिनियमों के प्रावधानों हेतु व्यवहारिक एवं जमीनी स्तर पर कार्य नहीं	01	33.3
5. विभाग से बजट अपर्याप्त और समय पर उपलब्ध नहीं होना	02	67
6. आवागमन के साधनों का अभाव	02	67

तालिका में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार राज्य में कार्यरत 100 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है की उनके पास आवश्यक संसाधनों की कमी है जबकि 67% संगठनों का कहना है की विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों का पूर्णतया अभाव है तथा उपलब्ध शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है 33.3%ने कहा कि अधिनियमों के प्रावधानों हेतु व्यवहारिक एवं जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हिता है | 67 % ने कहा कि विभाग से बजट अपर्याप्त और समय पर उपलब्ध नहीं होता एवं आवागमन के साधनों का भी बहुत अभाव हैं | राज्य में कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों को समावेशी शिक्षा को लागू करने में उपरोक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है |

4.4.2.6 समुदाय एवं सामाजिक स्तर पर उत्पन्न समस्याओं की विवेचना:-

राजस्थान राज्य में कार्यरत समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने के लिए शोधकर्ता ने स्वनिर्मित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग किया एवं उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होकर समावेशी शिक्षा की समस्याओं पर व्यक्तिगत राय, मत, विचारों के आंकड़ों को एकत्रित किया गया | प्राप्त समस्याओं के आंकड़ों का तालिका द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं विस्तृत विवेचना इस प्रकार की गयी |

तालिका क्र. 16 - समावेशी शिक्षा को लागू करने में समुदाय व सामाजिक संगठनों को उत्पन्न समस्याएं

चयनित एवं उपलब्ध समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार - अनुसूची के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	सहमति में प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में

1. आमजन में जागरूकता का अभाव	100
2. सामान्य जन का सहयोग नहीं मिलना	100
3. आमजन में नियमों की जानकारी का अभाव	50
4. बजट राशि का कम होना	50
5. विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है	50

तालिका में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार राज्य में कार्यरत समुदाय एवं सामाजिक संगठनों में से शत प्रतिशत ने यह माना कि जन सामान्य में जागरूकता का पूर्णतया अभाव है तथा उनसे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता है | 50 % संगठनों ने कहा कि आमजन को नियमों एवं नीतियों की कोई जानकारी नहीं है तथा समावेशी शिक्षा हेतु सरकार द्वारा निर्धारित बजट की राशि भी कम है एवं विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की बहुत कमी है | सामाजिक संगठनों को उपरोक्त सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है |

4.4.3 उद्देश्य क्र. 3 के अनुरूप योजनाओं की विश्लेषणात्मक विवेचना -

"प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों का विश्लेषण कर उनकी कमजोरियों का अध्ययन करना"

केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों में से पाँच **(05)** योजनाओं और नीतियों का चयन किया गया और चयनित योजनाओं और नीतियों में व्याप्त मजबूती, कमजोरियों / खामियों, अवसरों और चुनौतियों व खतरों का मूल्यांकन करने के लिए **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis) विधि का उपयोग किया गया |

स्वॉक विश्लेषण (SWOC Analysis) **के मूल्यांकन हेतु प्रमुख चयनित योजनाएं और नीतियाँ निम्नवत है :-**

1. राजस्थान राज्य नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम - 2011
2. राजस्थान राज्य नि:शक्तता नीति - 2010
3. सर्व शिक्षा अभियान - 2000-01
4. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - 1994
5. विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना - 1974

4.4.3.1 राजस्थान राज्य नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (RSRTE) -2011

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 पारित कर तुरन्त प्रभाव से राज्य में लागू किया गया | इस अधिनियम के द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक स्तर की नि:शुल्क एवं गुणवत्ता पूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व बनाया गया तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से सम्पूर्ण राज्य में लागू करने के लिए 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया |

योजना के प्रमुख उद्देश्य :-

1. 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं गुणवत्ता पूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ;
2. निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों में वंचित, गरीब और पिछड़े समूह, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 25 % सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करना ;
3. प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट पर रोक लगाना ;
4. बच्चों को शारीरिक दंड देने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर प्रतिबन्ध लगाना ;
5. श्रम, शोषण, भेदभाव और हिंसा से बच्चों की रक्षा करना ;
6. नि:शक्तता ग्रस्त और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का मुख्यधारा में समावेशन करना ;
7. विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करना ;
8. प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोकें जाने या विद्यालय से बाहर निकाले जाने पर प्रतिबन्ध लगाना ;
9. सरकारी और निजी विद्यालयों के मध्य बढ़ रही दूरी को समाप्त करना ;
10. शिक्षकों के निजी शिक्षण पर रोक लागाना |

राजस्थान राज्य नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम - 2011 से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों एवं पहलूओं में व्याप्त आंतरिक मजबूतियों, निहित कमजोरियों तथा प्राप्त अवसरों और भविष्य में आने खतरों एवं बाहरी चुनौतियों की पहचान करने हेतु **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis) निम्न प्रकार किया गया |

राजस्थान राज्य नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम (RSRTE) – 2011	
मजबूती (Strengths)	➢ 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को आसपास के विद्यालयों में नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा देना | ➢ कक्षा 1 से 5 तक 01 कि मी. तथा कक्षा 6 से 8 तक 02 कि. मी. की दूरी में विद्यालयों की स्थापना | ➢ निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों में वंचित गरीब और पिछड़े समूह, कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति, जन जाति तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 25 % स्थान (सीट) का आरक्षण | ➢ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण से दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा और विद्यालय तक पहुँचाने में कोई बाधा न हो | ➢ सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कक्षा कक्ष, पेयजल, पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन, पृथक शौचालय, खेल मैदान आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना | ➢ विद्यालय द्वारा किसी भी बच्चे से केपीटेशन शुल्क नहीं लेगा और ना ही किसी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया होगी | ➢ विद्यार्थियों के साथ लिंग, जाति, धर्म और वर्ग संबंधी दुर्व्यवहार नहीं होना | ➢ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण और आवश्यक सहायक सामग्री की व्यवस्था ➢ नि:शक्तता ग्रस्त या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षा की मुख्यधारा में समावेशन किया जाना सुनिश्चित करना | ➢ दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय और गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण का आयोजन ➢ प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक एवं विद्यार्थी का अनुपात सुनिश्चित करना | ➢ शिक्षकों के लिए योग्यता एवं मानदंड तय कर रिक्त पदों पर भर्ती करना | ➢ शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले निजी शिक्षण पर रोक लगाना | ➢ किसी भी बच्चे को आयु प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निषेध नहीं करना | ➢ विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करना | ➢ कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय जिनमें 30 विद्यार्थी हो उन विद्यालयों के आसपास पोषक विद्यालय की स्थापना करना |

	➢ गैर शिक्षकीय कार्यों एवं उद्देश्यों जैसे-आपदा प्रबंध, जनगणना, चुनाव कार्य आदि का निषेध करना | ➢ दूरस्थ क्षेत्रों एवं असुविधा ग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को चिन्हित कर उनका मान चित्रण करना |
खामियाँ (Weaknesses)	➢ ड्राप आउट और अनामांकित बच्चों का पूर्णतया नामांकन नहीं होना | ➢ पिछड़े बच्चों को अन्य बच्चों के समकक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण नहीं देना | ➢ शिक्षकों की योग्यता के निर्धारण के लिए अकादमिक प्राधिकरण का अभाव | ➢ शिक्षकों के अकादमिक उत्तरदायित्व का निर्धारण नहीं किया जाना | ➢ अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु प्रशासकीय अमले की कमी होना | ➢ गैर सरकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन नहीं होना | ➢ ब्लॉक स्तर पर कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना नहीं | ➢ शिक्षक -छात्र अनुपात विद्यार्थियों की संख्या व नियमानुसार उपलब्ध नहीं होना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षक की नियुक्ति नहीं होना | ➢ आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग एवं पिछड़े परिवारों के लिए विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान नहीं | ➢ 6 वर्ष की आयु से कम एवं 14 वर्ष आयु वर्ग से अधिक के बच्चे लाभान्वित नहीं अर्थात अधिनियम में 15-18 आयु के बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं | ➢ नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 25 % सीटों तक ही सीमित होना | ➢ निर्धारित बजट की समय पर प्राप्ति नहीं और बजट राशि का कम होना | ➢ 25 % सीटों का आरक्षण सामाजिक असमानता के अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं है अत: इसे 50 % तक होना चाहिए | ➢ शासकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होना | ➢ अधिनियम के क्रियान्वयन होने की सात वर्ष बाद भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं | ➢ दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अधिनियम में विशेष प्रावधान नहीं होना |

	➢ अधिनियम के प्रति समाज और अभिभावकों में जागरूकता का अभाव होना | ➢ गरीब और पिछड़े वर्ग के लिए सीटें कम और एक ही विद्यालय का चयन करना या विद्यालय चयन के विकल्प का अभाव | ➢ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उलंघन की दशा में परिवेदना निवारण की व्यवस्था की जानकारी नहीं होना | ➢ ब्लाक संसाधन केन्द्रों की क्षमता सम्वर्धन के लिए विशेष उपाय नहीं किये जाना | ➢ अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में बेहतर प्रयास करने वाले शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन एवं सम्मान हेतु संस्थागत प्रयास नहीं होना | ➢ अधिनियम के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका का निर्वहन नहीं होने से शिक्षकों में जागरूकता का अभाव होना | ➢ शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों में अधिनियम के प्रावधानों के प्रति कम जागरूकता होना | ➢ सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों का अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने और नवाचार करने में असमर्थ होना |
अवसर (Opportunities)	➢ समस्त बच्चों को उनके पड़ोस के विद्यालयों में शिक्षा की सुविधा अगले तीन वर्षों में उपलब्ध कराना | ➢ सभी विद्यालयों में निर्धारित योग्यता एवं संख्या अनुरूप शिक्षकों की व्यवस्था | ➢ बालकों की क्षमताओं का आकलन करना और अतिरिक्त पठन - पाठन कराना | ➢ कमजोर और विशेष वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना | ➢ अनामांकित और शाला से बाहर के बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना | ➢ प्रवासी परिवारों के बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करना | ➢ प्रत्येक विद्यालय में विशेष शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति करना | ➢ नवीन और अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करना | ➢ प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में परिवारों और समुदाय की भूमिका तय करना | ➢ बालकों और बालिकाओं के मध्य व्याप्त अन्तराल को कम करना या समाप्त करना | ➢ शासकीय विद्यालयों की शिक्षा प्रणाली के प्रति अभिभावकों का विश्वास अर्जित करना | ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिनियम में विशेष प्रावधान करना |

चुनौतियाँ (Challenges)	➢ शासकीय विद्यालय की शिक्षा प्रणाली पर कतिपय अभिभावकों का अविश्वास | ➢ अभिभावकों की एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में रूचि नहीं | ➢ अधिनियम के लागू होने के बाद भी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का लगातार घटता नामांकन | ➢ शुल्क मुक्त और शुल्क युक्त दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों का एक ही कक्षा में अध्ययन करने से उनमें भेदभाव का विचार उत्पन्न होगा | ➢ प्रस्तावित नीति में समुदाय, समाज और नागरिकों के लिए शिक्षा प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रावधान नहीं | ➢ बच्चे को किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं करने से शैक्षणिक उपलब्धि स्तर का निम्न होना | ➢ राज्य में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा संचालित निजी एवं गैर अनुदानित विद्यालय अधिनियम के दायरे से बाहर होना | ➢ अधिनियम के प्रावधानों के फलस्वरूप शहरी समाज का अमीर और गरीब वर्ग के विभाजीकरण पर रोकना लगाना | ➢ विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में करना | ➢ अनामांकित और शाला से बाहर के बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना |

4.4.3.2 राजस्थान राज्य नि:शक्तता नीति – 2010

राजस्थान राज्य में एक व्यापक नीति बनाने के लिए मई, 2010 में एक कार्यबल की नियुक्ति की गयी जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और अभिभावकों के समूह को शामिल कर व्यापक नि:शक्तता नीति को तैयार किया जिसके माध्यम से नि:शक्त एवं नि:शक्तता से ग्रस्त दिव्यांगजनों को पूर्ण स्वाधीनता और स्वाभिमान प्रदान कर उन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में पूर्ण सहभागिता के योग्य बना सकें \|

योजना के उद्देश्य :- नि:शक्त व्यक्तियों के लिए बनाई गई व्यापक नीति की रूपरेखा के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है –

1. सरकारी विकासात्मक कार्यनीति, योजना और कार्यक्रम में नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों, मूल्यों और अभ्यासों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किये जाये ;

2. समस्त सरकारी क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों में नि:शक्तता योजना का क्रियान्वयन और निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में समेकित प्रबंधन प्रणाली का विकास करना ;
3. राज्य और तत्पश्चात जिला संरचनाओं (राज्य एकीकृत नि:शक्तता और पुनर्वास सेवा का गठन) में निरंतर सभी सहभागियों को सम्मिलित करते हुए प्रचालन योजना में प्रेरकों सहित कार्य नीति और नीतिगत विकास को अद्यतन और सम्बद्ध बनाए रखना ;
4. क्षमता निर्माण कार्य नीति के विकास के लिए व्यापक नि:शक्तता नीति ढाँचे में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार की क्षमता में बढ़ोतरी करना ;
5. एक समग्र कार्य योजना जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ समाज में व्याप्त मौलिक पक्षपातों को बदलने की और लक्षित एक लोक शिक्षण और जागरूकता लाने वाला कार्यक्रम सम्मिलित होगा ;

राजस्थान राज्य नि:शक्तता नीति से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों एवं पहलूओं में व्याप्त आंतरिक मजबूतियों, निहित कमजोरियों तथा प्राप्त अवसरों और भविष्य में आने खतरों एवं बाहरी चुनौतियों की पहचान करने हेतु **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis) निम्न प्रकार किया गया |

राजस्थान राज्य नि:शक्तता नीति -2010	
मजबूती (Strengths)	➢ दिव्यांग जनों को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान करना | ➢ दिव्यांग जनों के लिए कम समय में बाधा मुक्त राजस्थान की योजना | ➢ दिव्यांग जनों को सभी सरकारी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों में शामिल करना | ➢ वस्तुओं और समस्त सेवाओं का उपयोग दिव्यांग जनों के लिए सुनिश्चित करना | ➢ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समस्त वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना | ➢ अभिभावकों के लिए जागरूकता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन करना | ➢ लोक और निजी क्षेत्र की बाधाए हटाना और नई बाधाओं का निषेध करना | ➢ सामुदायिक प्रोन्नयन को प्रोत्साहन तथा सभी को पर्याप्त व समुचित संबल देना |
खामियाँ	➢ दिव्यांग जनों के लिए नई तकनीकी पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण विधियों के साथ अनुकूल वातावरण बनाने का सकारात्मक प्रयास नहीं |

(Weaknesses)	➢ समस्त विद्यमान कार्यक्रम दिव्यांग जन के पुर्नवास सेवा के रूप में कार्यरत नहीं | ➢ दिव्यांग और सामान्य बच्चों के अभिभावकों के मन में सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं | ➢ दिव्यांग जनों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास में नवाचार नहीं होना | ➢ दिव्यांग जनों को पूर्ण रूप से स्वाधीनता और स्वाभिमान प्राप्त नहीं होना | ➢ दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए बनाए गए अधिनियमों / नियमों के उपबन्धो का पूर्णतया पालन नहीं होना |
अवसर (Opportunities)	➢ प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में समुचित व आवश्यक सुधार लाना | ➢ समूह सेवा प्रणाली की सहायता से विकेन्द्रित सेवा प्रदाय प्रणाली का विकास | ➢ एक स्पष्ट समावेशित शिक्षा नीति का विकास करना | ➢ सेवा पूर्व एवं सेवा कालीन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना | ➢ विशेष शिक्षकों का वेतन मुख्यधारा के शिक्षकों के अनुरूप करना | ➢ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में आने वाली रुकावट को कम करने के लिए और नए विशेष विद्यालय खोलकर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना | ➢ दिव्यांगजनों के लिए समग्र नि:शुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था करना | ➢ दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा मामलो पर प्रवर्गवार विचार करना | ➢ जनजाति क्षेत्र में निवासरत नि:शक्तों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करना |
चुनौतियाँ (Challenges)	➢ समस्त दिव्यांग बच्चों का विशिष्ट विद्यालयों से समावेशी विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन करना | ➢ सभी दिव्यांग जनों के लिए गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था | ➢ नीतियों को लंबी अवधि के वित्तीय स्त्रोतों के साथ एकीकृत करना | ➢ विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के साथ अतिरिक्त समय के वेतन की व्यवस्था | ➢ बच्चों और महिलाओं को शोषण और दुराचार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना | ➢ ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग जनों को सरकार की योजनाओं की जानकारी पंहुचाना तथा समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना |

4.4.3.3 सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan - SSA)

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) - "सभी के लिए शिक्षा" के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक व्यापक और एकीकृत प्रमुख कार्यक्रम है | वर्ष 2000-01 में प्रारम्भ इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को उपयोगी और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण (Universalisation of Elementary Education) के उद्देश्य को प्राप्त करना है ताकि इस अभियान के माध्यम से मानवीय क्षमता में सुधार के साथ-साथ सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंगीय अंतराल को दूर किया जा सके | इस योजना में शून्य बहिष्कार नीति (Zero Rejection Policy) को अपनाया गया ताकि निश्चित समय अवधि में ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सके | इस अभियान के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा का अधिकार सुरक्षित रखने का दावा किया गया है |

योजना के लक्ष्य :-

1. 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चों का नामांकन करना |
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र और वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना तथा 'स्कूल चलो' (बैक टू स्कूल) शिविर का आयोजन |
3. वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों का प्रतिधारण करना |
4. नामांकन, प्रतिधारण और सीखने में लिंग एवं सामाजिक श्रेणी के अंतराल को दूर करना |
5. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि स्तर में वृद्धि करना |

सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A.) से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों एवं पहलूओं में व्याप्त आंतरिक मजबूतियों, निहित कमजोरियों तथा प्राप्त अवसरों और भविष्य में आने खतरों एवं बाहरी चुनौतियों की पहचान करने हेतु **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis) निम्न प्रकार किया गया |

सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan)	
मजबूती	➢ संतोषजनक गुणवत्तावाली प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना	

(Strengths)	➢ विद्यालयों में प्रवेश के सम्बन्ध में शून्य बहिष्कार नीति का पालन करना | ➢ दिव्यांग बच्चों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना | ➢ दिव्यांग बच्चों के लिए बहुविकल्पीय शिक्षा प्रणाली या मॉडल की स्थापना करना तथा शिक्षा का उपयुक्त वातावरण प्रदान करना | ➢ दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स का संचालन करना | ➢ दिव्यांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं का निर्माण कर गुणवत्ता और अर्थपूर्ण बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक व थेरेपिक संबलन हेतु एवं उनकी निहित क्षमताओं के विकास हेतु प्रत्येक ब्लॉक में संदर्भ कक्ष की स्थापना करना | ➢ आधारभूत सुविधाओं में आने वाली बाधाओं को खत्म करना | ➢ दिव्यांग बच्चों को शिक्षा गारंटी योजना(EGS) एवं वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा (AIE) के माध्यम से शिक्षा में समायोजित करना | ➢ गंभीर एवं गहन श्रेणी के दिव्यांग बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान करना तथा सन्दर्भ कक्ष में संबलन प्रदान करना | ➢ ब्लॉक स्तर पर मॉडल समावेशी विद्यालय की स्थापना तथा प्रत्येक गाँव में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र की स्थापना करना | ➢ कलस्टर, ब्लॉक और जिला स्तर पर अकादमिक संरचना को मजबूत करना | ➢ डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कम्प्युटर शिक्षा देना | ➢ शिक्षकों की नियुक्ति करना एवं उनको व्यापक प्रशिक्षण देना | ➢ विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढाने हेतु मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था करना | ➢ अभिभावकों और शिक्षकों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए निर्देशन और व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना साथ ही परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जो विद्यालय से बाहर (आउट ऑफ स्कूल) हो उन्हें सन्दर्भ कक्ष के माध्यम से संबलन देना | ➢ सम्पूर्ण देश में गुणवता पूर्ण बुनियादी शिक्षा की मांग को पूर्ण करना तथा बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढावा देना | ➢ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम उपलब्धि स्तर को बढाने हेतु संस्थागत

	सुधार और अधिगम क्षमता को बढाना | ➢ प्राथमिक शिक्षा पर राज्यों का अपना दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर देना तथा केन्द्र और राज्य सरकार के बीच प्रभावी रूप से कार्य करना | ➢ शिक्षा में सामाजिक क्षेत्रीय और लिंग भेद अंतराल को पाटना तथा समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना |
खामियाँ (Weaknesses)	➢ प्रभावशाली पर्यवेक्षण प्रणाली और कमेटी का अभाव | ➢ समुदाय आधारित आंकड़ों के संकलन का अभाव | ➢ परियोजना के तहत प्राप्त अनुदान राशि का गैर शैक्षणिक कार्यों में उपयोग | ➢ संदर्भ कक्ष हेतु प्रभावी कार्य योजना का अभाव | ➢ सन्दर्भ कक्ष हेतु नियत राशि की अनुपलब्धता से कार्य पर विपरीत प्रभाव | ➢ जनजाति एवं दुर्लभ आदिवासी क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना नहीं | ➢ ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की जानकारी उपलब्ध न होने से शिक्षा के प्रति उदासीनता | ➢ विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की अनुपलब्धता | ➢ विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु आधारभूत एवं आवश्यक सुविधाओं की कमी | ➢ दिव्यांग और सामान्य बच्चों के माता-पिता के बीच सकारात्मक व्यवहार निर्मित करने हेतु नियमित काउंसलिंग का अभाव |
अवसर (Opportunities)	➢ विद्यालय से दूर एवं विद्यालय छोडने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर रोक लगाना तथा विद्यालय से बाहर (आउट ऑफ स्कूल) बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन कराना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन करना | ➢ प्रभावशाली पर्यवेक्षण प्रणाली एवं कमेटी का गठन कर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाना व प्रचार - प्रसार करना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रभावशाली कक्षा-कक्षों की व्यवस्था करना | ➢ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में स्वयं के दृष्टिकोण का विकास कर समस्त विद्यालयों को प्रवेश अवरोध मुक्त बनाना |

	➢ शिक्षा बजट में वृद्धि कर समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के रिकार्ड रखना एवं उनकी मानिटरिंग करना | ➢ विद्यालय से बाहर के बच्चों को चिन्हित कर उनका विद्यालय में नामांकन कराना |
चुनौतियाँ (Challenges)	➢ लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करना | ➢ आधारभूत सुविधाओं में आने वाली संस्थागत रुकावटों को दूर करना | ➢ 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के आठ वर्ष की अवधि पूर्ण कराना | ➢ प्राथमिक शिक्षा के शिक्षा बजट की राशि में वृद्धि करना | ➢ अधिक से अधिक स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ना | ➢ केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य समन्वय बनाना | ➢ प्रत्येक या ग्राम स्तर पर विद्यालय में एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करना |

4.4.3.4 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) - 1994

यह योजना 1994 में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वयन की रूपरेखा (Program Of Action) 1992 के तहत प्रारम्भ की गई | इस कार्यक्रम के आयोजन की 85 % की राशि केंद्र सरकार और 15 % की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी और यह 85 % की राशि केंद्र सरकार विश्व बैंक से ऋण के रूप में लेगी | जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ में देश के 214 जिलों और 15 राज्यों के लागू किया गया | अगस्त 1999 में यह कार्यक्रम राजस्थान के 10 जिलों तथा बाद में 09 जिलों यानि कुल 19 जिलों में प्रारम्भ हुआ इस कार्यक्रम के तहत राज्य में 909 नवीन विद्यालयों की स्थापना तथा 4795 नवीन पैरा शिक्षकों की नियुक्ति की गई |

योजना के मुख्य उद्देश्य :-

1. योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाना |
2. सार्वभौमीक प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना |
3. सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा पद्धति या वैकल्पिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना |
4. अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों और सामान्य वर्ग की बालिकाओं को पढ़ने-लिखने की सामग्री एवं नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना |

5. लैंगिक और अलाभकारी सामाजिक वर्ग में व्याप्त अंतराल को 5 % तक कम करना |
6. प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्धि स्तर में 25 % की वृद्धि करना |

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों एवं पहलूओं में व्याप्त आंतरिक मजबूतियों, निहित कमजोरियों तथा प्राप्त अवसरों और भविष्य में आने खतरों एवं बाहरी चुनौतियों की पहचान करने हेतु **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis) निम्न प्रकार किया गया |

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-1994	
मजबूती (Strengths)	➢ नवीन विद्यालयों का निर्माण और विद्यमान विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण करना | ➢ वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना करना | ➢ 50 मिलियन बच्चों का अधिग्रहण करना | ➢ ब्रिज कोर्स का संचालन करना तथा बाल श्रम संविधान की शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना | ➢ सकल नामांकन अनुपात के साथ बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना | ➢ प्राथमिक विद्यालयों तक 6 से14 वर्ष के सभी बच्चों की पहुँच निश्चित करना | ➢ प्राथमिक शिक्षा के समान अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना | ➢ औसत अधिगम उपलब्धि स्तर में वृद्धि करना | ➢ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर योजना के प्रबंधन एवं निगरानी समिति की स्थापना करना | ➢ सभी को गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना | ➢ आवश्यकतानुसार नवीन शिक्षकों तथा नियमित विद्या कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संगठित शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन | ➢ गुणवता बढाने के लिए शिक्षकों को अधिगम सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान करना | ➢ दिव्यांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा घटकों के तहत शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन	

	➢ शैक्षिक रूप से राष्ट्रीय औसत से नीचे महिला साक्षरता वाले वार्ड, ब्लॉक और जिलों में प्राथमिक शिक्षा को पुनर्जीवित करना | ➢ छात्रों में प्रतिधारण क्षमता और सीखने की उपलब्धि में सुधार करना तथा सामाजिक समूहों के बीच व्याप्त असमानता को कम करना |
खामियाँ (Weaknesses)	➢ विगत सात वर्षों में केवल मिलियन बच्चों को शामिल कर पाना | ➢ प्रत्येक जिले हेतु 40 करोड़ रूपये का प्रावधान 5 से 7 वर्ष में | ➢ 85 % केन्द्र और शेष व्यवस्था राज्यों द्वारा (बजट हेतु केन्द्र पर आश्रित होना) ➢ कार्यक्रम प्रथम चरण में केवल 07 राज्यों और 42 जिलों में ही लागू होना | ➢ जिन जिलों में कार्यक्रम का आयोजन नहीं उनसे आंकडो का संग्रहण नहीं करना | ➢ कार्यक्रम का आयोजन एवं स्थापना यादृच्छिक (Randomly) नहीं किया गया | ➢ जिला स्तर पर योजना के नियोजन दक्षता की कमी | ➢ सामाजिक और आर्थिक समूह में विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा की बाधाएं | ➢ विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कमी होना | ➢ सरकार के पास प्राथमिक शिक्षा के आवश्यक कोष और वित्तीय संसाधन की कमी ➢ शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार करने में विफल | ➢ शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण और विकास के अवसरों की कमी | ➢ विद्यार्थियों के पढने -लिखने और गणित के क्षेत्र में सुधार करने में विफल |
अवसर (Opportunities)	➢ दिव्यांग और सामान्य बच्चों के माता-पिता के बीच सकारात्मक व्यवहार निर्मित करने हेतु काउंसलिंग का आयोजन | ➢ शिक्षकों को प्रशिक्षण व प्रेरणा देकर उनकी क्षमता को बढ़ाना | ➢ वंचित समूहों, विद्यालय से दूर एवं खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना | ➢ विद्यालय की उपलब्धि एवं प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना | ➢ बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय स्तर पर अधिगम सामग्री की पूर्ण व्यवस्था करना |

	➢ स्कूली शिक्षा के विकल्प के रूप में गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना |
चुनौतियाँ (Challenges)	➢ प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक बजट राशि व वित्त की कमी को दूर करना | ➢ विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति करना | ➢ जिला स्तर पर योजना की नियोजन दक्षता को बढ़ावा देना | ➢ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय करना | ➢ कार्यक्रम में समस्त राज्यों और जिलों को शामिल करना | ➢ लिंग और सामाजिक समूहों में नामांकन दर में वृद्धि तथा ड्राप आउट दर में कमी लाना | ➢ अधिगम में वृद्धि करना और अधिगम के अंतर में कमी लाना | ➢ मॉडल संसाधन केन्द्र की स्थापना कर शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना |

4.4.3.5 दिव्यांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना (IEDC) - 1974

दिव्यांग जन विद्यार्थियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह योजना शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले समस्त विद्यालयों पर लागू की गयी है | यह योजना भारत सरकार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है योजना के क्रियान्वयन हेतु 50 % राशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है |

योजना के उद्देश्य :- इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है:-

1. दिव्यांग बच्चों को न केवल सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना बल्कि उन्हें एकीकृत करने के लिए सभी स्तरों पर सामान्य समुदाय के बराबर भागीदार बनाना |
2. जिन्हें विशेष विद्यालयों में रखा जाता हैं उन्हें सामान्य विद्यालयों में एकीकृत करना ताकि कार्यात्मक स्तर पर और दैनिक जीवन के आवश्यक कौशलों में कुशलता हासिल कर सकें |
3. पूर्ण साहस और विश्वास के साथ दिव्यांग बच्चों को जीवन का सामना करने के लिए सक्षम बनाना |

4. इस योजना का मूल उद्देश्य साधारण (Mild) से अल्प (Moderate) श्रेणी के सभी दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में एकीकृत करना |

दिव्यांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों एवं पहलूओं में व्याप्त आंतरिक मजबूतियों, निहित कमजोरियों तथा प्राप्त अवसरों और भविष्य में आने खतरों एवं बाहरी चुनौतियों की पहचान करने हेतु **स्वॉक विश्लेषण** (SWOC Analysis) निम्न प्रकार किया गया |

दिव्यांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना – 1974	
मजबूती (Strengths)	➢ दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना | ➢ एकीकृत एवं विशेष विद्यालयों में संबंध स्थापित करना | ➢ संसाधन कक्षों में संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति एवं नियमित उपस्थिति तय करना | ➢ मुख्यधारा में दिव्यांग बच्चों का समावेशन एवं समायोजन करना | ➢ बाधामुक्त वातावरण का निर्माण ताकि सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार हो | ➢ मानसिक मंदता के क्षेत्र में विशेष शिक्षकों का अनुपात जनसंख्या के अनुरूप कर उनकी आवश्यकता को पूर्ण करना | ➢ शिक्षकों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित करना | ➢ दिव्यांग और गैर दिव्यांग बच्चों के माता-पिता के मध्य सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन | ➢ सामान्य बच्चों में दिव्यांग बच्चों के प्रति सहानुभूति व जागरूकता लाना | ➢ दिव्यांग बच्चों को घर और विद्यालय में उनकी जरुरत के अनुसार समायोजित करना ताकि उनके आत्म सम्मान में वृद्धि हो | ➢ पात्रता मानदंड का निर्धारण कर उसके अनुसार बच्चों का एकीकरण करना | ➢ कार्यक्रम का शून्य अस्वीकृति पर आधारित होना | ➢ सामान्य विद्यालयों में एकीकृत बच्चों को शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना | ➢ श्रवण बाधित के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं दृष्टि बाधित के लिए गतिशीलता और अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन | ➢ दिव्यांग जनों के लिए दैनिक जीवन और संचार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं

	व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन | ➢ शिक्षा स्वास्थ्य और श्रम कल्याण विभाग एवं सरकारी संगठनों के मध्य समन्वय हेतु क्षेत्रीय, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निगरानी समितियों का गठन | ➢ श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित श्रेणी के बच्चों के लिए एक भाषा के चयन की सुविधा की सिफारिश | ➢ दृष्टि बाधित एवं पूर्ण रूप से अंधे बच्चों के लिए वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था | ➢ दिव्यांग बच्चों को प्रवेश प्रोन्नत परीक्षा आदि में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में ढील देना अर्थात 6 वर्ष की बजाय 8-9 वर्ष आयु करना | ➢ श्रवण बाधित (HI), दृष्टि बाधित (VI), मानसिक मंद (MR), अस्थि बाधित (OH), प्रमस्तिष्क पक्षाघात (CP) बच्चों हेतु सभी प्रकार के उपकरण, स्टेशनरी, बोर्डिंग, लाजिंग आदि का प्रावधान करना |
खामियाँ (Weaknesses)	➢ विषयों के पाठ्यक्रमों का पुन:रीक्षण नहीं करना | ➢ आवश्यक उपकरण और सहायता समय पर उपलब्ध नहीं होना ➢ व्यवसायिक प्रशिक्षण का अभाव एवं संसाधन सहायता की कमी होना | ➢ पाठयक्रम में लचीलेपन एवं संशोधन का अभाव | ➢ परीक्षा और प्रदर्शन के समय समायोजन का अभाव | ➢ दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शिक्षण रणनीति और आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री का निर्माण नहीं | ➢ IEDC के प्रावधानों के प्रति विद्यालयों की जागरूकता का अभाव | ➢ IEDC एवं अन्य योजनाओं के लाभों के प्रति पूर्णतया जानकारी का अभाव | ➢ केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा योजना को कम राशि का बजट उपलब्ध कराना | ➢ केवल श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक मंद, अस्थि बाधित, प्रमस्तिष्क पक्षाघात आदि दिव्यांग श्रेणी के बच्चों को ही इस योजना के तहत लाभ मिलना | ➢ केवल उन्ही बच्चों को लाभ मिलना जो किसी अन्य योजना से लाभान्वित न हो | ➢ प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की अनुपलब्धता | ➢ विभिन्न विभागों द्वारा योजना की निगरानी में समन्वय का अभाव |

	➢ समुदाय की भागीदारी का कम प्रतिशत व समुदाय में जागरूकता लाने में असफल ➢ दिव्यांग बच्चों की पहचान, आवश्यकता और समस्या के बारे में विद्यालय स्टाफ की अनभिज्ञता |
अवसर (Opportunities)	➢ समुदाय से दिव्यांग बच्चों को एकीकृत विद्यालयों में एकीकृत किया जाय | ➢ एकीकृत विद्यालयों द्वारा रणनीति बनाना की वे सफल होंगे या असफल | ➢ एकीकृत और विशेष विद्यालयों के बीच सम्बन्ध को प्रभावशील बनाना | ➢ सामान्य और दिव्यांग बच्चों में विभिन्न पहलुओं में तुलनात्मक प्रदर्शन | ➢ विद्यालयों में लचीला और परिवर्धनीय एवं ग्राह्य पाठ्यक्रम लागू करना | ➢ दिव्यांग बच्चों के प्रति मुख्यधारा के शिक्षकों के नजरिये में परिवर्तन करना | ➢ योजना के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन की भूमिका निश्चित करना | ➢ पाठ्यक्रम में लचीलापन लाना और समायोजन करना | ➢ हर प्रकार के दिव्यांगजन के लिए शिक्षण की आवश्यक रणनीति तैयार करना |
चुनौतियाँ (Challenges)	➢ सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को योजना का लाभ नहीं | ➢ सभी श्रेणी के बच्चों को भी इस योजना का लाभ प्रदान करना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण की कमी का पता लगाना एवं उनके अनुरूप अधिगम प्रणाली विकसित करना | ➢ विद्यालयों में प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था करना | ➢ समाज में दिव्यांग बच्चों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना |

4.4.4 उददेश्य क्र. 4 के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों की विश्लेषणात्मक विवेचना -

"राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने व सफलता पूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न संबद्ध पक्षों/ हितग्राहियों (Stake Holders) का विश्लेषण करना"

राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली प्रमुख समस्याओं को जानने व सफलता पूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न संबद्ध पक्षों (शिक्षकों, विद्यालय प्राचार्यों, अभिभावकों, अभिभावकों के रिश्तेदार/ पड़ोसी या मित्र, स्वयं सेवी संगठनों के संचालकों, सामाजिक संगठनों के प्रमुख एवं जन प्रतिनिधियों) से प्रश्नावली, अनुसूची एवं साक्षात्कार के माध्यम से समावेशी शिक्षा पर व्यक्तिगत राय, मत व विचारों एवं सुझावों से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित किया गया | तत्पश्चात प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर उनकी विस्तृत विवेचना की |

तालिका क्र. 17 - आँकड़ों के संग्रहण में शामिल संबद्ध पक्षों / हितग्राहियों की संख्यात्मक स्थिति

क्र.	जिला / ब्लाक	विद्यालय	शिक्षक (पु.+ म.)	प्राचार्य (पु.+ म.)	माता-पिता (पु.+ म.)	पड़ोसी / मित्र (पु.+ म.)	जिला /ब्लाक शिक्षा अधिकारी	जन प्रतिनिधि सामाजिक एवं स्वयं सेवी संगठन
1	**अलवर**	**12**	**24 (8+16)**	**10 (9+1)**	**08**	**07**	**01/03**	**01 / 01 / 01**
	अलवर	03	06 (2+4)	02	02(0+2)	01(0+1)	**01**/01	-
	राजगढ़	02	05 (0+5)	03	03(2+1)	01(1+0)	-	-
	रामगढ़	04	05 (3+2)	02	03(0+3)	03(1+2)	01	-
	रैनी	01	02 (1+1)	01	-	02(1+1)	01	-
	किशनगढ़	02	06 (2+4)	02	-	-	-	-
2	**भरतपुर**	**09**	**19 (9+10)**	**08 (3+5)**	**13**	**09**	**04**	**01 / 0 / 0**
	सेवर	02	05 (1+4)	02	04(0+4)	01(0+1)	01	-
	नदवई	03	07 (5+2)	02	07(3+4)	05(3+2)	01	-
	कुम्हैर	02	03 (1+2)	02	02(1+1)	03(2+1)	01	-

	बैर	02	04 (2+2)	02	-	-	01	-
3	**हनुमानगढ़**	**14**	**22 (15+7)**	**12 (7+5)**	**12**	**03**	**01/03**	**01/ 02 /02**
	रावतसर	03	**05** (4+1)	03	05(2+3)	01(1+0)	**01**/01	-
	पीलीबंगा	04	05 (4+1)	03	04(0+4)	01(1+0)	-	-
	टिब्बी	03	06 (4+2)	03	02(0+2)	-	01	-
	संगरिया	04	06 (3+3)	03	01(0+1)	01(0+1)	01	-
4	**चुरू**	**11**	**35 (22+13)**	**10 (10+0)**	**12**	**05**	**01/01**	**0 /01 / 0**
	रतनगढ़	03	**09** (5+4)	03	03(1+2)	02(1+1)	-	-
	राजगढ़	03	**09** (7+2)	02	-	02(0+2)	-	-
	तारानगर	03	**09** (6+3)	03	07(1+6)	-	-	-
	चुरू	02	**08** (4+4)	02	02(2+0)	01(1+0)	**01**/01	-
कुल		**46**	**100** (54+46)	**40**	**45** (12+33)	**24** (12+12)	**03/11**	**03 /04 / 03**

विभिन्न संबद्ध पक्षों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण एवं विवेचना इस प्रकार की गई है -

4.4.4.1 विद्यालयों के शिक्षकों की प्रश्नावली की प्रश्नवार विश्लेषणात्मक विवेचना:-

शोधकर्ता ने राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिये समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को जानने व सफलता पूर्वक लागू करने हेतु विभिन्न संबद्ध पक्षों (Stakeholders) में चयनित 04 जिलों के 46 विद्यालयों में कार्यरत एवं उपलब्ध 100 शिक्षकों, जिसमें 54 पुरुष और 46 महिला शामिल है, से 21 कथनों की भरी हुई प्रश्नावली प्राप्त की | प्रश्नावली के कथनों के सम्बन्ध में उनके व्यक्तिगत मत, विचारों एवं सुझावों के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर आंकड़ों को रेखाचित्रों के माध्यम से निम्नवत रूप में प्रदर्शित किया गया |

प्रश्न क्र. 1 - दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाया जा रहा समेकित शिक्षा कार्यक्रम सार्थक है |

रेखाचित्र क्र. 61 – प्रश्न क्र.1 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

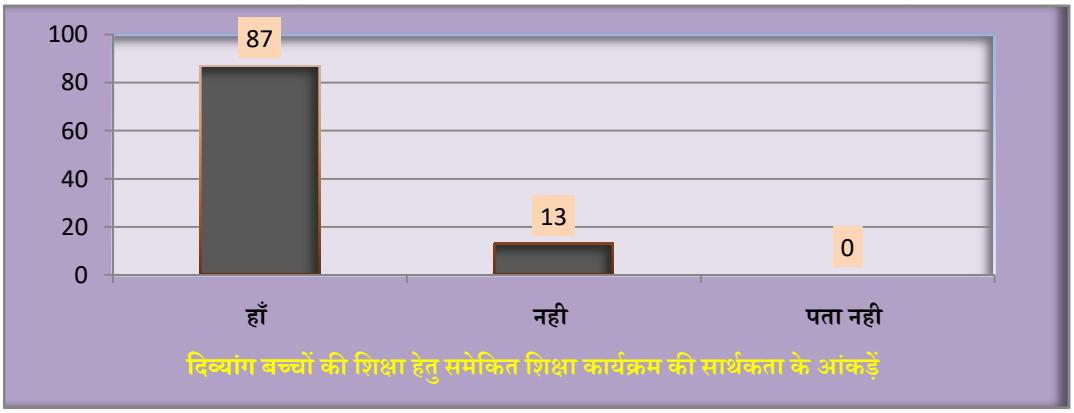

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 61 के अनुसार - राज्य के चारों जिलों के चयनित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.1 के सम्बन्ध में प्राप्त एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 87 % शिक्षकों ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे समेकित शिक्षा कार्यक्रम की सार्थकता के पक्ष में **हाँ** तथा 13 % शिक्षकों ने **नहीं पर** सहमति प्रदान की |

प्रश्न क्र. 2 - क्या सरकार द्वारा समेकित शिक्षा कार्यक्रम का संचालन प्रभावी रूप से किया जा रहा है?

रेखाचित्र क्र. 62 - प्रश्न क्र. 2 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

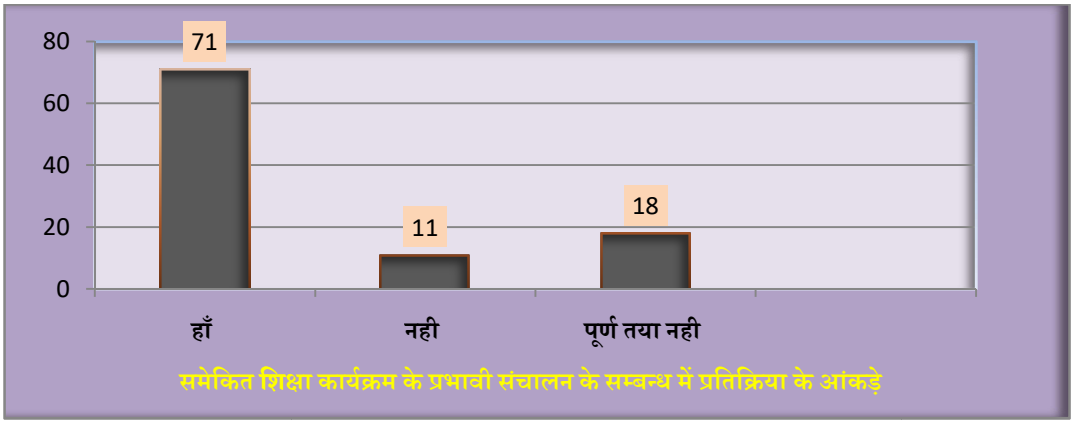

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 62 के अनुसार - राज्य के चारों जिलों के चयनित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र. 2 के सम्बन्ध में प्राप्त एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 71 % शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि सरकार द्वारा समेकित शिक्षा कार्यक्रम का संचालन प्रभावी रूप से किया जा रहा है जबकि 11 % शिक्षक इसको प्रभावी **नहीं** मानते एवं 18 % शिक्षकों ने **पूर्ण तया प्रभावी नहीं** माना है |

प्रश्न क्र. 3 - क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील रहते है?

रेखाचित्र क्र. 63 - प्रश्न क्र. 3 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

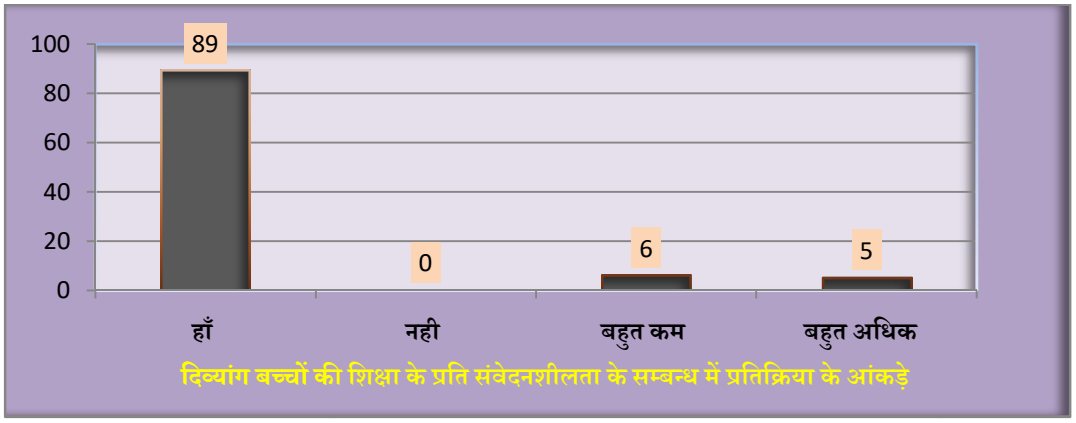

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 63 **में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.** 3 के सम्बन्ध में **प्राप्त** एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 89 % शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशील रहते है, जबकि 05 % ने बहुत अधिक एवं 6 % ने बहुत कम संवेदनशील की बात स्वीकार की है |

प्रश्न क्र. 4 - क्या आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शिक्षण करने में गर्व महसूस होता है?

रेखाचित्र क्र. 64 - **प्रश्न क्र.** 4 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

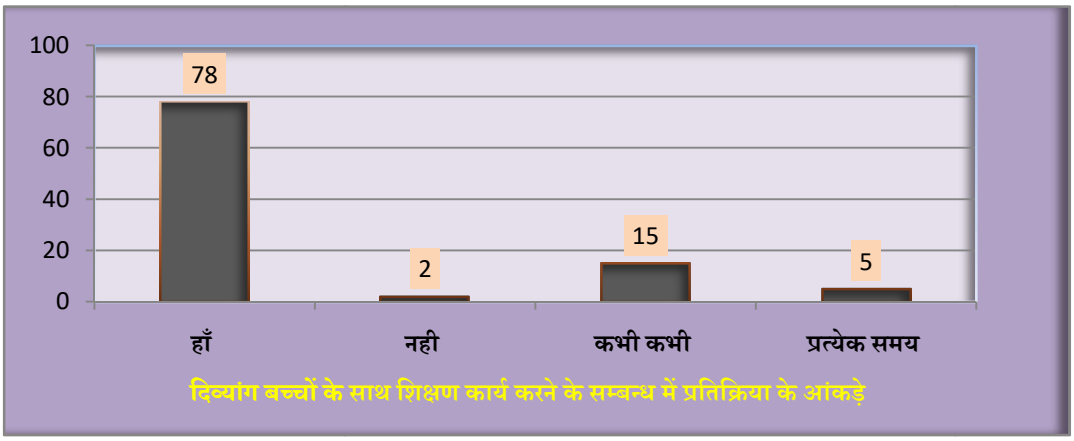

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 64 **में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.**4 के सम्बन्ध में **प्राप्त** एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 78 % शिक्षकों को **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ लेकर शिक्षण कार्य करने में गर्व महसूस होता है** तथा 5 % ने प्रत्येक समय पर एवं 02 % शिक्षकों ने कहा कि गर्व नहीं होता है जबकि 15 % ने कभी - कभी पर अपनी सहमति प्रदान की है |

प्रश्न क्र. 5 - क्या आपके द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है, जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है?

रेखाचित्र क्र. 65 - प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

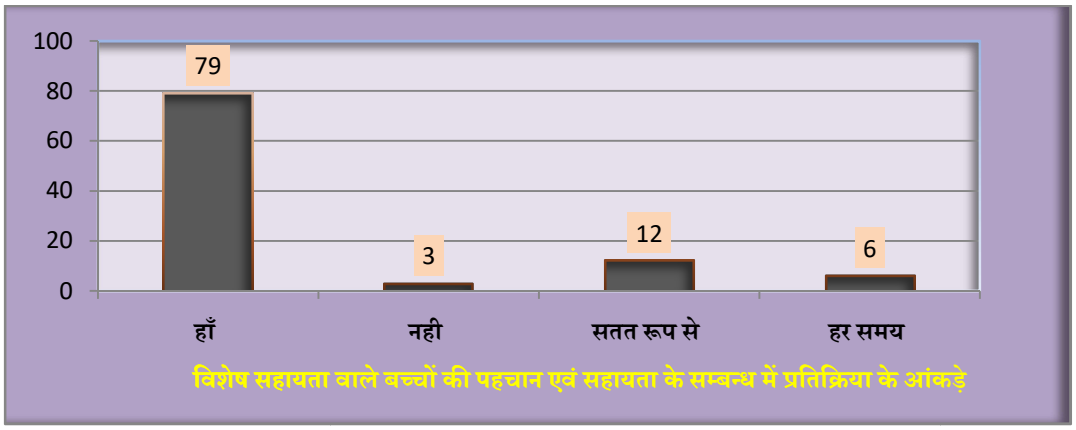

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 65 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में प्राप्त एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 79 % शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जाती है, जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत होती है लेकिन 3 % शिक्षक उक्त कार्य नहीं करते हैं | 6 % शिक्षकों ने हर समय एवं 12 % ने सतत रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने की बात कही | आंकड़ों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 79 % शिक्षक दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उनकी सहायता करते हैं |

प्रश्न क्र. 6 - क्या आप मानते है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए?

रेखाचित्र क्र. 66- प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

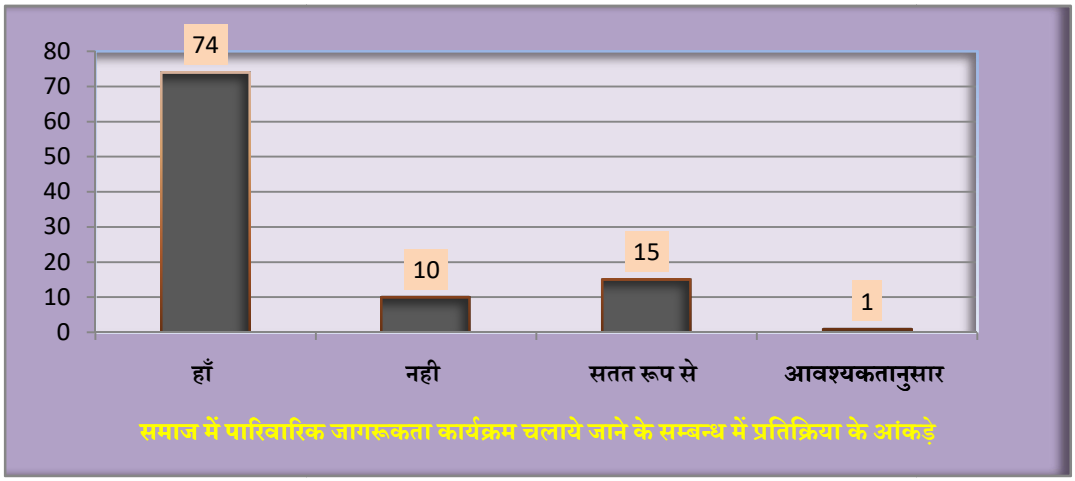

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 66 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्राप्त एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 74 % शिक्षकों ने 'हाँ' पर सहमति देकर कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जबकि 10 % शिक्षक नहीं के पक्ष में है | 15 % शिक्षकों ने सतत रूप से तथा 1 % ने आवश्यकतानुसार इस कार्यक्रम को चलाने की बात कही है |

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एवं समाज के सभी वर्ग के लोगों में नियमित रूप से समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके |

प्रश्न क्र. 7 - विद्यालय में आयोजित कार्यक्रमों के प्रति दिव्यांग विद्यार्थियों का दृष्टिकोण कैसा है?

रेखाचित्र क्र. 67 - प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

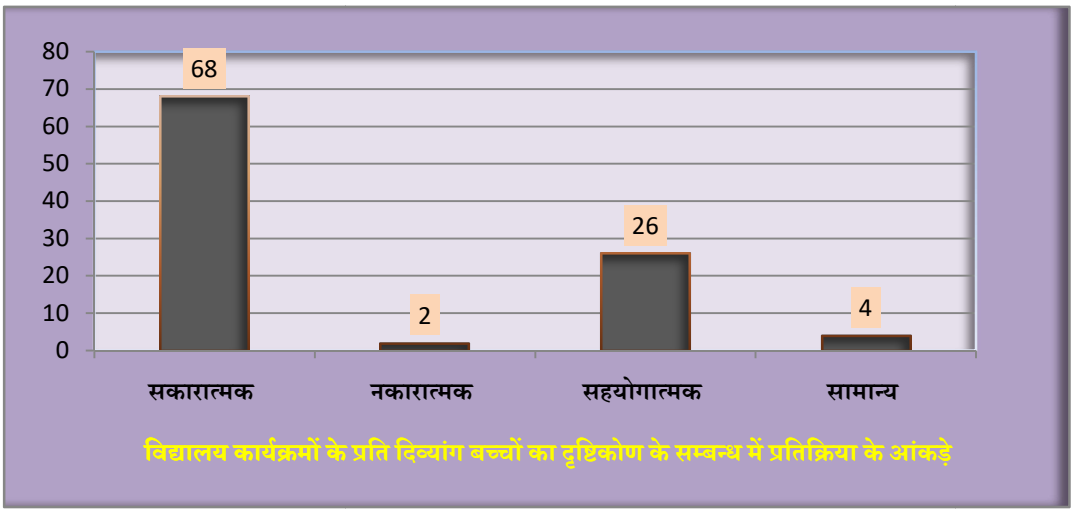

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 67 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया है | तालिका में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 68 % शिक्षकों ने स्वीकार किया कि विद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति दिव्यांग विद्यार्थियों का दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है एवं 26 % शिक्षकों का मानना है कि सहयोगात्मक रहता है जबकि 2 % शिक्षकों ने विद्यार्थियों का दृष्टिकोण नकारात्मक होने तथा 3% शिक्षकों ने सामान्य दृष्टिकोण होने की बात कही है |

प्रश्न क्र. 8 - क्या आप बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने एवं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं?

रेखाचित्र क्र. 68 - प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

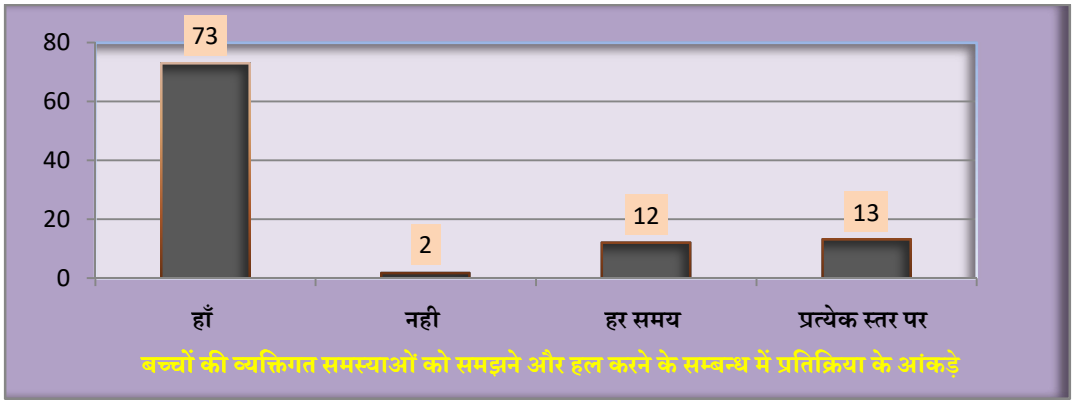

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 68 **में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.** 8 के सम्बन्ध में **प्राप्त** एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 73 % शिक्षक **विशेष आवश्यकता वाले** बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को **समझने** एवं उन्हें हल करने का प्रयास करते है तथा 2 % **शिक्षक नहीं** | 13 % शिक्षकों ने प्रत्येक स्तर पर एवं 12 % **शिक्षकों ने हर समय** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों **की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने** एवं उन्हें हल करने **की बात कही है** |

प्रश्न क्र. 9 - क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण करते हैं?

रेखाचित्र क्र. 69 - **प्रश्न क्र.** 9 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

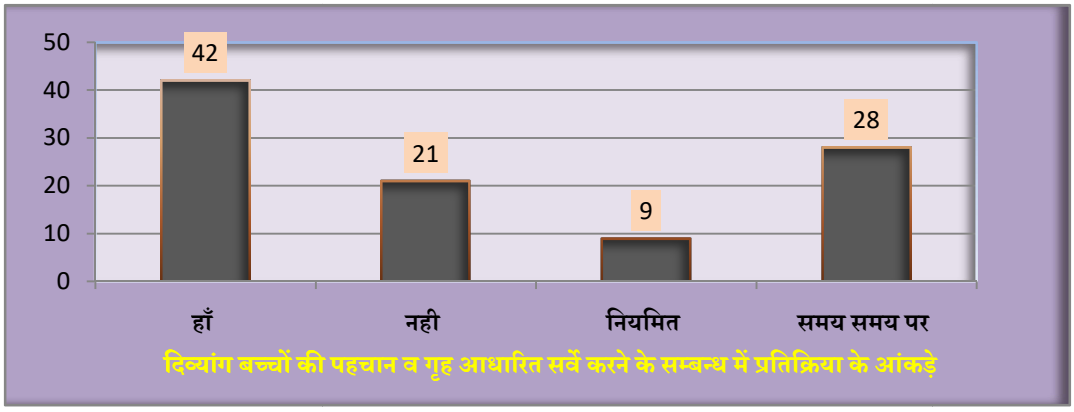

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 69 **में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.** 9 के सम्बन्ध में **प्राप्त तथा** प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 42% **शिक्षक ही दिव्यांग विद्यार्थियों की पहचान कर उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण** करते है जबकि 21% शिक्षक नहीं | 28 % शिक्षक समय-समय पर तथा 9 % शिक्षक **नियमित रूप से बच्चों की पहचान एवं एकीकरण करने हेतु गृह आधारित सर्वेक्षण करते हैं** |

प्रश्न क्र. 10 - क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल संप्रेषण तकनीकी एवं आवश्यक उपकरणों का उपयोग तथा अंशकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाता है?

रेखाचित्र क्र. 70 - प्रश्न क्र. 10 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

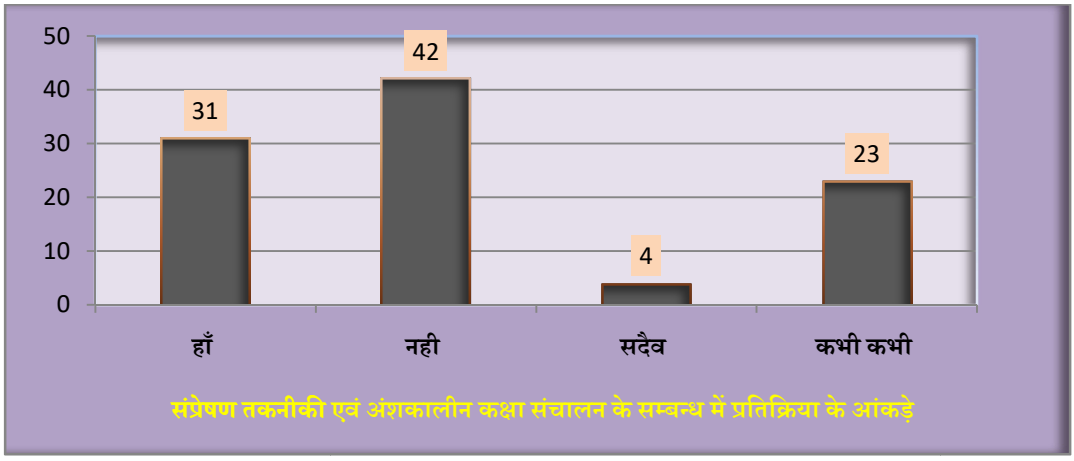

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 70 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.10 के सम्बन्ध में प्राप्त एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 31 % शिक्षकों का कहना है कि उनके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल संप्रेषण तकनीकी एवं आवश्यक उपकरणों का उपयोग तथा अंशकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाता है एवं 42 % शिक्षकों ने **नहीं** पर अपनी प्रतिक्रया दी | 4 % शिक्षकों ने सदैव तथा 23 % ने कभी-कभी तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने तथा अंशकालीन कक्षाओं का संचालन करने की बात स्वीकार की |

प्रश्न क्र. 11 - क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना चाहिए?

रेखाचित्र क्र. 71 - प्रश्न क्र. 11 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

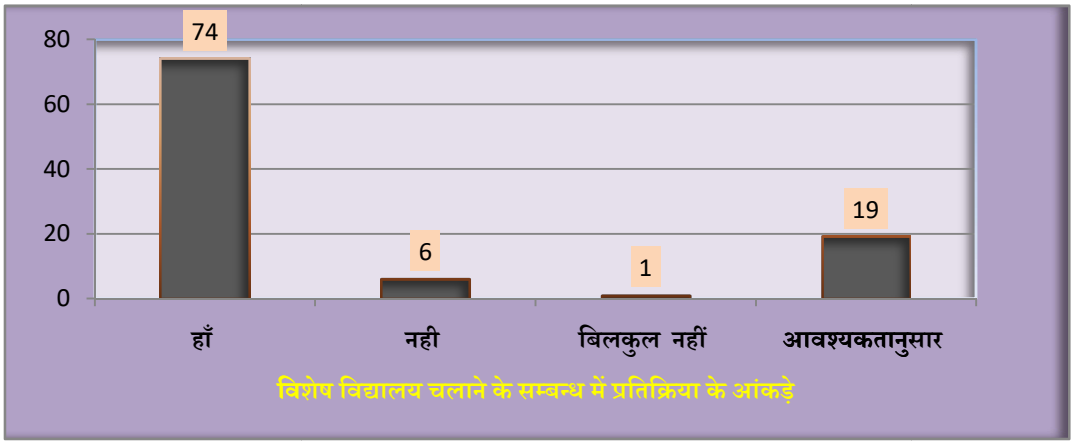

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 71 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.11 के सम्बन्ध में प्राप्त एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 74 % शिक्षकों ने माना कि **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना** चाहिए जबकि 6% शिक्षकों ने कहा नहीं | 19 % शिक्षकों ने आवश्यकतानुसार एवं 1 % ने बिल्कुल नहीं पर अपनी स्वीकृति दी |

प्रश्न क्र. 12 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं |

रेखाचित्र क्र. 72 - प्रश्न क्र. 12 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

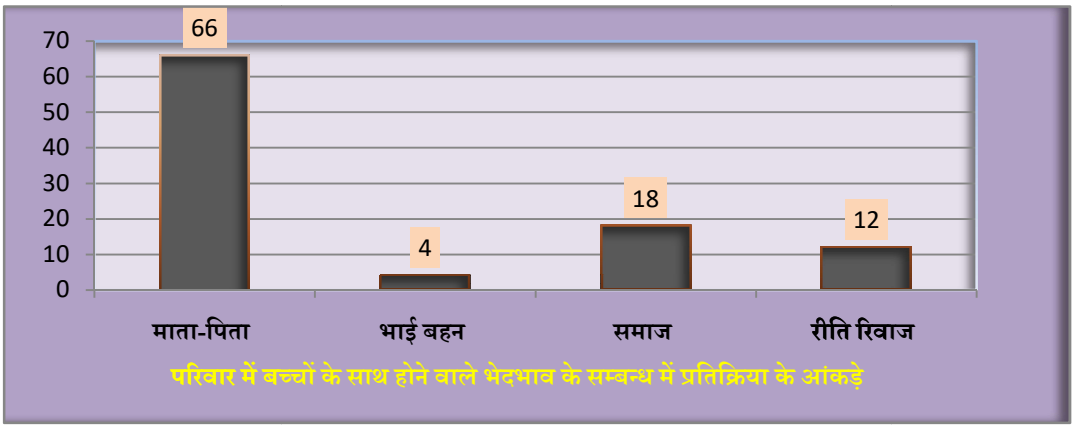

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 72 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.12 के सम्बन्ध में प्राप्त एवं प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 66 % शिक्षक यह मानते है कि परिवार में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं जबकि 18 % ने समाज को, 12 % ने सामाजिक रीति-रिवाज को जबकि 4 % ने भाई-बहन को भेदभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया |

प्रश्न क्र. 13 - क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उम्र अनुसार उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार किया जाता है?

रेखाचित्र क्र. 73 - प्रश्न क्र. 13 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

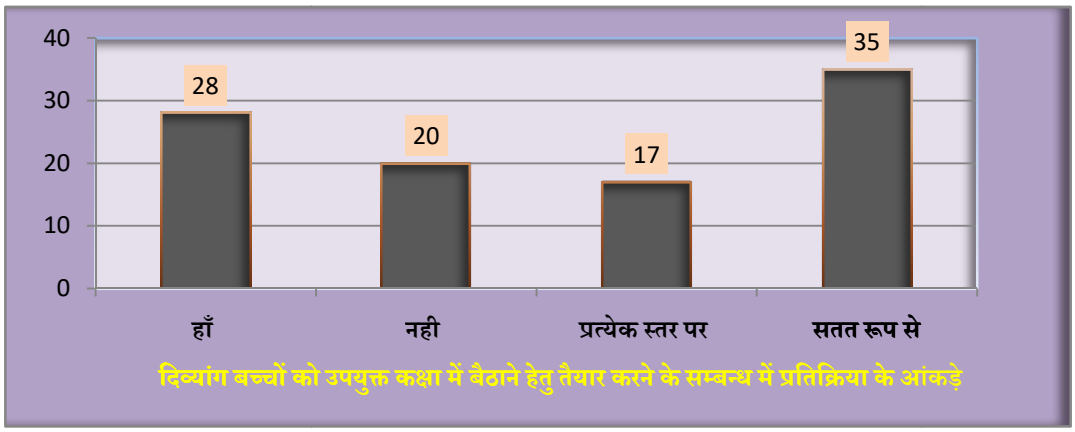

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 73 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.13 के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 28 % शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार किया जाता है जबकि 20 % शिक्षकों ने कहा नहीं | 35 % शिक्षकों ने सतत रूप से और 17 % शिक्षकों ने प्रत्येक स्तर पर उक्त कार्य करने की बात कही है |

प्रश्न क्र. 14 - आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण किसे मानते हैं?

रेखाचित्र क्र. 74 - प्रश्न क्र. 14 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

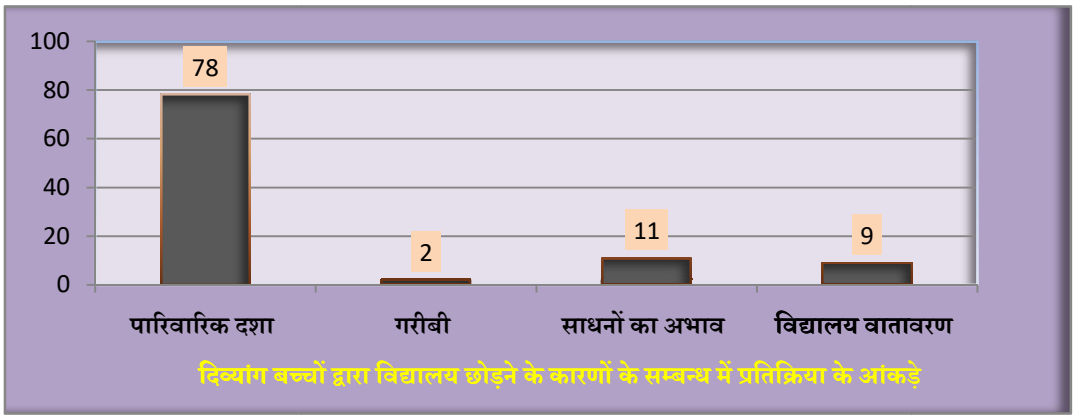

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 74 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र. 14 के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 78 % शिक्षक पारिवारिक दशा को, 11 % साधनों के अभाव को, 9 % विद्यालय वातावरण को, 2 % परिवार की दशा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण माना |

प्रश्न क्र. 15 - आपके द्वारा कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण किया जाता है |

रेखाचित्र क्र. 75 - प्रश्न क्र. 15 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

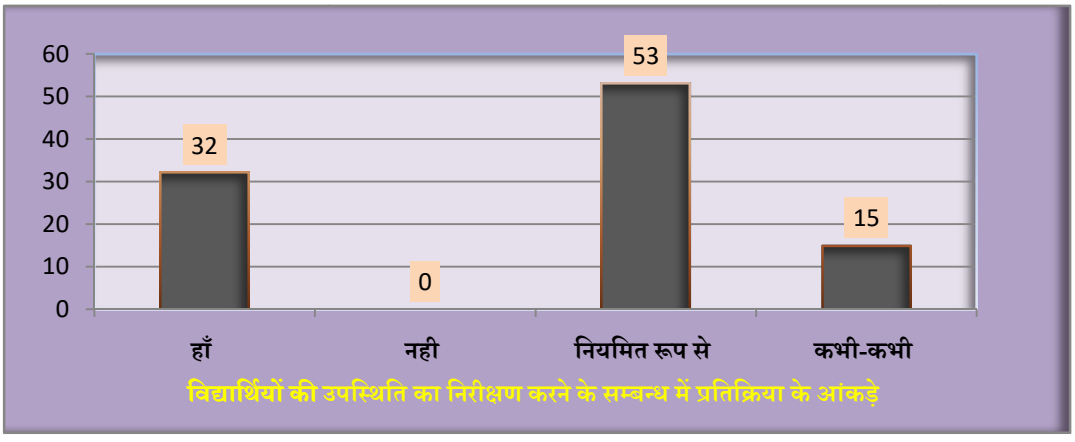

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 75 **में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.**15 के सम्बन्ध में **प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित** किया गया | आँकड़ों के अनुसार 32 % ने कहा की उनके द्वारा **कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण किया जाता है परन्तु** 53 % शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों के उपस्थित होने का पता नहीं रहता तथा 15 % ने कभी-**कभी निरीक्षण करने की बात कही** |

प्रश्न क्र. 16 - क्या आपके द्वारा दिव्यांग बच्चों की अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाया जाता है?

रेखाचित्र क्र. 76 - **प्रश्न क्र.** 16 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

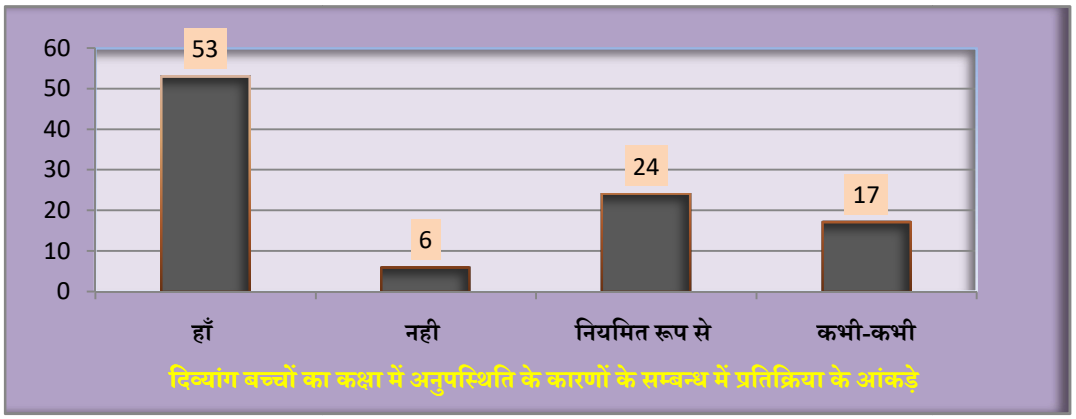

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 76 **के अनुसार प्रश्नावली के प्रश्न क्र.**16 सम्बन्ध में प्राप्त एवं **प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार** 53 % शिक्षक **कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाते है** परन्तु 17 % कभी पता लगाते कभी नहीं जबकि 6 % शिक्षकों ने नहीं पर अपनी सहमती दी एवं 24 % शिक्षकों ने कहा कि **विद्यार्थी की अनुपस्थिति के कारणों का नियमित रूप से पता लगाते हैं** |

प्रश्न क्र. 17 - क्या दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ स्वयं को समायोजित कर पाते हैं?

रेखाचित्र क्र. 77 - **प्रश्न क्र.** 17 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

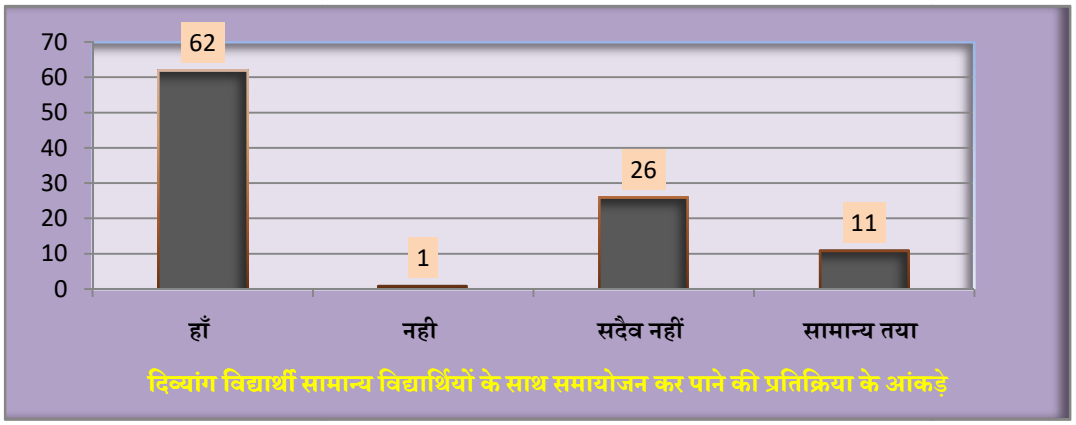

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 77 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.17 के सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 62 % शिक्षकों ने हाँ पर स्वीकृति दी जबकि 26 % ने कहा सदैव नहीं | 11% ने कहा की दिव्यांग विद्यार्थी सामान्यतया समायोजित नहीं होने तथा 1 % शिक्षकों ने बिलकुल नहीं होने की बात कही है |

प्रश्न क्र. 18 - क्या आप विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण तैयार करने का प्रयास करते हैं?

रेखाचित्र क्र. 78 - **प्रश्न क्र.** 18 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

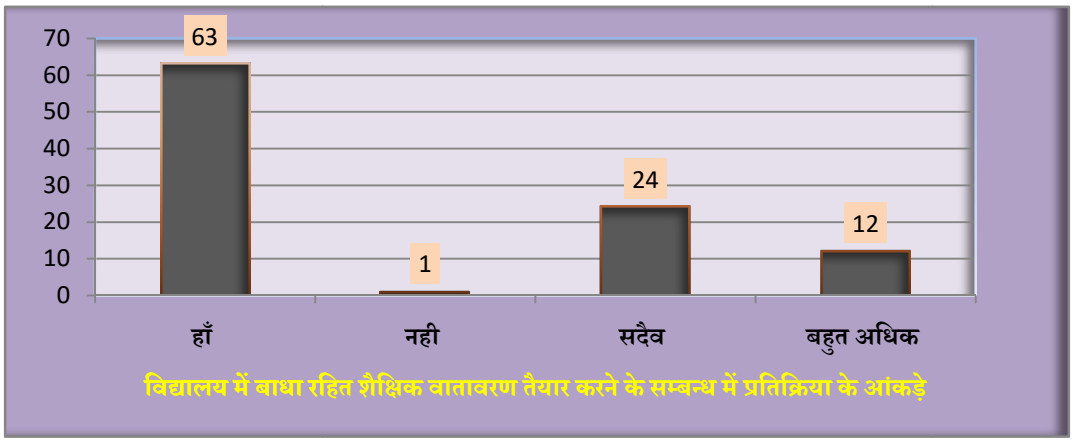

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 78 में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.18 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 63 % शिक्षकों ने कहा हाँ उनके द्वारा विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता और 1% शिक्षकों ने कहा नहीं जबकि 24 % ने सदैव तथा 12 % ने बहुत अधिक प्रयास किये जाने की बात स्वीकार की |

प्रश्न क्र. 19 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजित निर्देशन एवं परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके द्वारा सहभागिता की जाती है |

रेखाचित्र क्र. 79 - **प्रश्न क्र.** 19 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

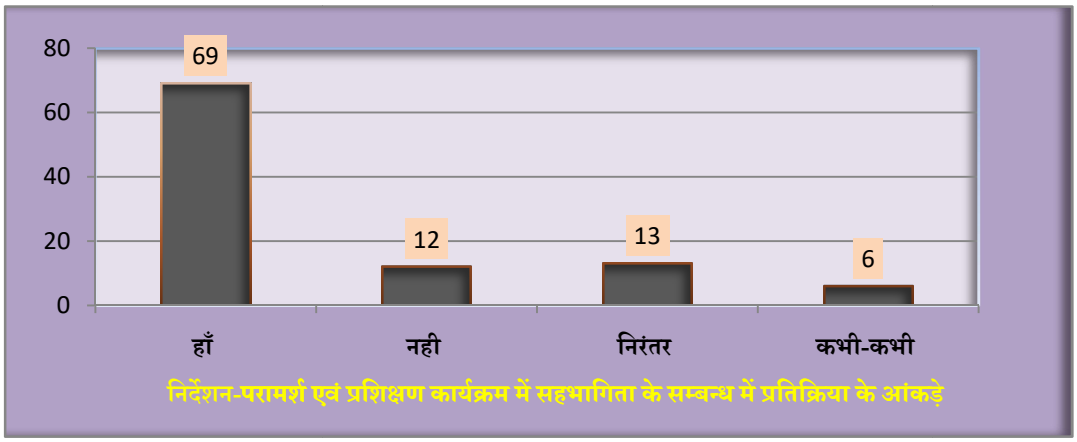

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 79 **में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.**19 के सम्बन्ध में **प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार** 69 % शिक्षकों ने **विद्यालय स्तर पर आयोजित निर्देशन व परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता करने की बात कही** जबकि 12 % ने नहीं, 13 % **शिक्षकों ने निरंतर एवं** 6 % ने कभी-कभी सहभागिता करने की बात स्वीकार की है |

प्रश्न क्र. 20 - क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है?

रेखाचित्र क्र. 80 - **प्रश्न क्र.** 20 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

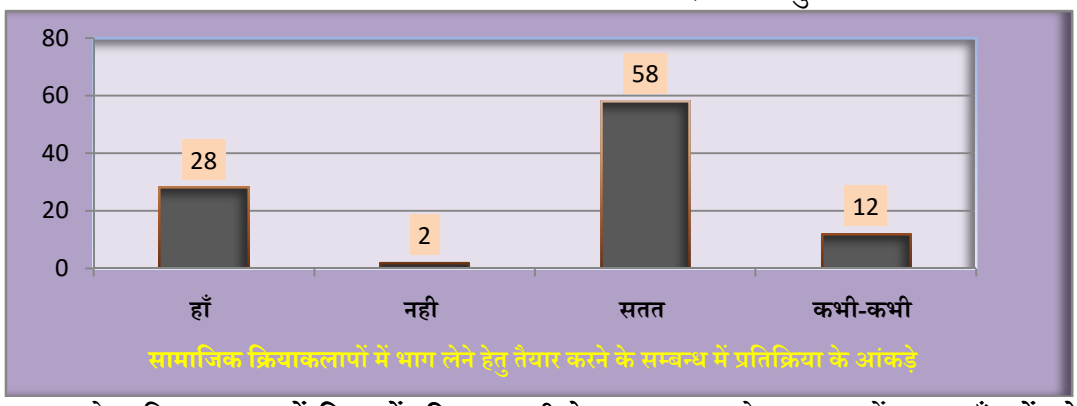

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 80 **में शिक्षकों की प्रश्नावली के प्रश्न क्र.** 20 के सम्बन्ध में **प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित** किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 58 % शिक्षकों ने कहा कि वे **सतत रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार करते हैं जबकि** 28 % ने **हां पर स्वीकृति दी** | 12 % शिक्षकों ने **कभी-कभी** तथा 2 % शिक्षकों ने **कुछ भी नहीं करने की बात कही** |

प्रश्न क्र. 21 - क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रहना पसंद करते है, तो उनके साथ कब एवं कितना समय व्यतीत करते है?

रेखाचित्र क्र. 81 - **प्रश्न क्र.** 21 के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण

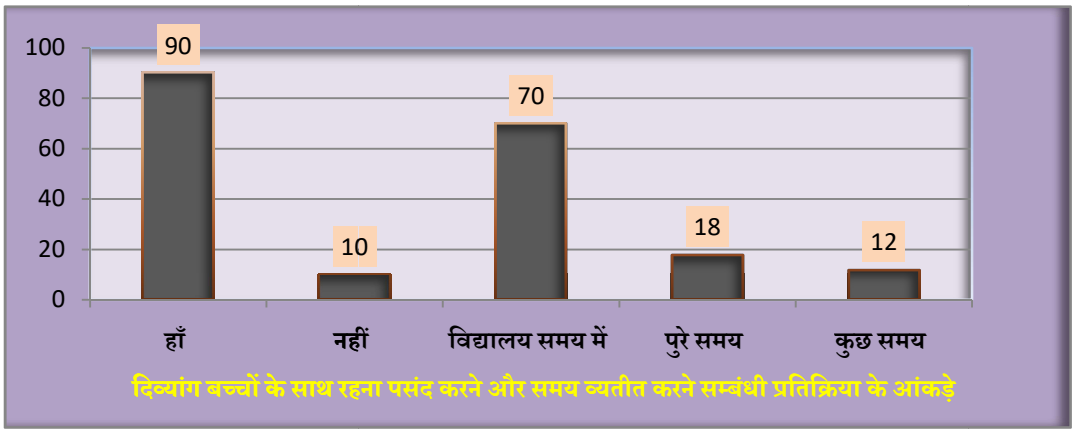

प्रस्तुत रेखाचित्र क्र. 81 में राज्य के चारों जिलों के चयनित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षकों से प्रश्नावली के प्रश्न क्र. 21 सम्बन्ध में प्राप्त आँकड़ों को प्रदर्शित किया गया | प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 90 % शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि 10 % शिक्षक नहीं | 70 % शिक्षक विद्यालयीन समय में, 18 % शिक्षक पूरे समय तथा 12 % शिक्षक कुछ ही समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं |

4.4.4.2 शिक्षा विभाग के जिला व ब्लॉक अधिकारियों की साक्षात्कार-अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित चारों जिलों के चयनित 17 तहसील / ब्लॉक के जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों में से 03 जिला शिक्षा अधिकारियों तथा 11 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (कुल उपलब्ध 14 अधिकारियों) से विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं एवं सुझावों को जानने के लिए शोधकर्ता ने उनके समक्ष स्वयं उपस्थित संरचित साक्षात्कार के माध्यम से समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में व्यक्तिगत राय, मत, सुझाव एवं विचारों के आंकड़ों को एकत्रित किया गया एवं प्राप्त प्रतिक्रिया के बिंदुओं को तालिका द्वारा प्रदर्शित कर उनकी विवेचना की गई |

शिक्षा विभाग के अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों का प्रश्नवार विश्लेषणात्मक विवेचना निम्नानुसार है :-

प्रश्न क्र. 1- विभाग द्वारा विद्यालयों में विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी शिक्षकों की नियुक्ति किन-किन स्तरों पर की जाती है |

तालिका क्र. 18 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सन्दर्भ कक्षों में	71.43
2. लेवल 1 और लेवल 2 में	50.00
3. विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति	21.43
4. कक्षा 6 से 8 में	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र.1 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के विश्लेषण की विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के 50 % अधिकारियों का कहना है कि लेवल 1 और लेवल 2 में विशेष शिक्षा में डिग्री

या डिप्लोमा धारी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जबकि 71.43 % का कहना है कि ब्लॉक के विद्यालयों में स्थापित सन्दर्भ कक्षों में ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है | 21.43 % ने कहा कि केवल विशेष विद्यालयों में ही विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है परन्तु 14.28 % अधिकारियों का कहना है कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में इस प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है | प्रस्तुत आँकड़ों से प्रतीत होता है की विभाग द्वारा सन्दर्भ कक्षों में ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जबकि सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नही की जाती है |

प्रश्न क्र. 2 - विभाग द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नियत समय पर समस्त पात्र विद्यार्थियों तक कब और कैसे पंहुचाया जाता है?

तालिका क्र. 19 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
लाभ कब -	
1. राज्य शासन से बजट राशि उपलब्ध होने पर	64.28
2. समाज कल्याण विभाग से बजट मिलने पर	28.57
3. प्रतिवर्ष निर्धारित समयावधि पर	21.43
लाभ कैसे -	
1. स्त्रोत शिक्षकों के माध्यम से	64.28
2. शिक्षक और प्रधान अध्यापक के सहयोग से	21.43

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 2 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शिक्षा विभाग के 64.28 % अधिकारियों ने कहा कि राज्य शासन से बजट राशि उपलब्ध होने पर, 28.57 % अधिकारियों का कहना है समाज कल्याण विभाग से बजट की राशि प्राप्त होने पर तथा 21.43 % ने कहा कि प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर योजनाओं का लाभ समस्त विद्यार्थियों तक पँहुचाया जाता है |

लाभ कैसे पहुंचाने के संदर्भ में 64.28 % अधिकारियों ने कहा कि स्त्रोत / संदर्भ शिक्षकों के माध्यम से तथा 21.43 % ने कहा कि शिक्षक एवं प्रधान अध्यापकों के सहयोग से शासन की योजना का लाभ समस्त पात्र विद्यार्थियों तक पंहुचाया जाता है |

प्रश्न क्र. 3 - आपके विभाग द्वारा समुदाय तथा शैक्षिक एवं स्वयं सेवी संगठनों को बढ़ावा देने हेतु क्या-क्या कार्य किये जाते हैं |

तालिका क्र. 20 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सभी को दिशा निर्देश देकर बढ़ावा देना	57.14
2. शिविरों के माध्यम से प्रेरित करना	35.71
3. शाला प्रबंध समिति की स्थापना और गठन करना	28.57
4. माता-पिता की पूर्ण भागीदारी बढ़ाना	21.43
5. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करना	21.43
6. स्वयं सेवी संगठनों को मान्यता देना	14.28
7. नियमित निरीक्षण करना	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 3 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शिक्षा विभाग के 57.14 % अधिकारियों का कहना है सभी को आवश्यक दिशा निर्देश देकर, 35.71 % ने कहा कि शिविरों के माध्यम से प्रेरित करके, 28.57% का कहना है कि विद्यालय प्रबंध समिति की स्थापना और उसका गठन करके तथा 21.43 % ने कहा कि माता-पिता की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर एवं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार- प्रसार कर विभाग द्वारा समुदाय के व्यक्तियों, शैक्षिक एवं स्वयं सेवी संगठनों को बढ़ावा दिया जाता है |

प्रश्न क्र. 4 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को राज्य के कौन-कौन से विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश एवं अध्ययन हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है |

तालिका क्र. 21 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. राज्य में स्थित सभी प्रकार के विद्यालयों में प्रवेश एवं आवश्यक अंग उपकरण और संसाधन के साथ सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना |	85.71
2. शिविरों के माध्यम से प्रवेश एव सुविधाएँ देना	28.57

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 4 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शिक्षा विभाग के 85.71 % अधिकारियों ने कहा कि **सभी प्रकार के विद्यालयों में** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है साथ ही आवश्यक अंग उपकरण और संसाधन का वितरण एवं आपरेशन आदि सुविधाएँ प्रदान की जाती है जबकि 28.57 % ने कहा कि शिविरों का आयोजन कर दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है |

प्रश्न क्र. 5 –विभाग द्वारा समावेशी विद्यालयों हेतु विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों (मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं शिक्षाविदों) के मार्गदर्शन, निरीक्षण और परामर्श की क्या योजना बनाई जाती है?

तालिका क्र. 22 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. प्रतिवर्ष एक बार निरीक्षण	64.28
2. ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना बनाकर कार्यक्रमों का आयोजन	28.57
3. आवश्यकतानुसार सलाह प्रदान करके	21.43
4. विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करके	21.43
5. विद्यालयों तक मनोवैज्ञानिकों की पहुँच नहीं	7.14

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 5 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों की विवेचना के अनुसार शिक्षा विभाग के 64.28 % अधिकारियों का कहना है कि मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है | 28.57 % ने कहा ब्लॉक और जिला स्तर पर निरीक्षण की योजना बनाई जाती है जबकि 21.43 % अधिकारियों का मानना है कि आवश्यकतानुसार सलाह देकर एवं विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करके मार्गदर्शन दिया जाता है | वही 7.14 % अधिकारियों का कहना है कि सभी विद्यालयों तक मनोवैज्ञानिकों की पहुँच नहीं है |

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है की मनोवैज्ञानिकों की विद्यालयों तक पहुँच नहीं है और ना ही सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से चिकित्सकों से परामर्श और सेवाएं प्राप्त होती है |

प्रश्न क्र. 6 - समावेशन की नीतियों को प्रत्येक विद्यालय और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप से किस प्रकार लागू किया जा रहा है?

तालिका क्र. 23 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. ब्लॉक व जिला स्तर पर संदर्भ कक्षों की स्थापना करके	50.00
2. संस्था प्रधान की मीटिंग बुलाकर	42.85
3. कक्षा 9 से 12 तक नोडल अधिकारियों के माध्यम से	35.71
4. शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर	35.71
5. विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5 में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से	14.28
6. विद्यालय में बाधा रहित वातावरण उपलब्ध करके	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 6 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शिक्षा विभाग के 50 % अधिकारियों का कहना है कि ब्लॉक और जिला स्तर पर संदर्भ कक्षों की स्थापना करके, 42.85 % ने कहा कि संस्था प्रधान की मीटिंग बुलाकर और 35.71 % ने माना की 9 से 12 के विद्यालयों में नोडल संस्था के माध्यम से व शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर, 14.28 % ने कहा कि विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 से 5 में ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से एवं विद्यालय में बाधा रहित वातावरण प्रदान कर प्रत्येक विद्यालय और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में समावेशन की नीतियों को लागू किया जाता है |

प्रश्न क्र. 7 – शिक्षकों द्वारा अध्ययन में कमजोर व पिछड़े हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक स्तर की समय-समय पर जाँच कब और कैसे की जाती है |

तालिका क्र. 24 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सतत और समग्र मूल्यांकन के द्वारा	50.00
2. प्रतिदिन एवं साप्ताहिक उन्नति का मूल्यांकन करना	50.00
3. विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर	35.71
4. सर्वे, सीमांकन और चिन्हित करके	28.57
5. आधार रेखा के माध्यम से	28.57
6. संदर्भ शिक्षकों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर	21.43
7. रचनात्मक परीक्षण एवं कौशल में अधिकतम विद्यार्थियों को पारंगत करके	07.14

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 7 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के 50 % अधिकारियों का कहना है सतत और समग्र मूल्यांकन के द्वारा साप्ताहिक एवं प्रतिदिन की उन्नति का मूल्यांकन करके तथा 35.71% में कहा कि विद्यालय शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर, 28.57 % ने कहा की सर्वे, सीमांकन और विद्यार्थियों को चिन्हित कर एवं 21.43% ने कहा कि संदर्भ शिक्षकों द्वारा ब्लॉक स्तर पर और 7.14 % के अनुसार रचनात्मक परीक्षण एवं कौशल में पारंगत कर बच्चों की अधिकतम भागीदारी बढ़ाकर कमजोर व पिछड़े हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है |

प्रश्न क्र. 8 - विभाग द्वारा शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजना, समन्वय, निगरानी तथा मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है?

तालिका क्र. 25 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करना	78.57
2. ब्लॉक के विद्यालयों में निरीक्षण कर	64.28
3. शासन के निर्देशानुसार निरीक्षण	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 8 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शिक्षा विभाग के 78.57 % अधिकारियों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जाता है | 64.28 % ने कहा कि समय-समय ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण करके एवं 14.28 % के अनुसार शासन के निर्देशानुसार सभी विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए आयोजना, समन्वय, निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाता है |

प्रश्न क्र. 9 - शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है |

तालिका क्र. 26 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में

1. विशेष शिक्षकों के माध्यम से समस्या समाधान	50.00
2. समेकित कक्षा द्वारा समाधान	35.71
3. व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन द्वारा	28.57
4. समुदाय सदस्यों के माध्यम से	21.43
5. केस अध्ययन द्वारा	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 9 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के 50 % अधिकारियों ने कहा कि विशेष शिक्षकों के माध्यम से समस्या समाधान करके, 35.71 ने कहा कि समेकित कक्षा के माध्यम से समाधान करके तथा 28.57 % का कहना है व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा एवं 21.43 % ने कहा समुदाय सदस्यों के माध्यम से, 14.28 % का कहना है कि केस अध्ययन के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सहायता व मार्गदर्शन प्रदान कर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण किया जाता है |

प्रश्न क्र. 10 - शिक्षा की प्रक्रिया में समावेशन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से तरीकों को अपनाया जाता है?

तालिका क्र. 27 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा	57.14
2. शिक्षण सामग्री / उपकरण आदि के द्वारा	35.71
3. मापदंडों और नियमों के अनुसार कार्य करके	35.71
4. विद्यालय में प्रवेश एवं सुविधाएँ प्रदान करके	21.43
5. लहर कक्ष के माध्यम से	21.43
6. अन्वेषण एवं शोध के माध्यम से	14.28
7. प्रवेश कार्यक्रमों द्वारा	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 10 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के 57.14 % अधिकारियों ने माना है कि शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से, 35.71 % ने कहा कि शिक्षण सामग्री एवं आवश्यक उपकरण एवं मापदंडो व नियमों के अनुसार तथा 21.43 % ने कहा कि लहर कक्ष

और विद्यालय में प्रवेश एवं आवश्यक सुविधाएँ देकर जबकि 14.28 % ने कहा कि विद्यालय में प्रवेश कार्यक्रमों का आयोजन एवं अन्वेषण व शोध के माध्यम से विद्यालयो में समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है |

प्रश्न क्र. 11 - किन कारणों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा अध्ययन पूरा नहीं किया जाता अथवा बीच में ही छोड़ दिया जाता है |

तालिका क्र. 28 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. आवागमन के साधनों का अभाव	71.42
2. अभिभावकों में जागरूकता की कमी	50.00
3. परिवार की गरीबी	42.85
4. साधनों और उपकरणों की कमी होना	42.85
5. आर्थिक स्थिति कमजोर होना	28.57
6. शिक्षा में अरुचि	21.42
7. योजनाओं की जानकारी नहीं	21.42
8. विशेष शिक्षकों की कमी	21.42
9. शारीरिक संरचना के कारण	14.28
10. गंभीर दोष	14.28
11. प्रेरकों का अभाव	7.14

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 11 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर शिक्षा विभाग के 71.42 % अधिकारियों ने आवागमन के साधनों की कमी को प्रमुख कारण माना, 50 % ने अभिभावकों में जागरूकता के अभाव को कारण बताया जबकि 42.85 % ने साधनों और उपकरणों की कमी, परिवार की गरीबी और आर्थिक स्थिति कमजोर होना तथा 21.42 % ने विशेष शिक्षकों की कमी को एवं 14.28 % ने शारीरिक संरचना व दोष को अध्ययन पूरा नहीं करने अथवा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने का प्रमुख कारण बताया |

प्रश्न क्र. 12 - विशेष आवश्यकता वाले वें बच्चे जिन्होंने अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को पुन: विद्यालय में लाने या शिक्षा से जोड़ने के लिए विभागीय स्तर पर क्या-क्या प्रयास किये जाते है?

तालिका क्र. 29 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शिक्षकों को दायित्व प्रदान कर	71.42
2. सन्दर्भ शिक्षकों द्वारा सर्वे करके	71.42
3. विद्यालय हेतु प्रेरित करके	28.57
4. अभिभावक से संपर्क करके	14.28
5. शाला छोड़ने वाले बच्चों की सूची बनाकर	14.28
6. प्रति नियुक्ति (प्लेसमेंट) पर शिक्षकों की नियुक्ति करके	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 12 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर शिक्षा विभाग के 71.42 % अधिकारियों ने कहा कि सन्दर्भ शिक्षकों द्वारा सर्वे करके एवं शिक्षकों को दायित्व सौंपकर तथा 28.57 % ने कहा कि विद्यालय हेतु प्रेरित करके, 14.28 % ने कहा कि अभिभावक से संपर्क करके, ड्राप आउट की सूची बनाकर एवं प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों की नियुक्ति आदि समस्त प्रयासों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले उन बच्चों को जिन्होंने अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया है पुन: विद्यालय में लाने या शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है |

प्रश्न क्र. 13 - समावेशी विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभाग को पर्याप्त धन और अन्य सुविधाएँ किस प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है |

तालिका क्र. 30 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट राशि प्रदान कर	57.14
2. समाज कल्याण विभाग की सहायता से	28.57
3. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट	28.57
4. नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के लिए बजट	14.28

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 13 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 57.14 % अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा अतिरिक्त बजट राशि उपलब्ध कराकर तथा 28.57 % ने माना कि समाज कल्याण विभाग से प्राप्त

सहायता राशि के माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजट के माध्यम से तथा 14.28 % ने कहा कि नियोजन अभिकरण (प्लेसमेंट एजेंसी) के लिए आवश्यक बजट आदि के द्वारा समावेशी विद्यालयों को धनराशि एवं सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है |

प्रश्न क्र. 14 - समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तकनीक के विकास, पर्याप्त शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं |

तालिका क्र. 31 - जिला तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

शिक्षा अधिकारियों से संरचित साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. जिला स्तर पर डाईट के माध्यम से	21.42
2. शिक्षकों को प्रशिक्षण और अभिप्रेरित करके	21.42
3. शोधकर्ताओं को सहयोग एवं प्रोत्साहन देकर	21.42
4. विषय का प्रचार - प्रसार करके	21.42
5. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण देकर	14.28
6. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर कार्य करके	07.14

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र 14 के उत्तर में प्रदर्शित आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार शिक्षा विभाग के 21.42 % अधिकारियों का कहना है कि जिला स्तर पर डाईट के माध्यम से, शिक्षकों को प्रशिक्षण और अभिप्रेरित करके, शोधकर्ताओं को सहयोग व प्रोत्साहन, विषय का प्रचार-प्रसार करके तथा 14.28 % ने कहा है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण देकर एवं 7.14 % ने कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर कार्य कर विभाग द्वारा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है |

4.4.4.3 प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के प्राचार्यों की साक्षात्कार-अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 तहसील / ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में से चयनित 46 विद्यालयों के उपलब्ध प्राचार्य/संचालकों से विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में 24 प्रश्नों की साक्षात्कार - अनुसूची का उपयोग कर व्यक्तिगत राय, मत, सुझाव एवं

विचारों के आंकड़ों को एकत्रित किया गया एवं प्राप्त आँकड़ों की प्रश्नवार विस्तृत विश्लेषणात्मक विवेचना इस प्रकार की गई :-

प्रश्न क्र. 1 - विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रवेश सम्बन्धी क्या प्रावधान है |

तालिका क्र. 32 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 1 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. R.T.E के प्रावधान के अनुसार	90.00
2. शासन के नियमानुसार	17.50
3. आयु के आधार पर	17.50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 1 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 90 % विद्यालय संचालक/ प्राचार्यों ने कहा कि उनके विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार प्रवेश दिया जाता है जबकि 17.50 % ने कहा कि शासन के नियमानुसार तथा आयु के आधार पर सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है |

प्रश्न क्र. 2 - विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अनुरूप कौन-कौन से साधन एवं संसाधन उपलब्ध है |

तालिका क्र. 33 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. २ के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सहायक सामग्री उपलब्ध है |	17.50
2. पुस्तकें |	12.50
1. साधन नहीं |	52.50
2. समस्त साधन उपलब्ध है |	30.00
3. शिक्षण – अधिगम सामग्री है |	17.50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 2 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 52.50 % विद्यालय प्राचार्यों ने यह स्वीकार किया कि उनके विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अनुरूप साधन-संसाधन उपलब्ध नहीं है जबकि 30 % प्राचार्यों ने यह बात मानी कि विद्यालय में आवश्यक साधन एवं उपकरण उपलब्ध है एवं

17.50 % ने कहा कि विद्यालय में केवल शिक्षण अधिगम एवं सहायक सामग्री ही उपलब्धता है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है की विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के अनुरूप साधन- संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध नहीं है, केवल शिक्षण अधिगम एवं सहायक सामग्री ही मौजूद है |

प्रश्न क्र. 3 - समावेशी शिक्षा के संचालन के लिए विद्यालय के शिक्षकों को दायित्व व जवाबदेही किस प्रकार सौंपी जाती है |

तालिका क्र. 34 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 3 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. हाँ (शिक्षा संबलन में सुधार हेतु)	72.50
2. नहीं	27.50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 3 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 72.5 % विद्यालय संचालक/ प्राचार्यो ने कहा कि **हां** उनके द्वारा समावेशी शिक्षा के संचालन के लिए विद्यालय के शिक्षकों को दायित्व व जवाबदेही सौंपी जाती है जबकि 27.5 % ने कहा कि इस प्रकार से कोई दायित्व या जवाबदेही उनके द्वारा शिक्षकों को नहीं दी जाती है |

प्रश्न क्र. 4 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य विद्यालयों में समावेशीकरण के संवर्धन हेतु क्या-क्या प्रयास किये जाते हैं?

तालिका क्र. 35 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 4 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. घर-घर संपर्क करना	52.5
2. योजनाओं का प्रचार- प्रसार करना	27.5
3. जागरूकता अभियान चलाकर	27.5
4. शिक्षण व्यवस्था बहाल करना	17.5
5. बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देना	15.0
6. प्रवेश उत्सव के माध्यम से कार्य करना	12.5
7. नियमित विद्यालय लाना	10.0

8. कोई प्रयास नहीं	7.50
9. सामान्य बच्चों के साथ जोड़ना	5.00
10. भ्रमण कार्यक्रम करना	5.00

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 4 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार सामान्य विद्यालयों में समावेशीकरण के संवर्धन के सम्बन्ध में 52.5 % प्राचार्यो ने कहा कि उनके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के घर-घर जाकर संपर्क किया जाता है | 27.5 % ने कहा कि इस हेतु उनके द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा सामान्य जनता में जागरूकता अभियान चलाया जाता है, 17.50 % ने शिक्षण व्यवस्था बनाने, 15 % ने बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देने, 12.5 % ने प्रवेश उत्सव कार्यक्रम करने, 10 % ने नियमित विद्यालय लाने की बात कही तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ जोड़ने की बात कही |

प्रश्न क्र. 5 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा कौन-कौन से शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा हैं?

तालिका क्र. 36 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन	57.50
2. बाल सभा का आयोजन	35.00
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन	32.50
4. विभागीय कार्यक्रम का आयोजन	20.00
5. बाल संगीत कार्यक्रम का आयोजन	12.50
6. बाल मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन	12.50
7. सामूहिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन	7.50
8. प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन	7.50
9. कोई नहीं	7.50
10. घर-घर सम्पर्क	5.00

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 5 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 57.5 % विद्यालय प्राचार्यो ने कहा कि विद्यालयों में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, 32.5 % ने सांस्कृतिक

कार्यक्रम का आयोजन करने, 35 % ने बाल सभा का आयोजन करने की बात कही जबकि 20 % ने कहा कि विद्यालयों में विभाग द्वारा तय कार्यक्रमों का ही आयोजन किया जाता है | 12.5 % ने बाल मेला, बाल संगीत व प्रदर्शनी का आयोजन करने, 7.5 % ने प्रवेश उत्सव और सामूहिक शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही |

प्रश्न क्र. 6 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या-क्या कार्य किये जाते हैं?

तालिका क्र. 37 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. प्रोत्साहन देना	62.50
2. विशेष प्रशिक्षण देना	55.00
3. विशेष पुरस्कार की व्यवस्था करना	15.00

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 6 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 62.5 % विद्यालय संचालक/ प्राचार्यो ने कहा कि विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है | 55 % ने कहा कि विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम हेतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, 15 % ने कहा कि विशेष पुरूस्कार आदि देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है | इन सभी तरीकों से विद्यालय में आयोजित होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है |

प्रश्न क्र. 7 - समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय स्तर पर किस प्रकार की कार्य योजना बनाई जाती है |

तालिका क्र. 38 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण कराना	60.00
2. कोई योजना नहीं	22.5
3. अभिभावकों को जागरूक करना	10.00
4. शिक्षकों की समिति बनाकर बच्चों को सौपना	7.50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 7 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 60 % विद्यालय संचालक/ प्राचार्यो ने माना कि वें सामान्य बच्चों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाते है | 22.5 % ने कहा कि वे इस सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं करते हैं जबकि 10% ने कहा कि अभिभावकों को समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूक करके तथा 7.5 % ने कहा कि शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपकर समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाता है | निष्कर्ष यह है प्राप्त होता है कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में पृथक से कोई योजना नहीं बनाई जाती है |

प्रश्न क्र. 8 - विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने तथा शिक्षा और विद्यालय के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए आपके द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जाते हैं |

तालिका क्र. 39 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. अभिभावक से संपर्क करना	52.5
2. बच्चों को प्रेरित करना	35.0
3. माता-पिता को प्रेरित करना	30.0
4. सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना	25.0
5. विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना	22.5
6. पुरस्कार की योजना	20.0
7. दूरी की समस्या का समाधान करना	12.5
8. मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना	10.0
9. रुचिपूर्ण शिक्षण कराना	7.5
10. शासन की योजना की जानकारी	7.5

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 8 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 52 % प्राचार्यों ने कहा कि माता-पिता एवं अभिभावकों से संपर्क करके, 35 % ने कहा कि बच्चों को विद्यालय के प्रति प्रेरित करके, 25 % ने कहा कि समाज में शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करके, 20 % ने कहा कि पुरूस्कार की योजना बनाकर, 12.5 ने कहा कि आवागमन की समस्या का समाधान कर व शिक्षा के प्रति रूचि जागृत कर एवं 10 % ने

कहा मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम किया जाता है | 7.5 % ने शासन की योजनाओं की जानकारी देने और रुचिपूर्ण शिक्षण प्रदान करने की बात कही | इन सभी कार्यों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने तथा शिक्षा और विद्यालय के प्रति लगाव एवं अपनत्व उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है |

प्रश्न क्र. 9 विद्यालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा से वंचित एवं बीच में ही अध्ययन छोड़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से पुनः जोड़ने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जाते है |

तालिका क्र. 40 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 9 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. अभिभावकों से बातचीत	57.5
2. शिक्षा हेतु प्रेरित करना	35.0
3. सर्वेक्षण करना, चिन्हित करना	27.5
4. समस्या का पता लगाना	20.0
5. सभी को विद्यालय से जोड़ना	15.0

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 9 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 57.5 % विद्यालय प्राचार्यों ने कहा कि अभिभावक से बातचीत करके, 27.5 % ने कहा कि सर्वेक्षण कर व चिन्हित कर यह कार्य करते है जबकि 35 % ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु प्रेरित करते है तथा 20 % का कहना है कि वें उनकी समस्याओं का पता लगाते है, 15% ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है | उक्त सभी प्रयासों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित एवं बीच में ही अध्ययन छोड़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से पुनः जोड़ने का कार्य विद्यालय प्राचार्यों द्वारा किया जाता है |

प्रश्न क्र. 10 विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है |

तालिका क्र. 41 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र.10 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया

	प्रतिशत (%) में
1. दिव्यांग बच्चों के लिए अलग कक्षा लगाना	30.0
2. नवीन विधियों का प्रयोग करना	25.0
3. कुछ नहीं	22.5
4. सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना	20.0
5. विशेष सुविधाएँ प्रदान करना	20.0
6. शिक्षण को अधिक रुचिपूर्ण बनाना	15.0
7. सतत मूल्यांकन करना	12.5
8. सभी समान वातावरण प्रदान करना	5.0

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 10 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 30 % विद्यालय संचालक / प्राचार्यों ने कहा कि विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के शिक्षण हेतु अलग से कक्षा लगाई जाती है, 25 % ने कहा की कि नवीन विधियों का प्रयोग करते है तथा 20 % ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करके एवं सामान्य बच्चों के साथ शिक्षण प्रदान करके, 15 % ने कहा कि शिक्षण को अधिक रुचिपूर्ण बना कर एवं 12.5 % ने सतत मूल्यांकन कर गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही | 22.5 % प्राचार्यों ने कुछ भी कार्य नहीं करने की बात कही | निष्कर्ष तया यह कहा जा सकता है कि सभी विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए पूरक एवं उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती है |

प्रश्न क्र. 11 - विद्यालय द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार से किया जाता है |

तालिका क्र. 42 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 11 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजन करना	37.50
2. वर्ष में एक या दो बार कार्यक्रमों का आयोजन	32.50
3. शाला प्रबन्धन समिति की मीटिंग का आयोजन	30.00
4. प्रतिमाह अभिभावकों की मीटिंग का आयोजन	20.00

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 11 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 37.5 % विद्यालय संचालक / प्राचार्यों ने ब्लॉक और जिला स्तर पर आयोजन करने, 32.5 % ने वर्ष में एक दो बार विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही | 30 % ने कहा कि शाला प्रबंध समिति की मीटिंग के दौरान अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाता है | 20 % ने प्रतिमाह अभिभावकों की मीटिंग आयोजित करने की बात कही |

प्रश्न क्र. 12 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी किस प्रकार प्रदान की जाती हैं?

तालिका क्र. 43 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 12 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर	57.50
2. व्यक्तिगत संपर्क	35.00
3. शाला प्रबन्धन समिति की मीटिंग	25.00
4. फोन और मोबाईल से सन्देश भेजकर	17.50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 12 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 57.5 % विद्यालय संचालक / प्राचार्यों ने कहा कि अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर, 35 % का कहना है कि अभिभावकों से व्यक्तिगत संपर्क कर केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाती है | 25% ने शाला प्रबन्धन समिति की मीटिंग एवं 17.5 % ने फोन या संदेश के द्वारा जानकारी देने की बात कही |

प्रश्न क्र. 13 – आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों एवं समावेशी विद्यालयों में किसे अधिक बेहतर मानते हैं और क्यों ?

तालिका क्र. 44 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 13 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में

1. विशेष विद्यालय	50.00
2. समावेशी विद्यालय	35.00
3. दोनों	12.50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 13 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार **50 %** विद्यालय संचालक / प्राचार्यों ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय ही उचित है जबकि 35 % का कहना है कि समावेशी विद्यालय **अधिक बेहतर** है क्योंकि इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों का समग्र विकास होगा जबकि 12.5 % ने कहा कि दोनों ही प्रकार के विद्यालय ठीक है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आज भी समावेशी विद्यालयों की बजाय विशेष विद्यालयों की और रुझान अधिक हैं क्योंकि सामान्य विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अभाव है |

प्रश्न क्र. 14 - विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है |

तालिका क्र. 45 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 14 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. नहीं	82.50
2. हां (तीन माह के अंतराल में)	10.00

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 14 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार **82.5 %** विद्यालय संचालक / प्राचार्यों ने स्वीकार किया है कि विद्यालयों में आवासीय शिविरों का आयोजन **नहीं** किया जाता जबकि 10 % ने कहा कि तीन माह के अंतराल में शिविरों का आयोजन किया जाता है | निष्कर्ष तया कहा जा सकता है कि सभी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन नहीं किया जाता है |

प्रश्न क्र. 15 - श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक मंद एवं शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विद्यालय में सहायक सामग्री के रूप में कौन-कौन से साधनों की उपलब्धता है |

तालिका क्र. 46 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 15 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. विशेष कुछ नहीं	57.5
2. सामान्य सामग्री	40.0
3. ब्रेल पुस्तकें, उपकरण, किट	35.0
4. श्रवण उपकरण	35.0
5. बैशाखी, ट्राईसिकल, व्हील चेयर आदि	30.0

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 15 उत्तर के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 57.50 % विद्यालय संचालक / प्राचार्यों ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए **विशेष साधन उपलब्ध नहीं** है जबकि 35 % का कहा की श्रवण उपकरण, ब्रेल पुस्तकें एवं उपकरण, किट उपलब्ध है तथा 30 % ने बैशाखी, ट्राईसिकल, व्हील चेयर के उपलब्ध होने की बात कही | 40 % ने कहा की विद्यालय में सामान्य शिक्षण सामग्री की उपलब्धता है | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है की सभी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी समस्त अनिवार्य साधन, उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध नहीं हैं |

प्रश्न क्र. 16 - समावेशी शिक्षा के लिए बाधारहित शैक्षिक वातावरण निर्मित करने हेतु शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जाते हैं |

तालिका क्र. 47 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 16 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शिक्षा हेतु उचित प्रयास	70.00
2. अभिभावक संपर्क	17.50
3. समस्या समाधान	15.00
4. कोई नहीं	15.00
5. शैक्षिक गतिविधियों का संचालन	12.50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र.16 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 70 % विद्यालय संचालक / प्राचार्यों का कहना है कि विद्यालय स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए बाधा रहित शैक्षिक वातावरण निर्मित करने हेतु उचित प्रयास करते हैं जबकि 17.5 % ने अभिभावकों से संपर्क करने तथा 15 % ने समस्या समाधान करने, 12.5 % ने शैक्षिक गतिविधियों के संचालन द्वारा बाधा रहित शैक्षिक वातावरण निर्मित की बात कही |

प्रश्न क्र. 17 - विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वास्थ्य सेवा (मेडिकल व सर्जिकल) **सम्बंधित क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है |**

तालिका क्र. 48 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 17 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सामान्य परीक्षण (मेडिसिन)	100
2. जाँच शिविर (एक बार)	82.5

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 17 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 82.5 % विद्यालय प्राचार्यों ने वर्ष में एक बार (स्वास्थ्य) जाँच शिविर का आयोजन करने की तथा सभी ने सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराने की बात कही |

प्रश्न क्र. 18 - विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों (मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं शिक्षाविदों) **के मार्गदर्शन, निरीक्षण और परामर्श की क्या योजना है |**

तालिका क्र. 49 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 18 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. नहीं	57.5
2. जाँच शिविर (एक बार)	42.5

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 18 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 57.5 % विद्यालय प्राचार्यों ने स्वीकार किया कि इस सम्बन्ध में विद्यालय में **कोई योजना नहीं** बनाई जाती है जबकि 42.5 % ने कहा की वर्ष में **सिर्फ एक बार** परामर्श शिविर आयोजित किया जाता है |

प्रश्न क्र. 19 - समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए D.P.E.P., S.S.A, एवं R.T.E. के कौन-कौन से प्रावधानों का पालन किया जाता है |

तालिका क्र. 50 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 19 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समस्त प्रावधानों का	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 19 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि **शत प्रतिशत** विद्यालय प्राचार्यों ने यह स्वीकार किया कि उनके द्वारा समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए D.P.E.P., S.S.A, एवं R.T.E. सभी अधिनियमों के समस्त प्रावधानों का पालन पूर्णतया किया जाता है |

प्रश्न क्र. 20 - D.P.E.P., S.S.A, एवं R.T.E. लागू होने के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है, क्या इनमें और सुधार की आवश्यकता है ?

तालिका क्र. 51 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 20 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आंकड़े

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सुविधाएँ नहीं बढ़ी, लाभ बढ़ें	52.5
2. बच्चे मुख्यधारा से जुड़े है	47.5
3. विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति में वृध्दि हुई	45.0
4. अभिभावकों में जागरूकता उत्पन्न हुई	42.5
5. शिक्षा के प्रति प्रेरित हुए	27.5
6. साक्षरता बढ़ी	22.5
7. शाला त्यागी (Drop-out) बच्चों की संख्या में कमी हुई	12.5
8. RTE में सुधार की जरुरत है	5.0

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 20 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 52.5 % विद्यालय प्राचार्यों ने कहा कि मिलने वाले लाभों में वृद्धि हुई है लेकिन सुविधाएँ नही बढ़ी है, 47.5 % ने कहा कि

बच्चें शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़े है, 45 % ने कहा कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थित बढ़ी है, 42 % ने माना कि माता-पिता में जागरूकता उत्पन्न हुई है, 27.5 % का कहना कि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति प्रेरणा जागृत हुई है, 22.5 % ने विद्यार्थियों की साक्षरता अनुपात में वृद्धि होने तथा 12.5 % ने शाला त्यागी बच्चों की प्रतिशत दर में कमी आने की बात कही |

प्रश्न क्र. - 21 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और समावेशन के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किये जाते है |

तालिका क्र. 52 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 21 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सतत संपर्क करना	35.0
2. सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु प्रेरित करना	25.0
3. समाज जनों को बच्चों से परिचित कराना	22.5
4. कुछ नहीं	20.0
5. सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना	12.5

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 21 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 35 % विद्यालय प्राचार्यों ने कहा कि सतत संपर्क करते है, 25 % के कहा कि समाज जनों को बच्चों से परिचित कराकर एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करके उनकी भागीदारी निश्चित करते हैं, 20 % के कहा कि उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाता है तथा 12.5 % ने कहा कि उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी का प्रयास किया जाता है |

प्रश्न क्र. 22 - अधिनियमों के लागू होने के बाद भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक और सामाजिक अवरोधकों का सामना करना पड़ता है, इस हेतु आप के द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं |

तालिका क्र. 53 - विद्यालय प्राचार्यों से प्रश्न क्र. 22 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

विद्यालय प्राचार्यों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में

1. समाज में जागरूकता लाना	47.5
2. घर-घर सर्वे करना	25.0
3. समस्याओं का पता लगाना	22.5
4. सरकार की योजनाओं से अवगत कराना	22.5
5. अभिभावकों का अशिक्षित होना	20.0
6. शिक्षा के प्रति लगाव की कमी	20.0
7. घरेलू परिस्थितियों का पता लगाना	12.5
8. माध्यमिक स्तर पर प्रवेश की समस्या	5.0
9. बालक-बालिका के लिए अलग-अलग विद्यालय	5.0

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 22 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 47.5 % विद्यालय प्राचार्यों का कहना है कि उनके द्वारा समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है, 25 % ने कहा कि घर-घर सर्वेक्षण किया जाता है, 22.5 % का कहना है कि उनके द्वारा बच्चों की समस्याओं का पता लगाया जाता है और सरकार की योजनाओं से अवगत कराते है | 20 % ने कहा कि दिव्यांग बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव में कमी है व अभिभावक अशिक्षित है अत: उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाता है | 12.5 % ने कहा कि घरेलू परिस्थितियों का पता लगाते है तथा शेष ने प्रवेश की समस्या, पृथक विद्यालय न होने आदि को प्रमुख बाधा बताया |

4.4.4.4 अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी की साक्षात्कार - अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित 04 जिलों के चयनित 17 तहसील / ब्लाक में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के कुल 69 अभिभावकों रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी जिसमें (45 महिला + 24 पुरुष) शामिल हैं, से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 11 प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग कर आँकड़ों को प्राप्त किया | प्राप्त आँकड़ों की विस्तृत विश्लेषणात्मक विवेचना इस प्रकार की गई :-

प्रश्न क्र. 1 - आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या-क्या प्रयास करते हैं |

तालिका क्र. 54 - अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. प्रतिदिन विद्यालय लाना	70.83
2. सभी प्रकार के प्रयास करके	45.83
3. पढ़ने के लिए प्रेरित करना	29.16
4. घर पर प्रयास करना	12.5
5. निजी विद्यालय में पढ़ना	4.17

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 1 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 70.83 % अभिभावकों ने कहा कि वे बच्चों को पढ़ने के लिए रोजाना विद्यालय लाते है, 45.83 % अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास उनके द्वारा किये जाते है, 29.16 % ने कहा कि वे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं | 12.5 % अभिभावकों ने कहा ने घर पर पढ़ाने का प्रयास करने एवं 4.17 % ने बच्चों को निजी विद्यालय में पढ़ाने की बात कही |

प्रश्न क्र. 2 – क्या आप विद्यालय द्वारा आयोजित निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और उससे कितने लाभान्वित हुए हैं |

तालिका क्र. 55 - अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. वर्ष में दो तीन बार	58.33
2. कोई जानकारी नहीं	45.83
3. हर बार	20.83
लाभ = कुछ लाभ नहीं	41.67

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 2 के संदर्भ में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर 58.33 % अभिभावकों ने कहा की कि वें वर्ष में दो या तीन बार निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में शामिल होते है | 45.83 % ने कहा कि उनको कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं मिलती है | निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम से मिलने वाले लाभ के सम्बन्ध में 41.67 % अभिभावकों ने कहा कि इन कार्यक्रमों के आयोजन से उन्हें कुछ लाभ नहीं मिला है |

प्रश्न क्र. 3 – क्या आपके क्षेत्र के विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त/विशेष अंशकालीन एवं उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाता है |

तालिका क्र. 56 - अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. नहीं मालूम	83.33
2. विद्यालय समय पर कक्षाएँ लगती है		16.67

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 3 के संबंध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 83.33 % अभिभावकों को अतिरिक्त/विशेष अंशकालीन एवं उपचारात्मक कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है जबकि 16.67 % अभिभावकों का कहना है कि केवल विद्यालय समय में ही अध्ययन कराया जाता है | निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सभी विद्यालयों में अंशकालीन एवं उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाता है |

प्रश्न क्र. 4 - समावेशी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कौन-कौन सी सुविधाएँ एवं लाभ प्राप्त होते है |

तालिका क्र. 57- अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. पुस्तकें एवं आवागमन के साधन मिलते है		87.50
2. छात्रवृत्ति एवं भत्ता मिलता है		70.83
3. भोजन (खाना) मिलता है		62.50
4. चिकित्सा जांच होती है		20.83
5. कुछ नहीं मिलता है		12.50
6. प्रमाण पत्र, उपकरण मिलता है		8.33
7. स्वेटर एवं गणवेश मिलता है		8.33
8. खेल का सामान मिलता है		8.33

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 4 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 87.5 % ने कहा कि पुस्तकें मिलती है एवं आवागमन साधन की व्यवस्था हेतु भत्ता मिलता है, 70.8 % ने कहा कि सिर्फ छात्रवृत्ति या भत्ता मिलता है, 62.5 % अभिभावकों ने केवल भोजन मिलने की बात कही तथा 20 % अभिभावकों ने कहा कि चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है, 8.33 % ने गणवेश, खेल सामान, प्रमाण पत्र आदि मिलने की बात कही | निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आज भी विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों को समस्त प्रकार की सुविधाएँ पूर्णतया प्राप्त नहीं होती है |

प्रश्न क्र. 5 - आपके क्षेत्र में स्थित समावेशी विद्यालयों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार का शैक्षिक वातावरण तैयार किया जाता है |

तालिका क्र. 58 - अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. अच्छा	83.33
2. ठीक नहीं है	16.67
3. शिक्षकों द्वारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना	8.33
4. विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है	4.17

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 5 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 83.33 % अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय का वातावरण अध्ययन के अनुकूल व अच्छा है जबकि 16.67 % ने कहा ठीक नहीं है, 4.17 % ने कहा कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, 8.33 % ने कहा कि शिक्षकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता |

प्रश्न क्र. 6 - विद्यालय द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सरकार की कौन-कौन सी योजनाओं की जानकारी एवं उनका लाभ समय पर दिया जाता है |

तालिका क्र. 59 - अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में

1. सभी योजनाओं	66.67
2. लाभ समय पर मिलता	50.00
3. कोई जानकारी नहीं	25.00
4. कोई लाभ नहीं मिलता	16.67
5. सभी की जानकारी नहीं	8.33

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 66.67 % अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को सभी योजनाओं का लाभ मिलता है, 50 % का कहना है कि लाभ समय पर मिलता, 25 % अभिभावकों का कहना है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, 16.67 % ने कहा कि कोई लाभ नहीं मिलता है, 8.33 % ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी नहीं है | निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि एक तिहाई अभिभावक आज भी शासन की योजनाओं से अनभिज्ञ है |

प्रश्न क्र. 7 - विद्यालयों में आपके बच्चों को मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों की सेवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण, मेडिकल देख रेख सम्बन्धी सुविधाएँ कब और कैसे उपलब्ध कराई जाती है |

तालिका क्र. 60 - अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. वर्ष में जांच दो बार होती है	83.33
2. कुछ मालूम नहीं	16.67
3. ब्लॉक स्तर जांच होती है	8.33
4. जिला स्तर पर जांच होती है	8.33

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 83.33 % अभिभावकों ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा स्वास्थय परीक्षण एवं जांच वर्ष में दो बार की जाती है, 16.67 % का कहना है कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं जबकि 8.33 % ने कहा कि ब्लॉक और जिला स्तर पर ही बच्चों की जांच की जाती है | निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों की सेवाएं, स्वास्थ्य व मेडिकल परीक्षण की नियमित सुविधाएँ उपलब्ध नही होती है |

प्रश्न क्र. 8 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों एवं समावेशी विद्यालयों में किसको अधिक महत्वपूर्ण मानते है और क्यों?

तालिका क्र. 61- अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समावेशी विद्यालय ठीक है |	75.00
2. दोनों ही ठीक है |	20.83
3. विशेष विद्यालय ठीक है |	8.33
क्यों –	
1. घर के पास स्थित होना	25.0
2. आने जाने में कठिनाई नहीं होती है |	12.5
3. पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी से सीखेंगे |	12.5

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 75 % अभिभावकों ने कहा कि समावेशी विद्यालय ही अधिक बेहतर है तथा 20 % ने कहा कि दोनों ही अच्छे है जबकि 8.33 % का कहना है कि विशेष विद्यालय ही ठीक है |

समावेशी विद्यालय ही क्यों ? के संदर्भ में –

12.5 % ने कहा कि सामान्य बच्चों के साथ पढ़ना, लिखना, बोलना आसानी सीखेंगे जाते है | 25 % ने कहा कि विद्यालय घर के पास स्थित है, 12.5 % ने कहा कि बच्चों को विद्यालय आने- जाने में कठिनाई नहीं होती है | अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी विद्यालय अधिक बेहतर है |

प्रश्न क्र. 9 - वे कौन कौन से कारण है जिनके कारण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा अध्ययन पूर्ण नहीं किया जाता अथवा अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया जाता है |

तालिका क्र. 62- अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

अभिभावकों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया

	प्रतिशत (%) में
1. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर	66.67
2. आवागमन के साधनों की कमी	33.33
3. अभिभावकों में जागरूकता की कमी, शिक्षकों द्वारा ध्यान नहीं देना	25.00
4. शिक्षकों का असहयोग	20.83
5. अभिभावकों का पलायन करना (स्थान परिवर्तन करना)	16.67
6. सामान्य बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार करना	12.50
7. नहीं मालुम	8.33
8. विद्यालय में प्रवेश नहीं देना	4.17
9. कोई समस्या नहीं	4.17

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 9 के संदर्भ में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 66.67 % अभिभावकों ने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने को, 33.33 % ने आवागमन के साधनों की कमी को प्रमुख कारण माना है | 25 % ने माना कि अभिभावकों में जागरूकता की कमी है, 20.83 % ने कहा कि शिक्षकों का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है, 16.67 % अभिभावकों ने स्थान से पलायन करने को एक कारण माना है | 12.50 % ने सामान्य बच्चों द्वारा दिव्यांग बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने, 4.17 % ने विद्यालय में प्रवेश नहीं देने व किसी प्रकार की समस्या नहीं होने की बात कही | उक्त सभी कारणों से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी अध्ययन पूर्ण नहीं करते या बीच में ही अध्ययन छोड़ देते हैं |

4.4.4.5 स्वयं सेवी संगठनों की साक्षात्कार - अनुसूची की प्रश्नवार विश्लेषणात्मक विवेचना:-

राजस्थान राज्य के चयनित चारों जिलों मे कार्यरत स्वयं सेवी संगठनों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14 प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग कर आँकड़ों कों प्राप्त किया | प्राप्त आँकड़ों की विस्तृत विश्लेषणात्मक विवेचना इस प्रकार की गई :-

प्रश्न क्र. 1- आपकी संस्था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या-क्या कार्य करती है |

तालिका क्र. 63 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना	33.33
2. कार्य का नियमित निरीक्षण एवं प्रशिक्षण देना	33.33
3. खाने-पीने की व्यवस्था करना	33.33

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 1 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 33 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि बच्चों को शिक्षण की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, 33 % ने कहा कि बच्चों के कार्यों का नियमित निरीक्षण कर उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जबकि 33 % ने कहा कि उनके द्वारा बच्चों के लिए केवल खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है |

प्रश्न क्र. 2 - आपके संगठन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं उनको किस प्रकार चिन्हित किया जाता है |

तालिका क्र. 64 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. घर-घर सर्वे करना	66.67
2. अभियान चलाकर या सूचना मिलने पर	33.33
3. विभाग की रिपोर्ट के आधार पर	33.33
4. समय-समय पर शिविर लगाकर	16.67

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित में प्रश्न क्र. 2 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 67 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि उनके द्वारा घर-घर सर्वे किया जाता है तथा 33 % में कहा कि अभियान चलाकर या सूचना मिलने पर या विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पहचान करते है जबकि 17 % के कहा कि समय-समय पर शिविर लगाकर दिव्यांग बच्चों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया जाता है |

प्रश्न क्र. 3 - आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशीकरण हेतु क्या-क्या प्रयास

किये जा रहे हैं?

तालिका क्र. 65 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. पढ़ना -लिखना सिखाना	50.00
2. उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार करना	50.00
3. सामान्य विद्यालय में प्रवेश व पढ़ने के योग्य बनाना	33.33
4. विशेष कुछ नहीं	16.67

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 3 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 50 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि वें बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाते है तथा बच्चों को उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार किया जाता है तथा 33 % ने कहा कि उनके द्वारा बच्चों को सामान्य विद्यालय में प्रवेश व पढ़ने के योग्य बनाया जाता है जबकि 17 % के कहा कि उनके द्वारा विशेष कुछ प्रयास नहीं किया जाता है |

प्रश्न क्र. 4 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चें सामान्य विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से कितने लाभान्वित होते हैं?

तालिका क्र. 66 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं	33.33
2. विशेष कोई लाभ नहीं	50.00

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 4 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 33 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि सभी बच्चे पूर्ण रूप से लाभान्वित **नहीं** होते जबकि 50 % ने यह माना कि कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है क्योंकि सामान्य विद्यालयों का पाठ्यक्रम दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुरूप नहीं होने से पूर्णतया लाभान्वित नहीं होते हैं |

प्रश्न क्र. 5 - आपके संगठन द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं?

तालिका क्र. 67 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार एवं रूचिनुसार	33.33
2. खेलकूद, सामान्य ज्ञान, बाल सभा और प्रश्न मंच आदि का आयोजन	66.67

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 5 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 33.33 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि उनके द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचिनुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जबकि 66.67 % ने कहा कि खेलकूद, सामान्य ज्ञान, बाल सभा और प्रश्न मंच आदि का आयोजन किया जाता है |

प्रश्न क्र. 6 - आपके संगठन द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु किये जाने वाले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किस प्रकार से किया जाता है |

तालिका क्र. 68 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सर्वे के दौरान	50.00
2. अभिभावकों की मीटिंग या विभिन्न कार्यक्रमों के समय	33.33
3. अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार करना	16.67

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 50 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि सर्वे के दौरान ही योजनाओं सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करते है तथा 17 % ने कहा कि अलग से अभियान चलाकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं | 33 % ने कहा कि अभिभावकों की मीटिंग या अन्य कार्यक्रमों के दौरान सभी कल्याणकारी योजनाओं सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है |

प्रश्न क्र. 7 - आपके संगठन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता के लिए निर्देशन एवं परामर्श के लिए क्या-क्या कार्य किये जाते हैं?

तालिका क्र. 69 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समय - समय पर विद्यालय बुलाकर प्रशिक्षण देना |	33.33
2. विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करना |	16.67
3. अभिभावकों की मीटिंग एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना |	33.33

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 7 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के आधार पर 33 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि समय-समय पर माता-पिता को बुलाकर परामर्श देते है तथा 17 % का कहना है कि अभिभावकों को विविध प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं | 33% ने कहा कि अभिभावकों की मीटिंग एवं कार्यक्रमों का आयोजन कर आवश्यक परामर्श दिया जाता है |

प्रश्न क्र. 8 - आपके संगठन द्वारा श्रवणबाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक मंद और शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए कौन-कौन से सहायक एवं प्रतिस्थापित उपकरण एवं साधनों की व्यवस्था की जाती है |

तालिका क्र. 70 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. सभी आवश्यक उपकरण की व्यवस्था करना	66.67
2. आपरेशन एवं नेत्र प्रत्यारोपण करवाना	33.33
3. शिक्षण एवं खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था	33.33

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 8 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 67 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है की उनके द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए सभी आवश्यक उपकरण की व्यवस्था की जाती है जबकि 33 % ने कहा कि आपरेशन एवं नेत्र प्रत्यारोपण करवाना तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण एवं खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है |

प्रश्न क्र. 9 - S.S.A, एवं R.T.E. लागू होने के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है, क्या इनमें और सुधार की आवश्यकता हैं?

तालिका क्र. 71 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा है |	50.00
2. नियमित उपस्थिति बढ़ी है |	33.33
3. विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है |	50.00
4. दिव्यांग बच्चे बोलना, पढ़ना-लिखना, साथ में रहना एवं खाना-पीना सीखे है |	33.33

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 9 के सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 50% स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा है तथा विद्यालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है | 33 % के कथनानुसार विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ी है, साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों ने बोलना, पढ़ना-लिखना, साथ में रहना एवं खाने-पीने का तरीका भी सीख लिया है | निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि अधिनियमों के लागू होने के बाद दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक स्थितियों में सुधार हुआ है |

प्रश्न क्र. 10 - समावेशी शिक्षा हेतु सरकार द्वारा U.N.C.R.P.D., R.C.I. एवं P.W.D. Act. के किन-किन प्रावधानों का पालन उचित प्रकार से किया जा रहा है |

तालिका क्र. 72 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समस्त प्रावधानों का	83
2. व्यवहारिक और जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता	17

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र.10 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 83 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि सरकार द्वारा सभी अधिनियमों के समस्त प्रावधान का पालन किया जा रहा है जबकि 17 % ने माना कि सरकार को व्यवहारिक और जमीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है |

प्रश्न क्र. 11 - वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के फलस्वरुप समाज के दृष्टिकोण में क्या - क्या बदलाव आया है |

तालिका क्र. 73 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समाज में जागरूकता आई है |	67.00
2. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदला है |	50.00
3. शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रूचि बढ़ी है |	33.00
4. समाज का सहयोग मिलने लगा है |	17.00

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 11 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 67 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि समाज में जागरूकता उत्पन्न हुई है तथा 50 % ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति समाज के नजरिये में बदलाव आया है, 33% ने कहा कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रूचि बढ़ी है, जबकि 17 % ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में समाज का सहयोग मिलने लगा है | निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि समाज के नजरिये एवं सोच में और अधिक परिवर्तन लाने की जरूरत है |

प्रश्न क्र. 12 - समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू हो इस हेतु आपके संगठन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे है |

तालिका क्र. 74 - स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

स्वयं सेवी संगठनों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. उन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश के योग्य बनाना और प्रवेश दिलाना	66.67
2. विद्यार्थियों को तैयार करना	33.33
3. कार्य योजना बनाना और उस पर अमल करना	16.67

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 12 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 67 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश के योग्य बनाते और प्रवेश दिलाते है, 33 % स्वयं

सेवी संगठनों का कहना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा एवं विद्यालय के लिए तैयार करते हैं तथा 17 % ने कहा कि शिक्षण की कार्य योजना बनाकर उसको अमल में लाया जाता है | अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वयं सेवी संगठनों द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं प्रयासो को बढ़ाने की जरूरत है |

4.4.4.6 समुदाय एवं सामाजिक संगठन की साक्षात्कार - अनुसूची की प्रश्नवार विवेचना :-

राजस्थान राज्य के चयनित चारों जिलों मे कार्यरत समुदाय व सामाजिक संगठनों (शिक्षाविद/ समाज प्रमुख) से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 12 प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग कर आँकड़ों को प्राप्त किया | प्राप्त आँकड़ों की विस्तृत विश्लेषणात्मक विवेचना इस प्रकार की गई :-

प्रश्न क्र. 1- सरकार द्वारा चलाई विभिन्न योजनाओं के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु समाज के व्यक्तियों के नजरिये में क्या बदलावआया हैं?

तालिका क्र. 75 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. दिव्यांग विद्यार्थी की शिक्षा के प्रति लोगों का लगाव एवं जुडाव बढ़ा है	50
2. समुदाय के लोगों में अभी जागरूकता की कमी है		50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 1 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 50 % समुदाय व सामाजिक संगठनों ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति लोगों का लगाव एवं जुडाव **बढ़ा** है तथा 50 % ने कहा कि समुदाय के लोगों में अभी भी जागरूकता की **कमी** है | अत: कहा जा सकता है कि समाज के व्यक्तियों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और नजरिया बदलने की जरूरत है |

प्रश्न क्र. 2 - आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्या-क्या प्रयास किये जाते है |

तालिका क्र. 76 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. घर घर जाकर माता-पिता को प्रोत्साहित कर	100
2. शिक्षण एवं पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराकर	50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 2 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 100 % समुदाय व सामाजिक संगठनों का कहना है कि उनके द्वारा घर-घर जाकर माता-पिता को बच्चों के नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है | 50 % का कहना है उनके द्वारा बच्चों को आवश्यक शिक्षण पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है |

प्रश्न क्र. 3 - आपके द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों सम्बन्धी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किस प्रकार किया जाता है |

तालिका क्र. 77 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर सूचना देना	100
2. व्यक्तिगत रूप से जानकारी देकर	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 3 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार **शत प्रतिशत** समुदाय व सामाजिक संगठनों का कहना है कि उनके द्वारा अभिभावकों की मीटिंग बुलाकर एवं व्यक्तिगतरूप से योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है |

प्रश्न क्र. 4 - वर्तमान में सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से कार्य किये जा रहे है |

तालिका क्र. 78 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में

1. ब्लॉक स्तर पर सन्दर्भ कक्ष की स्थापना	50
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था	50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 4 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 50 % समुदाय व सामाजिक संगठनों का कहना है कि ब्लॉक स्तर पर सन्दर्भ कक्ष की स्थापना करके और 50 % ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण की व्यवस्था करके समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है |

प्रश्न क्र. 5 - राज्य में संचालित सामान्य और समावेशी विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण किस प्रकार का है |

तालिका क्र. 79 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. पूर्णतया ठीक नहीं सुधार की आवश्यकता है	50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 5 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 50 % समुदाय व सामाजिक संगठनों का कहना है कि राज्य में स्थित विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण पूर्णतया ठीक नहीं, उसमें सुधार की आवश्यकता है |

प्रश्न क्र. 6 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या-क्या कार्य और प्रयास किये जाते है |

तालिका क्र. 80 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. प्रतिदिन विद्यालय बुलाना	100
2. समस्याओं का समाधान करना	50
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराना	50
4. विद्यार्थियों को आवश्यक साधन-संसाधन उपलब्ध कराना	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि **शत प्रतिशत** समुदाय व सामाजिक संगठनों ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन विद्यालय बुलाते हैं, आवश्यक

साधन- संसाधन उपलब्ध कराते है | 50 % का कहना है कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराते है |

प्रश्न क्र. 7 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न अधिनियमों में किये गए प्रावधान पर्याप्त है या उनमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता है |

तालिका क्र. 81 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. परिवर्तन की आवश्यकता है	100
2. सम्पूर्ण व्यवस्था विद्यालय स्तर पर ही होना चाहिए	50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 7 के संबंध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार **शतप्रतिशत** समुदाय व सामाजिक संगठनों ने कहा कि सभी अधिनियमों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जबकि 50 % ने कहा कि सम्पूर्ण व्यवस्था विद्यालय स्तर पर ही की जानी चाहिए | अत: अधिनियमों के प्रावधानों में वर्तमान आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की जरूरत है |

प्रश्न क्र. 8 - राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से बच्चे कितने लाभान्वित हो रहे है |

तालिका क्र. 82 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. पूर्णतया लाभान्वित हुए है	100
2. बच्चे लाभान्वित हुए है लेकिन सभी नहीं	50

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 8 के संबंध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार **100 %** समुदाय व सामाजिक संगठनों ने माना कि बच्चें लाभान्वित हुए है परन्तु 50 % ने कहा कि बच्चें लाभान्वित तो हुए हैं लेकिन सभी नहीं | अत: निष्कर्ष रूप से कहा जाता है कि योजनाओं का व्यापक प्रचार - प्रसार करने की आवश्यकता है |

प्रश्न क्र. 9 - वे कौन-कौन से कारण हैं जिनकी वजह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा अध्ययन को पूर्ण नहीं किया जाता है या बीच में ही छोड़ दिया जाता हैं?

तालिका क्र. 83 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. परिवार के सदस्यों में अशिक्षा	50
2. परिवार की गरीबी	50
3. सामाजिक कुरीतियाँ (विशेषतया बालिकाओं के प्रति)	50
4. आवश्यक साधनों और संसाधनों की कमी	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 9 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 50 % समुदाय व सामाजिक संगठनों ने माना कि परिवार के सदस्यों की अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक कुरीतियाँ (विशेषतया बालिकाओं के प्रति) प्रमुख कारण है | 100 % ने कहा कि आवश्यक साधनों और संसाधनों की कमी होने के कारण बच्चों द्वारा अध्ययन को पूर्ण नहीं किया जाता है या बीच में ही छोड़ दिया जाता है | अत: समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने एवं विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के अनुरूप आवश्यक साधनों और संसाधनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है |

प्रश्न क्र. 10 - विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और समावेशन के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किये जाते हैं?

तालिका क्र. 84 - समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

समुदाय एवं सामाजिक संगठनों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शाला विकास समिति के द्वारा समस्त कार्य	50
2. सभी बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना	100

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 10 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार **50** % समुदाय व सामाजिक संगठनों ने कहा कि शाला विकास समिति के द्वारा समस्त कार्य किये जाते है जबकि **शत प्रतिशत** ने कहा कि सभी दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उनकी समाज के भागीदारी का बढ़ाने का प्रयास किया जाता है |

4.4.4.7 जनप्रतिनिधियों की साक्षात्कार - अनुसूची की कथनवार विवेचना :-

राजस्थान राज्य के चयनित चारों जिलों के चयनित और उपलब्ध जनप्रतिनिधियों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14 प्रश्नों पर आधारित साक्षात्कार-अनुसूची का उपयोग कर आँकड़ों को प्राप्त किया | प्राप्त आँकड़ों की विस्तृत विश्लेषणात्मक विवेचना इस प्रकार की गई :-

प्रश्न क्र. 1- राज्य में संचालित कौन - कौन सी संस्थाओं या विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश एवं आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती है |

तालिका क्र. 85 – जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश	100
2. शिक्षण संबंधी समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराना	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 1 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार **शतप्रतिशत** जनप्रतिनिधियों ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश के साथ ही शिक्षण संबंधी समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है |

प्रश्न क्र. 2 - राज्य के समस्त विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अध्ययन सम्बन्धी कौन-कौन सी आवश्यक सुविधाएँ नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है |

तालिका क्र. 86 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समस्त आवश्यक साधन संसाधन एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराना – अंग उपकरण, छात्रवृत्ति, भोजन, पुस्तकें, भत्ता, चिकित्सा सुविधा, आपरेशन की व्यवस्था आदि	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 2 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार **शतप्रतिशत** जनप्रतिनिधियों ने कहा कि समस्त आवश्यक साधन, संसाधन एवं सुविधाएँ जैसे- अंग उपकरण, छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, चिकित्सा सुविधा, आपरेशन की व्यवस्था, आवागमन भत्ता आदि आवश्यक सुविधाएँ सभी जरूरतमंद बच्चों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है |

प्रश्न क्र. 3 - राज्य में संचालित कितने विद्यालयों की आधारभूत संरचना एवं उनमें उपलब्ध सुविधाएँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के अनुरूप है|

तालिका क्र. 87 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 3 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार **शतप्रतिशत** जनप्रतिनिधियों का कहना है कि राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की आधारभूत संरचना एवं उनमें उपलब्ध सुविधाएँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के अनुरूप है |

प्रश्न क्र. 4 - राज्य के समावेशी विद्यालयों में मनोवैज्ञानिकों ,मनोचिकित्सकों की सेवाएँ तथा विद्यार्थियों के मेडिकल एवं स्वास्थय परीक्षण की पर्याप्त और नियमित सुविधाएँ कब और कैसे उपलब्ध कराई जाती है |

तालिका क्र. 88 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. नियमानुसार वर्ष में एक या दो बार मेडिकल परीक्षण करना	67
2. चिकित्सकों की सेवाएं नियमित उपलब्ध करना	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 4 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार 67 % जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नियमानुसार वर्ष में एक या दो बार प्रत्येक बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है जबकि सभी ने चिकित्सकों की सेवाएं नियमित उपलब्ध कराने की बात कही है |

प्रश्न क्र. 5 - समावेशी शिक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन-कौन सी योजनाओं और नीतियों का संचालन किया जा रहा है |

तालिका क्र. 89 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शिक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण एवं रोजगार की स्थापना संबंधी समस्त योजनाओं और नीतियों का संचालन |	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 5 के संदर्भ में प्राप्त प्रतिक्रिया के आँकड़ों के अनुसार **शत प्रतिशत** जन प्रतिनिधियों ने कहा कि समावेशी शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा, सामाजिक कल्याण एवं रोजगार की व्यवस्था संबंधी सभी योजनाओं और नीतियों का संचालन किया जा रहा है |

प्रश्न क्र. 6 - समाज सेवी एवं स्वयं सेवी संगठनों और सक्रिय समुदायों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता की राशि कब और कैसे मुहैया कराई जाती है |

तालिका क्र. 90 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1.प्रतिवर्ष समयानुसार	67
2. बजट राशि सम्बंधित विभाग को आबंटित कर	100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 6 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के आधार पर 67 % जन प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रतिवर्ष समयानुसार उपलब्ध कराने एवं शतप्रतिशत ने सम्बंधित विभाग के माध्यम से बजट राशि समाज सेवी एवं स्वयं सेवी संगठनों और सक्रिय समुदायों को उपलब्ध कराने की बात कही |

प्रश्न क्र. 7 - राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है |

तालिका क्र. 91 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा कार्य 2. स्वयं सेवी संगठनों एव समुदाय के व्यक्तियों की सहायता से कार्यक्रम चलाकर	100 100

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 7 के संबंध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार **शत प्रतिशत** जन प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग को निर्देशित कर एवं स्वयं सेवी संगठनों एव समुदाय के व्यक्तियों की सहायता से कार्यक्रम चलाकर विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाता है |

प्रश्न क्र. 8 - क्या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तकनीक के विकास, पर्याप्त शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता हैं ?इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है |

तालिका क्र. 92 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शोध कार्य हेतु छात्रवृति प्रदान करना एवं शोधार्थियों को प्रोत्साहन देना	67

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 8 के संबंध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 67 % जनप्रतिनिधियों ने कहा की राज्य सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्य हेतु छात्रवृति प्रदान की जाती है एवं शोधार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है |

प्रश्न क्र. 9 - सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय में समावेशन को सफल बनाने के लिए आप किन तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं |

तालिका क्र. 93 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शिक्षकों के व्यवहार में बदलाव 2. समाज के नजरिये में परिवर्तन 3. आमजन का सहयोग	100 67 67

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित प्रश्न क्र. 9 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार 100 % जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों के व्यवहार में बदलाव को एवं 67 % ने समाज के नजरिये तथा आमजन के सहयोग को समावेशन का प्रमुख तत्व माना है |

प्रश्न क्र. 10 - सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार और पुनर्वास के लिए क्या कार्य किया जा रहे है |

तालिका क्र. 94 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. समस्त आवश्यक नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन	100
2. आवश्यक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना	67

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 10 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शतप्रतिशत जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस हेतु समस्त आवश्यक नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है एवं 67 % ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समय - समय पर आवश्यक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की बात कही |

प्रश्न क्र. 11 - राज्य में विभिन्न अधिनियमों के लागू होने के बाद भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आज भी शारीरिक और सामाजिक अवरोधकों का सामना करना पड़ता है | इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं |

तालिका क्र. 95 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. योजनाओं और नीतियों का पूर्ण क्रियान्वयन	100
2. सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर	67
3. आमजन का सहयोग प्राप्त कर	33
4. सम्बंधित सभी विभागों द्वारा आवश्यक प्रयास कर	67

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 11 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शतप्रतिशत ने योजनाओं और नीतियों के पूर्ण क्रियान्वयन द्वारा तथा 67 % ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और सम्बंधित सभी विभागों द्वारा

आवश्यक प्रयास करने की बात कही | 33 % ने आमजन के सहयोग से दिव्यांग बच्चों के वृध्दि और विकास में आने वाले अवरोधों को दूर करने की बात कही |

प्रश्न क्र. 12 राज्य में सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं के बाद भी हजारों दिव्यांग बच्चे आज भी शिक्षा से दूर हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं |

तालिका क्र. 96 - जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

जनप्रतिनिधियों से साक्षात्कार से प्राप्त प्रतिक्रिया के संदर्भ बिन्दु	प्राप्त प्रतिक्रिया प्रतिशत (%) में
1. शिक्षा और समाज कल्याण विभाग द्वारा ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर कार्य	100
2. सामाजिक और स्वयं सेवी संगठनों को जिम्मेदारी सौंपना	67

उपरोक्त तालिका में प्रश्न क्र. 12 के सम्बन्ध में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार शतप्रतिशत जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा और समाज कल्याण विभाग द्वारा ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर कार्य करके एवं 67 % ने समुदाय व सामाजिक और स्वयं सेवी संगठनों को जिम्मेदारी सौंपकर दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही |

4.4.5 उद्देश्य क्र - 5 की विवेचना :-

"विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं और नीतियों की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक योजना का सुझाव देना"

राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया | विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु राज्य में विशेष विद्यालयों, पुनर्वास केन्द्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, स्वयं सेवी संगठनों की स्थापना एवं प्रभावशाली नीतियों के क्रियान्वयन के बावजूद हजारों दिव्यांग बच्चे आज भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित है अथवा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं | अत: राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु लागू शैक्षिक नीतियों के पुन: मूल्यांकन करने की आवश्यकता है |

4.4.5.1 नीति प्रस्ताव के प्रमुख लक्ष्य:-

लक्ष्य – 1 नीति प्रस्ताव का पहला लक्ष्य राजस्थान राज्य में "सभी के लिए शिक्षा" अर्थात प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना ताकि उन्हें बेहतर रोजगार प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सके और भविष्य में वे आत्मनिर्भर हो सकें |

लक्ष्य – 2 नीति प्रस्ताव का दूसरा लक्ष्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को यह महसूस कराना कि वे अन्य सामान्य बच्चों के ही समान हैं और उनकी शारीरिक नि:शक्तता कोई अभिशाप नहीं है, साथ ही उचित समावेशन के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में समानता की भावना विकसित करना |

लक्ष्य – 3 नीति प्रस्ताव का तीसरा लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के परिपालन में शिक्षा जैसे विषय का समाज में न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना |

लक्ष्य – 4 नीति प्रस्ताव का चौथा लक्ष्य वर्तमान समय में राज्य के विद्यालयों में उपलब्ध समस्त संसाधनों को समायोजित एवं अनुकूलित करके उन्हें समावेशी शिक्षा की बेहतरी के लिए उपयोगी बनाना |

लक्ष्य – 5 नीति प्रस्ताव का पाँचवा लक्ष्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और समूचे समुदाय को अत्यधिक संवेदनशील बनाना तथा उन्हें यह महसूस कराना कि सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कोई अंतर नहीं है |

लक्ष्य – 6 नीति प्रस्ताव का छठा लक्ष्य केवल शिक्षा के मात्रात्मक पहलुओं पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं करना बल्कि शिक्षा के गुणात्मक पहलूओं का भी मूल्यांकन करना |

लक्ष्य – 7 नीति प्रस्ताव का सातवाँ लक्ष्य विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में नवाचारों के माध्यम से सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के अनुकूल बनाना |

लक्ष्य – 8 प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए नीति प्रस्ताव का आठवाँ एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक सुदृढ़ और संवेदनशील बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में व्याप्त अंतर को समाप्त किया जा सके |

लक्ष्य एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में कुशलता या निपुणता की प्राप्ति (Achieved in an efficient) कैसे की जाए इसे उपरोक्त तालिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है -

तालिका क्र. 97 - लक्ष्य एवं उद्देश्यों के सम्बन्ध में कुशलता / दक्षता की प्राप्ति का विवरण

क्र.	**लक्ष्य** (Goal)	**उद्देश्य** (Objective)	**प्रभावशीलता की माप** (Measure of Effectiveness)
1	सभी के लिए शिक्षा	➢ जीवन में बेहतर समायोजन के लिए कार्यात्मक एवं व्यावहारिक ज्ञान का अधिग्रहण करना | ➢ आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज का कार्यशील सदस्य बनाने के लिए रोजगार क्षमता में वृद्धि करना	➢ शारीरिक रूप से समाज और विद्यालय तक पहुँच बढ़ाना तथा नामांकन पर अधिक जोर देना | ➢ प्रत्यक्ष रूप से एवं मीडिया के सहयोग से गहन और नियमित सम्पर्क अभियान चलाना |
2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना और उनका समावेशन करना	➢ विद्यालय से बाहर / दूर रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विद्यालय में समावेश करना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना | ➢ बच्चों में समानता की भावना का विकास करना | ➢ बच्चों को यह बताना कि नि:शक्तता अभिशाप नहीं है |	➢ माता-पिता एवं बच्चों के साथ गहन एवं व्यापक परामर्श करना | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान शिक्षा नीति एवं प्रणाली का पुन: निर्धारण करना |
3	शिक्षा का निष्पक्ष/ न्याय संगत और समानता के साथ वितरण	➢ लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों का पालन करना |	➢ नीतियों के प्रभावपूर्ण निष्पादन के लिए उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना |
4	संसाधनों का अनुकूलन एवं लागत प्रभावशीलता	➢ मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना | ➢ मौजूदा संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना |	➢ नीति को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाकर मौजूदा संसाधनों का उपयोग करना | ➢ उपलब्ध संसाधनों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें और उपयोगी बनाना |
5	समुदाय में जागरूकता	➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों	➢ मीडिया का हस्तक्षेप |

	लाना और उन्हें अधिक संवेदनशीलता बनाना	की समावेशी शिक्षा के प्रति समुदाय को एकत्रित कर उन्हें संवेदनशील बनाना	➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन | ➢ शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना | ➢ सहायता एवं काल सेंटर की स्थापना | ➢ नागरिक, समाज और स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता बढ़ाना |
6	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना |	➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक ढाँचे के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना | ➢ समावेशी शिक्षा के गुणात्मक पहलुओं का पुनर्मूल्यांकन करना |	➢ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का व्यापक एवं निरंतर मूल्यांकन तथा मूल्यांकन कार्य का उचित क्रियान्वयन | ➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना |
7	सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को समावेशी शिक्षा के अनुकूल बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में बदलाव लाना और नवाचार करना	➢ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय और सभी संबद्ध पक्षों को संवेदनशील बनाना | ➢ शिक्षा प्रणाली को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के अनुकूल बनाने हेतु नवाचार करना ➢ सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली में नवाचार करना |	➢ पाठ्यक्रम में संशोधन करना | ➢ पाठ्यक्रम का संवर्धन करना | ➢ पाठ्यक्रम निर्माण के लिए निचले स्तर से योजना बनाना | ➢ पाठ्यक्रम का आधारभूत ढाँचा विकसित करना |
8	शिक्षा प्रणाली को प्रभावी, सुदृढ़ और	➢ प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना |	➢ निश्चित जवाबदेही तय करना | ➢ प्राथमिक शिक्षकों और अधिकारियों

	जवाबदेह बनाना तथा सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में व्याप्त खाई को पाटना	➢ संबद्ध पक्षों में क्षमता का निर्माण करना |	के लिये पारदर्शी स्थानांतरण नीति | ➢ कार्य की समीक्षा हेतु ऊपर की ओर से नीचे के स्तर की तरफ मासिक बैठकों का आयोजन | ➢ संबद्ध पक्षों को प्रोत्साहन देना |

4.4.5.2 संभावित समाधान –

'सभी के लिए शिक्षा' अभियान समानता और न्याय संगतता के सिद्धांत पर केन्द्रित है | इस अभियान का अंतिम लक्ष्य समाज को समावेशी बनाना तथा सभी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित एवं समाप्त करना है | समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य की सरकार विद्यालयों में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है परन्तु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ राज्य में समावेशी शिक्षा की तुलना करें तो स्थिति बेहतर नहीं है क्योंकि राज्य में सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में अंतराल व्याप्त है | यह सार्वभौमिक स्थिति है और राजस्थान राज्य भी इससे अछुता नहीं है | अभी भी राज्य सरकार को प्रभावी नीति के माध्यम से सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में व्याप्त अंतर को दूर करने पर कार्य करना है |

समावेशी शिक्षा में व्याप्त असमानता के अंतर को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

- सभी श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आस-पास के विद्यालय तक पहुँच को सरल बनाना |
- नियमानुसार विद्यालय खोलने के लिए आवश्यक मानदंडों का पालन करना |
- ब्लॉक एवं जिला स्तर पर दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार समावेशी विद्यालयों की स्थापना करना |
- सभी दिव्यांग विद्यार्थियों का विद्यालयों में नामांकन कराना, नामांकन में वृद्धि करना तथा विद्यालयों में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना |
- विशेष शिक्षकों की सभी विद्यालयों में पर्याप्त नियुक्ति करना और यह भी सुनिश्चित करना की वे नियमित विद्यालय पहुंचे और शिक्षण कार्य करें |

- विद्यालय परिसर में बालक-बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय, पीने का पानी और आवश्यक संसाधनों के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध करना |
- दिव्यांग विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार उपचारात्मक व अनुपूरक शिक्षण देना और उसका मूल्यांकन करना |
- विद्यालय में सभी विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार पुस्तकें, शिक्षण सामग्री और सीखने-सिखाने के समस्त साधनों की व्यवस्था करना |
- ऐसे पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का निर्माण करना जो सभी प्रकार के विद्यार्थियों के अनुकूल हो |
- समावेशी शिक्षा हेतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति शिक्षकों का अनुकूलन, सकारात्मक और भेदभाव से मुक्त व्यवहार |
- सभी प्रकार की हिंसा और दुर्वचन का अभाव तथा सभी प्रकार के शारीरिक दंड पर रोक लगाना |
- सभी बच्चों के लिए पौष्टिक और अच्छी गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था |
- सभी बच्चों के सीखने के स्तर की सतत निगरानी करना, नियमित मूल्यांकन करना और उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करना साथ ही आवश्यकता होने पर उन्हें सहायता प्रदान करना |
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की उचित नीति बनाना |
- समावेशी शिक्षा के प्रति सामुदायिक संवेदनशीलता जुटाने के लिए आवश्यक नीति बनाना |

उपरोक्त सभी कारकों को उचित प्रकार से अमल में लाया जाए साथ ही निगरानी भी रखी जाये तो सभी तक शिक्षा की पहुँच सुलभ हो सकती है और समावेशी समाज के निर्माण की ओर अग्रसर हो सकते हैं | अत: यह कहा जा सकता है की शिक्षा में समानता और न्याय संगतता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ अनेक कार्यों को विस्तारित करना होगा |

4.4.5.3 नीति विकल्प -

राजस्थान राज्य में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति और लक्ष्यों की पहचान करने के लिए तीन अलग-अलग संभावित नीति विकल्पों का सुझाव दिया गया है | जिसमें पहला नीति विकल्प वर्तमान में मौजूद एवं प्रचलित शिक्षा नीति की व्यवस्था को **पूर्ववत** अर्थात **यथास्थिति को बनाए रखना** है तथा दूसरा नीति विकल्प राज्य में

समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समान भागीदारी तय करना** अर्थात निजी क्षेत्र एवं स्वयं सेवी संगठनों को जिम्मेदारी सौंपने के सम्बन्ध में है, जबकि तीसरा नीति विकल्प सभी संबद्ध पक्षों के मौजूदा हितों को सशक्त बनाने के लिए उनके **सक्रिय सहयोग और पूर्ण भागीदारी के साथ उन्हें जवाबदेही एवं उत्तरदायी** बनाने से सम्बंधित है |

4.4.5.3.1 पहला नीति विकल्प - वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था को पूर्ववत / यथास्थिति में बनाए रखना -

राजस्थान राज्य में समावेशी शिक्षा की स्थिति बेहतर नहीं है क्योंकि सामान्य और दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति में अंतराल व्याप्त है | इस अंतर को दूर करने के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है तथा सामान्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है और इस सम्बन्ध में पहला नीति विकल्प यह है की वर्तमान में मौजूद एवं प्रचलित शिक्षा नीति की व्यवस्था को पूर्ववत बनाए रखा जाये | यह नीति विकल्प राजनीतिक नेतृत्व की मंशा के अनुरूप या उसके पक्ष में हो सकता है चूँकि राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवारों की स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत अधिक पिछड़ी अवस्था में है और बहुत कम संख्या में स्थित है इसलिए इन परिवारों के व्यक्ति नीति में परिवर्तन करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने जैसी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाले नहीं है परन्तु मौजूदा स्थिति राजस्थान राज्य में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के समस्त प्रावधानों का पूर्णतया पालन नहीं कर पा रही है जिसके फलस्वरूप राज्य में सरकार के द्वारा सभी के लिए **नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा** के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है |

मौजूदा नीति विकल्प समाज के लोगों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के प्रति सामुदायिक संवेदनशीलता जुटाने में भी असमर्थ है और समाज में समानता का भाव जागृत करने में रुकावट उत्पन्न करती है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावक शिक्षा की मुख्यधारा से नहीं जुड पायेंगे | अत: इस व्यवस्था के फलस्वरूप जब इन्हें सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से असंतुष्ट होंगे तो उनमें सरकार के प्रति असंतोष और अविश्वास का भाव विकसित हो जायेगा | दूसरी और इस प्रकार की स्थितियाँ मीडिया, नागरिकों, स्वयं सेवी संगठनों और विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना करने का अवसर प्रदान करेगी तथा इनमें से किसी भी समूह का व्यक्ति शिक्षा के अधिकार

कानून का पालन नहीं करने पर सरकार के खिलाफ न्याय प्रणाली का सहारा भी ले सकता है और इस सम्बन्ध में न्यायपालिका के किसी भी प्रतिकूल आदेश से राज्य सरकार को हानि हो सकती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के वृद्धि और विकास की गति को प्रभावित कर सकती है | अत: वर्तमान में मौजूद एवं प्रचलित नीति की व्यवस्था को यथास्थिति में बनाए रखना शिक्षा प्रणाली को अधिक संवेदनशील और जवाब देह बनाने में सरकार की असमर्थता और अक्षमता को दर्शाता है जबकि कुछ संबद्ध पक्षों जैसे - शिक्षक संगठन, मौजूद एवं प्रचलित नीति की व्यवस्था को बनाये रखना चाहेंगे जबकि शेष सभी संबद्ध पक्ष मौजूदा नीति व्यवस्था में बदलाव करना चाहेंगे |

4.4.5.3.2 दूसरा नीति विकल्प - सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समान साझेदारी तय करना -

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रत्येक समस्या को हल करने में प्रत्येक संबद्ध व्यक्ति का सहयोग एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है | राजस्थान राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को सफलता पूर्वक लागू करने के लिए सिर्फ राज्य शासन को ही नहीं बल्कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को एक साथ जुटकर कार्य करने की जरुरत है क्योंकि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का दायित्व केवल सरकार का नहीं है अपितु निजी क्षेत्र भी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी है | दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से समावेशी समाज की स्थापना कर समावेशन की प्रक्रिया में जोड़ना होगा | समावेशी शिक्षा का पूर्णरूप से सफल ना होने का मुख्य कारण नौकरशाही की विफलता और राजनीतिक लापरवाही है अत: इस दशा में इस समस्या को हल करने का एक विकल्प यह है कि इसे सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी से सुलझाया जाए तथा समावेशी शिक्षा की कुछ जिम्मेदारी निजी क्षेत्रों व स्वयंसेवी संगठनों को सौंपकर बदलाव लाया जाए | समावेशी शिक्षा के पूर्णतया क्रियान्वयन में राज्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अगर सरकार समावेशी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं करना चाहती है तो राज्य में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालने का दायित्व निजी क्षेत्रों और स्वयं सेवी संगठनों को सौंपने का एक विकल्प सरकार के समक्ष मौजूद है |

वर्तमान समय में निजी क्षेत्र विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं का निराकरण में सार्वजनिक क्षेत्रों के समान ही भूमिका का निर्वहन कर रहा है | वर्तमान समय में निजी क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सेवी संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय एवं कार्पोरेट संगठन, निजी संगठन, ट्रस्ट तथा सोसायटी आदि का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है और इनमें निजी क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि निजी क्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने और आवश्यकतानुसार नवाचार

करने की पूर्ण क्षमता मौजूद होती है अत: राज्य में समावेशी शिक्षा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को समान रूप से दायित्व प्रदान किया जाना चाहिए |

क्या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी की यह नीति राजस्थान राज्य में लागू की जाए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है | यह नीति विकल्प राज्य के लिए संभव भी होगा क्योंकि राज्य के अधिकांश विद्यालय रेगिस्थानी तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही चलाए जाते है | स्वयं सेवी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एवं कार्पोरेट संगठन, निजी संगठन, ट्रस्ट तथा सोसायटी द्वारा किये जाने वाले कार्यो के अनेकों उदाहरण दिखाई दे रहे है तथा इन्हें इस क्षेत्र में सफल भी माना जाता है क्योंकि स्वयं सेवी संगठन अधिक क्षमता और सामर्थ्य रखते हैं तथा समुदाय एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परिवार के साथ मिलकर उनकी समावेशी शिक्षा में गुणवत्ता की मांग को पूरा कर सकते हैं | दूसरी और निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभार्जन करना होता है जो कि छोटे स्तर पर एक मॉडल के रूप में अवश्य कार्य कर सकता है परन्तु सम्पूर्ण राज्य में व्यापक पैमाने पर कार्य कर सफल होना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगा साथ ही इस विकल्प के साथ निजी क्षेत्र का अधिक समय तक बने रहना अर्थात उनकी स्थिरता भी एक बड़ा प्रश्न होगा और इस हेतु एक उचित निगरानी तंत्र के माध्यम से इस प्रभावी विकल्प के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाना होगा |

4.4.5.3.3 तीसरा नीति विकल्प - सभी संबद्ध पक्षों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया जवाबदेही बनाना

विशेष आवश्यकता वाले शत प्रतिशत बच्चों की पहचान, चिन्हांकन एवं उनका समावेशी विद्यालयों में नामांकन कराना साथ ही शिक्षण व्यवस्था करके उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कराना अत्यन्त कठिन कार्य है | नेशनल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 28.07 % एवं राजस्थान के 39.60 % दिव्यांग बच्चों का विद्यालयों में नामांकन नहीं हैं वे आज भी विद्यालयों से बाहर है | अत: विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समावेशित शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार से समक्ष एक बड़ी चुनौती है | वर्तमान शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं की विफलता का प्रमुख कारण नौकरशाहों और राजनीतिक नेतृत्व की लापरवाही है क्योंकि इनके द्वारा नीतियों एवं योजनाओं के सभी पहलुओं पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है | इसलिए यह नीतिगत विकल्प वतर्मान शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की दिशा की तरफ सूचित करता प्रतीत होता है, साथ ही एक सशक्त और उत्तरदायी नियंत्रण

एवं मूल्यांकन प्रणाली के विकास पर भी बल देता है जो की बहुत ही कम खर्चीली प्रकृति की होने के साथ-साथ सभी संबद्ध पक्षों की सक्रिय रूप से सहभागिता तथा जवाबदेही का भी पूर्ण समर्थन करेगी |

इस नीति विकल्प में निम्न लिखित प्रावधानों को शामिल किया जाना उपयुक्त होगा :-

- यह नीति समावेशी शिक्षा के संदर्भ में दोहरे प्रशासन, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग का एकीकरण है क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन पर शिक्षा विभाग और सामाजिक कल्याण विभाग दोनों का ही पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए |
- यह नीति राज्य में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी शिक्षकों और अधिकारियों के लिए पारदर्शी स्थानान्तरण नीति प्रस्तुत करेगी जो शिक्षा विभाग को शिक्षकों और अधिकारियों के लिए पारदर्शी स्थानान्तरण नीति को शीघ्रता से लागू करने और उन्हें जवाबदेह बनाने में सक्षम बनाती है | इस नीति के अधीन स्थानान्तरण होने पर शिक्षक संघों एवं संगठनों को यह बहाना भी नहीं मिल पायगा की राज्य में कोई पारदर्शी नीति नहीं है तथा उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया गया है |
- स्कूली शिक्षा विभाग और अधिकारियों को नीतिगत कार्यों के समय सीमा में कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह रखा जायेगा | समावेशी शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाने के कारण ही राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा में समावेशी शिक्षा की नीतियों को पूर्णतया लागू नहीं कर सकी और कई बार प्राप्त और उपलब्ध निधियों का भी उपयोग ठीक से नहीं किया गया है | अत: यह आवश्यकता महसुस होती है की अभिभावकों, समुदाय के लोगों, सामजिक व्यक्तियों, नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी एवं जिम्मेदारी तय की जाए तथा उनके कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक सटीक प्रणाली की स्थापना करके उन्हें न केवल उत्तरदायी बनाया जायेगा बल्कि राज्य सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया जा सकेगा | जिला और राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी हेतु मासिक बैठकों के आयोजन का प्रावधान भी किया गया ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा सम्बन्धी आंकड़ों पर नजर रखी जाये और प्रत्येक स्तर एवं समय पर मूल्यांकन किया जा सके |

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य विद्यालयों में समावेशन करना जटिल समस्या है और पाठ्यक्रम एक शक्तिशाली उपकरण है इसलिए यह नीति केवल पाठ्यचर्या के विकास पर ही अपना ध्यान केन्द्रित नहीं करेगी बल्कि यह समावेशी शिक्षा की अग्रलिखित प्रमुख पूर्व अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी जैसे - (i) विद्यालयीन शिक्षा से दूर या बाहर के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु परामर्श सुविधा देना एवं बच्चों को तैयार करना (ii) समावेशी शिक्षा हेतु मौजूद समस्त विद्यालयों को तैयार करना (iii) अभिभावकों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना (iv) शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पक्ष में संवेदनशील बनाकर समावेशी शिक्षा हेतु तैयार करना (v) समावेशी शिक्षा के प्रति समुदाय में जागरूकता उत्पन्न कर उन्हें समावेशी शिक्षा से जोड़ना आदि को इसमें शामिल करती है |
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक नियमित विद्यालय में नामंकित होने से पूर्व कुछ तैयारियां करने की आवश्यकता होती है अत: इस नीति के प्रावधानों में ऐसे शिक्षकों को शामिल किया जायेगा जो पूर्व प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं इसलिए यह नीति संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में "**आदर्श समावेशी विद्यालय**" विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करती है | यह कार्य केवल विद्यालयों को बाधा रहित करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्ष, पाठ्यक्रम को भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के अनुकूल होना चाहिए | प्राय: यह देखने में आता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण मुख्यधारा में शामिल करने के लिए तैयार नहीं होते है इसी कारण विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विद्यालय में नामांकित नहीं हो पाते अथवा उन्हें अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ता है अत: उनको यह सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें समावेशी शिक्षा का हिस्सा बनना होगा |
- यह नीति सेवा पूर्व और पश्चात के शिक्षक प्रशिक्षण पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है ताकि उन्हें समावेशी शिक्षा और उसके लाभ के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके क्योंकि शिक्षक ही प्रथम संबद्ध पक्ष है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में समायोजित करने का कार्य करेगा, दूसरी और राज्य में विशेष शिक्षा में

प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है अत: राज्य में विशेष सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण चलाने पर बल दिया जाना चाहिए |

- शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से ही नागरिक समुदाय, समाज, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और जनप्रतिनिधियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता के साथ समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष जागरूकता अभियानों के आयोजन पर जोर दिया जायेगा |
- राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में गैर सरकारी एवं निजी संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाए भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है इसके साथ ही वे और अधिक बच्चों को विद्यालयीन शिक्षा से जोड़ने के इच्छुक भी है | इसलिए इस नीति में यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर होने वाले व्ययों की कुछ हद तक पूर्ति की जाए अर्थात उन्हें आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान की जा सके |
- समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य और प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों, अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य संबद्ध पक्षों के लिए प्रोत्साहन नीति को लागू करने के साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित किया जाना होगा |
- सभी पक्षों के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए एक उचित नीति का क्रियान्वयन करना होगा | यह नवीन नीति समावेशी शिक्षा एवं दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिकता एवं गतिशीलता के दृष्टिकोण पर आधारित होगी |
- यह नीति इस ओर भी ध्यान केंद्रित करेगी कि सम्पूर्ण समुदाय में जागरूकता उत्पन्न कर समावेशी शिक्षा के पक्ष में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाए कि प्रत्येक अभिभावक अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय में नामांकित करे और प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो इसके फलस्वरूप शाला छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आयेगी |

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पाठ्यक्रम के साथ उनकी क्षमता अनुसार विविध प्रकार का रोजगार उन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा इस हेतु प्रशिक्षण विद्यालयों एवं संस्थाओं की स्थापना की जायेगी |
- शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्म निर्भर बनाना है अत: सभी विद्यालयों में स्थानीय कला और हस्त शिल्प सम्बन्धित क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि अधिक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की हस्त शिल्प कलाओं जैसे - कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, चित्रकला, मेंहन्दी, नृत्य व संगीत, काष्ठ कला, मिट्टी के खिलौने आदि में निपुणता हासिल कर अपनी क्षमताओं को विकसित कर आत्मनिर्भर बन सकें |
- समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए एक नई रूप रेखा तैयार की जाए जिसके अनुसार सभी विद्यालयों में शारीरिक, भाषाई, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक एवं अन्य स्थिति में भिन्नता होने के बावजूद भी सभी बच्चों का समायोजन किया जाए | इस हेतु पाठ्यक्रम, विद्यालय भवन तथा अध्यापन एवं शिक्षण तकनीक में बदलाव कर उपलब्ध आधारभूत संरचना के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जायेगा |
- इस नीति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, उन्हें उपचार देना, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना, विद्यालयों में समाकलन कर शिक्षण एवं देखभाल की व्यवस्था कराना, पुनर्वास करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा सभी विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने का भी प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा |
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए सीखने योग्य वातावरण निर्मित कराना तथा निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे उचित व्यवसाय का चयन कर सके | इसके लिए राज्य, जिला एवं प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर निर्देशन एवं परामर्श विभाग की स्थापना करना ताकि उन्हें शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकें |
- ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करने वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की प्रमुख बाधा आवागमन के साधनों की उपलब्धता न होने की है क्योंकि विविध प्रकार की नि:शक्तता के कारण

अभिभावक उन्हें नियमित विद्यालय नहीं भेज पाते या विद्यालय भेजना बंद कर देते हैं इसलिए ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवागमन के साधनों की स्थाई व्यवस्था की जाये |

- दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन कर विद्यालय स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवास की व्यवस्था कर बच्चों के संरक्षण के उपाय करना चाहिए ताकि कोई भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ने से वंचित ना रहे |

इस नवीन नीति में नागरिकों, मीडिया, समुदाय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता की सक्रिय भागीदारी के जरिये अधिक पारदर्शिता आयेगी | राजस्थान सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया जाएगा क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति, सक्रिय प्रेरणा और समर्थन की जरुरत है, इसके साथ ही शिक्षा विभाग को भी यह सावधानी रखना होगी कि इस नीति के तत्व प्रचलित प्रणाली के किसी भी संबद्ध पक्ष को प्रभावित न कर सकें |

4.4.5.4 नीति विकल्प के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड:–

नीतियों के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके एवं तकनीकों या विधियों को विकसित किया गया है जो की अलग-अलग नीति के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है जैसे - स्वॉक विश्लेषण (SWOC Analysis**)** मानदंड वैकल्पिक मैट्रिक्स, प्रभाव क्षेत्र अध्ययन, सामान्य नीतियाँ आदि | नीति विकल्पों का मूल्यांकन एक या अधिक तकनीकों द्वारा किया जा सकता है | अत: वर्तमान स्थिति में नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए दो तकनीकों का उपयोग किया गया है -

(1) मानदंड या कसौटी वैकल्पिक आव्यूह **(**Criteria Alternative Matrix**)**

(2) स्वॉक विश्लेषण आव्यूह (Swoc Analysis Matrix**)**

4.4.5.4.1 मानदंड या कसौटी वैकल्पिक आव्यूह (Criteria Alternative Matrix**):-** मानदंड या कसौटी वैकल्पिक आव्यूह (CAM) को दो प्रकार से उपयोग में लाया जाता है, **प्रथम** कसौटी वैकल्पिक आव्यूह (अनुबन्ध-5) में जो राजनीतिक व्यावहारिकता, कार्यशीलता, प्रभाविता, सामाजिक समता और स्वीकरण जैसे मानदंडों को ध्यान में रखते हुए भारित गणना के उच्चतम प्राप्तांक को प्रदर्शित करता है | जिसमें प्रत्येक मानदण्ड को 1 से 5 पैमाने पर (सर्वोच्च -5 तथा निम्नतम- 1) भार उसके महत्व तथा विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर निश्चित किया गया तथा

प्रत्येक नीति के विकल्प को विभिन्न सम्बद्ध पक्षों द्वारा दिए गए महत्त्व और क्षमता के आधार पर एक निश्चित अंक (1 -5) प्रदान किया गया | जो नीतिगत विकल्प प्राप्त हुए हैं उन सभी नीति विकल्पों द्वारा प्राप्त किये अंकों के आधार पर अन्तिम स्थिति (Ranking) तैयार की गयी एवं मौजूदा एवं उपलब्ध परिस्थितियों में उच्चतम प्राप्तांक वाले नीति वैकल्पिक को सबसे अच्छा संभव विकल्प माना गया है | प्रत्येक नीति विकल्प द्वारा प्राप्त किये गए प्राप्तांकों का विवरण निम्न मापदंडों पर आधारित है |

(I) राजनीतिक व्यावहारिकता (भार 5) – प्रथम, किसी भी सरकार के सक्रिय समर्थन और हस्तक्षेप के बिना कोई भी योजना या नीति सफल नहीं हो सकती है, द्वितीय की 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' में निहित प्रावधानों का पालन करने और 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य के विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का सरकार के पास अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है | इसलिए राजनीतिक व्यावहारिकता को 5 भार दिया गया है |

(II) कार्यशीलता (भार 4) – दक्षता को अधिक भार इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि दक्षता के आधार पर ही किसी नीति के मापदंडों की तुलना उस नीति से की जा सकती है जो कि अधिक बेहतर है | एक कुशल प्रणाली के अभाव में किसी नीति के आधार पर लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है अत: कार्यशीलता को 4 भार दिया है |

(III) प्रभाविता (भार 4) - कोई नीति चाहे उचित है और उसकी व्यवस्था एवं क्रियान्वयन प्रणाली भी कुशल है लेकिन अगर वह प्रभावी नहीं है तो भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है | अत: सम्पूर्ण क्रियान्वयन प्रणाली को बहुत ही प्रभावी होना चाहिए इसलिए प्रभाविता को 4 भार दिया गया है |

(IV) सामाजिक समता (भार 5) - राज्य सरकार पर विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं के द्वारा यह आरोप लगाया गया है की वह समाज के पिछड़े व कमजोर वर्ग, विशेष कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए शिक्षा' जैसी अनिवार्य सेवाओं का न्यायसंगत वितरण करने में पूर्णतया समर्थ नहीं है जो की कल्याणकारी राज्य के सिध्दांतों के विपरीत है अत: इसके लिए उच्च भार का 5 निर्धारण किया गया है |

(V) स्वीकार्यता (भार 2) - एक नीति के प्रस्ताव जितने अधिक स्वीकार्य होंगे उसके सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है क्योंकि सरकार को 'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना ही पड़ता है अत: यहाँ निम्नतम भार (2) का निर्धारण किया गया है |

तालिका क्र. 98 **- मानदंड या कसौटी वैकल्पिक आव्यूह (Criteria Alternative Matrix)**

मानदण्ड भार (CRITERION WEIGHTS)	**संभव विकल्प -1** प्रचलित व्यवस्था को पूर्ववत बनाए रखना		**संभव विकल्प - 2** सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की समान भागीदारी		**संभव विकल्प –3** सभी संबद्ध पक्षों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया जवाबदेही बनाना	
	प्राप्तांक	**संयुक्त भार = प्राप्तांक x भार**	**प्राप्तांक**	**संयुक्त भार = प्राप्तांक x भार**	**प्राप्तांक**	**संयुक्त भार = प्राप्तांक x भार**
राजनीतिक व्यावहारिकता (5) (Political Feasibility)	4	4x5 = 20	2	2x5 = 10	4	4x5 = 20
कार्यशीलता (4) (Efficiency)	2	2x4 = 8	4	4x4 = 16	3	3x4 = 12
प्रभाविता (4) (Effectiveness)	2	2x4 = 8	4	4x4 = 16	4	4x4 = 16
सामाजिक समता (5) (Social Equity)	2	2x5 = 10	3	3x5 = 15	4	4x5 = 20
स्वीकार्यता (2) (Acceptability)	1	1x2 = 2	1	1x2 = 2	1	1x2 = 2
कुल प्राप्तांक (Total Score)		**48**		**59**		**70**
श्रेणी (Rank)		**3**		**2**		**1**

(अनुवर्ती कसौटी का ब्यौरा, दिए गये भार और प्रत्येक नीति के विकल्प द्वारा प्राप्त किये गए अंक है)

द्वितीय, वैकल्पिक आव्यूह लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमताओं के माध्यम से सभी नीति विकल्पों का मूल्यांकन करता है | सभी नीति के विकल्पों को अंकों (सर्वोच्च -5 तथा निम्नतम- 1) के अनुसार

लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना के आधार पर परीक्षण किया जाता है | प्राप्तांक को निर्धारित कर लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है | प्रत्येक नीति विकल्प के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम निर्णायक श्रेणी तैयार की जाती है जो कि नीति का सबसे अच्छा विकल्प है |

तालिका क्र. 99 - लक्ष्य और उद्देश्य विकल्प आव्यूह (Goal and Objectives Alternative Matrix)

नीति के लक्ष्य और उद्देश्य	**नीति विकल्प -1** प्रचलित व्यवस्था को पूर्ववत बनाए रखना	**नीति विकल्प - 2** सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की समान भागीदारी	**नीति विकल्प - 3** सभी संबद्ध पक्षों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया जवाबदेही बनाना
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के द्वारा - "**सभी को शिक्षा**" देना	**2**	**4**	**5**
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना और उनका समावेशन करना	**3**	**3**	**5**
शिक्षा का निष्पक्ष/ न्याय संगत और समानता के साथ वितरण	**2**	**3**	**4**
संसाधनों का अनुकूलन - साधनों का अधिकतम उपयोग कर लाभ उठाना एवं उन्हें लागत प्रभावी बनाना	**2**	**2**	**5**
सामुदायिक एकत्रीकरण करना एवं उनमें संवेदनशीलता लाना	**2**	**3**	**5**
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना	**2**	**3**	**4**
सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली एवं पाठ्यक्रम में नवाचार लाना एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के अनुकूल बनाना	**3**	**4**	**3**
प्रभावशीलता प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्रणाली को	**2**	**3**	**4**

प्रभावी, सुदृढ़ और जवाबदेह बनाना तथा सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की खाई को पाटना			
प्राप्तांक (Score)	**18**	**25**	**35**
श्रेणी (Rank)	**3**	**2**	**1**

4.4.5.4.2 स्वॉक विश्लेषण आव्यूह (Swoc Analysis Matrix):-

किसी भी नीति की मजबूती, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों को पहचानने के लिए स्वॉक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है | स्वॉक विश्लेषण तकनीक का अविष्कार 1960 के दशक में अल्बर्ट एस हम्फ्रे ने किया था | इस विषय के अंतर्गत तीनो नीति विकल्पों के लिए स्वॉक विश्लेषण तकनीक का उपयोग कर प्रत्येक नीति की मजबूती, कमजोरी, अवसरों और खतरों की पहचान की गयी क्योंकि स्वॉक विश्लेषण (SWOC ANALYSIS) आव्यूह नीति ही विश्लेषक को किसी नीति की ताकत, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचने में सक्षम बनाती है |

तालिका क्र. 100 - स्वॉक विश्लेषण आव्यूह (SWOC Analysis Matrix**)**

	विकल्प -1 प्रचलित व्यवस्था को पूर्ववत बनाए रखना	**विकल्प - 2** सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की समान भागीदारी	**विकल्प - 3** सभी संबद्ध पक्षों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा प्रणाली को पूर्णतया जवाबदेही बनाना
मजबूती (Strength)	➢ राजनीतिक नेतृत्व के लिए सुखद | ➢ व्यवस्थापक / अधिकारी वर्ग के लिए सहज ➢ राजनीतिक रूप से अधिक व्यवहार्य ➢ शिक्षक संघों में हर्ष	➢ अत्यधिक लचीलापन ➢ अधिक सुगम संचार ➢ संतुलित विकास ➢ बेहतर जवाबदेही ➢ प्रभावशाली ➢ केंद्रित दृष्टिकोण	➢ अधिक प्रभावशाली ➢ जवाबदेह और जिम्मेदारी ➢ अत्यधिक किफायती ➢ सामुदायिक स्वामित्व एवं अधिकार ➢ रचनात्मक

			➢ शिक्षकों पर पूर्ण नियंत्रण ➢ राजनीतिक रूप से व्यवहार्य
कमजोरी (Weaknesses)	➢ शिक्षा का अधिकार कानून के अनुपालन में असमर्थ ➢ सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं ➢ शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता नहीं ➢ आवंटित बजट राशि खर्च करने में असमर्थ ➢ शिक्षकों और अधिकारियों में कार्यक्षमता की कमी ➢ लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों के खिलाफ ➢ असमान विकास ➢ लैंगिक अंतर को बढ़ावा	➢ शहरी क्षेत्र पर केन्द्रित ➢ निजी क्षेत्र का शहरी क्षेत्र में अधिक रुचि लेना ➢ ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित नहीं ➢ लाभ उन्मुखी होना ➢ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य हित संघर्ष ➢ अत्यधिक खर्चीला ➢ विशिष्ट वर्ग	➢ सभी संबद्ध पक्षों को सक्रिय करना आसान नहीं ➢ अधिकारियों और शिक्षकों में अल्प क्षमता ➢ समुदाय संचालन तंत्र को जुटाना आसान नहीं ➢ अभिप्रेरणा का निम्न स्तर ➢ बेहतर मानिटरिंग और मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित करना आसान नहीं
अवसर (Opportunity)	➢ समाज और समुदाय का समर्थन ➢ मीडिया का समर्थन ➢ अधिक धन प्राप्त करना संभव	➢ अपनी योग्यता एवं कार्य क्षमता को साबित करना	➢ साख /सदभाव निर्मित करना ➢ केन्द्र सरकार से अधिक संसाधन प्राप्त करना ➢ चारों ओर से समर्थन प्राप्त करना
चुनौतियाँ (Challenges)	➢ माता-पिता या नागरिक समुदाय व समाज	➢ सभी स्तरों पर सार्वजनिक और निजी	➢ संबद्ध पक्षों से खतरा ➢ शिक्षक संघों से ख़तरा

	न्यायलय की शरण ले सकते है जिसके फल स्वरूप सरकार की छवि बिगड़ सकती है।	क्षेत्र के बीच संघर्ष	

4.4.5.4.3 सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक का चयन:- सभी विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट है की नीति का तीसरा विकल्प राजस्थान में समावेशी शिक्षा के ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करने सम्बंधित सभी प्रकार के विषयों, मुद्दों और कठिनाइयों को हल करने में सक्षम है।

मानदंड वैकल्पिक आव्यूह (Criteria Alternative Matrix**)** से ज्ञात होता है कि **तीसरा** नीति विकल्प अन्य नीति विकल्प से ना केवल राजनीतिक रूप से ही व्यवहार्य नहीं है बल्कि यह अन्य विकल्पों की तुलना में अत्यधिक लागत प्रभावी एवं मितव्ययी भी है क्योंकि यह नीति विकल्प वर्तमान में उपलब्ध समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों का एक साथ उपयोग करेगा तथा शिक्षकों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों में दक्षता वृद्धि होने से उन्हें दीर्घकालिक अवधि तक लाभान्वित करेगा। क्रमानुसार **दूसरा** नीति विकल्प भी अधिक दक्ष एवं प्रभावपूर्ण हो सकता है लेकिन मात्र दक्षता व प्रभाविता के आधार पर इसे बेहतर विकल्प के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विकल्प लागत रूप से प्रभावी नहीं है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी पूर्णतया पहुँच नहीं है इसलिए इसे बड़े पैमाने एवं विस्तृत रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है।

लक्ष्यों और उद्देश्य वैकल्पिक आव्यूह (Goal and objectives alternative matrix) भी यह प्रदर्शित करता है की नीति का तीसरा विकल्प सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में अन्य सभी विकल्पों की तुलना में अधिक बेहतर क्षमता व सामर्थ्य रखता है। यह न केवल 'सभी के लिए शिक्षा' को सुनिश्चित करेगा बल्कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रभावित करने वाली सेवाओं के न्यायसंगत वितरण को भी सुनिश्चित करता है।

स्वॉक विश्लेषण आव्यूह (SWOC Analysis Matrix) के अनुसार वर्तमान व्यवस्था को पूर्ववत बनाए रखना राजनीतिक नेतृत्व के अनुरूप हो सकता है क्योंकि शिक्षक संगठन वर्तमान व्यवस्था से सन्तुष्ट है और समस्त राजनीतिक दल भी शिक्षक संगठन को बड़ा वोट बैंक मानकर खुश रखना चाहते हैं। तीसरा नीति विकल्प पुन: राजनीतिक रूप से व्यवहार्य हो सकता है क्योंकि पारदर्शी स्थानान्तरण प्रणाली पूर्ण जवाब देही और बेहतर निगरानी

तथा मूल्यांकन प्रणाली के साथ मिलकर सरकार को शिक्षकों और अधिकारियों पर उचित रूप से नियंत्रण रखने का अवसर प्रदान करेगी |

हालांकि निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संगठनों के साथ अधिक प्रभावी और अभिनव हो सकते हैं एवं समुदाय, नागरिक, मीडिया, समाज और अन्य सभी संबद्ध पक्षों को एक जुट करने के लिए परिवर्तनीय, प्रभावी और संगठित हो सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य में एवं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, जहां ना तो उनकी पहुंच है और ना ही मानव संसाधन उपलब्ध है ऐसे स्थानों पर नीति को विस्तारित कर उसको अमल में लाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा | अत: यह विकल्प लागत रूप से मितव्ययी समाधान नहीं हो सकता है | तीसरा नीति विकल्प अन्य की तुलना में अधिक लागत प्रभावी एवं अल्प व्ययी होगा क्योंकि स्वॉक विश्लेषण आव्यूह में तीसरे नीति विकल्प को ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प के

रूप में प्रदर्शित किया गया है | वर्तमान सरकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना चाहेगी क्योंकि वह समस्त मानवीय संसाधनों की क्षमता, वृद्धि और विकास की गति को तीव्र करना चाहती है |

4.4.5.5 चुनौती विश्लेषण (Risk Analysis):-

परिवर्तन समय की आवश्यकता है परन्तु इसे सदैव स्वीकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही नीति में परिवर्तन होना इसका अपवाद नहीं है | प्रस्तुत नीति वैकल्पिक में परिवर्तन करने में सबसे बड़ा जोखिम शिक्षक संगठन का होगा जो नीति में हुए परिवर्तन का विरोध करेंगे परन्तु सरकार शिक्षकों के सम्बन्ध में यदि पारदर्शी हस्तांतरण नीति को अपनाती है तो समूचे शिक्षक समुदाय को समझाने और अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी | अनेक बातें तो सरकार की वचनबद्धता, कार्य एवं मूल्यांकन प्रणाली को विकसित करने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी जिसमें नागरिक, समाज और समुदाय की सक्रीय भागीदारी हो परन्तु सम्बन्धित अधिकारी इसे अपने अधिकार क्षेत्र में एक अनुचित हस्तक्षेप के रूप में मानेंगे और इसकी सफलता को क्षीण (दुर्बल) करने की कोशिश कर सकते हैं इसके साथ ही समस्त विभागों के साथ समन्वय रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी |

4.4.5.6 क्रियान्वयन की रणनीति:-

(i) समाज कल्याण एवं शिक्षा विभाग की जवाबदेही तय करना - सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया इसलिए अब सरकार को इस सम्बन्ध में एक जवाबदेही तंत्र विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा | जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक मासिक बैठक के आयोजन की आवश्यकता है जिसमें मुख्य रूप से समुदाय, शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व रूप में शामिल किया जाये ताकि बैठक में प्रगति पर चर्चा कर एवं उसका मूल्यांकन किया जा सके | जिला कलेक्टर के बैठक में शामिल होने से शिक्षा विभाग सभी समन्वय सम्बन्धी मुद्दों से निपटने में सक्षम होगा | निदेशालय स्तर पर भी एक मासिक बैठक शिक्षा विभाग के सभी जिला प्रमुखों के साथ समुदाय के सदस्यों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधित्व के रूप में सुनिश्चित की जाए इसमें उन मुद्दों को हल किया जाना संभव होगा जिन पर जिला स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है |

(ii) पारदर्शी पद स्थापना नीति - क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर शिक्षकों और अधिकारियों के लिए बनायी गयी पारदर्शी पदस्थापन नीति अच्छे शिक्षकों और बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के प्रेरणा स्तर में निश्चित ही वृद्धि करेगी | अध्ययन से पता चला है की कई समस्याएं राजस्थान राज्य में नियुक्त शिक्षकों और अधिकारियों के अनियमित पदस्थापन से सम्बंधित है जिसकी मीडिया ने भी कई बार आलोचना की है अत: पारदर्शी पदस्थापना नीति ही अनेक मुद्दों का समाधान कर पायेगी | किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में केवल अधिकारियों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है | यह नीति बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों और अधिकारियों को उनके कार्यकाल की स्थिरता प्रदान करेगी |

(iii) संबद्ध पक्षों हेतु दक्षता वृद्धि कार्यक्रम - पूर्व में भी यह उल्लेखित किया गया है राजस्थान राज्य में समावेशी

शिक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है और प्रशिक्षित अध्यापकों के बिना राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं | अत: दक्षता वृद्धि कार्यक्रम की एक श्रृंखला शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग व अन्य अधिकारियों के लिए ही नहीं अपितु समुदाय के सदस्यों,

प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी, ग्रामीण स्तर पर जन प्रतिनिधियों आदि सभी के लिए दक्षता वृद्धि कार्यक्रम किया जाना आवश्यक है |

(iv) समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन – सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करने के लिए अभिभावकों को शामिल करने और सभी दिव्यांग बच्चों को विद्यालय पँहुचाने हेतु समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने एवं संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए | प्रत्येक विद्यालय में शाला प्रबंध एवं विकास समिति का गठन कर उसकी मासिक बैठकों का आयोजन किया जाए | विद्यालय में शिक्षक पालक संघ का भी गठन किया जाए ताकि पालकगण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में चिंतन मनन कर सकें | इस हेतु उन्हें स्वयं सेवी संगठनों की सहायता से कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाए |

(v) स्वतंत्र प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली - विफलता ही सफलता की कुंजी है और किसी नीति को विधिवत रूप से लागू करना एक सतत प्रक्रिया है | एक नीति अवधारणात्मक रूप से बहुत अच्छी हो सकती है परन्तु कई बार उसका क्रियान्वयन करना अत्यन्त ही कठिन हो जाता है इसलिए अपने सबल पक्ष और कमजोर पहलुओं के बारे में सतत रूप से जानने के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है और यह कार्य किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से ही किया जा सकता है | अत: नीति के प्रभावी मूल्यांकन के लिए ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर सामाजिक निरीक्षण समितियाँ अत्यधिक उपयोगी साबित होगी |

4.5 उपसंहार :-

प्रस्तुत अध्याय में शोधकर्ता द्वारा शोध समस्या के समाधान हेतु उद्देश्यानुसार चयनित संबद्ध पक्षों से पूर्व में तय उपकरणों अनुसार आँकड़ों का संग्रहण किया गया और प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण तालिका और रेखाचित्र के माध्यम से किया | शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष, परिसीमाओं, सीमाओं एवं शैक्षिक निहितार्थ, सुझावों का वर्णन अध्याय पाँच में किया गया | साथ ही शोध अध्ययन के अध्याय 1 से 5 के प्रमुख बिंदुओं का सारांश भी प्रस्तुत किया गया है |

---------*****--------

अध्याय – पंचम

निष्कर्ष,

शैक्षिक निहितार्थ,

सुझाव एवं सारांश

निष्कर्ष, शैक्षिक निहितार्थ, सुझाव एवं सारांश

पिछले अध्याय में शोध अध्ययन हेतु निर्धारित विभिन्न उपकरणों के उपयोग से प्रदत्तों का संकलन किया और संकलित किये आंकड़ों का विश्लेषण तथा विवेचना के पश्चात परिमाण प्राप्त किये गए तत्पश्चात प्राप्त परिणामों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की गई | प्रस्तुत अध्याय में शोध के निष्कर्ष, सुझाव, सीमाओं, परिसीमाओं एवं शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन किया गया एवं प्रस्तुत शोध अध्ययन का सारांश भी प्रस्तुत किया गया है |

5.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि:-

शिक्षा की प्रक्रिया मनुष्य जीवन में निरंतर चलती रहती है और भारत में भी आदिकाल से ही शिक्षा की महत्ता को स्वीकार किया गया है | प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप अनौपचारिक था तथा यह सर्व सुलभ नही थी परन्तु वर्तमान भारतीय समाज में शिक्षा एक पृथक व विशेषीकृत औपचारिक प्रक्रिया बन गई है जिसका पालन करने हेतु विभिन्न प्रकार की औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करती है, दुसरी और कुछ अनौपचारिक संस्थाए जैसे – परिवार, समुदाय, स्वयं सेवी संगठन एवं धार्मिक संस्थाएँ भी है जो कि विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करती है |

शैक्षिक प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक संरचना की प्रथम कड़ी है एवं भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में प्राथमिक शिक्षा का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है | माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर पूर्णतया प्राथमिक शिक्षा की नींव पर ही निर्भर करता है | इसलिए सरकार यह सुनिश्चित करे की तत्कालीन शिक्षा प्रक्रिया में सभी बच्चों को अवरोधहीन और बाधामुक्त वातावरण में प्राथमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो | अत: 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों (सामान्य एवं दिव्यांग) का विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकन करके तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था एवं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करके ही एक कुशल गणतंत्र और सबल राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है |

समस्या का कथन

“राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन”

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

5.2 प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष:-

वर्तमान अध्ययन में शोध समस्या के समाधान हेतु शोधकर्ता ने पांच शोध उददेश्यों का निर्धारण किया एवं निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ही प्रदत्तों का संकलन कर उनका विश्लेषण कर परिणामों की विवेचना की | उद्देश्यवार आंकड़ों के विवेचन एवं विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष का उल्लेख इस प्रकार किया गया है :-

5.2.1 - उद्देश्य क्र .1 के आंकड़ों की विवेचना एवं विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत है :-

(I) विद्यालयों की परीक्षण सूची से प्राप्त निष्कर्ष -

1. 73.91 % विद्यालयों में ही विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार नियमानुसार शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का अनुपात उपलब्ध है अर्थात एक चौथाई विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी है |
2. 8.70 % विद्यालयों में ही विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है, शेष विद्यालयों में प्रति नियुक्ति पर या अस्थाई रूप से शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है |
3. 10.87 % विद्यालयों के शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा है, जबकि 89.13 % शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा के संबंध में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और ना ही प्रशिक्षित है |
4. 91.30 % विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ और शुद्ध पीने का पानी व जल प्राप्ति के स्त्रोत उपलब्ध है |
5. 95.65 % विद्यालयों में सामान्य विद्यार्थियों (बालक एवं बालिकाओं) के लिए पृथक-पृथक शौचालय उपलब्ध है |
6. 23.91 % विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये विशेष शौचालय का निर्माण किया गया है जबकि 76.09 % विद्यालयों में विशेष शौचालय उपलब्ध नहीं है |
7. 76.09 % विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्यानुसार कक्षा-कक्ष उपलब्ध है एवं 50 % विद्यालयों में विद्यार्थियों को बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध कराया जाता है लेकिन दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष फर्नीचर की कोई व्यवस्था किसी भी विद्यालय में उपलब्ध नहीं है |
8. 91.30 % विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय भवन में रपट (रैम्प) का निर्माण किया गया है |

9. 45.65 % विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल मैदान उपलब्ध है |
10. 78.26 % विद्यालयों के भवनों की बनावट एवं संरचना विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा के अनुकूल है | 95.65 % विद्यालय भवनों के चारों और चार दीवारी/ बाउंड्रीवॉल बनी हुई है |
11. 17.39 % विद्यालयों में अधिगम को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं तथा कम्प्युटर एवं इंटरनेट के प्रयोग की सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है |
12. 50 % विद्यालयों में विशेष एवं सामान्य विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है तथा विद्यार्थियों को चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है परन्तु किसी भी विद्यालय में बच्चों को मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है |
13. 21.74 % विद्यालयों में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन जैसे - रेडियो, टेपरिकॉर्डर, ऑडियो-वीडियो कैसेट्स, टेलीविजन, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन आदि उपलब्ध होते हैं |
14. 28.26 % विद्यालयों में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, कंप्यूटर ब्रेल प्रणाली आदि आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं |
15. 26.09 % विद्यालयों में शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, सर्जिकल एवं मोल्डेड शूज, केलिपर्स तथा विशेष फर्नीचर एवं उपयोगी साधन मौजूद हैं |
16. 9.56 % विद्यालयों में मानसिक मंद विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, आचरण संबंधी शिक्षा, घरेलू कार्य करने, स्वयं की सुरक्षा करने आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है |
17. 30.43 % विद्यालयों में अभिभावकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश में शैक्षणिक प्रशिक्षण, परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है |
18. 97.83 % विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित समस्त पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण किया जाता है |
19. 93.48 % विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सूचना देने के लिए सूचना बोर्ड एवं सम्प्रेषण सामग्री मौजूद है |

20. 95.65 % विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन नियत समय पर किया जाता है |
21. 10.87 % विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं के द्वारा शैक्षिक अधिगम वृद्धि का प्रयास किया जाता है |
22. 95.65 % विद्यालयों के शिक्षक विद्यार्थियों के अनुकूल उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं |
23. 91.30 % विद्यालयों का वातावरण विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के शिक्षण के अनुकूल एवं बाधा रहित है |

(II) विद्यार्थियों की अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष -

1. 94 % दिव्यांग विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने आते हैं | 22 % अपने माता-पिता के साथ, 21 % अपने भाई-बहनों के साथ जबकि 56 % अपने सहपाठियों के साथ प्रतिदिन विद्यालय पहुँचते हैं |
2. 84 % दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ने - लिखने में सहायता व मदद करते है एवं 72 % विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु या प्रकरण समझ में आता है |
3. 78 % विद्यार्थियों को विद्यालय में बैठने के लिए फर्नीचर, चिकित्सा सुविधा एवं खेल का सामान प्रदान किया जाता है | 65 % विद्यार्थियों के स्वीकार किया कि उन्हें विद्यालय में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है |
4. 42 % विद्यार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है |
5. 63 % विद्यार्थियों को शारीरिक आचरण एवं सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, मानसिक, हस्तशिल्प व घरेलु कार्यों सम्बन्धी कोई प्रशिक्षण विद्यालय में प्राप्त नहीं होता है |
6. 77 % दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों का व्यवहार मित्रवत तथा 21 % के साथ सामान्य रहता है | 95 % विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति, गणवेश एवं पुस्तकें प्राप्त होती है |
7. 67 % विद्यार्थियों ने कहा कि विद्यालय में ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, ब्रेल अनुदेशक एवं कंप्यूटर ब्रेल प्रणाली, रेडियों, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, टेलीविजन, आडियो-वीडियो सेट्स, टेपरिकार्डर आदि साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं |

8. 88 % विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को घर की अपेक्षा विद्यालय का वातावरण अधिक अच्छा लगता है | 75 % विद्यार्थियों की शिक्षकों द्वारा कक्षा में प्रशंसा की जाती है |

(III) अभिभावकों की साक्षात्कार अनुसूची –

1. 69 % अभिभावकों ने कहा कि मित्रों एवं रिश्तेदारों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने - लिखने में सहायता एवं प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है |
2. 89 % विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण अधिगम की स्थिति विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा पर निर्भर है |
3. 40 % अभिभावक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय से नियमित संपर्क करते हैं |
4. 93.3 % अभिभावकों ने कहा कि उन्हें स्वयं सेवी संगठनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है |
5. 66.7 % अभिभावकों को विद्यालय द्वारा आयोजित निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों एवं अभिभावक सम्मेलनों से कोई लाभ नहीं मिलता है |
6. 64.5 % अभिभावकों ने कहा कि विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं जांच की जाती है परन्तु मनोवैज्ञानिकों की सेवाएं दिव्यांग बच्चों को प्राप्त नहीं होती है |
7. 55.6 % अभिभावक केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु किये जा रहे प्रयासों से सहमत या पक्ष में है |
8. 26.7 % अभिभावक घर पर दिव्यांग बच्चों को विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण बनाने हेतु प्रयास करते हैं |

5.2.2 उद्देश्य क्र .2 के आंकड़ों की विवेचना एवं विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है –

1. 57.14 % शिक्षा विभाग के अधिकारियों, 13 % विद्यालय के शिक्षकों तथा 8.33 % अभिभावकों ने **विशेष विद्यालय की कमी** को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में प्रमुख बाधा बताया |
2. शिक्षा विभाग के 35.71 % अधिकारियों ने, 37.50 % विद्यालय प्राचार्यो ने, 32 % विद्यालय शिक्षकों ने, 50 % स्वयं सेवी संगठनों तथा 12.50 % अभिभावकों ने कहा कि विद्यालयों में **शिक्षकों की कमी** समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्या है |
3. 7.14 % अधिकारियों ने माना कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन की आवश्यकता है |

4. 50 % विद्यालय प्राचार्यो, 32 % विद्यालय शिक्षकों, 8.69 % अभिभावकों ने **विशेष शिक्षकों की कमी** को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में प्रमुख बाधा माना |
5. 35.71 % शिक्षा विभाग के अधिकारियों, 20 % विद्यालय प्राचार्यो, 15 % विद्यालय शिक्षकों तथा 100 % स्वयं सेवी संगठनों ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति **अभिभावकों में जागरूकता का पूर्णतया अभाव** है |
6. 35.71 % विभाग के अधिकारियों, 33.33 % अभिभावकों, 15 % विद्यालय प्राचार्यो, 9 % विद्यालय शिक्षकों ने **आवागमन के साधनों की कमी** को समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधा बताया |
7. 50 % विद्यालय प्राचार्यो, 21.42 % अधिकारियों तथा 34 % विद्यालय शिक्षकों ने स्वीकार किया कि विद्यालयों में **भौतिक साधन, संसाधन एवं सुविधाओं की कमी** है |
8. 37.5 % विद्यालय प्राचार्यो, 21.42 % शिक्षा अधिकारियों ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की भाषा और समझ के अभाव को समावेशी शिक्षा की प्रमुख बाधा माना है |
9. 28.57 % अधिकारियों ने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच **संवाद अंतराल** व्याप्त है और **प्रशिक्षण के अभाव** में शिक्षक दिव्यांग बच्चों की बात को समझ नहीं पाते हैं |
10. 35.71 % अधिकारियों, 29.16 % अभिभावकों तथा 7 % शिक्षकों ने माना कि शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर **व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं** दिया जाता है |
11. 20 % विद्यालय शिक्षकों को सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को **एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाने में कठिनाई** होती है |
12. 21.42 % अधिकारियों तथा 50 % सामाजिक संगठनों ने कहा कि शासन से मिलने वाला **बजट अपर्याप्त** है |
13. 15 % विद्यालय प्राचार्यो तथा 6 % विद्यालय शिक्षकों ने माना कि **शिक्षकों में प्रशिक्षण की कमी या न्यूनता** है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की प्रमुख समस्या है |
14. 100 % स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षा विभाग के 14.28 % अधिकारियों, 11 % विद्यालय शिक्षकों ने स्वीकार किया कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा हेतु **समाज सेवी व सामाजिक व्यक्तियों का सहयोग** पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है |

5.2.3 उद्देश्य क्र .3 के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष –

केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों में से पाँच **(05)** योजनाओं और नीतियों - **(1)** राजस्थान राज्य नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम - 2011, **(2)** राजस्थान राज्य नि:शक्तता नीति - 2010, **(3)** सर्व शिक्षा अभियान - 2000-01, **(4)** जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम - 1994**, (5)** विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा योजना - 1974**,** का चयन किया गया | चयनित योजनाओं और नीतियों में व्याप्त मजबूती, कमजोरियों / खामियों, अवसरों और चुनौतियों व खतरों का मूल्यांकन करने के लिए स्वॉक विश्लेषण (SWOC Analysis**)** विधि का उपयोग किया |

स्वॉक विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ की केन्द्र एवं राजस्थान सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों में अनेक खामियाँ और कमियाँ है साथ ही समस्त क्षेत्रों में इनके प्रभाव पूर्ण क्रियान्वयन हेतु अनेक चुनौतियाँ भी विद्यमान है | अत: आवश्यकता है कि समावेशी शिक्षा हेतु वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों के प्रावधानों में वर्तमान परिस्थितियों एवं दशाओं के अनुसार बदलाव किया जाए ताकि समस्त योजनाओं और नीतियों को प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जा सके |

5.2.4 उद्देश्य क्र .4 के आंकड़ों की विवेचना एवं विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार है –

(I) शिक्षकों की प्रश्नावली से प्राप्त निष्कर्ष -

1. 87 % शिक्षकों ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे समेकित शिक्षा कार्यक्रम को सार्थक माना एवं 71 % शिक्षकों ने स्वीकार किया कि सरकार द्वारा समेकित शिक्षा कार्यक्रम का संचालन प्रभावी रूप से किया जा रहा है |

2. 89 % शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति सदैव **संवेदनशील** रहते हैं |

3. 78 % शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ लेकर शिक्षण कार्य करने में गर्व महसूस होता है |

4. 74 % शिक्षकों ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए |

5. 63 % शिक्षक विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं |

6. 73 % शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने एवं उन्हें हल करने का सदैव प्रयास करते हैं |

7. 42% शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण करते हैं |

8. 31 % शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल संप्रेषण तकनीकी एवं उपकरणों का उपयोग करते है |

9. 74 % शिक्षकों ने स्वीकार किया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए **विशेष विद्यालय उचित** है |

10. 78 % शिक्षकों ने पारिवारिक दशा को, 11 % साधनों के अभाव को, 9 % विद्यालय वातावरण को, 2 % परिवार की दशा को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा **विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण** माना |

11. 32 % शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण कर अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाते है |

12. 58 % शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करते है |

13. 28 % शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार करते है तथा अंशकालीन व उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन भी करते हैं |

(II) **जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की साक्षात्कार-अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष -**

1. 71.43 % अधिकारियों का कहना है कि विभाग द्वारा सन्दर्भ कक्षों में ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जबकि सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है | 21.43 % ने कहा कि केवल विशेष विद्यालयों तथा संदर्भ कक्षों में ही विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी शिक्षक नियुक्ति किये जाते है |

2. 85.71 % अधिकारियों ने कहा कि **सभी प्रकार के विद्यालयों में** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाता है एवं आवश्यक अंग उपकरणों, संसाधनों का वितरण व आपरेशन की सुविधाएँ प्रदान की जाती है|

3. 57.14 % अधिकारियों ने माना कि शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से एवं ब्लॉक और जिला स्तर पर संदर्भ कक्षों की स्थापना करके विद्यालयों में समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है |

4. 64.28 % अधिकारियों ने स्वीकार किया कि राज्य शासन एवं समाज कल्याण विभाग से बजट की राशि प्राप्त होने पर ही समस्त योजनाओं का लाभ सभी पात्र विद्यार्थियों तक पंहुचाया जाता है |
5. 57.14 % अधिकारियों के कहा कि सरकार से अतिरिक्त बजट राशि प्राप्त कर तथा समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सहायता राशि के माध्यम से समावेशी विद्यालयों का संचालन किया जाता है |
6. 71.42 % अधिकारियों ने कहा कि सन्दर्भ शिक्षकों द्वारा सर्वे करके एवं शिक्षकों को दायित्व सौंपकर बच्चों को पुन: विद्यालय में लाने या शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है |
7. 28.57 % अधिकारियों ने कहा कि ब्लॉक व जिला स्तर पर चिकित्सकों एवं शिक्षाविदों के निरीक्षण की योजना बनाई जाती है | 7.14 % अधिकारियों ने कहा कि सभी विद्यालयों तक मनोवैज्ञानिकों की पहुँच नहीं है |
8. 57.14 % अधिकारियों ने माना कि शैक्षिक व सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यालयों में समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है |

(III) प्राचार्यों की साक्षात्कार-अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष -

1. 90 % विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा में सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश दिया जाता है |
2. 52.50 % विद्यालय प्राचार्यों ने यह स्वीकार किया कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अनुरूप साधन-संसाधन उपलब्ध नहीं हैं |
3. 50 % विद्यालय प्राचार्यों ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालय ही उचित है जबकि 35 % प्राचार्यों ने समावेशी विद्यालयों को **अधिक बेहतर बताया** |
4. 82.5 % विद्यालय प्राचार्यों ने स्वीकार किया कि विद्यालयों में आवासीय शिविरों का आयोजन **नहीं** किया जाता है |
5. 57.50 % विद्यालय प्राचार्यों ने कहा कि विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए **विशेष साधन – संसाधन उपलब्ध नहीं** है |
6. 22.5 % प्राचार्यों ने माना कि विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में पृथक से कोई योजना नहीं बनाई जाती है |

7. राज्य के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए पूरक एवं उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती है |

(IV) अभिभावक/ एवं रिश्तेदार या मित्र / पड़ोसी की साक्षात्कार –अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष –

1. 45.83 % अभिभावकों ने कहा कि उनको विद्यालय के कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं मिलती है |
2. 83.33 % अभिभावकों को अतिरिक्त/विशेष अंशकालीन एवं उपचारात्मक कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है |
3. 16.67 % ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों की सेवाएं, स्वास्थ्य व मेडिकल परीक्षण की नियमित सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती है |
4. 75 % अभिभावक विशेष विद्यालय की अपेक्षा समावेशी विद्यालय को अधिक बेहतर मानते हैं |
5. 67 % अभिभावक बच्चों द्वारा पढ़ाई छोड़ने के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार मानते हैं |

(V) स्वयं सेवी संगठनों एवं सामाजिक संगठनों की साक्षात्कार - अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष -

1. 50% स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि दिव्यांग बच्चों का शिक्षा के प्रति लगाव बढ़ा है तथा विद्यालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि हुई है |
2. 33% संगठनों के संचालकों ने माना की दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रूचि बढ़ी है |
3. 50 % स्वयं सेवी संगठनों ने माना कि समुदाय के लोगों में अभी भी जागरूकता की **कमी** है तथा विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण पूर्णतया ठीक नहीं है |
4. 33 % स्वयं सेवी संगठनों का कहना है कि सभी बच्चे पूर्ण रूप से लाभान्वित **नहीं** होते तथा वर्तमान में लागू अधिनियमों में परिवर्तन की आवश्यकता है |
5. 50 % समुदाय व सामाजिक संगठनों अधिनियमों के प्रावधानों में वर्तमान आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की जरूरत है | सरकार को व्यवहारिक और जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत है |
6. 50 % स्वयं सेवी संगठनों ने माना की सामान्य विद्यालयों का पाठ्यक्रम दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुरूप नहीं होने से वे पूर्णतया लाभान्वित नहीं होते हैं |

(VI) जनप्रतिनिधियों की साक्षात्कार - अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष –

1. **शतप्रतिशत** जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं की आधारभूत संरचना एवं उनमें उपलब्ध सुविधाएँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के अनुरूप है |
2. **शतप्रतिशत** जनप्रतिनिधियों ने कहा कि दिव्यांग विद्यार्थियों को राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश के साथ ही शिक्षण संबंधी समस्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है |
3. **शत प्रतिशत** जन प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वयं सेवी संगठनों व समुदाय के व्यक्तियों की सहायता से समावेशी शिक्षा को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाता है |
4. 100 % जनप्रतिनिधियों ने शिक्षकों के व्यवहार में बदलाव को एवं 67 % ने समाज के नजरिये तथा आमजन के सहयोग को समावेशन की सफलता का प्रमुख तत्व बताया |
5. **शतप्रतिशत** जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ब्लॉक और स्थानीय स्तर पर कार्य करके तथा 67 % ने समुदाय व सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवी संगठनों को जिम्मेदारी देकर दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही |

5.2.5 उद्देश्य क्र .5 से प्राप्त निष्कर्ष –

राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया | विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु राज्य में विशेष विद्यालयों, पुनर्वास केन्द्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, गैर शासकीय संगठनों की स्थापना की एवं अनेक प्रभावशाली नीतियों को लागू करने के बावजूद हजारों दिव्यांग बच्चे आज भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित है या प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं | अत: प्राथमिक शिक्षा हेतु लागू शैक्षिक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की एवं वर्तमान में प्रचलित शिक्षा नीति की व्यवस्था में बदलाव करने की आवश्यकता है |

अत: प्रचलित नीति व्यवस्था में बदलाव करने के लिए नवीन नीति प्रस्ताव के लक्ष्यों का निर्धारण कर संभावित समाधान के रूप में तीन नीति विकल्पों का सुझाव दिया | जिसमें पहला संभावित नीति विकल्प वर्तमान में मौजूद एवं प्रचलित शिक्षा नीति की व्यवस्था की **यथास्थिति को बनाए रखना** है | दूसरा संभावित नीति विकल्प **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समान भागीदारी तय करना** अर्थात निजी क्षेत्र एवं स्वयं सेवी संगठनों को जिम्मेदारी सौंपने के सम्बन्ध में है | तीसरा संभावित नीति विकल्प सभी संबद्ध पक्षों के मौजूदा हितों को सशक्त बनाने के लिए उनके **सक्रिय सहयोग और पूर्ण भागीदारी के साथ उन्हें जवाबदेही एवं उत्तरदायी** बनाने से सम्बंधित है | नीति विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए स्वॉक विश्लेषण (SWOC Analysis**),** मानदंड वैकल्पिक आव्यूह, चुनौती विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया | मानदंड वैकल्पिक आव्यूह के द्वारा प्रत्येक नीति विकल्प के लिए मापदंडों का निर्धारण कर नीति विकल्प के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ट नीति विकल्प का चयन किया गया तत्पश्चात नीति की मजबूती, कमजोरी, अवसरों और चुनौतियों की पहचानने हेतु स्वॉक विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया | समस्त विकल्पों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है की नीति प्रस्ताव का तीसरा विकल्प राजस्थान में समावेशी शिक्षा के ठीक प्रकार से क्रियान्वयन करने सम्बंधित सभी प्रकार के विषयों, मुद्दों और समावेशन की प्रक्रिया में व्याप्त समस्याओं व चुनौतियों को हल करने में पूर्णतया सक्षम है | तत्पश्चात चुनौती विश्लेषण के आधार पर नीति प्रस्ताव को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान की और नीति प्रस्ताव के क्रियान्वयन की रणनीति के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत किये |

5.3 अध्ययन से प्राप्त मुख्य परिणाम:-

- विभाग द्वारा सन्दर्भ कक्षों में ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है | सामान्य विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्त नहीं की जाती है |
- मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों की विद्यालयों तक पहुँच नहीं है और ना ही सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से परामर्श और सेवाएं प्राप्त होती है |
- विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के अनुरूप साधन-संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध नहीं है, केवल शिक्षण अधिगम एवं सहायक सामग्री ही मौजूद है |

- शिक्षक दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के पूर्व विशेष विद्यालय में प्रशिक्षण को अनिवार्य मानते हैं |
- विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में पृथक से कोई योजना विद्यालय स्तर पर नहीं बनाई जाती है |
- विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए पूरक एवं उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती है |
- अभिभावकों एवं शिक्षकों का समावेशी विद्यालयों की बजाय विशेष विद्यालयों की और रुझान अधिक है |
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष फर्नीचर की कोई व्यवस्था किसी भी विद्यालय में नहीं है |
- सभी विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये विशेष शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है |
- विद्यालयीन शिक्षकों के पास विशेष शिक्षा के संबंध में कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और न ही समावेशी शिक्षा हेतु किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है |
- सभी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन नहीं किया जाता है |
- विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु अनिवार्य साधन- संसाधन, उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध नहीं है |
- अभिभावकों को सरकार की सभी योजनाओं की पूर्ण जानकारी नहीं है अर्थात अभिभावक आज भी शासन की योजनाओं से अनभिज्ञ है |
- शिक्षा अधिनियमों के प्रावधान पूर्णरूप से वर्तमान शिक्षा की रणनीतियों के अनुसार नहीं है |
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु लागू वर्तमान नीतियाँ पूर्णतया प्रभावी नहीं है |
- समाज के व्यक्तियों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति नजरिया सकारात्मक नहीं है |
- अभिभावकों को प्रशिक्षण, निर्देशन और परामर्श देने के लिए विशेष एवं ठोस योजना उपलब्ध नहीं है |

- समावेशी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित बजट अपर्याप्त है तथा राशि का आबंटन भी समय पर नहीं होता है |

5.4 शैक्षिक निहितार्थ:-

- विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शोध और अनुसंधान व अन्वेषण के परिणामस्वरूप समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है |
- विशेष शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर शोध और अनुसंधान के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को परिभाषित कर उनका निराकरण किया जा सकता है |
- शोध अध्ययन के निष्कर्षो के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकता है |
- वर्तमान समय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार, सम्बंधित विभागों, नीति निर्धारकों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के सभी वर्गों में समावेशी शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता व सकारात्मक उत्पन्न करने की आवश्यकता है |
- शोध अध्ययन समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में भावी नीतियों के निर्धारण में दिशा प्रदान करने का कार्य करेगा |
- शोधकर्ता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर भविष्य में निरन्तर कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहेगा |

5.5 अध्ययन का कार्य-क्षेत्र एवं शोध सीमांकन:-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में समय और स्त्रोत की उपलब्धता के आधार पर समावेशी शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए शोधकर्ता ने निम्न परिसीमाओं का निर्धारण किया है :-

- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का ही न्यादर्श के रूप में चयन किया है |

- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही न्यादर्श में शामिल किया है |
- शोधकर्ता ने शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में केवल मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित बच्चों को न्यादर्श में शामिल किया है |
- शोधकर्ता ने शासकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में केवल मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित को न्यादर्श में शामिल किया है |
- शोधकर्ता ने राजस्थान राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले 04 **(**चार **)** जिलों अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ व चुरू जिलों को न्यादर्श हेतु चयन किया है |
- शोधकर्ता ने प्राथमिक शिक्षा हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से प्रमुख **05 (**पाँच**) योजनाओं और नीतियों** का चयन किया है |
- शोध अध्ययन में चयनित चारों जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा में वर्ष 2015-16 में नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों की उपलब्ध एवं चयनित संख्या को शामिल किया है |
- शोध अध्ययन में **संबद्ध पक्षों** के रूप में शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालयों, विद्यालय प्राचार्य, गैर सरकारी संगठनों, जन प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों व सामाजिक संगठनों का चयन किया है |
- शोधकर्ता ने प्रदत्तों के संकलन हेतु केवल स्वनिर्मित प्रश्नावली, चैकलिस्ट, साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग किया है |

5.6 शोध सीमाएँ:- प्रस्तुत शोध अध्ययन में **-**

- शासकीय विद्यालयों की कक्षा **1 से 8** में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में केवल मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित बच्चों का अध्ययन किया गया जबकि नि:शक्तता के अन्य प्रकारों को भी शामिल किया जा सकता था |

- राजस्थान के कुल 33 जिलों में से केवल चार जिलों को अध्ययन में शामिल किया गया जबकि दिव्यांग बच्चों की संख्या वाले अन्य जिलों को भी शामिल किया जा सकता था |
- राजस्थान के चारों जिलों के कुल 36 ब्लॉकों में से 17 ब्लॉक को ही अध्ययन में शामिल किया गया जबकि चारों जिलों के समस्त ब्लॉक को अध्ययन में शामिल किया जा सकता था |
- राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही न्यादर्श में शामिल किया है जबकि निजी विद्यालय के विद्यार्थियों को भी अध्ययन में शामिल किया जा सकता था |
- चारों जिलों के चयनित ब्लॉक में से चयनित संख्या में ही विद्यार्थियों का अध्ययन किया गया जबकि चारों जिलों के विद्यार्थियों की समग्र जनसंख्या को शामिल कर भी अध्ययन किया जा सकता था |
- प्रदत्त संग्रह के उपकरण के रूप में केवल स्वनिर्मित प्रश्नावली, चैकलिस्ट, साक्षात्कार-अनुसूची का प्रयोग किया है जबकि अन्य मानकीकृत उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता था |
- चारों जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा में वर्ष 2015-16 में नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों की उपलब्ध एवं चयनित संख्या को ही शामिल किया जबकि अन्य वर्ष में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को भी न्यादर्श में शामिल किया जा सकता था |
- प्रत्येक ब्लॉक में स्थित विद्यालयों में से केवल चयनित विद्यालयों को अध्ययन में शामिल किया गया जबकि प्रत्येक ब्लॉक में स्थित सभी विद्यालयों का अध्ययन किया जा सकता था |
- अध्ययन में मानदण्ड वैकल्पिक आव्युह, स्वॉक विश्लेषण, चुनौती विश्लेषण विधियों का उपयोग किया गया जबकि उपलब्ध अन्य प्रविधियों का अध्ययन में उपयोग किया जा सकता था |

5.7 सुझाव:-

5.7.1 भावी शोध अध्ययन हेतु सुझाव:-

प्रस्तुत शोध का विषय **राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन** करना है | प्रस्तुत अध्ययन के विषय के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण भावी शोध भी किया जा सकते है, जो कि निम्न लिखित है :-

- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 वर्ष से कम से एवं 14 वर्ष की आयु से अधिक के सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 18 वर्ष की आयु के विशेष आवश्यकता वाले मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान के शासकीय विद्यालयों की कक्षा **1** से **5** में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी अनुसंधानकर्ता पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की समावेशी शिक्षा पर शोध कार्य कर सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में निवासरत विशेष आवश्यकता वाले मानसिक मंद, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और नीतियों की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा सकता है |

- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 को आधार वर्ष मानकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु संचालित शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 6 से 14 वर्ष की आयु के सामान्य और दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है |
- भावी शोधकर्ताओं द्वारा अनुक्रमित अन्वेषण /खोजपूर्ण विधि (Sequential Exploratory Design) के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया जा सकता है |
- प्रस्तुत अध्ययन में राज्य के चार जिलों की समावेशी शिक्षा पर शोध कार्य किया गया | भावी शोधकर्ता अपना शोध जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकता है |

5.7.2 समस्त हितधारकों हेतु सुझाव:-

5.7.2.1 शिक्षा विभाग के अधिकारियों हेतु सुझाव –

1. सभी शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध में अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाये |
2. समस्त विद्यालयों में विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी शिक्षकों की नियुक्ति की जाये |
3. प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति की स्थापना और उसका गठन कर उसमें माता-पिता की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जाये |
4. प्रत्येक विद्यालय का संरचनात्मक ढ़ांचा, भौतिक वातावरण और आवश्यक साधन - संसाधन, अंग उपकरण आदि उपलब्ध सुविधाएँ समावेशी शिक्षण के अनुकूल हो |

5. ग्राम स्तर पर विद्यालय का चयन कर संदर्भ कक्ष की स्थापना की जाये साथ ही उसमें स्थाई स्त्रोत/संदर्भ शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाये |
6. विद्यालयों में विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों (मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों एवं शिक्षाविदों) के मार्गदर्शन, निरीक्षण और परामर्श की नियमित व्यवस्था की जाये |
7. ब्लॉक /क्लस्टर स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाये |
8. शहरी और विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में शासन द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का व्यापक प्रचार - प्रसार कर शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाये |
9. समुदाय के व्यक्तियों, शैक्षिक समुदायों और स्वयं सेवी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सहायता प्रदान की जाये |
10. शासन से प्राप्त बजट राशि का उपयोग निर्धारित मद पर समयावधि में किया जाये |
11. दिव्यांग बच्चे, जो विद्यालय में नामांकित नहीं है या जिन्होंने अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया है, ऐसे बच्चों को पुन: विद्यालय में लाने या शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाया जाये |
12. विभिन्न क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों के विद्यालय तक पहुँचने की बड़ी समस्या आवागमन के साधनों का उपलब्ध नहीं होना है अत: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए यातायात के साधनों की व्यवस्था की जाये |
13. सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का नियमित पर्यवेक्षण किया जाये तथा समावेशी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में शोध हेतु शोधार्थियों को प्रोत्साहन दिया जाये |
14. विद्यालयों में पूर्णकालिक परामर्शदाता की नियुक्ति की जाये |
15. विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को बाधा रहित बनावे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की पहुँच सुगम हो सके |
16. चल विद्यालय के द्वारा एवं गृह आधारित शिक्षण की व्यवस्था कर विद्यालय में पहुँचने में असमर्थ दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण की व्यवस्था की जाये |

5.7.2.2 नीति निर्धारकों हेतु सुझाव –

1. शैक्षिक संस्थाओं हेतु योजनाएँ और नीतियाँ बनाते समय संस्थागत निष्पादन को ध्यान में रखा जाये |
2. विभिन्न क्षेत्र एवं परिवेश में स्थापित विद्यालयों के लिए एक समान नीति का पालन आवश्यक न हो साथ ही नीतियों और योजनाओं में अपेक्षित परिवर्तन करने की स्वतंत्रता हो |
3. शिक्षक प्रशिक्षण के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाये, साथ ही प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण की बाध्यता की जाये |
4. एन.सी.टी.ई. कार्यकारी समूहों में समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के अनुभवी सदस्यों को शामिल किया जाये|
5. वर्तमान में संचालित और लागू शिक्षण नीतियों का विभिन्न विधियों से विश्लेषण कर उनकी कमियों और खामियों को दूर कर नवीन नीतियों का निर्धारण किया जाये |
6. प्रचलित योजनाओं और नीतियों का समय-समय पर मूल्याँकन कर मौजूदा स्थितियों के अनुरूप बदलाव कर व्याप्त कमियों को दूर किया जाये |
7. नवीन नीतियों में अच्छी गुणवत्ता वाले शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएँ प्रदान करने के प्रावधानों का समावेश किया जाये |
8. राजकीय विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वयं सेवी संगठनों अथवा निजी क्षेत्र को विद्यालयीन प्रबन्ध व संचालन का दायित्व सौंपा जाए |
9. गरीब और पिछड़े तबके के बच्चों के लिए लागू 25 % आरक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है अत: यह व्यवस्था 50 प्रतिशत तक की जाये |
10. समावेशी शिक्षा की निगरानी के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर नवीन एजेंसी के स्थापना की जाये अथवा स्वयं सेवी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौपें जाने का प्रावधान किया जाये |
11. योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए रणनीतियों का निर्धारण कर उचित निगरानी तंत्र की स्थापना कर उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाये |

5.7.2.3 विद्यालय प्राचार्यो हेतु सुझाव –

1. विद्यालयों में सामान्य शिक्षकों के प्रशिक्षण की उचित एवं नियमित व्यवस्था की जाये |
2. विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर यातायात के साधन व वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाये |
3. क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षा से वंचित एवं बीच में ही अध्ययन छोड़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करने की विद्यालय स्तर पर योजना बनाई जाये |
4. विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अनुरूप साधन-संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था कर विद्यार्थियों को अधिकतम सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाये |
5. विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को बाधा रहित बनाए रखने का हर संभव प्रयास किये जाये |
6. पाठ्यक्रम को शिथिल, सहज एवं रुचिपूर्ण बनाकर सभी विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति लगाव उत्पन्न करें |
7. समावेशी शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें |
8. समावेशी शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता लाने और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु प्रेरित करने के लिए शिक्षकों का दायित्व और जिम्मेदारी तय कर उसकी नियमित रूप से निगरानी की जाये |
9. समावेशी शिक्षा के संचालन के लिए विद्यालय के शिक्षकों को दायित्व व जवाबदेही सुनिश्चित की जाये |
10. अभिभावक से संपर्क कर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के प्रति व्याप्त भ्रान्ति को दूर करने का प्रयास करें |
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों में आवासीय शिविरों का आयोजन किया जाये |

5.7.2.4 शिक्षकों (सामान्य और विशेष) हेतु सुझाव:-

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझे एवं उसका समाधान कर उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण करें |
2. बच्चों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण कर बच्चों के विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारणों की जांच कर पुन: विद्यालय में प्रवेश दिलावे तथा शिक्षण में पिछड़े बच्चों के लिए अंशकालीन कक्षाओं का संचालन करें |
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति सदैव संवेदनशील रहे तथा सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों / विद्यार्थियों में किसी प्रकार का भेदभाव नही करें |

4. कमजोर एवं अनुत्तीर्ण दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष एवं अतिरिक्त कक्षाऐं लगाकर तथा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार करें |
5. दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये |
6. दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर अभिभावकों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए निर्देशित करें |
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल शिक्षण विधि, तकनीकी एवं आवश्यक उपकरणों का उपयोग कर अपने अध्यापन को रोचक बनावें |
8. समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे एवं व्याप्त चुनौतियों को हल करने का प्रयास करें |
9. अभिभावकों और समाज के व्यक्तियों के साथ दिव्यांग बच्चों के प्रति सकारात्मक सम्बन्ध विकसित करें |
10. दिव्यांग बच्चों का समग्र आकलन कर उन्हें सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार करें |
11. शिक्षक अपने विषय के अध्यापन में प्रोजेक्ट एवं समस्या समाधान विधि का उपयोग करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण रूप से क्रियाशील रहकर नवीन ज्ञान अर्जित कर सकें |
12. विद्यालय स्तर पर आयोजित निर्देशन एवं परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं अभिभावकों की सहभागिता को बढ़ाने का प्रयास करें |
13. दिव्यांग बच्चों के लिए चलाये जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाये |

5.7.2.5 अभिभावकों हेतु सुझाव:-

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पढ़ने-लिखने और प्रशिक्षण के लिए घर पर व्यवस्था करें |
2. बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विद्यालय एवं स्वयं सेवी संगठनों (NGO) से सतत संपर्क में रहे |
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बातों एवं उनके निर्णयों की उपेक्षा न कर अपने बच्चों की रुचियों व सकारात्मक बातों को स्वीकार करें |
4. शिक्षकों के साथ अच्छे सम्बन्ध विकसित कर बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में नियमित रूप से बातचीत करें |
5. अपने बच्चों से आवश्यकता व सामर्थ्य से अधिक अपेक्षाए नहीं रखे तथा अपने बच्चों की तुलना अन्य बच्चों के साथ नहीं करें |

6. सभी बच्चों के साथ समानता का व्यवहार रखे, सामान्य और दिव्यांग बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखे एवं उन्हें घर की प्रत्येक गतिविधियों में शामिल कर जितना संभव हो उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें |
7. घर पर बच्चों के मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था के साथ ही खुशी, क्रोध , निराशा, संवेग आदि को व्यक्त करने के तरीके सिखाने का प्रयास करें |
8. बच्चों की गतिविधियों और व्यवहार का उचित रूप से पर्यवेक्षण कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण बनाने के लिए प्रयास करें |
9. विद्यालय एवं विभाग द्वारा आयोजित निर्देशन-परामर्श कार्यक्रमों एवं अभिभावक सम्मेलन में सहभागिता करें |
10. बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिक से जांच, परामर्श एवं प्रमाण-पत्र प्राप्त करें |
11. केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें ताकि उनसे मिलने वाले लाभों को यथा समय प्राप्त किया जा सकें |

----------*********----------

संदर्भ - ग्रन्थ
एवं
वेब सूची

संदर्भ सूची :-

- तुली,उमा. (2013). *समावेशी शिक्षा: एक वास्तविकता*. नईदिल्ली : योजना.अप्रेल,पृष्ठ 17,18,19,20.
- कुमार, संजीव और कुमार, खगेन्द्र. (2007). *Inclusive Education in India*. EJIE, Nov.,vol-2,no.2. page-1,13.
- सिंह,अजय कुमार. (2008). *भारत में समावेशी शिक्षा के स्वरूप*. नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य. अप्रेल,पृष्ठ-81,83, 84.
- SESM-01. *मंद व्यक्तियों की पहचान एवं मूल्यांकन*.भोपाल : म.प्र.भो.मु.वि.वि. पेज-35.
- बैस, नरेंद्र सिंह एवं सूत्रकार भागीरथ. (2007). *विशिष्ट वर्ग के बालकों के शिक्षा*. जयपुर : जैन प्रकाशन. पेज-82, 87, 88.
- शर्मा,एम. (2009).*मानसिक मंद बालक:अवधारणा, पहचान एवं पुनर्वास*. दिल्ली : कनिष्क पब्लिकेशन. पेज-17, 25, 37.
- ठाकुर, यतीन्द्र. (2016). समावेशी शिक्षा. आगरा : अग्रवाल पब्लिकेशन. पेज-128-130.
- बिष्ट,आभा रानी.*विशिष्ट बालक*.आगरा:विनोद प्रकाशन मंदिर. पेज-117, 109.
- प्रपन्न, कौशलेन्द्र. (2012). *भारत में प्राथमिक शिक्षा*. योजना : अगस्त, पृष्ठ -55,56.
- विलानिलम, जे.वी.. (2012). *भारत में शिक्षा व्यवस्था: 1974-2012*. योजना : अगस्त,पृष्ठ-25,27.
- सिंह,अरुण कुमार. (2011). *मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां*. दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास.(प्रथम संस्करण1992). पेज-190,191.
- काण्डपाल, केवलानन्द. (2015). *जनपद बागेश्वर में प्रारम्भिक शिक्षा की दशा एवं दिशा*. नईदिल्ली : भारतीय आधुनिक शिक्षा,जनवरी,पृष्ठ-45,46.
- काण्डपाल,केवलानंद. (2012). *शिक्षामें समावेशन : चुनौती एवं समाधान*. उदयपुर :खोजे और जाने, अक्टूबर, पृष्ट-4, 7, 8, 9.
- कुमार, संजीव एवं सिंह, सुधाकर प्रसाद. (2008). *सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण पा रहे स्कूली शिक्षकों के समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन*, नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य.दिसम्बर,पृष्ठ-75-80.
- कुमार,संजीव. (2011). *बिहार में महादलित बालकों की शिक्षा और उनका समावेशी विकास*. नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य.दिसम्बर,पृष्ठ 35-46.
- अरोड़ा,आर. और राज रानी. (2010). शिक्षा का मौलिक अधिकार:कुछ मुद्दे और कुछ चुनौतियाँ. नईदिल्ली : भारतीय आधुनिक शिक्षा,जुलाई,पृष्ठ 5-15.
- वर्मा, अरुण कुमार. (2014). *समावेशी शिक्षा*. नईदिल्ली:भारतीय आधुनिक शिक्षा,जुलाई,पृष्ठ 24, 25, 26.
- भारती. (2014). *समावेशी शिक्षा के लिए व्यवसायियों का विकास* . नईदिल्ली : भारतीय आधुनिक शिक्षा,अप्रेल,पृष्ठ-22,23.
- कुमार,संजीव.(2011). बिहार में महादलित बालकों की शिक्षा और उनका समावेशी विकास. नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य. दिसम्बर पृष्ठ, 35-46.
- राम, प्रेम शंकर और राम,सुरेन्द्र. (2008). *प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य और दृष्टिहीन बच्चों के शैक्षिक अपव्यय सम्बन्धी समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन*. नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य.अप्रेल, अंक -1, पृष्ठ 119, 121,

- गौतम, नीरा और सिंह, रजनी रंजन. (2013). *बिहार में विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप और विकास*. नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य. अप्रेल,पृष्ठ 57.
- केहरबा, अरुण कुमार.*सम्मान जनक शब्दावली से ही बनेगा समावेशी शिक्षा का माहौल.* Article on shiksha vimrash-9, access on 24 may 2015 at 20.10 pm.
- कुमार, संजीव एवं सिंह, सुधाकर प्रसाद. (2008). *सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण पा रहे स्कूली शिक्षकों के समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन*, नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य.दिसम्बर,पृष्ठ75-80.
- कुमार, संजीव. (2011). *बिहार में महा दलित बालकों की शिक्षा और उनका समावेशी विकास*. नईदिल्ली : परिप्रेक्ष्य, दिसम्बर, पृष्ट 35-46.
- राय, संगीता. (2013). *सर्व शिक्षा अभियान : शैक्षिक गुणवत्ता के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन* . शोध समीक्षा और मूल्यांकन, जनवरी, अंक-4, पृष्ठ 62,65.
- Banga, C. (2015). *Inclusive Education in the Indian context.* IMEJ, March, Vol-IV,Issue-III, page -71
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design*. Delhi : Sage Publication.
- Cameron,Roslyn. (2009). *A sequential mixed modal research design.*IJOMA,August, Vol.3, Page-142,143
- Sudhanshu, R.K. (Dec.2012). *Addressing The Challenges Of Inclusive Education In Uttarakhand*. Page 14,15,18,22
- Singh, R.R. (2014).“*Gender Gap In Education In Uttarakhand*(A Policy Framework)”LAP Lambert Academic Publishing.page-20,26,30,33,44,56.
- Jain, Akshay & Kumar Ashok. (2013). *A Survey Of Government Policies To Improve The Primary Education In Rajasthan*.IJEPR. Aug.Vol-2, Issue-3,Page 136,137,138.
- Kohma, A. (2012).Inclusive Education In India: A Country In Transition.
- Aggarwal, Yash. (1998). *Access And Retention Under DPEP-A National Review.*NIEPA.
- Zollers, Nancy., Ramanathan, Arun K. And Yu, Moonset. (1999).*The Relationship Between School Culture And Inclusion: How An Inclusive Culture Supports Inclusive Education*. Qualitative Studies In Education. Vol.-12,No.-2. Page 157-174

- Zollers, Nancy., Ramanathan, Arun K. And Yu, Moonset. (1999). *The Relationship Between School Culture And Inclusion: How An Inclusive Culture Supports Inclusive Education*. Qualitative Studies In Education. Vol.-12,No.-2. Page 157-174

- Singh, Renu.(2007). *Creative A Road Map For Inclusive Education India.*Confluence.Vol.-2, Page 2-7.

- Chakrabarti, Swati. (2008). *Role Of ICT For Differently Abled Children" An Imperative For Inclusive Technology, Digital Diversity And Inclusive Education*. Confluence.Vol-5, Page 10-14.
- Roy, Kajali. (2008). *Role Of ICT In Inclusive Education- AADI Experience*.Vol-5,Page 56-59
- Abraham, George. (2009). *Role Of Parents In The Education Of The Visually Impaired***.** Confluence : Vol.-6, Page 33-36.
- Rao. Sheilaja. (2008). *Current Development By NIMH In Inclusive Education*. Confluence : Vol-5,Page 36-40.
- Kinari. (2009). *Classroom Practices For Low Vision Children.*Confluence : Vol.-7, Page 44-49.
- Benrjee,Ruma. (2009*). Effective Classroom Practices For Children With Special Needs.*Confluence.Vol.-7, Page 3-7.
- Mittal. A.K. (2009). *Role Of Of Ngos In The Education Of The Visually Impaired***.** Confluence.Vol.-6, Page 9-13.
- Shrama, Umesh., Moore, Dennis And Sonawane, Sanjeev. (2009). *Attitude And Concern Of Pre-Service Teacher Regarding To Inclusion Of Student With Disabilities To Regular School In Pune, India.* Asia Pecific Journal Of Teacher Education. August ,Vol.-37. No.-3. Page 319-331.
- Agnihotri, Kalpana And Yadav, Anupama. (2012). *Inclusive Education In India: Challenges And Opportunities*. IJEIE. January,Vol-1, Issue-1.
- Astha, Bhargav, Smriti And Vats, Rajeev. (2012). *Inclusive Education For Disabled At Secondary Stage In Haryana : Inputs And Action Required*. Indian Research Journal. January ,Vol-1, No.-1.
- Vidhyanathan, S And Devan, K.(2013). *Inclusion Of Disabled Children In General School In Puducherry*. ISOR-JHSS .Vol.-12, Issue-3, Page 57-64.
- Patel, Mustaq Ahmad I And Ansari Mohasina Anjum A. (2013). *Education Of Differently Abled Children : Governmental Interventions And Attainments*. Indian Streamresearch Journal. December , Vol.-3, Issue-11.page 1,2,4.
- Bhatnagar, Nisha And Das, Ajay. (2013). *Nearly Two Decades After The Implementation Of Persons With Disabilities Act : Concerns Of Indian Teachers To Implement Inclusive Education*. Inter National Journal Of Special Education. Vol-28 ,No.-2 .
- Devi. Y. Rajlakshmi (Mar-Apr.2013). *Integration Of The Hearing Challenged Children: Prospects And Challenges*. SRJIS.Mar-Apr.Vol-1, Issue- v, page -1350.
- Gupta, Priyanka And Kamath, Asha. (20*14). Fulfillment Of Norms And Standards In Elementary School As Per Act 2009-A Status Study*. IJEIE. July,Vol.-1,Issues-4.

- Slee, Roger. (2001). *Social Justice And The Changing Direction In Education Research: The Case Of Inclusive Education*. AJIE. Vol- 5, No.-2 /3. Page 167-177.
- Pijl, Sip J. And Hamstra, Dorien. (2005). *Assessing Pupil Development And Education In An Inclusive Setting*. International Journal Of Inclusive Education. April-Jun ,Vol-9, No.2.Page 181-192.
- Hemming, B. And Woodcock, S. (2011). *Preservice Teacher View Of Inclusive Education: A Content Anaysis.* Research Online-University Of Wollongong.
- Zholtayeva, Gulnar., Stambekova, Assel., Alifbayeva, Anara. And Yerzhanova, Gulnur.(2013). *Inclusive Education In Kazakhstan: Selected Issues*. CBUNI. April.
- Surah, Muka.(2013). *Equipping Teachers With Skills And Education Resources For Successful Provision Of Special Needs Education In Kakamega District, Kenya*. International Journal Of Advanced Research .Vol.-1, Page 465-474.
- Vorcoe, Linda And Boyle, Christopher.(2013). *Pre-Service Primary Teacher Attitude Toward Inclusive Education*. Education Psychology. January ,Page 1-14.
- Slee, Roger. (2013). *Meeting Some Challenge Of Inclusive Education In Age Of Exclusion*. AJIE. July , Vol-1, No.-2 Page 3,14.
- Mallick, Utpal And Sheesh, Kazi Sameeo. (2003). Perspectives Of Students And Parents About Mainstreaming Education For Children With Special Needs In Bangladesh. AJIE. January. Vol-1, No.-1. Page 17-30.
- Zerin Nusrat. (2013). *Braill Champion: Inclusive And Community Development Approach To Support Children With Visual Impairment- Experience Of Sightsavers Bangladesh*. Asian Journal Of Inclusive Education.July.Vol-1, No. 2, Page 53-56.
- Mitiku, Wondwosen., Alemu, Yitayal And Mengsitu, Semahegn. (2014). *Challenges And Opportunities To Implement Inclusive Education*. Asian Journal Of Humanity, Art And Literature, Vol-1, No.2.
- Yan, Zi And Sin Kuen-Fung. (2014). *Inclisive Education:Teachers Intention And Behavior Analysed From The Viewpoint Of The Theory Of Planned Behavior*. International Journal Of Inclusive Education.Vol-1, Page 72-85.
- Berhanu, Garima. *Inclusive School In Sweden Responses, Challenges And Prospects*.Equity In Inclusive Education, Access On 24 May 2015 .17.10pm.
- Alur, Mithu And Timmons, Vianne. (2009). *Inclusive Education Across Cultures*.SAGE Publication. Chapter- 28.page-410-418.

- Alur, Mithu And Timmons, Vianne. (2009). *Inclusive Education Across Cultures*. SAGE Publication.Chapter-4.page-51.
- Alur, Mithu And Timmons,Vianne. (2009).*Inclusive Education Across Cultures*. SAGE Publication.Chapter-5.page-69.
- Baruah, Ajupi. *On Right Based Approach And Certain Issues Of Inclusion*.
- (2010).“*Inclusive Classroom, Social Inclusion/Exclusion And Diversity*” New Delhi:Deshraj Publication.
- Das, Ashima. *Children With Disabilities In Private Inclusive School In Mumbai, Experiences And Challenges.*Asian Research Center.
- Panda, B. K. *Understanding Multiple Disadvantages For Inclusive Education Development Of Scheduled Tribe Children*. NUEPA.
- (2009). *Effective Classroom Practices For Children With Special Needs.*Confluence.Vol.-7, Page 3-7.
- (2009) Creating Awarness On Visual Impairment: An Initiative
- (2009). *Creating Awareness On Visual Impairment: An Initiative Of SSA Rajasthan***.** Confluence.Vol.-6, Page 49-50.
- (2011). *The Seven Principal For Inclusive Education*. Tanenbaum
- (2006). *Education Of Children With Special Needs*. NCERT
- (2010).”Literature Review Of The Principles And Practices Relating To Inclusive Education For Children With Special Educational Needs”. NCSE
- Baruah, Ajupi. *On Right Based Approach And Certain Issues Of Inclusion*.

वेब संदर्भ सूची :-

- http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html
- www.census2011.co.in/census/state/rajasthan.html accessed on 19-1-14, 5.30pm
- The table C-20- ‘Disabled by age-group and type of disability’ Census 2011**,** India
- http://www.ncert.nic.in/html/pdf/inclusive_education/Chapter%202.pdf
- http://www.bhojvirtualuniversity.com
- http://www.teachersofindia.org/hi/article.page
- http://www.slideshare.net/JANGID_ML/rajasthan-rte-rules29032011
- http://dsq-sds.org/article/view/524/701 accessed on 11-2-14, 12.25pm.

- http://www.rehabcouncil.nic.in/writereaddata/iedc-Introduction.pdf, accessed on 18-3-14, 7.05 pm.
- http://www.nimhindia.org/Integrated%20Education%20Scheme.pdf accessed on 18-3-14, 7.00 pm.
- http://www.edudel.nic.in/circulars_file/IEDC(FINAL_COPY).htm
- http://www.jagranjosh.com/articles/integrated-education-for-disabled-children-1287811471-1
- http://rajssa.nic.in/Home/ReportCard.aspx
- http://www.socialjustice.nic.in/pdf/ntact1999.pdf , accessed on 4-3-14, 12.08pm.
- http://ebookbrowsee.net/ncf2005-pdf-d346492106, http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf
- http://rehabcouncil.nic.in/writereaddata/rciact.pdf accessed on17-1-14,12.10 pm.
- http://www.nuepa.org/libdoc/docservices/ds/dpep.pdf accessed on 18-3-14, 7.00 pm.
- http://socialjustice.nic.in/pwdact1995.php, http://www.dnis.org/draftpwd12.pdf accessed on 12-1-14, 3.35pm.
- http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf, https://www.narendramodi.in/hi/rights-of-persons-with-disabilities-bill-2016-passed-by-parliament-533533 accessed on 3-7-18, 4.07 pm.
- http://uncrpdindia.org/ accessed on 12-1-14, 3.35pm
- , http://mhrd.gov.in/schemes accessed on 3-2-14, 4.15pm.
- http://ebookbrowsee.net/ncf2005-pdf-d346492106, page -96 accessed on 8-3-14, 4.07pm.
- http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NPE1986_H.pdf accessed on 19-3-14, 2.23pm.
- http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/POA_1992.pdf accessed on 19-3-14, 2.47pm.
- http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/RTEAct.pdf accessed on 19-3-14, 2.25pm.
- http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF accessed on 19-3-14, 3.25pm.
- http://ssa.nic.in/rte-docs/rte-state-rules/Rajasthan.pdf accessed on 19-3-14, 4.25pm.
- http://rajshiksha.gov.in/Rajasthan_RTE_Rules__29-03-2011_.pdf accessed on 19-2-14, 2.16 pm.
- http://mhrd.gov.in/rashtriya_madhyamik_shiksha_abhiyan accessed on 19-2-14, 2.09pm.
- http://mhrd.gov.in/inclusive_education accessed on 15-1-14, 16.44pm.
- http://www.nimhindia.org/District%20disability%20rehabilitation%20centers%20_DDRC's_.pdf accessed on 13-3-14, 3.38 pm
- http://eruindia.org/files/Lok%20Jumbish%202003.pdf accessed on 19-3-14, 3.38 pm
- Rajssa.nic.in/ Elementary Education : State Report Card 2014-15, accessed on 19-2-17, 2.21pm.
- Rajssa.nic.in/CWSN.aspx accessed on 28-1-14, 6.10 pm

- http://timesofindia.indiatimes.com/india/Rajasthan-fails-to-utilize-grants-for-inclusive-education/articleshow/19375455.cms,
- http://k12schoolsindia.in/blog/?p=1117 accessed on 29-1-14, 1.51pm
- Govt.of India,MHRD, Dept. of School Edu. And Lit. Minutes of196th PAB meet,18th Mar. 2013 accessed on 7-3-14, 4.48 pm
- https://www.educationforallinindia.com/out_of_shool_survey_2014_india_mhrd_tsg_july_2015.pdfaccessed on sep-2016, 4.48 pm page no. 9,
- https://www.educationforallinindia.com/out_of_shool_survey_2014_india_mhrd_tsg_july_2015.pdfaccessed on sep-2016, 4.48 pm page no. 12, 86-87
- http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-opportunities/inclusive-education-for-children-with-special-needs/article3959638.ece
- http://timesofindia.indiatimes.com/india/Rajasthan-fails-to-utilize-grants-for-inclusive-education/articleshow/19375455.cms
- http://article.wn.com/view/2013/04/04/Rajasthan_fails_to_utilize_grants_for_inclusive_education
- http://www.liaise-kit.eu/ia-method/checklists
- shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/156102/9/09_chapter%203.pdf
- ttps://books.google.co.in/books?id=rK8OCAAAQBAJ&pg=SL21-PA106&lpg=SL21-PA106&dq=विवरणात्मक+सर्वेक्षण+विधि&source=
- https://images.template.net/wp-content/uploads/2016/01/18134501/swot-analysis-in-marketing-strategy.pdf
- https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=9CaoAqaRcVwC&oi=fnd&pg=PR13&dq=risk+analysis+matrix&ots=tQa1iBomT4&sig=NnpWCvUP-H2qoYqIHgOQx8bhFdM#v=onepage&q=risk%20analysis%20matrix&f=false
- http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/4AnalisisycuantificaciondelRiesgo%28AR%29_en.pdf
- https://scholar.google.co.in/scholar?q=risk+analysis+methods&hl=en&as_sdt=0&asvis=1&oi=scholar
- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/32413/8/08_chapter%201.pdf
- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/105652/4/04_chapter%201.pdf
- http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186611e.pdf
- http://beta.liaise-toolbox.eu/ia-methods/checklists

- http://www.sagepub.com/upm-data/35066_Chapter3.pdf accessed on 13-3-14, 2.43pm.
- http://obssr.od.nih.gov/scientific_areas/methodology/mixed_methods_research/pdf/Best_Practices_for_Mixed_Methods_Research.pdf accessed on 13-3-14, 2.23pm.
- http://www.google.co.in/?gfe_rd=cr&ei=k34hU_-CEsiL8Qfa8IA4#q=mixed+research+method+sequencial+exploratry accessed on 13-3-14, 2.23pm
- http://www.sswr.org/Designing%20and%20Conducting%20Mixed%20Methods%20Studies.pdf
- http://www.ekantipur.com/np/2070/2/16/full-story/369018.html , access on 25-7-15, 6-25pm.
- http://m.jagran.com/uttar-pradesh/deoria-8530763.html, access on 25-7-15, 6-25pm.
- http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-opportunities/inclusive-education-for-children-with-special-needs/article3959638.ece access on 25-7-15, 6.21pm.
- http://surinderkhurana.blogspot.in/2014/05/blog-post_5128.html?m=1, access on 25-7-15, 6-29pm.

ग्रन्थ सूची:-

- शर्मा, आर.ए. (2007). *भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास*. मेरठ : आर लाल बुक डिपो
- बल्हारा,ए. (2009). *प्राथमिक शिक्षा:एक दृष्टिकोण*. दिल्ली : अल्फ़ा पब्लिकेशन.
- कोल,लोकेश. (2006). *शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली*. दिल्ली : विकास पब्लिशिंग हाउस. प्रथम संस्करण(1998)
- कपिल,एच.के. (2012). *अनुसंधान विधियां*. आगरा : एच. पी. भार्गव बुक हाउस
- कपिल,एच.के. (2007). *सांख्यिकी के मूल तत्व*. आगरा : विनोद प्रकाशन मंदिर
- वर्मा, बी.एस. (2016). *शैक्षिक अनुसन्धान विधियाँ.* आगरा : साहित्य प्रकाशन
- नाटानी,एस. (2011). *गैर सरकारी संगठन*. जयपूर : प्रिज्म बुक्स
- बायती,जे. (2006). *बाल विकास:समस्या समाधान*.जयपूर : अग्रवाल पब्लिकेशन.
- भनोट,एस., (2009). *सामाजिक रूपसे कुसमायोजित बालक*. दिल्ली : कनिष्क पब्लिकेशन.
- मिश्रा,एम.के. (2009). *असामान्य मनोविज्ञान*. दिल्ली : अर्जुन पब्लिकेशन.
- शर्मा,वाय.के. (2009). *शारीरिक रूप से विकलांगबालक*. दिल्ली : कनिष्क पब्लिकेशन.
- निगम, नीलम एवं निघोजकर, मौसमी. (2016). *समावेशी विद्यालय का सृजन*.भोपाल : ठाकुर पब्लिकेशन.
- सिंह,ए.के. (2005). *शिक्षामनोविज्ञान*.दिल्ली : भारत भारती प्रकाशन.(प्रथम संस्करण 1994).
- त्रिपाठी,रमाशंकर. (2012). *सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी तार्किकता*.वाराणसी : विजय प्रकाशन.
- पचौरी, गिरीश. (2013). *विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा तथा निर्देशन एवं परामर्श*. दिल्ली : कनिष्क पब्लिकेशन.
- पाठक,पी.डी. (2012). *शिक्षा मनोविज्ञान*. आगरा : विनोद प्रकाशन मंदिर

- दुबे, सुदीप. (2015). *अल्प दृष्टि विद्यार्थियों की शिक्षा*. दिल्ली : कनिष्क पब्लिकेशन.
- Garrett, H.E. *Statistics In Psychology And Education.* Paragon International Publishers.
- Garg, B. (2012). *Sharv Shiksha Abhiyan*. Delhi : Common Wealth Publication Ltd.
- Hurlock, E.B. (2005). *Child Development.* Delhi : Tata Mcgraw Hill Publication Company Ltd.
- Malhotra, R. (2011). *Right To Education : Free And Compulsory Education For All*. Delhi:DPS Publication.
- Mohanty,J. & Mohanty, S. (2011).*Inclusive Education*. Delhi : Deep &Deep Publication.
- Mohanty,J. & Mohanty, S., (2002).*Primary And Elementary Education*. Delhi : Deep & Deep Publication.
- Bhatt,D.P. (2016). *Researchmethodology* . Delhi : APH Publication.
- Shing,S.P. (2014).*Research Methods In Social Science* . Delhi : Kanishka Publication.
- Sharma,R.P. (2016).*Mejor Methods In Educational Research.* Delhi : Kanishka Publication.
- Bajpa,B.R.& Singh, Y.K. (2017). *Research Methodology Data Presentation*. Delhi : APH Publication.
- Kumar, R.C. (2016).*Research Methodology*. Delhi : APH Publication.
- Garg, K.K. (2014). *Research Methodology*. Delhi : Omega Publication.
- Bhanot, S. (2016).*Basic Of Educational Research Mehodology*.Delhi : Kanishka Publication.
- Best, J.W. & Kahn, J.V. (2005).*Research In Education*. Delhi :Pearson Education Pvt. Ltd.
- Rao, D.B. (2003).*National Policy On Education*. Delhi :Discovery Publication.
- Choube, S.P. (2000).*Problem Of Indian Education.* Agra :Vinod Prakashan Mandir.
- Choube, S.P. (2000). *History And Problem Of Indian Education* .Agra :Vinod Prakashan Mandir.
- Tyagi, Pooja. (2014). *Recent Trend In Education Research*.Delhi : Omega Publication.
- Siddiqi, F. (2014). *Development And Management Of Special Needs Education.* Delhi : Kanishka Publication.
- Ranganathan, S. (2014). *Guidlines For Children With Special Educational Needs.* Delhi: Kanishka Publication.
- Singh, Dolly. (2014). *Diagnosis And Treatment Of Blind And Visually Impaired*. Delhi : Kanishka Publication.
- Vjayan, Premavathy And G. Victoriya,G. (2006). *Education Of Children With Low Vision: DSE(VI) Manual*. New Delhi : Kanishka Publishers.

- Chadha, A. (2017). Educating Children With Special Needs. Delhi : APH Publication.
- Bhargava, M.A. (2014). *Rehabiliting The Disabled Persons*. Agra : Rakhi Prakashan.
- Sharma,Y.K. (2016). *Mental Disorders.* Delhi : Kanishka Publication.
- Chadha, A. (2017). *Special Education*. Delhi: APH Publication.
- Pathak, A. (2013). *Right To Education*. Agra:Rakhi Prakashan.
- Gandhi, M.K. (2017). *Education For All*. Delhi : APH Publication.
- Kohma, A. (2012). *Inclusive Education In India*: A Country In Transition.
- Farrell, P. (2012). *Inclusive Education For All*: A Dream Or Reality.
- Hamid, I & Sharif, G. (2017). *Education For All*. Delhi: APH Publication.
- Rao, D.B. (2017). *Education For All*. Delhi : APH Publication.
- Panda, P.K. (2016). *Educational Measurement And Evaluation.* Delhi : APH Publication.
- Nanda, Jayashree. (2016). *Educationa For All.* Delhi : APH Publication.
- Deshprabhu, Suchitra. (2014). *Sociological Research.*Delhi : Kanishka Publication.

======✲✲✲✲✲======

परिशिष्ट

1. संग्रहित समंकों की तालिकाएँ
2. आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण
3. अनुलग्नक

आंकड़ों के संग्रहण हेतु चयनित विद्यालयों की सूची आंकड़ो के संग्रह में शामिल स्टैक होल्डर का जिला / ब्लॉक सहित संख्यात्मक विवरण

क्र.	जिला / ब्लाक	विद्यालय	शिक्षक (पु.+ म.)	विद्यार्थी (पु.+ म.) Total	MR	HI	VI	प्राचार्य (पु.+ म.)	माता-पिता (पु.+ म.)	अभिभावक /पडोसी / मित्र (पु.+ म.)	जिला/ ब्लाक शिक्षा अधिकारी	जन प्रतिनिधि / समुदाय व सामाजिक संगठन /स्वयं सेवी संगठन
1	**अलवर**	**12**	**24 (8+16)**	**22 (13+9)**	**18**	**01**	**03**	**10 (9+1)**	**08**	**07**	**01/03**	**-**
	अलवर	03	06 (2+4)	03(1+2)	03	-	-	02	02(0+2)	01(0+1)	**01**/01	-
	राजगढ़	02	05 (0+5)	07(4+3)	04	-	03	03	03(2+1)	01(1+0)	-	-
	रामगढ़	04	05 (3+2)	08(7+1)	07	01	-	02	03(0+3)	03(1+2)	01	-
	रैनी	01	02 (1+1)	02(1+1)	02	-	-	01	-	02(1+1)	01	-
	किशनगढ़	02	06 (2+4)	02(0+2)	02	-	-	02	-	-	-	-
2	**भरतपुर**	**09**	**19 (9+10)**	**23 (14+9)**	**18**	**02**	**03**	**08 (3+5)**	**13**	**09**	**04**	**01**
	सेवर	02	05 (1+4)	06(3+3)	05	-	01	02	04(0+4)	01(0+1)	01	-
	नदवई	03	07 (5+2)	07(3+4)	06	-	01	02	07(3+4)	05(3+2)	01	-
	कुम्हैर	02	03 (1+2)	07(5+2)	05	01	01	02	02(1+1)	03(2+1)	01	-
	बैर	02	04 (2+2)	03(2+1)	02	01	-	02	-	-	01	-
3	**हनुमानगढ़**	**14**	**22 (15+7)**	**25 (12+13)**	**13**	**08**	**04**	**12 (7+5)**	**12**	**03**	**01/03**	**02 / 02**
	रावतसर	03	**05** (4+1)	07(4+3)	04	03	-	03	05(2+3)	01(1+0)	**01**/01	-
	पीलीबंगा	04	05 (4+1)	06(5+1)	02	02	02	03	04(0+4)	01(1+0)	-	-
	टिब्बी	03	06 (4+2)	07(2+5)	03	02	02	03	02(0+2)	-	01	-
	संगरिया	04	06 (3+3)	05(1+4)	04	01	-	03	01(0+1)	01(0+1)	01	-
4	**चुरू**	**11**	**35 (22+13)**	**30 (17+13)**	**11**	**12**	**07**	**10 (10+0)**	**12**	**05**	**01/01**	**01**
	रतनगढ़	03	**09** (5+4)	10(5+5)	05	02	03	03	03(1+2)	02(1+1)	-	-
	राजगढ़	03	**09** (7+2)	09(6+3)	02	05	02	02	-	02(0+2)	-	- -
	तारानगर	03	**09** (6+3)	07(2+5)	03	03	01	03	07(1+6)	-	-	-
	चुरू	02	**08** (4+4)	04(4+0)	01	02	01	02	02(2+0)	01(1+0)	**01**/01	-
	कुल	**46**	**100** (54+46)	**100** (56+44)	60	23	17	**40**	**45** (12+33)	**24** (12+12)	**03/11**	**-**

क्र.	विद्यालय	ग्राम ब्लाक /	जिला
1	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	जालवाला कुआ **अलवर**	**अलवर**
2	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	फीलखाना **अलवर**	
3	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	चोकी सराय ,**अलवर**	
4	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	ढाबला मीना, **राजगढ़**	
5	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	पिलियान का वास ,**राजगढ़**	
6	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	विलासपुर	
7	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	ललावंडी, **रामगढ़**	
8	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	खेडी, **रामगढ़**	
9	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	रामगढ़	
10	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	किशनगढ़	
11	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	आनदवाडी ,**रैनी**	
12	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	बासडा ,	
13	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय	सेवर	**भरतपुर**
14	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	श्योराना सेवर ,	
15	राजकीय कन्या सेकण्डरी स्कूल	नदबई	
16	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय	खेडिया ब्राम्हण, **नदबई**	
17	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय	नदबई	
18	राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय	नगला सवई राम ,**कुम्हेर**	
19	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय	मुंदडी ,**कुम्हेर**	
20	राजकीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय	पाली ,**वैर**	
21	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	पाली, **वैर**	
22	राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय	6RWM / रावतसर	**हनुमानगढ़**
23	राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय न.23	रावतसर	
24	राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय न .2	रावतसर	
25	राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय	25GR / पीलीबंगा	
26	राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय	मंडीपीलीबंगा ,	
27	राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय	उमरपुर धाणी पीलीबंगा ,	
28	राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय	लखुवाली पीलीबंगा ,	
29	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	2GGK **टिब्बी**	
30	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	6GGK **टिब्बी**	
31	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	1820, **टिब्बी**	
32	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय	रतनपुरा ,**संगरिया**	
33	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	3KTP/ रतनपुरा, **संगरिया**	
34	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	3KTP/ रतनपुरा, **संगरिया**	
35	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्र १	संगरिया	
36	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	चुरू	**चुरू**
37	राजकीय प्राथमिक विद्यालय करा २ .	**चुरू**	
38	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	खेम्रका ,**चुरू**	
39	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	पंडितपुर, **रतनगढ़**	
40	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	गोरीसर, **रतनगढ़**	
31	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	सादुलपुर ,**रतनगढ़**	
42	बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय (स)	**राजगढ़**	
43	राजकीय प्राथमिक विद्यालय न-.3	**राजगढ़**	
44	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	**तारानगर**	
45	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	धाणी छत्तूसिंह **तारानगर**	
46	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	अलायला **तारानगर**	

चयनित विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री/उपकरण एवं व्यवस्था की स्थिति को प्रदर्शित करते आंकड़े

क्र.	विद्यालय में उपलब्ध सामग्री/उपकरण एवं व्यवस्था	उपलब्धता की स्थिति संख्या में (कुल -46)			उपलब्धता की स्थिति प्रतिशत (%) में		
		उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	कार्य स्तर	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	कार्य स्तर
1	विद्यार्थियों और शिक्षक एवं शिक्षिका का अनुपात	34	12	8 (सा.)	73.91	26.09	17.39
2	सामान्य और विशेष शिक्षक एवं शिक्षिका का अनुपात	04	42	1(सा.)	8.70	91.30	2.17
3	स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत	42	04	-	91.30	8.70	-
4	पर्याप्त कक्षा कक्षों, प्रकाश एवं उपयोगानुसार फर्नीचर की व्यवस्था	39	07	4(सा.)	84.78	15.21	8.69
5	बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग - अलग शौचालय व्यवस्था	44	02	1(सा.)	95.65	4.35	2.17
	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के विशेष शौचालय व्यवस्था	11	35	1(सा.)	23.91	76.09	2.17
6	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रपट (रेम्प)	42	04	-	91.30	8.70	-
7	इनडोर खेल कक्ष और खेल के मैदान की उपलब्धता	21	25	2(सा.)	45.65	54.34	2.17
8	समावेशी शिक्षा के अनुकूल उचित भवन संरचना	36	10	-	78.26	21.74	-
9	मनोविज्ञान,भाषा एवं आई.सी.टी. प्रयोगशाला, इन्टरनेट उपलब्ध	08	38	-	17.39	82.61	-
10	विशेष शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमाधारी, प्रशिक्षित शिक्षक /शिक्षिकाएं	05	41	-	10.87	89.13	-
11	विद्यालय के चारों और बाउंड्रीवॉल (चार दीवारी) की व्यवस्था	44	02	-	95.65	4.35	-
12	प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, डाक्टरों, मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन	23	23	-	50.00	50.00	-
13	श्रवण बाधित विद्यार्थियों के उपयोगी सामग्री की उपलब्धता	10	36	-	21.74	78.26	-
14	दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के के उपयोगी सामग्री की उपलब्धता	13	33	-	28.26	71.74	-
15	शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों के उपयोगी सामग्री की उपलब्धता	12	34	-	26.09	73.91	-
16	मानसिक मंद विद्यार्थियों के उपयोगी सामग्री की उपलब्धता	09	37	-	19.56	80.44	-
17	अभिभावकों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण परिचर्चा, संवाद कार्यक्रम	14	32	-	30.43	69.57	-
18	छात्रवृत्ति की राशि, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन का वितरण	45	01	-	97.82	2.17	-
19	पंजीयन के रिकार्ड, प्रगति पत्रक, दैनिक उपस्थिति पंजी उपलब्धता और उपयोग	46	00	-	100	-	-
20	सूचना बोर्ड एवं आवश्यक सम्प्रेषण सामग्री की उपलब्धता	43	03	-	93.48	6.52	-
21	आवासीय शिविरों, अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं का संचालन	05	41	-	10.87	89.13	-
22	अनुकूल उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का उपयोग	44	02	-	95.65	4.35	-
23	विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण की उपलब्धता	42	04	-	91.30	8.70	-
24	केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार - प्रसार एवं क्रियान्वयन	44	02	-	95.65	4.35	-

शिक्षकों की प्रश्नावली से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

क्र.	प्रश्न	प्राप्त प्रतिक्रिया का प्रतिशत (%)			
		हाँ	नहीं	पता नही	पूर्णतया नहीं
1	दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा समेकित शिक्षा कार्यक्रम सार्थक हैं |	87	13	-	-
2	क्या सरकार द्वारा समेकित शिक्षा कार्यक्रम का संचालन प्रभावी रूप से किया जा रहा हैं|	71	11	18	-
3	क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील रहते हैं|	89	-	06	05
4	क्या आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करने में गर्व महसूस होता हैं	78	02	15	05
5	क्या आपके द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान की जाती हैं, जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती हैं ?	79	03	12	06
6	क्या आप मानते हैं की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए	74	01	15	11
7	क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कक्षा में अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाया जाता हैं	53	06	24	17
8	क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने एवं उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं	75	02	12	13
9	क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण करते हैं	42	21	09	30
10	क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल संप्रेषण तकनीकी एवं आवश्यक उपकरणों का उपयोग तथा अंशकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाता हैं	31	35	04	23
11	क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना चाहिए|	74	06	01	19
12	आपके द्वारा कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण किया जाता हैं |	31	-	53	15
13	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजित निर्देशन एवं परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके द्वारा सहभागिता की जाती हैं |	69	12	13	06
14	क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने हेतु तैयार किया जाता हैं|	28	02	58	18
15	क्या दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ स्वयं को समायोजित कर पाते हैं|	62	01	27	11
16	क्या आपके द्वारा विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता हैं|	63	01	24	13
17	क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार किया जाता हैं	19	20	17	35
18	विद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति दिव्यांग विद्यार्थियों का दृष्टिकोण किस प्रकार का हैं |	सकारात्मक	नकारात्मक	सहयोगात्मक	सामान्य
		68	**02**	**26**	**03**
19	परिवार में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं |	माता-पिता	भाई-बहन	समाज	रीति-रिवाज
		66	**04**	**18**	**12**
20	आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण किसे मानते हैं |	पारिवारिक दशा	गरीबी	साधनों का अभाव	विद्यालय वातावरण
		78	**02**	**11**	**09**
21	क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, तो उनके साथ कब एवं कितना समय व्यतीत करते हैं और कैसे	**विद्यालय समय में**		**पुरे समय**	**कुछ समय**
		70		18	12

विद्यार्थियों की अनुसूची से प्राप्त प्रतिक्रिया का विवरण

क्र.	कथन	प्राप्त प्रतिक्रिया का प्रतिशत (%)			
		हाँ	नहीं	बहुत कम कम मात्रा में	कभे-कभी हमेशा / सदैव
1	आप प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं ।	94	-	3	3
2	अध्यापकों द्वारा आपको पढ़ने-लिखने में व्यक्तिगत रूप से सहायता एवं मदद की जाती है।	84	06	10	0
3	शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो विषय-वस्तु या प्रकरण पढ़ाया जाता है, वह पूरी तरह आपके समझ में आता है।	72	3	25	0
4	विद्यालय में आपकी अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाती है ।	65	06	29	0
5	आपके अध्यापक कक्षा अध्यापन में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं ।	56	17	27	0
6	आपको विद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर, चिकित्सा, खेल सामान आदि उपलब्ध कराया जाता है।	78	07	15	0
7	आपको विद्यालय में मध्यान्ह भोजन, पुस्तकें, गणवेश. छात्रवृति एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान अकिया जाता है।	95	3	2	0
8	आपके अध्यापक सरकार द्वारा शिक्षा हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं ओर कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते हैं ।	28	42	29	01
9	विद्यालय में आपको ब्रेल उपकरण , स्पर्ष भाषा, ब्रेल अनुदेशक एवं कम्प्युटर ब्रेल प्रणाली, रेडियो, टेपरिकार्डर, आडियो-वीडियो कैसेट्स, टेलीविजन, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन उपलब्ध कराया जाता है।	14	67	19	0
10	विद्यालय में आपको शारीरिक, मानसिक, चिकित्सा, आचरण एवं सुरक्षा, शिक्षा संबंधी तथा सामाजिक और हस्तशिल्प कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।	21	67	12	0
11	कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा आपको प्रशंसा या प्रोत्साहन दिया जाता है ।	77	21	02	0
12	आपको विद्यालय में पढ़ने के लिए आने में कौन – कौन सहायता करता हैं।	माता पिता-	सहपाठी	भाई बहन	अध्यापक
		22	56	21	01
13	आपके अध्यापको द्वारा आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।	मित्रवत	सामान्य	भेदभावपूर्ण	--
		23	63	12	02
14	आपको अध्ययन के अनुसार विद्यालय का वातावरण कैसा लगता है ।	अच्छा	मजेदार	रुचिपूर्ण	ठीक नही
		76	05	14	05

क्र. (I)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

परीक्षण सूची (चैक लिस्ट) - **विद्यालय प्राचार्यों हेतु**

विद्यालय का नाम एवं पता .....

.....

संचालन समिति का नाम एवं पता.....

.....

प्राचार्य/संचालक का नाम .....**मों.न.** .....

ग्राम ..... **शहर**.....**जिला**.....**दिनांक** .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत परीक्षण सूची (चेक लिस्ट में) 24 बिंदुओं का समावेश किया गया है | इन बिंदुओं के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति क्या है तथा विद्यालयों में उपलब्ध साधनों एवं व्यवस्था की क्या स्थिति हैं | अत: आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना प्रत्युत्तर दीजिए |
2. उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में विचार किजीये |
3. आपके प्रत्युत्तर को पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा |

परीक्षण सूची (चैक लिस्ट)

क्र.	विद्यालय में उपलब्ध सामग्रीउपकरण एवं व्यवस्था/	उपलब्ध है	उपलब्ध नहीं	कार्यशीलता का स्तर
1	विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अनुपात की उपलब्धता (आर.टी.ई. अधिनियम २००९ के अनुसार)			
2	विद्यालय में विशेष शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपलब्धता की स्थिति (आर.टी.ई. अधिनियम २००९ के अनुसार)			
3	स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत (सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए)			
4	विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त कक्षा कक्षों, प्रकाश एवं उपयोगानुसार फर्नीचर की व्यवस्था की उपलब्धता (सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार)			
5	बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग - अलग शौचालय तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के विशेष शौचालय की व्यवस्था की उपलब्धता			
6	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रपट (रेम्प) का निर्माण			
7	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष और खेल के मैदान की उपलब्धता			
8	समावेशी शिक्षा के अनुकूल उचित भवन संरचना की उपलब्धता			
9	अधिगम को रोचक बनाने के लिए भाषा प्रयोगशाला एवं आई.सी. टी. संसाधन कक्ष के साथ इन्टरनेट की उपलब्धता एवं प्रयोग की सुविधा			
10	विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी एवं प्रशिक्षित शिक्षक /शिक्षिकाओं की उपलब्धता			
11	विद्यालय के चारों और बाउंड्रीवॉल (चार दीवारी) की व्यवस्था			
12	प्राथमिक चिकित्सा कक्ष एवं डाक्टरों एवं मनोवैज्ञानिकों की उपलब्धता एवं समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन			
13	श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए रेडियो, टेपरिकार्डर, आडियो-वीडियो कैसेट्स, टेलीविजन, एम्पलीफायर, माइक्रोफोन आदि की उपलब्धता			
14	दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल उपकरण, स्पर्श भाषा, ब्रेल अनुदेशक एवं कम्प्युटर ब्रेल प्रणाली की उपलब्धता			
15	शारीरिक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए व्हील चेयर, सर्जिकल एवं मोल्डेड शूज, केलिपर्स तथा विशेष फर्नीचर आदि की उपलब्धता			
16	मानसिक मंद विद्यार्थियों के लिए शारीरिक, मानसिक, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा एवं आचरण, शिक्षा तथा हस्तशिल्प के साथ घरेलू कार्य के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था			
17	ग्रीष्मकालीन अवकाश में अभिभावकों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रमों का आयोजन			
18	विशेष आवश्यकता वाले पात्र विद्यार्थियों कों छात्रवृत्ति की राशि, पुस्तकें, गणवेश, मध्यान्ह भोजन आदि का वितरण			
19	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के पंजीयन के रिकार्ड, प्रगति पत्रक, दैनिक उपस्थिति पंजी की उपलब्धता और उसका नियमित उपयोग			
20	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसारण के लिए सूचना बोर्ड एवं आवश्यक सम्प्रेषण सामग्री की उपलब्धता			
21	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए आवासीय शिविरों, अतिरिक्त एवं अंशकालीन कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था			
22	सभी विद्यार्थियों के अनुकूल उचित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग की व्यवस्था			
23	विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण की उपलब्धता			
24	केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार - प्रसार एवं उनका समय पर क्रियान्वयन की व्यवस्था			

क्र. (II)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

अनुसूची प्रपत्र – (विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए)

नाम.....

पिता का नाम ..... **माता का नाम**.....

उम्र.....**कक्षा**.....**नि: शक्तता का प्रकार** .....

विद्यालय का नाम .....

ग्राम ..... **शहर** .. ..**जिला**.. .....**दिनांक** ....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत अनुसूची में 16 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक **स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति क्या है तथा विद्यालयों में उपलब्ध साधनों एवं व्यवस्था की क्या** स्थिति हैं | अत: **आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर** / सुनकर सही उत्तर के सामने **[✓]** का चिन्ह लगावें |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | **उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है** |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक-

१. आप प्रतिदिन विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं |

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) बहुत कम [ ] (४) कभी-कभी [ ]

२. आपको विद्यालय में पढ़ने के लिए आने में कौन कौन –सहायता करता है |

(१) माता-पिता [ ] (२) सहपाठी [ ] (३) भाई बहन [ ] (४) अध्यापक [ ]

३. अध्यापको द्वारा आपको पढ़ने लिखने में सहायता एवं मदद की जाती है|

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) बहुत कम [ ] (४) कभी-कभी [ ]

४. शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो विषय| वस्तु या प्रकरण पढ़ाया जाता है वह पूरी तरह आपके समझ में आता है -

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) बहुत कम [ ] (४) सदैव [ ]

५. विद्यालय में आपकी अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाती है |

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) कम मात्रा में [ ] (४) कभी-कभी [ ]

६. आपके अध्यापक कक्षा अध्यापन में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं |

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) कम मात्रा में [ ] (४) कभी-कभी [ ]

७. आपको विद्यालय में आवश्यकतानुसार चिकित्सा, फर्नीचर एवं खेल का सामान आदि उपलब्ध कराया जाता है|

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) बहुत कम [ ] (४) कभी-कभी [ ]

८. आपको विद्यालय में मध्यान्ह भोजन, छात्रवृति, गणवेश, पुस्तके एवं विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है|

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) बहुत कम [ ] (४) कभी-कभी [ ]

९. आपके अध्यापक सरकार द्वारा शिक्षा हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं ओर कार्यक्रमों की जानकारी आपको देते हैं |

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) कम मात्रा में [ ] (४) कभी-कभी [ ]

१०. विद्यालय में आपकों ब्रेल उपकरण , ब्रेल अनुदेशक, कम्प्युटर ब्रेल प्रणाली, स्पर्श भाषा, रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर, आडियो- विडियों केसेट्स, माइक्रोफोन आदि उपलब्ध कराया जाता है|

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) कम मात्रा में [ ] (४) कभी-कभी [ ]

११. विद्यालय में आपको शारीरिक आचरण एवं सुरक्षा शिक्षा ,चिकित्सा ,मानसिक ,सम्बन्धी तथा सामाजिक और हस्तशिल्प कार्यों के साथ घरेलू कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है|

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) कम मात्रा में [ ] (४) कभी-कभी [ ]

१२. आपके अध्यापको द्वारा आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है|

(१) मित्रवत [ ] (२) सामान्य [ ] (३) भेदभाव पूर्ण [ ]

१३. कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा आपको प्रशंसा या प्रोत्साहन दिया जाता है |

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) सदैव [ ] (४) कभी-कभी [ ]

१४. आपको अध्ययन के अनुसार विद्यालय का वातावरण कैसा लगता है |

(१) अच्छा [ ] (२) मजेदार [ ] (३) रुचिपूर्ण [ ] (४) ठीक नहीं [ ]

१५. घर या विद्यालय में से कौन सा स्थान अधिक अच्छा लगता हैं ओर क्यों ?

१६. विद्यालय के वातावरण को मजेदार और रुचिपूर्ण बनाने के लिए और क्या-क्या सुविधाएं होना चाहिए|

क्र. (III)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

साक्षात्कार – अनुसूची (अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र के लिए)

नाम बालक बालिका/.....उम्र.....

पिता का नाम .... शिक्षा का स्तर.....

माता का नाम ..... शिक्षा का स्तर.....

कुल बच्चों की संख्या .....(म) ..... (पु) ..... वि. आ. वा. बच्चे ..... (म) ..... (पु) .....

पता.....

ग्राम ..... शहर .....जिला.....दिनांक .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत साक्षात्कार अनुसूची में 12 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में **प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति क्या है तथा विद्यालयों में उपलब्ध साधनों एवं व्यवस्था** की क्या स्थिति हैं | अत: **आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर** अपना प्रत्युत्तर दीजिए |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | **उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है** |

3. आपके प्रत्युत्तर को पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा |

प्रश्न क्रमांक-

1. **परिवार के अन्य सदस्यों एवं बच्चो में से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने-लिखने में कौन सहायता करता है |**
2. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आपके मित्रो एवं रिश्तेदारों द्वारा पढ़ने के लिए किस प्रकार से सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाता है?**
3. **आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने , लिखने औए प्रशिक्षण के लिए घर पर अलग से क्या व्यवस्था की जाती है |**
4. **आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में विद्यालय से वर्ष में कब-कब और किण कार्यों के लिए संपर्क किया जाता है |**
5. **आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए स्वयं सेवी संगठनों (एन. जी . ओ.) से किस प्रकार सम्पर्क और सहायता ली जाती है |**
6. **आप विद्यालय द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए समय समय पर आयोजित निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रमों से कितने लाभान्वित हुए है |**
7. **आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों से परामर्श. जांच एवं प्रमाण-पत्र आदि कब कराई जाती हैं |**
8. **आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कौन-कौन सी योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखते है |**
9. **क्या आप केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु किये जा रहे प्रयासों से सहमत या संतुष्ट है?**
10. **आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और परिवार के सामान्य बच्चों के मध्य विभेद किया जाता है या किसे प्राथमिकता दी जाती है?**
11. **आपके द्वारा घर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मनोरंजन के लिये कौन कौन से साधनों की व्यवस्था की जाती है?**
12. **आपके द्वारा घर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हस्त कला कौशलआदि कलाओं में निपुण बनाने के लिए प्रयास किया जाते है?**

नाम.....

हस्ताक्षर .....

क्र. (IV)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

प्रश्नावली – (विद्यालय के शिक्षकों के लिए)

विद्यालय का नाम .....

नाम .....**पिता का नाम** .....

प्रशिक्षण का प्रकार – सामान्य ( ) विशेष शिक्षा ( ) उम्र.....

पता ..... **मों .न.** .....

ग्राम .....**शहर** .....**जिला**.....**दिनांक** .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत प्रश्नावली में 23 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक **स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा की स्थिति क्या है तथा विद्यालयों में उपलब्ध साधनों एवं व्यवस्था की क्या** स्थिति हैं | अत: **आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर** / सुनकर सही उत्तर के सामने **[✓]** का चिन्ह लगावें |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये** | उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है **परन्तु प्रश्नों का उत्तर यथाशीघ्र देने का प्रयास करें** |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक –

1. **दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा समेकित शिक्षा कार्यक्रम सार्थक है |**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) पता नहीं [ ]

2. **क्या सरकार द्वारा समेकित शिक्षा कार्यक्रम का संचालन प्रभावी रूप से किया जा रहा है?**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) पूर्ण तया नहीं [ ]

3. **क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील रहते हैं ?**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) बहुत कम [ ] (४) बहुत अधिक [ ]

4. **क्या आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करने में गर्व महसूस होता है?**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३)कभी-कभी [ ] (४) प्रत्येक समय [ ]

5. **क्या आपके द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान की जाती हैंजिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है ,?**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) सतत रूप से [ ] (४) हर समय [ ]

6. **क्या आप मानते है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज में पारिवारिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ?**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) सतत रूप से [ ] (४) आवश्यकतानुसार [ ]

7. **विद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति दिव्यांग विद्यार्थियों का दृष्टिकोण किस प्रकार का है |**
   (१) सकारात्मक[ ] (२) नकारात्मक [ ] (३) सहयोगात्मक [ ] (४) सामान्य [ ]

8. **क्या आप बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं को समझने एवं उन्हें हल करने का प्रयास करते है?**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) हर समय [ ] (४) प्रत्येक स्तर पर [ ]

9. **क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने और उनका एकीकरण करने के लिए गृह आधारित सर्वेक्षण करते हैं?**
   (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) नियमित रूप से [ ] (४) समय समय पर [ ]

10. **क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए अनुकूल संप्रेषण तकनीकी एवं आवश्यक उपकरणों का उपयोग तथा अंशकालीन कक्षाओं का संचालन किया जाता है?**
    (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) सदैव [ ] (४) कभी-कभी [ ]

11. **क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय चलाना चाहिए ?**
    (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) बिलकुल नहीं [ ] (४) आवश्यकतानुसार [ ]

12. **परिवार में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं |**
    (१) माता-पिता [ ] (२) भाई-बहन [ ] (३) समाज [ ] (४) रीति-रिवाज [ ]

13. **क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में बैठाने के लिए तैयार किया जाता है?**
    (१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) प्रत्येक स्तर पर [ ] (४) सतत रूप से [ ]

14. आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण किसे मानते है |

(१) पारिवारिक दशा [ ] (२) गरीबी [ ] (३) साधनों का अभाव [ ] (४) विद्यालय वातावरण [ ]

15. आपके द्वारा कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति का नियमित निरीक्षण किया जाता है |

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) नियमित रूप से [ ] (४) कभी-कभी [ ]

16. क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कक्षा में अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाया जाता है?

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) नियमित रूप से [ ] (४) कभी-कभी [ ]

17. क्या दिव्यांग विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ स्वयं को समायोजित कर पाते हैं?

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) सदैव नहीं [ ] (४) सामान्य तया [ ]

18. क्या आप विद्यालय में बाधा रहित शैक्षिक वातावरण तैयार करने का प्रयास करते हैं?

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) सदैव [ ] (४) बहुत अधिक [ ]

19. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता पिता के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजित निर्देशन एवं परामर्श तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपके द्वारा सहभागिता की जाती हैं |

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) निरंतर [ ] (४) कभी-कभी [ ]

20. क्या आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए तैयार किया जाता है?

(१) हाँ [ ] (२) नहीं [ ] (३) सतत [ ] (४) कभी-कभी [ ]

21. क्या आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं?तो उनके साथ कब एवं कितना समय व्यतीत करते हैं ,

---

22. आपके मत में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने में आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी है |

---

23. समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक सूझाव दीजिए |

नाम.....

हस्ताक्षर .....

क्र. (V)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

संरचित साक्षात्कार अनुसूची (शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए)

कार्यालय का नाम .....

अधिकारी का नाम ..... **पद** .....

उम्र..... **मों . न .** .....

ग्राम ..... **शहर** ..... **जिला**..... **दिनांक** .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत संरचित साक्षात्कार अनुसूची में 16 प्रश्नों का समावेश किया गया है | **इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को लागू करने में विभागीय स्तर पर कौन-कौन** सी समस्या आती है | अत: **आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर** अपना प्रत्युत्तर दीजिए |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | उत्तर देने हेतु **समय का प्रतिबन्ध नहीं है** परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक –

1. विभाग द्वारा विद्यालयों में विशेष शिक्षा में डिग्री या डिप्लोमा धारी शिक्षकों की नियुक्ति किन किन स्तरों पर की जाती है |
2. विभाग द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नियत समय पर समस्त पात्र विद्यार्थियों तक कब और कैसे पंहुचाया जाता है?
3. आपके विभाग द्वारा समुदाय तथा शैक्षिक एवं स्वयं सेवी संगठनों को बढ़ावा देने हेतु क्या क्या कार्य किये जाते हैं |
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को राज्य के कौन कौन से विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश एवं अध्ययन की सुविधाएं प्रदान की जाती है |
5. आपके विभाग द्वारा समावेशी विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों (मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षाविद) के मार्गदर्शन, निरीक्षण और परामर्श की क्या योजना बनाई जाती है |
6. समावेशन की नीतियों को प्रत्येक विद्यालय और सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप से किस प्रकार लागू किया जा रहा है |
7. शिक्षकों द्वारा अध्ययन में कमजोर व पिछड़े हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षिक स्तर की समय – समय पर जांच कब और कैसे की जाती है |
8. विभाग द्वारा शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर आयोजन, समन्वय, निग्राने और मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है |
9. शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से किया जाता है |
10. शिक्षा की प्रक्रिया में समावेशन बढ़ाने के लिए कौन-कौन से तरीकों को अपनाया जाता है |
11. किन कारणों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा अध्ययन पूरा नहीं किया जाता अथवा अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया जाता है |
12. विशेष आवश्यकता वाले वें बच्चे जिन्होंने अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया है ऐसे बच्चों को पुन: विद्यालय में लाने या शिक्षा से जोड़ने के लिए विभागीय स्तर पर क्या प्रयास किये जाते है |
13. समावेशी विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा विभाग को पर्याप्त धन और अन्य सुविधाएँ किस प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है |
14. समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तकनीक के विकास में पर्याप्त शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है, इस संबंध में विभाग द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है |
15. राज्य के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने में प्रमुख रूप से किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है |
16. राज्य में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने में आने वाली समस्याओं का निपटारा कैसे किया जा सकता है |

नाम.....

हस्ताक्षर.....

क्र. (VI)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

साक्षात्कार अनुसूची (विद्यालय संचालक / प्राचार्य के लिए)

विद्यालय का नाम.....

नाम .....

पिता का नाम .....**उम्र**.....**मों.न.** .....

ग्राम ..... **शहर**.....**जिला**..... **दिनांक**.....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत साक्षात्कार अनुसूची में 24 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | **इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को लागू करने में** विद्यालय स्तर पर कौन-**कौन सी समस्या** व्याप्त है | अत: **आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना प्रत्युत्तर दीजिए** |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | **उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है** परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक –

1. विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रवेश सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं?
2. विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अनुरूप कौन-कौन से साधा और संसाधन उपलब्ध है |
3. समावेशी शिक्षा के संचालन के लिए विद्यालय के शिक्षकों को दायित्व व जवाबदेही किस प्रकार सोंपी जाती है |
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सामान्य विद्यालयों में समावेशीकरण के संवर्धन हेतु क्या क्या-प्रयास किये जाते हैं ?
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालय द्वारा कौन-कौन से शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है |
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कार्य किये जाते है |
7. समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय स्तर पर किस प्रकार की कार्य योजना बनाई जाती है |
8. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने तथा शिक्षा और विद्यालय के प्रति लगाव एवं अपनत्व उत्पन्न करने के लिए आपके द्वारा क्या-क्या उपाय किये जाते है |
9. विद्यालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा से वंचित एवं बीच में हेई अध्ययन छोड़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से पुनः जोड़ने के लिए क्या प्रयास किये जाते है |
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावको को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी किस प्रकार प्रदान की जाती है |
11. आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों एवं समावेशी विद्यालयों में किसे अधिक बेहतर मानते है और क्यों?
12. विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आवासीय शिविरों का आयोजन किस प्रकार किया जाता है |
13. विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पूरक और उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है |
14. विद्यालय द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए निर्देशण एवं परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर किस प्रकार किया जाता है |
15. श्रवण बाधित, मानसिक मंद, दृष्टि बाधित और शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में कौन कौन से साधनों एवं सहायक सामग्री की उपलब्धता है |
16. समावेशी शिक्षा के लिए बाधारहित शैक्षिक वातावरण निर्मित करने हेतु शिक्षकों एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जाते है |
17. विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वास्थ्य सेवा (मेडिकल एवं सर्जिकल) संबन्धित क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है |
18. विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों (मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षाविद) के मार्गदर्शन, निरीक्षण और परामर्श की क्या योजना है |

19. **समावेशी शिक्षा को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए D.P.E.P., S.S.A, एवं R.T.E. के कौन –कौन से प्रावधानों का पालन किया जाता है |**

20. **D.P.E.P., S.S.A, एवं R.T.E. लागू होने के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है, क्या इनमें और सुधार की आवश्यकता है?**

21. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और समावेशन के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किये जाते है |**

22. **विभिन्न अधिनियमों के लागू होने के बाद आज भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शारीरिक और सामाजिक अवरोधकों का सामना करना पडता है, इस हेतु आपके द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है |**

23. **विद्यालय में समावेशी शिक्षा को लागू करने में आपको किन – किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है |**

24. **समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है |**

नाम .....

हस्ताक्षर .....

क्र. (VII)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

साक्षात्कार – अनुसूची (अभिभावक एवं रिश्तेदार या मित्र / पडौसी के लिए)

नाम .....

पिता का नाम .... **उम्र**.....

पता ....

ग्राम ..... **शहर** ..... .**जिला**..... **दिनांक** .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत साक्षात्कार अनुसूची में 11 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | **इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा** को लागू करने में विभिन्न स्तरों पर कौन-**कौन सी समस्याएं व्याप्त है** | अत: **आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर** अपना प्रत्युत्तर दीजिए |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | **उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है** परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक –

1. **आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज एवं शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्या- क्या प्रयास करते है |**
2. **आप विद्यालय द्वारा आयोजित अभिभावको के निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम में कितनी बार सम्मिलित होते हैं और उनसे कितने लाभान्वित हुए हैं |**
3. **आपके क्षेत्र के विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्तविशेष/ अंशकालीन एवं उपचारात्मक कक्षाओं का संचालन किया जाता है |**
4. **समावेशी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कौन – कौन सी सुविधाएं एवं लाभ प्राप्त होते है |**
5. **आपके क्षेत्र में स्थित समावेशी विद्यालयों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार का शैक्षिक व व्यक्तिगत वातावरण तैयार किया जाता है |**
6. **विद्यालय द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सरकार की कौन- कौन सी योजनाओं की जानकारी और लाभ समय पर दिया जाता है |**
7. **विद्यालयों में आपके बच्चों को मनोवैज्ञानिकों, चिकित्सकों की सेवाएं, स्वास्थ्य परीक्षण एवं मेडिकल देखरेख संबधी सुविधाएं कब और कैसे उपलब्ध कराई जाती है |**
8. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों एवं समावेशी विद्यालयों में किसको अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों ?**
9. **वें कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा अध्ययन पूर्ण नहीं किया जाता अथवा अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया जाता है |**
10. **आपके बच्चों को समावेशी विद्यालयों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है |**
11. **मावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए |**

नाम.....

हस्ताक्षर.....

क्र. (VIII)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"***Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan***"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

साक्षात्कार - अनुसूची (स्वयं सेवी संगठनों के संचालक / प्रतिनिधि के लिए)

समुदाय/संगठन का नाम.....

पदाधिकारी का नाम ....**पद** .....

उम्र..... **मों . न .** .....

ग्राम ..... **शहर** ..... **जिला**..... **दिनांक** .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत साक्षात्कार अनुसूची में 14 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | **इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा** को लागू करने में विभिन्न स्तरों पर कौन-**कौन सी समस्याएं व्याप्त है** | अत: आपसे अनुरोध है **कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर** अपना प्रत्युत्तर दीजिए |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | **उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है** परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक –

1. आपकी संस्था विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या- क्या कार्य करती है |
2. आपके संगठन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं उनको किस प्रकार चिन्हित किया जाता है |
3. आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशीकरण हेतु क्या- क्या प्रयास किये जा रहे है |
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चें सामान्य विद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम से कितने लाभान्वित होते हैं?
5. आपके संगठन द्वारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए किस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ?
6. आपके संगठन द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु किये जाने वाले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं संबंधी सूचनाओं का प्रचार एवं प्रसार किस प्रकार से किया जाता है |
7. आपके संगठन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता – पिता के लिए निर्देशन एवं परामर्श के लिए क्या –क्या कार्य किये जाते है |
8. आपके संगठन द्वारा श्रवण बाधित, मानसिक मंद, दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग बच्चों के लिए कौन-कौन से सहायक एवं प्रतिस्थापित उपकरण तथा साधनों की व्यवस्था की जाती है |
9. S.S.A, एवं R.T.E. लागू होने के बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक स्थितियों में क्या परिवर्तन आया है, क्या इनमें और सुधार की आवश्यकता है |
10. समावेशी शिक्षा हेतु सरकार द्वारा P.W.D., U.N.C..P.D., एवं R.C.I. के किन – किन प्रावधानों का पालन उचित प्रकार से किया जा रहा है |
11. वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा के फलस्वरुप समाज के दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया है |
12. समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू हो इस हेतु आपके संगठन द्वारा क्या – क्या प्रयास किये जा रहे है |
13. आप के मत में राज्य के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने में कौन- कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है |
14. राज्य के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है |

नाम.....

हस्ताक्षर.....

क्र. (IX)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्यय‍न"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

साक्षात्कार –अनुसूची (समुदाय एवं सामाजिक संगठन के लिए)

समुदाय/संगठन का नाम.....

पदाधिकारी का नाम ....**पद** .....

उम्र..... **मों . न .** .....

ग्राम ..... **शहर** ..... **जिला**..... **दिनांक** .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत साक्षात्कार अनुसूची में 12 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | **इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा** को लागू करने में विभिन्न स्तरों पर कौन-**कौन सी समस्याएं व्याप्त है** | अत: आपसे अनुरोध है **कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर** अपना प्रत्युत्तर दीजिए |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | **उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है** परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक –

1. **सरकार द्वारा चलाई विभिन्न योजनाओं के परिणाम स्वरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु समाज के व्यक्तियों के नजरिये में क्या बदलाव आया है ?**
2. **आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले अनामांकित एवं विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या - क्या प्रयास किये जात है |**
3. **आपके द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों संबंधी सूचनाओं का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया जाता है |**
4. **वर्तमान में सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से कार्य किया जा रहे है |**
5. **राज्य में संचालित सामान्य और समावेशी विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण किस प्रकार का है |**
6. **आपके द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या- कया कार्य और प्रयास किये जाते है |**
7. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न अधिनियमों में किये गए प्रावधान पर्याप्त है या उनमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता है |**
8. **राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से बच्चे कितने लाभान्वित हो रहे हैं |**
9. **वें कौन से कारण है जिनकी वजह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा अध्ययन को पूर्ण नहर किया जाता है या बीच में ही छोड़ दिया जाता है |**
10. **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और समावेशन के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किये जाते हैं?**
11. **कौन- कौन सी बाधाएं है जो समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में रूकावट उत्पन्न करती है |**
12. **समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दीजिए |**

नाम.....

हस्ताक्षर .....

क्र. (X)

"राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा का अध्ययन"

(विभिन्न योजनाओं व नीतियों के विशेष संदर्भ में)

"*Rajasthan Me Prathmik Star Par Vishesh Aavashyakta Vaale Bachchon Ki Samaveshi Shiksha Ka Adhyayan*"

(*Vibhinna Yojnaon va Nitiyon Ke vishesh Sandarbh Me*)

शोध पर्यवेक्षक

प्रो. (डॉ.) रजनी रंजन सिंह

अतिरिक्त शोध निदेशक एवं सह आचार्य शिक्षा **विद्यापीठ**

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शोधार्थी

हेमन्त नामदेव

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

शिक्षा विद्यापीठ

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय

रावतभाटा रोड, कोटा (राजस्थान)

साक्षात्कार – अनुसूची (जनप्रतिनिधि के लिए)

नाम .....

पद ..... **उम्र**..... **मों . न .** .....

पता .....

ग्राम ..... **शहर** ..... **जिला**..... **दिनांक** .....

निर्देश :-

1. प्रस्तुत साक्षात्कार अनुसूची में 14 **प्रश्नों का समावेश किया गया है** | **इन प्रश्नों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है की राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा** को लागू करने में विभिन्न स्तरों पर कौन-**कौन सी समस्याएं व्याप्त है** | अत: आपसे अनुरोध है **कि प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनकर** अपना प्रत्युत्तर दीजिए |
2. **उत्तर देते समय किसी विशेष परिस्थिति पर विचार न करते हुए सामान्य परिस्थिति के सम्बन्ध में सोच विचार किजीये एवं** अपने विचार, मत व सुझाव प्रदान कीजिये | **उत्तर देने हेतु समय का प्रतिबन्ध नहीं है** परन्तु प्रश्नों का उत्तर उचित समय में देने का प्रयास करें |
3. आपके प्रत्युत्तर को **पूर्णतया गोपनीय रखा जायगा एवं इसका उपयोग केवल शोध अध्ययन हेतु किया जायगा** |

प्रश्न क्रमांक –

1. राज्य में संचालित कौन - कौन सी संस्थाओं या विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश एवं आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती है |
2. राज्य के समस्त विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अध्ययन संबंधी कौन-कौन सी आवश्यक सुविधांए नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है |
3. राज्य में संचालित कितने विद्यालयों की आधारभूत संरचना एवं उनमे उपलब्ध सुविधाएं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा के अनुरूप है |
4. राज्य के समावेशी विद्यालयों में विद्यार्थियों को मनोचिकित्सकों की सेवाएँ , स्वास्थय परीक्षण की पर्याप्त और नियमित सुविधाएं कब और कैसे उपलब्ध कराई जाती है |
5. समावेशी शिक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन –कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है |
6. समाजसेवी और स्वयंसेवी संगठनों और सक्रिय समुदायों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता की राशि कब और कैसे मुहैया कराई जाती है |
7. राज्य सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है |
8. क्या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण तकनीक के विकास में पर्याप्तशोध और अनुसंधान की आवश्यकता है | इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है |
9. सामान्य विद्यार्थियों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय में समावेशन को सफल बनाने के लिए आप किन – किन तत्वों को महतवपूर्ण मानते है |
10. सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यक्तिगत गतिशीलता, आवास एवं पुनर्वास के लिए क्या कार्य किये जा रहे है |
11. राज्य में विभिन्न अधिनियमों के लागू होने के बाद भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आज भी शारीरिक और सामाजिक अवरोधकों का सामना करना पड़ता है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है |
12. राज्य में समावेशी शिक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं क बाद भी हजारों दिव्यांग बच्चे आज भी शिक्षा से दूर है, ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है |
13. आप के मत में राज्य के विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं है |
14. विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है |

नाम .....

हस्ताक्षर .....

अनुलग्नक क्र. (I)

चयनित जिलों के विद्यालयों में **स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत**

चयनित जिलों के विद्यालयों में **स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था एवं जल प्राप्ति के स्त्रोत**

अनुलग्नक क्र. (II)

चयनित जिलों के विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्षों, प्रकाश एवं फर्नीचर की व्यवस्था

उ.प्रा. वि, किशन गढ़ - ब्लॉक

उ.प्रा. वि रामगढ़ ब्लॉक

बालिका उ.प्रा. वि राजगढ़ – ब्लॉक

उ.प्रा. वि सेवर – ब्लॉक

मा. वि. तारानगर – ब्लॉक

मा. वि. तारानगर – ब्लॉक

चयनित जिलों के विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा कक्षों, प्रकाश एवं फर्नीचर की व्यवस्था

उ.प्रा. वि रतन गढ़ - ब्लॉक

प्रा. वि टिब्बी - ब्लॉक

प्रा. वि. पीलीबंगा - ब्लॉक

मा . वि. धानी, तारानगर - ब्लॉक

उ.प्रा. वि पीलीबंगा - ब्लॉक

अनुलग्नक क्र. (III)

बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के विशेष शौचालय की व्यवस्था

बालक-बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

अनुलग्नक क्र. (IV)

समावेशी शिक्षा के अनुकूल उचित भवन संरचना

विद्यालयों में रपट (रेम्प) निर्माण एवं बाधा मुक्त वातावरण

विद्यालय भवनों में (बाउन्ड्रीवाल) चार दीवारी का निर्माण

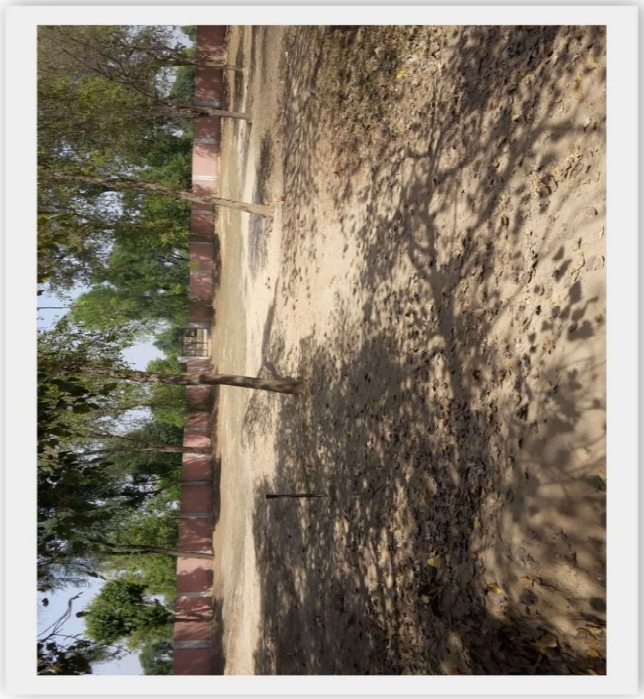

अनुलग्नक क्र. (V)

विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए इनडोर खेल कक्ष

रा. उ. प्रा. वि. रेनी

रा. उ. प्रा. वि. आंधवाडी

रा. उ. प्रा. वि. रेनी

UPS 2GGR

रा. उ. प्रा. वि. सादलपुर

मा. वि. तारानगर

विद्यालयों में खेल के मैदान की उपलब्धता

अनुलग्नक क्र. (VI)

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संदर्भ कक्षों में मौजूद उपकरण एवं साधन-संसाधन

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में मौजूद उपकरण एवं साधन-संसाधन

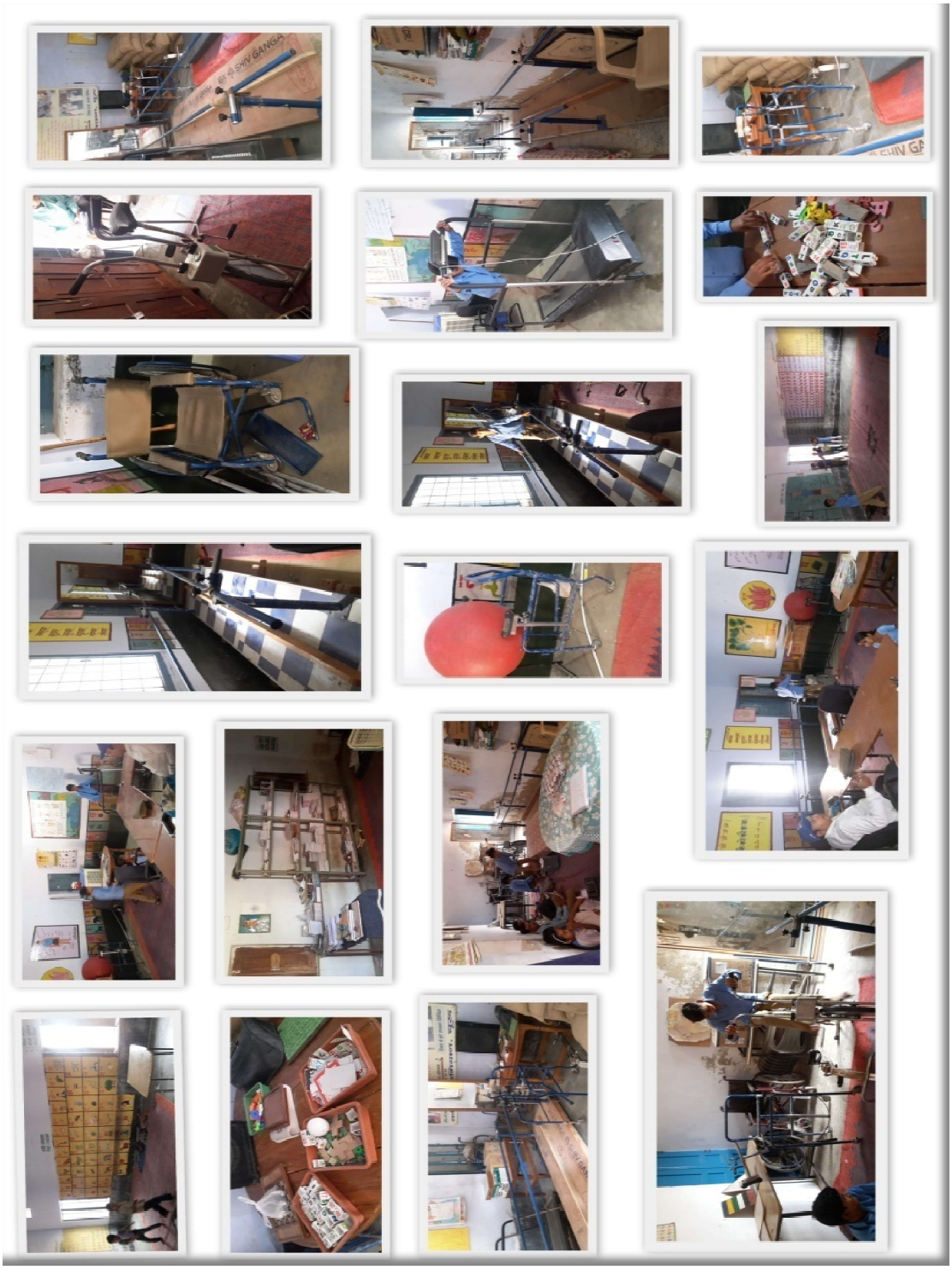

अनुलग्नक क्र. (VII)

विद्यालयों में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन का वितरण

UPS, Dhani chhtusing. Taranagar, CHURU

P.S.6GGR, Tibbi, HANUMANGARH

विद्यालयों में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन का वितरण

U.P.S Piliyn ka baas, Raj garh, ALWER

U.P.S. Jaal vala kuaa, ALWER

U.P.S ,Amarpura, Pilibanga, Hanumangarh

अनुलग्नक क्र. (VIII)

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की साक्षात्कार की प्रमुख झलकियां

अनुलग्नक क्र. (IX)

विद्यालय प्राचार्य से साक्षात्कार की प्रमुख झलकियाँ

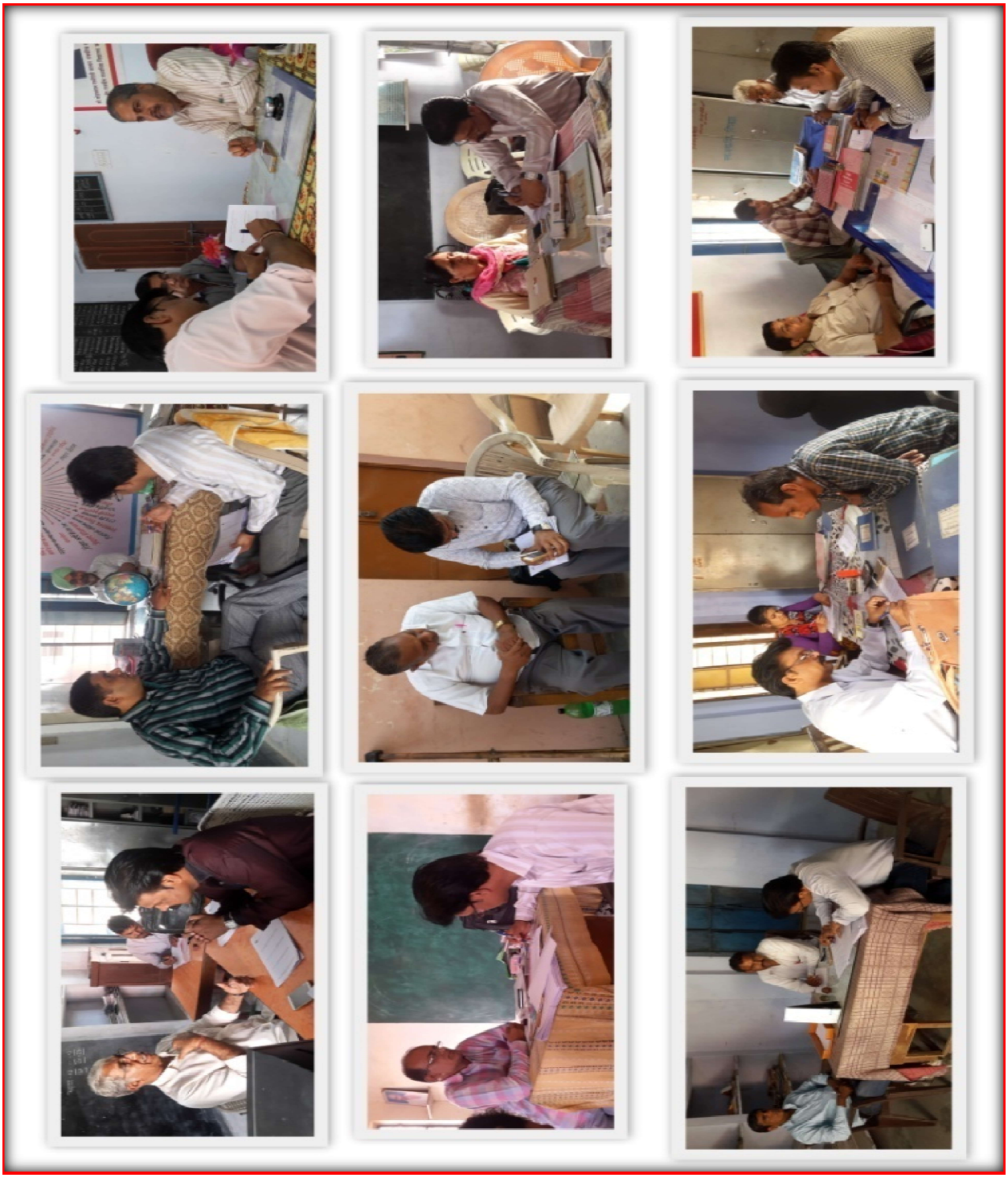

अनुलग्नक क्र. (X)

अभिभावकों के साक्षात्कार की प्रमुख झलकियां
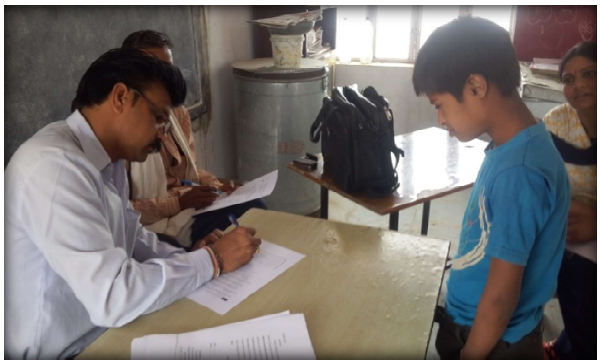
अनुलग्नक क्र. (XI)
दिव्यांग विद्यार्थियों से बातचीत की प्रमुख झलकियां